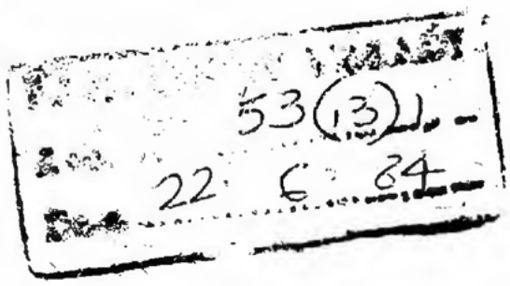
लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(तेरहवां सत्र)





(खंड 43 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 20, मंगलवार, 20 दिसम्बर, 1983/29 अग्रहायण, 1905 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 387 से 389 और 392	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	17—240
तारांकित प्रश्न संख्या : 390, 391 और 393 से 407	17—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4405 से 4419, 4421 से 4490, 4492 से 4506, 4508 से 4620, 4622 से 4641 और 4641-क	30—236
दिनांक 22 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1304 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	236—240
सभा पटल पर रखे गए पत्र	240—249
राज्य-सभा से संदेश	249
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 68वां प्रतिवेदन	249
विशेषाधिकार समिति सातवां प्रतिवेदन	249
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	249—250
(एक) 14वां प्रतिवेदन	249
(दो) कार्यवाही सारांश	250
नियम 377 के अधीन मामले	250—255
(एक) पारादीप (उड़ीसा) में प्रस्तावित मछली पकड़ने के बन्दरगाह के निर्माण में विलम्ब श्री लक्ष्मण मलिक	250
(दो) शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) के मलेरिया से पीड़ित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाने की आवश्यकता श्री जितेन्द्र प्रसाद	250—251
(तीन) मारमागाओं पत्तन न्यास, गोवा द्वारा सेवा प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने की आवश्यकता श्री जगन्नाथ पाटिल	251—252

*किसी नाम पर अंकित चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता श्री उमाकांत मिश्र	252
(पांच) बिजनौर चीनी मिल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धन प्रदान करने की आवश्यकता श्री मंगल राम प्रेमी	252—253
(छः) बिजली काटन मिल्स, हाथरस (उत्तर प्रदेश) के कामगारों की मांगें श्री चन्द्रपाल शैलानी	253
(सात) राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा औषध मानकों को लागू किए जाने की आवश्यकता श्री ए० के० बालन	253—254
(आठ) ब्रजराज नगर, सम्भलपुर जिला (उड़ीसा) के निकट शीघ्र एक सुपर ताप बिजलीघर स्थापित करने की आवश्यकता डा० कृपासिंधु भोई	254
(नौ) मद्रास में बहुमंजिली इमारतों के जल आपूर्ति इत्यादि पर प्रभाव डा० ए० कलानिधि	255
बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक	255—311
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री के० एस० नारायण	255
श्री रतन सिंह राजदा	258
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	262
श्री नुरूल इस्लाम	264
श्री सतीश अग्रवाल	266
श्री बृजमोहन महन्ती	271
श्री के० टी० कोसलराम	273
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	275
श्री भुवनेश्वर भूयन	278
श्री नाथू राम मिर्धा	280
श्री गिरधारी लाल व्यास	281
प्रो० सैफुद्दीन सोज	284
श्री संतोष मोहन देव	287
श्री जनार्दन पुजारी	291

विषय	पृष्ठ
खंड 2 से 75 और 1	299—311
पास करने का प्रस्ताव, यथा संशोधित	
श्री रामावतार शास्त्री	309
श्री जनार्दन पुजारी	310
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव	311—313
नियम 74 के प्रथम परन्तुक का निलम्बन	
श्री जनार्दन पुजारी	311
प्रो० मधु दंडवते	311
रक्षा सेवाओं के सेवा-निवृत्त अधिकारियों सहित कतिपय व्यक्तियों की जासूसी की गतिविधियों पर चर्चा	313—372
प्रो० मधु दंडवते	313
श्री आर० एस० स्पैरो	321
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	324
श्री राजेश पाइलट	328
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	331
श्री राम सिंह यादव	335
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	336
श्री एन० के० शेजबलकर	344
श्री फ्रैन्क एन्थनी	347
श्री आर० वेंकटरामन	351
श्री पी० के० कोडियन	362
श्री चित्त बसु	365
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	367

लोक सभा

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 1983/29 अग्रहायण, 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, हम प्रतिदिन इसी तरह 5 मिनट नष्ट करते हैं । यह सतारूढ़ दल की जिम्मेदारी है कि वह 11 बजे तक गणपूर्ति सुनिश्चित करें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह जिम्मेदारी बंटी हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : उनकी स्थिति क्या है ? उनके दल के 12 सदस्य भी उपस्थित नहीं हैं और हमारे दल के 50 से भी अधिक सदस्य उपस्थित हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमारी उपस्थिति उसी अनुपात में हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे सदस्यों की संख्या कम होने पर भी उनमें गुणवत्ता अधिक है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा कोयला श्रमिकों पर ज्यादतियों का आरोप

*387. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला श्रमिकों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ज्यादतियों के बारे में जनरल सेक्रेट्री आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन, आसनसोल का 29 सितम्बर, 1983 और 1 नवम्बर, 1983 के तार प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इन तारों पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिनांक 28.9.1983 को "केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल" द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की गई थी । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक

नियमों के अन्दर ही काम कर रहे थे और उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में गैर-कानूनी खनन, चोरी और अन्य समाजविरोधी गतिविधियों को रोकने में मदद की है। दिनांक 1 नवम्बर, 1983 के तार में उल्लिखित घटनाओं की जांच की जा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय हमें वही बातें बतायेंगे जिनके बारे में उन्हें सूचना दी गई है। इस तरह की शिकायतें मिलना आम बात होती जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस जैसे बलों का श्रमिक संघ के सामान्य और उचित अधिकारों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य के लिए ही प्राय: प्रयोग किया जाता है। 10 अक्तूबर, 1983 को जब महावीर कोयला खान के एजेन्ट सीटू तथा इंटक के श्रमिकों के प्रतिनिधियों से 28 खनिकों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे, उस समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लोग आए तथा उन्होंने श्रमिकों की पिटाई की, जिसके परिणामस्वरूप 50 खनिक, जिसमें 12 औरतें भी हैं, गम्भीर रूप से घायल हो गए। मन्त्री महोदय तथा अन्य अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया था। 10 अक्तूबर, 1983 को हुई इस घटना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? पुन: 29 अक्तूबर, 1983 को जब कोटा जी कोयला खान के कार्मिक संघों के प्रतिनिधि, एजेन्ट से बातचीत कर रहे थे, उस समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को बुलाया गया, उन्होंने उन श्रमिकों से मार-पीट की और परिणामस्वरूप काफी संख्या में लोग घायल हुए। यह रोज की बात हो गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 10 तथा 29 अक्तूबर को हुई इन घटनाओं के सम्बन्ध में शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? इसमें जिन लोगों का हाथ है वे तो हमेशा यह कहेंगे कि वे कानून और व्यवस्था के अनुसार अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय इन बलों पर ज्यादतियां करने के इन गम्भीर आरोपों की जांच कैसे करवा रहा है तथा इन दो तारीखों को घटी घटनाओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कानून और व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं।

श्री पी० शिवशंकर : मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का श्रमिक संघ की गतिविधियों से कोई सम्बन्ध नहीं और वे उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन इस क्षेत्र विशेष में अवैध रूप से खनन कार्य हो रहा है तथा यहां कोयला खनन में धोखेबाज लोग कार्य कर रहे हैं। अवैध रूप से कोयले को बाहर भेजा रहा है तथा वफादार श्रमिकों को भयभीत किया जा रहा है। इसी कारण 1983 से इस क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया।

माननीय सदस्य ने मुझसे 10 और 29 अक्तूबर को हुई घटनाओं के सम्बन्ध में पूछा है। जहां तक 10 अक्तूबर को हुई घटना का सम्बन्ध है, ई० सी० एल० ने यह सूचना दी है कि 10 अक्तूबर, 1983 को इंटक और सीटू के कुछ सदस्य महावीर कोयला खान से कुछ लोगों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए एजेन्ट के कार्यालय में आए। गस्त कर रहे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों ने भीड़ देखी तथा उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों को अंदर जाने तथा

शेष लोगों को बाहर रुकने के लिए कहा । ऐसा करने से मना करने पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दो-तीन व्यक्तियों को बाहर ले आए । विरोध प्रकट करने हेतु श्रमिक उस स्थान से हट गये और उन्होंने प्रदर्शन किया । उस जनसमूह में से किसी एक व्यक्ति ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सब-इंस्पैक्टर पर लोहे की छड़ से हमला करने का प्रयत्न किया । तब केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने उनका पीछा किया और उन्हें भगा दिया । डिस्पेंसरी से किसी के गम्भीर रूप से घायल होने का समाचार नहीं मिला । कोई भी स्त्री घायल नहीं हुई । तब केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उस दिन रोज की तरह एजेन्ट के कार्यालय पर गश्ती के लिए पहुंच गई ।

29 अक्तूबर, 1983 को हुई घटना की ओर हमारा ध्यान श्री समर मुखर्जी ने 7 नवम्बर, 1983 को एक पत्र लिखकर दिलाया । उन्होंने दोनों घटनाओं का उल्लेख किया । 29 अक्तूबर, 1983 को हुई घटना के सम्बन्ध में उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोठाड़ी कोयला खान के कर्मचारियों पर हमला किया जिससे 45 श्रमिक घायल हो गए, जिनमें से 7 श्रमिकों को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा । यह शिकायत की गई थी । मैंने ई० सी० एल० के अध्यक्ष को इसकी जांच करने तथा उस सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए कहा है । वह रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस स्थिति में मैं यह कहने में समर्थ नहीं हूं कि इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक स्थिति क्या है । रिपोर्ट मिलते ही मैं उसकी सूचना केवल श्री समर मुखर्जी को ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी श्री चटर्जी को भी भेज दूंगा ।

मान लीजिए यदि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के विरुद्ध कोई शिकायत मिलती है, तो इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि वास्तव में पूर्वी कोयला क्षेत्र बहुत ही अशांत क्षेत्र रहा है । माननीय सदस्य भी इस बारे में जानते हैं । मुझे पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा ही मेरी सहायता करने का प्रयत्न करते रहे क्योंकि उच्च पदों पर नियुक्त मेरे अधिकारियों ने उनसे बातचीत की थी; मैंने स्वयं उनसे बात की; वह हमारी सहायता करने का प्रयत्न करते रहे हैं । वहां के लोगों द्वारा पैदा की कई समस्याओं के कारण उस क्षेत्र में कई खानों में काम जारी रखने में हम असमर्थ हैं तथा वे हमें वहां काम करने की अनुमति भी नहीं देंगे । वे कहेंगे कि "जब तक आप हमें सन्तुष्ट नहीं करते, हम अनुमति नहीं देंगे ।" वास्तव में हमने मुख्यमंत्री से भेंट की । मुख्यमंत्री ने भी मामले में मध्यस्थता की । लेकिन एक स्थिति पर पहुंचकर हमने भी महसूस किया कि जितनी सहायता हम कर सकते थे, उसके बावजूद स्थिति को संभालना उनके लिए बहुत कठिन था । अतः होता यह है कि हमें इस क्षेत्र में आवश्यक रूप से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सहायता लेनी पड़ती है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बाद ही स्थिति में सुधार आया । लेकिन जब इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बहुत से मामलों में सीटू और इंटक के श्रमिकों का उस क्षेत्र में बहुत जोर है और मैंने देखा है कि विपक्ष के सदस्यों ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा उन श्रमिकों पर ज्यादतियां किये जाने सम्बन्धी बहुत सी शिकायतें की हैं । अतः ऐसी परिस्थितियों में मैंने ऐसा किया है कि मुझे जब भी शिकायत मिली, मैंने वहां के चेयरमेन से कहा कि यदि सम्भव हो तो वह स्वयं इसकी जांच करें अथवा किसी उच्चाधिकारी द्वारा जांच करायें । इस मामले में जब उन्होंने मुझे शिकायत की, तब उस सूचना के आधार पर ही मैंने उन्हें यह सूचना दी है । मैं इस तरह से कार्य कर रहा

हूं और कोई तंत्र सम्भव नहीं है क्योंकि वास्तव में मुझे हर दूसरे दिन उस बारे में पत्र मिलते रहते हैं। वहां मंत्रालयों से अधिकारी नियुक्त करना बहुत कठिन है; जब किसी मामले विशेष में मुझे यह महसूस हो जाता कि वहां सचमुच ज्यादती हुई है तो मैं उस मामले की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार के अथवा अपने ही मंत्रालय से अधिकारी भेजने में नहीं हिचकिचाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू इससे सम्बन्धित है। मैं मन्त्री महोदय को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक अवैध गतिविधियों जैसे—अवैध खनन अथवा अवैध रूप से कोयले को बाहर भेजे जाने का सम्बन्ध है, आप हर तरह से कदम उठायें। कोई भी उनका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन महोदय, जब कार्मिक संघ के जिम्मेदार प्रतिनिधियों द्वारा यह शिकायतें की जा रही हैं कि कार्मिक संघ के मामलों में ई० सी० एल० तथा अन्य कोयला संस्थाओं के स्थानीय अधिकारियों द्वारा बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसकी जांच की ही जानी चाहिए। इस तरह आपके माध्यम से मैंने मंत्री महोदय से यह सब कहा है—वह अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना पर निर्भर कर रहे हैं तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है तथा वहां सब शांत है, मात्र कार्मिक संघ के नेता समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। यह उचित रुख नहीं अपनाया जा रहा। अतः मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इन बलों का प्रयोग श्रमिक संघ की गतिविधियों को दबाने तथा उनमें हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जायेगा। जब जिम्मेवार संस्थाएं संसद सदस्यों के माध्यम से इस तरह की शिकायतें करते हैं, तो सच्चाई जानने के लिए कुछ अन्य अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए। क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं सदन को स्पष्ट रूप से आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पहले से ही निदेश जारी कर चुके हैं तथा मैं पुनः इस सम्बन्ध में निदेश जारी करूंगा कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिक संघ की रोजमर्रा की गतिविधियों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं इस सम्बन्ध में पूर्ण आश्वासन देता हूं। इस बारे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन कार्मिक संघ के पदाधिकारियों द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के प्रश्न पर, मैं कहना चाहूंगा कि इससे बहुत कठिनाइयां पैदा हो रही हैं क्योंकि इसमें स्थानीय लोग अंतर्ग्रस्त हैं। वास्तव में, राज्य सभा में मैंने स्वयं कार्मिक संघ के नेता से, जो राज्य सभा के सदस्य भी हैं, निजी तौर पर बात की। जब कभी भी उन्होंने कहा कि वह संतुष्ट नहीं हैं मैंने स्वयं अपने मंत्रालय से उसकी जांच कराने की व्यवस्था की। लेकिन यदि रोज ही संसद सदस्य पत्र लिखें और यदि आप चाहें कि प्रत्येक मामले के लिए मैं अधिकारी नियुक्त करूं, तो इसमें कठिनाई होती है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जहां कहीं वे महसूस करें कि वहां मंत्रालय के किसी अधिकारी को जाकर इसकी जांच करनी चाहिए, तो मैं ऐसा करने में नहीं हिचकिचाऊंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में होने वाले इल्लीगल माइनिंग और इल्लीगल ट्रांसपोर्ट की वजह से कोल इंडिया को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। सी० आई० ए० एफ० का काम इस नुकसान को चैक करने के लिए इल्लीगल माईनिंग और इल्लीगल ट्रांसपोर्ट को स्टाप करना है। माननीय सदस्य ने दूसरे प्रकार का आरोप लगाया है। मेरा आरोप है

कि सी० आई० एस० एफ० ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यह करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जो लोग-बाग इल्लीगल माइनिंग और इल्लीगल ट्रांसपोर्ट करके इस काले सोने को चुरा रहे हैं, उनको रोकने के लिए वह पूरी व्यवस्था करेंगे ?

श्री पी० शिवशंकर : वास्तव में, मैंने स्वयं कहा है कि केवल इस कार्य के लिए हमने जुलाई में के० औ० सु० बल को लगाया था। वास्तव में, ई० सी० एल० में अधिकारियों सहित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 1755 कर्मी तैनात करने का निर्णय सरकार ने 26 अगस्त, 1982 को लिया था। प्रथम टुकड़ी जो वहां कार्य कर रही है, उसमें लगभग 160 कर्मी हैं। जो निर्णय हमने लिया है उसको दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकताओं के अनुसार हम इस टुकड़ी में वृद्धि करेंगे। हम कदम उठा रहे हैं और, वास्तव में इनके परिणाम मिलने लगे हैं। जब भी आवश्यक होगा हम इस तैनाती को और सुदृढ़ करेंगे।

राजस्थान में तेल और गैस सम्बन्धी खोज और ड्रिलिंग

*388. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जैसलमेर जिले के सादेवाला और लागेवाला क्षेत्र में तेल और गैस संबंधी खोज और ड्रिलिंग के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर और नागौर तलछटीय (सैडीमैंट्री) बेसिन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल और गैस सम्बन्धी की गई खोज के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इन क्षेत्रों के भूकम्पीय मानचित्रण, गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण और भूकम्पीय सर्वेक्षण का काम किया जा चुका है। सादेवाला में एक कुएं की खुदाई की जा रही है। बाद में किसी समय लोगेवाला में एक स्थान पर खुदाई आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) इन बेसिनों में भूगर्भीय मानचित्रण और गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षणों का काम किया जा चुका है। बीकानेर-नागौर बेसिन में भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किये गये हैं। इस बेसिन में कुएं की खुदाई की गई थी परन्तु इसमें तेल अथवा गैस के होने का कोई संकेत नहीं मिला है। आयल इंडिया लिमिटेड, उसको सौंपे गये क्षेत्रों में, शीघ्र ही भूकम्पीय कार्य शुरू करेगी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, आज ही **इकानोमिक टाइम्ज़** में मैंने पढ़ा है कि आयल एण्ड नैचरुल गैस कमीशन अपने लांग टर्म लक्ष्य में बड़ी भारी कमी कर रहा है। गोदावरी और कावेरी के क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम निकले हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में आयल और गैस मिलने की बहुत सम्भावना है। इससे सटे हुए पाकिस्तान के सुई और भारी क्षेत्र में बहुत मात्रा में आयल और पेट्रोल निकल रहा है। परन्तु हमारे जिले में, क्षेत्र में, जो इस प्रकार के कार्य कर

रहे हैं, उनमें स्थिति यह है कि सिर्फ एक कुएं का निर्माण सन् 1980 से अब तक किया है। अभी सादेवाला कुएं का निर्माण पूरा नहीं किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार एक्सपलोरेशन और ड्रिलिंग के कार्य में गति प्रदान करने के लिए और आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों की व्यवस्था करके अलग-अलग बिन्दुओं पर ड्रिलिंग का कार्य शुरू करेगी ? यानि, मशीन वर्क जो कर रही है, उसके स्थान पर अधिक मशीनों की व्यवस्था करके और उस कार्य को गति देकर के वह कार्य पूरा करायेगी ?

दूसरा प्रश्न यह है कि आपके एक्सपर्ट स्टाफ बड़ौदा से आते हैं और वे 15 दिन वहां रहते हैं, कार्य पूरा न होने के कारण बड़ौदा वापिस चले जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसलमेर के अन्दर, जो कि आपका परमानेंट कार्यालय है, उनको आप वहां क्यों नहीं रखते हैं, ताकि कार्य गति से हो सके ?

तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं···

अध्यक्ष महोदय : सवाल नहीं कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उन दुर्गम क्षेत्रों में जो कार्य लिया है, एक्सपलोरेशन और ड्रिलिंग का रोड्स पर, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आप ड्रिलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपको सभी प्रश्न याद हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न में सारे आ गए।

श्री पी० शिवशंकर : जी हां, श्रीमन्। उन्हें दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : वे इससे भी अधिक पूछ चुके हैं।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, दरअसल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के राजस्थान क्षेत्र में कार्य-कलापों के प्रश्न पर मुझे यह निवेदन करना है क्योंकि मेरे मित्र इसकी तुलना गोदावरी क्षेत्र से करने का प्रयास कर रहे हैं।

अब तक राजस्थान क्षेत्र में 18 कुओं की खुदाई हो चुकी है। गोदावरी की तुलना में यह संख्या निःसन्देह अधिक है। **(व्यवधान)** वास्तव में, मैं यह अवश्य कहूंगा कि परिणाम अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। मनहेरा ढिबा में हमें गैस का छोटा सा कुंड मिला था। गोतारू के बारे में मेरे मित्र बेशक पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हमें थोड़ी सी मीथेन प्राप्त होती है। यह उस क्षेत्र में गैस का लगभग 19% तथा 24% के बीच था। मैं यह अवश्य कहूंगा कि हम राजस्थान क्षेत्र में सर्वेक्षण तथा कुओं की खुदाई के कार्य-कलापों को तेज करते आ रहे हैं।

वास्तव में, 1980-81 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने केवल सक्षर्वेणों पर 4 लाख

रुपए खर्च किए । संशोधित अनुमानों के आधार पर, 1983-84 में सर्वेक्षणों पर 442 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । 1984-85 के बजट अनुमानों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को केवल सर्वेक्षणों पर 509 लाख रुपये खर्च होने की आशा है ।

प्रो० मधु दंडवते : केवल सर्वेक्षण के लिए 500 लाख रुपए ।

श्री पी० शिवशंकर : जी हां, श्रीमन् । जब खुदाई की बात आती है तो 1983-84 में संशोधित अनुमानों के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 31 लाख रुपए खर्च कर चुका है । 1984-85 में तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग को 341 लाख रुपए खर्च होने की आशा है । स्वयं इससे, इस क्षेत्र के कार्य-कलापों की तीव्रता का आभास मिल जाता है । ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है । यह सच है कि गोदावरी क्षेत्र में हम कार्य में तेजी लाए हैं । लेकिन कार्य-कलाप की तीव्रता का केवल यही अर्थ है कि तट पर 2 रिग तथा तट से दूर 3 रिग स्थापित किए गये हैं । यह गोदावरी क्षेत्र की गहनता है । कृपया इससे यह न समझें कि किसी क्षेत्र की उपेक्षा की गई है । वास्तव में राजस्थान में काफी कार्य किया जा रहा है । राजस्थान में हमारी कठिनाई यह है कि वहां सीमा सुरक्षा बल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सड़क बनाने की अनुमति नहीं देता । हमें रिगों को कठिन भू-भागों में बिना सड़क के लाना-ले जाना पड़ता है । यह हमारे लिए कई कठिनाइयां उत्पन्न करता है ।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा था वह विभिन्न कार्य-कलापों के लिए, चाहे ये सर्वेक्षण हों चाहे खुदाई के, जैसलमेर को मुख्यालय बनाने के सम्बन्ध में था । यह सच है कि जब भी आवश्यकता होती है, कुछ अधिकारी बड़ौदा से आते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में हम तट पर खुदाई के बहुत से कार्य कर रहे हैं । इसलिए, अधिकारियों को वहां से बुलाना पड़ता है । लेकिन मैं कहूंगा कि मान लीजिए काम ऐसा है कि अधिकारी का वहां रुकना जरूरी है, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी । यह काम की अत्यावश्यकता का प्रश्न है । ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे माननीय मित्र केवल कहने के लिए ही यह कहें उस क्षेत्र को उपयुक्त महत्व नहीं दिया जाता ।

तत्पश्चात्, मेरे माननीय मित्र ने नागपुर क्षेत्र के कार्य-कलापों के बारे में भी पूछा है । इस क्षेत्र में हमें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वह सड़क सुविधाओं की कमी के कारण है । वास्तव में, मैं यह अवश्य कहूंगा कि लोंगेवाल क्षेत्र में, जिसका मैंने अपने मुख्य उत्तर में उल्लेख किया था, हमारे पास 65 किलोमीटर दूरी का लम्बा क्षेत्र है जिसमें खुदाई के रिगों को लाने-ले जाने के लिए सड़क सुविधा नहीं है । रिगों को वहां पहुंचने में भी कुछ समय लगता है । ये कठिनाइयां हैं । जहां तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड का सम्बन्ध है, वे इस बात के पूरे प्रयास कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में खुदाई तथा सर्वेक्षण कार्य को तेज करें ।

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : हाल ही में, समाचार पत्र की एक खबर से यह पता चला था कि तट पर तथा तट से दूर दोनों में हाइड्रो कार्बन के कुल रक्षित भण्डार की सम्भावनाओं का पहले ही पता लगाया जा चुका है । माननीय मंत्री ने अभी-अभी मेरे दोस्त श्री वृद्धि चन्द्र जैन के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 18 कुओं की खुदाई हो चुकी है तथा सम्भावनाएं

अच्छी नहीं हैं। उसके आधार पर, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण के बाद एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण तथा अन्य संगठनों से रिपोर्टों की पुष्टि के बाद मंत्रालय उत्पादन अभिमुख खुदाई का निर्णय कर रहा है ?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे एन०एस०आर०आई० के बारे में जानते हैं, जो हैदराबाद में स्थित है तथा जिसे देश में तट पर तथा तट-दूर दोनों क्षेत्रों में हाइड्रो-कार्बन के क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करने में सुविज्ञता हासिल है।

श्री पी० शिवशंकर : आम तौर पर, तेल के लिए खुदाई का कार्य केवल तभी आरम्भ किया जाता है जब उपयुक्त भूकम्पीय सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त हो जायें तथा आंकड़ों की ठीक प्रकार से जांच कर ली जाये। लेकिन, मंत्रालय में पिछले दो वर्ष का मेरा अनुमान बताता है, तथा विदेशों से प्राप्त जो साहित्य भी मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि तेल मिलना भाग्य की बात है। सभी सर्वेक्षणों के बावजूद, जब आप खुदाई करते हैं तो अन्ततः आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बम्बई हाई के बारे में भी यह कहा गया था। बम्बई हाई पर काफी लम्बे समय तक कार्य आरम्भ न करने का कारण यह था कि सर्वेक्षणों, विदेशों तथा हमारे लोगों को भी एक बार यह लग रहा था कि वहां कोई भण्डार नहीं हैं। लेकिन, बाद में हमें भण्डार मिले। ऐसा नहीं है कि अप्रर्याप्त आंकड़ों के आधार पर तथा परिणामों के बारे में ठीक से संतुष्ट हुए बिना कुओं की खुदाई की जाती है। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बिना बात के धन खर्च न हो। इसलिए, इन सभी के बावजूद, यह सम्भव है कि प्रायः हमें परिणाम प्राप्त न हों। लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि हमें धैर्य छोड़ देना चाहिए। हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे। हो सकता है कि अब तक हम जो प्रयास करते आ रहे थे, उनकी क्षतिपूर्ति केवल एक संरचना से हो जाए।

वास्तव में, कुछ समय पहले एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि भूकम्पीय सर्वेक्षण आदि का संचालन करने में हमें न केवल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बल्कि आयल इण्डिया लिमिटेड में भी काफी अच्छा अनुभव है तथा इन बातों की जांच करने के लिए हमारे पास भूगर्भीय विशेषज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यक होता है, हम अन्य विभिन्न संगठनों की सेवाओं का भी उपयोग करते हैं।

दरअसल, आयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में राजस्थान क्षेत्र में एम० आर० एस० ए० की सेवाएं मांगी हैं। इसी प्रकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग भी एन० आर० एस० ए० की सेवाओं का उपयोग करता रहा है। हम उनकी सेवाओं का उपयोग करने में किसी भी प्रकार की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हमें गोदावरी बेसिन में काफी तेल मिल रहा है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि उनका दिल मजबूत है। लेकिन धन खर्च करने में उन्हें कंजूस नहीं होना चाहिए। उन्हें और अधिक धन खर्च करना चाहिए। जब हम तेल के आयात पर हजारों रुपये बर्बाद कर रहे हैं, तो हम अपने ही देश में तेल का पता लगाने पर कुछ और खर्च क्यों नहीं करते ? मेरा विचार है कि अधिक धन देने के लिए संसद पूरा समर्थन देगी।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री उदारता से आगे बढ़ेंगे तथा इस देश की तेल की आवश्यकताओं का पता लगाने तथा उन्हें पूरा करने के लिए काफी धन खर्च करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा सुझाव है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमें परिशोधित तेल मिल रहा है। आजकल वे परिशोधित तेल का निर्यात कर रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : आप हमारे पास 3 करोड़ 75 लाख टन की शोधन क्षमता है।

जहां तक बम्बई हाई के कच्चे तेल को शोधित करने का सम्बन्ध है, इसके शोधन के लिए हमारे तेल शोधक कारखानों को रूपांतरित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हे उत्तर क्यों दे रहे हैं ? अब प्रो० सैफुद्दीन सोज प्रश्न पूछेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सरकार तेल की खोज पर अधिक धन खर्च करेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : बजट यहां आएगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जैसा आप जानते हैं कि तेल और गैस बहुत दुर्लभ महत्व की परि-सम्पत्तियां हैं तथा हमें देश के प्रत्येक कोने में जाकर भंडारों की खोज करनी चाहिए। विशेषज्ञ ऊर्जा मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाए हैं कि जम्मू एवं काश्मीर में तेल तथा गैस के प्रचुर भंडार हैं तंथा वहां खुदाई कार्य आरम्भ किए गए थे। लेकिन मेरी धारणा तथा जम्मू एवं काश्मीर में ऐसा मत है कि जम्मू तथा काश्मीर में तेक एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकलाप बहुत धीमे हैं।

क्या माननीय मंत्री मुझे तथा मेरे माध्यम से राज्य के लोगों को यह बताएंगे कि अधुनातन स्थिति क्या है ? वहां यह धारणा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य-कलाप बहुत मन्द गति से चल रहे हैं जबकि विशेषज्ञों का मत है कि वहां प्रचुर भंडार हैं तथा इन भंडारों की राष्ट्रीय उपयोग के लिए खोज करनी होगी।

श्री पी० शिवशंकर : विभिन्न क्षेत्रों में गैस और तेल के भण्डार के बारे में कभी-कभी परस्पर विरोधी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि एक बार समाचार-पत्रों में खबर आई थी कि समूचे बंगाल, विशेषकर कलकत्ता में तेल ही तेल है। इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं। वास्तव में, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में···

श्री अमल दत्त : ऐसी खबरों का खंडन क्यों नहीं किया जाता ?

श्री पी० शिवशंकर : मैंने यहां भी और बाहर भी कहा है। हम हमेशा राष्ट्र को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की कोशिश करते रहे हैं।

यह सच है कि जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में, भूकंपीय सर्वेक्षण के आधार पर कुछ समय पहले

हमने खुदाई का कार्य शुरू किया था किन्तु कठिन भू-भाग होने के कारण और बाद में हमारी संसाधित सूचना से भी किसी अच्छे परिणाम का संकेत नहीं मिला। फिर भी, उस क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण अब भी किये जा रहे हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही हमें वहां भंडार का पता चलेगा, तब प्रश्न राष्ट्र के इस हिस्से या उस हिस्से के बीच का नहीं रहेगा वरन् प्रश्न इस क्षेत्र में राष्ट्र के आत्म-निर्भर होने का है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, विभिन्न क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षण और खुदाई का काम करने के प्रयासों में ढील नहीं दी जा सकती है।

ओबरा ताप बिजलीघर को केन्द्रीय क्षेत्र में लेना

*389. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप बिजली घर कम्पलैक्स में आग बुझाने की व्यवस्था की घोर उपेक्षा की गई थी और सयंत्र का रखरखाब इतना खराब था कि आग तेजी से फैल गई, केन्द्र सरकार का विचार इस बिजली घर को अपने हाथ में लेने और उसे केन्द्रीय क्षेत्र से रखने का है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : ओबरा में आग लगने के कारणों की जांच करने तथा निवारक और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही एक समिति नियुक्त की है। क्या अग्नि शमन व्यवस्था की उपेक्षा की गई थी अथवा नहीं और क्या आग संयंत्र के अनुरक्षण की कमी के कारण तेजी से फैली थी, इसका पता समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिये जाने के बाद चलेगा। ओबरा विद्युत केन्द्र को केन्द्रीय क्षेत्र में लेने का कोई विचार नहीं है।

श्री नवल किशोर शर्मा : योजना अवधि के लिए निर्धारित विद्युत उत्पादन और विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य पूरे नहीं किये गये हैं और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अन्तर रह जायेगा। विद्युत बहुत महत्वपूर्ण मद है। देश के लिए जीवनरेखा है और वास्तविकता को देखते हुए लगता है कि अधिकतर राज्य विद्युतघर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वहां कर्मचारियों की संख्या जरूरत से ज्यादा है, संयंत्रों का रखरखाव ठीक नहीं है, अन्दरूनी झगड़े हैं। अब जब मंत्री महोदय ने ओबरा विद्युत केन्द्र के अर्जन की मांग को अस्वीकार कर दिया है जो उ०प्र० के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि विद्युतघर को, जो खराब स्थिति में हैं, ठीक करने के लिए वह क्या कदम उठाने वाले हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : ओबरा ताप विद्युत केन्द्र का अधिग्रहण न कर सकने का कारण यह है कि उसका संचालन, रख-रखाव राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है। संयंत्र के निर्माण के लिए निधि राज्य योजना के साधनों से सुलभ की गई थी। वास्तव में, जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, केन्द्र समय-समय पर बड़े ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करता रहा है ताकि बिजली की कमी को दूर करने में राज्यों की सहायता की जा सके। मैं वक्तव्य दे चुका हूं कि इस विद्युत केन्द्र के अधिग्रहण का हमारा कोई विचार नहीं है फिर भी माननीय सदस्य ने पूछा कि हम क्या उपाय करने जा रहे हैं क्योंकि राज्य विद्युत बोर्डों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है। वास्तव में केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण, जो मेरे मंत्रालय के निदेशन में काम करता है, और विद्युत पूर्ति अधिनियम, 1948 के अधीन एक वैधानिक प्राधिकरण है और इस सम्बन्ध में सतर्क रहा है। वह राज्य विद्युत बोर्ड के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की कोशिश करता रहा है और जहां आवश्यक है, उन्हें विशेषज्ञता हासिल कराने में, सलाह देने में मदद करता रहा है। जहां अपेक्षित है, वहां तकनीकी सहायता भी देता रहा है। सभी प्रकार की सहायता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त, निस्संदेह, पिछली बार एक माननीय सदस्य ने कहा था कि राज्य विद्युत बोर्डों में विशेषज्ञ कार्मिक भी हैं। किन्तु कुछ राज्यों में नहीं हैं। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण और उनकी कार्यकुशलता को सुधारने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं। इस दिशा में, जो भी सम्भव होगा किया जायेगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री महोदय ने सभा को बताया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सभी कदम उठा रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि उन सभी उपायों का, जो उन्होंने गिनाये, तथा जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किये गये, कोई वास्तविक परिणाम निकला है और उन परिणामों से क्या वह संतुष्ट हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमन्, एक बहुत ही साधारण प्रश्न पूछा गया है अतः उसका उत्तर भी साधारण ही होगा। बात यह है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भी अपनी सीमाएं हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण में हम बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह भी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का एक पक्ष है।

श्री नवल किशोर शर्मा : आप मूक दर्शक नहीं बन सकते।

श्री पी० शिव शंकर : मैं यह कह रहा हूं कि इस अधिलंघनीय शक्ति के होते हुए भी राज्य विद्युत बोर्ड सामान्यतया केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह का ध्यान रखते हैं और इससे सुधार भी हुआ है यद्यपि वह मंत्रालय की अपेक्षा के अनुसार नहीं है।

श्री रामप्यारे पनिका : मान्यवर, ओबरा काम्प्लेक्स मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित है। यह बात सही है कि उसमें आग लग जाने के कारण प्रदेश के किसानों और छोटे उद्योगों को काफी कठिनाई हो रही है। यह बात भी सही है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सी० ए० की मदद से जो मरम्मत का काम चल रहा है उससे काफी सुधार हुआ है और कुछ यूनिट्स चालू हो गए हैं लेकिन धन की कमी के कारण मरम्मत का काम मुश्किल हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सवाल करिए।

श्री रामप्यारे पनिका : क्या बिजली मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के माध्यम से आर्थिक मदद मांगी गई थी और उत्तर प्रदेश के किसानों और छोटे उद्योगों की कठिनाई को देखते हुए क्या स्पेशल केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

दूसरा मेरा सवाल यह है कि सी० ए० की विशेष टीम भेजकर मरम्मत के काम की देखरेख करवायेंगे या नहीं ।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की जरूरत का प्रश्न है, इनकी 41 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है । ओबरा के 5 यूनिट खराब हो गए थे बी पावर स्टेशन के उसमें से दो काम कर रहे हैं और नवीं यूनिट 1984 में काम करना शुरू कर देगी और दसवीं तथा ग्यारहवीं यूनिट को चालू होने में करीब एक साल और लगेगा । लेकिन इसके बावजूद इस वक्त उत्तर प्रदेश को 38-39 मिलियन यूनिट उपलब्ध कराया जा रहा है और जहां तक केन्द्र का सवाल है 6 से 8 यूनिट मदद रोज उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं । माननीय सदस्य ने पूछा कि कुछ सहायता करने जा रहे हैं तो प्रदेश की और से यह सुझाव आया था कि 25 करोड़ रुपया उनको दिलाया जाए । मेरे मंत्रालय ने उसकी सिफारिश कर दी है और फाइनेंस में वह है । मुझे आशा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसको क्लीअर कर देंगे ।

श्री राजेश कुमार सिंह : ओबरा ताप बिजली घर में आग लग जाने से जो क्षति हुई है, उस सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 25 करोड़ रुपए की सहायता की जा रही है । क्या मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था कि पांच सौ मेगावाट बिजली की अभी भी कमी है । और 400 मेगावाट बिजली जो सप्लाई हो रही है उनके अलावा अतिरिक्त बिजली देने के बारे में क्या माननीय मंत्री जी ने विचार किया है ? अगर किया है तो क्या किया है ? क्या अतिरिक्त बिजली दी जा रही है क्योंकि किसान और इन्डस्ट्री की हालत खराब है ? क्या बिजली के अभाव को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : मैंने निवेदन किया है कि 48 सिलियन यूनिट की आवश्यकता है । लेकिन 30 अक्तूबर से पहले जब ओबरा का स्टेशन खराब नहीं हुआ था तब तक 41 मिलियन यूनिट की उपलब्धि उत्तर प्रदेश को होती रही है । अब प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद क्या किया जाए ? हमने रिहन्द और सिंगरौली से उनको उपलब्धि करवाई है जिससे कि हम 6 से 8 मिलियन यूनिट प्रतिदिन पहुंचा रहे हैं और जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश को 38 से 39 मिलियन यूनिट की उपलब्धि है । उन्होंने हमको इत्तिला दी है कि 7 घन्टे हम लोग बराबर इलैक्ट्रिसिटी और व्यावसायिक क्षेत्र में उपलब्धि करवा रहे हैं ।

निगमित क्षेत्र में नामनिर्देशित निशदेकों की अधिक शक्तियां

*392. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित क्षेत्र के वर्तमान ढांचे में अल्पमत प्रबन्धक के नियंत्रण में वे संसाधन होते हैं जिनमें से अधिकांश पर दूसरों का स्वामित्व है और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर फैले शेयरधारी कोई प्रभावी निगरानी नहीं रख सकते;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों को अपने या अपने गुट के व्यक्तियों के उपयोग के लिए फर्म के

संसाधनों का फायदा उठाने और लोगों की इतना अधिक वेतन और अन्य सुविधायें देने जो कि उनको शैक्षिक, व्यावसायिक तथा अन्य अर्हताओं के अनुरूप नहीं होती है, वढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनका क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) क्या कम्पनियों के बदलते हुए वित्तीय ढ़ांचे को ध्यान में रखते हुए उनका विचार वित्त मंत्रालय के परामर्श से बोर्डों में नाम निर्देशित निदेशकों को कुछ प्रभावी शक्तियां प्रदान करने का है, ताकि वर्तमान प्रबंधकों की फिजूल खर्चों की प्रवृत्ति को रोका जा सके ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

विवरण

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत शेयरधारक भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक प्रबन्धक कम्पनी के स्रोतों का दुरुपयोग नहीं करें, कम्पनी के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 और 398 से अलग, उच्च न्यायालय में भी पहुंच की जा सकती है, जिससे अत्याचार तथा कुप्रबन्ध का निवारण किया जा सके । यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के पास भी धारा 408 के अन्तर्गत कम्पनी को अत्याचार एवं कुप्रबन्ध से बचाने की शक्तियां हैं । अधिनियम के अन्तर्गत अन्य निरीक्षण तन्त्र भी हैं । जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रबन्धक कम्पनी के स्रोतों या निधियों का दुरुपयोग नहीं करें ।

(ख) प्रबन्धकों की परिलब्धियों सहित पारिश्रमिकों को नियमित करने के लिए भी कम्पनी अधिनियम में पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय हैं । धारा 269, 198 और 309 के अन्तर्गत पब्लिक कम्पनियों में प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्तियां नियमित की जाती हैं । यहां तक कि निदेशकों के सम्बन्धियों के पारिश्रमिक, अगर कोई हों, और जिनको पब्लिक कम्पनियों द्वारा नियुक्त किया गया हो और उनका वेतन 3000 रु० प्रतिमाह से कम नहीं है, तो सरकार का अनुमोदन उपेक्षित है । इस प्रकार का अनुमोदन देते समय, पदधारी की शैक्षिक, व्यवसायिक और अन्य योग्यताओं पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है ।

(ग) सरकार ने हाल ही में सहायक कम्पनियों में लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये निवेशों के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए उच्च स्तर समिति (साधारणतः नरसिम्हन समिति के नाम से ज्ञातव्य) नियुक्त की है और उसके संदर्भ की शर्त में अन्यों के साथ-साथ "सहायक कम्पनियों में वित्तीय संस्थानों द्वारा नामित निदेशकों के लिए उचित मार्ग संदर्शिका की विधा" बतलाना है । वित्तीय संस्थानों के नामित निदेशकों को, अगर कोई शक्तियां देने की बात है तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा परीक्षण किया जायेगा ।

श्री दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया है :

"यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के पास भी धारा 408 के अंतर्गत कम्पनी को अत्याचार एवं कुप्रबन्ध से बचाने की शक्तियां हैं ।"

इससे पहले मैंने माननीय मंत्री जी से 6 दिसम्बर, 1983 को एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न यह था कि जो मोदी एंटरप्राइज और दूसरी कम्पनी लोहिया मशीन्स ने मिलकर लता मंगेशकर का कार्यक्रम आयोजित किया उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ? जवाब में बताया गया कि पांच लाख रुपया खर्च हुआ। उस वक्त मंत्री जी कहते हैं :

"कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा उसके तहत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के व्यय पर प्रतिबन्ध नहीं है"

दो बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ठीक कौन सी है ? मंत्री जी ने अब उत्तर दिया है कि तीन हजार रुपये से अधिक के वेतन पाने वाले कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार का अनुमोदन देते समय पदधारी की शैक्षिक, व्यवसायिक और अन्य योग्यताओं पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है। इसी प्रकार, मैंने 27 जुलाई, 1982 को एक प्रश्न पूछा था। पैट्रोलियम डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी था जिसको 620 रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता था। उसके बाद वह छोड़कर जे० के० सिंथेटिक फाइबर्स (J.K. Synthetics Limited) में चला गया। वहां जाकर जो उसे वेतन मिला, वह मुझे 2 अगस्त, 1983 के जवाब में बताया गया। जो मैट्रिक पास था और जिसको 620 रुपये माहवार मिलते थे उसको 62,223 रुपये सालाना मिलने लग गये। मैं जानना चाहता हूं कि उसका अनुमोदन सरकार द्वारा कर दिया गया था ?

अब आप देखें कि 13 दिसम्बर, 1983 का प्रश्न सं० 3393 के उत्तर में सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि हिंडालको (HINDALCO) में किसी को 2 लाख 41 हजार, किसी को 2 लाख 2 हजार, किसी को 1 लाख 41 हजार और किसी को 1 लाख 23 हजार मिलते हैं। उसी तरह से जे० के० सिंथेटिक्स (J.K. Synthetics) में किसी को 3 लाख 88 हजार, किसी को 1 लाख 21 हजार, किसी को 1 लाख 11 हजार मिलते हैं। वैसे ही मोडीपान (Modipan) में किसी को 2 लाख 14 हजार, किसी को 1 लाख 68 हजार, किसी को 1 लाख 51 हजार और इस तरह से लाखों में कइयों को मिलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो तीन-तीन और एक-एक, दो-दो लाख वे लोग पा रहे हैं इसका अनुमोदन सरकार द्वारा किया गया है ? सरकार पार्लिमेंट के मैंबर्ज को तो कहती है कि वह 750 से ज्यादा नहीं दे सकती है लेकिन यहां तीन-तीन और दो-दो लाख दिया गया है। साथ ही क्या अनुमोदन और सरकार ने कर दिया है तो जिनको इतनी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी योग्यता को भी उसने देखा है ? जिसको पहले 620 मिल रहा था उसको जो 63,223 अब मिल रहा है क्या यह सही है और क्या इसका अनुमोदन सरकार द्वारा कर दिया गया है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : आपके माध्यम से मैं सवाल को समझना चाहूंगा। उन्होंने इंडि-विजुअल बातें पूछी हैं···

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या यह धांधलेबजी होती है और अगर होती है तो इसको बन्द कर दो।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब कोई धांधलेबाजी

हमारे नोटिस में आती है तो उस पर हम एक्सन लेते हैं। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जहां कहीं उसके नोटिस में इस तरह की धांधलेबाजी आए तो उसको वह मेरे नोटिस में लाएं और मैं जरूर उसमें दखल दूंगा।

श्री दिगम्बर सिंह : जिसको 620 मिलते थे और जो हाई स्कूल पास है और जिसको 62,263 मिल रहे हैं उसका अनुमोदन सरकार ने कर दिया है।

श्री जगन्नाथ कौशल : लिख कर दीजिये, मैं देखूंगा।

श्री दिगम्बर सिंह : मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैंने यह पूछा था कि रिजर्व बैंक की स्टडी के अनुसार क्या यह सच नहीं है कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब। जिसके जबाब में मंत्री महोदय ने कहा था कि छोटी तनख्वाह वालों का रिम्युनरेशन 14 प्रतिशत बढ़ाया गया है और जिनको ज्यादा तनख्वाहें मिलती हैं उनका 21 परसेंट बढ़ाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब और ज्यादा गरीब और अमीर और ज्यादा अमीर हुए हैं। रिजर्व बैंक भी यही कहता है। ए० आई० सी० सी० के मैम्बर श्री जे० के० जैन ने लंदन में कहा था कि जागीरदारी सिस्टम इन इंडस्ट्रीज को लेकर कि गवर्नमेंट को जो फिजूलखर्चियां हो रही हैं उनको बन्द करना चाहिए। राजा खत्म किए, जमींदार खत्म किए, किसानों की भूमि पर सीलिंग लगा दी और यह सब तो आपने किया लेकिन जो नए राजा बन गए हैं, जो ये लोग हवाई जहाजों में जाते हैं और जिनके पास चार-चार कारें होती हैं जबकि पार्लियामैंट के मैम्बर को मैटाडोर में जाना पड़ता है, क्या इनकी जागीरों को भी खत्म नहीं किया जाना चाहिये? इनकी फिजूलखर्चियों पर भी रोक नहीं लगाई जानी चाहिये? मैं जानना चहाता हूं कि इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मगरमच्छों को पकड़ने के लिए आपके पास जाल है या नहीं और अगर नहीं है तो कब तक हो जाएगा ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि नहीं है तो मगरमच्छों के आंसू मत बहाइये।

श्री जगन्नाथ कौशल : जी हां, जाल है। जहां कहीं हमारे नोटिस में इस तरह की चीज आती है, हम इंस्पैक्शन करते हैं और जो इरेग्युलेरिटी नोटिस में आती है, उस पर हम एक्शन लेते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में शेयरधारक फैले हुए हैं और उसके परिणामस्वरूप, औद्योगिक ग्रहों के कतिपय परिवार जिनकी 3 से 5% तक की इक्वीटी है वे कम्पनी अथवा उद्योग को पूर्णतया नियन्त्रित करने में समर्थ होते हैं। और उसके परिणामस्वरूप कम्पनी पर उचित निगरानी नहीं हो पाती तथा वहां बहुत से दुरुपयोग भी हो रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, एक परिवर्तनशीलता खण्ड है, ताकि जब कभी भी सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान, कम्पनियों को वित्तीय सहायता देते हैं, तो वे

प्रतिनिधि भेज सकते हैं ? क्या ये प्रतिनिधि संतुलन को बदलने की कोशिश करते हैं जो कि आप निजी क्षेत्र में बहुत सी कम्पनियों में विद्यमान हैं, ताकि कम से कम इस तरह निगमित क्षेत्र में हो रहे वर्त्तमान कदाचार को रोका जा सके ।

इसके अलावा, क्या यह सच नहीं है कि फिक्की ने मांग की है कि परिवर्तनशीलता खण्ड को रद्द कर दिया जाना चाहिए ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दृढ़ता का प्रदर्शन करेगी तथा फिक्की के दबाव में नहीं आयेगी और परिवर्तनशीलता खण्ड को जारी रखने पर जोर देगी ?

श्री जगन्नाथ कौशल : आखिरी प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हम किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं करते । अन्य बातों के सम्बन्ध में···

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ अनुनय की गुंजाइश भी छोड़ दीजिये । आप भी अनुनय-विनय कराने के इच्छुक होंगे । यह अच्छे उद्देश्य के लिए हमारी अनुनय है । दबाव को मत मानिये, किन्तु अनुनय पर विचार करना चाहिए ।

श्री जगन्नाथ कौशल : जहां तक अनुनय का सम्बन्ध है, कोई भी विनम्र हो सकता है बशर्ते कि यह सही दिशा में हो ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, उस परन्तुक के साथ ।

श्री जगन्नाथ कौशल : अन्य प्रश्न जो कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि शेयरधारकों के इधर-उधर बिखरे होने के कारण, अल्पसंख्यक शेयरधारी कम्पनी को नियंत्रित करते हैं । ठीक है, कुछ मामलों में ऐसा ही है ।

प्रो० मधु दंडवते : औद्योगिक गृहों के बहुसंख्यक मामलों में, कुछ परिवारों द्वारा नियंत्रित, इक्वीटी तीन से पांच प्रतिशत के बीच आती है, कभी भी पांच प्रतिशत से अधिक नहीं ।

श्री जगन्नाथ कौशल : आपका यह दावा सही हो सकता है, किन्तु आप पूर्णतयः सही नहीं हो सकते, किन्तु हम इस चर्चा में नहीं पड़ रहे हैं । प्रश्न सिर्फ यह है कि कम्पनी अधिनियम की वर्तमान संरचना के अंतर्गत, शेयरधारियों को कम्पनी के सम्पूर्ण कार्यकलापों को नियंत्रित करने का अधिकार है । किन्तु अगर शेयरधारी आम बैठकों में भाग न लेना पसन्द करता है, अगर शेयर-धारी अपने प्रतिपत्री को भेजना पसन्द नहीं करते, तो स्पष्ट है कि उन्हें उनकी अनुपस्थिति के कारण नुकसान होता है ।

जहां तक कानून का सम्बन्ध है, इसमें बहुत से आंतरिक प्रतिबन्ध हैं, जब कभी भी कोई मामला उनकी जानकारी में आता है तो कम्पनियों के कार्य की सरकार द्वारा जांच कराई जाती है ।

इस सम्बन्ध में कि कम्पनियों के निदेशकों को वित्तीय संस्थाएं स्वयं ही मनोनीत करती है, निस्संदेह हम वित्तीय संस्थानों के मनोनीत निदेशकों को निर्देश जारी करते रहते हैं कि उनका कार्य सिर्फ अपने ही हितों को देखना नहीं है कि उनके ऋण की उचित रूप में वापसी हो रही है, अपितु

उनका कार्य यह देखना भी है कि कम्पनियों के सार्वजनिक मामले शेयरधारियों के फायदे के लिये''' **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि 50 प्रतिशत भारतीय अर्थ-व्यवस्था काले धन पर आधारित है तथा सरकार अधिकतर घाटे में है, परिलब्धियों की वर्त्तमान प्रणाली निर्देशों के अनुसार कार्य करने में पूर्णतया असफल रही है और क्या वह परिलब्धियों की ओर अधिक सरल तथा ईमानदार प्रणाली पर विचार कर रहे हैं जिससे इस प्रकार के काले और सफेद धन को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा।

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे विचार से यह पूछा जाना चाहिए था, क्या हम मनोनीत निदेशकों को ज्यादा अधिकार देने जा रहे हैं, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने प्रश्न (ग) के जवाब में बता दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : काले धन का प्रभारी मन्त्री कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : महोदय, सरकार ने हाल ही में एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की है जिसका नाम नरसिंह समिति है, इसका कार्य सहायताप्राप्त कम्पनियों में सार्वजनिक संस्थानों द्वारा लगाई गई पूंजी से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को देखना है। इसके विचारार्थ विषयों में सहायताप्राप्त कम्पनियों के लिये वित्तीय संस्थानों द्वारा मनोनीत निदेशकों के लिये उचित मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर विचार करना शामिल है। अतः इस समिति को हाल ही में गठित किया गया है। जब यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, स्पष्ट है सरकार उस पर उचित कदम उठाने की कोशिश करेगी।

अध्यक्ष महोदय : न्याय और विधि मंत्री जी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप इसको दोबारा गौर से देखकर इसको ठीक कीजिये। आप इस पर सोचिये। मुझे उन पर पूरा भरोसा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्प सेट

*390. **श्री पा० राजगोपाल नायडू :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय 50 फुट से ज्यादा नीचे पानी को निकालने हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्प सेट विकसित करने के लिये परीक्षण कर रहा है: और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) कुशल पंपन प्रणाली को गहरे कुंओं के अनुप्रयोग के लिए विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हैंड पंपों, जैक पंपों, इजैक्टो पंपों और

सबमर्सीबल पंपों के साथ प्रयोग किए जा चुके हैं। गहरे प्रकार के कुओं से जल पम्पन प्रणाली के दो नमूने शीघ्र ही स्थापित किए जाने वाले हैं।

दिल्ली में श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समक्ष लम्बित मामले

*391. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समक्ष 31 अक्तूबर, 1983 को कितने औद्योगिक श्रम विवाद लंबित पड़े थे;

(ख) उनमें से कितने दो वर्ष से भी अधिक पुराने हैं;

(ग) क्या सरकार लंबित पड़े इन विवादों के शीघ्र निपटाने के लिए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन 5690 विवाद और 7773 विविध विवाद लंबित पड़े थे।

(ख) 4394.

(ग) और (घ) दिल्ली में दो नये श्रम न्यायालय 21-10-1982 और 4-1-1983 से गठित किए गए हैं। एक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय चण्डीगढ़ में स्थापित किया गया है, जिन्हें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित उन मामलों को हस्तांतरित किया गया है, जिन पर केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाता है। सरकार ने कानपुर में एक और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय गठित करने का निर्णय किया है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित मामले केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, नई दिल्ली से हस्तांरित किये जाएंगे।

कोयला उत्पादन

*393. **श्री नवीन रावणी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान कोयले का उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश उद्योगों और विशेषकर विद्युत उत्पादन क्षेत्र को कोयले की कमी तथा घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किए जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि कोयले का उत्पादन बढ़ गया है; और

(ड.) उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार कोयले की सप्लाई नियमित करने तथा अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि उत्पादन का नुकसान न हो ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान देश में कोयले का उत्पादन 58.96 मिलियन टन हुआ जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 57.88 मिलियन टन था। इस प्रकार 1.08 मिलियन टन की अथवा 1.9% की वृद्धि हुई।

(ग) से (ड.) उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में भी वृद्धि हुई है। अप्रैल-नवम्बर, 1983 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि० से कोयले का प्रेषण 75.16 मिलियन टन हुआ जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 71.20 मिलियन टन कोयले का प्रेषण हुआ था। इस प्रकार प्रेषण में 5.4% की वृद्धि हुई। बिजली घरों को भी इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में तुलना में 15.5% अधिक कोयला मिला है और बिजली घर में कोयले के स्टाकों की स्थिति सामान्यत: संतोषजनक है।

जहां तक बिजली घरों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म का प्रश्न है, खनन की प्रक्रिया—विशेषकर यंत्रीकृत ओपेनकास्ट खानों में—के कारण कभी-कभी ऊपरी मलबे से बहुत थोड़ा प्रतिशत विजातीय पदार्थ कोयले में मिल जाता है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ बिजली घरों को जरूरत से बड़े-आकार के कोयले और कोयले में विजातीय पदार्थों अर्थात् कंकड़ और पत्थर सप्लाई होने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सप्लाई होने वाले कोयले की किस्म में सुधार के लिए किए गए उपाए निम्नलिखित हैं।

1. आदमी लगाकर बड़े आकार के कोयले की तुड़ाई और फालतू सामग्री की छंटाई;

2. कोयला कंपनियों के एक स्वतंत्र नियंत्रण संगठन द्वारा लदान से पहले कोयले का निरीक्षण;

3. बड़े उपभोक्ताओं के साथ समझौते करते समय, समझौते में संयुक्त नमूने और उसके आधार पर भुगतान के लिए एक उपबन्ध शासिल करना; और

4. जहां कहीं आवश्यकता हो वहां ऐसे कोयला रख-रखाव संयंत्र लगाने का कार्यक्रम लागू करना जिनमें कोयले को अभीष्ट आकार का बनाने और उसकी छंटाई करने की व्यवस्था हो।

प्रेषण किए जा रहे कोयले का लगभग 35% कोयला, पहले ही स्थापित कोयला रख-रखाव और विनिर्माण संयंत्रों से गुजरता है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि सप्लाई होने वाले कोयले की किस्म से संबंधित शिकायतों में कमी आई है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आई० टी० आई०) और फ्रांस की सी०आई०टी० अल्केटेल के बीच सहयोग

*394. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस ने पालघाट फैक्ट्री में "डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज" के निर्माण हेतु इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और फ्रांस की सी० आई० टी० अल्केटेल के बीच सहयोग के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता कब तक पूरा किए जाने की आशा है ;

(ग) किए गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) निर्माण कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर और फ्रांस के मैसर्स सी० आई० टी० अल्केटल के बीच 15 नवम्बर, 1983 को (एक) तकनीकी सहयोग, लाइसेंस और प्रौद्योगिकी के अन्तरण; तथा (दो) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के पालघाट कारखाने में इलेक्ट्रानिक डिजिटल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज बनाने के लिए मशीनरी, उपस्कर, सब-एसेंबली, घटकों और कच्चे माल की सप्लाई के लिए अनुपूरक करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) इन अनुपूरक करारों की अवधि इनके लागू होने की तारीख से सात वर्ष है ।

(ग) इन करारों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(एक) ये करार दिनांक 24 जुलाई, 1982 को इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज और सी० आई० टी० अल्केटल के बीच इलेक्ट्रानिक स्विचिंग के एक बड़े कारखाने की स्थापना के लिए किए गए मुख्य करारों के अनुपूरक हैं ।

(दो) इन करारों में सी० आई० टी० को तकनीकी जानकारी, प्रलेखन और प्रशिक्षण संबंधी अदायगी शामिल नहीं है । मैसर्स सी० आई० टी० अल्केटल को 16.5 लाख फ्रांसीसी फ्रांकों या लगभग 21.5 लाख रुपये की लागत के केवल 30 श्रम महीनों तक की अतिरिक्त तकनीकी सहायता की अदायगी की जानी है ।

(तीन) इन करारों में उत्पादन के लिए प्रमुख उपस्कर की सप्लाई और अर्द्ध समेकित/पूरी तरह अलग-अलग घटकों और पुंजों की सप्लाई की भी व्यवस्था है । पालघाट में लगाए जाने वाले प्रमुख उपस्कर की लागत 806.67 लाख फ्रांसीसी फ्रांक या लगभग 11 करोड़ रुपये है और अलग से स्थापित किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग कारखाने में लगाए जाने वाले प्रमुख उपस्कर की लागत 152.4 लाख फ्रांसीसी फ्रांक या 2.1 करोड़ रुपये है ।

(चार) डिजिटल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज लाइनों (60,000 समतुल्य लाइनों) की अन्तत: उत्पादन क्षमता सरकार द्वारा इन करारों को मंजूरी देने के समय से 51 महीनों में प्राप्त करने का कार्यक्रम है ।

(घ) आशा है कि उत्पादन 1984-85 में शुरू होगा ।

तालचेर विद्युत संयंत्र

*395. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बृहद संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा 1976 में छह स्थानों का चयन किया गया था और उनमें से उड़ीसा में तालचेर के सिवाय सभी स्थलों पर बृहद ताप संयंत्रों का निर्माण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य आरम्भ न किए जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या तालचेर बृहद ताप परियोजना की उपेक्षा करके इन छह स्थानों के अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर एक बृहद ताप संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं, और

(घ) तालचेर में बृहद ताप संयंत्र की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं । वास्तव में स्थल चयन समिति ने 11 स्थलों की सिफारिश की थी । इनमें से पांच स्थलों पर बड़े-बड़े ताप विद्युत केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है । विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांग, अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा संसाधनों को उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ये परियोजनाएं समय-समय पर आरंभ की जाती हैं ।

(ख) संसाधनों की कमी तथा तलचेर में कोयला संसाधनों का विकास करने में लगा अपेक्षित समय इस परियोजना को अब तक विलम्ब से हाथ में लेने के कारण हैं ।

(ग) विशिष्ट अवधियों में बढ़ती हुई मांग और कोयले की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा चयन किए गए उन स्थलों के अलावा कुछ स्थलों पर नए सुपर ताप विद्युत केन्द्रों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ।

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 2×500 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता को तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना की अद्यतन व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है । तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक कोयला लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है । व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार होने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करेगा । वर्ष 1984-85 के लिए परियोजना पर प्रारम्भिक व्यय का प्रावधान करने के लिए योजना आयोग सहमत हो गया है ।

देश में दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता

*396. **श्रीमती संयोगिता राणे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों का विवरण और उनकी क्षमता क्या है; और

(ख) देश में इस समय कितने क्षेत्रफल और कितनी जनसंख्या को दूरदर्शन प्रसारण सेवा उपलब्ध है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) वर्तमान दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा तथा उनकी क्षमता विवरण में दी गई है ।

दूरदर्शन सेवा देश के 15.26 प्रतिशत क्षेत्र और 28.48 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है ।

विवरण

दूरदर्शन का वर्तमान दूरदर्शन कवरेज (12-12-83)

40 डी० बी० (एम० वी० आई० एम०) न्यूनतम सिगनल पर आधारित ट्रांसमीटर

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	बैंड/चैनल	ट्रांसमीटर की शक्ति	सेवा परिधि (किलोमीटरों में)
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	1/4	10 किलोवाट	110
2.	बम्बई	1/4	10 किलोवाट	60-150
3.	श्री नगर	1/4	10 किलोवाट	30-70
4.	अमृतसर	3/7	10 किलोवाट	110
5.	पुणे	3/5	0.6 किलोवाट	55-100
6.	कलकत्ता	1/4	10 किलोवाट	130
7.	मद्रास	1/4	10 किलोवाट	130
8.	लखनऊ	1/4	10 किलोवाट	110
9.	मसूरी	3/10	10 किलोवाट	220
10.	कानपुर	3/10	10 किलोवाट	120
11.	जलन्धर	3/9	10 किलोवाट	125
12.	जयपुर	3/5	10 किलोवाट	130
13.	रायपुर	3/5	1 किलोवाट	60
14.	गुलबर्गा	3/7	1 किलोवाट	60
15.	हैदराबाद	1/4	10 किलोवाट	120
16.	सम्बलपुर	3/4	1 किलोवाट	60

1 2	3	4	5
17. मुजफ्फरपुर	3/6	1 किलोवाट	60
18. बंगलोर	3/5	1 किलोवाट	45
19. नागपुर	3/7	1 किलोवाट	45
20. पणजी	3/7	1 किलोवाट	40
21. इलाहाबाद	3/7	1 किलोवाट	30
22. पिज	3/7	1 किलोवाट	60
23. अहमदाबाद	3/5	1 किलोवाट	30
24. जम्मू	3/12	100 वाट	25
25. शिमला	3/8	100 वाट	25
26. देवरिया	3/11	100 वाट	25
27. सूरतगढ़	3/11	100 वाट	25
28. गोहाटी	3/9	100 वाट	25
29. इटानगर	3/10	100 वाट	25
30. गंगतोक	3/9	100 वाट	25
31. शिलांग	3/12	100 वाट	25
32. कोहिमा	3/8	100 वाट	25
33. इम्फाल	3/6	100 वाट	25
34. ऐजवाल	3/9	100 वाट	25
35. अगरतला	3/8	100 वाट	25
36. मालदा	3/12	100 वाट	25
37. पटना	3/11	100 वाट	25
38. भुवनेश्वर	3/8	100 वाट	25
39. पोर्ट ब्लेयर	3/10	100 वाट	25
40. काकीनाडा	3/5	100 वाट	25
41. त्रिवेन्द्रम	3/5	100 वाट	25
42. इन्दौर	3/9	100 वाट	25
43. भोपाल	3/5	100 वाट	25

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों को ठीक प्रकार से सीलबन्द करना और उनके वजन की समुचित जांच करना और रेगूलेटरों की सप्लाई

*397. **श्री के० मालन्ना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों को भरते समय उनके वजन की समुचित जांच करने और ठीक प्रकार से सीलबन्द करने की कोई दोषरहित प्रणाली नहीं निकाली गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपभोक्ताओं को रेगूलेटरों की सप्लाई करने के लिए उनका पर्याप्त भण्डार नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भरते समय सिलेंडरों को ठीक प्रकार से तोला जाता है, तथा उसमें बचाव कैप/रिंग तथा सील की व्यवस्था की जाती है।

(ख) और (ग) कुछ समय पहले कमी की स्थिति पैदा हो गयी थी। देशी उत्पादन में वृद्धि करके तथा आयात द्वारा इसको पूरा किया जा रहा है।

तेल निर्यातक देशों में प्रवासी मजदूरों की कार्य स्थिति

*398. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सुझाव दिया है कि जन शक्ति निर्यातक देशों को तेल निर्यातक देशों में तेल संबंधी राजस्व में कमी की प्रवृति के कारण उत्पन्न खतरे को देखते हुए प्रवासी मजदूरों की कार्य स्थिति को सुधारने हेतु विचार-विमर्श करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य-मुख्य कठिनाइयां क्या हैं जिनका सामना प्रवासी मजदूरों को करना पड़ रहा है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हेतु क्या सुझाव दिए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य कठिनाइयां हैं : पासपोर्टों को रोके रखना, ठेका प्रतिस्थापन्न और मजदूरी अदायगी में भेद-भाव।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस संबंध में अगले वर्ष बैठक करने की सोच रहा है।

आंध्र प्रदेश के तट दूर समुद्र में ज्वारभाटा ऊर्जा की खोज

*399. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के तट दूर समुद्र में ज्वार-भाटा की ऊर्जा के उपयोग के बारे में खोज की है;

(ख) ज्वार-भाटा ऊर्जा के विकास के लिए संभावनायुक्त स्थान कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई प्रगति हुई है; और

(घ) ज्वार-भाटा ऊर्जा कार्यक्रम का स्तर क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विगत में किए गए अध्ययनों से कच्छ की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी और सुन्दरवन डेल्टा में ज्वारीय ऊर्जा के विकास के लिए शक्यता स्थलों का पता चला है ।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1980 में भारत सरकार कच्छ की खाड़ी में अन्वेषण तथा अध्ययन करने के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था जिससे उक्त क्षेत्र में ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए एक व्यवहार्यता स्पिोर्ट तैयार की जा सकती है । ये अन्वेषण और अध्ययन चल रहे हैं । निम्नलिखित अन्वेषण पूरे किये जा चुके हैं :

(1) भू-सर्वेक्षण ।

(2) कम गहरे जल में ज्वारीय स्तर का प्रेक्षण ।

(3) हंसथाल और कांडला संकरी खाड़ियों में तट से दूर जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण ।

(4) स्थायी बेंछ मार्को का निर्माण ।

(5) हंसथाल, कांडला और भीतरी खाड़ियों में मानसून और मानसून के अलावा दोनों अवधियों के लिए धारा, तलचट और खारेपन का प्रेक्षण ।

अधिकांश क्षेत्रीय अन्वेषण अप्रैल, 1984 तक पूरे हो जाने की संभावना है । संशोधित परियोजना रिपोर्ट में अध्ययन और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मार्च, 1987 तक पूरा हो जाने का अनुमान है । ज्वारीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने के संबंध में निर्णय इस समय चल रहे अन्वेषण और अध्ययनों द्वारा परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद लिया जायेगा ।

साइलैंट घाटी परियोजना

*400. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में साइलैंट घाटी पनबिजली परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : केरल में साइलैंट वैली जल विद्युत परियोजना पर अब तक लगभग 2.94 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों की कोयले की ढुलाई करने वाली सरकारी समितियां

*401. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 में बिहार और मध्य प्रदेश कोयला पट्टियों में स्थानीय ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु भूतपूर्व सैनिक की सहकारी समितियों की सहायता से कोयले के परिवहन की एक योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने उन क्षेत्रों में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों को समर्थन देने और उन्हें शोषण से बचाने हेतु क्या कार्रवाई की है;

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को ऐसी कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं और विभागीयकरण किए जाने तक भूतपूर्व सैनिकों की और अधिक सहकारी समितियों को इसमें शामिल किए जाने को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या स्थानीय ठेकेदारों को कोई नए ठेके दिए गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों की कोयले की ढुलाई करने वाली कुछ सहकारी समितियां जो कुछ समय से चल रही हैं लेकिन उनके साथ समझौते पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिसके कारण उन्हें काफी वित्तीय कठिनाइयां हो रही हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) कोयला परिवहन कार्य के लिए भूतपूर्व-सैनिकों की पहली परिवहन कंपनी वर्ष 1979-80 में स्थापित की गई थी । अन्य कंपनियों की स्थापना बाद में हुई थी और इस समय ऐसी 9 कम्पनियां काम कर रही हैं । कोयला कंपनियों ने भूतपूर्व-सैनिकों की इन परिवहन कंपनियों के लिए ट्रकों और टिपरों की व्यवस्था भाड़ा-खरीद आधार पर की थी जिसका और राशि का पुनर्भुगतान 5 वर्ष की अवधि में फैलाया गया था । उन्हें कोयला ले जाने के लिए निश्चित मार्ग आंवटित किए गए थे । परिवहन के लिए भुगतान की दरें भूतपूर्व सैनिकों की इन कंपनियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से नियत की गई थीं । यह दरें रह वर्ष अद्यतन की जाती हैं ।

इस काम में भूतपूर्व सैनिकों की और अधिक कंपनियों को लगाना इन कंपनियों के कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है । इनमें से कुछ कंपनियों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया है ।

(घ) जी, हां । कुछ नए ठेके दिए गए हैं । बिहार में, राज्य सरकार ने गैर-सरकारी पार्टियों को नदी-तल पट्टों पर दे दिए हैं और रेत का परिवहन गैर-सरकारी पार्टियों के साथ ठेका कर लेने पर किया जाना है ।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों की कुछ कंपनियों से इस आशय के अभिवेदन प्राप्त हुए हैं कि भाड़ा-खरीद समझौते की शर्तें बहुत कड़ी हैं । इद अभिवेदनों की सम्बद्ध कोयला कंपनियां जांच कर रही हैं ।

बरेली टेलीफोन एक्सचेंज

***402. श्री मनोहर लाल सैनी :**
श्री भीम सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान बरेली टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार किया गया है;

(ख) क्या उक्त टेलीफोन एक्सचेंज अभी भी वित्तीय संकट में हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान लाखों रुपयों की भारी रकम को बट्टेखाते में डाल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एल० पी० जी० सिलेंडरों के लिए विशिष्ट धातु का आयात

*403. **श्री मोहन लाल पटेल :**
श्री नवीन रावणी :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल० पी० जी० सिलेंडरों के निर्माण के लिए विशिष्ट धातु का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो एल० पी० जी० सिलेंडरों के निर्माण के लिए आयात की गई मदों का ब्यौरा क्या है तथा कितनी मात्रा में इनका आयात किया गया और कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) यह आयात किसी एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है और सिलेंडर निर्माताओं में इसका वितरण किस तरह किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने 53,000 मी० टन विशेष एल० पी० जी० सिलेंडर स्टील के आयात के लिए स्वीकृति दे दी है । 36,000 मी० टन के लिए वास्तविक आर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं जिस पर लगभग 12.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

(ग) एल० पी० जी० सिलेंडर स्टील के आयात की व्यवस्था इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जा रही है । उपलब्ध स्टील को तेल कम्पनियों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार विभिन्न निर्माताओं में उनकी आवश्यकता के आधार पर वितरित किया जाता है ।

राजस्थान में टेलीफोन सेवा

*404. **श्री चतुर्भुज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1983 में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सार्वजनिक टेलीफोन ठीक काम नहीं कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या थे; और

(ग) सरकार ने इन क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन सेवा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोनघरों के असंतोषजनक कार्यकरण के बारे में अक्तूबर, 1983 के दौरान कोई विसंगति नहीं पाई गई।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) डाक-तार विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों के कार्यकरण पर निरंतर निगरानी रख रहा है। प्रमुख एक्सचेंज सार्वजनिक टेलीफोनघरों की निरंतर जांच करते हैं और जब कभी दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें तत्काल ठीक करने के लिए तुरंत उपचारी कार्रवाई शुरू करते हैं।

बिजली की एक समान दरें

*405. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ली जा रही बिजली की दरों में कोई समानता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सभी राज्यों में एक समान दरों को अपनाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, हां। देश में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा लागू की जा रही बिलजी की दरें एक समान नहीं हैं। उत्पादन की लागत, विद्युत की खरीद की लागत, यदि कोई हो, पारेषण और वितरण की लागत, प्रचालन तथा अन्य व्यय और सरकार को सामाजिक-आर्थिक नीतियों सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए बिजली की टैरिफ निर्धारित की जाती हैं। विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण की लागत में तथा ऊर्जा की सप्लाई में भिन्नता निम्नलिखित कारणों की वजह से होती है :

(1) जल-विद्युत तथा ताप-विद्युत का मिश्रण।
(2) विद्युत केन्द्र की क्षमता।
(3) विद्युत केन्द्रों पर ईंधन की लागत।
(4) खरीदी गई विद्युत की कीमत।
(5) स्टाफ की संख्या और उनके वेतन तथा भत्तों के स्वरूप।
(6) विद्युत के उत्पादन केन्द्रों से खपत केन्द्रों तक भार।
(7) उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में निवेश का समय तथा मात्रा; और
(8) स्टाफ और संयंत्र के कार्य-निष्पादन की क्षसता की स्थिति।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के धारा 49 और 59 में निर्दिष्ट विस्तृत सिद्धान्तों के अनुसार तथा अन्य नीति निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा-78क के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस बारे में जारी किए गये हैं। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विद्युत की टैरिफ नियत करते समय ध्यान में रखने पड़ते हैं।

दिल्ली में पारेषण के दौरान नुकसान

*406. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बिजली के पारेषण और वितरण के दौरान कितना नुकसान हुआ;

(ख) क्या इस नुकसान को रोकने के लिए सरकार किन्हीं उपायों की खोज कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पारेषण और वितरण हानि लगभग 18.38 प्रतिशत थी ।

(ख) और (ग) दिल्ली में पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं । इनमें ये उपाय शामिल हैं : (एक) डेसू के 33/11 के० वी० संसाधनों पर शंट केपेसिटरों की प्रतिष्ठापना करना; (दो) अनधिकृत विस्तारों को नियमित करना तथा उद्योगों द्वारा भार के दुरुपयोग को रोकने के लिए निवारक कदम उठाना; (तीन) 5 ई० एच० पी० और इससे अधिक के सम्बद्ध भार वाले भावी उपभोक्ताओं द्वारा केपेसिटरों की अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठापना; (चार) वर्तमान उपभोक्ताओं द्वारा केपेसिटरों की प्रतिष्ठापना; (पांच) भार केन्द्रों में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करके एल० टी० वितरण लाइनों की लम्बाई को कम करना; (छह) 11 के० वी० प्रणाली पुनः स्थापना करना ताकि इस तार-जाल पर हानियों को कम किया जा सके; (सात) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान प्रणाली में 66 के० वी० वोल्टता स्तर की शुरुआत करना तथा पारेषण हानियों को कम करने के लिए भार केन्द्रों के समीप 220 के० वी० और 66 के० वी० के नए प्वाइंटों की वृद्धि करना; (आठ) अतिरिक्त फीडरों के जरिए विद्युत की वर्तमान और भावी मात्रा का बंटवारा करके हानियों को कम करने के लिए दिल्ली में पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना; (नौ) हेरा-फेरी को रोकने के लिए उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं के लिए अलग उच्च वोल्टता पेनलों की शुरुआत करना; (दस) ऊर्जा की चोरी को पकड़ने के लिए जांच कार्य को तेज करना; और (ग्यारह) बल्क सप्लाई मीटरों की समय-समय पर जांच करना ।

गौरी गंगा (उत्तर प्रदेश) से बिजली उत्पादन की योजना

*407. **श्री हरीश रावत :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौरी गंगा (उत्तर प्रदेश) से पनबिजली उत्पादन की योजना पर अनुसंधान कार्य कब शुरू हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार योजना के अगले वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए धन आबंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) अन्वेषण के बारे में व्यय के लिए संस्वीकृति जारी हो जाने के बाद, जिसके शीघ्र ही जारी किए जाने की सम्भावना है, अन्वेषण कार्य आरम्भ कर दिए जायेंगे । अन्वेषण संबंधी कार्य, जिसमें गौरी गंगा नदी की जल विद्युत शक्यता के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना शामिल है, की अनुमानित लागत 231 लाख रुपये है । यह व्यय, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए किए गए आबंटनों में से पूरा किया जायेगा ।

बिहार डाक और तार सर्कल से असम में चुनाव के लिए भेजे गए कर्मचारी

4405. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार डाक और तार सर्कलों से असम में चुनाव के लिए कुल कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त की गईं/वहां प्रतिनियुक्त किया गया;

(ख) ऐसे कार्मिकों की कुल संख्या क्या है, जिन्होंने असम में वास्तव में चुनाव ड्यूटी की थी;

(ग) ऐसे प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, जो चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित होने में असफल रहे;

(घ) असम में चुनाव ड्यूटी पर कथित अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कुल कितने मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाइयां शुरू की गईं; और

(ङ) ऐसे कुल कितने अनुशासनात्मक मामले अब भी विचाराधीन हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत कोकिंग कोल लि० में बड़ी संख्या में कर्मचारियों का सेवा से निकाला जाना

4406. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारत कोकिंग कोल लि० में "लिअन" रहने अथवा अन्य तुच्छ कारण बताकर भारी संख्या में कर्मचारियों को सेवा से निकाला जा रहा है, यदि हां, तो गत दो महीनों (अर्थात् सितम्बर और अक्तूबर) में कितने कर्मचारी निकाले गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सभी कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हुए 1977 में अनुपस्थिति के लिए 1983 में सेवा से निकाले जाने का आरोप पत्र दिया गया है जिससे अधिकांशतः आदिवासी प्रभावित हुए हैं, यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि मूनीडीह परियोजना का एक कर्मचारी बर्खास्त कर दिया गया है जिसका मामला सहायक श्रम आयुक्त (सी) के समक्ष निर्णयाधीन पड़ा है और जिसमें प्रबन्ध मंडल के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो प्रबन्धकों को श्रम नियमों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सितम्बर और अक्तूबर, 1983 में 397 कामगारों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और 274 कामगार अपने धारणाधिकार से वंचित हो गए थे ।

(ख) वर्ष 1977 में अप्राधिकृत गैर-हाजिरी के लिए 7 मामलों में आरोप-पत्र जारी किए गए थे और उन पर जांच हो रही थी । इन मामलों पर 1983 में अन्तिम निर्णय लिए गए ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पुनर्वास रिहायशी पट्टे

4407. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कितने पुनर्वास रिहायशी पट्टे दिए गए थे और ये कितनी अवधि के लिए और ये किन शर्तों पर आबंटित किए गए थे;

(ख) उस समय पुनर्वास रिहायशी पट्टा आबंटन करने के लिए पात्रता शर्तें क्या थीं और क्या जिन व्यक्तियों ने दिल्ली आप्रवास के बाद (1947 के बाद और 1954 से पहले) भूमि/सम्पत्ति अर्जित की थी, वे इस प्रकार की भूमि के आबंटन के लिए पात्र थे;

(ग) क्या रिहायशी भूमि के आबंटन के लिए विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों (बनाए गए मूल नियम और बाद में संशोधित संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(घ) इन पट्टों को भूमि और विकास कार्यालय में अन्तरण करने का उद्देश्य क्या था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अगस्त, 1983 तक पुनर्वास विभाग ने विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत 48.346 आवासीय पट्टे निष्पादित किए थे और प्रशासन हेतु वे भूमि और विकास कार्यालय को भेज दिए गए थे । ये पट्टे वर्ष 1949 से 1957 के बीच दिल्ली में किए गए आबंटन से सम्बधित थे । आबंटन मुख्यत: निम्न शर्तों पर किया गया था :

1. यह कि आबंटी उस किराए/भूमि किराए/प्रीमियम की राशि का भुगतान करेंगे जो सरकार द्वारा उसके बारे में निश्चित की जाएगी;

2. यह कि वह भारत सरकार द्वारा उक्त संदर्भ में अनुमोदित प्रपत्र में किराए नामा/पट्टे नामा का विधिवत् निष्पादन करेंगे/करेंगी;

3. यह कि वह मकान को कब्जे में लेने की तारीख से किराया/भूमि किराया/प्रीमियम का भुगतान करेंगे/करेंगी; और

4. यह कि यदि वह मकान के आबंटन के आदेश की तारीख से 7 दिन की अवधि के अन्दर मकान को कब्जे में नहीं लेते/लेती हैं तो आबंटन रद्द समझा जाएगा ।

(ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रत्येक पंजीकृत विस्थापित व्यक्ति, जिसने आबंटन के लिए आवेदन-पत्र दिया था, के मामले पर विचार किया गया था, बशर्ते कि उसके पास कोई अलग अथवा संयुक्त मकान, प्लाट अथवा अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति या सरकारी सम्पदा अधिकारी, शिविर कमाण्डेट से मिला दिल्ली में कोई मकान कब्जे में न हो, अथवा निर्धारित आवेदन-पत्र में की गई घोषणा के अतिरिक्त दिल्ली में कोई अन्य स्रोत न हो और उसके कब्जे में कोई अनधिकृत मकान अथवा प्लाट न हो ।

(ग) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन नियम, 1955 में बनाये गये थे और संसद के दोनों सदनों की मेज पर रख दिये गये थे । समय-समय पर बाद में हुए संशोधनों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) पुनर्वास विभाग द्वारा निष्पादित पट्टों को, पट्टों के प्रशासन के लिए, भूमि और विकास अधिकारी को पट्टेदाता के रूप में हस्तान्तरित कर दिया था ।

गुजरात के बलसाड़ जिले में डाक और तार विभाग के काम-काज के बारे में शिकायतें और सुझाव

4408. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 1 जनवरी, 1983 से 15 अक्तूबर, 1983 तक की अवधि के दौरान गुजरात राज्य के बलसाड़ तथा बलसाड़ जिले के अन्य स्थानों से विभिन्न वाणिज्यिक मंडलों, अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आम लोगों तथा अन्य संगठनों की ओर से डाक और तार विभाग के बारे में विभिन्न सुझावों, भ्रष्टाचार कर्मचारियों और अधिकारियों के रूखे व्यवहार तथा टेलीफोन के काम न करने और अनुचित मंजूर होने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें/पत्र और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी कठिनाइयों और शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1-1-1983 से 15-10-1983 की अवधि में इस प्रकार की कोई डाक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । तथापि, दूरसंचार सेवाओं के बारे में लगभग 640 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों की जांच की जाती है, तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सेवाओं को मानीटर करने तथा कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए छः घण्टे से अधिक रहने वाले दोषों के बारे में जूनियर इंजीनियर, एस० डी० ओ० तार, डी० ई० टी० के पास एक डायरी रखने की पद्धति निर्धारित की गई है।

कोल इंडिया लि० के अंतर्गत कोयला उत्पादन में कमी

4409. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० के अधीन कोयले का उत्पादन पिछले महीने में घटा है और यदि हां, तो गत दो वर्षों से सम्बन्धित कोयले का औसत महीने-वार उत्पादन क्या रहा;

(ख) क्या उत्पादन घटने का, कोल इंडिया लि० के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर के सर्वोच्च पद पर, गत दो वर्षों के दौरान एक के बाद एक, चार व्यक्तियों की नियुक्ति भी एक प्रमुख कारण है;

(ग) क्या इस सर्वोच्च पद पर बार-बार नई नियुक्ति करने से यह कंपनी निर्बाध-रूप से कार्य कर सकती है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो गत दो वर्षों के दौरान चेयरमैन के पद पर, एक के बाद एक, चार व्यक्तियों को नियुक्त करने तथा उन्हें हटाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कोल इंडिया लि० में चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान कोयले के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 3.4% की वृद्धि हुई थी। कोल इंडिया लि० में पिछले 2 वर्षों के दौरान महीनेवार औसत उत्पादन निम्न-लिखित था :

(मिलियन टनों में)

1981-82	1982-83	1982-83	1983-84
(पूरे वर्ष)		(अप्रैल-नवम्बर, 1983)	
9.08	9.56	8.58	8.88

(ख) से (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान, कोल इंडिया लि० में एक के बाद एक चार व्यक्तियों को अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। कोल इंडिया लि० के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के 31-3-1982 को निवर्तन के फलस्वरूप, कोल इंडिया लि० की एक सहायक कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक को को० इं० लि० में अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त कार्य भार सौंपा गया जो नियमित नियुक्ति किये जाने तक था। इस पद के लिए नियमित नियुक्ति नवम्बर, 1982 में की गई थी। इस मामले पर जुलाई, 1983 में आगे विचार किया गया और वर्तमान अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक को नियुक्त किया गया।

नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित किया जाना

4410. **श्री राम लाल राही** :
श्री मोहम्मद असरार अहमद :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 1977-79 के दौरान दूरदर्शन में आर्टिस्टों के पदों पर काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में एक फार्मूला तैयार किया था, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि 21 मार्च, 1980 तक एक वर्ष में जिस नैमित्तिक कर्मचारी ने 200 दिन की सेवा पूरी कर ली हो, उसे नियमित कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आर्टिस्टों को नियमित करने में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रहीं हैं, जो उसके बाद नवम्बर, 1983 तक बहुत दिन काम कर चुके हैं;

(ग) क्या सरकार इसे शीघ्र कार्यान्वित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार ने उन नैमित्तिक कलाकारों, जिन्होंने 1974-75 से 1979-80 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान एक एकल वर्ष में 200 दिन या तीन लगातार वर्षों में 365 दिन सेवा की है, को नियमित करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिये हैं ।

दूरदर्शन ने इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिये हैं जो उपरोक्त पैरा (क) में उल्लिखित मानदंड पूरा करते हैं ।

(ख) जिन नैमित्तिक कलाकारों ने 31-3-1980 तक निर्धारित संख्या में दिन सेवा नहीं की है वे नियमित किये जाने के लिये पात्र नहीं हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

छंटनी किए गए कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि वापस करना

4411. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गैर सरकारी संगठनों द्वारा छंटनी किये गये कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि की धनराशि वापस करने की कोई समय सीमा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 69(1)(घ) के अनुसार, कोई भी सदस्य सामूहिक या वैयक्तिक छंटनी के मामले में सेवा समाप्ति होने पर निधि में अपने नाम पड़ी पूर्ण राशि को निकलवा सकता है । ऐसे मामलों में राशि निकालने के लिए कोई समय-सीमा नहीं है ।

बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पट्टे के मकान का उसके भूतपूर्व निदेशक (विपणन) को अन्तरण

4412. **श्री गयूर अली खां :**
डा० ए० यू० आजमी :
क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पट्टे के मकान का उसके भूतपूर्व निर्देशक (विपणन) को अन्तरित करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) पट्टे की सम्पत्ति स्थल वर्तमान मूल्य और उक्त निर्देशक (विपणन) को इसका अन्तरण करने का ढंग सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में किसी अन्य कर्मचारी को ऐसी कोई सम्पत्ति अन्तरित की गई है, यदि हां, तो ऐसे सभी मामलों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में निगम के सम्बद्ध नियम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां। श्री रशीद मसूद, संसद सदस्य से एक शिकायत 8 जुलाई, 1982 को प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध एच० पी० सी० एल० द्वारा पट्टे पर लिए गए मकान को भूतपूर्व निदेशक (विपणन), श्री बी० एम० सितलानी को अन्तरित करने का आरोप लगाया था। आरोप यह था कि सेवानिवृत्त होने से पहले 30-8-81 को श्री बी० एम० सितलानी द्वारा एच० पी० सी० एल० के सर्व श्री आर० एम० भंडारी, एम० के० बगई और इन्द्र मल्होत्रा के साथ साजिश करके निगम से संबद्ध फ्लैट को रिलीज करवा लिया और उक्त फ्लैट को अपने साले द्वारा खरीदे जाने की व्यवस्था करवा ली ताकि वहां उनका कब्जा बना रहे। आरोपों की जांच की गई है और तथ्यों के अनुसार वे ठीक नहीं पाये गये हैं। अत: इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्रवाई करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) पट्टे पर ली गयी सम्पत्ति फ्लैट नं० 6 सौरेंटो, माऊंट प्लैजेंट रोड, बम्बई थी। फ्लैट के बाजार मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है। मकान का कब्जा 6-6-83 को मालिक मकान श्री एच० बी० छबलानी को दे दिया गया था, क्योंकि मालिक मकान द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि एच० पी० सी० एल० के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री बी० एच० सितलानी ही इसमें रहते रहेंगे।

(ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा उनके सम्बन्धियों को, जो मकानों के मालिक हैं, 8 फ्लैट वापस कर दिये गये हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। तेल उद्योग द्वारा 7-3-1981 को फ्लैट रिलीज करने के सम्बन्ध में उद्योग के मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार किये जाने से पहले एच० पी० सी० एल० के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर, पट्टे पर मकानों के बारे में फैसले किये जाते थे।

विवरण

पट्टे पर लिये गये फ्लैट का ब्यौरा	कर्मचारी का नाम	मालिक का नाम और कर्मचारी से उसका सम्बन्ध	वापस करने की तिथि
1. 7, सौरेंटों मा० प्लेजेंट रोड, बम्बई	श्री आर० डी० व्यास	स्वयं	27-1-75
2. 7, शैफाली सान्ताक्रुज, बम्बई	श्री आर० आर० मोरडेकर	स्वयं	23-3-76
3. स्नेह समरूती वल्केश्वर, बम्बई	श्री आर० डी० नायक	भूतपूर्व कर्मचारी का पिता	अगस्त, 76
4. 28, कमल कुंज, बांद्रा, बम्बई	श्री यू०आर० शर्मा	भूतपूर्व कर्मचारी की पत्नी	अक्तूबर, 76
5. लक्ष्मी निवास, ग्राउन्ड फलोर (पूर्वी) बी० डी० रोड, बम्बई	श्री एन० जे० मैथ्यूज	स्वयं	1-1-1983
6. लक्ष्मी निवास, (टेरेस फ्लैट) पूर्वी बी० डी० रोड, बम्बई	श्री सी० के० दास	कर्मचारी की पत्नी	10-6-1983
7. लक्ष्मी निवास (टेरेस फ्लैट) पश्चिमी बी० डी० रोड, बम्बई	श्री आर० एन० टांखा	कर्मचारी की पत्नी	1-1-1983
8. 6/9, हेरिंगटन, एवियेशन, मद्रास	श्री जे० जोसेफ	भूतपूर्व कर्मचारी की पत्नी	16-12-1981

उड़ीसा सर्कल में अनुशासनहीनता और सदक्षता

4413. **श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष में अधिकांशत: उड़ीसा सर्कल में या तो "महा-डाकपाल" अथवा महा-प्रबन्धक दूरसंचार का पद रिक्त ही पड़ा रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारण उक्त सर्कल में अनुशासनहीनता और अदक्षता पैदा हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम की पाइप लाइनों में चोरी

4414. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1979 से व्यक्तिगत फाइलों के गायब होने सहित भारतीय तेल निगम की पाइपलाइनों में बड़े या छोटे चोरी के कितने मामले घटित हुए हैं;

(ख) कितने मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन चोरियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल काम पर तैनात है, और यदि नहीं, तो वहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

दिल्ली के वजीरपुर में उद्योगपति के घर में भट्टी तेल बरामद होना

4415. **श्री सुशील भट्टाचार्य** :
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1983 के "इंडियन एक्सप्रैस" में दिल्ली में वजीरपुर में एक उद्योगपति के घर से 10,000 लिटर भट्टी तेल बरामद होने सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक अपशिष्ट से भट्टी तेल को बदलने के ऐसे कदाचार को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) कदाचारों को रोकने के लिए निरीक्षणों और जांच के काम को तेज कर दिया गया और जहां कहीं कदाचारों का पता चला है, अपराधात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं ।

कन्नड़ भाषा में "योजना" का प्रकाशन

4416. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा "योजना" नामक पत्रिका किन-किन क्षेत्रीव भाषाओं में प्रकाशित की जा रही है;

(ख) क्या वह कन्नड़ भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का 1984-85 से इस पत्रिका का कन्नड़ अंक भी प्रकाशित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा, "योजना" आठ प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् बंगला, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, असमिया और उर्दू में प्रकाशित होती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) बंगलौर से कन्नड़ में "योजना" शुरू करने के प्रस्ताव को 1984-85 की प्रस्तावित वार्षिक योजना में शामिल किया गया है ।

कोकिंग कोल का उत्पादन

4417. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोक तथा गैर-कोकिंग कोल के उत्पादन के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) क्या सरकार ने समेकित इस्पात क्षेत्र को कोयले का कोई भंडार बनाने में सहायता देने की योजना तैयार की है और यदि हां, तो कितनी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) योजना आयोग से वर्ष 1983-84 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना में वर्ष के दौरान 142 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया है। इसमें 35.30 मिलियन टन कोककर कोयला और 106.70 मिलियन टन अकोककर कोयला शामिल है ।

(ख) इस्पात संयंत्रों की कोककर कोयले की आवश्यकताएं पूरी करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोयले का जो स्टाक 1-4-1983 को 4.73 लाख टन था, वह पहली अगस्त, 1983 को घटकर 1.66 लाख टन हो गया। इस कमी के कारण यह थे—बिजली की कमी, पूर्वी क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था समस्याएं, गर्मी के महीनों में कामगारों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति बढ़ना, आदि। मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, कोयले का उत्पादन अगस्त, 1983 से बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप इस्पात संयंत्रों को कोककर कोयले की सप्लाई में वृद्धि हुई है। इस समय इस्पात संयंत्रों के पास 3.96 लाख टन देशी कोयले और 0.21 लाख टन आयातित कोयले का स्टाक है।

मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स द्वारा सोडा ऐश का उत्पादन बढ़ाया जाना

4418. **श्री अजित बाग** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स ने सोडा ऐश सम्बन्धी स्थायी समिति की एक बैठक में जून, 1982 तक सोडा ऐश के उत्पादन में वृद्धि करने का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी ने जून, 1982 में सरकार को सूचित किया था कि वे वित्तीय बाधाओं और मांग की कमी के कारण बकाया विस्तार कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं;

(ग) कम्पनी ने अचानक मांग की कमी होने का पता कैसे लगाया जबकि सोडा ऐश उद्योग देश की मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार कम्पनी के मामलों की जांच करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (घ) मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स, पोरबन्दर, गुजरात को सोडा ऐश के उत्पादन की क्षमता में प्रतिवर्ष 1.0 लाख टन का पर्याप्त विस्तार करने के लिए 8-4-1976 को औद्योगिक लाइसेंस सं० सी० आई० एल० 158(76) स्वीकृत किया गया था। कम्पनी ने 1-5-1980 से 62,000 टन प्रति वर्ष तक का विस्तार कार्यान्वित किया, जिसमें संयंत्र की स्थापित क्षमता 2,30,000 टन प्रति वर्ष हो गई। स्वीकृत की गई क्षमता विस्तार में से शेष 38,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता को अभी कार्यान्वित किया जाना है। यद्यपि, कम्पनी ने पहले शेष विस्तार के कार्यान्वयन का संभावित समय 1982 का मध्य बताया था, परन्तु बाद में यह सूचित किया कि शेष विस्तार का कार्यान्वयन वर्तमान संयंत्र के आधुनिकीकरण से संलग्न है, जोकि नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर किया जाएगा ताकि उच्चतर दक्षता तथा मित-व्ययिता प्राप्त की जा सके।

सरकार ने सोडा ऐश उद्योग के विभिन्न पहलुओं के ब्यौरों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति स्थापित की है। आशा है कि समिति उत्पादन/क्षमता को बढ़ाने से संबंधित मामलों की जांच करेगी।

आकाशवाणी के दरभंगा स्टेशन की प्रसारण क्षमता में वृद्धि

4419. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने तथा मैथिली भाषा के प्रसारण को और अधिक समय देने के लिए आकाशवाणी के मिथिला (दरभंगा) स्टेशन की प्रसारण क्षमता वृद्धि करने की मांग लगातार की जा रही है तथा इस संबंध में 19 नवम्बर, 1983 को बिस्फी में, पटना में तथा अन्य स्थानों पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे;

(ख) क्या 19 नवम्बर, 1983 को उक्त मांगों की आवाज उठाने वाले लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी मांगों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भूतकाल में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र की प्रेषण क्षमता बढ़ाने और वहां से मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की मांगें रही हैं।

दरभंगा केन्द्र में मीडियम पावर वाला 10 किलोवाट मीडियम वेव का एक ट्रांसमीटर है। संसाधनों के अभाव के कारण इस ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाने की किसी योजना को शामिल करना संभव नहीं पाया गया है।

जहां तक मैथिली समाचार बुलेटिनों का संबंध है, वर्तमान हिन्दी बुलेटिनों के श्रोता बहुत हैं और इन बुलेटिनों को मैथिली भाषी लोग समझ लेते हैं। अतः मैथिली भाषा में अलग से समाचार बुलेटिन शुरू करने की जरूरत महसूस नहीं की जाती।

(ग) यह मामला वास्तव में राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था के इन्चार्ज स्थानीय अधिकारियों से संबंधित है।

ऐसा समझा जाता है कि 19 नवम्बर, 1983 को लगभग प्रातः 11½ बजे लगभग 200 व्यक्ति आकाशवाणी केन्द्र पर आए और उन्होंने कथित मैथिली विरोधी भावनाओं तथा मैथिली भाषा में कार्यक्रम प्रसारित न करने के लिए उक्त केन्द्र के विरुद्ध नारे लगाए थे और यह कि पुलिस ने लगभग 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था।

इंडियन आयल कार्पोरेशन पाइपलाइन के मुख्यालय में झाड़ लगाने/सफाई करने आदि जैसे कामों के ठेके

4421. **श्री सी० पलानी अप्पन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन पाइपलाइन के मुख्यालय ने गैर-सरकारी एजेंसियों को झाड़ू लगाने/सफाई करने सम्बन्धी कार्यों के ठेके दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये ठेके देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने ये ठेके देकर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के रोजगार के अवसरों को रोक नहीं लिया है तथा क्या इससे प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को ठेस नहीं पहुंचती है;

(घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन पाइपलाइन मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थाई रिक्त पदों पर झाड़ू लगाने/सफाई करने सम्बन्धी कार्यों पर इस समय कितने लोग काम कर रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) कार्यालय का रख-रखाव/बिजली-मिस्त्री/मरम्मत जैसे-अन्य ऐसे कितने ठेके गैर-सरकारी एजेंसियों को दिए गये हैं तथा इन ठेकों का सीमा-क्षेत्र क्या है;

(छ) क्या ये ठेके इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिए गए हैं;

और

(ज) क्या ये ठेके बिचौलिया प्रणाली को प्रोत्साहित नहीं करते हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) से (ज) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

मुरादनगर सुपर ताप बिजली-घर

4422. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादनगर में स्थापित किये जाने वाले सुपर ताप बिजलीघर से संबंधित तकनीकी और आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कब प्राप्त हुई थी तथा उस पर शीघ्र निर्णय न लेने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) मुरादनगर में स्थापित की जाने वाली देश की राजधानी क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण में 210-210 मेगावाट की चार यूनिटों की प्रतिस्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट अगस्त, 1983 में प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसके लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अक्तूबर, 1983 में दे दी है।

नाइलोन फिलामेंट यार्न परियोजना के लिए लाइसेंस

4423. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नाइलोन फिलामेंट यार्न परियोजना के लाइसेंसों के लिए आवेदन करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं;

(ख) किन-किन फर्मों को लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ग) अस्वीकृत किये गये और विचाराधीन आवेदनों की संख्या कितनी है और उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ग) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) नाइलोन फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए निम्नलिखित कम्पनियों को नये यूनिट स्थापित करने तथा विद्यमान यूनिटों के विस्तार के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं :

1. बड़ौदा रेगन कारपोरेशन लिमिटेड
2. सैंचुरी एंका लिमिटेड
3. गरवारे नाइलोन लिमिटेड
4. जगतजीत काटन टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
5. जे० के० सिंथेटिक लिमिटेड
6. मोदीपोन लिमिटेड
7. निरलोन सिंथेटिक फाइबर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
8. श्री सिथेटिक्स लिमिटेड
9. पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड
10. बिहार स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
11. हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
12. केरल स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
13. वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
14. पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
15. गुजरात इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
16. कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट एण्ड डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
17. आंध्र प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
18. श्री एस० आर० जैन ।

विवरण

1981, 1982 तथा 1983 के दौरान नाइलोन फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए निम्न-लिखित पार्टियों ने औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था :

1. सिद्धार्थ डाबरीवाला
2. मिटको कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3. राज कुमार भारतीय
4. पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड
5. स्वामी राज भारती
6. जिंदल पेपर एण्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड
7. हारिजन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड
8. महेन्द्र कुमार जजोदिया
9. के० के० पटौदिया
10. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड
11. मालविका टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
12. आर्थर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड

पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड को एक आशय पत्र जारी किया गया है; अन्य पार्टियों के आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया है ।

बकाया आवेदन पत्रों के ब्यौरे तब तक प्रकाशित नहीं किये जाते हैं जब तक सरकार उन पर निर्णय नहीं ले लेती है ।

जौनपुर में धोखे से प्राप्त की गई गैस एजेंसी

4424. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जौनपुर में धोखे से एक गैस एजेंसी प्राप्त की गई थी और यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि चुने गये उम्मीदवार की आय, निर्धारित न्यूनतम आय से अधिक है और इसलिए वह पात्रता के मापदण्ड पर पूरा नहीं उतरता है। तेल कम्पनी द्वारा की गई जांच से यह शिकायत ठीक पाई गई। इस बारे में कोई कार्रवाई करने से पहले ही असन्तुष्ट पार्टियों में से एक पार्टी ने चुने गये डीलर और इंडियन आयल कार्पोरेशन, दोनों के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। चूंकि मामला अदालत के विचाराधीन है इसलिए अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

जम्मू और कश्मीर में मिट्टी के तेल की सप्लाई

4425. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष हमारे यहां मिट्टी के तेल की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) नवम्बर, 1983 से मार्च, 1984 तक की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य को मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा सप्लाई की जा रही है; और

(घ) मिट्टी के तेल सम्बन्धी राज्य की कुल मांग क्या है तथा जम्मू और कश्मीर में इस मौसम में अत्यधिक ठंड होने और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल की किल्लत होने को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में अब तक इस राज्य को वास्तविक रूप से कितना मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया है?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) मिट्टी का तेल कमी वाला उत्पाद है, देश में इसकी मांग को देशी उत्पादन द्वारा तथा समय-समय पर जब भी आवश्यक समझा जाता है, आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

(ग) सर्दी के ब्लाक, अर्थात् नवम्बर, 1983 से फरवरी, 1984 के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य को प्रति माह कुल 4350 मी० टन मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है।

(घ) चालू वर्ष 1983-84 (अप्रैल से नवम्बर, 1983 तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य को मिट्टी के तेल के किये गये आबंटन और हुई बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मात्रा मी० टनों में)

महीना	आवंटन	बिक्री
अप्रैल, 83	2700	3000
मई, 83	3100	3140
जून, 83	3100	3180
जुलाई, 83	3400	3890
अगस्त, 83	3360	3470
सितम्बर, 83	3360	3941
अक्तूबर, 83	3360	3700
नवम्बर, 83	4350	4606 (अस्थाई)

राज्यों द्वारा लोगों को दी गई विधिक सहायता

4426. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य लोगों को विधिक सहायता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो लोगों को विधिक सहायता दे रहे हैं; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में कौन से नियम और विनियम बनाए गए हैं जिनका पालन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उसके द्वारा तैयार की गई आदर्श स्कीम के अनुसार कई राज्यों में—आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सिक्किम में और दिल्ली और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में भी निर्धनों को विधिक सहायता का उपबन्ध करने के लिए राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक राज्यों ने विधिक सहायता का उपबन्ध करने के लिए विधान पारित किए हैं। अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बनाई गई विधिक सहायता स्कीम का केन्द्रीय समिति ने अनुमोदन कर दिया है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में विधिक सहायता के प्रभावी क्रियान्वयन को तेज करने के लिए केन्द्रीय समिति द्वारा कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय समिति के मार्गदर्शन के अधीन जम्मू-कश्मीर में विधिक सहायता देने के लिए एक स्वयंसेवी संगठन बनाया गया है। केरल राज्य में विधिक सहायता स्कीम को केन्द्रीय समिति के निदेशों के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में, वहां के कुछ प्रमुख वकीलों की प्रेरणा पर और केन्द्रीय समिति के अनुदेशों के अधीन भी राज्य विधिक सहायता बोर्ड को रजिस्टर किया गया है।

यद्यपि शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में विधिक सहायता दी जाती रही है तथापि केन्द्रीय समिति उन्हें आदर्श स्कीम का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए कदम उठा रही है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किए गए नियम और विनियम उपलब्ध नहीं हैं इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फिर भी राज्य विधिक सहायता बोर्डों द्वारा अनुसरित की जाने वाली आदर्श स्कीम की एक प्रति परिशीलन के लिए इसके साथ उपाबद्ध है। स्कीम के अनुसार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को इसके लागू किए जाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

विवरण

विधिक सहायता कार्यक्रम के लिए आदर्श स्कीम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39क में यह उपबंध है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि व्यवस्था के प्रवर्तन से समान अवसर के आधार पर न्याय प्रदान करने को बढ़ावा मिले और

राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उपबन्ध करेगा कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित नहीं रखा गया है;

राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम बनाने का निर्णय कर लिया है;

विधिक सेवा कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए तथा कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए—सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि—विधिक सहायता और सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए, जो राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रम की स्थापना करने, उसे लागू करने और उसके क्रियान्वयन का भारसाधक हो।

अतः सरकार इसके द्वारा विधिक सहायता और सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जो "···· विधिक सहायता और सलाहकार बोर्ड" कहलाएगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है)।

बोर्ड का गठन :

(1) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा :

1. विधि और न्याय मंत्री	सभापति
2. उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा।	उपसभापति
3. उच्च न्यायालय का आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, जो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष, विधिक सहायता क्रियान्वयन स्कीम समिति की सहमति से और आसीन न्यायाधीश की दशा में भी सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नामनिर्दिदिष्ट होगा	कार्यकारी अध्यक्ष
4. महाधिवक्ता	सदस्य
5. सरकार के विधि और न्याय विभाग के सचिव	सदस्य
6. एक संसद सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा	सदस्य
7. एक राज्य विधानमंडल का सदस्य, जो उसके अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा	सदस्य
8. ···राज्य विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष	सदस्य
9. उच्च न्यायालय की विधिज्ञ परिषद् का सभापति, पदेन और कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो अन्य प्रतिनिधि	सदस्य

10. एक महिला प्रतिनिधि, जो कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा	सदस्य
11. अनुसूचित जातियों का एक प्रतिनिधि, जो कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा	सदस्य
12. एक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि, जो कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा	सदस्य
13. औद्योगिक श्रमिकों का एक प्रतिनिधि, जो कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा	सदस्य
14. कृषि श्रमिकों का एक प्रतिनिधि, जो कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा	सदस्य
15. जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पंक्ति का एक न्यायिक अधिकारी या सरकार के विधि विभाग के उपसचिवों की श्रेणी से लिया गया एक अधिकारी, जो न्यायिक अधिकारी की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से सभापति द्वारा और सरकार के उपसचिव की दशा में राज्य सरकार के परामर्श से तथा दोनों मामलों में कार्यपालक अध्यक्ष के परामर्श से सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा	सदस्य-सचिव

2. जब कार्यकारी अध्यक्ष का पद किसी भी कारण से रिक्त रहता है तो, महाधिवक्ता, पदेन, बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष होगा ।

3. **बोर्ड के सदस्यों की पदावधि :**

(1) बोर्ड के पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होगी ।

(2) यदि खंड 2 के क्रम संख्यांक (10), (11), (12), (13), (14) और (15) में निर्दिष्ट कोई सदस्य, पर्याप्त कारण के बिना, बोर्ड की तीन क्रमवर्ती बैठकों में उपस्थित नहीं रहता है या वह उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है, जिसके लिए उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

(3) राज्य सरकार को किसी भी समय खंड 2 के क्रम संख्यांक (10), (11), (12), (13), (14) और (15) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि कम करने की शक्ति होगी यदि उसको इस बात का पता लगता है कि उक्त सदस्य बोर्ड के क्रियाकलापों में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहा है ।

(4) यदि कोई सदस्य किसी भी कारण से बोर्ड का सदस्य नहीं रहता है तो, रिक्ति ठीक उसी प्रकार भरी जाएगी जैसे कि मूल नियुक्ति की जाती है, और नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, पदावधि के दौरान सदस्य के रूप में कार्य करता रहेगा ।

4. बोर्ड की शक्तियां और कार्य :

(1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य में समाज के कमजोर वर्गों की निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए राज्य में विधिक सहायता कार्यक्रम स्थापित करने के बारे में कदम उठाए । राज्य बोर्ड निःशुल्क विधिक सेवा के, जिसके अन्तर्गत किसी न्यायालय या लोक प्राधिकारी के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में प्रदान की जाने वाली विधिक सहायता भी है, उपबन्धों की बाबत व्यवस्था करने का प्रयास करेगा । किन्तु ऐसा बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम या बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार ही किया जाएगा ।

(2) बोर्ड, राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रम के प्रशासन तथा उसके क्रियान्वयन का पूर्णतया भारसाधक होगा और वह विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्य करेगा, अर्थात् :

(क) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के अधिकार में दी गई रकम में से विभिन्न समितियों को निधियों का आवंटन करना;

(ख) विभिन्न समितियों के कार्य का नियंत्रण करना, उसे विनियमित करना और उसका पर्यवेक्षण करना;

(ग) विधिक सेवा कार्यक्रम के उचित प्रशासन तथा क्रियान्वयन के लिए और विभिन्न समितियों के कर्तव्यों तथा कृत्यों के उचित तथा पर्याप्त रूप से निर्वहन के लिए इन समितियों के लिए नीतियां निर्धारित करना और उन्हें साधारण तथा विशेष निदेश देना;

(घ) विभिन्न समितियों से समय-समय पर ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां तथा सूचना मांगना और प्राप्त करना, जो विधिक सेवा कार्यक्रम के प्रशासन तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक समझी जाएं;

(ङ) प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम सप्ताह तक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान विधिक सेवा कार्यक्रम के प्रशासन तथा कार्यकरण के सम्बन्ध में साधारण रिपोर्ट तैयार करना, समेकित करना और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(च) विधिक कार्यवाहियों में सुलह और समझौते को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देना;

(छ) समाज के कमजोर वर्गों में विधिक ज्ञान की अभिवृद्धि करना और समाज कल्याण विधायन तथा अन्य अधिनियमितियों द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों, फायदों तथा विशेषाधिकारों के बारे में उनमें जागरूकता पैदा करना;

(ज) ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को भूमि सम्बन्धी सुधारों तथा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनको उपलब्ध की गई सुविधाओं से अवगत कराना और जहां आवश्यक हो वहां विधिक सेवाएं देना;

(झ) महिलाओं, बन्धुआ मजदूरों, औद्योगिक कर्मकारों, कृषि श्रमिकों, अभिधारियों, कृषकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से सम्बन्धित महत्व-पूर्ण विधायन तथा सामाजिक और आर्थिक सुधारों से सम्बन्धित विधायन को प्रकाशित कराने का प्रबन्ध करना;

(ञ) साधारण जनता या उसके किसी वर्ग के कल्याण के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए आवश्यक विधिक अपेक्षाओं का पालन करने में समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को सहायता प्रदान करना;

(ट) ग्रामीण क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों में समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विधिक सहायता कैम्प आयोजित करना;

(ठ) विवादों के स्वैच्छया निपटारे करवाने के प्रयोजनों के लिए, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लोक न्यायालय संचालित करने का प्रबन्ध करना;

(ड) पेरा-विधिक (पेरा-लीगल) सेवाओं के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का काडर तैयार करना;

(ढ) विभिन्न समितियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विधिक सेवा केन्द्र स्थापित करने में सहायता करना;

(ण) समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय और विधि संकायों को प्रोत्साहित करना और उन्हें ऐसी परियोजनाएं चलाने में सहायता करना;

(त) सभी दृष्टिकोणों से विधिक सेवा कार्यक्रम को अग्रसर करने के लिए संगोष्ठी, सम्मेलन आयोजित करना और अभियान चलाना, जिसके अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम से संबद्ध सभी क्रियाकलापों के प्रति जनता में चेतना पैदा करना और उनमें भाग लेना भी है;

(थ) उस अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से, जिसके कारण गरीबों को कष्ट उठाना पड़ता है, गरीबों पर प्रभाव डालने वाली विधि के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रयोग तथा नव-स्थापना करना और उनमें अभिवृद्धि करना; और समाज के कमजोर वर्गों का हितसाधन करने की दृष्टि से विधि में आधार-भूत संस्थागत परिवर्तन और सुधार करना;

(द) न्यायालयों की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया में सुधारों की बाबत राज्य सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करना, जिससे मुकदमा लड़ने में होने वाले खर्च और विलंब को कम किया जा सके;

(ध) समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनके लिये समाज कल्याण सम्बन्धी विधायन को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को विधि में सुधार लाने वाले ऐसे उपायों का सुझाव देना और सिफारिश करना, जो आवश्यक प्रतीत हों, और प्रशासनिक निकायों या प्राधिकारियों का ध्यान उनकी शिकायतों की ओर आकर्षित करना और उससे उन्हें दूर करने का आग्रह करना;

(न) समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं और कठिनाइयों का पता लगाने की दृष्टि से उनके जीवन की परिस्थितियों के बारे में सामाजिक तथा विधिक सर्वेक्षण और अनुसंधान करना तथा यह अवधारित करना कि समाज संबंधी विधायन कहां तक और किस विस्तार तक उस उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा करने में समर्थ हुआ है, जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था, और इस प्रयोजन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग करना;

(प) बोर्ड और इसकी विभिन्न समितियों द्वारा प्रारम्भ किये गये विधिक सेवा कार्यक्रम के निर्धारण और मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ समितियां नियुक्त करना;

(फ) ऐसे अन्य क्रियाकलाप करना, जो विधिक सेवा कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिये आनुषंगिक तथा सहायक हैं; और

(ब) विधिक सेवा कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिये ऐसे अन्य कर्तव्य करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जिनके लिये राज्य सरकार निदेश दे ।

5. **कार्यपालिका समिति :**

(1) बोर्ड की एक कार्यपालिका समिति होगी जिसमें बोर्ड के सभापति उपसभापति और कार्यपालिका अध्यक्ष, महाधिवक्ता और राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष, बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधि, राज्य के लिये विधिक सहायता स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए समिति के (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय समिति कहा गया है) सहयोजित सदस्यों में से एक सदस्य तथा राज्य-सचिव होंगे । केन्द्रीय समिति का अध्यक्ष कार्यपालिका समिति का सदैव सदस्य होगा ।

(2) कार्यपालिका समिति को दो से अधिक सदस्य सहयोजित करने की शक्ति नहीं होगी ।

(3) कार्यपालिका समिति बोर्ड का कार्यपालक अंग होगी और वह ऐसे सभी निदेशों के, जो इस निमित्त समय-समय पर बोर्ड द्वारा दिए जाएं, अधीन रहते हुए बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और उसके सभी कृत्य करेगी ।

6. **समितियां :**

बोर्ड.....नगरों में और जिला तथा तालुक तहसील मुख्यालयों में विधिक सहायता समितियों का ऐसी स्कीम या स्कीमों के अनुसार गठन करेगी, जो उस निमित्त राज्य सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा बनाई जाएं ।

7. **सलाहकार परिषद्, आदि :**

(1) राज्य सरकार, राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रम की स्थापना, प्रशासन तथा उसके क्रियान्वयन के बारे में बोर्ड को सलाह और सहायता देने के प्रयोजन के लिए छह से अनधिक व्यक्तियों की एक सलाहकार परिषद् का गठन करेगी ।

(2) बोर्ड को अपनी कार्यवाहियों में हाजिर होने और उसमें भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने की शक्ति होगी ।

8. **कार्यपालक अध्यक्ष को मानदेय :**

कार्यपालक अध्यक्ष को उस दशा में जब वह उच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हैं,··· रु० से अनधिक रकम का, और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होने की दशा में,·····रु० से अनधिक रकम का, प्रतिमास नियत मानदेय दिया जाएगा :

परन्तु मानदेय की रकम यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन की रकम और पेंशन की रकम तथा उसको अनुज्ञेय मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन की रकम के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी ।

9. **मानदेय :**

(1) सदस्य-सचिव से भिन्न बोर्ड के सदस्य कोई भी पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे ।

(2) बोर्ड के ऐसे सदस्य को, जो संसद् और राज्य विधान मंडल के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, उसी प्रकार यात्रा तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा जो, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान मंडल के सदस्यों की हैसियत में उनको अनुज्ञेय हैं ।

(3) पदेन सदस्य उनको लागू होने वाले नियमों के अनुसार, यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । अन्य सदस्यों को सामान्य नियमों के अनुसार राज्य सरकार के श्रेणी-I अधिकारियों के समान अनुज्ञेय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

10. **सदस्य-सचिव :**

(1) बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव होगा, जो या तो जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की श्रेणी का न्यायिक अधिकारी होगा अथवा सरकार के उपसचिवों के काडर से लिया गया अधिकारी होगा । वह बोर्ड की सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा निधियों के प्रबंध के लिए और बोर्ड का सही तथा उचित लेखा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा । वह लेखे की नियत समय पर परीक्षा कराएगा तथा उसे चैक कराएगा ।

(2) सदस्य-सचिव ऐसे अन्य कर्त्तव्यों तथा कार्यों का निर्वहन करेगा, जो बोर्ड तथा कार्यपालिका समिति समय-समय पर उसे सौंपे ।

11. बोर्ड के कर्मचारी :

बोर्ड के लिए स्वीकृत किए गए कर्मचारी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर होंगे और प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान वे कार्यपालक समिति के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे ।

12. बोर्ड की निधियां :

(1) राज्य सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् रूप से किए गए विनियोग के अधीन, समय-समय पर बोर्ड अधिकार में विधिक सहायता कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक रकम देगी ।

(2) बोर्ड अपने विधिक सहायता कार्यक्रम के लिए संदान और अनुदान प्राप्त करने और स्वीकार करने का भी हकदार होगा ।

(3) वे खर्च, प्रभार और व्यय, जो विधिक रूप से सहायता दिए गए मुकदमों के परिणाम-स्वरूप वसूल किए गए हैं, और बोर्ड द्वारा प्राप्त अन्य रकमें, राज्य सरकार के खाते में जाम कर दी जाएगी ।

(4) बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा इसके अधिकार में दी गई रकम में से विभिन्न समितियों का, ऐसी रीति में तथा ऐसी सीमा तक जो वह उचित समझे, आवश्यकतानुसार वित्तपोषण करेगा ।

(5) बोर्ड ऐसी सभी रकमों की, जो राज्य सरकार द्वारा इसके अधिकार में दी जाएं, प्राप्तियों तथा वितरणों का सही और उचित लेखा रखेगा । बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा ऐसी रीति में की जाएगी, जो राज्य सरकार अवधारित करे ।

13. निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्रता :

(1) ऐसा प्रत्येक नागरिक, जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5,000 रु० से अधिक नहीं है, निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र होगा ।

(2) आय की बाबत यह सीमा विवादों के ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी, जहां एक पक्ष-कार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति और खानाबदोश जाति से संबंधित है अथवा महिला या बालक है ।

(3) बोर्ड और इसके द्वारा गठित समिति स्वप्रेरणा से या दूसरे पक्षकार द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर उस दशा में सहायता किए गए व्यक्ति को दी गई निःशुल्क विधिक सेवाएं वापस ले सकते हैं जब यह पाया जाए कि ऐसे व्यक्ति के पास उक्त विधिक सेवा का खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन है ।

(4) इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड कार्यवाहियां निम्नलिखित दशा में स्वयं प्रारम्भ कर सकता है या विधिक सहायता प्रदान कर सकता है :

(क) बहुत ही सार्वजनिक महत्व के मामलों में, या

(ख) किसी ऐसे चयनित मामले में, जिसके बारे में विनिश्चय से समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित अनेक अन्य व्यक्तियों के मामलों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; या

(ग) किसी ऐसे विशेष मामले में, जो लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से विधिक सहायता के लिए अन्यथा उपयुक्त पाया जाए ।

14. **बोर्ड का मुख्यालय :**

बोर्ड तथा कार्यपालिका समिति का कार्यालय.....में स्थित होगा और राज्य सरकार, बोर्ड तथा कार्यपालिका समिति के कृत्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त कार्यालय-जगह और पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी ।

15. **बहुमत से विनिश्चय :**

बोर्ड की किसी भी बैठक में पूछे गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, किन्तु मतों के बराबर होने की स्थिति में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।

16. **विद्यमान स्कीमों का जारी रहना :**

पिछड़े वर्गों, संघ के सशस्त्र बलों (सेना) के सदस्यों तथा निम्न आय वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए विद्यमान विधिक सहायता स्कीमें, जो अब प्रवृत्त हैं और उनके अधिक हित में हैं, जारी रहेंगी ।

17. **स्कीम तथा नियम और विनियम बनाने की शक्ति :**

(1) बोर्ड इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर ऐसी आवश्यक स्कीमें बनाए, जिनमें विधिक सहायता समितियों के गठन से संबंधित उपबन्ध हों, और वे शर्तें विहित की गई हों जिनके अधीन ऐसी समितियां कार्य करेंगी । उन स्कीमों में विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया तथा ढंग और उन्हें दिया जाने वाला पारिश्रमिक अधिकथित होगा । इसके अतिरिक्त उनमें ऐसी सभी अन्य बातों के लिए उपबन्ध होंगे जो सरकार के इस संकल्प के अधीन प्रभावी रूप से बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) बोर्ड इस बात के लिए भी सक्षम होगा कि वह राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रम की स्थापना करने और उसके प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए तथा इसकी अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम तथा विनियम बना सके ।

(3) राज्य सरकार इस खंड के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम, बनाए गए किसी नियम या विनियम या उसके किसी संशोधन को, ऐसे परिवर्तन के बिना या अधीन रहते हुए जो उनमें वह करना उचित समझे, अनुमोदित कर सकती है अथवा बोर्ड को ऐसी किसी स्कीम, ऐसे नियम या विनियम या उसके किसी संशोधन में ऐसी रीति में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, परिवर्तन करने के लिए वापस कर सकती है ।

(4) यदि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए निम्न-लिखित आवश्यक या वांछनीय है—

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में कोई स्कीम बनाना या उस खंड के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम में संशोधन करना; या

(ख) खंड (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में कोई नियम या विनियम बनाना;

तो राज्य सरकार बोर्ड से ऐसी स्कीम, नियम या विनियम या संशोधन ऐसे समय के भीतर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, बनाने या करने की अपेक्षा कर सकती है। यदि बोर्ड विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी स्कीम, नियम या विनियम बनाने या संशोधन करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार स्वयं ऐसी स्कीम, नियम या विनियम बना सकती है या संशोधन कर सकती है और इस प्रकार बनाई गई स्कीम, नियम या विनियम या किया गया संशोधन, यथास्थिति, खंड (1) या खंड (2) के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई या किया गया समझा जाएगा।

टेलीफोन संचार के लिए उपग्रह दूरसंचार सुविधाएं

4427. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रंक-काल प्रणाली के फेल हो जाने या उसमें देरी होने की स्थिति में देश के भीतर लोगों को टेलीफोन संचार के लिए उपग्रह दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) देश में उपग्रह दूर संचार सुविधाएं, लम्बी दूरी के और उन दुर्गम स्थानों के लिए हैं, जहां संचार के साधन आसानी से प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।

(ख) 28 भू-केन्द्र और एक रोड ट्रांसपोर्टेबल टर्मिनल फिलहाल काम कर रहे हैं। दो एअर ट्रांसपोर्टेबल टर्मिनलों को 1984 के मध्य तक काम में लाए जाने की संभावना है।

टी वी० कम्पनियों द्वारा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार करने की शिकायतें

4428. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार निगम को कुछ उपभोक्ताओं या उनके संगठनों से टी० वी० उद्योग में अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार निगम ने उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की है तथा यह मामला अन्तिम रूप से कब तक निपटा दिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने दिनांक 5-12-83 को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (i) के अन्तर्गत 29 उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता शिक्षा के हित के लिए स्वैच्छिक संगठन के लिए तथा उसकी ओर से प्रस्तुत शिकायत पत्र प्राप्त किया । शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि टेलीविजन विनिर्माता तथा विक्रेता बिक्री के बाद मरम्मत की सेवा के साथ टेलीविजन की बिक्री को बांधने की प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त हैं । आगे यह आरोप लगाया गया है कि टेलीविजन विनिर्माताओं ने सरकार को दिए गये इस आश्वासन का भी उल्लंघन किया है कि उनके द्वारा बिक्री हेतु रंगीन टी० वी० सैट (टरट ट्यूनर) का फुटकर मूल्य 7,500 रु० और (इलैक्ट्रोनिक ट्यूनर) 8,000 रु०, जिसमें गारंटी/वारंटी और दिल्ली में बिक्री-कर को मिलाकर, बाजार में अधिक नहीं होगा। यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ टेलीविजन विनिर्माता मरम्मत शुल्क तथा सेवा शुल्क के लिए भी राशि ले रहे हैं या काफी अधिक राशि "बढ़ाई गई सेवा" के लिए ले रहे हैं ।

(ख) इस मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग प्रारंभिक जांच का आदेश दे रहा है।

शेयरधारियों को लाभांश न देने वाली कम्पनियां

4429. **श्री के० प्रधानी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित क्षेत्र के वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत निगमित स्वामित्व और प्रबंधकों के बीच का अन्तराल धीरे-धीरे बढ़ रहा है;

(ख) क्या अधिकांश बड़ी कम्पनियों में नियंत्रण का काम थोड़े से अल्पसंख्यक मालिकों के हाथों में चला गया है और इस पर भी वे ऐसी सभी कम्पनियों में सर्वेसर्वा बने हुए हैं तथा वे संसाधनों का उपयोग अधिकांशतः अपने और अपने कुछ खास चहेतों के लाभ के लिए कर रहे हैं;

(ग) क्या भारत के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध 40 प्रतिशत कम्पनियां शेयरधारियों को इस समय कोई लाभांश नहीं दे रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति को ठीक करने और अल्पसंख्यक प्रबन्धकों को शेयरधारियों के धन का दुरुपयोग करने से रोकने तथा निदेशक मंडलों को मात्र हस्ताक्षर करने वाले एक रबड़ स्टेम्प निकाय बनाये रखने की बजाय उन्हें स्वतन्त्र, सक्रिय और व्यावसायिक निकाय बनाने के लिए सरकार का विचार क्या सुधार करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) निगमित स्वामित्व और प्रबन्ध के मध्य के अन्तराल के बढ़ने के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना, सम्पूर्ण कार्यरत गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों जिनकी अधिक से अधिक संख्या 12,000 है, की शेयरधारिता के ढांचे के विस्तृत विश्लेषण का आह्वान करती है। इसमें इन कम्पनियों की वार्षिक विवरणी की परीक्षा की आवश्यकता होगी, जिसमें अत्यधिक समय लगेगा क्योंकि यह जहां कम्पनी पंजीकृत है वहां के कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाती है। तथापि, किसी एक कम्पनी के सम्बन्ध जिसकी आवश्यकता हो, सूचना एकत्र तथा प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) बम्बई और कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियों का गहन अध्ययन, जिन्होंने जुलाई, 82 से जून, 83 तक लाभांश घोषित किया था, उनसे यह बात प्रगट हुई कि उनमें 29 प्रतिशत तीव्र गतिशील लाभांश था।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 में शेयरधारियों के हितों की रक्षा जिनमें जांच, निरीक्षण और विशेष लेखा परीक्षा के लिए आदेश, अधिकारों के दुरुपयोग कुप्रबन्ध, धोखा, विश्वास भंग तथा साथ-साथ स्थिति न्यायोचित है तो सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के प्रावधान हैं। अधिनियम में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की व्यवसायिक योग्यताओं तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धकीय नियुक्ति और पारिश्रमिक को नियमित किये जाने के उपबन्ध भी हैं।

डाक-तार विभाग में डाक लेखा सहायकों की पदोन्नति

4430. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठे और सातवें दशक में डाक-तार विभाग में लेखा कार्य के लिए कुछ डाक कर्मचारियों को लाया गया था तथा उन्हें सचिवालय सेवा में नहीं लिया गया बल्कि गैर-संवर्ग श्रेणी में रखा गया और उन्हें पदोन्नति का भी कोई अवसर नहीं दिया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि तृतीय वेतन आयोग ने इन कर्मचारियों को पदोन्नति का एक अवसर देकर डाक लेखा सहायक बना दिया था और उनका स्तर भी सचिवालय कर्मचारियों के बराबर कर दिया था, परन्तु फिर भी उनके लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें अनुभाग अधिकारी (गैर-संवर्ग) के पद पर पदोन्नत करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) हवाई डाक और स्थल डाक से संबंधित लेखा कार्य का, जो पहले विभिन्न डाक सर्किलों में किया जाता था, डाक-तार निदेशालय के केन्द्रीकरण होने के परिणामस्वरूप निचले स्तर के कर्मचारियों को स्थानांतरण पर निदेशालय में नियुक्त किया गया था। उन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी० एस० एस०) संवर्ग में शामिल नहीं किया गया क्योंकि सी० एस० एस० नियम इसकी अनुमति नहीं देते। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि :

(एक) डाक लेखा कर्मचारियों के दो वेतनमान होंगे, अर्थात 330-560 रु० और 425-800 रु० । निम्न वेतनमान के पदों को डाक लेखा लिपिक और उच्च ग्रेड के पदों को डाक लेखा सहायक का पदनाम दिया गया ।

(दो) भविष्य में रिक्त पदों को भरने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी डाक तार निदेशालय में नियुक्त नहीं किए जाएंगे ।

(तीन) मौजूदा कर्मचारियों को सी० एस० एस० संवर्गों में शामिल नहीं किया जायेगा । डाक लेखा लिपिकों और डाक लेखा सहायकों के संवर्गों को डाइंग कैडर घोषित किया जाएगा । भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों को इन पदों को सी० एस० एस० संवर्ग में शामिल करके सी० एस० एस० कर्मचारियों द्वारा भरा जायेगा ।

(चार) मौजूदा डाक लेखा लिपिकों तथा डाक लेखा सहायकों को उचित पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में उच्च पद सृजित किये जाएंगे ।

डाक लेखा सहायकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए डी० ए० ए० अनुभाग के कनिष्ठ लेखा अधिकारी के 1 पद को प्रयोगिक आधार पर 1980 में 550-900 रु० के वेतनमान में कनिष्ठ डाक लेखा अधिकारी के पद में बदल दिया गया था । अभी हाल ही में डाक-लेखा सहायक के एक पद का दर्जा बढ़ाकर कनिष्ठ डाक लेखा अधिकारी का एक पद बना दिया गया है ।

(ग) और (घ) इन पदों पर कार्य कर रहे मौजूदा कर्मचारियों को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति नहीं किया जा सकता क्योंकि सी० एस० एस० नियम इसकी अनुमति नहीं देते ।

उप-डाक कार्यालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें मुख्य डाक-कार्यालय बनाना

4431. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने उप-डाक कार्यालयों का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाक कार्यालय बनाने तथा वर्तमान डाक संभागों को अलग करके नये डाक संभाग बनाने हेतु कार्यभार की गणना करने के लिये मुख्य डाक कार्यालय से जुड़े प्रत्येक सात शाखा कार्यालयों के एक उप-डाक कार्यालय को औशत मानने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस तारीख से लागू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा और उसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) उप डाकघरों का दर्जा प्रधान डाकघरों में बढ़ाते समय उन 7 शाखा डाकघरों को उप-डाकघर के बतौर माना जाता है जिनका लेखा सीधे प्रधान डाकघर से हो ।

(ख) 12-8-1983.

(ग) मौजूदा डाक मंडल के द्विशाखन के संबंध में, वित्त मंत्रालय की स्टाफ जांच यूनिट (एस० आई० यू०) के परामर्श से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्यभार का परिकलन करने के लिये प्रत्येक शाखा डाकघर को निर्धारित गुणांक दिया जाता है। इन मानदण्डों में 7 शाखा डाकघरों को एक उप डाकघर के बराबर समझने का कोई प्रावधान नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में कोयला खान परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4432. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई 14 कोयला खनद परियोजनाओं को अब तक कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन 14 कोयला खनन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना की स्वीकृत लागत, अनुमानित उत्पादन क्षमता और इनके लगाए जाने के स्थानों सहित अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित न करने के कारणों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की 14 योजनाओं में निर्माण कार्य वास्तव में शुरू हुआ था लेकिन वह रोक दिया गया था। इनमें से 12 योजनाओं का कार्य रोजगार की मांग करने वाले स्थानीय लोगों द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण रोक दिया गया। इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए कोल इंडिया लि० ने यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाया था और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में जो बेशी कामगार हैं उनके अलावा इस कम्पनी की परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक स्वीकृत आधार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ तय किया गया था। इन परियोजनाओं में से कुछ पर अब कार्य आरम्भ हो चुका है। इस परियोजना के मामले में कार्य-स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया था और चालू वर्ष के दौरान मंजूर एक अन्य परियोजना में कार्य वार्षिक योजना 1984-85 के अनुमोदन के बाद शुरू किया जाएगा।

इन चौदह परियोजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं :

क्रम सं०	नाम/स्थिति	मंजूर लागत (रु० करोड़ में)	क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)
1	2	3	4
1.	बनसरा ओपेनकास्ट	2.75	0.20
2.	नकराकोन्दा विस्तार	3.78	0.21

1	2	3	4
3.	नार्थ सियरसोल		
	3 और 4, 5 और 6, 7 और 8 इन्क्लाइंस	9.92	1.16
4.	निन्था नं० 5 इन्क्लाइन	15.25	1.60
5.	भानोरा	0.96	0.36
6.	बन्सरा पूर्णडीप इन्क्लाइन	0.73	0.15
7.	ईस्ट चुरुलिया इन्क्लाइन	0.58	0.10
8.	दबोर "सी" सीम इन्क्लाइन	0.44	0.06
9.	एडज्वाय-II	0.94	0.23
10.	चुरुलिया सीम का फिर से शुरू होना	0.27	—
11.	गौरनडीह नं० 8 इन्क्लाइन	0.18	0.09
12.	दबोर स्पेशल सीम इन्क्लाइन	0.67	0.12
13.	पलेरबंद ओपेनकास्ट	1.95	0.24
14.	सीतलधीमो ओपेनकास्ट	9.66	0.40

आधुनिक पुश बटन टेलीफोनों यंत्रों का उत्पादन

4433. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर के अनुसंधान और विकास विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा देश में अन्य स्रोतों द्वारा भी आधुनिक टेलीफोन यंत्रों के उत्पादन में क्या योगदान दिया जा सकता है;

(ख) वर्ष 1983 से 1990 के दौरान आधुनिक पुश बटन टेलीफोन यन्त्रों की आवश्यकता पूरी करने तथा पुराने और अप्रचलित यन्त्रों को बदलने के लिए सरकार की योजनाएं और निर्णय क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकारी निर्णयों के प्रति उत्तर में 1983-84 के पहले छः महीनों की प्रगति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर का अनुसंधान और विकास एकक टेलीफोन उपकरण की सुधारी गई किस्म विकसित कर रहा है, ताकि इसे विश्वसनीय बनाया जा सके। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में तैयार हो रहे टेलीफोन 667 किस्म के हैं जो बिल्कुल आधुनिक किस्म के हैं। इनका विकास डाकतार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने मिलकर किया है।

टेलीफोन उपकरणों को बनाने के लिए आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया अपनाने और इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के बंगलौर और नैनी एकक की टेलीफोन बनाने की क्षमता, विदेशी सहयोग लेकर बढ़ाई जा रही है जो अब प्रतिवर्ष 5 लाख टेलीफोन तैयार करने की होगी। इस प्रकार बनाए गए टेलीफोन कुछ तो घूमने वाले डायल के होंगे और कुछ पुश बटन वाले डायलों के होंगे। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने हाल ही में एक कार्यकारी दल गठित किया है जो राज्य इलेक्ट्रानिकी निगमों में, इलेक्ट्रानिक टेलीफोनों और उनसे सम्बन्धित विशेष घटकों के बनाने के लिए समन्वित आधार पर प्रौद्योगिकी की खरीद पर विचार करेगा।

तिरुपति में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

4434. **श्री पसाला पेंचालैया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तिरुपति में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और इसे कब स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश में तिरुपति में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है। रिले केन्द्र के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है और ट्रांसमीटर तथा अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है। तिरुपति दूरदर्शन रिले केन्द्र के 1984 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

बिहार शरीफ में नए टेलीफोन कनेक्शन

4435. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में नालंदा जिले के बिहार शरीफ में 120 नए टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए नया बोर्ड स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को इस नए बोर्ड से टेलीफोन कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं तथा ये कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड वास्तविक रूप से संस्थापित कर दिया गया है लेकिन नए कनेक्शन देने के लिए चालू करने से पहले इसका परीक्षण करना पड़ेगा और कैबिल बिछाने आदि जैसे विविध कार्य सभी पूरे किए जाने हैं । साज-सामग्री उपलब्ध हो जाने पर बाकी टेलीफोन कनेक्शन 31 मार्च, 1984 तक दे दिए जाएंगे ।

नए या स्थानान्तरित गैस कनेक्शनों के लिए राशन कार्ड दिखाया जाना

4436. **श्री हीरालाल आर० परमार : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गैस वितरक नए या स्थानान्तरित गैस कनेक्शन जारी करने के लिए अभी भी उपभोक्ताओं से राशन-कार्ड दिखाने पर जोर देते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो नए या स्थानान्तरित गैस कनेक्शनों के लिए आवास के प्रमाण-पत्र के रूप में विकल्प के तौर पर कौन से पत्र को दिखाया जा सकता है ।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, नहीं । एल० पी० जी० कनेक्शन प्राप्त करते समय, राशन कार्ड के न होने की स्थिति में, उपभोक्ता, किराये की रसीद, अपने मालिक का कोई प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, स्वामित्व सम्बन्धी करार अथवा गृह कर की रसीद आदि द्वारा अपने रिहायशी पते के किसी अन्य प्रमाण को भी प्रस्तुत कर सकता है ।

गुजरात वाणिज्य मण्डल और अन्य वाणिज्य मंडलों द्वारा कुछ समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया जाना

4437. **श्री छीतू भाई गामित : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात वाणिज्य मंडल तथा अन्य वाणिज्य मंडलों से कुछ समस्याओं के बारे में कोई ज्ञापन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या इस बारे में कुछ वाणिज्य मंडलों से बातचीत की गई है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्त ज्ञापनों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(एक) गुजरात वाणिज्य और उद्योग मंडल से सौराष्ट्र में तूफानग्रस्त क्षेत्रों की दूरसंचार सेवाओं को पुनः चालू करने और ट्रंक व टेलेक्स सेवाओं को सुधारने के बारे में।

(दो) पोरबन्दर वाणिज्य और उद्योग मंडल से सौराष्ट्र की दूरसंचार सेवाओं को पुनः चालू करने तथा टेलीफोन/टेलेक्स प्रणालियों के किराया प्रभारों में छूट प्रदान करने के बारे में।

सभी ज्ञापनों/प्रतिवेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई और सभी मामलों में तुरन्त कार्रवाई की गई।

(ग) जी हां। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक दूरसंचार ने गुजरात वाणिज्य और उद्योग मंडल अहमदाबाद के साथ 20-8-83 को चर्चा की। गुजरात में दूरसंचार सेवाओं को सुधारने के लिए वाणिज्य मंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरन्त कार्रवाई की गई।

नियोक्ताओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का शोषण

4438. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश नियोक्ता, प्रशिक्षणार्थी अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए नियुक्त किए गए प्रशिक्षणार्थियों से नियमित कर्मचारियों की तुलना में अधिक काम कराकर तथा समयोपरि कार्य के लिये समयोपरि भत्ता न देकर उनका शोषण करते हैं;

(ख) क्या उन्हें प्रति माह दिया जाने वाला 300 रुपये का वजीफा उनके द्वारा किए जाने वाले भारी काम के समकक्ष नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह ध्यान में रखते हुए कि विशेषकर शहरी क्षेत्रों में एक अकुशल श्रमिक भी 20 रुपए प्रतिदिन मजदूरी लेता है, कम से कम कुशल प्रशिक्षणार्थियों के दैनिक भत्ते की दर 10 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 20 रुपये प्रतिदिन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) शिक्षुता नियमों में साप्ताहिक कार्य-घंटे निर्धारित किए गए हैं और इसलिए कोई नियोजक किसी शिक्षु को उस समय के बाद कार्य करने के लिए नहीं कह सकता। इसके अलावा, शिक्षुता सलाहकार की स्वीकृति के बिना, जो स्वीकृति केवल तभी देता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा कार्य शिक्षु के प्रशिक्षण के हित में है, ये नियम किसी नियोजक को 10.00 बजे सायं और 6.00 बजे प्रातः के बीच प्रशिक्षण के लिए शिशु को नियोजित करने से वर्जित करते हैं। अतः समयोपरि की अदायगी करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ) शिक्षु वह है जो प्रशिक्षण की अवधि के दौरान व्यवसाय सीखता है और इसलिए उसे कर्मकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अतः शिक्षु को दिए जाने वाला वजीफा मजदूरी नहीं है और उसे उसके द्वारा शिक्षु के रूप में किए गए कार्य अथवा नियमित कर्मकार को दी जाने वाली मजदूरी से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। वजीफे की दर में समय-समय पर संशोधन किया जाता है और यह पिछली बार केवल 25-1-1982 को बढ़ायी गयी थी।

तमिलनाडु में दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4439. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों में प्रारम्भिक नियुक्ति, पदोन्नति और स्थायीकरण के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान वाले सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) यदि इन आदेशों का पालन होता है तो इस बारे में संवर्ग-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण उपलब्ध करने के लिए अनुदेश स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही लागू है। संविधान प्रख्यापित होने के बाद, आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए भी उपलब्ध कर दिया गया था। इन आदेशों का कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और उपयुक्त अनुदेश और स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं। ब्यौरा सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी ब्राउचर नामक प्रकाशित पुस्तक में उपलब्ध है।

उसमें निर्धारित इन आदेशों और प्रक्रियाओं का तमिलनाडु क्षेत्र के आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों तथा दूरदर्शन केन्द्र मद्रास द्वारा विधिवत् अनुपालन किया जाता है।

इस प्रकार के आदेशों के अनुसार शुरू से अब तक की गई नियुक्तियों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, तमिलनाडु क्षेत्र के आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों में 1983 से पूर्व गत 6 वर्षों के दौरान की गई पदोन्नतियों सहित नियुक्तियों के बारे में सूचना, जिसमें की गई कुल नियुक्तियां तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई नियुक्तियां दर्शाई गई हैं इस प्रकार है :

	समूह "ग"	समह "घ"	स्टाफ आर्टिस्ट
1. की गई कुल भर्ती/ पदोन्नतियां	238	107	42
2. अनुसूचित जाति	51	44	6
3. अनुसूचित जनजाति	19	4	1

दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास के बारे में इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जाएगी और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

तालाबन्दियों से प्रभावित श्रमिक

4440. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि पिछले कुछ सालों में हड़तालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई है वहां हड़तालों से प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष में ऐसी हड़तालों से प्रभावित हुए श्रमिकों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है और इस दौरान कितने श्रम दिवसों की हानि हुई;

(ग) क्या नियोक्ताओं द्वारा तालाबन्दी की घोषणा करके या श्रमिकों को सही देय राशि का भुगतान न करके उन्हें हड़ताल करने के लिए मजबूर करके या उन्हें किसी मामले में लपेट कर उन्हें छोटी-छोटी बातों पर नौकरी से निकाल देने के बारे में उनके मंत्रालय ने कोई विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्धों को बेहतर बनाने और अंधाधुंध तालाबन्दियों, छंटनी या श्रमिकों को जबरन हड़ताल पर भेजने की घटनाओं को रोकने के लिए वे भविष्य में क्या उपाय करने का सुझाव देंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं । हड़तालों द्वारा प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या 1980 में 16.6 लाख से घटकर 1981 में 12.6 तथा 1982 में 12.1 लाख हो गई । वर्ष 1983 (सितम्बर तक) की संख्या 8.7 लाख (अनन्तिम) हैं ।

(ख) 1983 (जनवरी-सितम्बर) के दौरान हड़तालों द्वारा प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या तथा नष्ट हुए श्रम दिनों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) तथा (घ) औद्योगिक विवादों का कारणवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि तालाबन्दियां तथा हड़तालें सामान्यतः मजदूरियों तथा कार्मिकों तथा छंटनी, अनुशासनहीनता तथा हिंसा आदि पर हुए विवादों के कारण हुई हैं ।

(ङ) नियोजकों कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध विकसित करने के विचार से, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सौ या इससे अधिक कर्मकार नियोजित करने वाले औद्योगिक उपक्रमों की द्विपक्षी कार्य समितियों में श्रमिकों के चुने हुए प्रतिनिधियों को सहभागी बनाने की व्यवस्था की गई है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के वर्तमान उपबन्धों के अधीन, जबरी-छुट्टी तथा छंटनी के लिए उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के कार्यक्षेत्र को बढ़ा कर इसे सौ या इससे अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने से छंटनी तथा जबरी-छुट्टी में और कमी हो जाएगी।

विवरण

1983 (सितम्बर) के दौरान हड़तालों के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों तथा नष्ट हुए श्रम दिनों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अंतर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या (000 में (अ)	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (000 में (अ)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	88	255
असम	3	1
बिहार	95	348
गुजरात	13	157
हरियाणा	4	175
हिमाचल प्रदेश	...	...
जम्मू और कश्मीर	*	*
कर्नाटक	17	245
केरल	13	543
मध्य प्रदेश	80	436
महाराष्ट्र	216	13223
मणिपुर	*	3
मेघालय	...	...
नागालैंड	...	...

(अ) अनंतिम

(...) उपलब्ध नहीं

(*) 500 से कम

1	2	3
उड़ीसा	10	24
पंजाब	8	83
राजस्थान	13	327
सिक्किम	...	...
तमिलनाडु	49	884
त्रिपुरा	...	...
उत्तर प्रदेश	34	283
पश्चिम बंगाल	217	778
अंडेमान और निकोबार	1	2
अरुणाचल प्रदेश	—	—
चण्डीगढ़	1	1
दादर और नगर हवेली	...	...
दिल्ली	4	198
गोआ, दमन और दीव	*	17
लक्षद्वीप	...	...
मिजोरम	...	...
पांडिचेरी	2	3
कुल	871	17985

(—) शून्य

(...) उपलब्ध नहीं

(*) 500 से कम

नोट : आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ अनिवार्यतः मेल नहीं खाता है।

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्य योजना 1983-93

4441. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के गांवों में बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक कार्ययोजना (1983-93) जारी की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ग के लोगों द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) "ग्रामीण भारत में बेरोजगारी को दूर करने सम्बन्धी एक प्रकाशन शीर्षक एक कार्य योजना : 1983-1993" को "दो सम्मेलनों, एक साबरमती में और अन्य माऊंट आबु में वाद-विवाद में तैयार करके", सर्वश्री वादीलाल लालुभाई मेहता, आर० टी० पोपावाला, त्रिलोक सिंह और 10 अन्यों द्वारा प्रकाशित किया गया है । लेखकों के अनुसार यह कार्य योजना "भारत के सभी नागरिकों को सम्बोधित करती है, लेकिन विशेषकर उन नागरिकों को जिनके पास कौशल और साधन हैं या जो एक अहिंसात्मक, आत्मनिर्भर, लेकिन प्रभाव-शाली ढंग से स्वैच्छिक कार्य को संगठित कर सकते हैं ।

कार्य योजना राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सभी प्रकार के कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित नहीं करती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भवताओं और उनकी सफलता के लिए अपेक्षित संसाधनों पर ध्यान केन्द्रित करती है । छानबीन सम्बन्धी सम्भवताएं कुछ चुने हुए आर्थिक कार्यकलाप सम्बन्धी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, नामत: पशु-पालन और डेरी विकास, अम्बर चरखे पर कताई और अन्य ग्रामीण उद्योगों, कृषि-विशेषकर ड्राई फार्मिंग, इत्यादि ।

कार्य योजना में संबंधित वे क्षेत्र हैं जिन पर पहले से ही छठी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया है और जो पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन हैं ।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाया जाना

4442. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने के बारे में केन्द्र सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) थाल परियोजना, जो कि पहले ही निर्माणाधीन है, को छोड़कर केन्द्रीय सरकार की महाराष्ट्र में गैस पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की इस समय कोई योजना नहीं है । तथापि, यदि इस समय अनुमानित गैस से अधिक गैस बम्बई हाई से उपलब्ध हो तो विदर्भ क्षेत्र में एक संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक की मांग को ध्यान में रखा जाएगा ।

दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दिखाया जाना

4443. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से कौन-कौन से राज्यों के कौन-कौन से लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए गए थे तथा इन कार्यक्रमों की संख्या तथा अवधि कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या दूरदराज के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों की जिनमें हिमाचल प्रदेश भी एक है, जिनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक नृत्यों, गीतों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारण के मामले में पूरी तरह उपेक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अन्य राज्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों की संख्या के अनुपात में इन राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश के भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दिखाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

(ख) जी, नहीं । गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के 110 मिनट की अवधि के 5 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं ।

(ग) राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी बनाई गई है कि इसमें सभी राज्यों के कार्यक्रम शामिल हों । हमारा यह सतत प्रयास रहता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम की समय अवधि के अन्दर सभी राज्यों के प्रतिनिधि कार्यक्रमों को शामिल किया जाए ।

मध्य प्रदेश में उज्जैन के दूरसंचार केन्द्र का विस्तार

4444. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में उज्जैन के दूरसंचार केन्द्र के विस्तार के लिए आवश्यक सभी उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है और यदि नहीं, तो ये कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे;

(ख) यह विस्तार कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इसके परिणामस्वरूप इस केन्द्र की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी; और

(ग) 1983-84 में उक्त क्षमता में कितनी वृद्धि करने की योजना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) उज्जैन टेलीफोन एक्सचेंज (2400-3000) के विस्तार के लिए अपेक्षित उपकरण में से कुछ प्राप्त हो गया है तथा शेष सामग्री जनवरी, 1984 तक प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) विस्तार कार्य मार्च, 1984 तक पूरा होने की सम्भावना है तथा इससे एक्सचेंज की क्षमता 2400 से बढ़कर 3000 लाइनें हो जाएंगी ।

(ग) 1983-84 के दौरान क्षमता में 600 लाइनों का विस्तार करने की योजना है।

टी० वी० सेट रखने वालों द्वारा 1984 के लिए
टी० वी० लाइसेंस शुल्क का भुगतान

4445. **श्री एस० टी० के० जक्कायन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी टी० वी० सेट रखने वाले को अपना सेट बेकार हो जाने या उसके खराब हो जाने या मरम्मत लायक न रहने के कारण प्रयोग में न लाने पर भी 1984 के लिए टी० वी० लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसा किन आदेशों के अन्तर्गत करना होगा;

(ग) जिनके टी० वी० सेट खराब हो जाने या मरम्मत लायक न रहने पर प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं उन्हें मंत्री महोदय का विचार क्या राहत देने का है; और

(घ) क्या इस बारे में कोई प्रक्रिया विधि निर्धारित की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) ऐसे टेलीविजन जो बिल्कुल खराब हैं और इस्तेमाल योग्य नहीं हैं, उनके लाइसेंस का नवीकरण कराने की जरूरत नहीं होती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारतीय वायरलैस टेलीग्राफी (स्वामित्व) नियम 1965 के नियम 20 के तहत उस वायरलैस सैट (टेलीविजन सैट सहित) के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए लाइसेंस प्राधिकारी या इस उद्देश्य से उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने यह प्रमाणित किया हो कि उक्त सैट बिल्कुल खराब है और इस्तेमाल योग्य नहीं है। ऐसे टेलीविजन सैटों के लाइसेंस, उसके धारक के आवेदन करने पर जिस डाकघर का वह लाइसेंस है, उसके द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

आकाशवाणी के प्रोड्यूसरों, उप मुख्य प्रोड्यूसरों तथा मुख्य
प्रोड्यूसरों की पदोन्नति

4446. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में काम कर रहे प्रोड्यूसरों, उप-मुख्य प्रोड्यूसरों तथा मुख्य प्रोड्यूसरों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनों ने आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं;

(ग) जब 1 अक्तूबर, 1964 को आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों के लिए शुल्क-मान लागू किया गया था, उस समय ये मुख्य प्रोड्यूसर और उप-मुख्य प्रोड्यूसर किस ग्रेड में रखे गए थे;

(घ) क्या यह सच है कि इन विशेषज्ञों को नियमित कार्यक्रम कर्मचारियों की तुलना में पर्याप्त पदोन्नति नहीं मिली है; और

(ङ) यदि सरकार का विचार इस बारे में कोई नई योजना शुरू करने का है, तो क्या उसे लागू करने से पूर्व इन कमियों की पदोन्नति के मामले पर भी विचार करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 31-3-1983 के दिन की स्थिति के अनुसार आकाशवाणी में कार्यरत प्रोड्यूसरों, उप मुख्य प्रोड्यूसरों तथा मुख्य प्रोड्यूसरों की संख्या इस प्रकार है :

प्रोड्यूसर	191
वरिष्ठ प्रोड्यूसर	33
उप मुख्य प्रोड्यूसर	4
मुख्य प्रोड्यूसर	4

(ख) 38.

(ग) उक्त 8 मुख्य प्रोड्यूसरों व उप मुख्य प्रोड्यूसरों में से चार 280-575 रु० के शुल्क मान में सहायक प्रोड्यूसरों के रूप में कार्य करते थे; दो 425-770 रु० के शुल्कमान में प्रोड्यूस थे; एक 425-625 रु० के शुल्कमान में स्क्रिप्ट लेखक (वरिष्ठ) था तथा एक उस समय आकाशवाणी में स्थिति में नहीं था।

(घ) स्टाफ आर्टिस्ट संविदा कर्मचारी हैं और वे विभिन्न धारा और संवर्ग में हैं; नियमित कार्यक्रम संवर्गों के साथ उनके पदोन्नति अवसरों की तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

(ङ) यह भर्ती नियमों के उपबन्धों तथा रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पुनर्वास औद्योगिक निगम, कलकत्ता की सेंट्रल ट्रेड यूनियनों द्वारा ज्ञापन

4447. **श्री रेणु पद दास** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुनर्वास औद्योगिक निगम, कलकत्ता की पांच सेण्ट्रल ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया दिनांक 17 नवम्बर, 1983 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) उनकी मांगें और सुझाव क्या हैं; और

(ग) सरकार उनकी मांगों और सुझावों पर क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) श्रमिक संघों की मुख्य मांगें/सुझाव निम्नलिखित हैं :

1. धन की कमी के कारण उत्पादन यूनिटों को कच्चे माल की आपूर्ति न होना और इसके कारण 1982-83 की उपलब्धियों की तुलना में पुनर्वास उद्योग निगम की कार्य प्रणाली में गिरावट आना ।

2. 1980 की "7 सदस्यीय समिति" पुनरुद्धार ।

3. निगम द्वारा वैधानिक देय की राशि का भुगतान न करना ।

(ग) निगम के उत्पादन यूनिटों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने अक्तूबर, 1983 में निगम को 36 लाख रुपये का कार्यकारी पूंजीगत ऋण पहले ही दे दिया है । इसके अतिरिक्त, नकद साख सीमा को भी बढ़ा कर लगभग 2.66 करोड़ रुपये कर दिया है ताकि निगम वाणिज्यिक बैंकों से धन प्राप्त कर सके । निगम उत्पादन यूनिटों को उनकी आदेश स्थिति और उत्पादों को बेचने की क्षमता के आधार पर कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा है । ज्ञापन में उल्लिखित "7 सदस्यीय समिति" का गठन सरकार ने 7 मार्च, 1980 को किया था और समिति के सदस्यों की रिपोर्ट जुलाई, 1980 में प्राप्त हुई थी । वर्तमान अवस्था में समिति के पुनरुद्धार करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जहां तक निगम द्वारा वैधानिक देय के भुगतान के प्रश्न का संबंध है, निगम के प्रबन्धक मण्डल को बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है ।

दिल्ली टेलीफोन व्यवस्था में पल्स कोड मोडुलेशन प्रणाली वाले मैन होल

4448. **श्री एन० डेनिस** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि दिल्ली टेलीफोन व्यवस्था में पल्स कोड मोडुलेशन प्रणाली वाले मैन होल वर्षा के दौरान पानी में डूब सकते हैं और उसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच उनका कार्यकरण खराब हो सकता है; और

(ख) क्या भूमितल से ऊपर पल्स कोड मोडुलेशन रिपीटर का निर्माण करके जंकशनों की कार्य प्रणाली में सुधार कराने हेतु समुचित प्रबंध कर लिए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां । तथापि, पल्स कोड मोडुलेशन मैन होल में संस्थापित किए गए रिपीटरों को दावीकृत किया जाता है जिसकी वजह से पानी प्रवेश नहीं कर पाता है और कार्यनिष्पादन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि कुछ मामलों में पल्स कोड मोडुलेशन रिपीटर हाउसिंग कैबिनेटों का विशेष परिस्थितियों के अनुकूल जमीन के ऊपर निर्माण कर दिया गया है।

खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाना

4449. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने यह कहा है कि केन्द्र सरकार खेतिहर मजदूरों के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं बनाएगी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था। विभिन्न राज्यों में विद्यमान विविध दशाओं के कारण एक समान कानून के कार्यान्वयन में कठिनाइयों के परिणामस्वरूप और राज्य श्रम मंत्रियों के बीच ऐसे किसी एक समान कानून के लिए मतैक्य न होने के कारण भी, यह निर्णय लिया गया है कि इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए, जो स्थानीय दशाओं और अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए केरल कृषि कर्मकार अधिनियम, 1974 के अनुसार ऐसा कानून बनाएं।

केरल से नर्सों का सऊदी अरब जाना

4450. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से जाली आप्रवास प्रमाण-पत्र पर निर्धारित अर्हता से कम अर्हता प्राप्त नर्सों के सऊदी अरब जाने की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी भर्त्ती एजेन्सी ने ऐसी प्रत्येक भर्त्ती से बहुत बड़ी धन-राशि एकत्र की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस संबंध में व्यक्तियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें पुलिस को भेज दी गई हैं।

(ग) दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता तथा उत्प्रवासी अधिनियम के अंतर्गत मामला दायर किया है।

बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा के सांविधिक अंशदान न जमा कराया जाना

4451. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० कलकत्ता के प्रबन्धकों ने पिछले कुछ महीनों के भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा के सांविधिक अंशदान जमा नहीं कराये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) यह सत्य है कि संसाधनों की कठिनाई की स्थिति के कारण बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, कलकत्ता द्वारा भविष्य निधि और ई० एस० आई० योगदान खाते में अंशदान जमा करवाने में विलम्ब हुआ। सरकार इस उपक्रम को संसाधन स्थिति में सुधार करने के लिए सहायता दे रही है। अतः यह आशा की जाती है कि भविष्य में अंशदान अधिक तत्परता से जमा करवाए जाएंगे।

तेलशोधक कारखानों के प्रतिष्ठान

4452. **श्री सुबोध सेन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल को शोधित करने के लिए स्थापित प्रतिष्ठानों में कोई व्यावसायिक केन्द्रीकरण विद्यमान है;

(ख) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र को अभी तक उपेक्षित रखा गया है; और

(ग) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाने के तुरन्त विस्तार के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) इस समय देश में 12 तेल शोधक कारखाने हैं जिनमें से 5 पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं।

(ग) हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार के एक प्रस्ताव पर सरकार इस समय अन्तिम रूप से विचार कर रही है।

पश्चिमी दिल्ली में गैस एजेंसियों का अवकाश-दिवस

4453. **श्री शिबु सोरन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी दिल्ली की अधिकांश रिहायशी बस्तियों जैसे उत्तम नगर, जनकपुरी, तिलक नगर, टैगोर गार्डन, सुभाष नगर में दुकानदार और अन्य प्रतिष्ठान अपना साप्ताहिक अवकाश बुधवार को रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो जयंत गैस एजेंसी, प्रभात गैस एजेंसी, एस० के० एजेंसीं, फेयरडील एजेंसी जैसी बुकिंग गैस एजेंसियां रविवार को अवकाश रखती हैं जिससे उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी होती है क्योंकि वे अपनी शिकायतें तथा गैस की आवश्यकता के बारे में अनुरोध अधिकांशतः रविवार को ही दर्ज करा पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन गैस एजेंसियों को रविवार की बजाय बुधवार को अवकाश रखने तथा अपनी उपभोक्ता सेवा में सुधार लाने का जो कि इस समय बहुत असंतोषजनक है, को निर्देश देगी ताकि इन बस्तियों में रहने वाले अधिकांशतः सरकारी कर्मचारियों को कठिनाई न हो ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) इन्डेन के सभी वितरक और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के कुछ वितरक साप्ताहिक छुट्टी रविवार को करते हैं परन्तु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के कुछ अन्य वितरक अपनी साप्ताहिक छुट्टी बुधवार को करते हैं।

(ग) वितरकों के छुट्टी के मौजूदा दिन में परिवर्तन करने की इस समय कोई योजना नहीं है।

दूरदर्शन पर कार्यक्रमों को व्यावसायिक बनाना

4454. **श्री एन० सेलवाराजू** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की जानकारी में लाए गए कदाचार के कुछ विशिष्ट मामलों को देखते हुए क्या दूरदर्शन केन्द्रों के अधिकारियों को ऐसे कोई नए निर्देश जारी किए गये हैं कि वे कार्यक्रमों को व्यावसायिक न बनायें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी, नहीं। भ्रष्टाचार के जो विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं उन पर जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, आचरण नियमों के तथा विभागीय कलाकारों के बारे में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

आकाशवाणी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद को भरना

4455. **श्री समीनुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने तथा आशुलिपिकों, रिपोर्ट (अनुश्रवण) के लिए विभागीय पदोन्नति समिति तथा मुख्य लिपिक व लेखाकारों के विभागीय परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि आकाशवाणी/दूरदर्शन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के 1983 रिक्त पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन विभागीय पदोन्नति समिति सम्बन्धी निर्देशों का अनुसरण किए बिना ही किया गया है; और

(घ) गठित की गई विभागीय पदोन्नति समितियों का ब्यौरा क्या है, 1982 तथा 1983 में

कितने-कितने रिक्त पद थे तथा इन विभागीय पदोन्नति समितियों ने कितने लोगों के मामलों में विचार किया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है, से एक पत्र प्राप्त हुआ था । संगत रिकार्ड की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें विधिवत् रूप से उत्तर भेज दिया गया था। यह बताया गया था कि सिवाय एक मामले के जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भर्ती नियमों में संशोधन करने से पूर्व बुलाई गई तथा दूसरे मामले के जिसमें एक व्यक्ति, जो विचारणीय जोन में था किन्तु उस पर पहले विचार नहीं किया गया, के दावों पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षा बैठक बुलाई जानी थी, अन्य मामलों में नियमों और प्रक्रियाओं का विधिवत् रूप से अनुपालन किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ आशुलिपिक रिपोर्टर (मानिटरिंग) के ग्रेडों से संबंधित 1982 और 1983 में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का ब्यौरा इस प्रकार है :

श्रेणी	वर्ष	रिक्तियों की संख्या	विचार किए गए व्यक्तियों की सं०
1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1982	5	15
	1983	6	17
2. रिपोर्टर (मानीटरिंग)	1982	8	24
3. वरिष्ठ आशुलिपिक (अंग्रेजी)	1982	12	31
4. वरिष्ठ आशुलिपिक (हिन्दी)	1983	3	5

भारत में टेलीफोन एक्सचेंजों के सबसे पुराने उपकरणों का प्रयोग

4456. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रयोग में लाया जा रहा सबसे पुराना उपकरण कितना पुराना है;

(ख) क्या पुराने उपकरणों को बदलने के बारे में सरकार की कोई व्यापक योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) भारत में टेलीफोन एक्सचेंज का सबसे पुराना उपकरण 25-30 वर्ष पुराना होगा ।

(ख) और (ग) जी हां । पुराने उपकरणों को बदलने का सरकार का व्यापक कार्यक्रम है। इनको बदलते समय निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है :

(एक) उपकरण की अवधि;

(दो) हिस्सों की टूट-फूट की स्थिति;

(तीन) असंतोषजनक सेवा ।

जब भी उपकरण की 25 वर्ष की सामान्य अवधि पूरी हो जाती है तो उपकरण की स्थिति की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाता है । इस समिति की सिफारिश पर पुराने उपकरण को हटाकर उसकी जगह नया उपकरण लगा दिया जाता है।

हाथ से बनने वाले चुरुटों/सिगारों के उद्योग में श्रमिकों की संख्या

4457. **श्री राजगोपाल राव बोड्डेपल्ली** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे भारत में हाथ से बनने वाले चुरुटों/सिगारों के उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : हाथ से बने चुरुटों/सिगारों के उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के यथार्थ आंकड़े श्रम मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

हल्दिया में यांत्रिक कम्प्रेशरों का काम न करना

4458. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया के हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन एकक के अमोनिया संयंत्र के तीन आक्सीजन कम्प्रेशर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन कम्प्रेशरों की मरम्मत करने अथवा उन्हें बदलने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या परियोजना के तीसरे कम्प्रेशर को चलाने का निर्णय लिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस परियोजना के व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (ग) जी हां। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० के हल्दिया एकक के तीन आक्सीजन कम्प्रेसरों में से दो के दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्टेज सिलेण्डर, पिस्टन तथा अन्य सहायक उपकरण आग के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये।

(घ) और (ङ) दो कम्प्रेसरों में क्षतिग्रस्त भागों को प्रतिस्थापित करने तथा खराबियों को दूर करने का आवश्यक उपाय प्रगति पर है। क्षतिग्रस्त पुर्जों की आपूर्ति के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/कम्प्रेसर उत्पादकों से निवेदित मूल्य प्राप्त हुए हैं।.

(च) इस समय तीसरे कम्प्रेसर की मरम्मत की जा रही है। एच० एफ० सी० को सलाह दी गई है कि इस कम्प्रेसर को वास्तव में आरम्भ करने से पहले सतर्कता के रूप में कुछ सुरक्षा उपस्कर लगाए जाएं। यह आशा की जाती है कि मार्च, 1984 से इस कम्प्रेसर से काम आरम्भ करना संभव हो जायेगा।

(छ) कम्प्रेसरों के मरम्मत का काम पूर्ण हो जाने के बाद तथा उसके पश्चात संयंत्र के परीक्षण प्रचालन के बाद संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा।

उड़ीसा को कोरापुट जिले में दूरसंचार सम्बन्धी सुविधाएं

4459. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के उड़ीसा सर्किल स्थित कोरापुट जिले के कुछ भागों में क्षेत्रों के दुर्गम होने तथा विद्युत की समान्तरण के कारण नंगे तारों पर दूरसंचार संबंधी सुविधाएं देना तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों तथा क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां दूरसंचार की सुविधाओं के विकास में इस प्रकार की कठिनाइयां आड़े आ रही हैं;

(ग) इन क्षेत्रों को दूरसंचार की सुविधाओं से जोड़ने के लिए कौन-सी वैकल्पिक प्रणाली और तकनीक अपनायी जा रही है तथा तत्संबंधी प्रस्तावों की जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) अंकीय दूरसंचार कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस जिले में विभिन्न निर्धारित स्थानों पर दूर-संचार मीनारों की स्थापना के कार्य में उनके मंत्रालय ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जिन स्थानों पर इस प्रकार की कठिनाई हो रही है उनके नाम हैं : (1) माचकुंडा (2) मौतु (3) बंधुगांव (4) दसमंतपुर (5) खैरपुट (6) कुदुमालुगुम्मा (7) पोदिया (8) रामानागुड़ा।

(ग) वैकल्पिक दूरसंचार व्यवस्था के बतौर उपरोक्त स्थानों पर मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो प्रणाली प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) कोरापुट जिले में एकीकृत अंकीय नेटवर्क की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बायो गैस का उपयोग युद्ध स्तर पर करना

4460. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बायो गैस का उपयोग युद्ध स्तर पर करने को प्रोत्साहन देगी तथा प्राकृतिक गैस का पूर्ण उपयोग करेगी और इस प्रकार हमारे वनों, परिस्थिति की रक्षा और भविष्य की भलाई सुनिश्चित करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : बायो गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अधीन सरकार सम्भावित पहुंच तक, बायो गैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी गृहस्वामी बायो गैस संयंत्र स्थापित कर सकता है, बशर्ते कि पशुगोबर और संयंत्र के लिए अपेक्षित कम से कम स्थान जैसे पर्याप्त निवेशों की उपलब्धता हो। सरकारी राजसहायता, बैंक ऋण जैसी सुविधाएं सबके लिए उपलब्ध होती हैं। प्राकृतिक गैस के उपयोग के सम्बन्ध में वर्तमान नीति यही है कि इसे उर्वरकों, एल० पी० जी०, पेट्रो रसायनों के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाए, सहारे वाले प्रबन्ध के तौर पर संगठित गैस जो कि बच्चे तेल के साथ उत्पन्न होती है, बिजली उत्पादन के उद्देश्यों के लिए दी जा सकती है। फिर भी, गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों और चुनिन्दा निरन्तर प्रक्रिया वाले संयंत्रों जैसे परिष्करणशाला के लिए संयुक्त चक्र शक्ति संयंत्रों में गैस का प्रस्ताव लाभकारी समझा गया है बशर्ते कि इनमें स्थिर लम्बी अवधि की उपलब्धता हो।

उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली की उपलब्धता

4461. **श्री छांगुर राम** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीछे ओबरा बिजली घर में हुए विस्फोट के बाद से उत्तर प्रदेश में भारी विद्युत संकट पैदा हो गया है और कृषकों को नियमित और पूरे समय बिजली नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में कृषि को पूरे समय बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) इस स्थिति पर कब तक काबू पा लिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ओबरा विद्युत केन्द्र में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता कम हो गई है। तथापि, कृषि क्षेत्र को सात घंटे प्रति-दिन विद्युत सप्लाई की जा रही है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को केन्द्रीय क्षेत्र के सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से अधिक विद्युत लेने की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश में कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी विद्युत सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है। ओबरा ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट सं० 12 और 13 अब पुनः चालू कर दी गई हैं और इससे कृषि के लिए सप्लाई में सुधार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

धुलियान (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी मजदूरों के लिए क्षय रोग अस्पताल का निर्माण

4462. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** धुलियान (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी मजदूरों के लिए क्षय रोग अस्पताल के निर्माण के बारे में 5 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5671 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में धुलियान में प्रस्तावित क्षय रोग अस्पताल का निर्माण कार्य सम्बन्धित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मंडल को आबंटन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किए जाने की आशा है; और

(ङ) योजना को चालू करने की निर्धारित समय सीमा क्या है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य भवन डिजाइन ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने यह कार्य मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूर्वी जोन, कलकत्ता को आबंटित कर दिया है। सम्बन्धित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्राधिकरणों द्वारा प्रारभिक अनुमानों को तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रारंभिक अनुमानों को तैयार करने के तुरन्त पश्चात् इस कार्य के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किए जाने की संभावना है।

(ङ) आशा की जाती है कि सम्बन्धित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्य 2 वर्षों की अवधि के अन्दर पूरा हो जायेगा।

मुर्शिदाबाद में बेहरामपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना

4463. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बेहरामपुर नामक स्थान में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्टेशन स्थापित करने की कार्यवाही चल रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) जी, हां। मुर्शिदावाद जिले में बरहामपुर में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है और 10 किलोवाट दूरदर्शन ट्रांसमीटर, अन्य आवश्यक उपकरणों और 150 मीटर स्टील टावर के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। टावर का निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया है। ट्रांसमीटर के 1984 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"रंगदारी कर" की वसूली

4464. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर-कानूनी तत्व लोहा-पट्टी, दोही बाड़ी और बसन्तीमाटा कोयला खानों में "रंगदारी कर" के रूप में 200 रुपये से 500 रुपए प्रति ट्रक वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिए सरकार किसी विशेष दल द्वारा इस सम्बन्ध में जांच करवाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) समाज विरोधी-तत्व कोयला ट्रकों पर "रंगदारी कर" के रूप में अवैधानिक धन वसूल किया करते थे। दिनांक 26 अक्तूबर, 1983 को बसंतीमाटा, दहीबाड़ी कोलियरियों में कोयला डम्प के पास इन गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए दो व्यक्ति पकड़े गए थे और उनके विरुद्ध एक मामला शुरू किया गया है।

(ख) और (ग) धनबाद में पुलिस प्राधिकारियों ने "रंगदारी विरोधी सेल" स्थापित किया है और इस कदाचार को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए निर्देश भी दिए गये हैं। कम्पनी ने विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर नोटिस भी लगाए हैं जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कीमतें बताई गई हैं और उपभोक्ताओं को चेतावनी दी गई है कि अधिसूचित कीमतों से अधिक कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय पर की गई कार्रवाई को देखते हुए, इस स्थिति में आगे और जांच आवश्यक नहीं समझी गई है।

ऊर्जा मन्त्रालय में कर्मचारियों की कठिनाइयों/शिकायतों को दूर करने हेतु व्यवस्था

4465. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के विभिन्न विभागों/सम्बद्ध कार्यालयों में कर्मचारियों की सामान्य कठिनाइयों/शिकायतों को दूर करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं;

(ख) उनके मंत्रालय में अब तक स्टाफ काउंसिल का गठन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में उपेक्षा के लिए सरकार की ओर से कौन उत्तरदायी है; और

(घ) स्टाफ काउंसिल के गठन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) ऊर्जा मंत्रालय में कर्मचारियों की सामान्य कठिनाइयों/शिकायतों को दूर करने के लिए कोयला विभाग और पैट्रोलियम विभाग में कार्यालय परिषदें (आफिस काउंसिन्स) गठित की गई हैं ।

इस मंत्रालय में ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत विभाग 6-9-1982 को स्थापित किया गया है और फिलहाल यह विभाग गठित किए जाने की प्रारम्भिक व्यवस्था में है। अभी तक किसी कार्यालय परिषद का गठन नहीं किया गया है।

विद्युत विभाग तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभागीय परिषद का विधान तैयार कर लिया गया है। कार्यालय परिषद के गठन के लिए कार्रवाई चल रही है।

वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद के आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा राष्ट्रीय वार्षिकोत्सवों आदि के अवसर पर विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित विपक्षी संसद सदस्य

4466. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विपक्ष के उन संसद सदस्यों के नाम और ब्यौरे क्या हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद और अन्य आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वार्षिकोत्सवों, त्यौहारों, स्थानीय महत्व के अवसरों पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आकाशवाणी केन्द्र तैयार किए गए कलेन्डर और कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय वार्षिकोत्सवों/त्यौहारों तथा स्थानीय महत्व के अवसरों को कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 8 आकाशवाणी केन्द्र हैं किन्तु एक केन्द्र अर्थात् कानपुर केवल विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्र के रूप में ही कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के शेष 7 आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा आयोजित उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में 1-4-80 से 31-3-83 तक की अवधि की सूचना, जिसमें भाग लेने वाले विपक्ष के संसद सदस्यों के नाम, कार्यक्रम का शीर्षक तथा विषयवस्तु दिया गया हो, एकत्र की जाएगी और उसको यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सचिव की नियुक्ति

4467. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सचिव का पद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इंजीनियरों में से भी भरा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सरकार के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए इस प्रशासनिक प्रकृति के पद को आई० ए० एस० में से न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सचिव के पद को, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह "क") सेवा के अधिकारियों में से, विगत में भरा गया है। जून, 1982 में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह "क") सेवा के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सचिव के पद पर भविष्य में नियुक्ति सरकार की सीनियर स्टाफिंग स्कीम के द्वारा नियंत्रित की जाएगी जिसके अनुसार अखिल भारत सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी, जिसमें केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह "क") सेवा के अधिकारी भी शामिल होंगे, पद पर नियुक्त होने के पात्र होंगे ।

औषधियों पर उत्पाद शुल्क का ढांचा

4468. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मूल आवश्यकता को वस्तु औषधियों पर उत्पाद शुल्क के ढांचे में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाला मूल्य बढ़ रहा है;

(ख) क्या यह आम जनता को उस कीमत पर, जो वे आसानी से दे सकें, दवाइयां उपलब्ध कराए जाने संबंधी नीति के खिलाफ जाता है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसा निर्णय किए जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार ने हाल ही में एयर कंडीशनर्ज, रेफ्रीजरेटरस, टेलीविजन आदि विलासिता की कई वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क कम कर दिया है;

(घ) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में संबंधित मंत्रालय से बातचीत की है क्योंकि यह उनके मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नहीं आता; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने दिनांक 13 सितम्बर, 1983 की अधिसूचना से पेटेन्ट एवं एकायत्त दवाईयों के संबंध में

व्यापार कटौती को 25% से घटाकर 15% कर दिया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मुख्य दवाइयों के खुदरा मूल्य 1.125% प्रभावित हुए।

(ग) से (ङ) व्यापार लाभांश की दरों में परिवर्तन करने से संबंधित निर्णय का एयर कंडिशनरों, रेफ्रिजेटरों, टेलीविजनों आदि की मदों से उत्पाद शुल्क कम करने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

बस्साई गैस परियोजना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

4469. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बस्साई गैस परियोजना की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब से कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक से 222.3 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण और अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि से 50 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर के एक दूसरे ऋण की मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) दक्षिण बेसिन से हाजिरा तक पाइपलाइन का काम 1984 में पूरा कर लिया जाएगा।

प्लेटफार्म काम्पलैक्स और साथ-साथ सल्फर रहित करने (डीसल्फराइजेशन) के संयंत्र का काम 1986 के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है।

कोयले की मात्रा और किस्म का इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव

4470. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राउरकेला इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कोयले की मात्रा और किस्म का इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयले की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखी गई है। परन्तु, कोयले की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस मामले में सुधार की कार्रवाई तत्काल की गई थी और इसके परिणामस्वरूप राख के प्रतिशत को लेकर काफी सुधार दिखाई पड़ा है क्योंकि यह प्रतिशत कम हो गया है।

उत्तर प्रदेश में सुन्नियों और शियाओं के बीच विवाद

4471. **श्री चित्त महाटा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नियों और शियाओं के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कम्पनियों द्वारा शेयरों के हस्तांतरण हेतु इन्कार करने के विरुद्ध शिकायतें

4472. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 के बजट प्रस्तावों के अनुसार प्रभावी अनिवासी शेयर धारकों के लिए मंजूर किए गए पूंजी निवेश के बारे में कम्पनी लॉ बोर्ड को किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदे गए शेयरों का रजिस्ट्रेशन किए जाने के बारे में कोई शिकायत की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुपालन करने से इन्कार कर दिया और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कम्पनी लॉ बोर्ड ने नियमों के अनुसार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य सम्भावी अनिवासी शेयर धारकों से कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्राप्त 'शिकायतों' को निर्दिष्ट करते हुए शेयरों के अन्तरण में कम्पनियों की इन्कारी के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत जिनको प्रस्तुत किया जा सकता था, को दृष्टिगत कर रहे हैं। कम्पनी विधि बोर्ड के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, सम्भावी अनिवासी शेयरधारकों से धारा 111 तत्रैव के अन्तर्गत कोई भी अपील प्रस्तुत की गई नहीं मालूम पड़ती है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी कार्य विभाग के पास इस मामले में कोई प्रमाणित सूचना नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न नहीं होता।

बिहार से आए श्रमिकों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य करने को विवश किया जाना

4473. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिकों को बन्धुआ मजदूरों के रूप में कार्य करने को विवश करने वाला एक गिरोह दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को पंजाब से लौटते समय जबरदस्ती उतार लेता है;

(ख) क्या इन श्रमिकों को जामा मस्जिद के पास सेवा कुटीर में भिखारियों के रूप में रखा जाता है और उनसे विभिन्न फैक्टरियों में वर्षों तक काम करवाया जाता है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई संसद सदस्य गृह मंत्री से मिला था और उसने एक बन्धुआ मजदूर, जो वहां से निकल आया था, से मिलवाया था; और

(घ) क्या सरकार ने सेवा कुटीर की गतिविधियों की जांच करवाई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि ऐसा कोई गिरोह नहीं है और न ही पुलिस को ऐसी किसी प्रकार की घटना के बारे में सूचित किया गया है।

(ग) श्री रामविलास पासवान, संसद सदस्य (लोकसभा) इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी से मिले थे।

(घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, सेवा कुटीर एक भिक्षु-कल्याण केन्द्र (बेंगर होम) है, जो कि किंग्जवे कैम्प में स्थित है (और न कि जामा मस्जिद के नजदीक), और दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्य कर रहा है। यह दिल्ली में भिक्षु-कल्याण केन्द्रों में से एक गृह है, जहां भिखारियों को बम्बई भिक्षावृत्ति निवारक अधिनियम, 1956 के अधीन रखा जाता है। दिल्ली प्रशासन के अनुसार इस भिक्षु-कल्याण केन्द्र में रखे गए भिखारियों के लिए भोजन व्यवस्था एवं आवास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

केरल में डाक-तार कर्मचारियों की ओर से शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन

4474. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केरल के डाक-तार कर्मचारियों की ओर से 30 मई, 1982 के आंदोलन के सम्बन्ध में कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा समाप्त किए जाने, निलम्बन, स्थानांतरण और इस प्रकार की कार्यवाहियां किए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि उनकी शिकायतों को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उनकी समस्याओं को हल करने के बारे में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। कर्मचारियों से सेवा भंग के सम्बन्ध में डाक-तार महानिदेशक को कुछ अभ्यावेदन मिले थे और उन अभ्यावेदनों को सर्किल अध्यक्षों को इस सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त अधिकारों के अनुसार निपटान के लिए भेज दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए नियम

4475. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में वकीलों के पैनल के बारे में और देश भर में केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं के बारे में उपयुक्तता का विनिश्चय करने के लिए कोई नियम हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नियुक्त किए गए पैनल काउंसेल की उपयुक्तता का विनिश्चय करने के लिए कोई नियम नहीं हैं। फिर भी, केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं के, जो पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, भिन्न-भिन्न प्रवर्ग हैं। ऐसे केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं को बम्बई और कलकत्ता में इस मंत्रालय के शाखा सचिवालयों में तथा उच्चतम न्यायालय में इस मंत्रालय के केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में भी नियुक्त किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं के लिए पात्रता सम्बन्धी अर्हताएं विवरण में दी गई हैं।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता की पात्रता सम्बन्धी अर्हताएं

पद का नाम	आयु	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3
बम्बई और कलकत्ता के शाखा सचिवालय में :		
1. ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार का अधिवक्ता (2500-125/2-2750 रु०)	50 वर्ष से अधिक नहीं	(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में यथापरिभाषित अधिवक्ता होना चाहिए जिसने उस रूप में 17 वर्ष तक विधि व्यवसाय कर लिया है और इसके अन्तर्गत वह अवधि भी है जिसके दौरान उसने 1 जनवरी, 1977 से पूर्व बम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय के सालिसिटर/अटर्नी के रूप में विधि व्यवसाय किया है । **या** ऐसा अधिवक्ता, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय (मूल शाखा) नियम, 1914 के अध्याय 1 के परन्तुक के अन्तर्गत आता है, जिसने उस रूप में 17 वर्ष तक विधि व्यवसाय कर लिया है (केवल कलकत्ता में पदों के लिए है) । (ii) यथास्थिति, बम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल शाखा में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए हकदार होना चाहिए । टिप्पण 1 : ऐसे किसी अभ्यर्थी को भी, जो उपर्युक्त प्रविष्टि (ii) के अधीन अर्हित नहीं है, उक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है किन्तु उस पद पर उसकी नियुक्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अर्हताएं अर्जित कर ले ।

1	2	3
		टिप्पण 2 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।
		टिप्पण 3 : अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं), जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।
2. केन्द्रीय सरकार का अधिवक्ता (2000-125/2-2500 रु०)	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में यथापरिभाषित अधिवक्ता होना चाहिए जिसने उस रूप में 12 वर्ष तक विधि-व्यवसाय कर लिया है, और इसके अन्तर्गत वह अवधि भी है जिसके दौरान उसने 1-1-1977 के पूर्व बम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय के सालिसिटर/अटर्नी के रूप में विधि-व्यवसाय किया है । या ऐसा अधिवक्ता जो कलकत्ता उच्च न्यायालय (मूल शाखा) नियम, 1914 के अध्याय 1 के नियम 1 के परन्तुक के अन्तर्गत आता है, जिसने उस रूप में 12 वर्ष तक विधि व्यवसाय कर लिया है (केवल कलकत्ता में पद के लिए) । (ii) आय-कर से सम्बन्धित मुकदमेबाजी के कार्य का पर्याप्त अनुभव (कलकत्ता में 1 पद और बम्बई में 1 पद के लिए) । (iii) यथास्थिति, कलकत्ता या बम्बई उच्च न्यायालय की मूल शाखा में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए हकदार होना चाहिए । टिप्पण 1 : ऐसे किसी अभ्यर्थी को भी, जो उपर्युक्त प्रविष्टि (iii) के अधीन अर्हित नहीं है, उक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है किन्तु उस पद पर उसकी नियुक्ति इस शर्त के अधीन

1	2	3
		रहते हुए होगी कि वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अर्हताएं अर्जित कर ले । टिप्पण 2 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 3 : अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं), जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।
शाखा सचिवालय, कलकत्ता और दिल्ली उच्च न्यायालय में		
3. केन्द्रीय सरकार का कनिष्ठ अधिवक्ता (840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु०)	45 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में यथापरिभाषित अधिवक्ता होना चाहिए जिसने उस रूप में तीन वर्ष तक विधि-व्यवसाय कर लिया है और इसके अंतर्गत वह अवधि भी है जिसके दौरान उसने 1-1-1977 से पूर्व कलकत्ता या बम्बई उच्च न्यायालय के अटर्नी/सालिसिटर के रूप में विधि-व्यवसाय किया है । (ii) न्यायालयों में मुकदमा सम्बन्धी कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । (iii) यथास्थिति, कलकत्ता या बम्बई उच्च न्यायालय के मूल शाखा में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए हकदार होना चाहिए । टिप्पण :– (1) ऐसे किसी अभ्यर्थी को भी, जो उपर्युक्त प्रविष्टि (iii) के अधीन अर्हित नहीं है, उक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु उस पद पर उसकी नियुक्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अर्हताएं अर्जित कर लें ।

1	2	3
		टिप्पण : (2) अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।
		टिप्पण : (3) अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं), जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।
उच्चतम न्यायालय के केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में		
4. ज्येष्ठ सरकारी अधिवक्ता (2500-125/2 2750 रुपए)	अधिमानतः 50 वर्ष से कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	(i) किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का ऐसा विधि व्यवसायी अधिवक्ता जिसने कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और जो उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया से परिचित हो । या बम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय का कोई अटर्नी जिसने कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और जिसे किसी ख्यातिप्राप्त सालिसिटर की फर्म में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो तथा जो उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार हो । या किसी राज्य न्यायिक सेवा का ऐसा अधिकारी जिसने 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो ।

1	2	3
		(ii) समय-समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के अधीन यथा उपबन्धित उच्चतम न्यायालय के अभिलेख अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ।
5. अपर सरकारी अधिवक्ता (1800-100-2000 रुपए)	45 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	(i) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का ऐसा विधि व्यवसायी अधिवक्ता जिसने कम सेकम 8 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और जो उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया से परिचित हो । या बम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय का कोई अटर्नी जिसने कम से कम .8 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और जिसे किसी ख्याति प्राप्त सालिसिटर की फर्म में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो तथा जो उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार हो । या किसी राज्य न्यायिक सेवा का ऐसा अधिकारी जिसने 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो । (ii) समय-समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के अधीन यथा उपबन्धित उच्चतम न्यायालय के अभिलेख अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ।
6. उप सरकारी अधिवक्ता (1500-60-1800 रुपए)	45 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	(i) ऐसा विधि व्यवसायी अधिवक्ता जिसने किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और जो उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया से परिचित हो ।

1	2	3
		या बम्बई या कलककत्ता उच्च न्यायालय का अटर्नी जिसने कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और जिसे किसी ख्याति प्राप्त सालिसिटर की फर्म में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो तथा जो उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवसाय करने की हकदार हो। या किसी राज्य न्यायिक सेवा का ऐसा अधिकारी जिसने कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। (ii) समय-समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के अधीन यथा उपबंधित उच्चतम न्यायालय के अभिलेख अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।
7. सहायक सरकारी अधिवक्ता (1200-60-1600 रुपए)	40 वर्ष या उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	(i) ऐसा विधि स्नातक जिसे उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया या कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। या बम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय का अटर्नी जिसने कम से कम 5 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और जिसे ख्याति प्राप्त सालिसिटर फर्म में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। या किसी राज्य न्यायिक सेवा का ऐसा अधिकारी जिसने कम से कम 5 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो।

1	2	3
		(ii) समय-समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के अधीन यथा उपबंधित उच्चतम न्यायालय के अभिलेख अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ।
टिप्पण : (पद सं० 4,5,6 और 7 के लिए)		ऐसे किसी अभ्यर्थी को भी, जो उपर्युक्त प्रविष्टि (ii) के अधीन अर्हित नहीं है, उक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु उस पद पर उसकी नियुक्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अर्हताएं अर्जित कर ले । (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है) ।

इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव (इफको) कालोल द्वारा बंधुआ मजदूरों का उपयोग

4476. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव (इफको) फैक्ट्री, कालोल द्वारा बंधुआ मजदूरों के बारे में गुजरात उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या न्यायालय ने निर्णय में राज्य श्रम आयोग को उन फार्मों और ठेकेदारों का पता लगाने का निदेश दिया है जहां बंधुआ मजदूर हैं;

(ग) क्या निर्णय में यह कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी समाप्त करने और आप्रवासी श्रमिकों संबंधी वर्तमान नियम सफल इसलिए नहीं हो रहा है कि श्रम आयुक्तों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वे सतर्कता नहीं बरत रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों, जहां बंधुआ मजदूर हैं, के आयुक्तों को क्या निदेश दिए हैं; और

(ङ) बंधुआ मजदूर और बाल श्रम जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) इण्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव (आई० एफ० एफ० सी० ओ०) कारखाना, कालोल (गुजरात) में नियोजित ठेका श्रमिकों के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की सरकार को जानकारी है। इस निर्णय मे, उच्च न्यायालय ने राज्य श्रम विभाग को आदेश दिया कि वह राज्य में ठेका श्रमिकों की दशाओं का पूर्ण सर्वेक्षण करें तथा लाइसेंस न प्राप्त ठेकेदारों का पता लगाए। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, यह सूचित किया गया है कि गुजरात सरकार ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध जो ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम के उपबन्धों का पालन नहीं कर रहे हैं, कड़ी कार्यवाही करने और राज्य में प्रमुख ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों को कार्यदशाओं के निरीक्षणों के क्रैश कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बताया गया है कि इस प्रयोजन हेतु आठ सरकारी श्रम अधिकारियों का दस्ता गठित किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि श्रमायुक्त द्वारा की गई जांच पड़ताल के आधार पर, यह पाया गया कि इन्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव (इफको) कारखाना कालोल, गुजरात में कोई बंधुआ श्रमिक नहीं है।

(घ) और (ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 के अधीन, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। सभी राज्य सरकारों से (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात सहित) समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे तुरन्त और प्रभावी कार्यवाही करें जिनमें अतिसंवेदनशील क्षेत्रों और अलग-अलग पाकिटों में गहन सर्वेक्षण करना शामिल है, ताकि बंधुआ श्रमिकों को जहां कहीं

वे पाये जायें, शीघ्र मुक्त कराने और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकारों के बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के उद्देश्य से, केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना 1978-79 से प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को बराबर-बराबर (50 : 50) की सहायता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रत्येक बंधुआ श्रमिक के लिए 4,000 रुपए की पुनर्वास सहायता की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें से आधी राशि केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बंधुआ श्रमिकों को स्थायी आधार पर पुनर्वासित किया जाता है, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्र द्वारा संचालित योजना का अन्य सदृश योजनाओं, अर्थात्, आई० आर० डी० पी० एन० आर० ई० पी०, अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप योजना तथा राज्य सरकार की अन्य चालू योजनाओं के साथ उपयुक्त रूप से समाकलन/सामंजस्य स्थापित करें, ताकि बंधुआ श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास के प्रयोजन हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता को इकट्ठा और समाकलित किया जा सकें। ऐसा समाकलन लाने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों वाला एक ब्लूप्रिंट भी राज्य सरकारों को उनके मार्गदर्शन हेतु भेजा गया है।

दूरदर्शन कार्यक्रमों का एक साथ प्रसारण

4477. **श्री बिरदाराम फुलवारिया :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट एक-बी की सफलता के बाद सम्पूर्ण भारत में एक साथ टेलीविजन के कार्यक्रम दिखाने की योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उस समय विद्यमान सभी दूरदर्शन केन्द्रों से कार्यक्रमों को साथ-साथ टेलीकास्ट करना इन्सैट-1ए और माइक्रोवेव लिंकों का उपयोग करके 15 अगस्त, 1982 से शुरू किया गया था। इन्सैट-1ए के बाद, कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर टेकीकास्ट करना विदेशी उपग्रहों को किराए पर ले करके अक्तूबर, 1983 तक जारी रहा। इन्सैट-1बी के चालू हो जाने के बाद, मौजूदा केन्द्रों तथा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से कार्यक्रमों का राष्ट्रीय स्तर पर टेलीकास्ट किया जाना इन्सैट-1बी तथा माइक्रोवेव लिंकों के माध्यम से जारी है।

शराब कारखानों के अपशिष्ठ से बायो गैस

4478. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शराब कारखानों के अपशिष्ठ से बायो-गैस का उत्पादन करने वाली प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और देश में बड़े पैमाने पर बायो-गैस हेतु शराब-कारखानों के अपशिष्ठ का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) देश में विकसित शराब कारखानों के बहि:स्राव से बायो गैस उत्पन्न करने की प्रौद्योगिकी प्रायोगिक अवस्था में है। यह प्रक्रिया शराब कारखानों के बहि:स्राव की डाइफेसिक अनेरोबिक अभिक्रिया है। विभाग शराब कारखानों में पूर्ण पैमाने वाले प्रदर्शन संयंत्र को स्थापना के लिए पूंजी निवेश की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के साथ अमरीकी अधिकारी की बैठक

4479. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी दूतावास का एक अधिकारी राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष से मिला था और उसने राज्य की समस्त विद्युत प्रणाली के बारे में तकनीकी जानकारी और परमाणु विद्युत केन्द्र के बन्द होने के कारणों की पूछताछ की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अध्यक्ष को अमरीकी दूतावास के अधिकारी के मिलने की अनुमति दी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि राज्य की विद्युत प्रणाली और परमाणु विद्युत केन्द्र के बंद होने के कारणों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अमरीकी दूतावास के किसी अधिकारी ने राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष से कोई मुलाकात नहीं की है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की सूचना कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी गई।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धा हेतु दवाओं और औषधियों के उत्पादन लागत कम करने हेतु कार्यवाही

4480. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित दवाओं और औषधियों की लागत विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धा हेतु निषेधात्मक रूप से ऊंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक लागत होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन लागत को कम करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ताकि हम विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर सकें ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) प्रपुंज औषधों के उत्पादन की लागत इनपुट्स की लागत, संचालन के स्तर और अपनाई गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह पाया गया है कि ऊर्जा और देश में निर्मित रसायनों की उच्च लागत और अपनाई गई प्रौद्योगिकी व निम्न स्तरीय संचालन के कारण देश में निर्मित अधिकतर प्रपुंज औषधों की लागत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चालू कीमतों से अधिक है। भारत में सूत्रयोगों के मूल्य अन्य देशों के मूल्यों के समान ही है।

(ग) निर्माताओं को उनकी उत्पादन लागत कम करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है तथा उन्हें औद्योगिक लाइसेंस/क्षमता में विस्तार की अनुमति जारी करते समय अब व्यवहार्य क्षमता की अनुमति दी जाती है ताकि उत्पादन लागत न्यूनतम की जा सके।

आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना

4481. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी और केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी न दिए जाने के कारण 33 कि० मी० आनन्दपुर साहिब जल विद्युत चैनल का निर्माण कार्य रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना कब शुरू होगी; और

(ग) निर्माण कार्य शुरू करने और उसे शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते क्योंकि निर्माण कार्य रुका हुआ नहीं है।

ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना

4482. **श्री जयराम वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगा और कुल कितना खर्च हुआ;

(ख) क्या सच है कि यह परियोजना 220 जानें लेने के बाद पूरी हुई है, और इनमें अधिक जानें दो भूमिगत सुरंगों के निर्माण के दौरान दम घुटने से हुई हैं;

(ग) क्या भूमिगत सुरंगों के निर्माण में उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी जिससे इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा;

(घ) मृतकों के परिवारों को क्या सुविधा या प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है; और

(ङ) क्या इन शहीदों की स्मृति में कोई स्मारक बनाया गया है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आखिरी यूनिट अर्थात् 6 के 10 नवम्बर, 1983 को चालू हो जाने के साथ, ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, जो 1961-62 में आरंभ की गई थी, लगभग पूरी हो गयी है। परियोजना पर कुल व्यय 448.81 करोड़ रुपए के लगभग बैठेगा।

(ख) और (ग) सुरंगों में हवादारी के लिए उचित रूप से व्यवस्था में ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के निर्माण के दौरान ड्यूटी पर 228 श्रमिकों की मृत्यु हुई। इनमें से केवल 70 व्यक्तियों की मृत्यु सुरंगों में दुर्घटनाओं के कारण हुई। तथापि, सुरंगों में दम घुटने के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। सुरंगों में कुछ दुर्घटनायें सुरंगों के निर्माण के दौरान सामने आने वाले घटिया भू-वैज्ञानिक संस्तर के कारण तथा सुरंगों में अचानक कचरा की भरमार होने तथा पानी आ जाने के कारण हुई। कुछ दुर्घटनायें श्रमिकों द्वारा अपने आप गलतियां करने के कारण हुई।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1942 तथा उपदान अधिनियम 1972 के अनुसार, परियोजना के मृत कर्मचारियों के परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति/उपदान का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, मृत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को ब्यास परियोजना प्राधिकारियों द्वारा करुणा-जनक आधार पर नौकरियां भी दी गईं।

(ङ) शहीदों की याद में पन्डोह और हराबाग के स्थानों पर स्मारक भी बनाए गए हैं।

बम्बई में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

4483. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई में खाना पकाने की गैस के सिलेंडर आर्डर दिए जाने के एक या दो सप्ताह बाद ग्राहकों को दिए जाते हैं;

(ख) ग्रेटर बम्बई में खाना पकाने की गैस के किन-किन स्थानों में कुल कितने वितरक हैं और प्रत्येक वितरक को खाना पकाने की गैस के कितने सिलेंडर आवंटित किए गए हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने वितरक हैं और प्रत्येक को कितने सिलेंडर आवंटित किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

निजी कम्पनियों की तुलना में राज्य विद्युत बोर्डों का कार्यकरण

4484. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
श्री सूरज भान :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 सितम्बर, 1983 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1979-80 तक राज्य विद्युत बोर्डों को

लगभग 4,400 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है जबकि 1979-80 के बाद के दो वर्षों में निजी क्षेत्र की पांच शीर्षस्थ बिजली कम्पनियों का लाभ तीन गुणा हो गया है;

(ख) इस संबंध में पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसके कारण सरकारी खजाने पर पड़ रहे भारी बोझ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में एक रिपोर्ट 22 सितम्बर, 1983 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुई थी।

31.3.1980 तक राज्य बिजली बोर्डों को हुई संचयी हानियां 4,400 करोड़ रुपये नहीं थी। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के नौ राज्य बिजली बोर्डों को 31.3.1980 तक कुल संचयी हानि 839.4 करोड़ रुपए थी। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु के छः राज्य बिजली बोर्डों को 31.3.1980 तक 257.4 करोड़ रुपये का संचित लाभ हुआ था। असम तथा मेघालय के राज्य बिजली बोर्डों को 31.3.1979 तक 61.4 करोड़ रुपए की संचित हानि हुई थी। इन राज्य बिजली बोर्डों के मामले में 31.3.1980 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह मानते हुए कि इन राज्य बिजली बोर्डों की 31.3.1980 तक की संचित हानि में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, सभी राज्य बिजली बोर्डों को हुई संचित हानि लगभग 6,434 करोड़ रुपये होने का हिसाब लगाया गया है।

निजी क्षेत्र की 5 विद्युत कम्पनियां नामशः अहमदाबाद बिजली सप्लाई कम्पनी, कलकत्ता बिजली सप्लाई कम्पनी, टाटा जल विद्युत सप्लाई कम्पनी, आन्ध्र वेली विद्युत सप्लाई कम्पनी, तथा टाटा विद्युत कम्पनी ने वर्ष 1979-80 के दौरान 5.22 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त किया जो कि वर्ष 1981-82 में बढ़कर 17.75 करोड़ रुपये हो गया।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि राज्य बिजली बोर्डों तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्यकरण की तुलना नहीं की जा सकती। निजी क्षेत्र की कम्पनियां बड़े शहरों में बहुत अधिक सकेन्द्रित भारों के साथ छोटी प्रणालियों का प्रचालन करती हैं। उनको बहुत लम्बी पारेषण तथा वितरण लाइनों तथा छुटपुट भार वाली ग्रामीण क्षेत्र की लाइनों का निर्माण नहीं करना पड़ता। उन्हें किसानों को तथा अन्य आवश्यक श्रेणी के उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली की सप्लाई नहीं करनी होती। इसके परिणामस्वरूप, उनके प्रबन्ध संबंधी ऊपरी खर्चे, पारेषण तथा वितरण हानियां, सामग्री सूची स्थापना, आदि संबंधी व्यय राज्य बिजली बोर्डों से बहुत कम रहता है। रा० बि० बोर्डों को कल्याण सेवा के रूप में राज्य के कोने-कोने में, लागत की ओर ध्यान दिए बिना ही बिजली पहुंचाने पड़ती तथा समाज के कमजोर वर्गों, आदि जैसी कुछ अनावश्यक श्रेणियों के उपभोक्ताओं को रियायती दर पर कभी-कभी लागत से काफी कम दर पर बिजली सप्लाई करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं।

(ग) हानियों को कम करने की दृष्टि से राज्य बिजली बोर्डों को अपने क्षमता समायोजन में

सुधार करने, पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने, ताप विद्युत उत्पादन में कोयला और तेल जैसी सामग्रियों में मितव्ययिता लाने, स्टाफ संबंधी खर्चों को कम करने, बेहतर सामग्री सूची नियंत्रण लागू करने तथा बकाया राशियों को संचित होने से रोकने और टैरिफों में उचित रूप से संशोधन करने के बारे में विचार करने के लिए निर्धारित राजस्व की शीघ्र तथा पूरी तरह युक्ति-संगत वसूली की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 59(1) में विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1983 के जरिये संशोधन किया गया है। इस संशोधन में टैरिफों के समायोजन के लिए व्यवस्था की गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखे के वर्ष में कुल राजस्व में प्रचालन, अनुरक्षण तथा प्रबंध संबंधी व्यय, आय तथा लाभ पर कर (यदि कोई हो), मूल्य-ह्रास तथा सभी ऋण-पत्रों, बांड तथा ऋणों पर दिया जाने वाले ब्याज, सहित राजस्व पर प्रभार्य सभी खर्चों को उचित रूप से पूरा करने के बाद इतना अधिशेष बाकी रहना चाहिए, जो कि उस वर्ष के आरम्भ में सेवा में बोर्ड की अचल सम्पत्तियों के मूल्य के 3% से कम न हो या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी इससे अधिक प्रतिशतता से कम न हो।

उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

4485. **श्री सुधीर गिरि :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1983 में हमारे उर्वरक संयंत्रों की कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया; और

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो गया था और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान उर्वरक संयंत्रों का क्षमता उपयोग निम्न प्रकार था :—

प्रतिशत क्षमता उपयोग

वर्ष	नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (एन)	फास्फेटिक उर्वरक (पी2ओ5)
1980-81	52.8	65.9
1981-82	66.9	70.1
1982-83	67.2	69.1

(ख) वर्ष 1980-81 और 1982-83 के दौरान फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ किन्तु 1981-82 में लक्ष्य से अधिक हुआ। तथापि, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन सभी तीनों वर्षों में लक्ष्य से कम रहा।

विभिन्न वर्षों के दौरान कमी के मुख्य कारण थे—कच्चे माल की कमी उपकरण, पावर और श्रम समस्या।

अगले दस वर्षों के दौरान अपेक्षित ऊर्जा का अध्ययन

4486. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दस वर्षों के दौरान भारत में ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और उसके लिए अनुमानत: कितनी राशि लगाने की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से ऊर्जा के विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्राथमिकता के आधार पर सहायता और रियायत पर धन प्राप्त करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में एक राष्ट्रीय विद्युत आयोजना तैयार की है, जिसके अनुसार 1994-95 तक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 332 और 382 बिलियन यूनिट होगी। यह औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि के लिए क्रमश: निम्न तथा उच्च परिप्रेक्ष्य में परिकल्पित की गई है। ऊर्जा नीति पर कार्यकारी दल ने पहले वर्ष 2000-2001 तक ईंधन की विभिन्न किस्मों की मांग का अनुमान लगाया था। रेफरेंस स्तर का पूर्वानुमान ऐसी मांग से सम्बन्धित है जबकि मांग को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए कोई सुविचारित उपाय नहीं किया गया था। मांग से सम्बन्धित इष्टतम स्तर के पूर्वानुमान सही रूप से ऊर्जा वृद्धि करने के लिए किए जा रहे पर्याप्त उपायों पर आधारित हैं। ऊर्जा नीति पर कार्यकारी दल द्वारा वर्ष 2000-2001 के लिए कोयला, तेल और बिजली के लिए लगाया गया पूर्वानुमान निम्नानुसार है :

	आर० एल० एफ०	ओ० एल० एफ०
कोयला (मिलियन टन)	521	427
तेल (मिलियन टन)	93	69
बिजली (टी० डब्ल्यू० एच०)	552	458

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार सातवीं और आठवीं योजना के दौरान बिजली के लिए निधियों की आवश्यकता 1982-83 के मूल्यों पर मोटे तौर पर क्रमश: लगभग 55,000 करोड़ रुपये और 81,000 करोड़ रुपये होगी।

(ख) विश्व बैंक से प्राप्त सूचना के आधार पर विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरणों में दिया गया है।

(ग) और (घ) आई० डी० ए० की सहायता रियायत के रूप की होती है और इस पर

कोई ब्याज नहीं लगता है । ऋण के वितरित न किए गए भाग पर 0.5% वचन बद्धता फीस तथा वितरित भाग पर 0.75% सर्विस प्रभार लगाया जाता है । यह 50 वर्षों में वापिस करना पड़ता है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल होती है । कभी-कभी द्विपक्षीय स्रोतों से आसान शर्तों पर भी ऋण उपलब्ध होते हैं ।

विवरण-1

विद्युत परियोजनाओं के लिए आई० डी० ए० ऋण का ब्यौरा देने वाला विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	ऋण संख्या	ऋण की राशि	हस्ताक्षर करने की तारीख	अन्तिम तिथि
			(मिलियन अमरीकी डालर)		
1.	फोर्थ डी० वी० सी०	19-आई० एन०	18.50	14-2-62	31-12-69 (समाप्त कर दिया गया)
2.	सैकिण्ड कोयना पावर	24-आई० एन०	17.50	8-8-62	30-9-70 (वही)
3.	कोठागूंडम पावर	37-आई० एन०	20.00	24-5-63	31-12-68 (वही)
4.	ब्यास इक्वीपमैंट परियोजना	89-आई० एन०	23.00	29-6-66	30-6-74 (वही)
5.	सैकिण्ड पावर ट्रांसमिशन	242-आई० एन०	75.00	3-5-71	31-3-77 (वही)
6.	थर्ड पावर ट्रांसमिशन	377-आई० एन०	85.00	9-5-73	30-9-78 (वही)
7.	आर० ई० सी०-I	572-आई० एन०	57.00	23-7-75	31-12-80 (वही)
8.	फोर्थ पावर ट्रांसमिशन	604-आई० एन०	150.00	22-1-76	30-6-83 (वही)
9.	सिंगरौली थर्मल पावर परियोजना चरण-I	685-आई० एन०	150.00	1-4-77	31-12-83
10.	कोरबा थर्मल पावर परियोजना चरण-I	793 आई० एन०	200.00	12-5-78	31-3-85
11.	रामागुण्डम ताप विद्युत परियोजना चरण-I	874-आई० एन०	200.00	2-2-79	31-12-85
12.	आर० ई० सी०-II	911-आई० एन०	175.00	21-6-79	31-3-84
13.	सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना चरण-II	1027-आई० एन०	300.00	5-6-80	31-3-88
14.	फरक्का ताप विद्युत परियोजना चरण-I	1053-आई० एन०	225.00	11-7-80	31-3-87
15.	सैकिण्ड कोरबा ताप विद्युत परियोजना	1172-आई० एन० एस० डी० आर० की (400 डालर)	325.6	4-2-82	31-12-89
16.	अपर इन्दरावती जल-विद्युत परियोजना	2278-आई० एन०	156.4	8-6-83	30-6-91

विवरण-2

विद्युत परियोजनाओं के लिए आई० बी० आर० डी० ऋणों का ब्यौरा देने वाला विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	ऋण सं०	ऋण की राशि	हस्ताक्षर करने की तारीख	अन्तिम तारीख
			(मिलियन अमरीकी डालर)		
1.	दामोदर	72-आई० इन०	19.50	23-1-1953	30-6-58 (समाप्त कर दिया गया)
2.	ट्राम्बे विद्युत	106—,, ,, ,,	16.20	19-11-1954	30-9-66 वही
3.	ट्राम्बे विस्तार	154—,, ,, ,,	9.80	29-5-1957	30-9-66 वही
4.	तीसरा दा० घा० नि०	203—,, ,, ,,	25.00	23-7-1958	30-6-65 वही
5.	कोयला विद्युत	223—,, ,, ,,	25.00	8-4-1959	30-4-65 वही
6.	विद्युत पारेषण	416/3-4,, ,, ,,	70.00	11-6-1965	31-12-70 वही
7.	दूसरा कोठागुण्डम	417—,, ,, ,,	14.00	11-6-1965	31-12-70 वही
8.	रामागुण्डम ताप विद्युत परियोजना चरण-I	1648—,, ,, ,,	50.00	2-2-79	31-12-85
9.	तीसरा ट्राम्बे ताप वि० परियोजना	1549—,, ,, ,,	105.00	19-678	31-3-84
10.	फरक्का वि० ताप परियोजना चरण-I	1887—,, ,, ,,	25.00	11-7-80	31-3-87
11.	II रामागुण्डम	2076—,, ,, ,,	300.00	6-1-82	30-6-88
12.	आर० ई० सी०-3	2165	304.5	22-6-82	30-6-86
13.	अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना	1356—,, ,, ,,	एस० डी० आर० की 156.00 (डालर 170.00)	8.6.83	30.6.91
14.	केन्द्रीय विद्युत पारेषण परियोजना*	2283—,, ,, ,,	250.7	8-6-83	31-3-89

*अभी तक लागू किये जाने की घोषणा नहीं की गई है।

इराक से क्रूड और सल्फर का आयात किये जाने के बारे में समझौता

4487. **श्री अरबिन्द नेतराम** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 सितम्बर, 1983 के टाइम्स ऑफ इन्डिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार इराक सरकार के साथ वहां से क्रूड और सल्फर का आयात करने के बारे में समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना और किस किस्म का कूड और सल्फर उस देश से आयात किया जायेगा, समझौते की शर्तें क्या हैं और इस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम क्या हैं;

(ग) वाणिज्यिक मूल्य, लाभप्रद मूल्य, ओपेक मूल्य या अनुकूल मूल्य, अर्थात् भुगतान किस प्रकार किया जायेगा और भारत में पहली खेप कब तक पहुंचने की सम्भावना है; और

(घ) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता और अन्य सदस्यों का नाम और रुतबा क्या था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 4 लाख मी० टन इराकी कच्चे तेल तथा 1 लाख मी० टन सल्फर के आयात के लिए इन्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा स्टेट आलय मार्केटिंग ओर्गेनाइजेशन, बगदाद, इराक के बीच करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

कच्चे तेल के लिए भुगतान अधिकृत विक्रय मूल्य पर किया जायेगा जबकि सल्फर के लिए इण्डो-इराक आस्थगित भुगतान करार के अनुसार भुगतान की व्यवस्था की जायेगी ।

इस सम्बन्ध में आगे ब्यौरे देना व्यापारिक हित में नहीं होगा ।

(घ) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम, जिन्होंने इराक की यात्रा की थी, अनुबंध-क में दिये गये हैं ।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य

1. श्री आनन्द स्वरूप (लीडर)	अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार
2. श्री ए० एस० चिव	इराक में भारत के राजदूत
3. श्री वी० के० दीक्षित	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार
4. श्री ए० एस० चथ्था	संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार
5. श्री राकेश कुमार	प्रथम सचिव (वाणिज्य) इराक में भारत का दूतावास
6. श्री एच० पी० दास	निदेशक, श्रम विभाग, भारत सरकार
7. कुमारी राज्य लक्ष्मी	उप-सचिव, पेट्रोलियम विभाग, भारत सरकार

8. श्री जे० जयारामन	मुख्य महाप्रबंधक, इंडियन आयल कार्पोरेशन
9. श्री के० जी० कृष्णा	महाप्रबंधक, एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कार्पोरेशन, बम्बई
10. श्री एम० पी० तेजवानी	उप-महाप्रबंधक, निर्यात-आयात, बैंक आफ इण्डिया, बम्बई
11. श्री बी० रे०	संयुक्त नियंत्रक, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, बम्बई
12. श्री वाई० वी० देसाई	प्रबन्धक, निर्यात-आयात, बैंक आफ इन्डिया, बम्बई ।

विधि आयोग द्वारा किया गया कार्य और उसका वार्षिक व्यय

4488. **श्री रशीद मसूद** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1981 में सरकार द्वारा गठित किए गए विधि आयोग के पास प्रायः कोई काम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो विधि आयोग स्थापित करने का क्या प्रयोजन है;

(ग) इस आयोग ने क्या काम किया है और इसके गठन के बाद से सरकार को कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं; और

(घ) विधि आयोग पर कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि दिसम्बर, 1981 में सरकार द्वारा गठित विधि आयोग के पास वास्तव में कोई काम नहीं है । आयोग सरकार द्वारा अधिकथित निर्देश-निबंधनों के अनुसार अपना काम कर रहा है ।

(ग) वर्तमान विधि आयोग ने सात रिपोर्टें तैयार करके सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं । विभिन्न विषयों पर जनता की राय जानने के लिए इसने आवश्यक पेपर परिचालित किए हैं ।

(घ) वर्ष 1982-83 के दौरान वर्तमान विधि आयोग का वार्षिक व्यय 11,33,940 रुपए है । इस वर्ष के बजट में विधि आयोग के लिए 12,51,000 रुपए का उपबंध किया गया है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय दिल्ली में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के हैड क्लर्क

4489. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, दिल्ली में अनेक अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के हैड क्लर्क पिछले तीन से पांच वर्षों से कार्य कर रहे हैं परन्तु उनकी सेवाओं को अभी तक नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) उनकी सेवाओं को कब नियमित किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) अनुसूचित जाति वर्ग के दो हैड क्लर्क पिछले 3 से 5 वर्षों के लिए तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है ।

(ख) हैड क्लर्कों के काडर में विभागीय पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत नियमित पद उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) उनकी सेवाओं को भर्त्ती रोस्टरों और उनकी वरिष्ठता के अनुसार तब नियमित किया जाएगा जब विभागीय पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत नियमित पद उपलब्ध होंगे ।

उर्वरक संयंत्रों में बोरियों की कमी

4490. **श्री सन्तोष मोहन देव :**
श्री गुलाम मोहम्मद खां

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोरियों की कमी का उर्वरकों की उपलब्धता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और सरकारी एजेंसियों द्वारा भारी मात्रा में उर्वरक नहीं उठाए गए हैं जिसके कारण संयंत्रों में काफी मात्रा में भंडार एकत्रित हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़े पैमाने पर निर्यात के कारण बोरियों की कमी पैदा हुई है जिसके कारण देश में उर्वरकों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो उर्वरक संयंत्रों की बोरियों की आवश्यकता कितनी है और उनका उत्पादन कितना है; और

(घ) उर्वरकों के लिए पटसन की बोरियों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

समय पर बिजली की सप्लाई न किए जाने के कारण फसलों को क्षति

4492. **श्री सतीश अग्रवाल :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री राम विलास पासवान :
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों को समय पर बिजली की सप्लाई न किए जाने के कारण फसलों को क्षति पहुंची है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ख) बिजली की कमी को पूरा करने और किसानों की फसलों को बचाने के लिए उन्हें बिजली की ठीक प्रकार सप्लाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि विद्युत की सप्लाई न किए जाने के कारण विभिन्न राज्यों में फसलों को क्षति पहुंची है। यद्यपि देश में विद्युत की कमी है, फिर भी कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई में प्राथमिकता दी जाती है और सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को अधिकतम विद्युत सप्लाई करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कृषकों को प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई 6 से 24 घंटे तक भिन्न-भिन्न है।

दूरसंचार के क्षेत्र में इण्डो-ब्रिटिश संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना

4493. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में एक इण्डो-ब्रिटिश संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) भारत और ब्रिटेन के बीच औद्योगिक सहयोग के मौजूदा समझौता ज्ञापन में, दूर-संचार के क्षेत्र में भी सहयोग की पर्याप्त व्यवस्था है। अतः इस उद्देश्य के लिए और अधिक औपचारिक सम्पर्क दल स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

अनेक आवश्यक दवाओं की मांग का प्राक्कलन कम करना

4494. **डा० प्रताप वाघ** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनेक आवश्यक दवाओं की मांग के प्राक्कलन में कमी कर दी है जिससे मांग और पूर्ति में भारी अन्तर आ गया है;

(ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यक पैंसलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और ऐसी अन्य दवाओं की मांग और पूर्ति में अन्तर आ गया है; और

(ग) देश में औषधि उद्योग के प्रसार और वृद्धि के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) विभिन्न बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के लिए छठी योजना मांगों का पूर्वानुमान अनुमानित वृद्धि दरों के आधार पर लगाया गया था । गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उपभोग को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ अनुमानों को अधिक पाया गया था और कुछ अन्य को कम । वास्तविक उपभोग के आधार पर और अधिक वास्तविक मांग लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से एक मध्यावधि पुनरीक्षा की जा रही है । तथापि, योजना आयोग ने अपने मध्यावधि मूल्यांकन के रूप में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के लिए समग्र लक्ष्यों को संशोधित किया है । मध्यावधि पुनरीक्षा से मांग और आपूर्ति के मध्य कोई अन्तर उत्पन्न नहीं हुआ है ।

(ग) देश में औषध उद्योग के विस्तार और वृद्धि के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा चुकी है :—

(i) डी० जी० टी० डी० पंजीकरण सहित अनेक औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं ।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों की क्षमता में विस्तार प्रारम्भ किए गए हैं ।

(iii) विद्यमान संयंत्रों के सम्बन्ध में कच्चे मालों की प्राप्ति और उपयोगिताओं की आपूर्ति में विकसित प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करके उत्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायता दी जा रही है ।

(iv) औद्योगिक लाइसेंसों और आशयपत्रों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जाती है और यदि ऐसे एककों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उनका अध्ययन किया जाता है ।

(v) स्वतः वृद्धि की योजना औषध उद्योग पर भी लागू की गई है ।

(vi) स्थापित क्षमताओं की मान्यता देने का योजना और उच्च क्षमताओं के पुनर्पृष्ठांकन की योजना कुछ शर्तों के साथ औषध उद्योग पर भी लागू की गई हैं ।

मुकदमेबाजी का खर्च कम करने के उपाय

4495. **श्री पी० के० कोडियन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मुकदमेंबाजी अभी भी बहुत खर्चीली है;

(ख) क्या मुकदमेबाजी का भारी खर्च प्रायः आम आदमी को न्याय के लिए न्यायालय में जाने से रोकता है;

(ग) यदि हां, तो मुकदमेबाजी के भारी खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) मुकदमेबाजी का खर्च अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि वकीलों द्वारा प्रभार्य फीसें, न्यायालय फीसें, मामलों के निपटारे में विलंब, न्यायालय तक पहुंचने के लिए मुकदमा लड़ने वाले को जो दूरी तय करनी पड़ती है, आदि । मुकदमेबाजी के खर्च को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा चुके हैं, अतः यह कहना सही नहीं होगा कि भारत में मुकदमेबाजी अभी भी बहुत खर्चीली है । यह कहना भी गलत होगा कि प्रायः आप आदमी को न्याय के लिए न्यायालय में जाने में प्रायः वाधित होता है ।

(ग) मुकदमेबाजी के खर्च को कम करने के लिए देश में अनेक राज्यों द्वारा पर्याप्त मात्रा में विधिक सहायता प्रदान की जा रही है । विलंब और बकाया मामलों की संख्या कम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और न्यायालय फीस को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर भी काफी विचार-विमर्श किया जा चुका है ।

उपभोक्ताओं के नये आवासों पर गैस सिलेंडरों की सप्लाई

4496. **श्री अनवर अहमद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना चबाने की गैस उपभोक्ताओं द्वारा एक ही गैस डीलर के क्षेत्र में आवास बदलने पर नए आवास पर गैस सिलेंडर सप्लाई प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया तथा नियम निर्धारित किए गए हैं और गैस उपभोक्ताओं को नए पते पर गैस सिलेंडर की सप्लाई प्राप्त करने के लिए क्या औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक है; और

(ख) उन व्यक्तियों को नए पते पर गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए क्या औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक है, जो खाना बनाने की गैस के नए कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं और जिन्होंने गैस केनेक्शन के आवंटन से पूर्व ही मकान बदल लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) एल० पी० जी० के उपभोक्ता को अपने सम्बन्धित वितरक को आवास/वास्तविकता के प्रमाण के रूप में

उपयुक्त दस्तावेज के साथ एक पत्र देना पड़ता है जिसमें आवास के बदलने की सूचना दी जाती है जिसके बाद वितरक अपने निर्धारित विपणन क्षेत्र में उपकरण को उपभोक्ता के नये आवास में स्थानान्तरण करने और वहां सिलेंडर सप्लाई करने की व्यवस्था करता है ।

(ख) भावी उपभोक्ता, जिसका नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज है, सम्बन्धित वितरक को, उसके विपणन क्षेत्र के अन्दर आवास का पता बदलने के बारे में एक पत्र द्वारा सूचित कर सकता है।

जब भी प्रतीक्षा सूची के अनुसार भावी उपभोक्ता की बारी आ जाती है, वितरक, उपभोक्ता द्वारा सूचित पते पर प्रस्ताव संबंधी पत्र भेज देता है ।

राज्यों द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिए कानून बनाना

4497. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि खेतिहर मजदूरों के लिए कोई केन्द्रीय कानून नही होगा और राज्यों को अपने कानून बनाने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून न लाए जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या खेतिहर मजदूरों के लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में उन्होंने कोई सुझाव दिया है अथवा कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने राज्य केन्द्र के सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए सहमत हो गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने के प्रश्न पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और केन्द्रीय कानून के लिए कोई मतैक्य न होने के कारण, यह निर्णय लिया गया है कि यह प्रश्न राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए, ताकि वे स्थानीय दशाओं के अनुसार कानून बना सकें ।

(ग) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे केरल कृषि अधिनियम, 1972 तथा केन्द्रीय विधेयक के प्रारूप के आधार पर समुचित राज्य कानून बनाएं ।

(घ) गुजरात राज्य शीघ्र ही राज्य कानून बनाने पर विचार कर रहा है और कुछ अन्य राज्य भी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ।

भारत कोकिंग कोल लि० में कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर दिखाना

4498. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के चेयरमैन द्वारा हाल ही में भारत कोकिंग कोल लि० में 20 लाख टन कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर दिखाये जाने का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

इण्डियन अल्युमीनियम कम्पनी का महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड में विलय

4499. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन अल्युमीनियम कम्पनी और महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के विलय को अपनी अन्तिम स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या यह सच है कि विलयित कम्पनी में 26% शेयर एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ए० एल० सी० ए० एन० के होंगे; और

(ग) क्या सरकार को इंडल के कर्मचारियों और अनेक शेयरधारियों द्वारा इस विलय के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होने के कारण उठाई गई आपत्तियों की जानकारी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) उपर्युयत (क) को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हां, श्रीमान् जी ।

वे निर्वाचन क्षेत्र, जिनके निर्वाचन मुल्तवी कर दिए गए हैं

4500. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उन निर्वाचन क्षेत्रों के, लोक सभा और विधान सभा दोनों के, नाम क्या हैं जिनके निर्वाचन अनिश्चित काल के लिए मुल्तवी कर दिए गए हैं और उसके कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : निर्वाचन आयोग से प्राप्त एक विवरण, जिसमें उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम, जिनमें काफी समय से निर्वाचन नहीं हुए हैं, और निर्वाचनों के न कराए जाने के कारण दर्शित हैं, सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

निर्वाचन क्षेत्रों के नाम जिनके काफी समय से निर्वाचन नही हुए हैं और निर्वाचनों के न कराए जाने के कारण दर्शित करने वाला विवरण ।

राज्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का सं० और नाम	रिक्त होने की तारीख	रिक्त होने का कारण	मुल्तवी किए जाने के कारण
1	2	3	4	5
			लोक सभा	
1. असम	5-कोक्राझाड़ (अ०ज०जा०)	10-1-1980	मतदान 17/20-2-83 को स्थगित कर दिया गया ।	राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति निर्वाचन करने के लिए अनुकूल नहीं है ।
	6-बारपेट	10-1-1980	-यथोक्त-	
	8-मंगलदाई	10-1-1980	मतदान 6-5-83 को अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने के कारण प्रत्या-दिष्ट कर दिया गया ।	स्थगित और प्रत्यादिष्ट मतदान कराने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब राज्य में स्थिति सामान्य हो जाएगी ।
	9- तेजपुर	10-1-1980	मतदान 17/20-2-83 को स्थगित कर दिया गया	
	10-नौगांग	10-1-1980	-यथोक्त-	
	13-डिब्रूगढ़	10-1-1980	-यथोक्त-	
	14-लखीमपुर	10-1-1980	-यथोक्त-	
2. पंजाब	6-होशियारपुर	22-7-1982	पदत्याग	राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और विधान सभा अनिश्चित काल के लिए निलंबित है । अतः आयोग ने

1	2	3	4	5
				उप-निर्वाचन आस्थगित कर दिए हैं। राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति भी उप-निर्वाचन कराने के लिए अनुकूल नहीं है।
			विधान सभा	
1. असम	32-बोंगई गांव	27-2-1983	मतदान 17/20-2-1983 को स्थगित कर दिया गया।	राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति निर्वाचन कराने के लिए अनुकूल नहीं है।
	33-विज्वी	27-2-1983	मतदान 3-9-83 को एक अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने के कारण प्रत्यादिष्ट कर दिया गया।	अतः राज्य में स्थगित और प्रत्यादिष्ट मतदान कराने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब राज्य में स्थिति सामान्य हो जाएगी।
	34-अभयपुरी उत्तर	27-2-1983	मतदान 17/20-2-83 को स्थगित कर दिया गया	
	35-अभयपुरी दक्षिण	27-2-1983	-यथोक्त-	
	65-कलाई गांव	27-2-1983	-यथोक्त-	
	66-सिपाझाड़	27-2-1983	-यथोक्त-	
	71-धेकियाजुली	27-2-83	-यथोक्त-	
	72-बड़छल्ला	27-2-83	-यथोक्त-	
	75-सूतिया	27-2-83	-यथोक्त-	
	76-बिस्वनाथ	27-2-83	निर्वाचन 15-2-83 को प्रत्यादिष्ट कर दिया गया	
	77-बेहाली	27-2-83	मतदान 17/20-2-83	

1	2	3	4	5
			को स्थगित कर दिया गया ।	
	78-गोहपुर	27-2-83	-यथोक्त-	
	81-लहरीघाट	27-2-83	-यथोक्त-	
	99-मजुली(अ० ज० जा०)	27-2-83	-यथोक्त-	
	118-दुलिआजन	27-2-83	-यथोक्त-	
	119-टिंगखोंग	27-2-83	-यथोक्त-	
	120-नाहरकटिया	27-2-83	-यथोक्त-	
2. जम्मू-कश्मीर	48-डोडा	18-4-83	आयोग ने रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणाम की घोषणा को अकृत करने का आदेश किया है ।	आयोग ने 16 मतदान केन्द्रों में पुनः मतदान ऐसी तारीख को, जिसका विनिश्चय बाद में किया जाएगा, कराने का आदेश दिया है । मामला जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है । 48-डोडा बिधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कराने की तारीक्ष बढ़ाकर 31-12-83 कर दी गई है ।
3. पंजाब	110-पक्काकलां (अ०जा०)	20-5-83	मृत्यु	राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है । विधान सभा अनिश्चित काल के लिए निलम्बित कर दी गई है । अतः आयोग ने उप-निर्वाचन आस्थगित कर दिया है । राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति उप-निर्वाचन कराने के लिए अनुकूल नहीं है ।

देश में बेरोजगार

4501. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, पिछले दो वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराने वाले बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) पंजीकृत व्यक्तियों में से महिलाओं की संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) संगत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए पंजीकरण (कुल तथा महिलाएं)

(हजारों में)

राज्य	निम्नलिखित के दौरान किए गए कुल पंजीकरण**			निम्नलिखित के दौरान महिलाओं के बारे में किए गए पंजीकरण**		
	1981	1982	1983 (जनवरी-सितम्बर)	1981	1982	1983 (जनवरी-सितम्बर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. आन्ध्र प्रदेश	319.9	310.1	308.0	49.3	49.0	46.5
2. असम	125.0	129.0	110.6	16.4	20.3	20.6
3. बिहार	807.0	503.4	424.2	33.9	23.6	20.2
4. गुजरात	225.1	225.2	170.7	33.1	34.5	27.4
5. हरियाणा	217.6	253.8	167.5	27.9	30.6	22.1
6. हिमाचल प्रदेश	70.6	62.4	55.4	11.2	10.0	10.0
7. जम्मू व कश्मीर	32.7	36.8	24.8	4.4	5.2	3.4
8. कर्नाटक	202.2	218.4	179.0	38.4	44.4	37.3
9. केरल	380.2	364.0	258.7	187.5	164.4	123.0
10. मध्य प्रदेश	413.9	397.1	332.3	48.4	45.7	36.7
11. महाराष्ट्र	663.0	588.4	449.4	88.7	82.1	62.7
12. मणिपुर	33.8	17.7	14.5	6.8	3.8	3.2
13. मेघालय	7.0	6.5	5.4	2.4	2.0	1.6
14. नागालैंड	4.6	3.8	4.1	0.8	0.8	1.0
15. उड़ीसा	219.9	205.3	159.6	14.6	15.4	13.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. पंजाब	231.9	210.5	167.4	40.0	37.3	30.4
17. राजस्थान	213.5	195.8	181.2	17.8	16.1	15.3
18. सिक्किम*						
19. तमिलनाडु	492.9	513.2	438.8	111.2	154.7	110.9
20. त्रिपुरा	24.8	11.2	5.0	7.4	3.5	1.5
21. उत्तर प्रदेश	799.1	858.1	719.7	50.7	50.0	42.0
22. पश्चिम बंगाल	541.4	505.0	466.0	100.6	103.8	92.6
संघ शासित क्षेत्र						
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2.7	2.4	1.8	0.4	0.4	0.4
2. अरुणाचल प्रदेश*						
3. चण्डीगढ़	32.0	26.2	24.0	5.7	4.7	3.9
4. दादर व नागर हवेली@						
5. दिल्ली	183.5	184.5	162.2	26.0	26.5	25.1
6. गोवा	13.2	12.3	9.5	3.7	3.7	2.7
7. लक्ष्द्वीप	0.7	0.7	0.4	0.1	0.2	0.1
8. मिजोरम	10.7	10.2	13.4	2.1	2.8	3.4
9. पाण्डिचेरी	8.6	1019	9.7	2.4	3.2	3.1
जोड़ :	6276.9	5862.9	4863.1	931.7	938.7	760.5

नोट : 1. *कोई रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा ।

2. **इस सूचना में रोजगार कार्यालय द्वारा किए गए पुनः पंजीकरण भी शामिल हैं ।

3. @ हाल ही में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय खोल गया है, जिसके बारे में सांख्यिकीय विवरणियां सभी प्राप्त होनी हैं ।

4. पूर्णांकों के कारण जोड़ मेल नहीं भी खा सकते ।

5. यह आवश्यक नहीं कि रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत सभी व्यक्ति बेरोजगार हों ।

थाल-वैशेट उर्वरक संयंत्र के लिए ठेके देना

4502. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**
श्रीमती प्रमिला दण्डवते :
श्री मोती भाई आर० चौधरी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाल वैसेट परियोजना के लिए ठेके देने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रमुख ठेकेदारों के नाम क्या हैं और उन्हें क्या काम सौंपा गया है;

(ग) क्या इटली की एक फर्म को कोई ठेका दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (घ) अमोनिया संयंत्र तथा यूरिया संयंत्र के लिए मुख्य परामर्शी करार क्रमशः डेनमार्क मैसर्स हालडोर टोपस्को (एच० टी० ए० एफ०) के साथ 15-2-1981 को तथा इटली के मै० सनम-प्रोगेटी के साथ 30-1-1981 को मैसर्स प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेन्ट इंडिया लि० के सहयोग से, जिसके साथ आर० सी० एफ० ने एक अलग करार किया है, तय किया गया है और उस पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

अमोनिया संयंत्र के लिए सेवाओं की कुल फीस 16.95 मिलियन अमरीकी डालर है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेन्ट इंडिया लि० (पी० डी० आई० एल०) को मै० एच० टी० ए० एस० के उप-ठेकेदारों के रूप में 95.24 मिलियन रुपये का भुगतान किया जाना है।

यूरिया संयंत्र की सेवाओं के लिए कुल फीस 4.98 मिलियन अमरीकी डालर है। इसके अतिरिक्त मै० पी० डी० आई० एल० द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए 48.53 मिलियन रुपये भुगतान करना पड़ेगा।

दोनों करारों के कार्य क्षेत्र में मुख्यत लाइसेंस, जानकारी, प्रोसेस डिजाइन और बेसिक इंजीनियरिंग, विस्तृत इंजीनियरिंग, प्राप्ति सेवा और संयंत्र की स्थापना तथा आर० सी० एफ० तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी सहायता देना शामिल है।

कच्छ सौराष्ट्र और गुजरात में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

4503. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न भागों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य से विभिन्न संगठनों और संस्थाओं, संसद सदस्यों, विधान मण्डल

के सदस्यों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विभिन्न वाणिज्य मण्डलों और विशेषज्ञ समितियों से कुछ प्रस्ताव, आवेदन और पत्र आदि प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) केन्द्र द्वारा अब तक ऐसे कितने केन्द्रों के बारे में निर्णय कर लिया गया है और प्रत्येक के नाम और स्थान क्या-क्या हैं;

(च) तत्संबंधी योजनाओं, कार्यक्रमों और अनुमाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) कार्यक्रम प्रसारण करने हेतु उनके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (छ) जी, हां। गुजरात में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

गुजरात राज्य में अहमदाबाद में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो ढांचे के साथ 10 किलोवाट ट्रांसमीटर), राजकोट और द्वारका में दो उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथ सूरत, बड़ोदरा भावनगर भरूख पाटन और नवासरी में 6 अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

अहमदबाद से 1 किलोवाट की क्षमता के साथ दूरदर्शन सेवा 19-11-1983 से शुरू हो चुकी है। सभी ट्रांसमीटरों के 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। अहमदाबाद में स्टूडियो ढांचे के 1985-86 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। उपरोक्त परियोजनाओं पर निम्नानुसार लागत आने का अनुमान है :—

	(लाख रुपये में)
दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद	953.54
राजकोट में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं सहित दूरदर्शन ट्रांसमीटर	354.85
दूरदर्शन ट्रांसमीटर, द्वारका	270.03
अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर	139.08

फिल्म "सौतन" में कुछ संवादों और शब्दों पर शिकायतें

4504. श्री रामजी भाई मावणि : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संसद सदस्यों, वी० आई० पी० और विभिन्न विदेशी संगठनों की शिकायतों पर दिलाया गया है कि फिल्म "सौतन" में कुछ ऐसे संवाद और शब्द हैं जो अनुसूचित जातियों के प्रतिकूल हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों और संवादों तथा शब्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का कोई विचार है;

(च) यदि हां, तो कब और कैसे;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ज) फिल्म सेंसर बोर्ड ने उक्त फिल्म "सौतन" के प्रदर्शन को किन परिस्थितियो में अनुमति दी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (छ) सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा यथा प्रमाणित फिल्म "सौतन" (हिन्दी) में अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति अपमानजनक संवाद/शब्द हैं। कुछ संसद सदस्यों ने भी इस फिल्म के बारे में हमें लिखा है। ये शिकायतें फिल्म में अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति तिरस्कारपूर्ण सन्दर्भों मुख्यतया "अछूत" शब्द का प्रयोग करने के बारे में है। चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत इस फिल्म के विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी हो जाने के बाद उपयुक्त आदेश पारित किए जाएगें।

(ज) फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और तदन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इस फिल्म की जांच की और उसने इसको 24.5.1983 को तीन काटछांट के साथ "यू" प्रमाण पत्र प्रदान किया था।

कोयला धोवन-शालाओं को भारत कोकिंग कोल लि० के साथ मिलाने की शर्तें

4505. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीनस्थ संथालडीह पयेरदीह और दुराधा स्थित कोयला धोवल-शालाओं को भारत कोकिंग कोल लि० के साथ मिला दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय व्यापार संघों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख)

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की चार वाशरियों का संचालन भारत कोकिंग कोल लि० ऑवर आफ अटार्नी के आधार पर कर रहा था। अब दिनांक 1-10-1983 से यह वाशरियां भारत कोकिंग कोल लि० को दे दी गई हैं।

(ग) ट्रेड यूनियनों में इसकी मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है।

शेयरों के अन्तरण के विरुद्ध शिकायतें

4506. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस महीनों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के शेयरधारियों में कम्पनियों द्वारा उनके शेयरों के अन्तरण के सम्बन्ध में कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इन सभी मामलों/शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य, शेयर अन्तरण के विरुद्ध शिकायतों की निर्दिष्ट करते हुये, कम्पनी अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली "अपीलों" को दृष्टिगत कर रहे हैं। विगत 10 महीनों के दौरान (फरवरी से नवम्बर 83 तक) कम्पनी विधि, बोर्ड की धारा 111 तत्रैव के अन्तर्गत 53 अपीलें, सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध शेयरों के अन्तरण से इन्कारी करने के विरुद्ध कष्ट मुक्ति के लिए दायर की गई हैं।

(ख) अपीलों पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में कार्यान्वित किये जाने वाली विद्युत परियोजनायें

4508. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली कितनी मुख्य विद्युत परियोजनाएं हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उन विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तारीखें क्या हैं;

(ग) प्रत्येक विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) छठी योजना उड़ीसा में 560 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना है जिसमें 220 मेगावाट ताप विद्युत तथा 340 मेगावाट जल विद्युत शामिल है, जिसमें से 220 मेगावाट ताप विद्युत पहले ही चालू की जा चुकी है। 106 मेगावाट जल विद्युत क्षमता छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जोड़े जाने की संभावना है, जबकि 240 मेगावाट के सातवीं योजना अबधि तक के लिये पिछड़ जाने की संभावना

है। इन परियोजनाओं के संबंध में पूरी होने की संभावित तारीखें तथा अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

छठी योजना के दौरान उड़ीसा में विद्युत परियोजनाएं

परियोजना का नाम तथा क्षमता	पूरे होने का लक्ष्य तारीख	परियोजनाओं की प्रगति
1	2	3
1. तलचेर विस्तार विद्युत परियोजना (2×210 मेगा०)	पहली यूनिट-मार्च, 82 दूसरी यूनिट-मार्च, 83	चालू की जा चुकी है।
2. रेंगाली जल विद्युत परियोजना (2×53 मे० वा०)	पहली यूनिट-अक्तूबर, 84 दूसरी यूनिट-मार्च, 85	बांध की खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है। और चिराई/कंक्रीट कार्य पूरा होने के करीब है। 8 स्पिलवे गेट प्रतिष्ठापित कर दिए गए हैं। यूनिट-1 के स्पाइरल कास्टिंग और स्पीड रिंग प्रतिष्ठापित करने का कार्य पूरा हो गया है। यूनिट-2 के लिए ड्राफ्ट ट्यूब के सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है और कंक्रीट कार्य चल रहा है। सभी कालमों का नींव संबंधी कार्य तथा कालमों का लगभग 50% उत्थापन कार्य पूरा हो गया है। स्विच यार्ड को समतल करने का कार्य पूरा हो गया है और स्विच यार्ड के अधिकांश उपस्करों के डिलीवरी का कार्य भी पूरा हो गया है।
3. अपर कोलोब जल विद्युत परियोजना (3×80 मे० वा०)	पहली यूनिट-अगस्त, 85 दूसरी यूनिट-फरवरी, 86 तीसरी यूनिट अगस्त, 86	परियोजना के सभी संघटकों पर कार्य पूरा होने के करीब है। बांध की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है और कंक्रीट/चिनाई कार्य चल रहे हैं। हैडरेस सुरंग की खुदाई

1	2	2
		का कार्य पूरा हो गया है और कंक्रीट कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। पेनस्टाक सुरंग की खुदाई भी पूरी हो गई है और पेनस्टाक सुरंग और पेनस्टाक के लिए स्टील लाइनरों की गढ़ाई का कार्य चल रहा है। सर्विस बे का निर्माण हो गया है ताथ सर्विस बे में ई० ओ० टी० क्रेन का उत्पादन किया जा रहा है। यूनिट-I की ड्राफ्ट ट्यूब का संरेखन और कंक्रीट कार्य हो गया है।

मेझिआ विद्युत परियोजना

4509. **श्री नीरेन घोष :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेझिया विद्युत परियोजना किस प्रकार लागू की जाएगी; और

(ख) क्या इस परियोजना को छोड़ दिया गया है अथवा मेझिआ विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले में मेझिआ में 210-210 मेगावाट की तीन यूनिटों वाले ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस शर्त पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है कि निम्नलिखित निवेश सुनिश्चित कर लिए जाएं :—

(1) पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति

(2) जल शीतलन प्रबन्ध

(3) कोयला लिंकेज

(4) निधियां

जबकि उपर्युक्त मद (1) और (2) को तय कर लिया गया है, कोयला लिंकेज और निधियों की सुनिश्चितता के बारे में बातचीत चल रही है।

उच्च प्रौद्योगिकी हेतु वर्गीकृत औषधियां

4510. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगेस्ट्रोल, एसीटेट, फानाकुओन, मेथडीलेजिन एच० सी० एल०, डेक्साम थासोन, हालोचीन, ट्राइमैथोप्रिम, प्राइमेथास्माइन आदि बहुत सी औषधियां, जिन्हें उच्च प्रौद्योगिकी हेतु वर्गीकृत किया गया है, उपान्तियों से विदेशी कम्पनियों द्वारा तैयार किया जाता है;

(ख) उन उच्च प्रौद्योगिकी बल्क औषधियों के नाम क्या हैं जिनमें 50 प्रतिशत आयात तत्व शामिल है, आयातित सहायक सामग्रियों के नाम क्या हैं, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औषधियों के मूल्य क्या हैं और उनमें उच्च प्रौद्योगिकी के तत्वों का पता लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार की औषधियों के उत्पादन में शामिल प्रौद्योगिकी के स्वरूप की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो कब तक; और

(घ) क्षमताओं का विस्तार और उनका समर्थन करते समय इन औषधियों का वर्तमान स्तर क्या होगा ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, नहीं। यहां उल्लिखित सात औषधों में से केवल हेलोथेन का उत्पादन उपान्तिम अवस्था से किया जा रहा है।

(ख) उन उच्च प्रौद्योगिकी बल्क औषधों के नाम जिनमें आयात अंश 50% से अधिक हैं, उनकी सी० आई० एफ० लागत और उनके उत्पादन के लिए आयातित प्रमुख मध्यवर्ती/कच्चे माल जैसा कि उच्च स्तरीय समिति को बताया गया था, निम्न प्रकार हैं :—

बल्क औषध	आयातित बल्क औषध की लागत	प्रयोग किए गए प्रमुख आयातित/मध्यवर्ती/ कच्चा माल
1. ट्राईमेथोप्रिम	529.83	ट्राइमेथोक्सीबेन्जिल हीहाईड
2. डेक्सामेथासोन	31960.00	16-अल्फा-मिथाइल-9 (11)-एनहाइड्रो-प्रेडनीसोलोन एसीटेट (बी बी-17)
3. विटामिन-ई एसीटेट/एक्सीनेट	202.00	ट्राईमिथाइलफिनोल और आईसोफिटोल
4. इबूप्रोफेन	306.00	आईसोबुटाइलबेन्जीन

उच्च स्तरीय समिति ने ध्यानपूर्वक जांच की और मानदन्डों के ब्यौरे तथा प्रक्रियाओं को उच्च प्रौद्योगिकी निहित मानने के लिए कारण रिकार्ड किए।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) विस्तार प्रस्ताव, जब भी प्राप्त होते हैं, उनकी जांच संस्थान यदि आंवेदन-पत्र फेरा कम्पनियों से प्राप्त हुए हैं तो मूल अवस्था से उत्पादन, प्रस्तावित मद की वर्तमान स्थिति, मांग,

अनुमोदित क्षमता, उत्पादन, आयात, प्रौद्योगिकी की स्वदेश में उपलब्धता आदि और नई औषध नीति द्वारा निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

उक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित चार औषधों में से अप्रैल, 1982 की आर० ई० सी० नीति के अनुसार विटामिन-ई और आइबुप्रोफेन के सम्बन्ध में क्षमताओं के पुनः पृष्ठांकन की अनुमति दी गई है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विश्व निविदाओं का आकलन करने और उन्हें स्वीकृति देने के लिए अपनाए गए मानदण्ड

4511. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विश्व निविदाओं का आकलन करने और उन्हें स्वीकृति देने के लिए किसी निर्धारित मानदण्ड का पालन नहीं करता है;

(ख) क्या यह सच है कि अलग-अल निविदा के लिए भिन्न-भिन्न मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि आफशोर एण्ड एक्सप्लोरेशन डिविजन के अधिकारों ने, जिन्होंने विदेशी मुद्रा में अधिकतम खरीददारी की है, उसी विभाग में है, और काफी समय से उसी कार्य को कर रहे हैं जबकि उनकी अर्हताओं का कोई तकनीकी आधार नहीं है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

चुनाव प्रचारों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रयोग

4512. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्याशियों के चुनावों संबंधी खर्चों का कुछ भार सरकार के जिम्मे डालने के प्रयोजन से ब्रिटेन की तरह ही, यहां देश में भी चुनाव अभियान में दौरान राजनैतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे माध्यमों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। वास्तव में आकाशवाणी/दूरदर्शन पर चुनाव प्रसारणों की पहले ही स्वीकृत योजना है जिसके अनुसार जब लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के आम चुनाव होते हैं तब निर्वाचन आयोग द्वारा "राष्ट्रीय" दलों और "राज्य स्तरीय" दलों के रूप में माध्यता प्राप्त राज-

नैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आकाशवाणी/दूरदर्शन पर प्रसारणों के लिए समय की सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के गावों को बिजली

4513. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में 52 प्रतिशत गांवों को बिजली देने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 1983-84 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के अधीन निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब तक जिला-वार क्या प्रगति की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) मध्य प्रदेश में गणना किए गए कुल 70,883 गांवों में से 31.3.1983 तक 32838 गांव विद्युतीकृत किए गए थे जो 46.3% बैठते हैं। योजना आयोग ने 1983-84 के लिए 3333 गांव विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य में निर्धारित किए गए गांवों का विद्युतीकरण हो जाने पर राज्य में विद्युतीकरण का स्तर 51.3% तक पहुंच जाएगा ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य में 1983-84 के दौरान 30.11.1983 तक 1777 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं । जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1983-84 के दौरान (30-11-1982) तक मध्य प्रदेश राज्य में विद्युतीकृत किए गए गांवों का जिलेवार ब्यौरा

क्रम संख्या	जिले का नाम	विद्युतीकृत गांव
1	2	3
1.	भोपाल	18
2.	सिहोर	50
3.	रायसेन	89
4.	होशंगाबाद	28
5.	बेतुल	86
6.	ग्वालियर	43
7.	भिन्ड	38
8.	दतिया	10
9.	मुरैना	29

1	2	3
10.	गुना	89
11.	शिवपुरी	61
12.	विदिशा	57
13.	राजगढ़	88
14.	इन्दौर	—
15.	खाण्डवा	7
16.	खरगोन	21
17.	रतलाम	10
18.	मन्दसौर	8
19.	घाट	14
20.	झबुआ	11
21.	उज्जैन	—
22.	देवास	18
23.	शाजापुर	16
24.	जबलपुर	29
25.	नरसिंहपुर	64
26.	सिओनी	51
27.	माण्डला	25
28.	बालाघाट	40
29.	छिन्दवाड़ा	—
30.	सागर	38
31.	दामोह	24
32.	टीकमगढ़	90
33.	पीवा	19
34.	सतना	10
35.	पन्ना	11
36.	छतरपुर	24
37.	सीधी	102
38.	शहडोल	32
39.	रायपुर	82
40.	दुर्ग	21
41.	राजनन्दगांव	63
42.	बस्तर	42
43.	बिलासपुर	58
44.	रामगढ़	41
45.	सरगुजा	54
	जोड	1771

राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम, कलकत्ता में मकान किराया और अन्य भत्तों की अदायगी में भेद-भाव

4514. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम की स्थापना चार वर्ष पूर्व की गई थी और इसके अन्तर्गत छः मिलें चल रहीं है और उनमें 40 हजार श्रमिक कार्य कर रहे हैं तथा इसकी सभी यूनिटों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन छः यूनिटों में से पांच यूनिटों के श्रमिकों को मकान किराया भत्ते की अदायगी की जाती है;

(ग) क्या केवल आर० बी० एच० एम० जूट मिल कटिहार (बिहार) के श्रमिकों को ही मकान कराया भत्ते की अदायगी नहीं की जाती है जबकि इसके अधिकारियों को पहले 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जाता था और अब 7-1/2 प्रतिशत दिया जाता है;

(घ) क्या श्रमिकों का मकान किराया भत्ते की अदायगी के संबंध में उन्हें दिनांक 20-8-1983 को एक अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो आर० बी० एच० एम० जूट मिल के श्रमिकों को मकान किराया भत्ते की अदायगी कब तक की जाएगी और यदि मकान किराया भत्ते की कोई अदायगी नहीं दी जाती है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री(श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) और (ङ) सरकार को तारीख 26-5-1983 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जो आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार (बिहार) के श्रमिकों को मकान किराया भत्ते के भुगतान के बारे में है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जून 1980 में स्थापित नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरस कारपोरेशन अपने सेवा नियमों और विनियमों, 1982, जिन्हें 1-4-1983 से लागू किया गया, के अन्तर्गत आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार सहित अपनी सभी छः राष्ट्रीयकृत यूनिटों के प्रबंधकीय और पर्यवेक्षी कार्मिकों को मकान किराया भत्ते का भुगतान कर रहा है । विनियम के अन्तर्गत आर० बी० एच० एम० यूनिट के अधिकारियों को पहले से वेतन का 20 प्रतिशत का दर से भुगतान किए गए मकान किराये भत्ते को अब घटा कर वेतन का 17-1/2 प्रतिशत कर दिया गया है ।

यह निगम कलकत्ता में और इसके इर्द-गिर्द स्थित 5 यूनिटों के श्रमिको को उनके मूल वेतन महंगाई भत्ते का 5 प्रतिशत की दर से मकान किराये भत्ते का भुगतान पश्चिम बंगाल मकान किराया भत्ता संदाय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर रहा है, जैसा कि तारीख 22-2-1979 के त्रिपक्षीय समझौते में व्यवस्था की गई है । वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, पश्चिम बंगाल मकान किराया भत्ता अधिनियम के उपबन्धों को क्षेत्राधिकारिक रोक के कारण आर० बी० एच० एम० यूनिट, कटिहार (बिहार) के कर्मकारों पर पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता ।

आवश्यक औषधियों में आत्म-निर्भरता

4515. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक औषधियों में आत्म निर्भर बनने के लिए कई प्रयत्न किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन आवश्यक औषधियों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गई है;

(ग) अन्य अभी आवश्यक औषधियों में देश किस वर्ष तक आत्म-निर्भर बन सकता है, और

(घ) उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) और (घ) आवश्यक औषधों के मामले में आत्म निर्भर होने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं। इस बारे में किए गए उपाय निम्न प्रकार हैं:—

(I) डी० जी० टी० डी० पंजीकरणों सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक अनुमोदन जारी किए गए हैं।

(II) सार्वजनिक क्षेत्र में प्रपुंज औषध और सूत्रयोगों के विस्तार कार्य शुरू किया गया है।

(III) विद्यमान औषध एककों को विकसित प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा उत्पादन बाधाओं को दूर करने में, कच्चे माल को प्राप्त करने तथा उपयोगिताओं की आपूर्ति में सहायता प्रदान की जाती है।

(IV) औद्योगिक लाइसेंसों और आशयपत्रों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जाती है और इन एककों के बारे में यदि कोई कठिनाई हो तो उसकी जांच की जाती है।

(V) स्वत: विकास की योजना, औषध उद्योग पर भी लागू की गई है।

(VI) स्थापित क्षमताओं के विनियमन और उच्च क्षमताओं के पुनर्पृष्ठांकन की योजना कुछ शर्तों के साथ, औषध उद्योग में भी लागू की गई हैं।

(ख) और (ग) सल्फामेथाजोल, ट्राइमेथोप्रिम और मेट्रोनिडाजोल जैसी कुछ प्रपुंज औषधों के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर ली गई है और वर्ष 1982-83 के दौरान विवरण में सूचीबद्ध औषधों का कोई आयात नहीं हुआ या बहुत कम आयात हुआ।

देश की आवश्यकता को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक प्रपुंज औषधों के मामले में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए उक्त भाग (क) और (घ) के उत्तर में दर्शाए गए उपाय किए गए किए जा रहे हैं।

विवरण

1. **एन्टीबीयोटिक्स**
   1. क्लोरमफेनीकोल पाउडर
   2. क्लोरमफेनीकोल पालमीटेट
2. **सल्फाड्रग्स**
   1. सल्फाथियाडाइन
   2. सल्फासिटामाइड/सोडियम
   3. सल्फामिथोसोल
   4. पेथेलाइल सल्फाथियाजोल
   5. सल्फाफिनाजोल
   6. सल्फासोमिडाइन
   7. सल्फागुनिडाइन
   8. सल्फानिलेमाईड
3. **विटामिन्स**
   1. विटामिन सी
   2. निकोटिनिक एसिड
   3. निकोटिनामाइड
4. **एनालेजेस्टिक एन्टीपाइरिटिक्स आदि**
   1. ओक्सीफिनाइल बुटाजोन
5. **एन्टी टी० बी० औषधें**
   1. पी० ए० एस० और इसके लवण
   2. आई० एन० एच०
6. **एन्टी मलेरियल**
   1. एमोडियाक्वीन
7. **एन्टी डायबेटिक्स**
   1. क्लोरोप्रोमाइड
   2. टालबुटामाइड
   3. ग्लाइबेनक्लेमाइड
   4. इन्सुलिन
8. **कार्डियो वेस्कुलर ड्रग्स**
   1. जेन्थीनोल निकोटिनेट
9. **एन्टी हिस्टेमिन्स**
   1. डिफेनहाइड्रेमाइल
10. **टान्क्वेलाइजर और सिडटिव्स**
    1. डाएजोपाम
11. **एन्टी फिलेरियल्स**
    1. डी० ई० सी० सिट्रेट
12. **इमीनोलोजिकल एजेन्टस**
    1. ट्रिपल वेक्सीन
    2. टेटनस एन्टी-टोक्सिन
    3. डिपथीरिया एन्टी टोक्सिन
13. **एन्टी डिन्सेट्री ड्रग्स**
    1. डिलोक्सेनाइड फ्यूरेट

मुहानों पर पड़े कोयले को बट्टे-खाते में डालना

4516. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मुहानों पर पड़े लगभग 40 लाख टन कोयले को बट्टे खाते डालने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं इसमें बट्टे खाते में डाले जाने वाले कोयले की उत्पादन लागत सहित कितनी राशि अंतर्गस्त है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० ने स्टाकों के विस्तृत सत्यापन के लिए कदम उठाए हैं और यह काम अभी जारी है। अभी तक के ऐसे सत्यापन के आधार पर भारत कोकिंग कोल लि० में लगभग 0.68 मि० टन कोयला बट्टे-खाते में डाला जा रहा है और लगभग 0.32 मि० टन कोयला घरेलू उपभोग खाते में समायोजित किया जा रहा है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में भी कुछ स्टाकों का बट्टे-खाते में

डालने का प्रस्ताव है। कोल इंडिया लि० की सारी सहायक कंपनियों में बट्टे-खाते में डाले जाने वाले स्टाकों के बारे में अंतिम स्थिति विशेष दल द्वारा सत्यापन पूरा हो जाने के बाद ही स्पष्ट होगी। सत्यापन का काम चल रहा है। यह सूचना तथा निहित राशि और बट्टे-खाने के लिए प्रस्तावित कोयले के उत्पादन की लागत के बारे में भी सूचना प्राप्त की जाएंगी और सभा-पटल पर रख दी जाएंगी।

अधिग्रहीत भूमि वाले किसानों के परिवारों के सदस्यों को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में रोजगार देने के लिए व्यवस्था करना

4517. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल गैस कुओं को खोदने के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनके परिवार के किसी सदस्य को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में रोजगार देने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी;

(ख) क्या इस संबंध में कोई नियम बनाया गया है अथवा पहले कोई परिपत्र जारी किया गया था और यदि नहीं, तो क्या जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनको सहायता के लिए कोई नियम बनाया जाएगा;

(ग) क्या ऐसे कोई मामले हैं जिनमें उन किसानों को रोजगार दिया गया हो, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और यदि हां, तो कहूलोल-जोहाना-मैहसाना तेल क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(घ) क्या इस प्रकार का कोई अनुरोध इन तीनों क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है और उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

पठानपुरम टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

4518. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के क्विलोन जिले में स्थित पठानपुरम टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

4519. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) क्या बड़ौदा और उसके आसपास के क्षेत्र उपरोक्त दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण-क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) **जी** हां । सेवा लगभग 120 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध होगी ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों हेतु पदोन्नति नीति

4520. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल कलकत्ता द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कर्मचारियों को 1979 से आरक्षण नियमों के अनुसार कोई पदोन्नति नहीं दी जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कोटे का पालन नहीं कर रहे हैं और कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई-36021/10/76-एस्टेबिलसमेंट (एस० सी० टी०) दिनांक 21-1-1977 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को न तो कोई छूट दे रहे हैं और न उनके लिए कोई पृथक परीक्षा आयोजित कर रहे हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों में उत्पन्न होने वाले असंतोष से बचने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निषेधादेश के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए पदोन्नति आदि के मामले में आरक्षण नियमों को जनवरी, 1980 से लागू करने से मना कर दिया गया है ।

दिसम्बर, 1982 में इस मामले में प्रति शपथ-पत्र दायर किया गया है । इस मामले की अंशतः सुनवाई हुई है । इस मामले की पैरवी की जा रही है, ताकि इस मामले का शीघ्र निपटान कराया जा सके ।

भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा क्षमता का विस्तार

4521. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन का प्रस्ताव अपनी क्षमता से बढ़ा कर 60 लाख टन से ज्यादा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) भारत सरकार को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के अध्यक्ष से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 3 मिलियन मी० टन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाये जाने के संबंध में कहा गया है। सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोचीन तेल शोधक कारखाने का आधुनिकीकरण और विविधता लाने की योजनाएं

4522. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोचीन तेल शोधन कारखाने के आधुनिकीकरण और विविधता लाने तथा योजनाओं के कार्यान्वयन और 1980 से अब तक आई लागत का ब्यौरा है; और

(ख) क्या यह सच है कि हर वर्ष कुछ सप्ताहों के लिए शोधन कारखाना बंद कर दिया जाता है और उपभोक्ताओं, खासतौर पर एल० पी० जी० उपभोक्ताओं को कमी का सामना करना पड़ता है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियन विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोचीन रिफाइनरी लि० दो परियोजनाओं अर्थात माध्यमिक संसाधन और क्षमता विस्तार के कार्यान्वयन में लगी हुई है। माध्यमिक संसाधन सुविधा परियोजना पर 116.46 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है, जिसके पूरे होने पर रिफाइनरी बम्बई हाई के 100 प्रतिशत कच्चे तेल अथवा 100% आयातित कच्चे तेल अथवा कच्चे तेल के किसी भी मिश्रण को साफ कर सकेगी। इससे रिफाइनरी अधिक डीजल तेल, मिट्टी का तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उत्पादन भी कर सकेगी।

रिफाइनरी की मौजूदा 3.5 मि० मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता को बढ़ाकर 4.5 मि० मी० टन प्रति वर्ष करने पर 15.93 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

1982-83 तक उपरोक्त परियोजनाओं पर किया गया व्यय 59.91 करोड़ रुपये था। अनुमान है, कि 1983-84 के दौरान 64 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं को 1984-85 के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है और कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) रख-रखाव और मरम्मत के लिए रिफाइनरीज को समय-समय पर बंद किया जाना आवश्यक होता है। कोचीन स्थित रिफाइनरी को भी 18 महीनों में एक बार 3 से 4 सप्ताह के

लिए योजनाबद्ध रख-रखाव के लिए बन्द किया जाता है। इस प्रकार बन्द करने से पहले, सभी उत्पाद टैंकों को यथासंभव अधिक से अधिक भर दिया जाता है और क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से सप्लाई करने की व्यवस्था भी की जाती है।

पारली तापीय विद्युत केन्द्र की यूनिट-5 की स्थापना

4523. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारली तापीय विद्युत केन्द्र में विस्तार की यूनिट-5 (210 मेगावाट) की स्थापना का प्रश्न लगभग एक वर्ष से सरकार के विचाराधीन पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और सरकार का इस मामले में क्या निर्णय लेने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जनवरी, 1983 में भेजी गई पारली ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट-5 (210 मेगावाट) को प्रतिष्ठापित करने की स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन 8.11.1983 को दिया गया है और निवेश संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है।

भुवनेश्वर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

4524. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर में कोई इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव को शीघ्रता से लागू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) भुवनेश्वर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) भुवनेश्वर में एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) भुवनेश्वर में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाएगा जब इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का देश में ही उत्पादन होने लगेगा।

महाडाकपाल, बिहार सर्किल, पटना के कार्यालय में आकस्मिक व्यय में वृद्धि होना

4525. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठंडे और गर्म पेय पिलाने तथा कार्यालय की साज सज्जा जैसे गैर-जरूरी आकस्मिक खर्चों के कारण महाडाकलाप बिहार सर्किल पटना का आकस्मिक खर्च दिनों दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है;

(ख) महालेखाकपाल, बिहार सर्किल, पटना के कार्यालय में 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान 'आकस्मिक मद' में अब तक वास्तविक खर्चा कितना हुआ है; और

(ग) यदि इस प्रकार के व्यय को रोकने और नियंत्रण करने के लिए बार-बार जारी किए गए आदेशों के बावजूद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने का संकेत मिलता है तो सरकार द्वारा इस अलाभकारी खर्च पर काबू पाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण पोस्ट-मास्टर जनरल, बिहार सर्किल, पटना के कार्यालय में आकस्मिक खर्चों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से गर्म और ठण्डे पेय तथा कार्यालय के कमरों को सजाने पर होने वाला खर्च बढ़ जाने की वजह से नहीं हुई है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान, आकस्मिक खर्च पर 1.21 लाख रुपए व्यय हुए जिसमें 1018 रु० का गर्म और ठण्डे पेय पर हुआ व्यय भी शामिल है। 1982-83 के दौरान हुआ व्यय 2.17 लाख रुपए का है जिसमें गर्म तथा ठण्डे पेय पर हुआ 2514 रुपए का व्यय तथा कार्यालय के कमरों की साज-सज्जा पर 18576 रुपए का खर्च भी शामिल है। सितम्बर, 1983 तक आकस्मिक खर्चा 1.67 लाख रुपए का था जिसमें 3426 रुपए का गर्म और ठण्डे पेय पर हुआ व्यय तथा कार्यालय के कमरों पर 5569 रुपए का खर्चा भी शामिल है।

(ग) पोस्ट मास्टर जनरल, बिहार सर्किल पटना को इस संबंध में उपयुक्त सलाह दी गई है।

"बी० सी० सी० एल०" में कोयला खान मजदूरों की मजूरी में कटौती

4526. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बी० सी० सी० एल० में कार्य को लगातार अनुपस्थित रहने अथवा हड़ताल जैसे आरोप लगाकर कोयला खान मजदूरों की 8 दिनों की मजूरी की बड़े पैमाने पर कटौती की जानकारी है और यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मोहेन्द्रा क्षेत्र (क्षेत्र संख्या दो) और फुलारितरे कोयला खदान (क्षेत्र संख्या-एक) के दोनों मामलों में कटौती समझौते के लंबित पड़े रहने और नियमों का पालन किए बिना की गई थी;

(ग) क्या उन्हें इसकी भी जानकारी है कि उपर्युक्त दो मामलों में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) धनबाद ने बी० सी० सी० एल० के प्रबंधकों को ऐसी गैरकानूनी कटौती न किए जाने की सलाह दी;

(घ) क्या यह भी सच है कि सलाह की उपेक्षा की गई है; और

(ङ) क्या बी० सी० सी० एल० के प्रबंधकों को केन्द्रीय श्रम आयुक्त की उपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और यदि नहीं, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर):(क) यह 8 दिन की मजदूरी की कटौती केवल उन्हीं मामलों में की जाती है जहां कामगार अवैध हड़ताल करते हैं। ऐसा मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 9(2) के प्रावधान के अनुसार किया जाता है। दिनांक 24-8-1983 से 15-11-1983 के बीच भारत कोकिंग कोल लि० में ऐसे 2452 मामले हुए हैं।

(ख) से (ङ) इन दो मामलों में भी निर्धारित क्रियाविधियों का पालन करने के बाद, मजदूरी की कटौती के लिए प्रबंधमंडल ने मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 9(2) के अंतर्गत कार्रवाई की है। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद को सूचित कर दिया गया है कि प्रबंधमंडल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 का उल्लंघन नहीं किया है, जैसा कि उसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है। साथ ही, प्रबंध मंडल को मजदूरी की कटौती के विरुद्ध कोई सलाह भी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से नहीं मिली है।

सी० सी० एल० द्वारा सहायक उद्योगों के संवर्धन सम्बन्धी नीति को लागू न किया जाना

4527. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सी० सी० एल० की गलत नीति के कारण सहायक उद्योगों को खतरे में बारे में "रांची एक्सप्रेस" के प्रथम पृष्ठ के कालम 3, 4 और 5 पर प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इसमें उल्लिखित समस्याओं के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि लघु उद्योगों को बचाया जा सके; और

(ख) सहायक उद्योगों के संवर्धन संबंधी सी० सी० एल० की नीति क्या है और इसका किस प्रकार क्रियान्वयन किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय तेल निगम के नई दिल्ली स्थित पाइपलाईन मुख्यालय, कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किया जाना

4528. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के पाइपलाईन मुख्यालय में दिसम्बर, 1979 से अब तक कितने कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं और उनकी बर्खास्तगी के कारणों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) भारतीय तेल निगम के नई दिल्ली स्थित पाइपलाइन मुख्यालय, कर्मचारियों द्वारा दिए गए जाली बिलों के कितने मामले लम्बित हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1979 से आज तक, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन मुख्यालय), नई दिल्ली द्वारा एक संदेशवाहक, एक आशुलिपिक तथा एक सिस्टम अधिकारी की सेवायें समाप्त की गयी थीं। संदेश-वाहक को दुर्व्यवहार के प्रमाणित आरोप अर्थात् झूठे चिकित्सा बिल की प्रतिपूर्ति का दावा करने

के कारण सेवा मुक्त किया गया था। अन्य दो कर्मचारियों की सेवायें अनधिकृत तौर पर कार्य से 4 से 8 महीने तक लगातार अनुपस्थित रहने के कारण समाप्त की गयी थीं।

(ख) इस समय इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा झूठे चिकित्सा बिल के बदले दावा करने तथा अदायगी प्राप्त करने के कारण केवल एक आरोपित मामले की जांच की जा रही है।

गुमराह करने वाले विज्ञापनों को रोकने के नियम

4529. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखने हेतु विज्ञापनकर्त्ताओं पर रोक लगाने के लिए कोई कानून नहीं है कि वे अपने उस सामान का विज्ञापन न करें जिनके लिए वे अधिकृत नहीं हैं और जो जनता को गुमराह करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो वेस्पा पी० एल० 170 यह विज्ञापन क्यों कर रहा है कि उसका स्कूटर सर्वोत्तम है "इतना बढ़िया स्कूटर कभी आपके पास न था" जबकि लोहिया की एक्सई गुणवत्ता में इससे बहुत बेहतर हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) मौजूदा कानूनों तथा व्यावसायिक और विज्ञापन आचारों की सीमा के अन्दर प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित ट्रेड मार्कों का प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में उपयुक्त मानक प्रयोग और परिपाटी विकसित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना मुख्यतया विज्ञापन उद्योग का काम है।

(ख) उल्लिखित पंच लाइन एक सामान्य विज्ञापन दावा है जिसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए।

बेगार कराए जाने सम्बन्धी मामले

4530. **श्री रामलाल राही** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेगार कराये जाने सम्बन्धी मामले अब भी घटित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनको पूर्णत: रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) वर्ष 1980 से अब तक बेगार के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) सम्बन्धित श्रम पद्धति (जिसमें

पेशगी या ऋण के पुनः भुगतान के प्रतिफल के रूप में ऋणदाता के लिए ऋणी द्वारा किए गए बेगार या आंशिक बेगार श्रम पद्धति भी शामिल है) को बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन 25-10-1975 से सम्पूर्ण देश में कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, सभी बन्धुआ श्रमिक किसी प्रकार के बन्धित ऋण देने के लिए सभी दायित्वों से मुक्त हो गए और उनके ऋण समाप्त हो गए। अधिनियम के अधीन, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वासित करने की जिम्मेवारी केवल संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा पुनर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है। बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में 11 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे तत्काल और प्रभावी उपाय करें, जिसमें बंधुआ श्रमिकों, जहां कही ये विद्यमान हैं, का शीघ्र पता लगाने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण करना शामिल है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पहली अप्रैल, 1980 से 30 सितम्बर, 1983 तक 38653 बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया है और उन्हें मुक्त कराया गया। इसकी तुलना में इसी अवधि के दौरान मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों, जिन्हें पुनर्वासित किया गया, की संख्या 27,866 थी।

सलाल, थेन और दूल हास्ती पन-बिजली परियोजनाओं का निर्माण

4531. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में सलाल, थेन और दूल हास्ती पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या राज्य और केन्द्र के बीच इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं अथवा कोई समझौता हुआ है; यह करार क्या है और परियोजनाओं के रख-रखाव तथा निर्माण में योगदान के अलावा उत्पादन में राज्य का क्या हिस्सा होगा;

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब पूरा होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (घ) सलाल जल विद्युत परियोजना के विभिन्न संघटकों का निर्माण कार्य चल रहा है। परियोजना की पहली यूनिट दिसम्बर, 1985 में तथा दूसरी और तीसरी यूनिटें क्रमशः मई और अक्तूबर, 1986 में चालू किए जाने की संभावना है। दुलहस्ती परियोजना के लिए अवसंरचनात्मक कार्य चल रहा है और परियोजना 1990-91 में चालू किये जाने की संभावना है। पंजाब में थीन जल विद्युत परियोजना की परियोजना रिपोर्ट संशोधित कर दी गई है और इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जानी है। तथापि, परियोजना की स्वीकृति अनिर्णीत रहते हुए, पंजाब सरकार ने परियोजना पर

कुछ कार्य किये हैं। थीन परियोजना के पूरे होने की तारीख परियोजना के लिए साधनों की व्यवस्था पर निर्भर करती है। परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल करने के लिए पंजाब सरकार सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

(ख) थीन जल विद्युत परियोजना पंजाब राज्य द्वारा अपने निजी योजना साधनों से क्रियान्वित की जा रही है। सलाल और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित करने के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता हो गया है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण केन्द्रीय क्षेत्र में किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के लिए सलाल से इसके हिस्से के रूप में विद्युत का आवंटन संशोधित क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाना है। दुलहस्ती परियोजना में जम्मू और कश्मीर के हिस्से का निर्धारण केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं मे विद्युत और लाभों के बंटवारे के लिए केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार किया जाएगा।

(ग) सलाल और दुलहस्ती परियोजनाओं पर नवम्बर, 1983 तक किया गया कुल व्यय क्रमश: 267 करोड़ रुपये और 7 करोड़ रुपये है। सितम्बर, 1983 तक थीन जल विद्युत परियोजना पर किया गया व्यय 66.14 करोड़ रुपये था।

पटेल नगर में पट्टे पर दिए गए दुमंजिला पुनर्वास कालोनी के आवासों की बिक्री की अनुमति

4532. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटेल नगर में पट्टे पर दिए गए दुमंजिला पुनर्वास कालोनी के आवासी के मामले में बिक्री की अनुमति अप्रैल, 1979 तक मंजूर की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस अवधि के बाद बिक्री अनुमति मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खनिकों के लिए सुरक्षा उपाय

4533. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला-खनिकों की सुरक्षा के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 'कोल इंडिया लिमिटेड' तथा अन्य एजेंसियों द्वारा इन सुझावों को कार्यान्वित करने का समय-बद्ध कार्यक्रम क्या है; और

(ग) उक्त सुझावों के कार्यान्वयन के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) इस समय कोयला कंपनियां 'कोयला

खा नों में सुरक्षा के लिए समिति' की सिफारिशों को बड़ी तत्परता से कार्यान्वित कर रही हैं। यह समिति 1976 में स्थापित की गई थी और इसने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उनकी सिफारिशों का विवरण और स्थिति निम्नलिखित है :—

समिति ने 66 प्रमुख सिफारिशें की थीं जिनमें से 15 को लागू किया जा चुका है। इन सिफारिशों में यह बातें शामिल हैं—कोयला कंपनियों में आंतरिक सुरक्षा संगठन का गठन, रेत-भराई के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करना, कोयले की भावी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ओपेनकास्ट खनन का विकास, वार्षिक सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करना और इस संबंध में हुई प्रगति की निगरानी करना, गर्त सुरक्षा समितियों को सक्रिय करना, भूमिगत कार्य-स्थलों में गीले बल्ब के ताप को 32.5 सेन्टीग्रेड से नीचे रखना, आदि। कुछ अन्य सिफारिशें भी हैं और उनको क्रमशः लागू किया जा रहा है। इनमें से अनेक सिफारिशें कोयला-फेस के यंत्रीकरण से संबंधित हैं जैसे—बिजली सपोर्ट के साथ लंगवाल खनन, हाइड्रोलिक खनन शुरू करना, कोयला फेसों पर टोकरियों द्वारा लगान के स्थान पर कन्वेयरों और यंत्रीकृत लोडरों से लदान, आदि। चूंकि ऐसी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए काफी निवेश और प्रशिक्षित कामगारों की आवश्यकता है, इसलिए इनका कार्यान्वयन लम्बी अवधि में ही हो पाएगा।

कुछ अन्य सिफारिशें विविध प्रकार की हैं जैसे—धूल-सेम्पलर उपकरण उपलब्ध कराना ताकि कोयला खानों में धूल की समस्याओं का निर्धारण और उनका मूल्यांकन किया जा सके, शोर स्तर को 140 डेसीबोल पर रोकना और कामगारों को कान की सुरक्षा का प्रबंध किए बिना काम के क्षेत्र में जाने से रोकना, भूमिगत आग पर काबू पाने की प्रणालियां, कोयला खानों में धंसाव के कारण पैदा हुए खतरों पर काबू पाना, कोयला खानों में रज्जु ढुलाई की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उपाय, गैस विस्फोट दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय, आदि। इन सिफारिशों की निगरानी सहायक कंपनियों में आन्तरिक सुरक्षा संगठनों के माध्यम से और कोल इंडिया लि० में सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। कोल इंडिया लि० को निदेश दिए गए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोयला कंपनियों की वार्षिक सुरक्षा योजना कार्रवाई में निर्धारित समय के भीतर ही इन सभी सिफारिशों को यथासंभव कम से कम समय में लागू कर दिया जाए।

उपर्युक्त सिफारिशों के अलावा 'खानों में सुरक्षा पर पांचवां सम्मेलन' की सिफारिशों को भी कोयला कंपनियां कार्यान्वित कर रही हैं।

नए बृहद ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना

4534. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय निर्माणाधीन बृहद ताप विद्युत केन्द्रों के अलावा देश में और बृहद् ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें केन्द्र द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इसका कार्य कब आरम्भ होगा और कब पूरा होगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने फरक्का (2 × 500 मेगा०) के चरण विस्तार, कहलगांव, (चरण-4 × 210 मेगा०) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (चरण-1, 4 × 210 मेगा०) की सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तलचेर मानगुरु और चन्द्रपुरा में सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई कर रहा है ।

(ग) फरक्का विस्तार, कहलगांव और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए निवेश संबंधी निर्णय, वित्तीय व्यवस्था हो जाने के बाद ही लिया जा सकता है । शेष परियोजनाओं के संबंध में निर्णय उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित होने के बाद ही लिया जा सकता है ।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, फरक्का विस्तार और कहलगांव परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्य 1984 में हाथ में लिए जाने की संभावना है । इन परियोजनाओं की पहली यूनिटें, मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए आर्डर देने की तारीख से चार से पांच वर्षों में चालू किए जाने की संभावना है ।

बिहार के कटिहार जिले में बैना गांव में डाकघर खोलना

4535. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के कटिहार जिले में बैना गांव के लोगों को वहां पर कोई ग्रामीण डाकघर न होने के कारण कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो बैना गांव, जो ग्राम पंचायत का मुख्यालय भी है, में एक डाकघर कब तक खोल दिया जाएगा और यदि वहां पर डाकघर नहीं खोला जाएगा तो उसके कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) बैना में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और वहां 3 कि० मी० की दूरी पर एक अन्य डाकघर होने के कारण इसका औचित्य नहीं पाया गया । दूरी के लिए निर्धारित मानदंड में ग्राम पंचायत वाले ग्रामों को ढील नहीं दी जाती है ।

ऊर्जा के नए और पुनः प्रयोग किए जाने वाले स्रोतों के लिए भारत के सहयोग की अपेक्षा

4536. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्य देशों में तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जा के नए और पुनः प्रयोग किए जाने वाले स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए भारत से सहयोग करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने यह मांग की है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उन्हें दिए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के विकास और उपयोग के बारे में सरकार समय-समय पर विकासशील देशों से पूछताछ और अनुरोध प्राप्त करती रही है। इन देशों में से जिन्होंने भारत की सुविज्ञता का लाभ उठाया है या उठाने की इच्छा व्यक्त की है और भारत में उपलब्ध सुविधाओं का तथा इस क्षेत्र से संबंधित अनुभव का आदान-प्रदान कर रहे हैं, उनके नाम ये हैं :—अफगानिस्तान, बंगलादेश, थाईलैंड, अंगोला, ब्राजील, बुरुन्डी, इजिप्ट, जमैका, कीनिया, लाओस, मैडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पपुवान्यूगिनी, सोलोमन द्वीप, वनुवातू, मंगोलिया, श्रीलंका, तंजानिया, अपरवोल्टा और वियतनाम। इन देशों के विशिष्ट अनुरोधों पर यथोचित विचार किया गया है और प्रशिक्षण सुविधा देने, विशेषज्ञों व अध्ययन दौरों का प्रबंध और तकनीकी सूचना देने आदि जैसे माध्यमों के द्वारा उचित कार्यवाही की गई है। कुछ पैसिफिक द्वीप वाले देशों को नवीकरणीय ऊर्जा के उपस्कर देने का प्रस्ताव किया गया है।

जूनियर-ड्राफ्ट्समैन की वरीयता-सूची

4537. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूनियर ड्राफ्ट्समैन की वरीयता सूची संबंधी उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 5 जनवरी, 1981 तक कार्यान्वित किया जा चुका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय, दिल्ली का निर्णय कार्यान्वित नहीं किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिनांक 5 जनवरी, 1981 से पहले तदर्थ से तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां की गई थीं, यदि हां, तो क्या विभिन्न श्रेणियों में इस पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में विचार किया गया है, यदि नहीं तो क्यों; और

(घ) क्या 40-पोइन्ट रोस्टर पर विचार किया गया है, यदि हां, तो क्या यह भारत सरकार के दिनांक 20 अप्रैल, 1978 के ओ० एम० न० 3602/3/76 एक्ट (एस० सी०) के अनुदेशों का साफ-साफ उल्लंघन नहीं है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) और (ख) 1970 में दायर की गई रिट याचिका पर दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा 5.1.1981 को दिए गए निर्णय तथा उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2.11.1982 को दिए गए आदेश की अनुपालना में जूनियर ड्राफ्ट्समैन की वरिष्ठता सूची केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तैयार की गई थी और 27 नवम्बर, 1982 को परिपत्रित की गई थी।

(ग) और (घ) रिट याचिका के विचाराधीन रहने की अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रोन्नतियां तदर्थ आधार पर की गई थीं। ऐसी तदर्थ प्रोन्नतियां करते समय अनु-

सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पात्र अभ्यर्थियों के दावों पर भी सरकार के अनुदेशों के अनुसार विचार किया गया था। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 36021/8/76 स्थापना (एस० सी० टी०), दिनांक 20 अप्रैल, 1978 में दिए गए भारत सरकार के अनुदेशों में तदर्थ आधार पर प्रोन्नतियां करने के लिए 40 प्वाइंट रोस्टर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

धनबाद में टेलीफोन लाइनें

4538. **श्री ए० के० राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1.9.1983 को ऐसे खंडों की संख्या कितनी थी जहां टेलीफोन लाइनें नहीं हैं;

(ख) क्या उन्हें पता है कि बिहार के धनबाद जिले में बलिभापुर के खंड विकास कार्यालय का टेलीफोन कनेक्शन काट दिया गया है, यदि हां, तो यह कब काटा गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी जिले के चन्दन किर्मत और टोंडी खंड में, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं, टेलीफोन लाइनें नहीं हैं, यदि हां, तो वहां टेलीफोन लाइन लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन लाभकारी न होने पर भी टेलीफोन कनेक्शन लगाने का कोई विशेष प्रावधान है; यदि हां, तो इस प्रकार के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सितम्बर, 1983 तक देश के 94 ब्लाक मुख्यालयों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी हां। बलियापुर खंड विकास कार्यालय का टेलीफोन 600.60 रुपए के बिल की अदायगी न करने के कारण 2-11-78 को काट दिया गया था।

(ग) चंदनकैयां में लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। टोंडी ब्लाक मुख्यालय में लम्बी दूरी की सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा पहले से ही है।

(घ) जी हां। इस प्रकार के प्रावधानों का ब्यौरा अनुबंध एक और दो में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7604/73]**

बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाहीं

4539. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० सी० सी० एल० में अक्तूबर और नवम्बर, 1983 के महीने में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में किस किस्म की कार्यवाही की गई है;

(ख) दण्डित कर्मचारियों में मूल्य आधार पर तथा समय के आधार पर पारिश्रमिक किए जाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कार्यवाही 1983 में की गई है और अनुपस्थिति का विज्ञापन धनबाद के दैनिक समाचारपत्रों में 1975 में दिया गया था, यदि हां, तो क्या यह कार्य औचित्य-पूर्ण है; और

(घ) क्या यह सच है कि अनुपस्थिति के कम, क्वार्टर, हानिकारक भोजन और सामाजिक पिछड़ापन जैसे पांच मूल कारण थे, यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का बढ़ाया जाना

4540. **श्री के० प्रधानी** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय का अधिकांश समय रिटों और संवैधानिक मामलों के निपटान में व्यतीत हो जाता है;

(ख) क्या राज्यों के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के सुझाव दिए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

बंबई, गौहाटी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संबंधित सरकारों के प्रस्तावों पर विचार किया गया है और बंबई, गुजरात, गोहाटी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय किया गया है ।

राज्य विद्युत बोर्डों के लिए पृथक मरम्मत और अनुरक्षण वर्कशाप

4541. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तापीय एककों के अनुरक्षण में सुधार के लिए राज्य विद्युत बोर्डों की सहायता हेतु पृथक् मरम्मत और अनुरक्षण वर्कशाप स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है;

(ग) इस वर्कशाप का संचालन किस एजेंसी द्वारा किया जाएगा; और

(घ) यदि ऐसे वर्कशापों की स्थापना के विकेन्द्रीकरण का निर्णय किया जाता है तो क्या सरकार उड़ीसा में तालचेर तापीय विद्युत परियोजना जैसी कुछ प्रमुख विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को देखते हुए उस राज्य में ऐसी वर्कशापों की स्थापना पर विचार करेगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सुझाया गया एक उपाय, राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करने के लिए एक मरम्मत तथा अनुरक्षण संगठन की स्थापना करना है। इस संबंध में किसी ठोस प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। एजेंसी और वर्कशाप के लिए स्थान के बारे में निर्णय मरम्मत और अनुरक्षण संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही लिया जा सकेगा।

दुधिचुआ कोयला खनन परियोजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ समझौता

4542. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के सुझाव पर कोयला मूल्यों में वृद्धि किये जाने में विलम्ब के कारण विश्व बैंक के साथ कोल इंडिया लिमिटेड की दुधिचुआ कोयला खनन परियोजना के बारे में बातचीत को धक्का पहुंचने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय वह मामला किस अवस्था में है और सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) दूधीचुआ कोयला परियोजना का मूल्यांकन विश्व बैंक मिशन ने किया था जो मार्च, 1983 में भारत आया था। इस परियोजना पर अगली कार्रवाई विश्व बैंक में को जा रही है।

अल्का फ्लेम, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन दिया जाना

4543. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** 22 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न तो अल्का फ्लेम, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली ने और न ही तेल कंपनियों के अन्य वितरकों ने जिन्हें अलका फ्लेम की प्रतीक्षा सूची की क्रम संख्या 1108 से 1383 का अन्तरण किया जाना बताया जाता है; प्रतीक्षा सूची में दर्ज उन व्यक्तियों के पास कोई सूचना भेजी है जो प्रतीक्षा में गत पांच वर्षों से धन जमा करके अपने सिलेण्डर प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) क्या वह इण्डियन आयल कारपोरेशन के सम्बन्धित डीलरों से प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को और देर किये बिना सूचित करने को कहेंगे;

(ग) क्या वह प्रतीक्षा सूची में दर्ज उन व्यक्तियों के नाम, जो ऐसा चाहते हों, इंडियन आयल कारपोरेशन के डीलर को, जितनी जल्दी वह काम करना शुरू कर दे, पुनः अन्तरित करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) मैसर्स अल्का फ्लेम की 1108 से 1382 तक की प्रतीक्षा सूची को मैसर्स रमन गैस को स्थानांतरित कर दिया गया है तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज उपभोक्ताओं को इसकी सूचना दे दी गयी है।

(ग) और (घ) आनन्द निकेतन, आर० के० पुरम क्षेत्रों में एक इंडेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कार्य शुरू करने की आशा है। जैसे ही यह डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू हो जायेगी, कनेक्शन जारी करने के लिए मैसर्स अल्का फ्लेम्स की बाकी प्रतीक्षा सूची को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

गुजरात में भावनगर और अमरेली जिलों में टेलीफोनों के कार्यकरण के सम्बन्ध में शिकायतें

4544. **श्री नवीन रावणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के भावनगर और अमरेली जिलों में टेलीफोन विभाग के विरुद्ध (एक) टेलीफोन कालों के बिल बढ़ा चढ़ाकर देने (दो) टेलीफोनों के काम न करने (तीन) टेलीफोनों में पाये गये दोषों के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 में तथा 1 जनवरी, 1983 से 31 अगस्त, 1983 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने तथा इन जिलों में टेलीफोनों की कार्यप्रणाली संबंधी कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	जिले का नाम	1982	1-1-83 से 31-8-83 तक
(एक) अधिक राशि के बिल	भावनगर	----	—
	अमरेली	22	27
(दो) टेलीफोनों का कार्य न करना	भावनगर	—	13
	अमरेली	25	133
(तीन) टेलीफोनों में खराबी	भावनगर	10	20
	अमरेली	107	150

(ग) समस्याओं को सुलझाने और टेलीफोनों की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे :—

(एक) वाणिज्य मंडल की दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से उनके साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं और दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए तुरत कार्रवाई की जा रही है।

(दो) अधिकतर शिकायतें तूफान से हुई तबाही के कारण प्राप्त हुई थीं। तूफान से प्रभावित इलाकों में सेवाओं को पुनः चालू करने के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाइयां की गई।

(तीन) ओवरहैंड लाइनों के स्थान पर भूमिगत कैबिल बिछाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(चार) सामान्य अनुरक्षण तथा निरीक्षण कार्य में सख्ती लाई जा रही है।

(पांच) आवश्यकता होने पर उपभोक्ता मीटरों की निगरानी की जाती है।

(छः) टेलीफोनों की उपयुक्त कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर निगरानी एवं देखभाल की जा रही है।

प्लास्टिक सामान को सिंचाई के लिए उपर्युक्त बनाने हेतु उसे मजबूत बनाने के उपाय

4545. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक सामान को सिंचाई की आवश्यकता के अनुरूप मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं क्योंकि मौजूदा प्लास्टिक सामान का उपयोग इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है और इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड को उत्पादन और लाभ में घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की तत्संबंधी योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) केनाल लाईनिंग के लिए अच्छी किस्म की एल० डी० पी० ई० फिल्म के उत्पादन के लिए इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने, तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रोसेसरों के साथ प्रबंध कर लिए हैं।

हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर खोले गए डाक घर

4546. **प्रो० नारायण चन्द परासर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंचाई स्थल पर डाकघर खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इस डाकघर संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या वहां पर नियुक्त कर्मचारियों को कोई विशेष प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में 14500 फुट की ऊंचाई पर सिक्किम में 5.11.83 को एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोल दिया गया है जो काजा के लेखा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, लेकिन तुलनात्मक दिश्व स्थिति की जानकारी नहीं है। ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने की व्यवस्था नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें

4547. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु मल्टी एक्सेस सरल रेडियो सिस्टम नामक कोई विशेष कार्यक्रम चलाया है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और मल्टी-स्टेट टेलीकॉम सर्कलों अर्थात् उत्तर पश्चिम तथा पूर्वोत्तर सर्कलों के मामले में प्रत्येक राज्य के लिए उसके आंकड़े क्या हैं;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रत्येक राज्य में खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या सहित इस सिस्टम की स्थापना के लिये आवंटित की गई कुल धनराशि तथा उनमें अब तक स्थापित किये गए केन्द्रों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) एम० ए० आर० आर० योजना के अन्तर्गत लम्बी दूरी के एक सार्वजनिक टेलीफोन घर पर 1.5 लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है। देश में उत्पादित उपस्करों की उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों के आधार पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी और निधि का आवंटन उत्तरोत्तर किया जाएगा। एम० ए० आर० आर० योजना के अन्तर्गत अब तक चालू किए गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या नीचे दी गई है :—

	संस्थापित	चालू किये गये
1. आन्ध्र	9	9
2. गुजरात	14	14
3. तमिलनाडु	12	10
4. महाराष्ट्र	30	शून्य
5. हरियाणा	1	1

विवरण

दूरसंचार सर्किल का नाम	सेवा पाने वाले राज्यों के नाम	छठी योजना के दौरान एम० ए० आर० आर० योजना के अन्तर्गत लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेली-फोन घर खोलने के लिए अस्थायी योजना	
		बेस स्टेशनों की संख्या	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों की संख्या
आन्ध्र	आन्ध्र	23	395
बिहार	बिहार	13	195
गुजरात	गुजरात	15	291
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर	2	31
कर्नाटक	कर्नाटक	23	268
केरल	केरल	18	482
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	10	217
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	4	58
उत्तर-पूर्वी	(i) असम	शून्य	शून्य
	(ii) मणिपुर	1	15
	(iii) मेघालय	5	54
	(iv) नागालैंड	शून्य	शून्य
	(v) त्रिपुरा	1	15
उत्तर-पश्चिम	(i) हरियाणा	2	29
	(ii) हिमाचल प्रदेश	13	177
	(iii) पंजाब	शून्य	शून्य
उड़ीसा	उड़ीसा	18	155
राजस्थान	राजस्थान	46	1117
तमिलनाडु	तमिलनाडु	23	371
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	27	881
पश्चिम बंगाल	(i) पश्चिम बंगाल	8	163
	(ii) सिक्किम	शून्य	शून्य
		252	4914

नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड द्वारा नया नांगल-टालवाड़ा रेल लाइन के लिए स्टाफ क्वार्टरों का गिराया जाना

4548. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन नांगल-टालवाड़ा रेलवे लाइन के प्रस्तावित मार्ग पर स्थित आवासीय स्टाफ क्वार्टरों को गिराना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो गिराये जाने का कार्य किस तारीख तक पूरा हो जाने की सम्भावना है जिससे लाइन परियोजना का निर्माण द्रुतगति से किया जा सके ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) वर्तमान मकानों में रहने वालों के लिए नए मकान बनाने का कार्य प्रगति पर है। नए मकानों के निर्माण और उन पर कब्जा किए जाने के बाद वर्तमान मकानों को तोड़ने के लिए रेलवे को सौंप दिया जाएगा।

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में संगीत तथा नाटक प्रभाग के तंत्र का विस्तार

4549. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में एक एक यूनिट स्थापित करने के लिए संगीत नाटक प्रभाग के तंत्र का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या इस विस्तार के बारे में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोक्त राज्यों जैसे पर्वतीय राज्यों और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो दी जा रही अथवा दी जाने वाली प्राथमिकता का स्वरूप क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार गीत और नाटक प्रभाग के मौजूदा संजाल का विस्तार करने के किसी भी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

इण्डियन आयल कारपोरेशन और उसके कर्मचारी संघ के बीच श्रम न्यायालय के पंचाट का कार्यान्वयन

4550. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन और इण्डियन आयल कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन के बीच वर्ष 1980 के निर्देशित मामला संख्या 14 में श्रम न्यायालय पटना के पंचाट को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय ने इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा दर्ज की गई अपील 1983 के एस० एल० पी० नं० 9147 को रद्द करके उस पंचाट की पुष्टि की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पंचाट के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इसमें अनावश्यक विलंब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय तेल निगम द्वारा दायर 1983 की स्पैशल लीव पिटिशन संख्या 9147 को उच्चतम न्यायालय द्वारा आरम्भ में ही बर्खास्त कर दिया गया था । बिहार सरकार को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन सम्बन्धित प्राधिकरण है, इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करनी होगी ।

पटना में खाना पकाने की गैस के प्रत्येक वितरक को आवंटित किये गये उपभोक्ताओं की संख्या

4551. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा निश्चित की गई नीति के अनुसार तेल कम्पनियों के प्रत्येक वितरक को तीन हजार से अधिक उपभोक्ता आवंटित नहीं किये जा सकते;

(ख) यदि हां, तो दानापुर सहित पटना में खाना पकाने की गैस के कितने वितरक हैं और उनमें से प्रत्येक वितरक से कितने उपभोक्ता सम्बद्ध हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पटना में कुछ वितरकों के पास तीन हजार से अधिक उपभोक्ता हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और उन्हें विशेष रियायत दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) पहले ही निश्चित की गई नीति पर डटे रहने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) विभिन्न शहरों में एल० पी० जी० वितरकों के रिफिल व्यापार की अधिकतम सीमा निर्धारित है न कि उनको आबंटित किये गये उपभोक्ताओं की संख्या की । पटना के लिए अधिकतम सीमा 3,500 रिफिल प्रति माह है ।

(ख) क्रम सं०	वितरक का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या (31-10-1983 को)
1.	एस० के० ट्रेडिंग कम्पनी	4538
2.	शुभचन्दिनी गैस सर्विस	4932
3.	पाटलीपुत्र गैस सर्विस	4292
4.	अनामिका इन्डेन	5595
5.	आर० वी० एण्टरप्राइसिज	3557
6.	दीपशिखा गैस सर्विस	3340
7.	जयश्री एण्टरप्राइसिज	3260
8.	वैशाली एण्टरप्राइसिज (दानापुर)	2418
9.	अवधराज एजेंसीज	1000 (30-9-83 को)

(ग) और (घ) दो वितरक अर्थात् एस० के० ट्रेडिंग कम्पनी तथा अनामिका इन्डेन इस समय अधिकतम सीमा से ज्यादा का व्यापार कर रहे हैं। एस० के० ट्रेडिंग कम्पनी पटना की सबसे पुरानी वितरक होने के कारण सारे क्षेत्र को रिफिल सप्लाई कर रही थी और इस कारण उनके पास उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। अनामिका इन्डेन, एक दूसरे वितरक के किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण के कारण उसके लगभग 1000 उपभोक्ताओं के दिये जाने से अधिकतम सीमा को पार कर गया है।

(ङ) जो वितरक अधिकतम सीमा से अधिक कार्य कर रहे हैं उन्हें क्षेत्र में धीरे-धीरे नये वितरकों की नियुक्ति करके अधिकतम सीमा के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

रोहतास इंडस्ट्रीज डालमियां नगर (बिहार) में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

4552. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहतास इन्डस्ट्रीज, डालमियां नगर के कर्मचारियों की लाखों रुपए की भविष्य निधि की राशि वर्षों से बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि प्रबन्ध मण्डल उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि डालमियां नगर मजदूर यूनियन और एक संसद सदस्य द्वारा कई पत्र लिखे जाने के बावजूद भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की ओर से उदासीनता बरते जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार कर्मचारियों को देय बकाया की अदायगी के लिए कदम उठाएगी अथवा कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियां नगर ने, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है, ने 2/83 से 10/83 तक की अवधि के लिए कर्मचारियों के वेतनों से वसूल किए गए भविष्य निधि अंशदानों तथा ऋण की राशि के प्रति 1.07 करोड़ रुपये की राशि न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित नहीं की है।

(ख) से (घ) मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों को किए गए तदर्थ भुगतानों के सम्बन्ध में भविष्य निधि अंशदानों को न काटने के बारे में शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं तथा उनकी जांच की जा रही है।

(ङ) सूचित किया गया है कि भविष्य निधि प्राधिकारियों ने प्रबन्ध तंत्र को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें बकाया सारी राशि न्यासी बोर्ड को हस्तातंरित करने के उन्हें निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि यदि वे यह राशि हस्तातंरित नहीं करते हैं तो उन्हें दी गई छूट रद्द कर दी जाएगी तथा उनके विरुद्ध अभियोजन चलाए जाएंगे। यह बताया गया है कि इस बीच प्रबन्ध तंत्र ने भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध कोई कानूनी या दांडिक कार्यवाही करने के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय से रिट याचिका का निपटान होने तक की अवधि के लिए रोधनादेश प्राप्त कर लिया है।

कोयला खनन परियोजनाओं का पूरा किया जाना

4553. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : **क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स की तीस कोयला खनन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं में आज तक उपलब्ध कराये गये रोजगार का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद परियोजनावार रोजगार की कितनी क्षमता उपलब्ध होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की उन तीस कोयला खनन परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है जिन्हें पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है :—

क्रम सं०	परियोजना	स्वीकृत उत्पादन क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	पूरा होने की प्रत्याशित तारीख
1	2	3	4
1.	नीमचा ओ० का० प०	0.30	1984-85
2.	धनडीह ओ० का० प०	0.16	1984-85
3.	नरसामुदा	0.18	1984-85

1	2	3	4
4.	भमोरा वेस्ट	0.36	1984-85
5.	दुबेश्वरी	0.18	1984-85
6.	बंसरा-पूरमडीह	0.15	1984-85
7.	बरमोदिया-बाराचक	0.12	1984-85
8.	एडजोय-II कुशडंगा	0.23	1984-85
9.	कूमारखेला ओ० का० प० (फेज II)	0.60	1984-85
10.	बंकोला	1.08	1984-85
11.	कुनुस्टोरिया	0.66	1985-86
12.	चौरा ओ० का० प०	0.27	1985-86
13.	बोजेमहारी ओ० का०	0.30	1985-86
14.	परासिया 6 और 7	0.345	1985-86
15.	पुरुषोतमपुर	0.46	1985-86
16.	सोदपुर	0.55	1987-88
17.	परासिया सिगरन सिंग	0.14	1987-88
18.	रतीबती	0.90	1988-89
19.	बहुला	1.20	1988-89
20.	धेमोमैन (संशोधन)	1.42	1989-90
21.	जे० के० नगर	0.86	1989-90
22.	परबेलिया	0.80	1989-90
23.	निंधा	1.60	1990-91
24.	खोटाडीह	0.87	1990-91
25.	सीतलपुर	0.40	1990-91
26.	चिनाकुरी	1.00	1991-92
27.	सतग्राम	1.20	1992-93
28.	अमृत नगर	1.14	1992-93
29.	नार्थ सियरसोल	1.16	1992-93
30.	झंझरा	3.50	1993-94

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

झाझरा कोयला खनन परियोजना

4554. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पश्चिमी बंगाल की झाझरा कोयला खनन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो झाझरा परियोजना का ब्यौरा क्या है और वह कहां-कहां स्थित है, उसमें अनुमानतः कितना निक्षेप है, उस परियोजना के पूरा होने पर अनुमानतः कितना उत्पादन होगा, इस पर कुल कितनी पूंजी लगायी जाने की आवश्यकता है और परियोजना किस तारीख को स्वीकृत की गई तथा आज तक उस पर कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ग) उस परियोजना की रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता का ब्यौरा क्या है और अब तक उस पर लगाई गई धनराशि सहित आज तक उसमें हुई प्रगति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण निम्नलिखित है :—

स्थिति : झांझरा-I ब्लाक पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र के पूर्व की ओर स्थित है ।

खनन योग्य भंडार : 244.66 मि० टन

क्षमता : 3.5 मि० टन प्रति वर्ष

अनुमानित पूंजी निवेश : रु० 184.55 करोड़ (1982 का अनुमान)

स्वीकृति की तारीख : 10-12-1982

अगस्त, 1983 तक वास्तविक व्यय : रु० 6.74 करोड़

(ग) परियोजना में 1991-92 तक चरण-बद्ध तरीके से 3121 कार्मिकों को रोजगार दिए जाने की आशा है । परियोजना निर्माण कार्य जैसे इन्क्लाइन ड्राइवेज, शैफ्ट पैबस्ती, बिजली सप्लाई, आदि शुरू हो चुके हैं । वर्ष-वार व्यय निम्नलिखित रहा है :—

1981-82	1982-83	1983-84	अगस्त, 1983 तक कुल
रु० 1.29 करोड़	रु० 0.58 करोड़	रु० 4.87 करोड़ (अगस्त, 1983 तक)	रु० 6.74 करोड़

टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

4555. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में आयात की गई और आगामी तीन वर्षों में आयात

की जाने वाली ऐसी वस्तुओं की मात्रा तथा उनका मूल्य क्या है जो टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माण, पुश बटन उपकरणों, कैबिल तथा अन्य ऐसे उपकरणों जो उपर्युक्त मशीनों के निर्माण और रखरखाव के लिए अपेक्षित है, से सम्बन्धित है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु देश में ही ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

दूरसंचार में किये गये पूंजीनिवेश पर लाभ

4556. **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार में किये गए पूंजीनिवेश पर 20 से 25 प्रतिशत लाभ की अन्तर्निहित क्षमता है;

(ख) भारत में इसकी स्थिति क्या है और जापान, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और अमरीका की तत्सम्बन्धी स्थिति से इसकी क्या तुलना है; और

(ग) भारत के दूरसंचार से घाटे के स्थान पर उचित लाभ अर्जित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और क्या कदम उठाये जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं । दूरसंचार में किए गए पूंजी निवेश से यद्यपि अधिक लाभ की संभावना होती है, परन्तु वास्तविक लाभ अनेक बातों पर निर्भर करता है ।

(ख) अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1981-82 के लिए दूरसंचार में लिए गए पूंजी निवेश से लाभ की दर 21.1 प्रतिशत है । अन्य देशों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भारत में दूरसंचार प्रणाली से हानि नहीं हो रही है ।

डाक सेवाओं में श्रम बहुल सेवा को स्वचालित सेवा में परिवर्तित किया जाना

4557. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई सुझाव दिये गये हैं कि यदि सरकार यह चाहती है कि प्रति वर्ष

लगभग 140 करोड़ रुपये के बढ़ते हुए घाटे को उठाये बिना ही ग्रामीण क्षेत्र में डाक सेवाओं का विस्तार करना चाहती है तो डाक सम्बन्धी तथा अन्य कार्यों के श्रम बहुल सेवा की स्वचालित सेवा में परिवर्तित किया जाना चाहिए;

(ख) क्या यह सच है कि यदि श्रम बहुल वर्तमान प्रणाली चालू रखी गई तो डाक सेवा में घाटे का राशि 1987 तक बढ़कर 500 करोड़ रुपये हो जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सरकार को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में कोयले का भण्डार

4558. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कुछ भागों में कोयले का भण्डार पाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसका खनन करने के बजाय इन भंडारों को गैस में परिवर्तित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण से गुजरात राज्य में विस्तृत कोयला भंडार होने का पता चला है ।

(ख) और (ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुओं को रोजगार देना

4559. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षु अधिनियम बेरोजगारी की समस्या को स्थाई तौर पर हल करने में कहां तक सहायक रहा है;

(ख) क्या नियोजकों को अपनी नियमित कर्मचारी संख्या के अलावा प्रशिक्षु लेने होते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश नियोजक अपने प्रतिष्ठानों में अपने नियमित पदों की संख्या कम करके उनके स्थान पर प्रशिक्षु नियुक्त करते हैं;

(घ) क्या उसी कार्य के लिए स्थाई आधार पर कर्मचारी नियुक्त करते समय नियोजक अपने भूतपूर्व प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता देते हैं; और

(ङ) क्या सरकार नियोजकों के लिए यह अनिवार्य करेगी कि वे स्थाई आधार पर अपने प्रशिक्षुओं को ही नियुक्त करें, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से आवश्यक कौशलों को प्रदान करके शिक्षुओं की नियोजनीयता में वृद्धि होती है।

(ख) जी, हां। शिक्षु अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक व्यवसाय में अकुशल श्रमिकों के अतिरिक्त श्रमिकों में से शिक्षुओं के अनुपात अनुसार नियोजकों द्वारा शिक्षुओं को रखना अपेक्षित है, जैसाकि शिक्षुता नियमों के अधीन निर्धारित है।

(ग) जी, नहीं। कोई ऐसा मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) आमतौर पर नियोजक नियमित रिक्तियों के प्रति प्रशिक्षित शिक्षुओं की नियुक्ति को अधिमान्यता देते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अनुरोध किया गया है कि 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती के लिए अलग रखें तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती की रिक्तियां उत्तीर्ण शिक्षुओं द्वारा भरी जाएं।

(ङ) जी, नहीं। यह सम्भव नहीं पाया गया है कि नियोजकों के लिए यह अनिवार्य बनाया जाए कि उनके द्वारा प्रशिक्षित शिक्षुओं को खपाया जाए क्योंकि यह कानून वैध नहीं है।

जम्मू काश्मीर में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना और श्रीनगर, जम्मू और लेह को उपग्रह माध्यम से जोड़ना

4560. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू-काश्मीर राज्य में टेलीफोन कनेक्शनों की बहुत अधिक मांग है जो छः साल से अधिक समय से लम्बित है और स्वीकृत किये जाने की प्रतीक्षा में है;

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिए जम्मू काश्मीर राज्य में इस वर्ष अथवा निकट भविष्य में कब तक और कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और कनेक्शन देने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या श्रीनगर, जम्मू और लेह को भी उपग्रह के माध्यम से देश के अन्य भागों से जोड़ा जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। 30-11-1983 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे उपभोक्ताओं की संख्या 4725 है तथा 6 वर्ष अथवा इससे अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे उपभोक्ताओं की संख्या 113 है।

(ख) 1983-84 के दौरान 5 टेलीफोन एक्सचेंज तथा 1750 कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है। निकट भविष्य में, व्यवहार्य होने पर एक्सचेंजों का विस्तार किया जाएगा तथा नए एक्सचेंज खोले जाएंगे।

(ग) लेह तथा श्रीनगर में भू उपग्रह केन्द्र स्थापित किए गए हैं। फिलहाल जम्मू में भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीनगर के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों का लगाया जाना और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना

4561. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीनगर के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का है; जो उस राज्य के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और रूस के निकट होने के कारण आवश्यक है;

(ख) क्या सरकार का विचार पड़ौसी देशों, विशेष कर पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा अधिगृहीत काश्मीर के श्रोताओं की इच्छा को पूरी करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) श्रीनगर में रेडियो और दूरदर्शन के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर पहले ही सेवा में हैं।

विशेष दूरदर्शन विस्तार योजना के अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर राज्य में जम्मू और पुंच में उच्च शक्ति वाले दो दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा लेह और कारगिल में अल्प शक्ति वाले दो ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर छठी योजना के अन्त तक राज्य की लगभग 89 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है।

सौर ऊर्जा पम्प सैट लगाना

4562. **श्री के० मालन्ना** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्य निष्पादन की दृष्टि से सैट लगाने सम्बन्धी सरकार की नीति पूर्णतः संतोषजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने सौर पम्प सैट लगाये जा चुके हैं और अगले वर्ष कितने सैट लगाने का विचार है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में उस सम्बन्ध में अनुभव के क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री० पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) केन्द्रीय इलक्ट्रोनिक लिमिटेड द्वारा विभिन्न संगठनों को 30 नवम्बर, 1983 तक प्रयोग एवं प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए एक सौ दो पम्प दिए गए हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पम्प का निष्पादन सामान्य देखभाल के साथ आमतौर से सन्तोषजनक रहा है। पम्पिंग प्रणाली में और अधिक विकास एवं सुधार किए जा रहे हैं। आगामी वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

श्रीलंका से आये शरणार्थियों को बसाने पर व्यय की गई राशि

4563. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1983 से 31 अक्तूबर तक श्रीलंका से लौटे शरणार्थियों को बसाने पर सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) श्रीलंका से वापिस लौटे कितने व्यक्तियों को अब तक बसाया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) 1 जनवरी, 1983 से 31 अक्तूबर, 1983 तक की अवधि के दौरान श्रीलंका से आए भारतीय मूल के व्यक्तियों पर भारत सरकार द्वारा 576.79 लाख रुपये (23.75 लाख रुपये राहत पर और 553.04 लाख रुपये पुनर्वास पर) व्यय किए गए हैं।

(ख) सितम्बर, 1983 के अन्त तक विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार श्रीलंका प्रत्यावासियों के 84.996 परिवार, जो पात्र परिवार थे और जिन्होंने राज्य सरकार से सम्पर्क किया था, बसा दिए गए हैं।

आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा उत्पादों के विविधीकरण में निवेश

4564. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० टी० सी० लिमिटेड कलकत्ता ने भारत सीमेन्ट लिमिटेड और अशोक पेपर्स को हाल में बेचे गये शेयरों में प्रस्तावित निवेश को वापिस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा अपने व्यापार में कोई विविधता लाई गई है, यदि हां, तो उसकी परियोजनाएं क्या हैं; और क्ना उसने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी; और

(ग) सइ विविधीकरण पर पूंजीगत परिव्यय कितना होगा और उसमें से कितनी राशि वह अपनी मौजूदा साम्य शेयर पूंजी और आरक्षित निधियों में से पूरी करेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पुष्टि की है कि आई० टी० सी० समूह (आई० टी० सी० लिमिटेड की सहायकों सहित) के साथ शेयर के व्यापारों को प्रतिकूल कर दिया गया और विभिन्न

वित्तीय संस्थानों से आई० टी० सी० द्वारा खरीदे गये इण्डिया सीमेन्ट्स लिमिटेड और अशोक पेपर्स के शेयरों को, उसी मूल्य पर, जिस पर वे मूल रूप से खरीदे गये थे, सम्बन्धित कम्पनियों को वापिस कर दिये गये हैं।

(ख) मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड से 7-12-83 को (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत औपचारिक आवेदन पत्र नहीं) कम्प्यूटर सोफ्टवेयर उत्पादन सुविधा के क्षेत्र में प्रवेश में करने तथा यह पुष्टि करने के लिए कि क्या प्रस्तावित परियोजना को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत छूट हैं, के सम्बन्ध में उनके आशय को अग्रेसित करते हुए पत्र प्राप्त हुआ है। इस अनुरोध की परीक्षा की जा रही है।

(ग) इस परियोजना में पूंजीगत व्यय तथा उसके वित्तदान के ब्यौरों को कम्पनी द्वारा नहीं दिया गया है।

बिजली की कमी से प्रभावित आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र के लघु उद्योग एकक

4565. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी से आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र के लगभग पांच सौ लघु उद्योग एकक प्रभावित हुए हैं जिनमें लगभग दस हजार श्रमिक नियुक्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार क्या सहायता प्रदान करने तथा इतनी अधिक संख्या में श्रमिकों को बेरोजगारी होने की स्थिति को बचाने का है ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लखनऊ में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर का फट जाना

4566. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लखनऊ में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर फट जाने के कारण एक मासूम लड़की (बच्ची) की दर्दनाक मृत्यु हो जाने की तरफ दिलाया गया है (20 अक्तूबर, 1983 का दैनिक जागरण);

(ख) क्या इस दुर्घटना का कारण भारतीय तेल निगम और उसके डीलरों की लापरवाही थी; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सारे देश में नियमों के अनुसार गैस लगाने वालों को डिलीवरी और कनेक्शन प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा दिए जाएंगें ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि डीलरों द्वारा, जो गैस का वितरण करते हैं, सुरक्षा निर्देशों का पालन किया जाये ।

प्रेस सूचना ब्यूरो प्रकाशन विभाग और श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय में श्रेणी 1 और 2 के अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनात किये जाने के संबंध में मार्ग-निर्देश

4567. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रकाशन विभाग और श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय में श्रेणी 1 और 2 को तैनात करने और उनके स्थानांतरण के सम्बन्ध में सामान्यतः स्वीकृत मार्ग-निर्देश क्या हैं;

(ख) श्रेणीवार कितने अधिकारी एक ही स्थान पर पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं;

(ग) इन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें तीन वर्षों में दो बार स्थानांतरित और तैनात किया गया है ।

(घ) इन अधिकारियों का तबादला करने और कुछ अधिकारियों को पांच वर्ष से भी अधिक समय पर एक स्थान पर रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कुछ अधिकारियों को तो एक ही स्थान पर पांच वर्ष से अधिक समय तक रखने और कुछ अधिकारियों को तीन वर्षों में स्थानांतरित करने की पक्षपात प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग तथा विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय में कार्यरत इन दो श्रेणियों के अधिकारी विभिन्न सेवाओं/संवर्गों से सम्बन्धित हैं । इन अधिकारियों की तैनातियों और स्थानांतरणों के मामले में पालन किये जाने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण मानदण्ड प्रशासनिक आवश्यकता है ।

(ख) सूचना संलग्न बिवरण में दी गई है ।

(ग) इन तीन माध्यम एककों में केवल एक ही ऐसा मामला हुआ है जिसमें एक अधिकारी को गत तीन वर्षों के अन्दर उसी ग्रेड में दो बार स्थानांतरित करना पड़ा था । उस अधिकारी का नाम श्री वी० एन० चारी था, जिनको कलकत्ता से मद्रास और फिर कलकत्ता स्थानांतरित किया किया गया था ।

(घ) और (ङ) स्थानांतरण मुख्यतः प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं । अतः पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

एक ही पद पर पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद	ग्रेड/वेतन-मान
1	2	3	4
1.	श्री ए० एन० भारद्वाज	उप-प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, श्रीनगर ।	केन्द्रीय सूचना सेवा का जूनियर प्रशासनिक ग्रेड समूह "क" (1500-2000 रुपये)
2.	श्री आर० के० जैन	सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ।	केन्द्रीय सूचना सेवा का सीनियर टाइम स्केल (ग्रेड-I) (1100-1600 रुपये)
3.	श्रीमती लक्ष्मी त्रिपाठी	संपादक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	-तथैव-
4.	श्री आर० ए० तिवारी	-तथैव-	-तथैव-
5.	श्री हरी सिंह	-तथैव-	-तथैव-
6.	श्री एस० के० राय	वरिष्ठ संवाददाता, प्रकाशन विभाग, कलकत्ता ।	-तथैव-
7.	श्री एस० एस० मरवाह	सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ।	-तथैव-
8.	श्री ए० के० वान्चो	-तथैव-	-तथैव-
9.	श्री एच० आर० पन्डोत्रा	अभियान अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार, निदेशालय, नई दिल्ली ।	-तथैव-
10.	श्री वी० एच० देसाई	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, बंगलौर ।	केन्द्रीय सूचना सेवा का जूनियर टाईम स्केल (ग्रेड-II) समूह "क" (700-1300 रुपये)

1	2	3	4
11.	श्री हितेश्वर मेहदी	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, गोहाटी	-तथैव-
12.	श्री बी० एल० शाह	सहायक संपादक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली ।	केन्द्रीय सूचना सेवा का जूनियर टाईम स्केल (ग्रेड-II) समूह "क" (700-1300 रुपये)
13.	श्री जे० एस० जयन्त	-तथैव-	-तथैव-
14.	श्री एम० एम० लाल	-तथैव-	-तथैव-
15.	श्री एम० एन० शर्मा	-तथैव-	-तथैव-
16.	श्री नरेन्द्र सिंह	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ।	केन्द्रीय सूचना सेवा का (ग्रेड-III) समूह "ख" (650-1200 रुपये)
17.	श्री एस० एस० शाफी	-तथैव-	-तथैव-
18.	श्री जी० श्रीनिवास राव	-तथैव-	-तथैव-
19.	श्री दलीप सिंह	-तथैव-	-तथैव-
20.	श्री जे० एम० नौगपाल	-तथैव-	-तथैव-
21.	श्री डी० सी० मेहन्दीरत्ता	-तथैव-	-तथैव-
22.	श्री एम० आर० मलिक	-तथैव-	-तथैव-
23.	श्री जी० सी० द्विवेदी	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर	-तथैव-
24.	श्री एन० डी० सांडील	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, जबलपुर ।	-तथैव-
25.	श्री आर० बी० माने	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, बम्बई	-तथैव-
26.	श्री एच० ए० अहमद	-तथैव-	-तथैव-
27.	श्रीमती वी० एम० जोशी	-तथैव-	-तथैव-
28.	श्री आई० जी० मेशर्म	-तथैव-	-तथैव-

1	2	3	4
29.	श्री ए० आर० वाग	-तथैव-	-तथैव-
30.	श्री एच० एस० काम्बले	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नागपुर	-तथैव-
31.	श्री जी० एम० मुस्तफा	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, पटना ।	-तथैव-
32.	श्रीमती वी० सी० रुकमणी	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, मद्रास	-तथैव-
33.	श्री वी० थीरूनवेकारासु	-तथैव-	-तथैव-
34.	श्री जे० बी० राजू	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय,	-तथैव-
35.	मोहम्मद मोइजूद्दीन	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, कलकत्ता ।	केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड-II समूह "ख" (650-1200 रुपये)
36.	श्री पी० के० मजुमदार	सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, पोर्ट-ब्लेयर ।	-तथैव-
37.	श्री जी० पी० सोहनी	सहायक संपादक, विज्ञापन प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली	-तथैव-
38.	मोहम्मद ए० सिद्दीकी	सहायक संपादक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली ।	-तथैव-
39.	श्रीमती के० मैकरेल	-तथैव-	-तथैव-
40.	श्रीमती उर्मिला कटारिया	-तथैव-	-तथैव-
41.	श्री हबीब अशराफ	-तथैव-	-तथैव-
42.	श्री जी० टी० मुन्शी	सहायक संपादक, प्रकाशन विभाग, अहमदाबाद ।	-तथैव-
43.	श्री एम० के० राव	सहायक संपादक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली ।	-तथैव-
44.	श्रीमती एस० बहुगुणा	-तथैव-	-तथैव-

1	2	3	4
45.	श्रीमती निर्मला सुब्रह्मणियम	-तथैव-	-तथैव-
46.	कु० एम० बी० लेहर	-तथैव-	-तथैव-
47.	श्रीमती रत्ना मिश्र	-तथैव-	-तथैव-
48.	श्रीमती अन्जनी भूषण	-तथैव-	-तथैव-
49.	श्रीमती ललीता जकरिया	-तथैव-	-तथैव-
50.	कु० स्नेह राय	-तथैव-	-तथैव-
51.	श्री एम० वाई० सिद्दीकी	-तथैव	-तथैव-
52.	श्री बी० एस० मदान	-तथैव-	-तथैब-
53.	श्री वी० जी० माथुर	-तथैव-	-तथैव-
54.	श्री ए० ए० सिरोमणि	उप मुख्य संपादक, (सी० डब्ल्यू० एम० जी० यूनिट) प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	1300-1700 रुपये
55	श्री जे० पी० उनियाल	-तथैव-	-तथैव-
56.	श्री आर० पी० राय	अनुभाग अधिकार, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ।	केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड (650-1200 रुपये)
57.	श्री कुलवन्त सिंह	अनुभाग अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली	-तथैव-
58.	श्री बलदेव राज	प्रधान सूचना अधिकारी के लिपिक निजी सचिव, पत्र सूचना कार्यालय सेवा, नई दिल्ली ।	केन्द्रीय सचिवालय आशु- (650-1200 रुपये)
59.	श्री आर० एन० चड्डा	मीडिया एग्जीक्यूटिव, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली,	1100-1600 रुपये
60.	श्री जे० एन० गुप्ता	वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	-तथैव-

1	2	3	4
61.	श्री आर० आर० ध्यानी	इन्सपेक्टर आफ एगजीबिशन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	700-1300 रुपये
62.	श्री बी० एस० बधुरिया	हिन्दी अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	650-1200 रुपये
63.	श्री सी० एस० मोर्या	सहायक उत्पादन प्रबंधक, (प्रिंटिंग और पब्लिसीटी) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	-तथैव-
64.	श्री जे० डी० विरले	-तथैव-	-तथैव-
65.	श्री आर० के० जोली	-तथैव-	-तथैव-
66.	श्री एस० एल० सीम	-तथैव (आउटडोर पब्लिसीटी)	तथैव
67.	श्रीमती दिपती रानीगुप्ता	तथैव	तथैव
68.	श्री एम० सी० साइने	सहायक मीडियम एग्जीक्यूटिव, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	तथैव
69.	श्री वेद प्रकाश	तथैव	तथैव
70.	श्री पी० वी० गुप्ता	तथैव	तथैव
71.	श्री आर० के० भेदबाल	तथैव	तथैव
72.	श्री आर० पी० चौधरी	सहायक इंजीनियर (मोडल) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	तथैव
73.	श्री कृष्ण कुमार	सहायक अनुसंधान अधिकारी, (दृश्य) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली	तथैव
74.	श्री डी० के० दास	सीनियर आर्टिस्ट, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	650-1200 रुपए
75.	श्री डी० पी० जगताप	-तथैव-	-तथैव

1	2	3	4
76.	श्री ए० के० मुखर्जी	तथैव	तथैव
77.	श्री एस० वी० घोरपादे	तथैव	तथैव
78.	श्री राम किशोर	तथैव	तथैव
79.	श्री एस० डी० गुप्ता	तथैव	तथैव
80.	श्री सुब्रता दास	तथैव	तथैव
81.	श्री के० के० वर्मा	तथैव	तथैव
82.	श्री खोसा	तथैव	तथैव
83.	श्री एच० पी० वाहतल	फिल्ड एग्जीबिशन अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, जम्मू ।	650-960 रुपये
84.	श्री मुजफ्फर अहमद	फिल्ड एग्जीबिशन अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, पटना ।	तथैव
85.	श्री वी० एस० शर्मा	फिल्ड एग्जीबिशन अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, मद्रास	तथैव
86.	श्री डी० जे० चरतवार	टेक्नीकल असिस्टेंट (आर्किटेक्ट) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	(560-900 रुपये)
87.	श्री प्यारे लाल	टेक्नीकल असिस्टेंट (मोडल) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	तथैव
88.	श्री वास्कर नैय्यर	टेक्नीकल असिस्टेंट (विज्ञापन) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	तथैव
89.	श्री एन० एन० एस० धींगरा	तथैव	तथैव
90.	श्री लाहलीथावाडरे	तथैव	तथैव
91.	श्री आर० पी० पुरी	तथैव	तथैव
92.	श्री एच० एच० गौरया	तथैव	तथैव
93.	श्री पूर्ण चन्द	तथैव	तथैव
94.	श्री आर० डी० मैंदुली	तथैव (विज्ञापन हिन्दी)	तथैव

1	2	3	4
95.	श्रीमती एम० मोहनी	टेक्नीकल एसिस्टेंट (आर्किटेक्चर) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	560-900 रुपए
96.	श्री जे० पी० वरसाने	डेब्टा प्रोसेसिंग अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली ।	तथैव
97.	श्री आर० सारंगा	आर्ट एक्जीक्यूटिव, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली ।	1100-1600 रुपये
98.	श्री के० सी० सेतुरामन	प्रोडक्शन अधिकारी, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली ।	तथैव
99.	श्री एच० एच० एन० टंटन	तथैव	तथैव
100.	श्री बी० बी० नायाल	सहायक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली ।	425-800 रुपये

बड़े घरानों पर अंकुश लगाना

4568. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े घरानों पर अंकुश लगाने का है और यदि हां, तो इस मामले में (22 अक्तूबर, 1983 को इण्डियन एक्सप्रेस) सरकार का क्या निर्णय है;

(ख) क्या ये अंकुश अनिवासी भारतीयों की फर्मों पर भी लागू होगा; और

(ग) क्या सरकार अनिवासी भारतीय एककों के मालिकों कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर अंकुश लगाएगी जोकि भारत में इन व्यापारिक घरानों द्वारा भारत और विदेशों में बहुत महंगे रेस्टोरेंठों में विशेषकर लंच आदि पर बेकार खर्च किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस विभाग से सम्बन्धित उस समाचार के सम्बन्धित खण्ड में ए० आई० सी० सी० (आई) का यह मत सूचित किया गया था "राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसरण में, बड़े घरानों के क्रिया-कलापों पर नियंत्रण चालू रखा जाना चाहिए ।" इस प्रकार के क्रियाललापों से सम्बन्धित सरकार द्वारा लिए जाने वाली किसी भी विशेष कार्यवाही का संकेत नहीं दिया गया था । इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, जो विद्यमान है उसमें यह अन्वेषण करना है कि आर्थिक पद्धति का संचालन सामान्य अहितकारी आर्थिक शक्ति और एकाधिकार नियंत्रण आदि के संकेन्द्रण का परिणामी नहीं हो ।

इन उद्देश्यों की उपलब्धि में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घरानों से सम्बन्धित व्यापक विस्तार, नये उपक्रमों की स्थापना विलयन आदि से सम्बन्धित प्रस्तावों पर सरकार वर्तमान औद्योगिक नीति और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए नियमित करती है तथापि, इस विषय में इस सम्बन्ध में सरकारी नीतियों को अधिक उपयुक्त तंत्र बनाने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम को शीघ्र ही संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) सभी एकाधिकारिक घरानों और उनसे सम्बन्धित एककों चाहे अपने या आवासी भारतीयों द्वारा नियंत्रित किए जाते हों या अन्य प्रकार से, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आते हैं, उनको नवीन स्थापनार्थ/अतिरिक्त क्षमता और अधिग्रहण आदि सम्बन्धित अपने नये प्रस्तावों के लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना है।

(ग) निजी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकीय कार्मिकों का वेतन और परिलब्धियां कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों द्वारा परिचालित की जाती हैं। उच्च कार्मिकों (प्रबन्ध-निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशक आदि) के लिए प्रबन्धकीय पारिश्रमिक सम्बन्धी सरकारी मार्ग-संदर्शिका आवासी भारतीयों संहित अन्य औद्योगिक कार्यकारियों पर लागू नहीं होती। तथापि, बोर्ड/कम्पनी के निदेशकों को प्रदत्त शक्तियों से बाहर किए गए अपव्ययों या अत्यधिक अतिथ्य व्ययों का सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है।

लोकटक पन बिजली परियोजना के काम का रुक जाना

4569. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1983 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि 108 करोड़ रुपये की लोकटक पन बिजली परियोजना सात किलोमीटर लम्बी सुरंग में 3 मीटर की दरार पड़ जाने के कारण ठप्प हो गई है जिसके कारण भारी भूस्खलन हो गया है और जिसका कारण भारी भ्रष्टाचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस मामले में अब कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सुरंग का ढह जाना एक प्राकृतिक विपत्ति थी। लेख में बताए गए तिरपाल के मामले से संबंधित दोषी अधिकारी को समुचित जांच के पश्चात् दण्डित किया गया है।

भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा किए गये कम्प्यूटर कार्य के बिलों का भुगतान किया जाना

4570. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जन संचार संस्थान आपनी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में कम्प्यूटर कार्य करता है;

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में इवेल्यूएशन प्रोफेसर के एक भूतपूर्व सहयोगी को भारी कम्प्यूटर कार्य दिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त भूतपूर्व सहयोगी द्वारा दिखाये गए कम्प्यूटर समय तथा कम्प्यूटर द्वारा किये कार्य की तुलना किए बिना भारी धनराशि के कम्प्यूटर बिलों का भुगतान किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो दिखाए गए कम्प्यूटर समय और कम्प्यूटर द्वारा किए गए कार्य और गायब कम्प्यूटर कार्य का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) कम्प्यूटर संचालन में आंकड़ों को प्रोसेसिंग से पहले फील्ड दस्तावेजों से कार्डों पर और या फिर टेप पर अंतरित करना अन्तर्निहित है । इस प्रकार प्रविष्ट किए गए आंकड़ों में प्रोसेसिंग के लिए शुद्धियों, अद्यतनता, कांट-छांट आदि की आवश्यकता होती है । जब आंकड़े सही टेप-फाइल पर आ जाते हैं तब उन्हें कम्प्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है । विभिन्न किस्मों की कम्प्यूटर सेवायें विभिन्न संस्थापनों में उपलब्ध हैं । एक प्रयोगकर्ता की सभी आवश्यकताओं को किसी एकल संस्थापन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता ।

क्योंकि भारतीय जन संचार संस्थान के पास इन हाऊस कम्प्यूटर या प्रोग्रामर नहीं है । अतः यह जरूरी समझा गया था कि मूल्यांकन विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न संस्थापनों पर कार्यक्रम तैयार करने तथा कम्प्यूटर संचालन के लिए सलाहकारों को नियुक्ति की जाए । इस प्रयोजन के लिए आमंत्रित की गई निविदाओं के 6 एजेंसियों ने उत्तर दिए । तुलनात्मक निविदाओं के आधार पर, मैसर्स एस० सी० जी० कन्सल्टेट्स के सबसे कम कोटेशन पाए गए थे । यह सही है कि इस फर्म के कार्यकारी निदेशक भारतीय जन संचार संस्थान में कार्यभार सम्भालने से पहले संस्थान के मूल्यांकन अध्ययन विभाग के वर्तमान अध्यक्ष के साथियों में से एक थे ।

भारतीय जन संचार संस्थान के मूल्यांकन अध्ययन विभाग द्वारा अपेक्षित कम्प्यूटर सेवाओं का स्वरूप इस प्रकार का था कि मैसर्स एस० सी० जी० कन्सलटेट्स के अलावा, अन्यत्र उपलब्ध कम्प्यूटर सुविधायें अर्थात काऊंसिल फार सोशल डिवेलपमेंट (सी० एस० डी०) और दिल्ली यूनिवर्सिटी कम्प्यूटर सेंटर (डी० यू० सी० सी०) की सुविधाओं का भी उपयोग किया जाना था । सी० एस० डी० अपनी संस्थापना पर कम्प्यूटर चलाने का इच्छुक था किन्तु अन्य संस्थापनों पर जाने के लिए तैयार नहीं था । डी० यू० सी० सी० रियायती दर पर कम्प्यूटर देने को तैयार था, परन्तु वह कार्यक्रम समर्थन की पंचिंग का काम हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं था । इसलिए काम को टेप-फाइलें तैयार करने और उनका विभिन्न संस्थापनों पर संचालन करने में बांटना जरूरी था। मैसर्स एस० सी० जी० कन्सलटेटस के पास कार्डों/इमेजों को तैयार करने और टेप-फाइलें तैयार

करने के लिए उन्हें टेपों पर अन्तरित करने की सुविधाएं उपलब्ध थीं। वह एक ऐसी एकल एजेंसी थी जो प्रोसेसिंग कार्य के लिए विभिन्न संस्थापनों पर जाने के लिए तैयार थी। इसलिए उनसे अनुरोध किया गया था कि वे कम्प्यूटराइजेशन के लिए डाटा तैयार करें, डी० यू० सी० सी० और सी० एस० डी० पर प्रोसेसिंग का कार्य करें।

कम्प्यूटर संचालन के सभी कार्यों का कम्प्यूटर संबंधी काम नहीं निकलता। उदाहरणार्थ कांट-छांट, कार्यक्रम बनाने में विघन, गलतियां, बिजली में कमी, वृद्धि, असफल प्रयोग, भ्रामक अनुरूपता, कांट-छांट, टेप अन्तरण या मेमोरी अन्तरणों पर डिस्क आदि से काम नहीं निकलता। विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य सभी कम्पयूटराइज्ड परियोजनाओं के लिए विभाग में उपलब्ध हैं। बिल विभिन्न संस्थापनों से आते हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए काम को देखते हुए उनकी जांच पड़ताल की जाती है तथा भुगतान के लिए उनकी अनुशंसा की जाती है। यह कहना सही नहीं है कि कम्पयूटर समय तथा कम्यूटर द्वारा किए गए कार्य की तुलना किए बिना भारी धनराशि के कम्प्यूटर बिलों का भुगतान किया गया था।

कोई कम्प्यूटर कार्य गायब नहीं है। गत तीन वर्षों (1980-1983) में भुगतान न किए गए बिलों सहित, विभिन्न संस्थापनों पर कम्प्यूटर समय, दरें और अन्तर्निहित कुल व्यय विवरण में दिया गया है।

विवरण

1980-83 के दौरान कम्प्यूटराइजेशन का विवरण

	सी० एस० डी० रुपए	एस० सी० जी० रुपए	डी० यू० सी० सी० रुपए
1. कम्प्यूटर समय प्रति घन्टा	1000.00	250.00	500.00*
2. डाटा प्रविष्टि/पंचिंग	200.00	200.00	—
	घन्टे मिनट सैकिंड	घन्टे मिनट सैकिंड	घन्टे मिनट सैकिंड
3. कम्प्यूटर समय का उपयोग	31 52 35	09 36 00	51 56 52
4. भुगतान की गई राशि	31,875.50	2,400,03	25,973.89
5. कम्प्यूटर समय डाटा प्रविष्टि/पंचिंग	2,011.40	12,811.20	—
6. प्रति हजार पृष्ठ 130 रुपए की दर पर स्टेशनरी	2,346.60	—	—
7. यात्रा प्रभार (पूर्ण)	—	1,524.99	—
8. कम्प्यूटर समय के 10 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार	—	2,265.79	—
	36,233.50	19,001.92	25,973.89
	4 से 8 तक की मदों का योग =		81,209.31

*शैक्षणिक संस्थानों के लिए रियायती दर, अन्यथा प्रति घन्टा एक हजार रुपए।

मथुरा रिफाइनरी में सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल

4571. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मथुरा रिफाइनरी में सफाई कामगार यूनियन द्वारा करीब दो महीने से चलाई जा रही भूख हड़ताल आन्दोलन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी मांगों को पूरा करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आन्दोलन में भाग लेने वाले अधिकांश अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन मांगों को कब तक पूरा करायेगी और सफाई कामगार कब तक स्थायी किए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) 16 नवम्बर, 1983 को उप श्रम आयुक्त, आगरा के सामने हुई बातचीत के बाद, आन्दोलन अब समाप्त कर दिया गया है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आन्दोलन करने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारी भी सम्मिलत हैं ।

(घ) रिफाइनरी के प्रबन्धकों द्वारा सफाई कर्मचारियों के 20 खाली पदों की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जा चुकी है और अन्य उम्मीदवारों के साथ रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए सफाई कर्मचारियों के उम्मीदवारों पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा । यह भी तय किया गया है कि शेष सफाई कर्मचारी, जो रिफाइनरी में ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे हैं, एक सहकारी समिति का गठन करेंगे और समय-समय पर छोटे ठेके उन्हें देने पर विचार किया जायेगा ।

भारत और स्वीडन के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए समझौता

4572. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के सम्बन्ध में स्वीडन की सरकार के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) जिस प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए स्वीडन की सरकार के साथ समझौता हुआ है, उसके क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हमारा देश स्वीडन की सरकार को क्या वस्तुयें देगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शकर) : (क) से (घ) ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए स्वीडन सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है । तथापि, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग करने के संबंध में एसोशिएशन आफ इंडियन इंजीनियरी इंडस्ट्री और फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने स्वीडन में अपने सहयोगियों के साथ आरम्भिक विचार विमर्श किया है । भारत सरकार और स्वीडन ने 15 सितम्बर को 1 अक्तूबर, 1983 से 30 जून 1985 तक की अवधि के लिए विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं जिसके अधीन स्वीडन एस० के० आर० 680 मिलियन की राशि भारत को उपलब्ध करायेगा जिसमें से लगभग एस० के० आर० 350 मिलियन की राशि स्वीडन से माल और सेवाओं के आयात के लिए नियत है । एस० के० आर० 350 मिलियन की राशि में से एस० के० आर० 100 मिलियन की राशि समझौते की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

रुग्ण एककों को जिन्हें एक कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत किया गया है उनके नियोजकों द्वारा क्षतिपूर्ति से छूट दिए जाने के बावत अनुरोध

4573. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत किए गए रुग्ण एककों के औद्योगिक नियोजकों ने सरकार से अधिग्रहीत किए गए एककों की भविष्य निधि के देय धनराशि के बारे में क्षतिपूर्ति से छूट देने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक नियोजकों के उपर्युक्त अनुरोध के बारे में सरकार का क्या विचार है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले में कर्मचारियों के संगठनों से सलाह लेने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के पूरे कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां । कुछ रुग्ण यूनिटों से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन लगाए गए हर्जानों को छोड़ देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ख) से (ङ) उन औद्योगिक/वाणिज्यिक यूनिटों से, जिन्हें रुग्ण घोषित किया गया है, हर्जानों को कम दरों पर वसूल करने का प्रस्ताव केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पास विचाराधीन है । केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस मामले में आगे कार्यवाही की जाएगी ।

हरिपर्वत स्थित भू-उपग्रह केन्द्र को आग लगाने का प्रयास

4574. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग एक दर्जन उपद्रवियों ने 13 अक्तूबर, 1983 को श्रीनगर के निकट हरिपर्वत स्थित भू-उपग्रह केन्द्र को आग लगाने का प्रयास किया; और

(ख) यदि हां, तो क्या तेज धार वाले हथियारों से लैस घुसपैठियों ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदार को काबू में कर लिया तथा वे केन्द्र के बैटरी तथा इंजन कक्षों में जबरदस्ती घुस गए ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

गत पांच वर्षों के दौरान देश में हुई तालाबंदी और हड़तालें

4575. **श्री ए० के० राय :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तालाबंदी और हड़तालों के कारण गत तीन वर्षों के दौरान हुई श्रमिक दिवस की हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1981, 1982, 1983 (सितम्बर तक) के दौरान हड़तालों तथा तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम-दिनों की राज्यवार संख्या दी गई है ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	— नष्ट हुए दिनों की संख्या (000 में)					
	1981		1982 (अ)		1983 जनवरी-सितम्बर(अ)	
	हड़ताल	तालाबंदी	हड़ताल	तालाबंदी	हड़ताल	तालाबंदी
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	3,846	511	1,424	533	255	178
असम	44	15	3	—	1	5
बिहार	1275	240	726	701	348	401
गुजरात	337	320	344	479	157	303
हरियाणा	410	38	21	17	175	95

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	37	—	...	...	...	...
जम्मू और कश्मीर	10	—	...	...	*	—
कर्नाटक	3213	1315	268	22	245	—
केरल	1074	1160	1028	1025	543	90
मध्य प्रदेश	1414	12	253	43	436	190
महाराष्ट्र	2896	1194	8375*	520	13223	729
मणिपुर	56	—	...	...	3	—
मेघालय	—	4	—	6	...	...
नागालैंड	—	—	...	...	...	...
उड़ीसा	305	42	130	65	24	14
पंजाब	65	16	110	1	83	14
राजस्थान	656	169	352	119	327	53
सिक्किम	—	—	—	—	...	...
तमिलनाडु	2995	1160	1546	453	884	457
त्रिपुरा	43	10	...	...	...	...
उत्तर प्रदेश	822	652	247	268	283	147
पश्चिम बंगाल	1135	8505	513	13416	778	9187
अंडमान और निकोबार	30	2	73	9	2	—
अरुणाचल प्रदेश	1	—	...	...	—	—
चण्डीगढ़	7	—	2	—	1	—
दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	...	...
दिल्ली	61	13	23	56	198	67
गोवा, दमन और दीप	310	—	73	—	17	37
लक्ष्यद्वीप	—	—	...	...	...	...
मिजोरम	—	—	...	...	...	...
पांडिचेरी	165	—	132	—	3	—
कुल	21208	15375	15643*	17733	17985	11969

(अ) = अनन्तिम

(—) = शून्य

(...) = उपलब्ध नहीं

(*) = बम्बई टैक्सटाइल हड़ताल के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों को छोड़कर।

= आंकड़ों के पूर्णांकन करने के कारण कुल योग अनिवार्यतः मेल नहीं खाता है।

एच० वी० डी० सी० प्रसारण कार्यक्रम

4576. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा मंत्रालय को कहा है कि एच० वी० डी० सी० प्रसारण कार्यक्रम को विश्व बैंक ऋण की सीमा से बाहर रखा जाए; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) एच० वी० डी० सी० प्रसारण कार्यक्रम जो कि केन्द्रीय विद्युत पारेषण परियोजना का एक अंग है जिसका वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है, सह-वित्त पोषण के लिए नारडिक इन्वेस्टमेंट बैंक ने प्रस्ताव किया है । विश्व बैंक ऋण में से एच० वी० डी० सी० के भाग को निकालने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

टेलीफोन/टेलैक्स बिल

4577. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हर साल डाक-तार विभाग के टेलीफोन/टेलैक्स बिलों की काफी राशि वसूल न की जा सकने वाली हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के लिए ऐसी राशि के वर्षवार आंकड़े क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं । अप्राप्त होने की वजह से बट्टे खाते डाली गई टेलीफोन राजस्व की राशि, प्रति वर्ष जारी किए गए टेलीफोन बिल की राशि की तुलना में नगणय है जैसा कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है: —

(रुपए लाख में)

वर्ष	जारी किए गए टेलीफोन बिलों की राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि	कालम (3) की तुलना में (2) तक का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1980-81	56194	24.00	0.043
1981-82	67065	12.29	0.018
1982-83	80750	57.07	0.700

टेलेक्स से संबंधित बिलों की कोई राशि बट्टे खाते नहीं डाली गई है ।

मृत लेखाधारकों के लेखों की राशि डाकघर से निकालने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना

4578. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक बचत लेखा की बहुत बड़ी राशि हर साल सरकारी निधि में इसलिए जमा हो जाती है कि लेखाधारी का या तो पता नहीं चल पाता है अथवा उनकी मृत्यु हो गई होती है और उनके निकटतम संबंधी द्वारा उस राशि को प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसके लिए विधिक दावा दायर करने पर लेखे में जमा राशि से अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है और इसलिए लोग उसे छोड़ देना ही उचित समझते है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी राशि के वर्षवार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) बेकार हो गई उस वर्तमान प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि जनसाधार, विशेषकर वैध उत्तराधिकारियों को वह राशि वापिस मिल सके ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। इस प्रकार के मामलों के निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रिया सरल और पर्याप्त है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्रों से संबंधित वर्गीकृत दस्तावेजों का प्रकट किया जाना

4579. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री पी० एस० सईद :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 27 महीनों की गहरी छानबीन के बाद उर्वरक संयंत्रों से संबंधित वर्गीकृत दस्तावेजों को अधिकृत एजेंसियों को प्रकट करने के कारण सात व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सेवा निवृत अधिकारी भी है मुकदमा दायर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) उर्वरक संयंत्रों के ये दस्तावेज किन एजेन्सियों को सप्लाई किये गये थे ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 30.8.1983 को मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रट, नई दिल्ली की अदालत में आफिशियल सीक्रेट अधिनियम के खण्ड 5(1)(क) और 5(2) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख के अधीन एक शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले पर न्यायिक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) सी० बी० आई० अन्वेषण से ज्ञात हुआ है कि 1979-80 के दौरान सरकारी कागजात समय-समय पर श्री जवंद सिंह खुराना, सम्पर्क सहायक, आई० सी० आई०, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली और मनमोहन किशोर गोड़, वरिष्ठ सम्पर्क अधिकारी, मोदीपोन, मोदीनगर के माध्यम से श्री आई० एस० आई० शाखा प्रबन्ध मैसर्स हर्पाडे प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली और श्री नानक सेठ, क्षेत्रीय प्रबन्धक, औद्योगिक परामर्शदात्री ब्यूरो को दिए गए थे ।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खाना पकाने की गैस के लिए अधिक बड़ा किन्तु हल्का और अधिक समय तक चलने वाला सिलेण्डर प्रयोग करने का प्रस्ताव

4580. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने अधिक बड़ा किंतु अधिक हल्का और अधिक समय तक चलने वाला सिलेण्डर प्रयोग करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) एल्यूमिनियम के एल० पी० जी० सिलेण्डरों का उत्पादन करने के संबंध में मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड का अनुरोध इस्पात मंत्रालय के जरिए प्राप्त हुआ था । इन सिलेण्डरों (जिन्हें आयात किया जाना है) का, भारतीय परिस्थितियों में उनकी उयुपक्तता का पता लगाने के लिए, परीक्षण विपणन किया जायेगा ।

इंडियन टेलीफोन इन्डट्रीज में आर्थिक संकट

4581. **श्री रेणुपद दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन इन्डस्ट्रीज को इस वर्ष लगातार दूसरे वर्ष गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज जिसने संचार के क्षेत्र में आवश्यक प्रौद्योगकी क्षमता और कुशलता प्राप्त कर ली है उसके ऐसे संकटपूर्ण स्थिति में पड़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे स्वस्थ बनाने हेतु अब तक क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के पर्यवेक्षकों और शिक्षकों द्वारा सत्याग्रह

4582. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन टीचर्स एसोसिएशन द्वारा 14 दिसम्बर 198? से आरम्भ किया गया सत्याग्रह 5 मार्च, 1983 को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबंधकों और एसोसिएशनों के बीच पर्यवेक्षकों और शिक्षकों को 1 जनवरी, 1982 से 36 रुपये प्रतिमाह की राशि देने के लिये समझौता हो जाने के बाद 7 मार्च, 1983 को समाप्त कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबंधकों द्वारा 1 जनवरी, 1982 से 36 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने से संबंधित 5 मार्च, 1983 को हुए समझौते को कार्यान्वित कर दिया गया है और विसंगतियां दूर कर दी गई हैं और मांगें पूरी कर दी गई हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त समझौते को कार्यान्वित करने के लिए प्रबंधकों ने अब तककोई कार्यवाही ही नहीं की है तो संभावित औद्योगिक अशांति को रोकने हेतु प्रबंधकों का विचार कब तक उसे कार्यान्वित करने, विसंगतियों को दूर करने और मांगें पूरी करने का है और इस अशांति के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संबंधित प्राधिकरणों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन को मेज पर रख दी जाएगी ।

सरकार द्वारा अधिग्रहीत बम्बई के 13 कपड़ा मिलों के मिल मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की जमा धनराशि की अदायगी

4583. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अधिग्रहीत बम्बई की तरह कपड़ा मिलों के प्रत्येक मालिक की ओर उनके अंशदान के रूप में भविष्य निधि के शेयर की कितनी धनराशि देय है; और

(ख) यह सुनिश्चित करते के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि मुआवजा देने से पहले उन्होंने पूरी धनराशि जमा कर दी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार 18-10-1983 को निम्नलिखित तीन मिलों के प्रति कोई बकाया राशि नहीं थी :—

1. मैसर्स पोदार मिल्स लिमिटेड
2. मैसर्स श्री मधुसूदन लिमिटेड, तथा
3. मैसर्स टाटा मिल्स लिमिटेड

शेष 10 मिलों के प्रति भविष्य निधि की बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों को सलाह दी गयी है कि वे बकाया राशियों के भुगतान के प्रश्न को सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अभिरक्षकों के साथ उठाएं ।

विवरण

क्रमांक	मिल का नाम	भविष्य निधि की अद्यतन देय राशियां (रुपये लाख में)
1.	मैसर्स एलफिन्स्टोन मिल्स	3.42
2.	मैसर्स फिनले मिल्स लिमिटेड	23.04
3.	मैसर्स गोल्ड मोहर मिल्स लिमिटेड	22.49
4.	मैसर्स पोद्दार प्रोसेसर्स	0.36
5.	मैसर्स न्यू सिटि आफ बम्बई मैन्यू० कं० लिमिटेड	2.80
6.	मैसर्स श्री सीताराम मिल्स लिमिटेड	72.56
7.	मैसर्स जैन मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	18.96
8.	मैसर्स कोहिनूर मिल्स कं० लि०	6.53
9.	(संख्या 1 तथा 2)	
10.	मैसर्स कोहिनूर मिल्स कं० लि० (संख्या 3)	1.71

फिल्मों का निर्यात

4584. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1982-83 में किन-किन भाषाओं की कौन-कौन सी फिल्में निर्यात को गईं; और

(ख) 1983-84 के दौरान भारतीय फिल्मों के निर्यात के संबंध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) ब्यौरा संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7605/83**]

(ख) भारतीय फीचर फिल्मों के अधिकांश निर्यात की व्यवस्था और बातचीत निर्माताओं/वितरकों द्वारा विदेशी खरीदकर्ताओं के साथ सीधे की जाती है । तथापि इन आयातों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो केनेलाइजेशन शुल्क वसूल करता है, के माध्यम से केनेलाईज किया जाता है, इसलिए इस सम्बन्ध में सरकारी कार्यक्रमों को निर्दिष्ट करना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि निर्यात के लिए पहल निजी फिल्म निर्माताओं/वितरकों के हाथ में है । उक्त के अलावा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी कुछ फिल्में सीधे ही निर्यात करता है जिसके लिए उसके पास वितरण अधिकार हैं । राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 1983-84 के दौरान अपने निर्यात को यथासंभव अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगा ।

आय-कर अपील अधिकरण का किसी दूसरी जगह ले जाया जाना

4585. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा से आय-कर अपील अधिकरण को किसी दूसरी जगह ले जाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बायो-गैस के लिए कूड़ा-करवट का उपयोग

4586. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायो गैस के लिए मल और कूड़ा-करकट बड़े पैमाने पर उपयोग करने की जांच करने हेतु इनकी उपभोग की विभिन्न प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कार्यवाही की गई है और चौपिंग, पैलेट निर्माण, पायरोलाइसेस आदि के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध बायो-सामग्री का परिष्करण करने और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से तेल, मीथेन या मैथनौल आदि तैयार करने के लिए मशीनें डिजाइन की गई हैं; और

(ख) क्या ऊर्जा संकट और अकार्बनिक उर्वरकों की लागत में संभावित वृद्धि और उनकी संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए योजना अवधि के दौरान वैज्ञानिक आधार पर सामग्री को पुनः प्रयोग करने को प्राथमिकता दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) मल के प्रयोग सहित बायो गैस उत्पन्न करने वाले दो संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और अन्य दो वास्तविक क्षेत्रीय शर्तों के अधीन निष्पादन अध्ययन के लिए स्थापित किए जाने वाले हैं । प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेसाल करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक कार्यदल गठित किया जा चुका है ।

पैलेटिएसन, ताप अपघटन, गैसीकरण, भष्मीकरण आदि जैसे भिन्न-भिन्न तरीकों द्वारा ठोस कूड़े करकट को विभिन्न ईंधनों में तथा उर्वरकों में परिवर्तित करने के तुलनात्मक अध्ययन का पता लगाने के लिए परियोजनायें प्रारंभ की जा चुकी हैं ।

इनमें से कुछ प्रक्रियाओं/उत्पादनों के लिए मशीनों का डिजाइन/विकास कर लिया गया है और उनके निष्पादन की परीक्षा की जा रही है । जीवभार/ठोस कूड़े करकट को तरल ईंधनों में परिवर्तित करने जैसे प्रक्रिया के लिए मशीनों के विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ग) विभिन्न प्रकार की कूड़े करकट सामग्री सहित जीवभार के पुनः चक्रण के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी गई है ।

बाड़मेर और जैसलमेर में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

4587. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के जयपुर और जोधपुर केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम राजस्थान में आधे सीमांत बाड़मेर और जैसलमेर सीमान्त जिलों के आधे भाग में ठीक नहीं सुने जा सकते हैं और शेष आधे भाग में बहुत कम सुनाई देते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त स्थानों में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने चौथी, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किए थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के नजदीक कराची और हैदराबाद रेडियो स्टेशन बहुत शक्तिशाली हैं; और

(घ) क्या सरकार बाड़मेर और जैसलमेर में अधिक शक्तिशाली आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की प्राथमिकता प्रदान करेगी और यदि हां, तो कब तक और किस तरह करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के पश्चिमी भाग आकाशवाणी के जयपुर और जोधपुर केन्द्रों की प्राथमिक ग्रेड के सेवा क्षेत्र से बाहर पड़ते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में आकाशवाणी के कार्यक्रमों का संग्रहण संतोषजनक नहीं है।

(ख) बाड़मेर और जैसलमेर में रेडियो स्टेशनों की स्थापना के प्रश्न पर 5वीं और छठी योजनाओं में शामिल करने हेतु प्रस्तावों को तैयार करते समय विचार किया गया था। इन प्रस्तावों को संसाधन के अभाव और अन्य परियोजनाओं की सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण शामिल नहीं किया जा सका।

(ग) यह समझा जाता है कि इन स्थानों पर उच्च शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं यहां तक कि जोधपुर में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर है।

(घ) अगली पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय इस पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

अनियमितताओं के कारण खाना पकाने की गैस एजेंसियों को रद्द करना

4588. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियों को चालू वर्ष के दौरान अब तक रद्द किया गया है और उनका विवरण क्या है;

(ख) यदि हां, तो जिन एजेंसियों को रद्द किया गया है, उनके द्वारा की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका आबंटन रद्द करने के अलावा उन्हें क्या अन्य दंड दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) चालू वर्ष 1983-84 के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशियों को समाप्त कर दिया गया है :

1. विवेक गैस सर्विस, खान मार्किट, नई दिल्ली।

2. श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।

3. लेंगर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, उज्जैन, मध्य प्रदेश।

4. देवपाल हाइड्रोकार्बन्स, भुज, गुजरात।

2. श्री राम गैस एजेंसी, त्रिवेन्द्रम, केरल।

6. प्रभा इन्टरप्राइजेज, आलवे, केरल।

7. माने एंड वत्रक गैस सर्विस, थाने, महाराष्ट्र।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, लेखों के 'मिलाये जाने पर, उपकरण की हानि के लिए समाप्त की गयी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों से वसूली की जाती है। इसके अलावा, अगर कार्पोरेशन के लेखों में यदि कोई देय बकाया धनराशि हो, उसको यदि आवश्यकता पड़े तो कानूनी कार्यवाही द्वारा वसूल किया जायेगा।

थाने स्थित समाप्त किये गये वितरक ने यथास्थिति बनाये रखने के लिए न्यायालय से अन्तरिम निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० ने भी एक अपील दायर कर दी है। इस कारण यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

विवरण

क्रम सं०	वितरक का नाम	समाप्त किये जाने के कारण
1	2	3
1.	विवेक गैस सर्विस, नई दिल्ली	अनधिकृत ग्राहकों को रिफिलों की सप्लाई, स्टाक रजिस्टरों को न रखना, सुरक्षा-सावधानियों का उल्लंघन करना, कम वजन वाले रिफिलों की सप्लाई करना, व्यापार में नियंत्रण की कमी/रुचि न लेना आदि।
2.	श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स, कलकत्ता	ग्राहकों की गंभीर शिकायतें, उपकरणों के हिसाब रखने में कदाचार, कार्पोरेशन के देय धन के भुगतान में जानबूझकर विलम्ब करना तथा दावों का भुगतान न करना, सुरक्षा नियमों तथा प्रक्रिया आदि की अवहेलना करना।
3.	लेंगर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, उज्जैन	अनधिकृत कनेक्शन जारी करना, सिलेंडरों की कमी, ग्राहकों से हॉट प्लेटों के लिए बहुत पहले ही धन प्राप्त कर लेना आदि।

1	2	3
4.	देवपाल हाइड्रो-कार्बन्स, भुज	ग्राहकों को तंग करने की शिकायतें, रिफिलों की सप्लाई के लिये पहले से ही धन प्राप्त कर लेना, स्थानीय नागरिक आपूर्ति प्राधिकारियों तथा कार्पोरेशन द्वारा दिये गये अनुदेशों का उल्लंघन करना, आसान उपलब्धता के दौरान भी रिफिलों का लगातार बकाया (बैकलॉग) रहना, गोदाम तथा रिकार्डों को ठीक प्रकार से न रखना, आदि।
5.	श्री राम गैस एजेंसी, त्रिवेन्द्रम	पंजीकृत न किये गये व्यक्तियों को बिना पारी के कनेक्शन जारी करना, उपकरण का दुरुपयोग, नामे नोट (डेबिट नोट) का भुगतान न किया जाना, खराब वित्तीय प्रबन्ध, वास्तविक ग्राहकों को परेशान करना, वितरक स्वयं कार्य संचालन नहीं करता आदि।
6.	प्रभा इन्टर-प्राइजेज, आलवे	दस्तावेजों की जालसाजी, एम० वी० जमा के भुगतान में आदतन विलम्ब, भ्रामक सूचना देना, कार्पोरेशन द्वारा दी गयी सुविधानों का दुरुपयोग करना और अन्य कदाचार करना।
7.	माने एण्ड वत्रक गैस सर्विस, थाने	अनधिकृत रकम एकत्र करना और ग्राहकों से अधिक पैसे वसूल अनधिकृत रकम एकत्र करना और ग्राहकों से अधिक पैसे वसूल करना।

दिल्ली में श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों में लम्बित विवाद

4589. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में श्रमिकों/यूनियनों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों के बीच के कितने औद्योगिक श्रमिक विवाद लम्बित हैं;

(ख) उनमें से कितने विवाद दो वर्ष से भी अधिक समय पुराने हैं; और

(ग) विवादों की सूची क्या है और वे किस वर्ष से लम्बति पड़े हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 31-10-1983 की स्थिति के अनुसार 1074.

(ख) 503.

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष लम्बित पड़े मामलों की सूची

क्रमांक	पक्षकारों के नाम	वर्ष
1	2	3
1. श्री सन्त राम	बनाम प्रोटोटाइप प्रोडक्शन एण्ड टी० सी०	1968
2. श्री श्यामलाल	बनाम फर्टीलाइजर कारपोरेशन	1980
3. श्री योगराज	बनाम डी० टी० सी०	1981
4. वर्कमैन	बनाम डी० ई० एस० यू०	1981
5. धर्मवीर	बनाम एम० सी० डी०	1981
6. नरसिंह	बनाम आई० टी० डी० सी०	1981
7. श्री शुजाउद्दीन	बनाम हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि०	1976
8. श्री धर्मवीर	बनाम डी० टी० सी०	1975
9. किरण सिंह	बनाम एम० सी० डी०	1978
10. गुर प्रसाद	बनान एम० सी० डी०	1978
11. गुर प्रसाद	बनाम एम० सी० डी०	1978
12. श्री चन्द	बनाम एम० सी० डी०	1978
13. सिमरू सिंह	बनाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	1980
14. रामप्रसाद	बनाम एम० सी० डी०	1981
15. कैलाश देवी	बनाम एम० सी० डी०	1981
16. मुख्यतार सिंह	वनाम एम० सी० डी०	1981
17. राम रतन	बनाम डी० डी० ए०	1981
18. भगतू	बनाम डायरेक्टरेट आफ हैल्थ सर्विसिस	1978
19. दल बहादर	बनाम -यथोक्त-	1978
20. डी० टी० सी०	बनाम दाताराम	1980
21. एम० सी० डी०	बनाम छोटेलाल	1981
22. एम० सी० डी०	बनाम वर्कमैन	1981
23. एम० सी० डी०	बनाम सदा नन्द	1981
24. एम० सी० डी०	बनाम सेवा राम	1981
25. आई० टी० डी० सी०	बनाम मदान सिंह	1979
26. डी० टी० सी०	बनाम वर्कमैन	1976
27. डी० टी० सी०	बनाम वर्कमैन	1975
28. डी० टी० सी०	बनाम सन्त लाल	1981

1	2	3
29. डी० ई० एस० यू०	बनाम आर० के० जैन	1976
30. एन० सी० ए० ई० आए०	बनाम वर्कमैन	1978
31. एम० सी० डी०	बनाम आस मोहम्मद	1980
32. एम० सी० डी०	बनाम वर्कमैन	1981
33. डी० डी० ए०	बनाम वर्कमैन	1976
34. मॉडर्न बेकरीज	बनाम वर्कमैन	1981
35. डी० टी० सी०	बनाम दाताराम	1980
36. एम० सी० डी०	बदाम वर्कमैन	1981
37. एम० सी० डी०	बनाम सदानन्द	1981
38. एम० सी० डी०	बनाम सेवाराम	1981
39. एन० सी० ए० ई० आर०	बनाम आर० एन० गोवामी एण्ड अदर्स	1977
40. आई० टी० डी० सी०	बनाम मदान सिंह	1979
41. मॉडर्न बेकरीज	बनाम जोशी	1981
42. डी० टी० सी०	बनाम वर्कमैन	1976
43. डी० टी० सी०	बनाम वर्कमैन	1975
44. ए० आई० आई० एम० एस०	बनाम वर्कमैन	1981
45. एम० सी० डी०	बनाम सन्त राम	1976
46. डी० ई० एस० यू०	बनाम भरत सिंह	1980
47. एम० सी० डी०	बनाम श्याम सुन्दर	1981
48. एम० सी० डी०	बनाम दुर्गा प्रसाद	1981
49: एम० सी० डी०	बनाम वर्कमैन	1980
50. एम० सी० डी०	बनाम दलपत सिंह	1981
51: एम० सी० डी०	बनाम आर० डी० टेरी	1977
52. एन० डी० एम० सी०	बनाम चन्द्रपाल	1981
53. एम० सी० डी०	बनाम अमर जीत	1978
54: एम० सी० डी०	बनाम भगवानी देवी	1981
55: डी० टी० सी०	बनाम विष्णु दत्त	1981
56: डी० टी० सी०	बनाम राम किशन	1975
57. एम० सी० डी०	बनाम सुखलाल	1981
58. एम० सी० डी०	बनाम प्रेम सिंह	1981
59. एम० सी० डी०	बनाम अजोर	1979
60. डी० ई० एस० यू०	बनाम ओम प्रकाश	1978
61. डी० टी० सी०	बनाम समे सिंह	1980
62: एम० सी० डी०	बनाम चन्द्र मणी	1981

1	2	3
63. एम० सी० डी०	बनाम शिवप्रसाद शर्मा	1979
64. एम० सी० डी०	बनाम राम निवास	1979
65. एम० सी० डी०	बनाम राम प्रसाद	1980
66. आई० टी० डी० सी०	बनाम प्रेम प्रकाश	1980
67. एम० सी० डी०	बनाम ख्याली राम	1980
68. एम० सी० डी०	बनाम आसानन्द जैतली	1980
69. एन. एम. डी. सी.	बनाम धारा सिंह	1980
70. डी. ई. एस. यू.	बनाम राजिन्द्र टण्डन	1980
71. एम. सी. डी.	बनाम महावीर	1981
72. एम. सी. डी.	बनाम दौलत राम	1981
73. एम. सी. डी.	बनाम गौरी	1981
74. डी. ई. एम. यू.	बनाम दुर्गा प्रसाद	1981
75. आई. टी. डी. सी.	बनाम वर्कमैन	1981
76. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
77. एम. सी. डी.	बनाम रघुनाथ सिंह	1981
78. एम. सी. डी.	बनाम राम सेहरा	1981
79. एम. सी. डी.	बनाम धर्म वीर	1981
80. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
81. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
82. एम. सी. डी.	बनाम जंग बहादुर	1981
83. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
84. डी. टी. सी.	बनाम अत्तर सिंह	1981
85. जगदीश कुमार	बनाम एम. सी. डी.	1981
86. बाबू लाल	बनाम बोर्ड आफ एक्जामिनेशन ए. आई. आई. एम. एम.	1981
87. रतन सिंह	बनाम हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन लि०	1981
88. गिनथिया डैविस	बनाम मदर डेरी	1981
89. प्रेम सिंह	बनाम अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स	1981
90. जय दयाल	बनाम मौलाना आजाद मेडिकल कालेज	1981
91. सालक चन्द	बनाम डी. टी. सी.	1979
92. विजय मलिक	बनाम यूनिवर्सिटी आफ देहली हास्टल फोर वूमेन	1979
93. प्रभाती एण्ड अदर्स	बनाम डी. ई. एम. यू.	1979
94. विनोद कुमार	बनाम यूनिवर्सिटी आफ देहली	1979

1	2	3
95. वर्कमैन (स्टेनोग्राफर्स)	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
96. के. सी. राजदेव	बनाम इंजीनियर्स इंडिया लि०	1979
97. एन. के. प्रदाशनी	बनाम सुपर बाजार	1978
98. जय पाल	बनाम डी. ई. एस. यू.	1978
99. स्नेह शर्मा	बनाम आई. टी. डी. सी.	1978
100. राजबीर	बनाम डी. टी. सी.	1975
101. राम सरन	बनाम डी. ई. एस. यू.	1975
102. राजेन्द्र प्रसाद	बनाम डी. टी. सी.	1974
103. मोहन दास	बनाम डी. टी. सी.	1974
104. बचन सिंह	बनाम आई. टी. डी. सी.	1973
105. होश्यार सिंह	बनाम दी गणेश फ्लोर मिल्स	1971
106. अशोक कुमार	बनाम मॉडर्न बेकरीज	1978
107. सतपाल	बनाम मॉडर्न बेकरीज	1978
108. गुरू दत्त	बनाम डी. ई. एस. यू.	1981
109. एच. सी. गुप्ता	बनाम डी. टी. सी.	1981
110. एम. एस. गुप्ता	बनाम डी. टी. सी.	1981
111. रूमल सिंह	बनाम एन. डी. एम. सी.	1981
112. रोशन लाल गुप्ता	बनाम एम. सी. डी./डी. डी. ए.	1979
113. आर. के. शर्मा	बनाम डी. ई. एस. यू.	1981
114. दुन्नु राम	बनाम डी. टी. सी.	1980
115. रतन सिंह	बनाम हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन	1980
116. प्रीतम सिंह	बनाम एन. डी. एम. सी.	1979
117. रोशन लाल	बनाम होटल रणजीत	1979
118.. नानक चन्द	बनाम प्रोजेक्ट एण्ड इक्वीपमैंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	1978
119. अजीत राय	बनाम प्रोजेक्ट एण्ड इक्वीपमैंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	1978
120. एम. एल. नारंग	बनाम यथोक्त	1978
121. ओम प्रकाश लूथरा	बनाम यथोक्त	1978
122. एच. के. सक्सेना	बनाम यथोक्त	1978
123. प्रकाश चन्द	बनाम डी. टी. सी.	1974
124. श्री किशन	बनाम डी. टी. सी.	1974
125. चन्दन सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1974
126. टिक्कम सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1974

1	2	3
127. राम अधर	बनाम डी. टी. सी.	1974
128. कृपाल सिंह	वनाम डी. टी. सी.	1974
129. इन्द्र सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1974
130. छोटू राम	बनाम डी. टी. सी.	1974
131. देवी सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1974
132. बाबू लाल	बनाम डी. टी. सी.	1974
133. एम. सी. डी.	बनाम रतन सिंह एण्ड अदर्स	1981
134. डी. ई. एस. यू.	बनाम आर. एन. शर्मा	1979
135. डी. ई. एस. यू.	बनाम आर. पी. शर्मा	1980
136. डी. ई. एस. यू.	बनाम आई. एन. शर्मा	1978
137. डी. ई. एस. यू.	बनाम सी. पी. नेगी	1980
138. डी. ई. एस. यू.	बनाम डी. सी. गुप्ता	1981
139. डी. टी. सी.	बनाम शिवदयाल	1981
140. एन. ए. सी. ई. रिसर्च	बनाम वर्कमैन	1981
141. एम. सी. डी.	बनाम गिरधारी लाल	1981
142. कर्म सिंह	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
143. मदन लाल	बनाम एम. सी. डी.	1981
144. सिया राम	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
145. धर्मवीर	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
146. रोबी	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
147. पाली	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
148. राम फल	वनाम डी. ई. एस. यू.	1979
149. बनवारी	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
150. मोहन लाल	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
151. हरी राम	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
152. चमन सिंह	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
153. अजुधी	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
154. मूलचन्द	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
155. बलबीर	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
156. मांगे राम	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
157. चंदु	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
158. मंगत राम	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
159. तिलक राम	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
160. कालु	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979

1	2	3
161. रामपाल	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
162. लटोरे राम	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
163. राजेन्द्र सिंह	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
164. बाबू लाल	बनाम डी. ई. एस. यू.	1979
165. बन्वारी लाल	बनाम डी. ई. एस. यू.	1977
166. एम. सी. डी.	बनाम जयकिशन	1981
167. एम. सी. डी.	बनाम वीर भान	1977
168. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
169. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
170. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
171. डी. ई. एस. यू.	बनाम वर्कमैन	1981
172. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1977
173. एम. सी. डी.	बनाम राम असरे	1981
174. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1976
175. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
176. एम. सी. डी.	बनाम राम किशन	1981
177. एम. सी. डी.	बनाम अब्दुल सत्तार एण्ड अदर्स	1980
178. एम. सी. डी.	बनाम एस. के. महाजन	1980
179. डी. ई. एस. यू.	बनाम वर्कमैन	1975
180. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
181. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
182. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
183. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1981
184. डी. ई. एस. यू.	बनाम वर्कमैन	1981
185. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1978
186. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1978
187. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
188. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
189. एम. सी. डी.	बनाम वाटर सप्लाई	1980
190. एम. सी. डी.	बनाम सूरजमल त्यागी	1980
191. डी. टी. सी.	बनाम सूरजमल त्यागी	1981
192. एम. सी. डी.	बनाम यथोक्त	1981
193. डी. ई. एस. यू.	बनाम वर्कमैन	1977
194. डी. ई. एस. यू.	बनाम वर्कमैन	1980

1	2	3
195. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
196. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
197. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
198. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1978
199. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
200. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1979
201. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1979
202. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
203. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
204. एम. सी. डी.	बनाम वर्कमैन	1980
205. आई. टी. डी. सी.	बनाम एम. एम. गुप्ता	1980
206. डी. ई. एस. यू.	बनाम	1981
207. जे. एन. बेदिया	बनाम डी. टी. सी.	1978
208. रामेश्वर दास	बनाम एम. सी. डी.	1981
209. बुल्लन	बनाम एम. सी. डी.	1975
210. के. एस. यादव	बनाम डी. ई. एस. यू.	1981
211. होशियार सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1979
212. ओ. पी. नन्दवानी	बनाम डी. टी. सी. (3)	1981
213. दुरेन्द्र सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1981
214. रघुनाथ	बनाम डी. टी. सी.	1980
215. हरिचन्द	बनाम डी. टी. सी.	1979
216. शिव नारायण	बनाम डी. टी. सी.	1976
217. विजय कुमार	बनाम डी. टी. सी.	1978
218. लक्ष्मण सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1976
219. हरिचन्द	बनाम डी. टी. सी.	1980
220. रती राम	बनाम डी. टी. सी. (2)	1981
221. चन्द्र भान	बनाम डी. टी. सी.	1976
222. विजय टकयार	बनाम डी. ई. एस. यू.	1980
223. होशियार सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1980
224. गुलाम रसूल	बनाम डी. ई. एस. यू.	1980
225. जी. एन. बेदी	बनाम डी. टी. सी.	1979
226. भूल सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1980
227. बाबू राम तूफान	बनाम एम. सी. डी.	1981
228. जगदीश चन्द्र	बनाम एम. सी. डी.	1981
229. बलबीर सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1981

1	2	3
230. रामू	बनाम एम. सी. डी.	1981
231. गणपत सिंह	बनाम एम. सी. डी.	1981
232. गोकल दास	बनाम एम. सी. डी.	1979
233. सूरज पाल	बनाम डी. डी. ए.	1978
234. जे. आर. अग्रवाल	बनाम एम. सी. डी.	1976
235. जयदेव	बनाम एम. सी. डी.	1981
236. सीता राम	बनाम डी. डी. ए.	1980
237. राम अवतार	बनाम एम. सी. डी.	1981
238. सीता राम	बनाम डी. डी. ए.	1978
239. बसन्त लाल	बनाम एम. सी. डी.	1979
240. राजेश कुमार अग्रवाल	बनाम एम. सी. डी.	1981
241. राम गोपाल	बनाम डी. टी. सी.	1975
242. सुरेश चन्द	बनाम एम. डी. एम. सी.	1981
243. माम राम	बनाम एम. सी. डी.	1978
244. हमीद अली	बनाम एम. सी. डी.	1980
245. कालीचरण	बनाम एम. सी. डी.	1981
246. द्रोपती देवी	बनाम एम. सी. डी.	1981
247. पी० बी० लाल	बनाम एम. सी. डी.	1974
248. शन्दु लाल	बनाम एम. सी. डी.	1981
249. जय कुमार	बनाम डी. टी. सी.	1975
250. ओम प्रकाश	बनाम डी ई एस यू	1977
251. डी. एस. चतुर्वेदी	बनाम डी ई एस यू	1981
252. ईश्वर	बनाम एम सी डी	1980
253. गौरी शंकर जिंदल	बनाम एम सी डी	1981
254. शबीर अहमद	बनाम एम सी डी	1981
255. पूरन	बनाम एम सी डी	1980
256. डी० ई० एस० यू०	बनाम वर्कमैन	1979
257. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
258. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
259. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
260. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1979
261. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
262. आई टी डी सी	बनाम वर्कमैन	1981
263. डी ई एस यू	बनाम वर्कमैन	1980

1	2	3
264. डी ई एस यू	बनाम वर्कमैन	1981
265. सुपर बाजार	बनाम वी० पी० भाम्बरी	1975
266. डी ई एस यू	बनाम वर्कमैन	1981
267. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1978
268. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
269. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
270. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1979
271. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
272. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
273. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
274. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
275. डी टी सी	बनाम वर्कमैन	1980
276. एम सी डी	बनाम जय नारायण	1969
277. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
278. डी ई एस यू	बनाम वर्कमैन	1980
279. डी ई एस यू	बनाम वर्कमैन	1980
280. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
281. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
282. एन. डी. एम. सी	बनाम ओ० पी० सेठी	1978
283. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
284. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1978
285. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
286. सुपर बाजार	बनाम वर्कमैन	1981
287. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1979
288. डी एम आई डी सी, कारपोरेशन	बनाम वर्कमैन	1979
289. डी ई एस यू	बनाम सतीश कुमार	1981
290. डी ई एस यू	बनाम फूल चन्द	1981
291. डी ई एम यू	बनाम जय प्रकाश	1981
292. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
293. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
294. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
295. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
296. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981

1	2	3
297. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1981
298. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
299. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1976
300. एम सी डी	बनाम वर्कमैन	1980
301. तीरथ सिंह	बनाम डी ई एम यू	1978
302. प्रेम दास	वनाम एम. सी. डी.	1978
303. एस. एस. बिन्द्रा	बनाम डी. टी. सी.	1981
304. इन्द्र पाल	बनाम डी. टी. सी.	1981
305. अमर सिंह	बनाम डी. ई. एस. यू.	1980
306. सरदारे	बनाम एम. सी. डी.	1981
307. सदानन्द	बनाम एम. सी. डी.	1981
308. किशोरी लाल	बनाम एम. सी. डी.	1981
309. एच. एस. भारद्वाज	बनाम एम. सी. डी.	1981
310. प्रेम प्रकाश	बनाम आई. टी. डी. सी.	1979
311. अमर सिंह	बनाम एम. सी. डी.	1979
312. राम सिंह	बनाम सुपर बाजार	1979
313. बन्शी लाल	बनाम डी. टी. सी.	1979
314. भतरा	बनाम एम. सी. डी.	1979
315. करतारे	बनाम डी. ई. एस. यू.	1981
316. राम पत	बनाम डी. ई. एस. यू.	1981
317. एम. सी. चोपड़ा	बनाम एन. डी. एम. सी.	1981
318. बनबारी लाल	बनाम डी. सी. एम: सिल्क मिल्स	1980
319. बनवारी लाल	बनाम -यथोक्त-	1980
320. बनवारी लाल	बनाम -यथोक्त-	1977
321. एस. एन. गुप्ता	बनाम डी. टी. सी.	1981
322. बी. सी. जैन	बनाम डी. टी. सी.	1981
323. टी. सी. जैन	बनाम एम. सी. डी.	1977
324. टी. एन. शर्मा	बनाम एम. सी. डी.	1980
325. हेत सिंह	बनाम डी. टी. सी.	1981
326. मंगल सिंह	बनाम एम. सी. डी.	1981
327. श्रीमती सुदर्शन	बनाम एम. सी. डी.	1981
328. श्रीमती बी० रिजर्ड	बनाम एम. सी. डी.	1981
329. श्रीमती लीला देवी	बनाम एम. सी. डी.	1981
330. श्रीमती प्रेम सिरिल	बनाम एम. सी. डी.	1981

1	2	3
331. जोखी राम	बनाम एम. सी. डी.	1981
332. पंचम	बनाम एम. सी. डी.	1981
333. मीताराम	बनाम एम. सी. डी.	1981
334. जी. एस. भुट्टा	बनाम एम. सी. डी.	1981
335. लीलावती	बनाम एम. सी. डी.	1981
336. कु० एस. ए. माशिल्ह	बनाम एम. सी. डी.	1981
337. सहीन सरन सिंह	बनाम एम. सी. डी.	1981
338. सिंगर दास	बनाम डी. डी. ए./एम. सी. डी.	1981
339. किशनलाल	बनाम डी. डी. ए.	1981
340. श्याम स्वरूप	बनाम एन. डी. एम. सी.	1981
341. पदमा देवी	बनाम एम. सी. डी.	1981
342. देवकी नन्दन	बनाम एम. सी. डी.	1981
343. श्रीमती नुत्थो	बनाम एम. सी. डी.	1981
344. बी० एन० गोयल	बनाम एम. सी. डी.	1981
345. वसु	बनाम एम. सी. डी.	1981
346. जयपाल	बनाम एम. सी. डी.	1981
347. त्रिलोक सिंह	बनाम एम. सी. डी./डी. डी. ए.	1981
348. किशन	बनाम डी. डी. ए.	1981
349. भरत सिंह	बनाम एम. सी. डी.	1981
350. भरत सिंह	बनाम एम. सी. डी.	1981
351. बिश्म्बर	बनाम एम. सी. डी.	1981
352. याद कुमार	बनाम एम. सी. डी.	1981
353. दौलत सिंह	बनाम एम. सी. डी.	1981
354. श्रीमती मैना देवी	बनाम एम. सी. डी.	1981
355. किशन लाल	बनाम एम. सी. डी.	1981
356. मनोराह	बनाम एम. सी. डी.	1981
357. जगपाल सिंह	बनाम एम. सी. डी.	1981
358. एम० सी० डी०	बनाम कर्मकार	1981
359. एम० सी० डी०	बनाम कर्मकार	1980
360. एम० सी० डी०	बनाम कर्मकार	1979
361. एम० सी० डी०	बनाम कर्मकार	1980
362. डी० टी० सी०	बनाम कर्मकार	1979
363. आई० टी० डी० सी०	बनाम कर्मकार	1978
364. एम० सी० डी०	बनाम कर्मकार	1980

1	2	3
365. एम० सी० डी०	बनाम कर्मकार	1981
366. एम० सी० डी०	बनाम कर्मकार	1980
367. डी० टी० सी०	बनाम कर्मकार	1981
368. डी० ई० एस० यू०	बनाम कर्मकार	1976
369. एम० सी० डी०	बनाम कर्मकार	1968
370. आई० टी० डी० सी०	बनाम रामपाल	1980
371. डी० टी० सी०	बनाम धर्मपाल	1971

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित पड़े विवादों की सूची

1977 के लंबित मामलों की सूची

1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	2
2. डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड	1
3. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
4. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	1
5. न्यू बैंक आफ इंडिया	1
6. सैन्टल बैंक आफ इंडिया	3
7. बैंक आफ इंडिया	1
8. बैंक आफ बड़ौदा	1
	11

1978 के लंबित मामलों की सूची

1. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	3
2. डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड	4
3. बैंक आफ बड़ौदा	1
4. लाइफ इंशोरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया	1
5. स्टेट बैंक आफ इंडिया	5
6. न्यू बैंक आफ इंडिया	1
7. यूनियन बैंक आफ इंडिया	3
8. बैंक आफ इंडिया	1
9. इलाहाबाद बैंक	1
10. यूनाइटेड कार्मिर्शियल बैंक	1
	21

1979 के लंबित मामलों की सूची

1. यूनाईटेड बैंक इंडिया	1
2. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2
3. स्टेट बैंक आफ इंडिया	3
4. डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड	1
5. पंजाब नेशनल बैंक	1
6. इलाहाबाद बैंक	1
	9

1980 के लंबित मामलों की सूची

1. पंजाब नेशनल बैंक	5
2. विजय बैंक	1
3. लक्ष्मी कमिशियल बैंक	1
4. फूड कारपोरेशन आफ इंडिया	1
5. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1
6. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	5
7. स्टेट बैंक आफ इंडिया	2
8. यूनाइटिड इंडिया इन्शोरेंस कम्पनी	1
9. स्टेट बैंक आफ पटियाला	1
10. इलाहाबाद बैंक	1
11. लाइफ इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया	1
12. बैंक आफ इंडिया	2
13. हिन्दुस्तान कार्मशियल बैंक	3
14. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	4
15. जयपुर उद्योग	1
16. राजस्थान स्टेट माइन्स	3
	38

1981 लंबित मामलों की सूची

1. ओरियंटल बैंक कामर्स	2
2. बैंक आफ महाराष्ट्र	3
3. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
4. बैंक आफ बड़ोदा	2
5. यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया	3
6. सेट्रल बैंक आफ इंड़िया	8
7. पंजाब नेशनल बैंक	6
8. इलाहाबाद बैंक	1
9. देना बैंक	1
10. बैंक आफ इंडिया	1
11. स्टेट बैंक आफ इंडिया	3
12. इंडियन बैंक	2
13. न्यू बैंक आफ इंडिया	1
14. फूड कारपीरेशन आफ इंडिया	3
15. जे० एण्ड० के० मिनरल्स लिमिटेड	1
16. फूड कारपोरेशन आफ इंडिया	2
17. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक	3
18. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4
19. स्टेट बैंक आफ पटियाला	2
20. बनारस स्टेट बैंक	1
21. राज स्टेट माइन्स	2
22. यू० पी० स्टेट मिनरल्स डिवलमेंट कारपोरेशन	1
	53

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय के सम्बन्ध में कुल (1977 से 1981 तक) = 132

कुल जोड़ = 503

गुजरात में गैस कनेक्शनों का नियमित किया जाना

4590. **श्री नवीन रावणी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1 अप्रैल, 1983 को जिलेवार नये गैस कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े थे;

(ख) उन आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हजारों व्यक्तियों के पास अवैध रूप से गैस सिलेण्डर हैं और उन्हें एजेंसियों के माध्यम से चोर बाजारी से गैस मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मामूली सा प्रभार लेकर उनके कनेक्शनों को नियमित करने के बारे में विचार करेगी जिससे कि देश में विशेष कर गुजरात में इस चोर बाजारी को रोका जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1 अप्रैल, 1983 को गुजरात में नये कनेक्शनों के लिए बकाया आवेदन पत्रों का जिलावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) एक चरणबद्ध नामांकन योजना के अनुसार नये गैस कनेक्शन देने के लिये कदम उठाये गये हैं।

(ग) कोई विशेष मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

जिला	कुल
मेहसाना	16559
कैरा	14204
बड़ौच	578
सूरत	75669
बड़ौदा	54789
बलसार	12765
अहमदाबाद	132292
बानसर्कथा	2511
खेड़ा	19530
भड़ौच	8211
बलसाड	15069
पंचमल	1398
गांधी नगर	7253
कच्छ	3807
भावनगर	11494
राजकोट	17330
सुरेन्द्रनगर	6420
जामनगर	6700
जूनागढ़	14430

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन

4591. **श्री बी० सी० देसाई :**
श्री पी० ए० सईद :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अवैध या अनुचित साधनों से प्राप्त किसी साक्ष्य पर विचार करने से न्यायालयों के संरक्षण के लिए रक्षोपायों का उपबंध करने के लिए साक्ष्य सम्बन्धी विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने कोई ऐसा प्रारूप प्रस्तुत किया है जिसे इस प्रयोजन के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अंत:स्थापित किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों की पड़ताल कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो अधिनियम में संशोधनों के पुर:स्थापन के बारे में अंतिम विनिश्चय कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) विधि आयोग ने "अवैध रूप से या अनुचित रूप से प्राप्त और साक्ष्य" के सम्बन्ध में अपनी चौरानवीं रिपोर्ट में इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया है और सिफारिश की है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 166क के रूप में नई धारा अन्त:स्थापित की जाए। आयोग ने प्रस्तावित नई धारा का प्रारूप भी प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) सरकार रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। चूंकि रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद करवाया जाना है और उसके पश्चात् उसे विभिन्न उच्च न्यायालयों, विधिज्ञ परिषदों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को, तथा उच्चतम न्यायालय को भी, उनकी राय जानने के लिए, परिचालित करने के लिए अंग्रेजी और हिन्दी पाठ पृथकत: मुद्रित करवाया जाना है, इसलिए वह समय-सीमा बताना कठिन है जिसके भीतर विधि आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने और संशोधन विधेयक के पुर:स्थापन के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय किया जाएगा। संशोधन विधेयक के पुर:स्थापन का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा यदि विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिश स्वीकार कर ली जाएगी।

देश में रेलवे डाक सेवा के डाक-छंटनी अनुभागों को बन्द किया जाना

4592. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में रेलवे डाक सेवा के अन्तर्गत कार्य कर रहे 180 डाक छंटनी अनुभागों को बंद करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे डाक सेवा के छंटनी अनुभागों को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत कार्य कर रहे इस प्रकार के कितने रेलवे डाक सेवा छंटनी अनुभागों को अब तक बंद किया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक सेवा के उन छंटनी अनुभागों के बंद कर देने से पत्र पहुंचने में अत्यन्त विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो डाक पहुंचाने के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने और रेलवे डाक सेवा के इन छंटनी अनुभागों को बंद कर देने के कारण बेरोजगार हुए कर्मचारियों को उपयुक्त रोजगार प्रदान करने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) रेल डाक सेवा के 142 छंटाई अनुभागों में डाक की छंटाई का कार्य समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) रेलों में छंटाई-कार्य एक खर्चीली पद्धति है । इस पर आने वाली लागत स्थाई डाक कार्यालयों की छंटाई करने की लागत की तीन गुणा है । इसके अतिरिक्त निर्धारित डाक-वाहनों की सप्लाई न हो पाना, चलती रेल गाड़ियों में कम रोशनी अस्वास्थ कर कार्य दशा तथा रेलों में अपर्याप्त स्थान आदि, अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसकी वजह से विभाग को विवश होकर चलती रेल गाड़ियों में यह कार्य कुछ सीमा तक बंद करना पड़ा । डाक रेल गाड़ियों में जो छंटाई कार्य होता था, वह कार्य अब स्थाई डाक-कार्यालयों में सुविधापूर्वक किया जा रहा है ।

(ग) सात ।

(घ) देलों में छंटाई-कार्य समाप्त करने के परिणामस्वरूप पत्रों के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ङ) सैक्शनों को समाप्त करने, अंतरण करने पर डाक का अविलम्ब वितरण करने के लिए पर्याप्त वैकल्पित व्यवस्था की जाती है । अंतरण के कारण स्टाफ़ में कमी नहीं की गई है । इस प्रणाली के कारण जो स्टाफ फालतू हो गया था उसे मौजूदा रेल डाक सेवा कार्यालयों में नियुक्त कर दिया गया है ।

पेट्रोलियम सामान की मांग तथा उनका उत्पादन

4593. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 हेतु पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कितनी दर्शायी गई है;

(ख) उस अवधि हेतु पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का मूल प्राक्कलन कितना बताया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 हेतु, इस समय दर्शायी गई मांग और तैयार किए गए मूल प्राक्कलन के बीच कोई अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) छठी योजना में (वर्षवार) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कितनी है; और

(च) पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम शुरू किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 39.6 मिलियन मीट्रिक टन ।

(ख) 45.5 मिलियन मीट्रिक टन ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 1984-85 के लिए मूल अनुमान सामान्यतः 1979-80 के आधार वर्ष की मांग पर 9.03 प्रतिशत वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर पर आधारित था । मौजूदा अनुमान का हिसाब पिछले वर्षों में उत्पादों की वास्तविक खपत/मांग के आधार पर लगाया गया है ।

(ड़) **वर्ष**	**खपत (मिलियन मी० टनों में)**
1980-81	30.9
1981-82	32.5
1982-83	34.66
1983-84	36.2 (अनुमानित)
1984-85	39.6 (अनुमानित)

(च) देश में पेट्रोलियम उत्पादों के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए, शोधन क्षमता को चरणों में बढ़ाया जा रहा है । आशा है कि 37.8 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष की मौजूदा क्षमता 1984-85 तक बढ़ कर 45.5 मिलियन मी० टन और 1989-90 तक लगभग 62 मिलियन मी० टन हो जायेगी ।

उच्चतम न्यायालय के मामलों का कम्प्यूटरीकरण

4594. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के मामलों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की प्रत्याशा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई प्रस्ताव न तो भेजा है और न तैयार किया है ।

वित्तीय संसाधनों का लाभकारी उपयोग बढ़ाने हेतु सरकारी रोजगार के प्रतिशत में कमी

4595. **की के० ए० स्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी देश में कुल गैर-कृषि कार्य बल के 20 प्रतिशत के लगभग हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी रोजगार का प्रतिशत कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि दुर्लभ वित्तीय संसाधनों के लाभप्रद उपयोग को बढ़ाया जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। गैर-कृषि क्षेत्र (मुख्य श्रमिकों) में रोजगार के अनन्तिम आंकड़ों की तुलना में, जैसाकि 1981 की जनगणना द्वारा प्रकट हुआ है, केन्द्रीय सरकार की स्थापनाओं में (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार) रोजगार केवल 4.2 प्रतिशत था। इस अनुमान में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना के समय अशान्त परिस्थितियों के कारण जनगणना, 1981 नहीं कराई जा सकी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में कर्मचारियों द्वारा एस० टी० डी० का दुरुपयोग

4596. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विशाखापत्तनम में एक्सचेंज स्तर पर ही एस० टी० डी० मीटर में हेरा-फेरी करने की घटनाएं बढ़ गई हैं;

(ख) हेरा-फेरी करने वाले और दोषी कर्मचारियों को पकड़ने के लिए क्या सर्तकता कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) कर्मचारियों द्वारा एस० टी० डी० के दुरुपयोग की बढ़ती हुई प्रकृति को रोकने के लिए विशाखापत्तनम में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं, ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला है।

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही स्थायी अनुदेश हैं।

(ग) स्टाफ द्वारा एस० टी० डी० सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(एक) दुरुपयोग रोकने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज में स्थित प्रत्येक उपभोक्ता के मीटर

में सील लगाने और अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए मीटर कक्ष को ताला लगाने के अनुदेश दे दिये गए हैं।

(दो) मुख्य वितरण फ्रेम कक्ष में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है ताकि मीटर की तारों को काटा जाना ही मुमकिन न हो।

(तीन) मीटरों, सम्बद्ध लाइनों और उपस्कर की रैंडम जांच की जाती है।

(चार) पर्यवेक्षण कार्य चुस्त बनाया जा रहा है।

(पांच) वितरण प्वाइंटों को ऊंचा किया जा रहा है तथा ताला लगाया जा रहा है।

(छः) केबिनेटों और खम्भों पर ताला लगाया जा रहा है।

घाटा कम करने तथा डाक सेवा का विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त डाकघर खोलना

4597. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घाटा कम करने तथा डाक सेवा का विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त डाकघर खोलने के प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के लिए कोई ऐसी लाइसैंस प्राप्त डाकघर आबंटित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) लाइसेंसशुदा डाकघर चालू करने के बारे में हाल ही में विभाग द्वारा आयोजित एक सेमिनार में सुझाव आया था। इस संबंध में अभी तक नीति विषयक निर्णय नहीं लिया गया है।

विशाखापत्तनम के लिए विविध भारती की विज्ञापन सेवा का केन्द्र

4598. **श्री के० एस० स्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विशाखापत्तनम केन्द्र के लिए विविध भारती का विज्ञापन सेवा का केन्द्र स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम से छोटे और कम महत्व के स्थानों को अल्प-शक्ति दूरदर्शन, विविध भारती और प्रेस सूचना ब्यूरो कार्यालय स्थापित करने में प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश दिए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) विज्ञापनों को मुख्य चैनल पर चालू करने पर मुख्य चैनल के समूचे संजाल पर विज्ञापन अत्यन्त सीमित रूप में दिए जाते हैं। विशाखापटनम उन केन्द्रों में से एक है जो आकाशवाणी के मुख्य चैनल पर हैं। विज्ञापन धीरे-धीरे मुख्य चैनल पर अधिक कार्यक्रम चंकों में दिए जायेंगे और विज्ञापनदाता विशाखापटनम केन्द्र पर वाणिज्यिक विज्ञापनों की बुकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

(ख) यह सही नहीं है कि विशाखापटनम की अपेक्षा छोटे और कम महत्व के स्थानों को अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्र, विविध भारती और पत्र सूचना कार्यालय खोलने में प्राथमिकता दी गई है। दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना के अन्तर्गत, विशाखापटनम में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किया जाएगा जो 1984-85 के दौरान चालू होगा। वित्तीय अभावों के कारण विशाखापत्तनम में पत्र सूचना कार्यालय का नया कार्यालय खोलना फिलहाल संभव नहीं है। विशाखापटनम पहले ही आकाशवाणी के मुख्य चैनल पर हैं और मुख्य चैनल के समूचे संजाल पर विज्ञान दिए जाते हैं।

(ग) वाणिज्यिक आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना में पहले राजस्व अर्जित होने का अनुमान लगाना होता है। सेवा क्षेत्र में जनसंख्या के आकार, वाणिज्यिक गतिविधि के स्वरूप और सीमा तथा निर्वाह सूची की लागत से संबंधित सूचना को भी मूल्यांकन के लिए ध्यान में रखना होता है।

पत्र सूचना कार्यालय का नया कार्यालय खोलने में अन्य बातों के साथ-साथ, समाचारपत्रों के सकेन्द्रण, संचार सुविधा, क्षेत्रीय कवरेज, इत्यादि जैसी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।

बर्तमान ट्रंक टेलीफन एक्सचेंजों को बदलना

4599. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलकर उनके साथ नए अत्याधुनिक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक उपकरणों का देश में उत्पादन किया जाएगा अथवा विदेशों से प्राप्त किया जाएगा; और

(ग) यह तबदीली कब हो जाने की संभावना है ?

संवार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4600. **श्री चतुर्भुज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिलों में अक्तूबर, 1983 तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को लाइनों के अभाव में अनेक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कार्य नहीं कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि शाहाबाद, गरदा, काबा थाना (कोटा), मनोहर थाना, अकलेरा डाग, गंगधार, चामहाला और हरनाबाद (झालावाड़) में इस समय टेलीफोन ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्य (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभी राज्यों के बिजली बोर्डों द्वारा बिजली का एक समान दर अपनाना

4601. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के बिजली बोर्ड की हानि और लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) एक यूनिट बिजली उत्पादन की राज्यवार लागत कितनी है तथा प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं से एक यूनिट बिजली के लिए कितना पैसा वसूल किया जाता है;

(ग) राज्य बिजली बोर्डों के घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) के० वि० प्र० द्वारा लगाए गए हिसाब के अनुसार विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के लाभ/हानियों को दिखाने वाला विवरण उपाबंध एक में दिया गया है ।

(ख) एक यूनिट विद्युत के उत्पादन की राज्यवार लागत उपलब्ध नहीं है । ऊर्जा के प्रति यूनिट प्रभार अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं तथा भार की श्रेणी के अनुसार हैं । अनुमानित औसत दरों का हिसाब लगाया गया है और वे उपाबंध-दो (1) दो (2) और दो (3) में दी गई हैं । **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7606/83]**

(ग) और (घ) राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य निष्पादन सहित समग्र कार्य-निष्पादन

का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य बिजली बोर्डों से उनके क्षमता समुपयोजन में सुधार लाने, पारेषण और वितरण हानियों को कम करने, ताप विद्युत उत्पादन में कोयले और तेल जैसे निवेशों में किफायत करने, स्टाफ के व्यय को कम करने, बेहतर माल सूची नियंत्रण शुरू करने, बकाया राशियों को संचित होने से रोकने के लिए निर्धारित किए गए राजस्व की शीघ्र और पूरी वसूली करने की व्यवस्था करने तथा टैरिफों में समुचित संशोधन करने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है। विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1983 के जरिए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 59(1) को संशोधित कर दिया गया है। संशोधन में टैरिफों को समायोजित किए जाने की व्यवस्था है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबन्ध व्ययों, आय और लाभों पर कर (यदि कोई हो), मूल्यह्रास और सभी डिबेंचरों, बाण्डों और ऋणों पर देय ब्याज सहित राजस्व पर प्रभारीय सभी खर्चों को समुचित रूप में पूरा करने के बाद किसी भी वर्ष के लेखे में कुल राजस्व में इतना अधिशेष बचना चाहिए जो कि किसी वर्ष के प्रारम्भ में सेवा में बोर्ड की अचल सम्पत्ति के मूल्य का 3% से कम अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिक प्रतिशत से कम न हो।

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में खानों को बंद करने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक

4602. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधीन अनेक खानें गत कुछ वर्षों के दौरान बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी खानें बन्द की गई हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन खानों के बन्द होने के कारणों की जांच की है और उन कारणों को दूर करने के उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

4603. **श्री हरीश रावत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों (उत्तर प्रदेश) से ब्लाक-वार विधिवत अग्रेषित

कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्राप्त हुई हैं और प्रत्येक योजना निगम को किस तारीख को प्राप्त हुई है; और

(ख) ये योजनायें कब तक स्वीकृत कर दी जायेंगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) 30.11.1983 की स्थिति के अनुसार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों की कोई भी ग्राम विद्युतीकरण स्कीम स्वीकृति के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास नहीं पड़ी है। तथापि, मार्च, 1983 में ग्राम विद्युतीकरण निगम को पिथौरागढ़ जिले की एक स्कीम प्राप्त हुई थी जिसमें 96.26 लाख रु० की ऋण राशि से पिथौरागढ़, मुनाकोट. काउलीचिनाल, डिगटाढ़, गोंगलीहाट और मुन्शीयारी ब्लाक में 87 गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव था। अगस्त, 1983 में इसे उत्तर प्रदेश राज्य बिजली को इसमें संशोधन करने के लिए लौटा दिया गया था। निगम को संशोधित स्कीम अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। संशोधित स्कीम जैसे ही राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त होगी, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा इस पर विचार किया जाएगा बशर्ते विचार करते समय निधियां उपलब्ध हों।

उत्तर प्रदेश पिथौरागढ़ में यू० एच० एफ० केन्द्र की स्थापना में देरी होना

4604. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ में यू० एच० एफ० केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थान अंतिम रूप से चुन लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य आरम्भ करने में देरी होने के क्या कारण हैं और अनावश्यक देरी न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक भूमि वास्तविक रूप से नहीं सौंपी है। कार्रवाई चल रही है। भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही इसका निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब हुआ है।

शारदा और धौली गंगा परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि

4605. **श्री हरीश रावत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान टनकपुर में शारदा नदी परियोजना और धौली गंगा परियोजना पर पृथक-पृथक कुल कितनी राशि व्यय की गई और तत्संबंधी कार्य की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्य की प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) आगामी योजना वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक परियोजना पर सरकार का कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) शारदा नदी पर टनकपुर जल-विद्युत परियोजना के निर्माण पूर्व अन्वेषण कार्य पर तथा धौलीगंगा परियोजना के अन्वेषण कार्यों पर नवम्बर, 1983 तक चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रमशः 12 लाख रुपये और 36 लाख रुपए व्यय हुए हैं। टनकपुर जल-विद्युत परियोजना पर निर्माण से पूर्व अन्वेषण-कार्य पूरे होने वाले हैं। धौलीगंगा परियोजना (चरण-1) के अन्वेषण कार्य चल रहे हैं और परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1985 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान टनकपुर परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित निधियां, निवेश संबंधी निर्णय हो जाने के बाद, उपलब्ध कराई जाएंगी। धौलीगंगा परियोजना के अन्वेषण कार्य के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए हैं। संशोधित अनुमानों के स्वीकृत होने के उपरान्त वर्ष 1984-85 में इनके लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध करायी जायेंगी।

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का प्रचार

4606. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय इकाइयों, जिला स्तर व राज्यों की राजधानियों के स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रचार किस रूप में किया गया और प्रत्येक किस्म के प्रचार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कभी कोई सर्वेक्षण किया है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लोगों को जो सुविधायें उपलब्ध कराई जानी हैं, उनसे उन्हें अवगत करा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह सर्वेक्षण किस तरह किया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 14 जनवरी, 1982 को घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में सूचना का देश भर में प्रसार इस मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों अर्थात् पत्र सूचना कार्यालय आकाशवाणी, दूरदर्शन विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय गीत और नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय आदि द्वारा विभिन्न उपयुक्त रूपों में किया जा रहा हैं। इन माध्यम एककों द्वारा इस कार्यक्रम का प्रचार विभिन्न अन्य अभियानों/गतिविधियों के साथ-साथ किया जाता है अतः इस कार्यक्रम पर अलग से कितना व्यय किया गया इसके आंकड़े देना संभव नहीं है। तथापि, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रचार पर किए गए व्यय सम्बन्धी उपलब्ध सूचना विवरण 1 में दी गयी है।

(ख) और (ग) यह आंकने के लिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों का श्रोताओं पर क्या प्रभाव रहा और इन्हें कितना सुना जाता है, आकाशवाणी का श्रोता अनुसंधान एकक क्षेत्र सर्वेक्षण करता है। इस प्रकार प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रमों में सुधार किया जाता है। इसके अलावा, सभी माध्यम एककों को अपने कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रियायें विभिन्न रूपों अर्थात् समाचारपत्रों, पत्रों या श्रोताओं/दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार प्राप्त जानकारी इन यूनिटों के लिए यह जानने में सहायक होती है कि कार्यक्रम कितने प्रभावी रहे और उनके रूप/प्रस्तुतीकरण में क्या परिवर्तन वांछनीय है। आकाशवाणी द्वारा जुलाई, 1983 में किए गए क्षेत्र सर्वेक्षणों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

20 सूत्री कार्यक्रम का प्रचार करने पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा किया गया व्यय।

	1982-83	1983-84
(1) विज्ञापन	32,19,000 रु०	41,67,600 रु० (30.11.83 तक)
(2) प्रदर्शनियां	15,55,000 रु०	13,28,900 रु० (19.11.1983)
(3) मुद्रित प्रचार	4,91,529 रु०	2,80,000 रु० (15.12.1983 तक)
(4) बाह्य प्रचार	37,325 रु०	82,995
(5) रेडियो और दूरदर्शन पर विज्ञापन		7,30,000 (31-1-84)

विवरण-2

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रसारण कितने लोगों तक पहुंचे और उनका कितना प्रभाव हुआ, इसके बारे में क्षेत्र सर्वेक्षण

प्रधानमन्त्री के नए 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार के लिए आकाशवाणी अपने पूरे संजाल पर कई कार्यक्रम प्रसारित करता है। समाज के कम सुविधा प्राप्त तथा असुरक्षित वर्गों तक ये कार्यक्रत कहां तक पहुंचे हैं, इसके लिए 11 और 14 जुलाई, 1983 को अहमदाबाद, भोपाल, मैसूर और पटना तथा इनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बों/शहरों के गन्दी बस्तियों में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों, गरीब कारीगरों, सीमित भूमि वाले किसानों, अनुसूचित जातियों आदि लोगों को लिया गया था।

शहरों/कस्बों में उत्तर देने वाले दो सौ व्यक्तियों को चुना गया था। इनमें से 200 परिवार ऐसे थे जिनके पास रेडियो थे और इतने ही बिना रेडियो वाले परिवार थे। आसपास के

ग्रामीण क्षेत्रों में 15 गांव चुने गए तथा प्रत्येक गांव में से उत्तर देने वाले 20 लोग थे। इस प्रकार, इन चार केन्द्रों के ग्रामीण नमूने में 300 व्यक्ति थे। ग्रामीण क्षेत्रों के रेडियो तथा रेडियो विहीन बराबर संख्या के परिवार लिए गये। वहां के स्थानीय नेताओं और विस्तार कार्यकर्ताओं के सहयोग से इन नमूना कस्बों/गांवों में इनके हिताधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया।

निष्कर्ष

अहमदाबाद

1. अहमदाबाद और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक दस में से नौ उत्तर देने वालों को 20 सूत्री कार्यक्रम की जानकारी थी। ग्रामीण परिवारों में 92 प्रतिशत तथा रेडियो विहीन परिवारों में 86 प्रतिशत परिवार इससे परिचित थे।

2. 20 सूत्री कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने में प्रमुख साधन रहा। शहर में 91 प्रतिशत रेडियो वाले परिवारों तथा 59 प्रतिशत रेडियो विहीन परिवारों को इसकी जानकारी रेडियो के जरिए हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो वाले परिवारों में जो उत्तर देने वाले चुने गए थे उनमें से अधिकतम संख्या (81 प्रतिशत) ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी रेडियो के द्वारा हुई। जिनके पास रेडियो नहीं थे उनमें से 29 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें रेडियो के जरिए मालूम हुआ और 55 प्रतिशत को इसके बारे में उनके मित्रों और पड़ोसियों ने बताया।

3. गरीब शहरी/ग्रामीण लोगों से सीधे सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रति उनकी जागरूकता अधिक थी। जहां तक उत्तर देने वाले शहरी लोगों का संबंध है वे परिवार कल्याण, गन्दी बस्तियों का सुधार, भवन निर्माण योजना, प्रारम्भिक शिक्षा और कालाबाजारी को खत्म करने के उपायों से परिचित थे। मकानों के लिए जगह (63 प्रतिशत), पीने के पानी की सुविधायें (43 प्रतिशत), परिवार कल्याण (37 प्रतिशत), उचित दर दुकानें (33 प्रतिशत) और ग्रामीण विद्युतीकरण (27 प्रतिशत) जैसी योजनाओं के बारे में लोग ज्यादा जानते थे। ग्रामीण लोगों को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समाज के लिए वनों की उपयोगिता, आदि के बारे में बहुत कम जानकारी थी।

4. 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित किए गए प्रसारणों में से बाल सुरक्षा संबंधी प्रश्न उत्तर, लोक वृत्त और कविता पाठ को श्रोताओं ने अत्यन्त सराहा। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उत्तर देने वाले जिनके पास रेडियों सैट थे उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी कार्यक्रमों को ज्यादा सुना।

मैसूर

1. मैसूर शहर (30 प्रतिशत) और उसके आसपास के क्षेत्रों (70 प्रतिशत) में 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रति जागरूकता ऊंची थी।

2. विभेदक ब्याज दर, घर के लिए जगह, आवास योजनायें, पीने की पानी की सुविधायें और परिवार कल्याण जैसी योजनाओं जो उनसे सीधी संबंधित थीं, के बारे में उत्तर देने वाली को कोई खास जानकारी नहीं थी।

3. 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में शहरी और ग्राणीण क्षेत्रों को इसकी जानकारी देने में

रेडियो प्रमुख साधन रहा है । शहरों में इसकी जानकारी पहुंचाने में समाचार पत्रों का स्थान दूसरा रहा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश उत्तर देने वाले ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी मित्रों और आस-पड़ोस से मिली ।

4. 20 सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में लगी एजेन्सियों के बारे में उत्तर देने वालों को बहुत कम जानकारी थी । फिर भी, उनका लाभ मिलने वाले लोगों को जिला और तहसील स्तर तक की एजेंसियों के बारे में जानकारी थी।

5. आकाशवाणी मैसूर द्वारा विशेष कर परीक्षण किए/स्थापित रूपों में प्रत्येक सप्ताह प्रसारित किए जाने वाले 20 सूत्रीय कार्यक्रमों संबंधी प्रसारणों/चंकों के सबसे ज्यादा स्रोता थे ।

पटना

1. उत्तर देने वाले 86 प्रतिशत ग्रामीणों तथा 80 प्रतिशत उत्तर देने वाले शहरी लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जानकारी थी ।

2. 20 सूत्री कार्यक्रम तथा विभिन्न योजनाओं संबंधी सूचना के प्रसार में रेडियो प्रमुख साधन रहा । क्रमश: 70 से 80 प्रतिशत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को इसका ज्ञान रेडियो द्वारा हुआ । पटना शहर में उत्तर देने वालों में से 28 प्रतिशत को इस बारे में जानकारी देने में समाचार पत्रों का योगदान रहा । शहरों और गांवों में आपसी बातचीत द्वारा इससे सम्बन्धित जानकारी पहुंचाने में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा ।

3. अधिकांश उत्तर देने वालों का विचार था कि 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रचार करने और लोगों को उन एजेंसियों, लाभ उठाने के लिए जिनसे सम्पर्क किया जा सकता है, के नाम बताने में रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । कुछ ने बताया कि आकाशवाणी पटना से "चौपत्कि" कार्यक्रम की आवृत्ति बढ़ाई जाए ।

4. सर्वेक्षण से पूर्व सप्ताह के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम पर प्रसारित विभिन्न मदों से 8 जुलाई 1983 को सायं बजे प्रसारित नाटक "घर परिवार" के उच्चतम (22 प्रतिशत) श्रोता थे ।

भोपाल

भोपाल और इसके आसपास के गांवों में रेडियो वाले परिवारों में इसकी जानकारी 81 से 85 प्रतिशत के बीच थी । रेडियो विहीन परिवारों में उत्तर देने वालों में से 61 प्रतिशत ग्रामीणों और 52 प्रतिशत शहरी लोगों को इसकी जानकारी थी ।

2. जहां तक रेडियो वाले परिवारों का संबंध है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसकी सूचना पहुंचाने में रेडियो प्रमुख साधन रहा । ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास रेडियो नहीं थे उनको इसकी जानकारी समाचारपत्रों की मार्फत मिली ।

3. कुछ ही उत्तर देने वाले 20 सूत्री कार्यक्रम संबंधी योजनाओं को बता सके ।

4. भोपाल शहर में 20 सूत्री कार्यक्रम पर होने वाले विभिन्न प्रसारणों को सुनने वालों में

रेडियो वाले परिवार 10 से 20 प्रतिशत थे तथा रेडियो विहीन परिवार 12 से 31 प्रतिशत थे। आसपास के गांवों में जिनके पास रेडियो थे वे 12 से 31 प्रतिशत थे तथा जिनके पास रेडियो नहीं थे वे 8 से 17 प्रतिशत थे।

5. अधिकांश उत्तर देने वालों का विचार था कि 20 सूत्री कार्यक्रम और इसके क्रियान्वयन से संबंधित एजेंसियों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने में रेडियो सबसे प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

सारांश : ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के कम सुविधाओं वाले वर्गों के कल्याण के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम तथा इसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में काफी लोगों की जानकारी है। फिर भी, पीने के पानी की आपूर्ति, उचित दर दूकानों का खोलना, मकानों के लिए जगह, भवन, योजनाओं और परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसी योजनायें जिनका लोगों से सीधा वास्ता पड़ता है, बारे में लोगों की जानकारी अधिक थी।

उल्लेखनीय है कि अधिकाधिक उत्तर देने वालों ने प्रमुख साधन रेडियो को ही बताया। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिनके पास रेडियो नहीं थे उन्होंने भी सूचना का महत्वपूर्ण साधन रेडियो ही बताया।

आम तौर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन के किए उत्तरदायी एजेंसियों के बारे में लोगों का ज्ञान अपर्याप्त था। मैसूर में, इनकी जानकारी केवल उन्हीं लोगों तक सीमित थी जिन्हें इनका लाभ मिला है। इससे यह जाहिर है कि जिन एजेन्सियों को इसके लिए सम्पर्क किया जाना है उनके कियान्वयन/निधिकरण के बारे में ज्यादा प्रचार किया जाना चाहिए।

20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित प्रसारणों में नियमित कार्यक्रम पारिवारिक ग्रामीण कार्यक्रम, लोकवार्ता (गुजरात में कार्यक्रम का एक रूप) जैसे समय परीक्षित और स्थापित कार्यक्रमों के श्रोता सबसे अधिक थे।

स्मारक/विशेष टिकटें जारी किया जाना

4607. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान वर्षवार, कितनी स्मारक/विशेष टिकटें जारी की गई;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान डाक-तार विभाग द्वारा कितनी अंतर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनियों में भाग लिया गया तथा वर्षवार देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान देश में कितनी डाक-टिकट प्रदर्शनियां आयोजित की गई तथा वर्षवार उसके केन्द्रों का क्या ब्यौरा है;

(घ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रदर्शनियों पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई तथा प्रत्येक मामले में मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक मामले में हुए खर्च के परिप्रेक्ष्य में क्या लाभ मिले ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) वर्ष 1979, 1980,1981 और 1982 के दौरान क्रमशः 22, 39, 37 और 38 स्मारक विशेष डाक-टिकट जारी किए गए।

(ख) विभाग ने 1979 के दौरान छः बल्गारिया, पश्चिमी जर्मनी, ब्राजील, इटली-दोबार और (थाईलैंड) 1980 में पांच (ब्रिटेन, नावे, इटली, रोम और पश्चिमी जर्मनी, 1981 में दो (आस्ट्रिया और जापान) और 1982 में एक (कनाडा) फिलेटलिक प्रदर्शनियों में भाग लिया ।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेलशोधक कारखानों को शुरू किया जाना

4608. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने को शुरू करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं जहां कि चार वर्षों के विलम्ब के कारण से परियोजना लागत 97 करोड़ से बढ़ कर 250 करोड़ रुपये हो गयी है;

(ख) करनाल और मंगलौर के तेल शोधक कारखानों को, जो कि स्वीकृत हो चुके हैं, समय पर शुरू किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं की लागत का ब्यौरा क्या है और उनके शुरू किए जाने का समय लगभग क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) मथुरा तेल शोधक कारखाने को, जिसे अप्रैल, 1980 में चालू करने का कार्यक्रम था, निम्नलिखित कारणों से जनवरी, 1982 में ही चालू किया जा सका था :

(1) सोवियत संघ से कार्य सम्बन्धी आलेख (वर्किंग ड्राइंग) की विलम्ब से प्राप्ति ।

(2) 1978 के दौरान बाढ़ें।

(3) देशी और विदेशी विक्रेताओं से उपकरणों और सामग्री की सप्लाई में विलम्ब ।

(4) बिजली में कटौती और बिजली सप्लाई में बाधायें ।

(5) सीमेंट, इस्पात और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ।

(6) औद्योगिक अशान्ति ।

(7) थर्मल पावर प्लाण्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि के लिए "टर्न-की" ठेकों को कार्यान्वित करने में विलम्ब ।

सम्भाव्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना पर 97 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था जो 1973 के मूल्यों पर आधारित थी । बाद में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, जो 1977

के शुरू के मूल्यों पर आधारित थी, मई, 1979 में इसे संशोधन करके 192.32 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अप्रैल, 1982 में तैयार की गयी परियोजना की अन्तिम लागत, जिसमें दिए गए आर्डरों आदि को हिसाब में लिया गया है, 253.92 करोड़ रुपये बैठती है।

(ख) और (ग) करनाल और मंगलौर में एक-एक नया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के प्रस्तावों पर, इस समय सरकार अन्तिम रूप से विचार कर रही है। इन दोनों तेल-शोधक कारखानों को 7वीं योजना अवधि के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा करनाल और मंगलौर तेल शोधन-शाला परियोजनाओं के लिए प्रस्तुत की गयी प्रारम्भिक सम्भाव्यता रिपोर्टों के अनुसार, इन परियोजनाओं पर क्रमशः 986.86 करोड़ रुपये और 1121.56 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। ये मार्च, 1983 के मूल्यों पर आधारित हैं।

दूरदर्शन कार्यक्रम

4609. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत करने के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार का विचार रंगीन दूरदर्शन कार्यक्रमों का समय बढ़ाने की कोई योजना क्रियान्वित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्र इस समय भी ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिम्बित करने वाले और ग्रामीण दर्शकों को कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि विषयों पर आवश्यक और उपयोगी जानकारी देने वाले कार्यक्रम तैयार करके टेलीकास्ट करते हैं। छठी योजना अवधि के दौरान कटक और हैदराबाद केन्द्रों पर कार्यक्रम तैयार करने की सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है तथा 6 राज्यों अर्थात् उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनिंदा 18 जिलों में अनन्य रूप से ग्रामीण लोगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए नागपुर, रांची, गोरखपुर और राजकोट में कार्यक्रम तैयार करने की नई सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। यह "इन्सेट" कार्यक्रमों के दूरदर्शन उपयोग की स्वीकृत योजना के तहत किया जा रहा है। दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत योजना तैयार करने के लिए सरकार ने प्रख्यात व्यक्तियों/संचारकों का एक कार्यदल भी गठित किया हुआ है। यह कार्यदल, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण कार्यक्रमों के निर्माण में सुधार लाने के लिए भी सिफारिशें करेगा। फिर भी, कार्यक्रमों में सुधार का काम चलता रहता है।

(ख) देश में चरणबद्ध ढंग से रंगीन दूरदर्शन चालू करने का निर्णय सरकार ने अप्रैल, 1982 में लिया था। सभी 43 ट्रांसमीटरों को रंगीन अनुरूप बना दिया गया है। छठी योजना के दौरान कार्यान्वयन के अधीन सभी स्कीमों को सीधे रंगीन में संचालन के लिए कार्यान्वत किया जा

रहा है। वर्तमान दूरदर्शन स्टूडियो अधिकाधिक रंगीन कार्यक्रम तैयार कर सकें इसके लिए संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उनमें परिवर्तन किया जा रहा है।

कच्चे चमड़े और खालों को एकत्र करने में लगे असंगठित श्रमिकों का सर्वेक्षण

4610. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे चमड़े और खालों को एकत्र करने में लगे असंगठित श्रमिकों का कोई सर्वेक्षण किया गया है जिससे कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा सर्वेक्षण कराने का है और यदि हां, तो कब तक ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इस समय ऐसा सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव नहीं है।

चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड के विरुद्ध अभियोग

4611. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज दिल्ली एण्ड हरियाणा ने चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त क्लब के के निदेशकों/अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कम्पनी अधिनियम की धारा 633(2) के अन्तर्गत उपर्युक्त अभियोजन में अपने दायित्व से दोष मुक्ति का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है जिसमें कम्पनियों के रजिस्ट्रार एक प्रतिवादी हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) मामला अब ऊपर मुख्य महानगरीय जिलाधीश दिल्ली के समक्ष अनिर्णीत पड़ा है।

(ग) हां, श्रीमान् जी।

मै० साहिब (एजेन्सीज) प्राइवेट लिमिटेड

4612. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय से संबंद्ध सरकारी समापक ने समापनाधीन साहिब सिंह (एजेन्सीज) प्राइवेट लिमिटेड के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक भाई मोहन सिंह के विरुद्ध धारा 543, 538 और 541 के अन्तर्गत अपने कृत्यों में कार्यवाही किए जाने के संबंध में कार्यवाही आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी पूर्ण तंथ्य और ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) मैं० साहित सिंह (एजेन्सीज) प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में लेखाबहियों में मिथ्याप्रदर्शन, धूर्तता, दुरप्रयोजन दुरुपयोग अपयोग, अधिकारों और निधियों में जोड़ तोड़ तथा मैं० साहिब सिंह (एजेन्सीज) प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) विषयक न्यास के सम्बन्ध में व्यवधान के आधारों पर भाई मोहन सिंह, जो उक्त कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक थे, सहित साहिब सिंह (एजेन्सीज) प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के भूतपूर्व निदेशकों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में सम्बद्ध शासकीय समापक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 538 और 541 के साथ पठित धारा 543 के अन्तर्गत कृत्यों में कार्यवाही के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और प्रार्थना की गई थी कि कम्पनी द्वारा उठाई गई हानि की राशि 1,13,49,840.33 रु० के लिए वे संयुक्त रूप से और व्यैक्तिक जिम्मेदार और उत्तरदायी ठहराये जायें । ये कार्यवाहियां दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख अनिर्णीत हैं ।

बिजली उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण

4613. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली घरों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए देश को 20 लाख पौंड का अनुदान उपलब्ध है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने एक परियोजना रिपोर्ट सरकार को पेश की है; और

(ग) यदि हां, तो कब और परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत करने और इस प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण/आधुनिकीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है । मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से परियोजना रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है । दो मिलियन पौंड के उपलब्ध अनुदान में से 552 लाख रु० की अनुमानित परामर्शी लागत की वित्त व्यवस्था मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा पहले प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में नहीं दी गई है ।

एनाउन्सरों, न्यूज रीडरों आदि के चयन के लिए चयन समिति

4614. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन में एनाउन्सरों, न्यूजरीडरों और नेशनल हुक-अप-न्यूज रिपोर्टरों के चयन के लिए कोई चयन और निगरानी समिति है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारियों के चयन के लिए क्या मानदंड हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय हुकअप पर समाचार वाचकों सहित दूरदर्शन में प्रस्तुती उद्घोषकों और समाचार प्रस्तुतकर्ताओं का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। समिति की अध्यक्षता उस केन्द्र निदेशक द्वारा की जाती है जिसके कार्यक्रम टेलीकास्ट किया जाता है। केन्द्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा बाहर के एक या दो विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं। दूरदर्शन में राष्ट्रीय हुक अप समाचार रिपोर्टरों की कोई श्रेणी नहीं है।

कार्य निष्पादन की प्रारम्भिक मानिटरिंग की व्यवस्था है।

(ख) उद्घोषकों को चुनते समय उनकी सामान्य प्रतीती, स्क्रीन पर उनकी दर्शनीयता, उनकी आवाज की गुणवत्ता तथा आकर्षक रूप में कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता जैसी बातें ध्यान में रखी जाती हैं।

समाचार प्रस्तुतीकर्ताओं के मामले में, उक्त कसौटी के अलावा, उन्हें सामायिक मामलों में दक्षता रखनी चाहिए तथा समाचारों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में योग्य होना चाहिए।

सेक्स और हिन्सा दर्शाने वाली फिल्में

4615. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी फिल्मों के सम्बन्ध में, जिनके नाम से ही फिल्म में सेक्स और हिंसा होने के संकेत मिलते हों, पालन किए जाने वाले नियमों और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) सेंसर बोर्ड "ए" प्रमाणपत्र के साथ ऐसी फिल्में किस प्रकार पास करता है; और

(ग) क्या "सेक्स ब्वाय", "सेक्सी नाइट्स" फिल्मों को जनता को दिखाये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रदर्शन हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) सभी फिल्मों, जिनमें शीर्षक भी शामिल हैं, की जांच फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और तदन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। फिल्मों के शीर्षकों की जांच करने हेतु बोर्ड के लिए अलग से कोई नियम या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। यदि किसी फिल्म का शीर्षक किसी भी मार्गदर्शी सिद्धान्त का उल्लंघन

करता है तो उस पर बोर्ड आपत्ति करता है। जिन फिल्मों को बोर्ड द्वारा अवयस्कों के देखने योग्य नहीं समझा जाता उनको "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ग) फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अनुसार "सेक्स ब्वाय" या "सेक्सी नाइट्स" नाम की कोई भी फिल्म प्रमाणित नहीं की गई है। फिर भी, दिल्ली के कुछ वितरकों और प्रदर्शकों ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए दक्षिण भारतीय फिल्मों के अंग्रेजी नामों के साथ पोस्टर लगाए और अखबारों में विज्ञापन दिए। इन फिल्मों के प्रदर्शन के विरोध में शिकायतें हुई तथा समाचार पत्रों में भी खबरें छपीं। "कमेटी आन पाट्रेअल आफ वीमन इन दि मीडिया" के कुछ सदस्यों ने 3 सितम्बर, 1983 को प्रात: 9 बजे दिल्ली के ओडियन सिनेमा के बाहर प्रदर्शन किया, जहां अंग्रेजी नाम (दि क्रेजी लेडी) की दक्षिण भारतीय फिल्म दिखलाई जा रही थी। तथापि, सिनेमा के मालिक ने स्वयं ही इस फिल्म का दिखालाना रोक दिया।

समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पुलिस ने दिल्ली के कुछ सिनेमाघरों का आकस्मिक निरीक्षण किया था, किन्तु ऐसी कोई बात नहीं पकड़ी जा सकी जो गैर-कानूनी हो या चलचित्र अधिनियम/नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाली हो। पुलिस ने दिल्ली के वितरकों/प्रदर्शकों से दक्षिण भारतीय फिल्मों के बारे में अंग्रेजी नाम न देने के लिए भी कहा था।

राज्यों की पावर जैनरेटिंग सैट आयात करने की अनुमति देना

4616. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से पावर जेनरेटिंग मशीनरी आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने अनुरोध किया और किन राज्यों का अनुरोध अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, असम, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि से पहले समय-समय पर विद्युत उत्पादन उपस्करों के आयात की अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। उपस्करों के आयात के बारे में प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई उस समय लागू आयात नीति तथा उपरोक्त कार्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, बड़े विद्युत उपस्कर के आयात के लिए कोई ठोस प्रस्ताव विभाग में इस समय रुका नहीं पड़ा है।

गुजरात में दूरदर्शन का विस्तार

4917. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वर्ष 1983-85, 1984-85 और 1985-86 के वर्षों के दौरान

दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम की कोई योजना है जिनके अन्तर्गत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्र भी आ जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम और योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में इस कार्यक्रम पर खर्च का अनुपात क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान, गुजरात राज्य में अहमदाबाद, राजकोट और द्वारका में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर और सूरत, बदोदरा, भावनगर, नवासरी, भरूच और पाटन में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, छठी योजना के अन्त तक निम्नलिखित 18 जिलों में गुजरात की लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है :—

1. जामनगर	2. राजकोट	3. सुरेन्द्रनगर
4. गांधीनगर	5. अहमदाबाद	6. खेड़ा
7. महसाणा	8. सावर कंन्ठा	9. अमरेली
10. जूनागढ़	11. भावनगर	12. भरूच
13. पंच महल	14. बडोदरा	15. सूरत
16. कच्छ	17. वलसार	18. बनासकन्ठा

(ग) गत तीन वर्षों (1980-83) के दौरान अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने पर 265.18 लाख रुपए का योजनागत व्यय हुआ था। उपरोक्त व्यय के अलावा, दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट के लिए 44.39 लाख रुपए की धनराशि योजनेतर निधि में व्यय की गई थी।

कर्मचारी भविष्य निधि राशि का दुरुपयोग और दुर्विनियोजन

4618. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रम मंत्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई इस आशंका की ओर आकर्षित किया गया है कि भविष्य निधि धनराशि का दुरुपयोग और दुर्विनियोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारियों ने किन सूत्रों से यह बात कही है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और प्रत्येक उद्योग के भविष्य निधि के प्रतिनियोक्ता के अंशदान की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(घ) उपरोक्त नियोक्ताओं के विरुद्ध तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य निधि राशि का दुरुपयोग और/अथवा दुर्विनियोजन न हो, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां ।

(ख) यह आशंका भविष्य निधि की बकाया राशियों और अन्य देय राशियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर आधारित है जैसा निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होता है :—

31 मार्च को	कुल बकाया राशि (रुपए करोड़ों में)
1981	60.75
1982	73.75
1983	98.84

(ग) बकाया राशियों के राज्य-वार और उद्योग-वार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें यथा-समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों के वेतन से काटे गए भविष्य निधि अंशदानों की राशि का नियोजक दुरुपयोग नहीं करते, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में एक स्पष्टीकरण अक्तूबर, 1973 में शामिल किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि किसी भी नियोजक, जिसने कर्मचारियों के वतन से भविष्य निधि अन्शदानों के कर्मचारियों के हिस्से की कटौती की है परन्तु उसे भविष्य निधि में जमा नहीं कराया है उसके बारे में यह माना जाएगा कि उसने विश्वासघात किया है और भविष्य निधि का बेईमानी से दुरुपयोग किया है और उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन अभियोजन चलाया जा सकेगा । अब तक, कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने उन नियोजकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन 2368 अभियोजन दायर किए हैं जिनके बारे में यह संदेह है कि उन्होंने भविष्य निधि का दुरुपयोग किया है । इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि को वसूल करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यवाही कर रहे हैं :—

I. छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अनुसार जिला कलेक्टरों को राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं ।

(ii) अधिनियम की धारा 14 ख के अनुसार देर से अदायगी के लिए क्रमिक (ग्रेडिड) दरों पर हर्जाने लगाए जाते हैं ।

(iii) अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले चलाए जाते हैं ।

(iv) दोषी नियोजक को अच्छे आचरण के लिए बाध्य करने हेतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन न्यायालयों से निवेदन किया जाता है ।

(v) जहां कहीं यह महसूस किया जाता कि निचले न्यायालय द्वारा दिया गया दण्ड कम और अपर्याप्त है तो अधिक दण्ड दिलाने के लिए अपीलें की जाती हैं ।

(vi) कर्मचारी यूनियन/नियोजक संगठन के ध्यान में दोषों को लाया जाता है और शीघ्र अदायगी कराने के लिए उन्हें मध्यस्थता करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

II. **छूट प्राप्त प्रतिष्ठान** :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2क) के अधीन अभियोजन मामले चलाए जाते हैं।

(ii) भविष्य निधि की राशि के विलंबित हस्तांतरण के मामले में क्रमिक (ग्रेडिड) दरों पर दांडिक ब्याज वसूल किया जाता है।

(iii) प्रदान की गई छूट को रद्द करने के लिए कार्यवाही की जाती है।

हंगरी द्वारा भारत को भू-तापीय ऊर्जा का दिया जाना

4619. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी द्वारा भारत को भू-तापीय ऊर्जा उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई करार किया गया है जैसा कि 18 सितम्बर, 1983 के इंडियन एक्सप्रेस के चण्डीगढ़ संस्करण में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारत में उनके समक्ष अधिकारियो के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भारत के दौरे पर आये हंगरी के शिष्टमंडल के नेता तथा अन्य सदस्यों के नाम और हैसियत क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में हंगरी की सहायता से परियोजनाओं पर परीक्षण किया जा रहा है; और उसमें क्या प्रगति हुई है; और

(घ) क्या फ्रांस, जापान, पश्चिम जर्मनी, अमरीका, ब्रिटेन आदि जैसे अन्य विकसित देशों से भी इसी तरह की पेशकशें प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो केवल कम्युनिस्ट देशों से ही प्रत्येक क्षेत्र में सहायता मांगने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी मजदूरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सामूहिक बीमा योजना की सुविधा

4620. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बीड़ी मजदूरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सामूहिक बीमा योजना आदि की सुविधायें मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनको अब तक इस प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(ग) क्या देश भर में बीड़ी मजदूरों को इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है; और यदि हां, तो इसके लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) वर्तमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन की व्यवस्था नहीं है । तथापि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत उपदान प्रसुविधा उपलब्ध है, लेकिन भविष्य निधि परिवार पेंशन और कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना की प्रसुविधायें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन उपलब्ध हैं । इन दोनों अधिनियमों के अधीन बीड़ी उद्योग की व्याप्ति निम्नानुसार हैं :—

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

यह अधिनियम किसी कारखाने पर लागू होता है जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ङ) में परिभाषा की गई है। कारखानों में नियोजित बीड़ी श्रमिक अधिनियम के अधीन उपदान की अदायगी के हकदार हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952

इस अधिनियम के उपबंधों को 31 मई, 1977 से बीड़ी उद्योग पर लागू किया गया था जिनमें 20 या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं । तथापि कुछ बीड़ी विनिर्माताओं ने बाद में उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकायें दायर कीं जिनमें बीड़ी उद्योग को अधिनियम की प्रयोज्यता को चुनौती दी गई और स्थगन आदेश प्राप्त किया । उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । उन श्रमिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है जिन्हें उपरिलिखित दोनों अधिनियमों के अधीन सुविधायें प्रदान की गई हैं ।

ठाणे नगर (महाराष्ट्र) में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के एल० पी० जी० एजेंट द्वारा अनधिकृत धनराशि इकट्ठी किया जाना

4622. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठाणे नगर (महाराष्ट्र) में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के एल० पी० जी० एजेंट द्वारा एकत्रित की गई अनधिकृत धनराशि की जांच करने के लिए सरकारी द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) उपरोक्त एजेन्ट ने अब तक कितने उपभोक्ताओं को धनराशि वापस की है;

(घ) क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दी है और निम्नलिखित निष्कर्षों की पुष्टि की है;

(1) डीलर द्वारा कालवे/मेमबरा क्षेत्रों में, जो उसके डिलिवरी क्षेत्र से बाहर हैं, लगभग 500 ग्राहक रसीदें जारी की गई थीं ।

(2) कुछ ग्राहक रसीदें, अधूरे/जाली रिहायशी पतों पर/बिना रिहायश संबंधी प्रमाण लिए ही, जारी की गई थीं ।

(3) डीलर द्वारा, कई मामलों में, सिलेण्डर और रेगुलेटर के लिए जमा कराने की अधिकृत राशि से अधिक रकम ली गई थी ।

(ग) 111 उपभोक्ताओं को रकम वापिस की गई है ।

(घ) और (ङ) जी, हां, की गई जांच और डीलर द्वारा कुछ उपभोक्ताओं से अधिक रकम लिए जाने के संबंध में लिखित बयान दिए जाने पर इस पार्टी को दिया गया अस्थायी नियुक्ति-पत्र वापिस ले लिया गया है और उसे रद्द कर दिया गया है । पार्टी ने सिटी सिविल कोर्ट से अन्तरिम निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है जिससे तेल कम्पनी को इस पार्टी को सिलेण्डरों की सप्लाई बनाये रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है । फिर भी जिला न्यायालय में एक अपील दायर कर दी गई है ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स "सेन्ट्रल सहरजोसी" क्षेत्र के अंतर्गत कोयला खानें

4623. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के संथाल परगना जिले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स के सेंट्रल सहरजोसी क्षेत्र में हजारों खनिकों द्वारा जून, 1979 में शुरू की गई कोयला खान को नवम्बर, 1981 में बुलडोजड कर दिया गया है और 200 से अधिक श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के कारण समस्याएं

4624. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) देश में उत्पादित कच्चे तेल को साफ करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है, केवल बम्बई हाई के कच्चे तेल से, देश में कुछ तेल शोधक कारखानों में उपलब्ध मौजूदा संसाधन सुविधाओं द्वारा हमारी आवश्यकता के अनुरूप, कुछ उत्पादों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। फिर भी, 1984-85 के अन्त तक इस कच्चे तेल के संसाधन में वृद्धि करने के लिये कोचीन, मद्रास, विजाग तथा बम्बई स्थित तेल शोधक कारखानों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिये पहले ही कदम उठाये जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में उर्जा विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

4625. **श्री माधवराव सिंधिया** :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांव के लोगों को ईंधन का विश्वसनीय आधार उपलब्ध न कराने और ग्रामीण उर्जा समस्या के समाधान में विलम्ब के कारण ग्रामीण जीवन में विषम आर्थिक विकास और ठहराव आ गया है और लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उर्जा विकास कार्यक्रम के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक और संस्थागत निवेश उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय उर्जा स्रोतों और अन्य उपलब्ध उर्जा स्रोतों के माध्यम से बेहतर उर्जा विकास के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक और संस्थागत निवेश उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कलकत्ता में "डे-से-येम" बल्क ड्रग्स मैन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट कम्पनी अधिग्रहण

4626. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर कलकत्ता में डे-से-येम बल्क ड्रग्स मैन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार ने काफी मात्रा में जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन करने वाले इस महत्वपूर्ण एकक पर विचार करके इसके अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) मै० डे० सी० कैम

के नवीकरण के लिए सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) कम्पनी के अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीकरण के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बिना रेगूलेटर वाले नए किस्म के गैस सिलेंडर

4627. **श्री अनवार अहमद :** क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना रेगूलेटर वाले नए किस्म के गैस सिलेंडरों में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक गैस लीक होने की संभावना है और यदि हां, तो रेगूलेटर वाले पुराने सिलेंडरों को बिना रेगूलेटर वाले नए सिलेंडरों से क्यों बदला जा रहा है; और

(ख) क्या रेगूलेटर वाले सिलेंडर के स्थान पर नए किस्म के बिना रेगूलेटर वाले सिलेंडर देने पर सम्बन्धित उपभोक्ता को रेगूलेटर की जमा राशि वापस की जाती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) चूंकि नये प्रकार के सिलेंडर में भी रेगूलेटर है इसलिए गैस के लीक होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेवा निवृत्ति के बाद महाप्रबन्धक इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, रायबरेली के सेवाकाल को बढ़ाया जाना

4628. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाप्रबन्धक इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली (उत्तर प्रदेश) के सेवा काल को सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के बाद बढ़ाया है और यदि हां, तो उसका सेवा काल बढ़ाने का आधार क्या है;

(ख) क्या महाप्रबन्धक ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान उपक्रम द्वारा लिए गए और अन्तिम रूप दिए गए साक्षात्कारों को कई बार निरस्त कर दिया था; और

(ग) महाप्रबन्धक के पद पर उनकी नियुक्ति के बाद उनके द्वारा अब तक निकाले गए सरकारी धन का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के रायबरेली कारखाने के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशक हैं न कि महाप्रबन्धक । इसके मौजूदा पदधारक, श्री वाई० एन० तिवारी का सेवाकाल उनकी अधिवार्षिता की तारीख के बाद एक वर्ष अर्थात 1.4.1983 से 31.3.1984 तक बढ़ाया गया था क्योंकि

रायबरेली कारखाना निर्माणाधीन था और इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाला उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना कठिन था।

(ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के रायबरेली कारखाने के कार्यकारी निदेशक ने किसी साक्षात्कार को निरस्त नहीं किया है।

(ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, रायबरेली के कार्यकारी निदेशक, श्री वाई० एन० तिवारी, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के सामान्य नियमों के अनुसार अपना सामान्य वेतन और अनुमत्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं।

नैवेली परियोजना के लिए संघीय जनवादी जर्मनी से सहायता

4629. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघीय जनवादी जर्मनी ने नैवेली परियोजना के लिए अब तक 240 करोड़ रुपये की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी है;

(ख) क्या नैवेली के तृतीय चरण के लिए सहायता के सम्बन्ध में हाल ही में बातचीत चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) संघीय जर्मन गणराज्य वर्ष 1965 से नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को वित्तीय सहायता दे रहा है। पूरी हो गई परियोजनाओं के लिए कारपोरेशन ने 170.67 मिलियन मार्क की राशि का उपयोग किया है। इसके अलावा, जारी परियोजनाओं के लिए संघीय जर्मन गणराज्य का वित्तीय संस्थान 517 मिलियन मार्क की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है और इसमें से 389 मिलियन मार्क के ऋण के लिए समझौते कर लिए गए हैं। विभिन्न ऋण समझौतों के अन्तर्गत ऋण केवल मार्क के रूप में ही दिए जाते हैं और अलग-अलग विभिन्न वर्षों में ऋण की राशियां अलग-अलग विनिमय दरों पर प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की विस्तार परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए बातचीत की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए अभी तक कोई समझौता नहीं किया गया है।

बड़ी कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले उपहारों पर रोक लगाना

4630. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि गैर सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों में यह प्रथा प्रचलित है कि वहां के निदेशक कीमती उपहार प्राप्त करते हैं और दिवाली के अवसर पर सरकारी अधिकारियों और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों को ऐसे उपहार देते हैं;

(ख) क्या रिलाएन्स, रेमन्डस, बिरला, ग्वालियर रेयन्स और अन्य फर्म आकर्षक डिब्बों में बंद सूखे मेवों के अलावा कितनी सूट सरकारी अधिकारियों और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों को दिवाली उपहार के रूप में देते हैं;

(ग) यदि हां, तो किस विधि या नियम के अन्तर्गत इन निदेशकों को कर-दाताओं के धन में से ऐसे उपहार प्राप्त करने और देने की अनुमति है और उन्हें किस खाते में दिखाया जाता है; और

(घ) शेयर धारकों/कर दाताओं के धन के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) यह हमारी जानकारी में नहीं है और इस प्रकार की सूचना, कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं और रिपोर्टों में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) उत्पन्न नहीं होता ।

असम में निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों का मुद्रण

4631. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम राज्य विधान सभा के निर्वाचन फरवरी, 1983 में हुए थे;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख और किस वर्ष को मतदाता सूचियां मुद्रित की गई थीं, जिनके आधार पर असम में निर्वाचन हुए थे; और

(ग) उन मुद्रणालयों के नाम क्या हैं जहां वे मतदाता सूचियां मुद्रित की गई थीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां ।

(ख) निर्वाचन 1-1-1979 को अर्हता की तारीख मानकर 1979 में अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों के आधार पर कराए गए थे । इन नामावलियों को मतदान केन्द्र के अनुसार वर्ष 1982 में भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः मुद्रित किया गया था ।

(ग) निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचक आफिसर, असम से जानकारी मांगी है और जैसे ही यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की हारिलडीह कोयला खान में दुर्घटना

4632. **श्री छांगुर राम** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के निकट भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की हारिलडीह कोयला खान में हुई एक दुर्घटना में कई खनिक मारे गए थे; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त दुर्घटना से पूर्व और कितनी दुर्घटनायें हो चुकी हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर हुईं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। भारत कोकिंग कोल लि० की हारिलडीह खान में पानी भर जाने के कारण दिनांक 14-9-1983 को जो दुर्घटना हुई उसमें 19 खनिकों की मृत्यु हो गई थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसाधनों के अत्यधिक अभाव का महत्वपूर्ण परियोजनाओं और पर्चेज योजनाओं पर प्रभाव

4633. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने संसाधनों की गम्भीर संकट है और मंजूर की गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं और विदेशों में "पर्चेज प्लान" का कार्य अभी शुरू किया जाना है और रुपयों में बराबर की धनराशि के अभाव में इनके कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब हो रहा है उनमें उत्तरी भारत में गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाएं और दक्षिण बेसिन से महाराष्ट्र में हजीरा गैस क्रोकर काम्पलेक्स और करनाल और मंगलूर तेल शोधक कारखानों तक पाइपलाइन परियोजनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए संसाधनों की कमी के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) संसाधनों के संकट की समस्या वास्तविक समस्या है और मुख्य प्रायोजनाओं पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लेते समय उस पर ध्यान रखना पड़ता है। साथ-साथ, उन प्रायोजनाओं के लिए संसाधनों का पता लगाया जाता है जिन्हें उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रश्न में जिनका उल्लेख किया गया है उन पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है, और आशा है, उनको हाथ में लेने के संबंध में निर्णय, निकट भविष्य में कर लिये जायेंगे।

मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के चेयरमैन की सेवावधि

4634. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा अपने भूतपूर्व चेयरमैन श्री ए० एन० हक्सर को उनके पांच वर्ष की सेवावधि समाप्त हो जाने के बाद कमीशन सहित कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया था, उन्हें वर्ष 1976-77 के लगभग जब उन्होंने सेवानिवृत्ति मांगी थी और बाद में जब उन्हें पांच वर्षों के लिये पुर्नियुक्ति दी गई थी, कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) इस समय वह आई० टी० सी० नई दिल्ली में किस पद पर कार्य कर रहे हैं; उस पद का पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं क्या हैं; क्या उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी;

(ग) आई० टी० सी० के वर्तमान चैयरमैन को सभी सुविधाओं सहित कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है और उनके अधीनस्थ सबसे अधिक वेतन पाने वाले 5 अधिकारी कौन हैं और उनके पदनाम क्या हैं; और

(घ) वर्तमान चेयरमैन की सेवावधि कब तक है और उन्हें कैसे नियुक्त किया गया था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार ने, श्री ए० एन० हक्सर को उनकी कम्पनी से अवकाश प्राप्ति की तारीख (30-6-1975) से 5 वर्ष के लिये, पूर्णकालिक चेयरमैन-निदेशक के रूप में 7500 रु० प्रतिमास पारिश्रमिक, एवं कम्पनी के शुद्ध लाभ पर एक प्रतिशत की दर से कमीशन, वेतन का 50 प्रतिशत आधारित और परिलब्धियां, जो उस समय की प्रबन्धकीय पारिश्रमिक पर मार्ग संदर्शिका के अन्तर्गत ग्राह्य थीं, पर नियुक्ति का अनुमोदन किया था। 1975-76 से 1979-80 की अवधि में पारिश्रमिक के रूप में दी गई राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपये)
1975-76	1,17,209
1976-77	1,44,530
1977-78	1,56,735
1978-79	1,78,035
1979-80	1,76,412

1-7-75 से अपनी नियुक्ति के पूर्व श्री हक्सर द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक में 3000 रु० प्रति माह वेतन, महंगाई भत्ता रु० 3,150 प्रतिमाह, प्रतिवेदन भत्ता 750 रु० प्रति माह वार्षिक बोनस, एक माह के वेतन के बराबर तथा परिलब्धियां सम्मिलित हैं। 1975 में श्री हक्सर को कोई अवकाश ग्रहण लाभ नहीं दिये गये। तथापि, पेंशन निधि के न्यासियों ने 3,82,831 रु० की राशि अस्थायी रूप में दी और अस्थायी राशि के बाद उनकी पेंशन 4493 रु० प्रतिमाह हो गई।

(ख) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार श्री हक्सर मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के विशेषाधिकार सहित चेयरमैन हैं। कम्पनी द्वारा विशेषाधिकार चेयरमैन के रूप में श्री हक्सर को कोई पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया। तथापि, वह कम्पनी के निदेशक गंडल में नहीं है, इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के अनुमोदन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) कम्पनी के वर्तमान चेयरमैन श्री जे० एन० सप्रू हैं और वे 12-1-1983 से कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी के चेयरमैन निर्वाचित किये गये थे। इससे पूर्व 2-4-1979 से पांच वर्ष की अवधि के लिए श्री सप्रू कम्पनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में अनुमोदित किये गये थे।

विवरण

श्री जगदीश नारायश सप्रू और अन्य 5 अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की पूर्ण पारिश्रमिक दर्शाती हुयी विवरणी—

नाम	पद	सम्पूर्ण पारिश्रमिक रु०
1. श्री जगदीश नारायण सप्रू	चेयरमैन	1,35,921
2. श्री अशोक अवल	न्यूयार्क प्रतिनिधि	3,50,101
3. श्री एस० बी० आइब्रा	निकाय मामलों के सलाहकार	2,09,473
4. श्री डी० पी० वरुआ	निदेशक	1,86,920
5. श्री जे० एम० खन्ना	सदस्य आई० टी० डी० बी० और महाप्रबन्धक ज्वाइंट वैंचर, नेपाल	1,77,931
6. श्री एस० के० केशव	सदस्य (अनुसंधान) आई० टी० डी० बी०	1,75,397

समुद्री जीव-जन्तुओं से दवाइयों का निर्माण

4635. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री जीव जन्तुओं से दवाइयों का निर्माण किए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा समुद्री जीव जन्तुओं से कौन सी दवाइयों का निर्माण किया जाना है तथा वे किस रोग के इलाज के लिए होंगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन जारी किए गए अध्यादेश

4636. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1965 से 1967 तक, 1968 से 1977 तक और 1978 से 1983 तक संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन कितने अध्यादेश जारी किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

अवधि	अनुच्छेद 123 के अधीन जारी किए गए अध्यादेशों की संख्या
1965 से 1967 तक	29
1968 से 1977 तक	140
1978 से 1983 तक	61

गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

4637. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंडल के प्रतिनिधियों से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन में प्राइवेट क्षेत्र के भाग लेने की संभाव्यता के सम्बन्ध में फेडरेशन आफ इन्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने एक अध्ययन किया था और उसकी एक प्रति विचारार्थ सरकार को भेजी थी । तथापि, फेडरेशन को इस सम्बन्ध में सुनिश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी वित्तीय सहभागिता का स्तर बनाया गया हो ताकि सरकार गुण-अवगुण के आधार पर प्रस्तावों पर विचार कर सके ।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रिक टाइपराइटरों का निर्माण

4638. **श्री सत्यनारायण जटिया :**
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ने विदेशी सहयोग से इलेक्ट्रिक टाइपराइटरों का निर्माण करना आरम्भ कर दिया है और ऐसा करने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें टेलेक्स मशीनें बनाने का एकाधिकार प्राप्त है और अन्य किसी को भी टेलेक्स मशीनें बनाने की अनुमति नहीं है;

(ग) कितनी टेलेक्स मशीनों की सप्लाई बकाया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में इस एकाधिकारी कम्पनी द्वारा अपनी टेलेक्स मशीनों में सुधार न किये जाने के कारण क्या हैं और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सरकार के कार्य करने की आवश्यकता है जबकि अनेक कम्पनियां इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर बना रही हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। इलेक्ट्रिक टाइपराइटर बनाने की वही प्रक्रिया है जो कम्पनी द्वारा इस समय बनाए जा रहे इलेक्ट्रो-मकेनिकल टेलीप्रिंटर बनाने के लिए अपनाई जा रही है। कम्पनी अब इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनाने जा रही है। इसीलिए इलेक्ट्रो-मकेनिकल टेलीप्रिंटर बनाने के लिए तैयार की गई आधारभूत संरचना को उपयोग में लाने की दृष्टि से उत्पादन में विविधता लाने के एक अनुकूल कार्यक्रम के रूप में इलेक्ट्रिक टाइपराइटरों का उत्पादन शुरू किया गया है।

(ख) भारत सरकार की औद्योगिक नीति के संकल्प के अनुसार तार के उपकरणों को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। फिर भी, इस समय हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ही भारत में एकमात्र ऐसा कारखाना है जो टेलीप्रिंटर और आनुषंगिक उपस्कर बना रहा है।

(ग) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड में टेलीप्रिंटर और आनुषंगिक उपस्कर की कोई सप्लाई बकाया नहीं है।

(घ) इलेक्ट्रो-मकेनिकल टेलीप्रिंटर में सुधार की बहुत कम गुंजाइश है। तकनालाजी में अत्यधिक विकास हो जाने से इलेक्ट्रो-मकेनिकल टेलीप्रिंटर की तकनीक अब पुरानी पड़ गई है तथा सारी दुनिया में अब इलेक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटरों का चलन हो गया है। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड भी शीघ्र ही विदेशी सहयोग से इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनाने लगेगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में इस समय इलेक्ट्रिक टाइपराइटर बनाने वाली कोई दूसरी कम्पनी नहीं है। बाजार के सर्वेक्षण के अनुसार इलेक्ट्रिक टाइपराइटर की काफी अधिक मांग है और इसीलिए इन्हें बनाने का निर्णय ले लिया गया है। अलबत्ता इलेक्ट्रो-मकेनिकल टेलीप्रिंटरों का उत्पादन धीरे-धीरे बन्द करने के उद्देश्य से उत्पादन में विविधता लाने के लिए यह एक बहुत अनुकूल क्षेत्र है।

1971 के पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान देवा, छम्ब और मानावर के बर्बाद हुए लोगों को सहायता

4639. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान देवा, छम्ब और मानावर के हजारों लोग बर्बाद हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों और जो शरणार्थी शिविरों में नहीं गए वरन् अपने सम्बन्धियों के पास ठहरे थे, उनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को दी जा रही सहायता और सुविधायें इन लोगों को नहीं दी जा रही है जो अपने सम्बन्धियों के साथ ठहर गए थे और यदि हां तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारत-पाक संघर्ष, 1971 के दौरान, छम्ब नियाबत क्षेत्र के असंख्य व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ख) छम्ब नियाबत क्षेत्र के लगभग 18,700 विस्थापित व्यक्तियों ने शरणार्थी शिविरों में प्रवेश लिया था। शरणार्थी शिविरों से बाहर रह रहे अन्य व्यक्तियों की सही संख्या ज्ञात नहीं है।

(ग) सरकारी नीति के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने शरणार्थी शिविरों में प्रवेश किया था, केवल वे ही सहायता के अनुमोदित पैमाने के अनुसार राहत और पुनर्वास सहायता पाने के पात्र थे।

गृह निर्माण के उद्देश्यों के भविष्य निधि और आयकर नियमों में परिवर्तन

4640. **श्री अजित बाग :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गृह निर्माण हेतु भविष्य निधि खाते में से धन निकालने से सम्बन्धित नियमों को उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर नियमों के प्रावधानों में भी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1982 में कुछ सुधारों की तरह उचित संशोधन किया गया है; और

(ग) भविष्य निधि और आयकर नियमों में इन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) मकान बनाने के प्रयोजनों हेतु वापस न किए जाने वाले अग्रिम धन देने से सम्बन्धित कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबन्धों को 3 अक्तूबर, 1981 से उदार बनाया गया था। योजना के उदार बनाये गये उपबन्धों में सदस्य की 24 माह की मूल मजदूरी तथा महंगाई भत्ते या उसके स्वयं के अंशदानों के हिस्से तथा नियोजक के हिस्से के अंशदान की राशि की सीमा तक, जिसका वह उस समय हकदार होता, यदि वह निधि का सदस्य नहीं रहता और वह ब्याज सहित अपने भुगतान का निपटारा चाहता है या निवास घर/फ्लैट की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, अग्रिम धन देने की व्यवस्था है। मकान बनाने के प्रयोजनों हेतु भविष्य निधि राशि को वापस लेने के बारे में आयकर नियमों में भी उपर्युक्त लाइनों के आधार पर संशोधन किया गया है जहां तक उनका सम्बन्ध प्रति माह 1600 रुपये से अनधिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों से हैं।

भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन

4641. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन किया गया है जिससे कर्मचारी दिए गए अंशदान में से मकान बनाने के लिए धन निकलवा सकें;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त संशोधन कौन सी तारीख से लागू होगा; और

(ग) कर्मचारियों को किए गए अंशदान में से धन सभी अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए निकालने की सुविधा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मकान बनाने के उद्देश्यों के

लिए वापस न किए जाने वाले अग्रिम धन की मंजूरी के संबंध में उपबन्ध कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैराग्राफ 68ख में दिए गए हैं। इन उपबन्धों को 3 अक्तूबर, 1981 से उदार बनाया गया है।

(ग) इस योजना में कुछ विशिष्ट बीमारियों में चिकित्सा उपचार, बच्चों के विवाह या मैट्रिक के बाद की शिक्षा, बाढ़ आदि के कारण सम्पत्ति की हानि के मामले में अप्रत्याशित खर्च वहन करने के लिए वापस न किए जाने वाले अग्रिम धन के लेने के लिए पहले से ही प्रावधान है।

कैपसूल भरने की मशीनों का आयात

4641-क. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाणे, बम्बई की फाइजर लिमिटेड ने मैसर्स साराभाई इंटरनेशनल के माध्यम से कैपसूल भरने की दो मशीनों 'जनासी' का आर्डर दिया है जिनकी कैपसूल भरने की क्षमता 1,20,000 कैपसूल प्रति घंटा है; और

(ख) यदि हां, तो (1) क्या फाइजर लि० ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन किया है (2) क्या सरकार की घोषित औद्योगिक नीति के विरुद्ध है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) फाइज़र कर्मचारी यूनियन, बम्बई से प्राप्त एक अभ्यावेदन के अनुसार मैसर्स फाइज़र पर मैसर्स साराभाई इन्टरनेशनल के माध्यम में ऐसी दो मशीनों के आर्डर देने का आरोप लगाया गया है। मैसर्स साराभाई इन्टरनेशनल ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसी कोई मशीन अभी तक मैसर्स फाइजर को सप्लाई नहीं की है। तथापि, उन्होंने बम्बई के जे० सी० सी० आई० एण्ड ई० से अपने अतिरिक्त लाइसेंस पर एक स्वचालित कैपसूल भराई मशीन प्राप्त करने के लिए पृष्ठांकन प्राप्त कर लिया है जिसकी संचालन क्षमता प्रति घंटा 80 हजार कैपसूल भरने की है तथा इस मशीन के लिए जिन विभिन्न पार्टियों को प्रस्ताव भेजे गए थे उनमें से मैसर्स फाइज़र लिमिटेड ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में डी० जी० टी० डी० और मैसर्स फाइजर लिमिटेड से अन्य ब्यौरे मंगाए जा रहे हैं। मैसर्स फाइजर द्वारा प्रस्तावित स्थापना की वैधता की जांच की जा रही है।

दिनांक 22.11.83 के अतारांतिक प्रश्न संख्या 1304 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : उत्तर के भाग (क) में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में 41 डाकघरों के पास विभागीय भवन नहीं हैं। सही स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित 308 डाकघरों के पास विभागीय भवन नहीं हैं। 41 डाकघर विभागीय भवनों में स्थित हैं। समय की कमी के कारण तार द्वारा एकत्र की गई सांख्यिकीय जानकारी में कुछ भ्रांति होने के कारण हुई गलती के लिए खेद है।

सांख्यिकीय गलती का पता उस समय चला जब प्रश्न के भाग (ख), जिसके लिए आश्वासन दिया जा चुका था, से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। इसी कारण उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब हुआ। विलम्ब के लिए खेद है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि पिछले शुक्रवार यहां एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा था कि देश को कोई खतरा नहीं हैं। सेना की कोई असामान्य गतिविधियां नहीं हैं। अब संसद का सत्र होते हुए भी प्रधानमंत्री संसद से बाहर कह रही हैं कि खतरा है। हम चाहते हैं कि सरकार एक वक्तव्य में बताये कि वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या संसद को सही बात बताई गई है या प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है ?

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : महोदय, विधि मन्त्री यहां हैं। हम चाहते हैं कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के बारे में हमें बतायें। महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हम दो बार चर्चा कर चुके हैं। इतना बहुत है।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : महोदय, आपको पता है कि दो वर्ष पहले माननीय मन्त्री श्री भीष्म नारायण सिंह ने हमें वचन दिया था कि भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जायेगी। इसे पुरःस्थापित भी किया गया था। इस बार भी इसे राज्य सभा की कार्य-सूची में यह दिखाया गया था कि इसे वहां पुरःस्थापित किया जायेगा। क्या कारण है कि इसे अभी तक नहीं लिया गया है ? अगर इसे अभी नहीं लाया जा रहा है तो क्या सरकार इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का लाभ हमें देगी ? महोदय, इस बारे में पूरी उपेक्षा कर दी गई है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : लोक लेखा समिति ने भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधनों के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है कि किसानों से नाममात्र मूल्य पर भूमि लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण बहुत ऊंची कीमत पर उसे नीलाम करता है। यह प्राधिकरण 50,000 रु० प्रति वर्ग मीटर मूल्य पर भूमि नीलाम करता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप मेरी बात ध्यान से सुनें। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलेगा कि कांग्रेस (ई) क्या करवा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थान उसके लिए नहीं है और इसके लिए यह ढंग नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : असम के मुख्य मन्त्री की उपस्थिति में कांग्रेस (ई) के एक नेता पश्चिम बंगाल के दो जिलों को असम में मिलाने के लिए कह रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसमें क्षेत्रीय अखण्डता का प्रश्न···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह खण्डों में अखंडता है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं इसे दोपहर बाद करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी अनुमति के बिना कैसे हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती जी, आप जोर से बोलिए, कुछ करिए, लेकिन इससे आपकी बात का कोई मतलब नहीं निकलता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना यह कैसे हो सकता है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैंने आज ध्यान आकर्षण की सूचना दी है लेकिन कोई ध्यान आकर्षण नहीं लिया गया है । पता नहीं क्यों इसे गृहीत नहीं किया गया । यह *

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल अनुमति नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है । * हमें बहुत चिन्ता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कहा है, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा । उसकी अनुमति नहीं । यह आपको शोभा नहीं देता । श्री चटर्जी, मुझे आपसे ऐसी आशा न थी ।

श्री सोमनाथ चटजी : (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, यह क्या है ?

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, क्या श्री हाल्दर कांग्रेस (ई) में शामिल हो गए हैं ? निर्वाचन से पहले वे कैसे शामिल हो गए हैं ? क्या यह दल-बदल है ? वह इस ओर कैसे बैठे हैं ?

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को मैंने कनटेनर एंड क्लोजर कम्पनी में काम करने वाले 900 लोगों की तरफ से पेटीशन दिया है । बैंक ने उस कंपनी को लिमिटेड कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उसे पेटीशन्ज कमेटी को दिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पैटीशन कमेटी से मिलिए । यहां पर नहीं । इसे याचिका समिति में उठाना चाहिए । यहां नहीं । यह याचिका समिति में जायेगा । आप वहां जाइये । वह समिति इसी कार्य के लिए है ।

(व्यवधान) *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं। (**व्यवधान**) *

अध्यक्ष महोदय : बिला-वजह बात करने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह रिकार्ड का पार्ट नहीं बन सकता है। आप बुजुर्ग आदमी हैं और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नॉट एलाउड।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है। हो गया। ठीक है। यह क्या हो रहा है ? पता नहीं वह क्या कह रहे हैं ? यदि उनमें कुछ शिष्टाचार है तो उन्हें बैठ जाना चाहिए।

(**व्यवधान**) *

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ हो गया तो मुझे मुसीबत हो जाएगी। आप बैठ जाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : गृह मन्त्री 'रॉ' में कर्मचारियों की भर्ती के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर देने को बराबर टाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं।

(**व्यवधान**) *

अध्यक्ष महोदय : आपको नियम और विनियम पढ़ने चाहिए।

(**व्यवधान**) *

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया रिस्ट्रिक्शन बिल पास किया है, लेकिन···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आप कोई सूचना दें। इस तरह अनुमति नहीं। कोई प्रश्न नहीं। इसका कोई आधार नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाउड।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : हम महिला सदस्यों ने अनेक बार दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन का प्रश्न उठाया है। अन्य मंत्रियों ने हमें उत्तर दिया है। अब तो विधि मंत्री यहां हैं। हम जानना···

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। आप लिखकर दें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह संगत प्रश्न है।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दें। मैं उसे भेज दूंगा। कृपया बैठ जाइए। काम करने का यह ढंग नहीं।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला निवेदन है कि कम से कम आप किसान को किसान के संबंध में कहने का थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसके ऊपर विश्वास करें। प्रधानमंत्री जी ने किसान रैली में···

अध्यक्ष महोदय : हो रहा है। करेंगे। मैं इसके पीछे लगा हूं। लेकिन क्या आपको यह दल पसंद है ?

श्री दिगम्बर सिंह : आप मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। आप मेरी बात तो सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया है। बारी-बारी बात क्या सुनूं। इस तरह से नहीं।

श्री दिगम्बर सिंह : आप भी कृषक समाज के अध्यक्ष हैं और मैं भी कृषक समाज का अध्यक्ष हूं। कम से कम एक बात तो आप किसानों की बात कहने दीजिए। अध्यक्ष जी, सरकार के सामने···

अध्यक्ष महोदय : मैं देता हूं। इसमें कसर थोड़े ही है।

श्री दिगम्बर सिंह : जब प्रधानमन्त्री कहती हैं, मिनिस्टर कहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : हो रहा है।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली तथा बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1959 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1982 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7436/83]

(ख) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7437/83]

(ग) (एक) बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7438/83]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं एवं केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन एवं उसके कार्यकरण की समीक्षा

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) परिषद-निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) संशोधन आदेश, 1983, जो 21 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 437(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) परिषद-निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 1983, जो 7 जून, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 468(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) परिषद-निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (बम्बई) संशोधन आदेश, 1983, जो 22 जुलाई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 517 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) परिषद-निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1983, जो 25 जुलाई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 524(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) परिषद-निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1983, जो 28

जुलाई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 528 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7439/83]

(2) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7440/83]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं एवं मद्रास उर्वरक लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन आदि

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) औषध (मूल्य नियन्त्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, 1983 जो 19 अगस्त, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 599(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) औषध (मूल्य नियन्त्रण) (पांचवां संशोधन) आदेश, 1983, जो 23 अगस्त, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 606(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) औषध (मूल्य नियन्त्रण) (छठा संशोधन) आदेश, 1983, जो 6 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 893(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7441/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7442/83]

(ख) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7443/83]

(ग) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, उद्योग मंडल, केरल के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, लिमिटेड, उद्योग मंडल, केरल का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7444/83]

(घ) (एक) पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन बिहार के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन बिहार का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7445/83]

(ङ) (एक) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिन्दरी के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवेलपमेंट, इंडिया लिमिटेड, सिन्दरी का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सख्या एल० टी० 7446/83]

(च) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7447/83]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7448/83]

(ज) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7449/83]

(झ) (एक) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1982-83 के कारण की कार्य सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7450/83]

सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री एच० के० एल० भगत की ओर से मैं सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 26—तीसरा सत्र, 1980
(दो) विवरण संख्या 21—पांचवां सत्र, 1981
(तीन) विवरण संख्या 15—छठा सत्र, 1981
(चार) विवरण संख्या 14—सातवां सत्र, 1981
(पांच) विवरण संख्या 13—आठवां सत्र, 1982
(छः) विवरण संख्या 9—नवां सत्र, 1982
(सात) विवरण संख्या 8—दसवां सत्र, 1982
(आठ) विवरण संख्या 6—ग्यारहवां सत्र, 1983
(नौ) विवरण संख्या 2—बारहवां सत्र, 1983

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7451/83]

केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड, नागपुर के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि एवं राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद के वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन एवं उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : श्री धर्मवीर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड, नागपुर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7452/83**]

(2) (एक) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7453/83**]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 तथा कर्मचारी जमा-राशि से संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के कार्यकरण के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7454/83**]

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7455/83**]

(5) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7456/83**]

(6) (एक) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्रों संबंधी समिति के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्रों संबंधी समिति के वर्ष 1982-43 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[**ग्रंन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7447/83**]

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 और हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 की समीक्षा और प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : श्री रामचन्द्र रथ की

ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रण-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 7458/83]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7459/83]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 10 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 927 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7460/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 843 जो 19 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा मैसर्स श्री राजा राजा चोलान म्यूचुअल बेनेफिट फंड लिमिटेड को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क (झ) के अन्तर्गत एक 'निधि' घोषित किया गया है ।

(दो) सा० का० नि 844 जो 19 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा मैसर्स पालघाट परमानेन्ट फंड लिमिटेड को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क (झ) के अन्तर्गत एक 'निधि' घोषित किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखे गए ।देखिये संख्या एल० टी० 7461/83]

भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष (1982-83) और हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष (1982-83) की समीक्षा और प्रतिवेदन

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (एक) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 7462/83]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 7463/83]

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा बाजार ऋणों के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दि गुरदासपुर अमृतसर, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2342 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दि शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2343 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) दि कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2344 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) दि विन्ध्यावासिनी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2345 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) दि औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2346 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) दि नागालैंड रूरल बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ०, 2347 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) दि श्री सतवाहन ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983 जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2348 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दि नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2349 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) दि चैतन्य ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2350 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) दि शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2351 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) दि राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2352 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) दि कोलार ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2353 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) दि चन्द्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2354 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) दि थार आंचलिक ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2355 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) दि मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2356 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) दि छिंदवाड़ा-सिवनी क्षेत्रीय बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2357 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) दि विदुर ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2358 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) दि बीजापुर ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1983, जो 28 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2359 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7464/83]

(2) बाजार ऋणों के बारे में 16 दिसम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (5) डब्ल्यू एण्ड एम/83 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7465/83]

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है।

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 19 दिसम्बर, 1983 को हुई अपनी बैठक में मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनो सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 129वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाया गया है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

68वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन् (मद्रास उत्तर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 68वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं विशेषाधिकार समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

(एक) 14वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(ख) कार्यवाही-सारांश

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 16 दिसम्बर, 1983 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पारादीप (उड़ीसा) में प्रस्तावित मछली पकड़ने के बन्दरगाह के निर्माण में विलम्ब

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : पारादीप में मछली पकड़ने की बन्दरगाह के निर्माण के उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को सरकार के पास 1970 में भेजा गया था। राज्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्री के स्तर पर इस मामले को कई अवसरों पर उठाया। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि एक दशक बीत जाने के बावजूद इस प्रस्ताव को अब तक मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है।

पारादीप मछली पकड़ने की बन्दरगाह के निर्माण प्राक्कलन में समय-समय पर वृद्धि की गई है और लागत प्राक्कलन में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। इस समय इस क्षेत्र में 500 यान्त्रिकीकृत और गैर-यान्त्रिकीकृत नौकाएं चल रही हैं। पारादीप क्षेत्र में छठी योजना के अन्त तक कुछ सौ और नौकाएं चलाने की आशा है। इस समय लकड़ी के घाटों में अस्थायी तौर पर मत्स्य नौकाओं को मुख्य बन्दरगाह के टर्निंग बेसिन के अन्दर सीमित क्षेत्र में बिना कोई सुविधा प्रदान किए स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है कि मछली पकड़ने की बन्दरगाह की सुविधा के बिना मत्स्य नौकाएं पारादीप पत्तन अधिकारियों के लिए समस्याएं पैदा कर रही हैं।

अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि पारादीप में अविलम्ब एक मछली पकड़ने की बन्दरगाह का निर्माण किया जाए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तत्काल कदम उठाए।

श्री चंद्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम के अनुसार 250 शब्द का मैटर बना कर दिया था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें तीन लाइनें लिख कर भेज दी हैं। मैंने हाथरस की काटन मिल के बारे में कहा था, लेकिन इसमें "हाथरस" शब्द भी नहीं है, मैं इसको क्या पढ़ूं ? मेरे पास ओरिजनल है, अगर आप आज्ञा दें तो उसको पढ़ दूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। आपका यह कल करवा दूंगा। आप बैठ जाइये।

(दो) शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) के मलेरिया से पीड़ित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : महोदय, मुझे सभा तथा सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में एक घातक बीमारी द्वारा, जिसकी बाद में मलेरिया के रूप में पहचान

की गई, उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने की अनुमति दी जाए। मलेरिया के कारण, जो कई गांवों में फैल गया है, लगभग 700 व्यक्ति मर चुके हैं। यदि राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और केन्द्रीय मलेरिया उन्मूलन विभाग ने यथासमय पर्याप्त मलेरिया-रोधी उपाय किए होते और प्रारम्भिक अवस्था में बीमारी के निदान हेतु तत्काल कार्यवाही की होती तथा प्रभावित क्षेत्रों में औषधियों का वितरण किया होता तो इतनी भयावह दुखद घटना न हुई होती। यह आश्चर्य की बात है कि इस बीमारी को रोकने के लिए राज्य में पिछले कई वर्षों से दवा नहीं छिड़की गई है। संचार साधनों की कमी के कारण औषधियों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं की जा सकी और पीड़ित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की जा सकी जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई।

अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बीमारी को रोकने हेतु और संचार साधनों को सुधारने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं ताकि प्रभावित क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सहायता शीघ्र उपलब्ध कराई जा सके। सभी प्रभावित गांवों के प्रभावित गरीब व्यक्तियों को, जो अभी भी कुपोषण के कारण मृत्यु का सामना कर रहे हैं अथवा पुनः बीमार पड़ सकते हैं, दिन में एक बार पोषक भोजन उपलब्ध कराने हेतु राहत पहुंचाई जाए।

(तीन) मारमागाओ पत्तन न्यास, गोवा द्वारा सेवा-प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने की आवश्यकता

**** श्री जगन्नाथ पाटिल** (ठाणे) : लौह अयस्क की विश्वव्यापी मन्दी के कारण गोवा का लौह अयस्क निर्यात उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है। इसके अतिरिक्त, मारमागाओ पत्तन न्यास के सेवा प्रभारों को 61 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्तावित निर्णय के कारण भी गोवा की निर्यातक इकाइयों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दो खान-स्वामी निर्यातकों ने पहले ही कार्य करना बन्द कर दिया है। कुछ और निर्यातक भी मारमागाओ पत्तन न्यास 'सर्विस लेवी' में पर्याप्त वृद्धि के कारण अपनी इकाइयां बन्द करने वाले हैं। लौह अयस्क उद्योग जो प्रति वर्ष 140 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाता है निकट भविष्य में ठीक न हो सकने की हद तक रुग्ण हो जाएगा और कई मजदूर बेकार हो जाएंगे।

मारमागाओ पत्तन न्यास ने अपने यान्त्रिकीकृत अयस्क संभार संयन्त्र को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सेवा प्रभारों में वृद्धि की है। इस संयत्र के कार्यचालन से पिछले दो वर्षों के दौरान घाटा हुआ है। लौह अयस्क निर्यातकों का यह मत है कि पत्तन के कार्यकरण में सुधार लाकर तथा इसकी गतिविधियों में समुचित समन्वय लाकर इस घाटे को दूर किया जा सकता था। मारमागाओ पत्तन न्यास सेवा प्रभारों में वृद्धि द्वारा अपना घाटा दूर कर रहा है।

गोवा के सभी निर्यातक संघों ने सेवा प्रभारों में वृद्धि के मारमागाओ पत्तन न्यास के प्रस्तावों का विरोध किया है और इस वृद्धि को वापस लेने का अनुरोध किया है। परन्तु उनके

** मराठी में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अनुरोध पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अत: मैं सरकार से सेवा प्रभारों में की गई प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने के लिए उचित कदम उठाने का और गोवा के लौह अयस्क निर्यात उद्योग को लुप्त होने से बचाने का अनुरोध करता हूं।

(चार) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई कृषि उत्पादन बढ़ाने का मुख्य आधार है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अनेक सिंचाई योजनायें वर्षों से प्रारम्भ की गई हैं किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं। योजना की लागत क्रमश: बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं और वहां बन्धे, बन्धियां एवं नलकूप बनाना आवश्यक है, उन क्षेत्रों में भी सिंचाई के नये कार्यक्रम नहीं चल पा रहे हैं। उक्त बड़ी सिंचाई योजनाओं का उनके क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। उदाहरण के लिए ज्ञानपुर पम्प नहर, सोन पम्प नहर, देवकली पम्प नहर, कनहर बन्धा तथा अन्य मझोली एवं छोटी बन्धियां तथा नलकूप इत्यादि मिर्जापुर, बनारस इत्यादि पूर्वी उत्तर के असिंचित क्षेत्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी हैं। उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग धन की कमी के कारण उक्त योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। साथ ही नयी सिंचाई योजनायें भी नहीं चल पा रही हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए उक्त योजनाओं के लिए धन की सहायता प्रदान की जाये।

(पांच) बिजनौर चीनी मिल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धन प्रदान करने की आवश्यकता

श्री मंगलराम प्रेमी(बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, बिजनौर चीनी मिल की स्थापना 1933 में हुई थी और 1946 से लगातार यह मिल लीज पर चलाई जाती रही है, जिसका उद्देश मात्र लाभ कमाना था। परिणामस्वरूप मिल की मशीनरी अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गई और यह मिल बीमार मिलों की सूची में आ गई। चीनी मिल के मजदूरों एवं स्थानीय काश्तकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1971 में राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया परन्तु अनेक कानूनी अड़चनों के कारण इस मिल का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका और लगातार यह घाटे में चलती रही। निरन्तर पेराई क्षमता में गिरावट आती गई। इस समय इसकी पेराई क्षमता प्रदेश की अन्य मिलों की अपेक्षा सबसे कम 1100 क्विंटल प्रतिदिन रह गई है, जबकि अन्य मिलों की क्षमता 2500 क्विंटल प्रतिदिन से अधिक है।

बिजनौर क्षेत्र ईख के लिए लगभग समस्त उत्तर प्रदेश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार द्वारा एक चीनी मिल लगाने के लिए 12-3-82 को एक साइसेंस निर्गत किया गया। आस्ट्रेलियन तकनीक के आधार पर इसे आधुनिकीकरण हेतु परियोजना

की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई, ताकि कालान्तर में इसकी पेराई क्षमता बढ़ा कर 4500 क्विंटल प्रति दिन तक की जा सके। इस योजनान्तर्गत कुल व्यय 11 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4.80 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार एवं शेष धनराशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिया जाना है। परियोजना की सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं।

अतः कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि इस दिशा में कारगर कदम तुरन्त उठाकर उक्त परियोजना को क्रियान्वित किया जाये और केन्द्र सरकार द्वारा देय राशि अविलम्ब भुगतान कराया जाये, ताकि बिजनौर चीनी मिल का आधुनिकीकरण हो सके और गन्ना किसानों एवं मजदूरों को समुचित लाभ पहुंच सके।

धन्यवाद।

(छ) बिजली काटन मिल्स, हाथरस (उत्तर प्रदेश) के कामगारों की मांगें

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र हाथरस(उत्तर प्रदेश)के बिजली काटन मिल्स में रही अनियमितताओं, हेराफेरी तथा मजदूर विरोधी कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मिल नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की एक इकाई है। इसके प्रबन्धकों ने ऐसी नीति अपना रखी है, जिससे मजदूरों में घोर असंतोष और रोष व्याप्त है। यदि उनकी समस्याओं का तुरन्त निराकरण नहीं किया गया, तो किसी भी वक्त स्थिति विस्फोटक बन सकती है।

मेरी मांग है कि मजदूरों की यथाचित मांगें जैसे कि छुट्टियों का वेतन जो कि छुट्टियां औद्योगिक न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा मजदूरों को एवार्ड के तहत दी गई हैं, त्योहारों की छुट्टियों का पूरा वेतन और वेतन वृद्धि श्रमिकों की सुरक्षा समुचित प्रबंध, ग्रेचुयेटी की बकाया का भुगतान, श्रमिकों को तरक्की की नीति का पालन, श्रमिकों के लिए केन्टीन, रेस्टरूम आदि की व्यवस्था शीघ्र पूरी की जानी चाहिए।

(सात) राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा औषध मानकों को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकारी सन्तोषजनक ढंग से मानक लागू करने की स्थिति में नहीं है। अब तक केवल पांच राज्यों ने देश में पर्याप्त औषध परीक्षण सुविधायें स्थापित की हैं। वास्तव में दो केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालायें—केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता और केन्द्रीय भारतीय औषध-भेषजीय प्रयोगशाला, गजियाबाद औषधों के मानकों का परीक्षण करने हेतु 21 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सहायता कर रहे हैं।

इन दोनों प्रयोगशालाओं की परीक्षण सुविधाओं की मौजूदा क्षमता 6500 नमूने प्रति वर्ष से 10,000 नमूने प्रति वर्ष के बीच है। केन्द्र द्वारा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु एक योजना प्रायोजित की गई थी। तीन वर्षों के बाद इसे राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। परन्तु इस योजना में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

मौजूदा कानून के अनुसार यदि एक नमूना घटिया पाया जाता है तो औषध का नाम, इसकी बैच संख्या तथा निर्माता का नाम समाचार पत्रों में न्यायालयो द्वारा दोषी ठहराए जाने पर ही प्रकाशित किया जा सकता है ।

मैं अनुरोध करता हूं कि जब कोई नमूना विशेष पकड़ा जाता है और केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला में जांच के पश्चात् घटिया पाया जाता है तो इस तथ्य को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए और टेलीविजन तथा रेडियो को प्रसारण हेतु दिया जाना चाहिए ताकि ऐसी औषध के प्रयोग की जनता को पूर्व चेतावनी दी जा सके ।

एक सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार परीक्षण किए गए नमूनों में से 18 प्रतिशत औषधियां घटिया पाई जाती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित औषधियों में से कुछ औषधियां घटिया पाई गई हैं ।

सरकार इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि क्या 1981-82 में जो औषधियां 3457 नमूना परीक्षणों में घटिया पाई गई थीं, उन्हें नष्ट कर दिया गया है ताकि वे बाजार में न आ सकें ।

मैं मंत्री महोदय से इस मामले की जांच पड़ताल करने का आग्रह करता हूं ।

(आठ) ब्रजराज नगर, सम्भलपुर जिला (उड़ीसा) के निकट शीघ्र एक सुपर ताप बिजलीघर स्थापित करने की आवश्यकता

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्भलपुर) : महोदय, आपके माध्यम से मैं यही प्रश्न नियम 377 के अन्तगर्त बार-बार उठता रहा हूं ।

उड़ीसा में ब्रजराज नगर के आस-पास 16 वैली में एक सुपर ताप बिजलीघर स्थापित करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है । 840 मेगावाट के ताप बिजली घर के लिए लगभग 30 लाख टन कोयले की वार्षिक आवश्यकता होती है । जी० एस० आई० की जांच के अनुसार 16 वैली में लगभग 25880 लाख टन कोयले के भन्डार हैं । क्षेत्रीय निशदेक, सी० एम० पी० डी० आई०, रांची द्वारा व्यक्त किए गए विचार के अनुसार 16 वैली में ब्रजराज नगर के आसपास एक बहुत बड़े ताप बिजली घर की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है । 16 वैली में एक बड़ा ताप बिजली घर लगाने के लिए पानी, विद्युत और भूमि आदि भी उपलब्ध है ।

उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के अनुमान के अनुसार 1984-85 से 1989-90 की अवधि के दौरान विद्युत की वार्षिक कमी 31 से 790 मेगावाट तक रहेगी । 840 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला एक ताप बिजली घर लगभग 4300 जी० डब्ल्यू० एच० की० वार्षिक आवश्यकता पूरी करेगा । 16 वैली ऐसे सुपर ताप बिजली घर की स्थापना के लिए एक उपयुक्त स्थान है ।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए मैं ऊर्जा मंत्री से ब्रजराज नगर के आस पास सम्भलपुर जिले में एक सुपर ताप बिजली घर की शीघ्र स्थापना करने का आग्रह करता हूं ।

(नौ) मद्रास में बहुमंजली इमारतों के जल आपूर्ति इत्यादि पर प्रभाव

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : 1981 के दौरान विभिन्न ओर से किए गए विरोध के कारण और संसद में मामला उठाये जाने के कारण तमिलनाडु सरकार ने मद्रास शहर में नई बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को स्थगित कर दिया था। अचानक समाचारों-पत्रों के माध्यम से यह घोषणा की गई कि तमिलनाडु सरकार मद्रास शहर में नई बहुमंजिली इमारतों के निर्माण की अनुमति देगी।

यह सुविदित तथ्य है कि मद्रास शहर में अपर्याप्त जल निकास सुविधा, टूटी फूटी-सड़कों और यातायात समस्याओं के अतिरिक्त पानी की कमी महसूस की जा रही है। मैं भारत सरकार द्वारा रेलवे के माध्यम से मद्रास सहर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विजयवाड़ा से विल्लीवोकम तक पानी लाकर जो समय पर सहायता की गई थी, उसका स्मरण कराना चाहता हूं यहां तक कि मद्रास शहर के दूर-दाराज के क्षेत्रों में भी पानी की न्यूनतम सप्लाई नहीं पहुंचती है, जल-निकासी सड़क और सड़क पर बत्ती की सुविधा का तो प्रश्न ही नहीं है। जनता के लिए मौजूदा सुविधाओं में सुधार हेतु कोई कारगर योजना बनाए बिना एक ओर मद्रास के नगर निगम की सीमा बढ़ाने और दूसरी ओर बहुमंजिली रिहायशी इमारतों के निर्माण की अनुमति देने से मौजूदा व्यवस्था ही खराब हो जाएगी और मद्रास शहर के निवासियों को निकट भविष्य में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

अतः मैं निर्माण और आवास मंत्री तथा भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु सरकार से हाल ही के आदेश वापस लेने के लिए कहे और जब तक एक सभ्य शहर के लिए जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध न करा दी जायें, बहुमंजिली रिहायशी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

12.25 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगी।

श्री के० एस० नारायण (हैदराबाद) : सर्वप्रथम मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उल्लेख करूंगा। यदि ग्रामीण बैंकों की शुरूआत बड़ी धूमधाम से की गई थी, परन्तु अब उनके कार्यचालन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वे केवल उनकी शाखाओं को आरम्भ करने में दिल-चस्पी रखते हैं और इतनी शाखायें खोलने की श्रेय प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वे इन शाखाओं को ठीक ढंग से चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। भारत सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का लाभ उन तक नहीं पहुच रहा है। यह सुनिश्चित कराने की पूरी आवश्यकया है कि ये ग्रामीण बैंक उचित ढंग से कार्म करें और जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं उसे पूरा करें।

जिन क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं रिजर्व बैंक उन क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों को शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं देता । इसके परिणामस्वरूप न तो ग्रामीण बैंक सही ढंग से कार्य कर रहे हैं और न ही वाणिज्यिक बैंकों को वहां शाखाएं खोलने की अनुमति है । इस प्रकार ग्रामीम लोगों को ऋण तथा अन्य बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं । अतः इस नीति को बदला जाए और कम से कम चुनिंदा क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंको को शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पहली किस्त में 14 बैंकों का अधिग्रहण किया गया था । बाद में छः और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस प्रकार कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ । मेरे विचार में अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तीसरी किस्त आ जानी चाहिए क्योंकि इनमें से कुछ निजी बैंक कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि वे बैंक यह सोचते हैं कि केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों को इन कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है और वे केवल धनी लोगों के लिए हैं । अतः भारत सरकार को और अधिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

पहले बैंकों में भ्रष्टाचार नहीं था । अब भ्रष्टाचार बैंकों में आम बात हो गई है और बैंकिंग प्रणाली में इसने प्रवेश कर लिया है । भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप कमजोर वर्ग के लोगों की बैंकों तक पहुंच नहीं रही है । केवल समृद्ध लोग धनी लोग व्यापारी और उद्योगपति इन बैंकों की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और निर्धन लोगों को उनके हक से वंचित रखते हैं । मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि उच्च स्तर पर एक सतर्कता कोष्ठ की स्थापना की जाए जो व्यक्तियों और संगठनों के मामले को देखे, चाहे वे बैंक हों या व्यक्ति हों । सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए । सतर्कता कोष्ठ यदि भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त न भी कर सकेगा, तो भी भ्रष्टाचार को रोकेगा तो सही ।

श्रीमन्, बैंकों में अनुशासनहीनता का बोलबाला है । मैं अनुशासनहीनता के कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह बैंकों के कार्यों का एक हिस्सा बन गई है । बैंकों के उच्च अधिकारी यह मानते हैं कि बैंकों में अनुशासनहीनता है, लेकिन वे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से डरते हैं । बैंकों में मजदूर-संघ ताकतवर हैं और मैं समझता हूं कि बैंकों में मजदूर-संघों की वजह से ही अनुशासनहीनता फैल रही है । केन्द्रीय सरकार को इस अनुशासनहीनता को दबाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए । वास्तव में मैं ऐसा नहीं मानता कि मजदूर संघों की वजह से मजदूरों में अनुशासनहीनता फैलती है; कोई भी नियमित मजदूर संघ अनुशासहीनता को प्रोत्साहन नहीं देता है, लेकिन अनुशासनहीनता फैल रही है और उच्च अधिकारी इस अनुशासन को रोकने में असमर्थ हैं और कहते हैं कि मजदूर-संघ ही इसके लिए जिम्मेवार है । इसलिए इस सबके बारे में विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है । जहां कहीं इस प्रकार की अनुशासनहीनता होती है, वहां ग्राहकों की सेवा में कमी आती है । कर्मचारी ग्राहको को अच्छी प्रकार से नहीं निपटा सकते और इस प्रकार की बातें आजकल बैंकों में विद्यमान हैं । हालांकि हमारे उद्यमी मंत्री श्री पुजारी अपनी तरफ से हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की बातें न हों, फिर भी इसकी जांच करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए ।

दूसरी बात जिसका कि मैं जिक्र करना चाहता हूं, वह है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण केवल इसीलिए किया था कि बैंक लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन बैंक हमेशा ही गरीब लोगों से दूर रहे, वे केवल व्यापारियों, बड़े जमींदारों, बड़े लोगों, धनिकों के लिए ही रहे, उन्होंने कभी भी छोटे लोगों और कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। इस तरह राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य इन बैंकों को गरीब लोगों की पहुंच तक लाना और यह सुनिश्चित करना था कि सभी वर्गों के लोगों को इनसे कुछ न कुछ सहायता मिल सके ताकि ग्रामीण लोगों में खुशहाली का नया युग आरम्भ हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जो लोग उच्च पदों पर हैं तथा जो लोग बैंकों की व्यवस्था देख रहे हैं, उनके अंदर दुर्बल वर्गों की सहायता करने की भावना ही नहीं है। आरम्भ में बैंकों ने अच्छे कार्य किये, उन्होंने कमजोर वर्गों के लिये कार्यक्रम आरम्भ किये, लेकिन दुर्भाग्यवश 1977 में जनता सरकार के आने से, सारी नीति ही बदल गई। लोगों को बैंकों के नजदीक जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। एक अलग ही रवैया था। हां अब, कांग्रेस (आई) सरकार के आ जाने से प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुनः आ जाने से, अब फिर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अभी भी, जब तक बैंकिंग संगठन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग रुचि नहीं लेंगे, कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों में वृद्धि नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय अपने उत्तर में यह बतायें कि सारी बैंकिंग व्यवस्था द्वारा कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों को अपनाये जाने के लिए कितनी प्रतिशत धनराशि ऋण और उधार के रूप में दी गई है। वे कभी-कभी निर्धन व्यक्तियों को रिक्शा या ऑटो-रिक्शा के लिए थोड़ी सी धनराशि ऋण के रूप में दे देते हैं और इस तरह का प्रचार करते हैं जैसे वे हमेशा ही अपना ध्यान कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों पर केन्द्रित करते रहते हैं। लोग हमारे पास आते हैं और हमसे शिकायत करते हैं। जब हम बैंक वालों को टेलीफोन करते हैं तो वे कहते हैं कि 'धन नहीं है, हम इस पर विचार कर रहे हैं।' सही उत्तर नहीं दिया जाता, जहां तक कमजोर वर्गों का प्रश्न है यह तो मात्र दिखावा, ढोंग व प्रचार ही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में विशेष ध्यान दें दिलचस्पी लें। इसके लिए, जब सरकार बैंकों के अध्यक्ष या निदेशक के पदों पर लोगों को नियुक्त करे तो वह इस बात का पूरा ध्यान रखे कि उन्हीं लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में नियुक्त किया जाये जो गरीब और आम जनता की मदद करने वाले कार्यक्रमों के प्रति वचनबद्ध हों। जब तक उच्च पदों पर ऐसे लोग नहीं नियुक्त किये जाते, ये कार्यक्रम ज्यादा सफल नहीं हो सकते। निदेशक बोर्ड में निदेशक एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें सही जानकारी हो और उन्हें यह देखना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की पूर्ति होती है या नहीं।

निदेशक मण्डल को जनता की आवश्यकताओं का पता होना चाहिए। ऐसे लोगों और ऐसे उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये जो जनता की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इसके लिए अच्छी प्रकार से जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। उच्च स्थानों पर उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जोकि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू कर सकें।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्रियों, खासकर श्री पुजारी जी की काफी साख है। वे कार्यक्रमों, खासकर कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने में कामयाब रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा।

इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : बैंकिंग नियमों के बारे में बहुत कुछ कहा जाना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कई एक मामले उठ खड़े हुए हैं। यहां सरकार ने कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिनमें से कुछ आवश्यक हैं। लेकिन मैं माननीय मन्त्री का ध्यान 1983 के बैंककारी नियम (संशोधन) 70 की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें गैर निगमित निकायों द्वारा जमा राशि स्वीकार करने पर पाबंदी का प्रस्ताव है। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में समाज का अपना ढांचा है। गांवों में कुछ ऐसे महाजन हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं— विधवाओं को धनराशि उधार दे रहे हैं, आप वहां तक बैंक की शाखा नहीं खोल सके हैं। सारा ढांचा या आधारभूत ढांचा, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, वहां नहीं है। इसलिए शराफ संघ ने सरकार को, जिस प्रकार से आप इसे समाप्त करने जा रहे, अभ्यावेदन दिया है। अगर हम कहें कि आप केवल दस लोगों से ही जमा धनराशि ले सकते हैं तो कारोबार ठप्प हो जायेगा।

आपके दूसरे संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर नये सिरे से विचार करे। मूल उद्देश्यों के बारे में समझ पाना मुश्किल है और इसकी प्रशंसा करना और भी मुश्किल है; इस विधेयक को प्रस्तुत करने और उपरोक्त संशोधनों का हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव होगा। अगर सरकार का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है या अनौपचारिक ऋण बाजार में कुछ तत्वों द्वारा किये जाने वाले कदाचार को जड़ से समाप्त करना है, तो इसे प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। ऐसी आशका है कि इस प्रकार के कठोर उपायों से औपचारिक ऋण बाजार में ऋण का स्रोत कम हो जायेगा, जिससे न केवल नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार संचालन में बाधा पड़ जायेगी बल्कि एक अस्वस्थ और अवांछनीय व्यवसाय पनपने लगेगा जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जो धैर्य से नहीं देखी जा सकती। हम यह महसूस करते हैं कि औपचारिक निकायों द्वारा धनराशि जमा करने पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने और उनके नियंत्रण के लिए कटोर उपायों से लाखों लोगों को मुश्किल पैदा होगी और इससे किसी को भी आनुपातिक लाभ भी नहीं होगा।

इस तरह का अभ्यावेदन उन्होंने दिया है। यहां उन्होंने एक मामले का जिक्र किया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सभी ग्रामीण व दूर-दराज के क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें नहीं हैं, इसलिए उन लोगों का क्या होगा। समाज में कुछ विधवाएं भी होती हैं। वे अपनी धनराशि किसी व्यक्ति के पास जमा कराती हैं। यहां सारा व्यापार विश्वास पर आधारित है। विश्वास के आधार पर, कुछ शराफ अपना व्यापार कर रहे हैं। अगर आप उनका व्यापार एक के लिए 10 जमाकर्ताओं और औपचारिक फर्मों के लिए 100 जमाकर्ताओं तक सीमित करेंगे तो इससे स्वास्थ्य लेन-देन नीति में बाधा पैदा होगी जिसके सहारे ये लोग पैसा जमा कराते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिए था।

श्री रतन सिंह राजदा : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कह रहा हूं।

श्रीमन् इतना कहने के बाद, इन लोगों ने मुझसे बम्बई में मुलाकात की। इसके अलावा

सभी शराफ संघों ने इसके विरुद्ध आन्दोलन किया है। मुझे एक ज्ञापन दिया गया है, मैं समझता हूं कि सरकार को भी यह भेजा गया है। यह गुजरात राज्य शराफ संघ की ओर से है। इसी प्रकार से यह आन्दोलन सब जगह फैल गया है और यह डर है कि अगर सरकार यह प्रावधान पारित कर देती है तो जहां बैंकिंग व्यवस्था नहीं है और जहां सुचारू रूप से लेनदेन का कारोबार हो रहा है यह बन्द हो जायेगा जिसके फलस्वरूप ग्रामीण और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को काफी असुविधा होगी। अब, उन्होंने बताया है कि यह क्यों एक न्यायपूर्ण तरीका नहीं है और समस्या का विस्तार कितना है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे। इस प्रस्ताव से औपचारिक ऋण ढांचे में रुकावट आयेगी। यह वितरण व्यापार के लिए भी घातक होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह भी कहा गया है कि देश में बैंकिंग व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा और वह अस्त-व्यस्त हो जायेगी। इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। कई एक दण्ड प्रावधान ऐसे हैं जिनके अन्तर्गत कठोर दण्ड मिलेगा। उन्होंने इनका भी जिक्र किया है। उन्होंने नैतिक मूल्यों में कमी आने के बारे में भी लिखा है। श्रीमन्, हम इसे अलग रख सकते हैं। हम सबको नैतिक मूल्यों में कमी के बारे में चिन्तित होना चाहिए। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। उन्होंने अपने ज्ञापन में यह सब बातें कही हैं।

मैं केवल एक या दो बातों के बारे में कहना चाहूंगा। यह महसूस किया गया है कि औपचारिक ऋण ढांचा, जिसके अन्तर्गत व्यापार, व्यवसाय, कमीशन एजेन्ट और देश के बैंकर्स आदि आते हैं, काफी समय से समाज के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवा करते रहे हैं। इसके अलावा, ग्राहक और जमाकर्ताओं को व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने की वजह से भी इनका स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अधिक दक्षता, शीघ्र सेवा मिलती है और ऊपरी खर्च भी कम बैठता है। हालांकि, बैंकों में जहां ऋण देना सुरक्षित होता है और औपचारिक ऋण ढांचे में यह असुरक्षित होता है, लेकिन फिर भी इसमें चूक बहुत कम होती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों की शाखाओं में काफी वृद्धि होने के बावजूद, औपचारिक ऋण बाजार देश के आंतरिक व्यापार, उद्योग और वाणिज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है, इससे इसकी व्यवहार्यता और अनिवार्यता का पता चलता है। अमरीका जैसे विकसित देशों में भी गैर औपचारिक तथा गैर बैंकिंग वाणिज्यिक ऋण बाजार बिना प्रथागत और किसी कानूनी बाधा के कार्य कर रहे हैं। इन परिस्थितिओं में, औपचारिक ऋण ढांचे को खत्म करने की बजाय यह अधिक लाभकारी होगा कि इसे पुनः जीवन प्रदान किया जाये और सुदृढ़ किया जाये, ताकि ये देश के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में एक प्रभावकारी और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके।

इस प्रकार हम देश के खुदरा व्यापार (डिस्ट्रिब्यूटिव ट्रेड) को भारी आघात पहुंचा रहे हैं। हमारे देश में खुदरा व्यापार का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। देश में 30.30 लाख खुदरा व्यापारी प्रतिवर्ष 45,000 करोड़ रुपये का व्यापार करते हैं। सरकार को इतने फैले हुए खुदरा व्यापार के आयाम को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

देश में अकेले 30.30 लाख खुदरा व्यापारी 45,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रति 1000 लोगों के पीछे 6 दुकानें हैं देश में ग्रामीण तथा शहरी

क्षेत्रों में खुदरा व्यापार के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 37 परिवारों के पीछे एक खुदरा व्यापारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 50 परिवारों के पीछे एक खुदरा व्यापारी है। वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए अनुमान है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार 15.8 प्रतिशत प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्र में 8 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ेगा। इससे हमारे जैसे देश के दूरदराज के इलाकों में खुदरा व्यापार के आर्थिक कार्यकरण के महत्व का पता चलता है। अनौपचारिक ऋण बाजार खुदरा व्यापारियों को सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है। जिसमें ऋण, अग्रिम धन, नकद धन इत्यादि सभी सम्मिलित हैं। इस तरह ये उत्पादन केन्द्रों से उपभोग केन्द्रों अर्थात् शहरों, महानगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों सभी स्थानों पर वस्तुओं के वितरण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खुदरा व्यापार की ऋण सम्बन्धी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति इसी अनौपचारिक ऋण ढांचे से होती है और ऋण पूर्ति मुख्यत: जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि पर निर्भर होती है। अत: यह विधेयक, जिसका उद्देश्य खुदरा व्यापार को निर्बाध रूप से प्राप्त होने वाली धनराशि पर प्रतिबन्ध लगाना है, समूचे व्यापार, वाणिज्य और उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव डालेगा। समस्या का यह एक पहलू है।

ग्रामीण क्षेत्र पर भी इसका बहुत हानिकारक प्रभाव होगा। बैंकिंग ढांचे में विस्तार के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने एक नया 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है जिसमें समेकित ग्रामीण विकास पर अधिक बल दिया गया है। वह समेकित ग्रामीण विकास की बात करते हैं पर वस्तुत: वह इससे बहुत दूर है। उन्होंने देश में इस समस्या को अब तक छुआ भी नहीं है। यद्यपि भारतीय ग्रामीण विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने ग्रामों के पुनरुत्थान के लिए काफी वृहद कार्यक्रम शुरू किए हैं लेकिन उनके परिणाम संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि जिस हद तक बैंकों से कार्यक्रमों में सहयोग देने की अपेक्षा की गई थी उस हद तक वह पूरी नहीं हुई है। ग्रामीण मंडी का आकार न केवल अत्यधिक बड़ा है अपितु चुनौतीपूर्ण भी है। इन परिस्थितियों में अनौपचारिक ऋण बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में उस भारी अन्तर की पूर्ति की अपेक्षा है, जो किसानों की बढ़ती हुई ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं से उत्पन्न हुआ है।

इस सन्दर्भ में यह विधेयक सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा, उन्नति और विकास तथा उन्हें प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ने सम्बन्धी घोषित नीति के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वदेशी बैंकिंग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देशी बैंकरों अर्थात् शराफ इत्यादि न केवल देश के कृषि क्षेत्र की ऋण देकर सहायता करते हैं अपितु मुसफिल केन्द्रों में व्यापार और उद्योगों के कार्यों में ऋण सम्बन्धी सहायता देकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्वदेशी बैंकिंग के महत्व को बैंकिंग कानून समिति और अन्य ने भी मान्यता दी है अत: विधान बनाकर इसकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उधारकर्ताओं द्वारा उन ऋणों का भुगतान करना बहुत कठिन होगा। जिन्हें वह जमीन, संयंत्र, मशीनरी इत्यादि अथवा व्यापार स्टाक इत्यादि में लगा चुके हैं।

इससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी। मैं इस विषय पर विस्तार में नहीं कहना चाहता।

कुछ कठोर दाण्डिक उपबन्ध भी किए गए हैं। इसमें भवनों की तलाशी जुर्माना तथा दो वर्ष का कठोर कारावास भी सम्मिलित है। यह उपबन्ध न केवल कठोर और अलोकतांत्रिक है अपितु अवांछनीय और अन्यायपूर्ण भी है। ऐसे कठोर दण्ड केवल घोर अपराधियों को दिए जाते हैं न कि व्यापार में लगे हुए लोगों की। यदि वे कालाबाजारी करते हैं या ऐसा काम करते हैं तो मैं उन्हें बचाने की बात नहीं कहूंगा उन्हें तुरन्त पकड़ा जाना चाहिए।

जो लोग व्यापार की सब प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं, उन्हें नौकरशाही तंत्र द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार नौकरशाही तंत्र द्वारा उन्हें पेचीदगियों में उलझा लिया जाता है। इस दृष्टि से यह उपबन्ध बहुत कठोर हैं। ऐसे उपबंध उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के बजाय उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे और अन्ततः व्यापार समाजविरोधी तत्त्वों के हाथ में चला जाएगा। अतः ऐसी परिस्थितियों में ये उपबन्ध बजाय भलाई के हानिकारक ही सिद्ध होंगे। इन्हें निकाल दिया जाए। यह भी मेरी एक मांग है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त उपबन्धों के जो परिणाम होंगे वह भी निराशजनक होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को दोहरी समस्या का सामना करना होगा। एक तो अपना उत्पाद वेचने की और दूसरी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। लघु पैमाने की इकाइयां भी अनौपचारिक ऋण मंडी से ऋण प्राप्ति के अभाव में अपना कार्य कुशलता से नहीं कर पाएंगी। फलस्वरूप खुदरा व्यापार ट्रेड ढांचा खराब होगा और वे उखड़ने लगेगा। इसका परिणाम यह होगा कि व्यापार से सम्बद्ध सभी मध्यस्थ अप्रभावी हो जायेंगे और कृषि उत्पादों के मूल्य अलाभप्रद स्तर तक पहुंच जायेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए अहितकर सिद्ध होंगे। इस प्रक्रिया में देश के उपभोक्ता को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ेगी।

वैकल्पिक ऋण पद्धति और संस्थागत ऋण स्त्रोतों को समाप्त करने का दूरगामी असर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा।

इन परिस्थितियों में उचित यही है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 और 58 पृष्ठ संख्या 567 के अन्तर्गत स्वीकार की जाने वाली जमा राशि पर विधेयक के प्रतिबन्ध लगाने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया जाए।

वैकल्पिक तौर पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्ति के उपरान्त इस पर पुनः विचार किया जाए और उनके दारा दिए गए सुझावों के आधार पर संशोधन में उचित फेरबदल किया जाए ताकि छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी इसमें शामिल किया जा सके।

मेरे विचार में इन शब्दों के साथ मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण लोगों को जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं नहीं हैं कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। देश के 30.30 लाख खुदरा व्यापारी प्रतिवर्ष 45,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का व्यापार करते हैं और यदि सरकार उनके काम-काज को ठप्प नहीं करना चाहती तो उसे इस पर नए सिरे से विचार करना होगा।

मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, श्री रतनसिंह राजदा, जो युवा कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, ने एक बहुत रचनात्मक भाषण दिया है। विरोधी पक्ष के अन्य नेताओं की तुलना में उनके भाषण में अधिक नयापन है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह तो स्वाभाविक ही है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनकी योग्यता में भी वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आप भी उसी श्रेणी के हैं। मैं युवा वित्त मन्त्री को, वित्त मन्त्रालय में अपने कर्तव्य के बखूबी निर्वहन पर और बिशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए उन्हें बधाई देता हूं। उनका कार्य काफी कठिन है पर वह उसे अच्छी तरह निभा रहे हैं। बैंकों से ऋण वितरण को सुचारू बनाने के कार्य में वे काफी रुचि ले रहे हैं।

विरोधी दल के कुछ नेताओं ने कहा है कि नौकरशाह बैंकों के वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं।

मैं इन नेताओं से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें सारा पैसा लेकर पेड़ों के नीचे बैठना चाहिए।

धन को इतना सुरक्षित रखने पर भी आजकल डकैतियां आम हो रही हैं।

प्रो० एम० जी० रंगा (गुंटूर) : यह सच है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : एक प्रशासनिक अधिकारी को कुछ तो सुविधाएं होनी ही चाहिए ताकि वह अपने काम को एकाग्रता से कर सके। संसद के वाद-विवादों में भाग लेने के लिए हमें भी तो कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं। इसलिए उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के सम्बन्ध में हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन पहले प्रधानमन्त्री ने मद्रास में बात करते हुए कहा था कि नौकरशाही बुरी है पर हमारे अफसर जो काम कर रहे हैं बुरे नहीं हैं। हमारे अफसर नौकरशाह नहीं हैं वे जनता के सेवक हैं। और प्रधानमन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में इसकी मद्रास में घोषणा की। उन्होंने अफसरों द्वारा किए जा रहे कार्य की भी प्रशंसा की चाहे यह अफसर किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं या सरकारी उपक्रमों में या बैंकिंग संस्थानों में। वह अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं।

हम सभी ऋण देने के सम्बन्ध में अनुरोध कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन कुछ भिन्न है। आप ऋण देते हैं और उसकी वसूली भी करते हैं। उदाहरणार्थ आप बड़ी जलाशयों जैसे भाखड़ा नांगल, पोचमपद, सिरीसलेम अथवा नागार्जुन सागर आदि से पानी लेते जायें तो उन्हें फिर से भरने की आवश्यकता पड़ेगी और यदि ऐसा संभव न हो तो सारी व्यवस्था ठप्प हो जाएगी। बैंक पहले चन्द लोगों को ऋण देते थे अब उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के काफी लोगों को ऋण देना पड़ता है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री को एक सुझाव देना चाहता हूं, हालांकि वे खेतिहरों, दस्तकारों, बेरोजगारों, स्नातकों तथा अन्य लोगों को धन दिलाने के सम्बन्ध में काफी

रुचि ले रहे हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण के लिए दी जाने वाली राशि बहुत कम है। अभी भी यह 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। जबकि सरकार का लक्ष्य ऋण की कुल राशि में से 25 प्रतिशत से अधिक राशि गांवों के लिए रखने का था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में क्या योजना है, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार बैंक अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। यह कहा गया है कि बैंक अधिकारी सत्ताधारी दल के लोगों का पक्ष लेते है। यह कहना अनुचित है। ये अधिकारी एक सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। हम लोगों की पार्टियां हैं गुट हैं। हममें आपस में होड़ हो सकती है किन्तु इन अधिकारियों पर क्यों इलजाम लगाया जाए ? अधिकारी सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। धन लेने के सम्बन्ध में आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। उन्हें यह देखना होता है कि वह औपचारिकताएं पूरी की गई हैं अथवा नहीं ? क्या ग्राहक ऋण चुकाने के योग्य हैं या नहीं। यदि हमारे दल के अधिक लोगों को ऋण की प्राप्ति हो रही है तो उसका कारण यह है कि कांग्रेस (इ) के अधिक कर्मचारी प्रशिक्षित है और हम फार्म सही भरते हैं और लोगों को बैंक ले जाते हैं और बैंकों से उन्हें ऋण देने के लिए कहते हैं। स्वतन्त्रतापूर्वक मैं इस कार्य में रत था और मुझ पर लगभग 2 करोड़ रुपये के वितरण का कार्य भार था। उन दिनों में बैंक नहीं होते थे। मैं एक चीनी के कारखाने के प्रबन्ध कार्य की देखभाल करता था और लोगों को बिना किसी जमानत के ऋण देता था। क्योंकि मैं हर आदमी को जानता था और ऋण की शत प्रतिशत वसूली भी करता था। मैं स्वतन्त्रता से पहले के दिनों की बात कर रहा हूं। प्रो० रंगा अच्छी तरह जानते हैं और कई बार कई चुनावों में उन्होंने मेरी मदद की। वे लोग अब कहते हैं "श्री रेड्डी आपने एक अफसर के नाते हमारी इतनी अधिक सहायता की पर अब आप संसद सदस्य बन गए हो और आप हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं।" मैं उन्हें कहता हूं कि "यदि आप चाहते हैं तो मैं संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता हूं और वापिस कारखाने का मैनेजर बनकर आ जाता हूं" और फिर आप लोगों को धन दूंगा। और वे कहते हैं। "नहीं जब हम आपका नाम रेडियो पर सुनते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि हम खुद बोल रहे हैं, हम खुश हैं..."

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई ऋण के लिए आवेदन दे तो आप जमानती बन सकते हैं। आप इन लोगों के लिए जमानती बन सकते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं ऐसा कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई संसद सदस्य ऋण लेने वाले व्यक्ति का जमानती बनेगा तो निश्चय ही वह उसे ऋण देंगे।

एक माननीय सदस्य : श्री रेड्डी की बात अलग है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : ऋण की वसूली भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई ऋण वसूली की जिम्मेदारी लेता है तो मेरे विचार में बैंकों को कोई आपत्ति नहीं होगी। बैंकों के पास जो धन है वह उनका अपना धन नहीं है। वह धन उन व्यक्तियों का है जो छोटी-छोटी रकमों में

उसे बैंकों में जमा करते हैं और जिस पर उन्हें थोड़ा ब्याज मिलता है। इसलिए उन्हें जनता के धन का ध्यान रखना होता है क्योंकि यह धन राष्ट्र का धन है। बैंक वाले मालिक नहीं हैं वे तो केवल धन के संरक्षक हैं। मैं चाहता हूं कि बैंक निर्धन व्यक्तियों को अधिक धन का वितरण करें।

राष्ट्रीयकरण से पहले कुछ बैंक इस कार्य को कर रहे थे। उन्होंने कुछ ग्रामों को चुन लिया था। मेरे अपने गांव में सिंडिकेट बैंक ने राष्ट्रीयकरण से काफी अरसा पहले यह शुरू कर दिया था। बाद में कुछ अन्य बैंकों ने भी उनका अनुसरण किया। प्राइवेट बैंक भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ होड़ लगा रहे हैं और यह एक बहुत अच्छा शकुन है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों को अधिक धन देने के लिए कदम उठाए जायें। हमें केवल उत्पादक कार्यों के लिए अधिकाधिक धन देना चाहिए ताकि घरेलू उपभोग की वस्तुओं के लिए। भवन निर्माण कार्यों पर भी कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिए क्योंकि यह भी अनुत्पादक कार्य है। निःसंदेह यह एक मूल आवश्यकता है। लेकिन ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाने चाहिए। ताकि लोग उसे उत्पादन कार्यों में लगा सकें और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। धन्यवाद।

श्री नुरुल इस्लाम (धुबरी) : बैंककारी विधि में किए गए संशोधनों का समर्थन करते हुए, मैं कुछ टिप्पणियां भी करना चाहता हूं।

हमारे देश की बैंककारी व्यवस्था को हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सरकार ने जो संशोधन पेश किए हैं वे न सम्पूर्ण हैं और न ही व्यापक। उसे ध्यान में रखते हुए बैंककारी प्रणाली में कुछ ऐसे परिवर्तन किये जाने चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हों।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है लेकिन हम बैंक अधिकारियों की मनोवृत्तियों को नहीं बदल सके, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है। उस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि सरकार को बैंकों के अधिकारियों की मनोवृत्ति बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए ताकि बैंक अधिकारी देश तथा देश की जनता के बारे में सोच सकें। उन्हें परम्परागत रूप से ही देश की जनता की मदद करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा अभिप्रेरक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिए। बैंक अधिकारियों पर दबाव डाला जाना चाहिए कि वे निर्धन लोगों की सहायता करें न कि धनी लोगों की।

सरकार को व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि वह कब तक देश की जनता को एक व्यापक तथा दक्ष बैंक सेवा उपलब्ध कराने जा रही है।

महोदय, सरकार ने एक बैंक शाखा और जनसंख्या का अनुपात 1 : 17000 रखा है। मैं नहीं जानता कि यह निर्धारण किस आधार पर किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में यह अनुपात 1 : 12,000 से 1,40,000 तक है। मैंने वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाने का काफी प्रयत्न किया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बैंक शाखा और जनसंख्या का अनुपात 1 : 1,20,000 से 1,40,000 तक है। मैं इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। 6 माह पूर्व मैंने उनका ध्यान इस ओर दिलाया था। अतः मैं मन्त्री महोदय से एक निश्चित उत्तर

लेना चाहता हूं कि वह विशेष रूप से मेरे निर्वाचन-क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं।

महोदय, यदि आप पिछड़े इलाकों में और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के कार्य-निष्पादन पर ध्यान दें, तो आपको उनकी स्थिति देखकर दुःख होगा। बैंक कर्मचारी इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं बता सकते कि वहां अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कमी है। वहां वित्त की कमी है, जिसके अभाव में वे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मदद नहीं कर सकते। चर्चा के दौरान जनता द्वारा मुख्य रूप से ये शिकायतें की गईं।

मैं वित्त मन्त्री तथा सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे बैंक कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों की जांच करें। मेरा विचार है सरकार बैंक कर्मचारियों को स्पष्ट मार्ग-निदेश दें ताकि वे ग्रामीण क्षेत्र में, कम से कम कृषि क्षेत्रों में सही अनुपात में पूंजी निवेश कर सकें। जहां तक मुझे जानकारी है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में बैंकों का निवेश न के बराबर है। अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंक यह दलील देते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लड़के अखिल भारतीय प्रतियोगिता में नहीं बैठ सकते। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश अधिकारियों का चयन उस क्षेत्र से बाहर से किया जाता है। उन्हें उस क्षेत्र के लोगों की भाषा समझ में नहीं आती है और न ही उन्हें उनकी बोली और उनके रिवाजों की जानकारी होती है। उसके परिणामस्वरूप, वे लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते। वास्तव में, ग्रामीण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। मैंने वित्त मन्त्री महोदन का ध्यान इस ओर भी दिलाया है और मैं इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आई० डी० बी० आई० और कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्य-निष्पादन की ओर दिलाना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य-निष्पादन खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं? मेरा अनुरोध है कि उन्हें वित्तीय संस्थानों का एक लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए कि वे इस प्रदेश में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में अनुपात में निवेश करें। मुझे विश्वास है कि यदि इन बैंकों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है, तो वे उन क्षेत्रों में काम कर रही परामर्शदात्री संस्थाओं के सहयोग से वहां उद्यम स्थापित करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे।

मुझे आशा है कि बैंक कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, मंत्री महोदय बैंकिंग विधि में कुछ अधिक उपयुक्त संशोधन करेंगे। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार के पास राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कार्य-निष्पादन का पता लगाने का कोई तंत्र उपलब्ध है। यदि नहीं, तो मुझे विश्वास है कि सरकार कम से कम कुछ प्रभावी उपाय करेगी ताकि प्रत्येक 3 महीने के बाद उनके कार्य-निष्पादन की जांच की जा सके। जब कभी हम राष्ट्रीय या आर्थिक कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसमें पैसे के लिये कानूनी रूप से मंजूरी दी जानी चाहिए। ताकि सरकारी कार्य अधूरा न रहे तथा वे विशेष रूप से इन क्षेत्रों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही अपना कार्य करें। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बैंककारी क्षेत्र में हमारे बहुमूल्य 20-सूत्री कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि हम इसकी जांच करें तो पता चलेगा कि इस समय ऐसा नहीं है। जहां तक डी० आर० डी० ए० ग्रहण योजना का

सम्बन्ध है, बैंक पद्धति के कारण ही सरकार पर्याप्त उन्नति नहीं कर सकती। सरकार बैंककारी पद्धति को और व्यापक क्यों नहीं करती ताकि डी० आर० डी० ए० योजना को और विस्तृत किया जा सके। मेरा अगला प्रश्न बैंकों में धोखाधड़ी, जालसाजी, छल, गबन, धोखेवाजी आदि के मामलों में हो रही अत्यधिक वृद्धि के सम्बन्धित में है। सरकार अपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन क्यों नहीं करती ताकि इसे राष्ट्रीय अपराध माना जाए और इसके लिए मृत्यु दंड दिया जा सके। साथ ही हम सब जानते हैं कि बैंकों में लूटपाट और डकैती के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार बैंकों में लूटपाट और डकैती के मामलों की संख्या कम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध क्यों नहीं करती। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि सरकार बैंकों में लूटपाट और डकैती की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है।

आप देखेंगे कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत उचित प्रशिक्षण लेने के बाद बहुत से युवक धन न होने के कारण बेकार बैठे हैं। मुझे आशा है कि युवा मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे। कम से कम बैंक को प्रत्येक शाखा में एक लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए कि उन्हें जिला औद्योगिक संस्थाओं के परामर्श से ग्रा० स्वरो० प्र० योजना में काफी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को धन देना चाहिए।

महोदय, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह यह है कि वित्तीय संस्थानों को पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण के विकास के लिये निवेश का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। महोदय, अन्ततः मैं अन्य प्रश्न पर बल देना चाहता हूं। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल के चयन के मामले में सरकार को मंडल की पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए। उसे विभिन्न हितों जैसे कृषि, छोटे व्यापारी, बड़े उद्योगपति आदि और सबसे अधिक प्रदेश के हितों आदि को निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अन्यथा कुछ प्रदेश उपेक्षित रह जाएंगे जबकि अन्य को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। इससे क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हो जायेगा जिसके रोष एवं असन्तोष बढ़ेगा। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को यह महसूस करना चाहिये कि वे देश तथा जनता के लिये ही बने हैं। नियम विनियम जनता की सुविधा के लिए बनाये गये हैं न कि बैंक के कर्मचारियों के लिए।

इन शब्दों के साथ, मैं बैंककारी विधि में किए गए संशोधनों का समर्थन करता हूं। महोदय, अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया।

मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस समय बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 पर वाद-विवाद किया जा रहा है। मुझे समाज के विभिन्न वर्गों से काफी अभ्यावेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों ने इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने का विरोध किया है जबकि अन्य लोगों ने विधेयक में रखे गये प्रस्तावों का स्वागत किया है।

मैं व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक का विरोधी नहीं हूं। उल्टे, मैं ऐसे प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मैं बैंकों के कार्यों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा यद्यपि मैं इस तथ्य से पूर्णतः अवगत हूं कि उप-मन्त्री, श्री जनार्दन पुजारी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बैंकों के कार्यों में सुधार करने के काफी प्रयत्न कर रहे हैं।

दुर्भाग्य से, राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के कार्यकरण में बहुत गिरावट आई है। विशेष रूप से, ग्राहकों की सेवा में कमी आई है। ग्राहकों की कोई परवाह नहीं करता क्योंकि वे समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सुविधाएं सुरक्षित हैं और सामान्यतः यह भी जानते हैं कि उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जायेगी। संसद को यह पता चला है कि बैंकों में धोखेधड़ी के सैंकड़ों मामले हुए हैं। रोज की लूटपाट आम बात हो गई है। इससे विशेष रूप से संसद सदस्यों को बेहद चिंता होती है क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य धोखे-धड़ी और लूटपाट नहीं है।

महोदय, धोखेधड़ी और लूटपाट का अन्य पहलू ऋण देने में अनियमितताएं बरतना है। इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। सर्वप्रथम, सरकार द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को आवंटित किये जाने वाले ऋण उन क्षेत्रों को उपलब्ध नहीं कराये जाते। उदाहरण के लिए, समितियों के रिकार्ड में यह है कि हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपये तथा लघु तथा सीमांत कृषकों को राजसहायता के रूप में 300 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। सरकार ने सदन में यह घोषणा की थी कि 5 वर्षों में इस विशेष कार्य पर 4,500 करोड़ रुपये खर्चा किए जायेंगे। अब, 300 करोड़ रुपये की राज सहायता का अभिप्राय ऋण देने से है। लोक लेखा समिति ने इस प्रश्न की जांच की—तथा समिति का ध्यान इस ओर दिलाया गया एवं इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है—कि लघु तथा सीमांत किसानों को दी जाने वाली राज सहायता का उपयोग नहीं किया गया था। 300 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए थे। प्रश्न उठता है कि इस धन का उपयोग क्यों नहीं किया गया। उत्तर यह था कि इसका उपयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बैंकों ने ऋण की मन्जूरी नहीं दी। अतः, राज-सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। बैंकों द्वारा समाज के निर्धन वर्गों के लाभ के लिए ऋणों की मन्जूरी नहीं दी जाती और इसीलिए राज-सहायता के उपयोग में कमी आई है। एक ओर यह स्थिति है।

महोदय, दूसरी ओर, सरकार को यह जानकारी है कि सैंट्रल बैंक द्वारा कपाड़िया ग्रुप को 25 करोड़ रुपये की रकम ऋण के रूप में दी गयी थी जिसे वसूल नहीं किया जा सका है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान ऐसे कई उदाहरणों की ओर दिलाना नहीं चाहता लेकिन मैं इस तरह की एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। एक ई. एस. ए. एल. ग्रुप है। यह ग्रुप लंदन में है। बिना ऋण पत्र और उचित मन्जूरी के इस ग्रुप को 45 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दे दिए गए थे। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस मामले की जांच की तथा बैंक प्रबन्ध पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यह 45 करोड़ रुपये एक * , के छोटे भाई, जो कि * में भारतीयों में जाने माने व्यक्ति हैं, को बिना ऋण पत्र के दिये गए थे।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मुझे ऋण की मन्जूरी देने पर आपत्ति नहीं है क्योंकि वह के छोटे भाई भाई थे, लेकिन यह ग्रहण मन्जूर किया गया था और रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने मामले की जांच की।

बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं। अब, इस मामले में क्या हुआ है? सम्बन्धित व्यक्ति** था, जो लन्दन में बैंक का प्रभारी था। उसने इसकी मन्जूरी दी। बाद में यह सज्जन व्यवस्थापक के रूप में इसी इ० एस० ए० एल० समूह में चले गए। यदि आपके बैंक व्यवस्थापक या अन्य बड़े पदाधिकारी नियमों और मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करके इस सीमा तक ऋणों की मंजूरी देते हैं और उसके बाद वे उन्हीं खास व्यापारिक गृहों में व्यवस्थापक के रूप में सेवा आरम्भ करते हैं तो क्या यह कपटपूर्ण नहीं है? आपने क्या निवारक कदम उठाए हैं? सेवा-निवृत्ति के बाद इन गैर सरकारी गृहों में नौकरी पाने के सम्बन्ध में क्या दिशा-निर्देश हैं। और यह सर्वविदित है कि सभी जगह यही होता है। आप देखते हैं कि लोग रक्षा सेवाओं से सेवा-निवृत्त होकर किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी या अन्य किसी बड़े व्यापारिक गृह में सेवा आरम्भ कर लेते हैं और फिर वहां उनके लिए सम्पर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार वे सरकारी सेवा में उनकी सहायता करने या उन विशेष संस्थाओं की तर्फदारी करने के लिए कुछ निहित स्वार्थ बना लेते हैं; और बाद में वे उनमें सेवा आरम्भ कर लेते हैं। यह स्थिति है जो हमें दिखाई दे रही है और इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह अपेक्षा करूंगा कि वे इस मामले से सम्बन्धित जानकारी सदन को दें। यदि उनके लिए आज मुझे उत्तर देना सम्भव नहीं है तो वे बाद में मुझे लिख सकते हैं कि इस बारे में क्या स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : अग्रवाल जी, आपने कुछ नामों का उल्लेख किया है; इसमें एक प्रकार का आरोप भी हैं···

श्री सतीश अग्रवाल : जी नहीं, श्रीमन्, कोई आरोप नहीं है, वे पहले ही सेवा-निवृत्त हो चुके हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह लिखित रूप में मुझे दे सकते थे। मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा, यदि कोई चीज शामिल नहीं की जानी है, तो मैं इसे निकाल दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं केवल यह कह रहा था कि वे प्रभारी व्यक्ति थे; वे सेवा-निवृत्त हो चुके हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह लिखित रूप में दे सकते थे।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं बिलकुल कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं माननीय मंत्री से यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि स्थिति क्या है, उन्होंने क्या कार्यवाही की है, वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख किया है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सतीश अग्रवाल : आखिरकार, कुछ बातों के सम्बन्ध में यहां नामों का उल्लेख करना ही पड़ता है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल नियम उद्धृत कर रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : वह ठीक है, श्रीमन्। इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है। इस विशेष संदर्भ में भी, संसद में उठे प्रश्नों से आप भली-भांति अवगत हैं। जब मंत्री प्रश्नों का उत्तर देते हैं और जब कुछ व्यक्तियों के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नियम 53 के अन्तर्गत अध्यक्षपीठ को कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती। आखिरकार, तथ्य तो तथ्य ही हैं। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। संसद में चर्चा इस प्रकार गोपनीय नहीं हो सकती। एक अन्य मामले में भी, जब संसद में रिलायंस टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज आदि से सांठ-गांठ के कुछ मामलों को लेकर इतना शोरगुल हुआ था तो सिंडीकेट बैंक के चेयरमेन श्री रघुपति को सितम्बर, 1983 में सेवा से हटा दिया गया था। उस सम्बन्ध में प्रश्न यह है ! अब, गैर सरकारी गृहों तथा गैर सरकारी संस्थाओं में पुनः रोजगार लेने या रोजगार पाने के सम्बन्ध में आप नियमों तथा मार्ग-निर्देशों में क्या संशोधन कर रहे हैं ? आयकर नियम के अन्तर्गत कुछ उपबन्ध हैं, सीमा-शुल्क नियम के अन्तर्गत एक उपबन्ध है, आपके सेवा-नियमों में भी कुछ ऐसा उपबन्ध है जिसके अधीन सेवा-निवृत्त अधिकारी अन्यत्र कहीं पुनः रोजगार नहीं पा सकते, विशेषकर उनके यहां जिनसे वे सरकारी सेवा के दौरान सम्बन्धित थे। बैंककारी क्षेत्र में व्यवस्थापकों के बारे में क्या आपने इस प्रकार के कोई मार्ग-निर्देश, अनुदेश या स्थायी आदेश तैयार किए हैं ? क्या सरकार ने या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रकार के कोई अनुदेश या मार्ग-निर्देश जारी किए हैं जिनके अन्तर्गत बैंककारी संगठनों के ऐसे चेयरमेन या मुख्य व्यवस्थापक किसी ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके साथ पहले वे लेन-देन करते थे, कोई नौकरी पाने के अपात्र होंगे ?

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और यदि वे अभी उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं तो वे बाद में मुझे लिख सकते हैं।

अब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आपके कंधों पर वहुत जिम्मेदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक एक सांविधिक प्राधिकरण है, यह संसद के अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। सारे देश में इसकी लगभग 30,000 शाखाएं हैं। जमा राशियां 70,000 करोड़ होंगी। विदेशी मुद्रा के कई लेन-देन तथा अन्य कई चीजें इससे सम्बद्ध हैं। प्रतिदिन हमारे पास कई प्रश्न आते हैं। क्या आप कृपया भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा बैंककारी क्षेत्र का परीक्षण लेखा परीक्षा आरम्भ करने पर विचार करेंगे ?

महोदय, जो स्थिति आज है, भारतीय बीमा निगम, सामन्य बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम तथा ये सभी सावधि ऋण संस्थाएं तथा अन्य बैंककारी क्षेत्र (जो देश की समग्र अर्थ-व्यवस्था को नियन्त्रित करते हैं) को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। और यदि इन्हें भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाता है, तो इन्हें लोक लेखा समिति या सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित समिति जैसी

महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के क्षेत्राधिकार से भी स्वतः बाहर रखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसदीय समिति (जिसमें सदन के सभी वर्गों से सम्बन्धित सभी दलों के सदस्य होते हैं) द्वारा इस प्रकार की सूक्ष्म संवीक्षा पर पूरी तरह प्रतिबन्ध है और श्रीमन्, इसलिए वह समय आ गया है जब सरकार को निजी लेखा परीक्षकों या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी लेखा परीक्षा करवाने की बजाए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराने की पद्धति शुरू करने सम्बन्धी प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इस प्रकार इनके कार्यकरण का निरीक्षण तथा जांच करने के लिए संसदीय समितिओं तथा वित्तीय समितियों के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना चाहिए। इससे इस विषय पर सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी कम हो जाएगी। इससे माननीय सदस्यों को बैंककारी क्षेत्र, जो आज भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, के समूचे कार्यकरण की अन्दरूनी छानबीन करने के लिए आवश्यक अवसर मिलेगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अन्त में, मेरा कहना है कि क्योंकि सरकार ने भारतीय जीवन बीमा विधेयक को प्रवर समिति की सौंपने के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट बजट सत्र के प्रथम सप्ताह में सभा को प्रस्तुत की जानी है, जिसके लिए मुश्किल से दो मास रह गए हैं, इसी प्रकार, यह बहुत अच्छा होता और मैं इसका अधिक स्वागत करता यदि सरकार ने इस विधेयक के बारे में भी हमारे अनुरोध पर विचार किया होता। मैं इस स्तर पर भी माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे अपने वरिष्ठ मंत्री से परामर्श करें कि क्या बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है, जो समूचे प्रश्न पर एक मास या छः सप्ताह के समय में विचार करेगी और मार्च के प्रथम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ताकि बजट सत्र के दौरान विधेयक के सभी उपबंधों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा तथा परीक्षण करने के बाद समूचा विधेयक पारित किया जा सके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हे मैं यहां दोहराना नहीं चाहता, जिनसे इस देश के लघु निवेशकों को जाली तथा नकली कम्पनियों, मालिकाना फर्मों तथा ऐसे ही लोगों द्वारा बनाई गई अन्य कम्पनियों ने ठगा है; जिसके अन्तर्गत 70 करोड़ रुपए का घोटाला कलकत्ता में तथा 50 करोड रुपए का घोटाला दिल्ली में प्रकाश में आया है। इसी तरह की एक फर्म शाहदरा में है, उन्होने लघु जमाकर्ताओं को अपना धन ऊंची ब्याज दर पर उनके पास जमा कराने के लिए कहा; जमाकर्ताओं ने धन जमा करवाया, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि उनका कार्यालय कहां है, नाम पट्ट कहां है और पदाधिकारी कहां हैं? उस पृष्ठभूमि में, लघु निवेशकों के हित में, इस बिधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन सरकार को यह अवश्य चाहिए कि वह लघु उद्योगों सहित जनता के सभी वर्गों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराए, जो कि इस समय उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि पूर्व-वक्ता ने कहा है।

अब आपने एक मानदंड रखा है कि प्रत्येक 17,000 या 18,000 लोगों के लिए बैंक शाखा होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ क्षेत्रों में 17,000 की जनसंख्या आपको 100 मील के क्षेत्र में मिलेगी। राजस्थान के जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों को देखिए। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों के लोगों की सेवा करने तथा उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जाल फैलाना होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संगठन अभी वैज्ञानिक आधार पर नहीं

किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य अनुसूचित बैंकों के कर्मचारियों के वेतन तथा परिलब्धियों में बहुत असमानताएं हैं तथा उनकी उचित शिकायतें हैं। मैं आपसे गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करें, जो लोगों की उनके घरों तक सेवा करते हैं। आप कृपया उनकी उन शिकायतों को दूर करने का प्रयास करें जिनकी ओर उन्होंने वोट क्लब पर प्रदर्शन करके ध्यान आकर्षित किया है। यह ठीक है कि मैं उनमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन मैं उनकी शिकायतों का प्रतिनिधित्व करता हूं। उनकी शिकायतें काफी उचित लगती हैं तथा आपको उन पर तुरन्त विचार करना चाहिए। आप कृपया उन पर विचार करें तथा बाद में मुझे उत्तर भेज दें कि आप उनके बारे में क्या करना चाहते हैं।

इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है, जिसके बारे में प्रतिवेदन दो मास के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : श्रीमन्, प्रारम्भ में मैं कहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस संशोधी विधेयक के बहुत से उपबन्ध प्राक्रियात्मक मामलों और कुछ सुधारों से सम्बन्धित हैं। नीति के प्रश्न से उनका बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना और अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करना मुझे कोई समझदारी की बात नहीं लगती।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन वर्षों में पूरे बैंक क्षेत्र का श्रेयस्कर प्रदर्शन रहा है और वित्त मंत्री को इस दिशा में बढ़ने के लिए राष्ट्र ने पूरी छूट दे दी है, किन्तु फिर भी वहां अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। बैंककारी आयोग 1972 ने कुछ मार्गनिर्देश बनाये थे, किन्तु मुझे सन्देह है कि उन मार्ग-निर्देशों का पूर्णत: पालन नहीं किया गया।

प्रारम्भ में, मैं गुप्त धन, जिसका उपयोग प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है, के बारे में छोटा-सा मुद्दा उठाऊंगा। गुप्त धन का उपयोग करने के बारे में क्या कोई मार्ग निर्देश है ? गुप्त धन का दुरुपयोग करने की बहुत-सी घटनाएं मेरे ध्यान में लाई गई। बहुत से अनपेक्षित उद्देश्यों के लिए गुप्त धन का उपयोग किया गया। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री सभा में इस बात पर प्रकाश डालेंगे। प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में क्या बैंको को मार्ग-निर्देश जारी किए गए अथवा नहीं और यदि जारी नहीं किए गए हैं तो क्या वह भविष्य में ऐसे मार्ग निर्देश जारी करेंगे ? मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम में कुछ सुधार किए गए हैं किन्तु मेरा निवेदन यह है कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय लिया है कि यद्यपि बैंक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति का उपयोग किया जा सकता है फिर भी वास्तव में यह सिद्ध करना होगा कि कारोबार की अवधि के दौरान ही लेखों को बनाया रखा गया। यह आवश्यक है। अत: मेरा निवेदन है कि शायद यह अच्छा होता यदि संशोधन में यह कहा जाता कि यह मान लिया जायेगा कि यह प्रमाणित प्रति उन्हीं लेखों की है, जिन्हें व्यापार के दौरान बनाया रखा जा रहा है जब तक यह अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाता शायद यह 1967 के गोहाटी बैंक के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए शायद यह समस्या का समाधान होगा।

श्रीमन्, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत में बैंकों के सीमा क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या की तुलना विकसित देशों से नहीं की जा सकती। किन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि इसमें काफी सुधार किया गया है। श्रीमन्, ऋण अंतराल बढ़ता जा रहा है। यद्यपि 600 करोड़ रुपये दिए गए थे, किन्तु उनका उपयोग नहीं किया जा सका। मेरा निवेदन यह है कि बैंकों को अपने आपको सूचनात्मक बैंक समझना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है, हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। वास्तव में, वाणिज्य और उद्योग के अग्रणी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए बैंक वित्त की काफी बडी रकम का उपयोग करते हैं तथा निर्धन और कमजोर वर्ग को उतना हिस्सा भी नहीं मिल रहा है जितना अपेक्षित है। मैं एक ऐतिहासिक घटना बताता हूं। बादशाह जहांगीर न्याय को और अधिक सुलभ बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक जंजीर लगायी और घोषणा की कि उनके साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए जंजीर खींच सकता है, वह उसकी सुनवाई करेगी। इसी प्रकार, बैंक की शाखाओं का विस्तार किया जा रहा है, कुछ शाखाएं खोली भी गई हैं और समाज के निर्धन तथा कमजोर तबके की सेवा करने के लिए उन्हें निधि भी दी जा रही है। किन्तु बात फिर भी वैसी ही है। जहांगीर अपनी जनता को न्याय प्रदान करने में असफल रहा क्योंकि इस भय से कि बादशाह नाराज हो जायेंगे, कोई भी बादशाह को परेशान करने के लिए जंजीर खींचने की कोशिश नहीं करता था। इसी प्रकार यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं हैं, किन्तु समाज के कमजोर तबके का कोई भी आदमी बैंक अधिकारी अथवा ऋण देने के लिए तैनात अधिकारी के पास नहीं पहुंचता है क्योंकि वह वहां व्याप्त वातावरण से डरे हुए हैं। इसीलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि बैंकों की एक सृजनात्मक भूमिका होनी चाहिए। संकफेलर ने सृजनात्मक भूमिका की परिभाषा यह की है कि ग्राहक का सम्मान होना चाहिए, व्यक्तियों का स्वागत करना चाहिए और उसमें लचक होनी चाहिए। उन्हें आशावादी होना चाहिये। किन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि सामान्यतया वे महसूस करते हैं कि यह कार्य सफल नहीं होगा। इस प्रकार नहीं किया जा सकता और आप जा सकते हैं। किसी भी तरह से वे लोगों को हतोत्साहित करते हैं तो वे उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे।

दूसरी बात यह है कि बैंकों को जोखिम लेने का साहस करना चाहिए और उनके दिमाद में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। अतः मेरा निवेदन यह है कि जब तक बैंकों के प्रबन्ध में सृजनात्मकता को शामिल नहीं किया जाता तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया का पुनर्विन्यास नहीं किया जाता, जैसा कि बैंककारी आयोग ने सिफारिश की है, तब तक मैं समझता हूं कि हम अपेक्षानुसार प्रगति नहीं कर सकते। निस्सन्देह, इस क्षेत्र में प्रगति हुई है और बैंक की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए तथा इस नीति को अपनाने के लिए कि कमजोर वर्गों की सेवा में भी तत्पर रहा जाए, आप बधाई के भी हकदार हैं किन्तु बात वहीं की वहीं है कि यह सम्भव नहीं हो रहा है।

मेरा अगला निवेदन यह है कि पिछड़े क्षेत्रों पिछड़े राज्यों और पिछड़ी जातियों की उचित देखभाल नहीं की जा रही है। मैं उड़ीसा का एक उदाहरण देता हूं वहां जो राशि जमा कराई जाती है उसे समृद्ध क्षेत्रों में लगा दिया जाता है। इसी प्रकार, मैं बताना चाहूंगा कि पिछड़े लोग, जन-जाति के लोगों की बिल्कुल भी सहायता नहीं की जाती है। एक नयी सांस्कृतिक दृष्टि बनानी

होगी और बैंक के अधिकारियों को उन लोगों के पास जाने में पहल करनी होगी। केवल नियमों को सरल बनाने से ऐसा नहीं होगा कि लोग बैंकों तक जायें और ऋण के लिए अनुरोध करें।

जब हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के पक्ष में सार्वजनिक सभायें आयोजित की थीं, और आप बैंक राष्ट्रीयकरण का विरोध करने वाली शक्तियों से भी परिचित हैं, लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे सम्मुख रखे थे। उन्होंने पूछा था कि यह कैसे है कि ब्याज पूंजी से भी दुगनी है। सामान्यतया, ऋणदाता अधिनियम बताता है कि किसी भी दशा में ब्याज मूल धन से दुगना नहीं होगा किन्तु जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, वहां ऐसा नियम नहीं है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस बात पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और ब्याज की दर मूल धन से दुगनी, तिगनी या पांच गुनी नहीं होनी चाहिए।

मेरा अगला निवेदन बैंक में धार्मिक संघों के अस्तित्व के बारे में है। मुझे खुशी है कि काफी समय से बैंकों में कार्मिक-संघों की गतिविधियां हैं किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों में कार्मिक संघों का होना कोई स्वस्थ लक्षण नहीं है। वे बैंककारी क्षेत्र की कार्यप्रणाली में सुधार करने के बारे में कभी नहीं सोचते वे यह कभी नहीं सोचते कि गलतियां कहां मौजूद हैं जिसके कारण राष्ट्र परेशानी में है और बैंकों की गतिविधियां क्यों अलोकप्रिय होती जा रही हैं। वे केवल व्यक्तिगत लाभ और परिलब्धियों की चिन्ता करते हैं। यह बिल्कुल ठीक है, किन्तु इसके साथ-साथ उनका एक व्यापक, बेहतर दृष्टकोण भी होना चाहिए। इसलिए, मेरा निवेदन है कि कार्मिक संघों का स्वस्थ-दिशा में विकास करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अग्रवाल ने बैंक-डकैती की घटनाओं का हवाला दिया। मैं जानता हूं कि बैंक-डकैती की प्रवृत्ति केवल भारत में ही नहीं है। यह सारे संसार में व्याप्त है। यह एक नयी प्रवृत्ति विकसित हुई है। इसीलिए, इस पृष्ठभूमि में हमें सफलता या असफलता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यदि इसकी आलोचना की जाती है तो इसे इस सन्दर्भ में देखना होगा कि क्या अपनी उस सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, जो उन्हें सौंपी गई है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और कामना करता हूं कि वित्त मंत्री बैंक-कारी क्षेत्र की कमियों पर गौर करेंगे और देखेंगे कि बैंक अपनी कार्य-प्रणाली में सुधार करें।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेन्दूर) : श्रीमन्, बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक के द्वारा नौ मुख्य अधिनियमों में संशोधन किया जा रहा है।

जमाकर्त्ताओं की एक विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक जनता से, फर्मों से और अन्य असमाविष्ट निकायों से जमाराशि की स्वीकृति पर रोक लगाने से सम्बन्धित खंड 9 और 10 का मैं स्वागत करता हूं। असावधान और अनभिज्ञ जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा की गयी है।

यहां, मैं निक्षेप बीमा अधिनियम के उपबन्धों को गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों—जिनमें सुरक्षा की गारंटी नहीं है, सावधि जमाराशि पर लागू करने की आवश्यकता पर बल देता हूं। बहुत-सी प्रमुख कम्पनियां जो यद्यपि कम्पनी अधिनियम द्वारा नियंत्रित हैं, जमाकर्त्ताओं से रुपया ऐंठती हैं। इन पर तुरन्त गौर किए जाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री समेकित ग्रामीण विकास, एन० आर० ई० और रोजगार गारंटी योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी-रेखा से नीचे के लोगों का उन्नयन करने की कोशिश कर रही हैं। सभा में हमें आश्वासन दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार अथवा इससे कम रुपये के ऋण पर बैंक जमानत नहीं मांगेंगे। किन्तु व्यावहारिक अनुभव यह है कि बैंक भू-जमानत मांगते हैं। कमजोर वर्ग जैसे आम आदमी और कारगर कहां से भू-जमानत लायेंगे? कारीगरों के पास केवल कुछ औजार होते हैं। जब वे बैंक के पास 2500 रु० के ऋण के लिए पहुंचते हैं तो बैंक उनसे 500 रु० की जमानत देने के लिए कहता है। प्रधानमंत्री और सरकार के सभी लोग कमजोर वर्ग के हितों की चिन्ता करते हैं। किन्तु गरीब लोग कैसे गारंटी देंगे?

आपको बैंकों को अनुदेश देना जाहिए कि जो लोग 5000 रुपए से कम का ऋण मांगते हैं उनसे भू-जमानत नहीं ली जानी एाहिए। केवल तभी आप गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का उन्नयन कर सकते हैं।

बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण 60,000 करोड़ रुपए के हैं जिसमें से 3,000 करोड़ के ऋण सारे देश में समेकित ग्रामीण बिकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए हैं। इसका अर्थ है, 57,000 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए दिए गए।

खासकर एक ऐसी घटना की मुझे व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी है कि मदुरै में विभागीय प्रबन्धक ने बैंक की शाखाओं को अनुदेश जारी किए हैं कि नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं को कार्यान्वित न किया जाये। इस घटना को मैं मंत्रालय में उप मंत्री के ध्यान में ला चुका हूं। उन्होंने उस अधिकारी के स्थानांतरण के अनुदेश जारी किये तथा 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में भी आवश्यक अनुदेश जारी किए। फिर भी, बैंक उनका कार्यान्वियन नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर मैं इस बात को वित्त मंत्रालय में उप मंत्री के ध्यान में लाया कि अधिकारी अब भी आराम से कार्य कर रहा है और 20 सूत्री कार्यक्रम शिथिल होता जा रहा है। इस प्रकार की घटनायें सारे देश में होती होंगी।

इसी प्रकार, बैंकों के प्रबन्धक दलालों के माध्यम से कुछ राशि मांगते हैं। प्रत्येक शाखा में दलाल मौजूद हैं। केवल दलालों के माध्यम से ही जनता प्रबंधक तक पहुंच सकती है। छोटे और लघु उद्योगों को ऋण की मंजूरी देने से पहले इस तरह की बातें हो रही हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, जहां कहीं ऐसे मामले ध्यान में लाए जाएं वित्त मंत्रालय को उन पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए।

इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा एक ग्राहक को सभी ऋण-सुविधाएं रोक दी गईं क्योंकि उसने प्रबन्धक का हर हुक्म बजाने के लिए मना कर दिया था उसने इस बारे में सरकार को लिख दिया, अतः बकायाराशि की वसूली के लिए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गयी। वह लगभग पचास वर्षों से बैंक का ग्राहक रहा है, फिर भी, उसकी यही नियति है। मैं यह घटना भी उप मंत्री के ध्यान में लाया। उन्होंने कुछ आदेश अवश्य जारी किए, किन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

यह भी कहा गया है कि वहां जिला स्तर पर और प्रखण्ड स्तर पर समन्वय समितियां हैं—वित्त सचिव ने एक बैठक में इसलिए यह कहा कि यह निश्चित किया गया है कि बैंक द्वारा दी गई ऋण-सुविधाओं की पुनरावृति न हो सके। मैं जानता हूं कि वहां ऐसी कोई समिति नहीं है, जिसके साथ स्थानीय संसद-सदस्य जुड़े हुए हों। मैं जिला स्तर या प्रखंड स्तर की समिति से जुड़ा हुआ नहीं हूं। अत: मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि वहां समिति मौजूद है? वहां ऐसी कोई समिति कार्य नहीं कर रही है। जिला स्तर की समितियों से संसद-सदस्यों को सम्बद्ध किया जाना चाहिए केवल तभी कारगार समन्वय हो पाएगा और बीस सूत्री कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

उप मंत्री ने बैंको में अनुशासन के बारे में बताया। आप सभी ने इसका जिक्र किया। मैं इसकी सराहना करता हूं। किन्तु नयी दिल्ली में एक बैंक की शाखा में एक कर्मचारी ने अन्य लोगों की उपस्थिति में एक शाखा प्रबन्धक को थप्पड़ मारा और वह सदमे से मर गया। यह संसद मार्ग के बैंक में हुआ। ऐसे दु:साहसी कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यह घटना एक-डेढ़ साल पहले हुई थी।

मुझे कहना पड़ेगा कि बैंकों की शाखाओं की ठीक से लेखा-परीक्षा नहीं होती है। मुझे बताया गया कि 6 हजार बैंक शाखाओं में से केवल 18 बैंक-शाखाओं की लेखापरीक्षा की गयी। स्वाभाविक है कि यदि लेखा परीक्षा का भय नहीं होगा तो बैंकों में कदाचार बढ़ेगा।

मैं माननीय उप मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरे सुझावों पर ध्यान दें तथा कारगर कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो यह बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक सदन में लाए हैं, मैं इस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि महारे राष्ट्रीयकृत बैंक होने की वजह से सारे देश के अन्दर बड़ा लाभ हुआ है लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी तरफ से ऐसी बातें कही जाती हैं और हमारे अग्रवाल साहब ने भी फरमाया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक होने की वजह से डाके ज्यादा पड़े हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि डाके तो पहले भी ज्यादा पड़ते थे जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं थे लेकिन अब क्योंकि बैंकों में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि गरीब लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके, इसलिए अब उन लोगों को भी इनका फायदा मिलने लगा है।

मैं आपके जरिये से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि जिस इलाके से मैं आता हूं—मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं—वहां पर बैंकों की ब्रान्चेज का बहुत अभाव है और उसके कारण हमारे यहां गरीब लोग उनसे फायदा नहीं उठा पाते हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर गरीब लोगों ने बैंकों में सी० टी० डी० एकाउन्ट्स में और दूसरे खातों में बहुत ज्यादा पैसा जमा कराया है लेकिन जो धन इकट्ठा हुआ है, उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे यहां कुल ब्रान्चेज शहरों में तो हैं लेकिन जो दूरदराज के इलाके हैं और जहां बर्फ पड़ती है या ऐसे इलाके हैं, जहां पर आजादी का अभाव है, वहां पर बैंकों की ब्रान्चेज नहीं हैं क्योंकि आप कहते हैं कि इसके लिए

30 हजार की आवादी होनी चाहिए। कोई कहता है कि 1 लाख से ऊपर वाली आबादी वाले शहरों में ही बैंक की सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे यहां तो एसेम्बली सीट के लिए पापूलेशन 50 हजार से ज्यादा नहीं है। अब नये स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक कुछ बढ़ी है। इस कारण हिमाचल प्रदेश में और ब्रान्चेज खुलने की जरूरत है।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोग तो बैंकों की नौकरी के मामले में जीरो हैं क्योंकि बैंक के एग्जामिनेशन्स टफ होने के कारण वहां के लोग उनमें नहीं आ सकते और मैदान से जो लोग पहाड़ों पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, वे वहां ठहरना नहीं चाहते। वे वहां पर लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि पहाड़ी लोगों को तंग करने के लिये वहां जाते हैं। वे कम्पलेंट करा देते हैं ताकि उनकी कहां से बदली हो जाए।

मेरे क्षेत्र में बहुत सी जगहों पर हाई स्कूल नहीं हैं। हाई स्कूल और कालेज में पढ़ने के लिए किसी को शिमला जाना पड़ता है, किसी को चण्डीगढ़ जाना पड़ता है। अपने घर से दो-दो, तीन-तीन सौ किलोमीटर हमारे पहाड़ी इलाके के बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। हमारे यहां आजकल बर्फ पड़ती है और आजकल हमारे यहां तीन महीने के लिए स्कूल और कालेज बन्द रहते हैं। अगर हमारे पहाड़ के बच्चे कहीं से पढ़-लिखकर आ भी जाएं तो भी वे गवर्नमेंट के महकमों के लिए या बैंकों के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाते। आपके बैंकों में पहाड़ी लोगों को बहुत कम रिप्रेजेन्टेशन मिला हुआ है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप पहाड़ी लोगों को ठीक ढंग से फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर वहां के लोगों को ट्रेनिंग देकर तैयार कीजिए और उनको नौकरी देने का प्रावधान कीजिए।

इसके अलावा बैंकों से उद्योगपति हरियाणा में भी लोन ले लेते हैं, फिर हिमालच प्रदेश में भी लोन ले लेते हैं। वही हाल पंजाब के बड़े लोगों का है। वे लोग भी बार्डर एरिया के लिए स्कीम बनाकर पास करा देते हैं और पंजाब के बैंकों से भी लोन ले लेते हैं और हिमाचल के बैंकों से भी लोन लेते हैं। फिर वे कारखाने नहीं लगाते जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। जो पैसा पंजाब के लोगों को हिमाचल प्रदेश में इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिलता है, उस पैसे का वे सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे अपनी स्कीम मंजूर करा कर पैसा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उस पैसे का वे मिसयूज करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कारखाने लगाते हैं, मेक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कारखाने नहीं लगाते हैं। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के लोग नौकरियों से वंचित रह जाते हैं।

आपके प्राइवेट कारखानों में भी यही हो रहा है और जो हमारे राष्ट्रीय कारखाने हैं जिनमें कि हिन्दुस्तान के खजाने का पैसा लगा हुआ है, जो राष्ट्रीय कारखाने हैं, उनमें भी बांटा जा रहा है। आप किसी भी कारखाने को ले लें जिनमें कि गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। उनमें जो अफसर हैं वे ऐसे नहीं हैं जिनसे कि आपके कारखानों का घाटा पूरा हो सके। अपने खजाने को खोखला होने से बचाने के लिए आपके प्रबंध स्ट्रोंग होने चाहिए। यह नेशन का पैसा है।

कई मित्रों ने यहां कहा कि गरीब लोगों की मदद के लिए 9 सौ करोड़ रुपये का टारगेट रखा गया है लेकिन यह 9 सौ करोड़ रुपया गरीब लोगों के लिए खर्च नहीं हुआ है। यह पैसा इस-

लिए खर्च नहीं होता है कि जो बड़े-बड़े आदमी हैं वे अपने कामों के लिए बैंकों से पैसा ले लेते हैं। जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, उसको बैंकों से पैसा नहीं मिलता है। गांव के गरीब आदमी को पैसा नहीं मिलता है। आप गरीब आदमियों को बीस सूत्री प्रोग्राम दें तभी उन लोगों की हालत अच्छी होगी। अगर गरीब लोगों को सही मदद मिले, उनके लिए पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो तो उनको लाभ पहुंच सकता है। लेकिन पैसे का सही यूटिलाइजेशन नहीं होता है। बड़े आदमी छोटे-मोटे कारखाने लगाने के लिए पैसा लेते हैं लेकिन वे कारखाने न लगाकर और चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं। कोई कोई तो कार खरीदने में पैसा लगा देते हैं। इससे आपके ड्यूज भी बढ़ते जाते हैं।

इससे इस देश के अन्दर एक बात पैदा हो रही है। ऐसे लोग ही फिर डाके मारने वाले लोगों में शामिल होते हैं। हमारे हिमाचल में तो कहीं डकैती नहीं होती, लेकिन पंजाब और दिल्ली में यह होती है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपके बैंकों से कई आदमी बिना गारन्टी के, बिना प्रोसीजर के और बिना किसी लिखाई-पढ़ाई के पैसा ले लेते हैं। आपके आफिसर लोग ये पैसा देते हैं। ऐसे अफसरों को बैंकों में नहीं रखना चाहिए जो कि आपके बैंकों का दिवाला पीटने के लिए वहां जाते हैं। आपको एडवांस वसूल करने के लिए अफसरों का टारगेट भी फिक्स करना चाहिए कि उन्हें इतनी रिकबरी इतनी दिनों में आनी है। तभी आपके बैंक काम कर सकते हैं, तभी देश आगे बढ़ सकता है। अगर बैंकों का पैसा हम गलत आदमियों के हाथों में जाने दें तो इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। इससे हम लोग जो गरीब आदमियों की मदद करने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं, उस काम में भी ज्यादा मदद मिल पायेगी। इसके बगैर बैंकों का काम सफल नहीं होगा। गरीब आदमी तभी आगे बढ़ सकेगा जब बैंकों की पूंजी ठीक तरह से गरीब आदमी के पास पहुंचेगी। आज हमारे किसानों को बहुत परेशानी होती है। चाहे किसी भी चीज का बीज हो या प्लांटेशन लगाना हो, उसके लिए ऋण लेने के लिए कई-कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। समय में पैसा मंजूर नहीं होता। इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि गरीब आदमी को, किसान को समय के अन्दर पैसा मिल सके। तभी उसकी तरक्की हो सकेगी। गरीब लोगों का बैंकों में पूरा योगदान है। उन लोगों द्वारा बैंकों में पैसा जमा किया जाता है लेकिन उसके मुताबिक उनको सहायता प्राप्त नहीं होती। इसके लिए मैं माननीय पुजारी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अफसरों पर कन्ट्रोल करें और उनको निर्देश दें कि गरीब आदमियों की तरफ अधिक ध्यान दिया जाए। जब हमारी वाकई में इस प्रकार की मंशा होगी तभी इस देश को बनाने वालों का कल्याण हो सकेगा। तभी हम गरीब आदमी को उठा सकते हैं। नारे से नहीं उठा सकते। प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि नारों से कुछ नहीं होगा। अभी हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने फ्लोर मिल लगाई है उनको उसके बाद सेलर लगाने के लिए सबसिडी दी जा रही है। अभी आसाम के भाई बतला रहे थे कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में ऐसे आदमी रखे जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि किसान की क्या कठिनाइयां हैं। किसानों के लिए उनकी ही क्लास का आदमी होना चाहिए तभी वह किसानों का भला कर सकता है। इसी प्रकार हरिजन और आदिवासियों के कल्याण के लिए उन्हीं की क्लास के आदमी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं

होगा तो आज जो लोग बैठे हुए हैं उनके रिश्तेदार ही उसमें सलेक्ट होंगे और एक क्लास पैदा हो जाएगी। गरीब आदमी को उसमें कोई स्थान नहीं मिलेगा। न शहर के गरीब आदमी का भला होगा न गांव के गरीब आदमी का भला होगा।

यह जो बैंकिंग ला अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन इन बातों पर विचार करने की जरूरत है। जब तक गरीब लोगों को फायदा नहीं देंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकेगा। प्राइवेट उद्योगों और सरकारी कारपोरेशंस को जो लोन दिए गए हैं उनको देखिए कि उसमें कितना ओवर ड्यू है और वह किस तरह से वसूल हो सकता है ताकि काम ठीक प्रकार से चल सके। मेरा अनुरोध है कि इन बातों की ओर ध्यान देकर जो कदम प्रधान मंत्री जी ने गरीबों के लिए उठाने के लिए बताए हैं उनको उठाकर बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। इन बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री भुवनेश्वर भूयन (गोहाटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने से पहले सर्वप्रथम मैं वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बैंककारी नियमों में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। उन्हें बधाई देते हुए मैं उनका ध्यान कुछ प्रमुख तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान तथा साथ ही असम में 1979 से वर्तमान स्थिति के बारे में मेरे समक्ष आये हैं। मुझे आशा है कि वह इस पर विचार करेंगे तथा अगर आवश्यक हो तो कुछ उपबंधों के लिये उपयुक्त संशोधन करेंगे।

आरम्भ में ही मैं यह बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस इरादे से किया गया था कि सार्वजनिक धनराशि दलित और निर्धन लोगों को उपलब्ध करायी जायेगी।

14.02 **[श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए]**

किन्तु 14 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी बैंक ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान कुछ बैंकों के कार्यकरण की ओर दिलाना चाहूंगा, खास तौर पर डी० आर० डी० योजना को लागू करने के बारे में, तथा वह भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में। डोबोका में स्थित यू० सी० ओ० बैंक ने डी० आर० डी० योजना के अंतर्गत बहुत से प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये हैं तथा उन्होंने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन रखे हुए हैं।

इसी तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य ब्लाक रामपुर में यू० सी० ओ० बैंक की पालासमेरी शाखा में डी० आर० डी० योजना के अंतर्गत प्रायोजित 196 योजनायें प्राप्त की गई हैं जिनमें से 149 लम्बित पड़ी हुई हैं। एक और मामले में विजय नगर में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को 64 योजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 53 लम्बित हैं। चाय गांव में डी० आर० डी० योजना के अंतर्गत इस प्रकार की योजनाओं से सम्बद्ध सभी आवेदन पत्र मंजूर नहीं किये गये हैं। जब मैंने इस बारे में पूछताछ की, बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि जब तक सम्बन्धित क्षेत्र अधिकारी इसे प्रमाणित नहीं कर देता है तब तक वह राशि मंजूर करने की स्थिति में नहीं है। तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक बैंक की इस शाखा में किसी भी क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है।

मेरी हाल ही की यात्रा के दौरान एक अन्य मामले के सम्बन्ध में मुझे बैंक मैनेजर से मिलने

का मौका मिला, जो कि एक बैठक में भाग लेने के लिये इच्छुक नहीं था जिसे कि 20-सूत्री कार्यक्रम तथा डी० आर० डी० योजना के क्रियान्वयन के लिये एक स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में होना था।

अब अगर यह उदाहरण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के सभी भागों में बहुत से मामले होंगे जहां पर जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक खोले जा रहे हैं, अगर स्थिति यह है, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिये गये इस आदेश की पूर्ति अथवा प्राप्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं। दलित लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाये। मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री जी के पास इन समस्याओं की काफी विस्तृत गुंजाइश है तथा वह इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे और आवश्यकता होने पर संशोधनों को भी लायेंगे।

मैं आपका ध्यान असम राज्य में 1979 से चल रहे आंदोलन से अब तक की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जबकि राज्य सरकार अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हटाया गया कि उनको अपना कर्त्तव्य न करने पर उनकी तनख्वाह काट ली जायेगी तथा अन्य दण्डात्मक उपाय किये जायेंगे किन्तु केन्द्र सरकार के वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों तथा जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जैसी राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम अथवा सामान्य बीमा निगम की अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध की गई। उलटे मैंने यह पाया है कि यहां तक क्षेत्रीय मैनेजर तथा बैंकों के शाखा मैनेजर भी उन दिनों अनुपस्थित थे। मैं यह दुहरा नियम नहीं समझ सका कि एक तरफ उस समय राष्ट्रपति शासन में तथा अब कांग्रेस के शासन में राज्य सरकार अनुशासन बनाए रखने पर जोर दे रही है तथा अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर रही है कि उन्हें काम पर उपस्थित रहना चाहिए अन्यथा उनका वेतन काटने के अतिरिक्त उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी और दूसरी तरफ असम में सभी सरकारी वित्तीय संस्थानों में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इसके पीछे मुझे कोई तर्क समझ नहीं आया।

क्या मैं यह भी कह सकता हूं कि असम में इन वाणिज्यिक संस्थानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों का रोज का कार्य की स्थिति शोचनीय है। उदाहरण के लिये अगर कोई व्यक्ति बचत खाते से सामान्य से चैक को भी भुनवाने जाता है तो उसे कभी कभी एक अथवा डेढ़ घंटे तक इन्तजार करना पड़ता है। असम में वित्तीय संस्थानों की इतनी अधिक दुर्दशा है। और वर्तमान में असम में वह सबसे ज्यादा खराब हालत में हैं। क्या मैं आपके माध्यम से हमारे वित्तीय मंत्री जी से कह सकता हूं कि वे असम में वित्तीय संस्थानों के कार्य में सुधार करने तथा इस अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिए कुछ कार्य करें। मैं उनसे यह भी आग्रह करूंगा कि कार्मिक संघों की नियमित गतिविधियों करने के लिए आवश्यक प्रावधान बनायें किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि आप बैंक के कर्मचारियों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को अपनी मनमर्जी करने दें जैसा कि वर्तमान में असम में हो रहा है।

ये कुछ इस तरह की गम्भीर बातें देश के उस भाग में हो रही हैं, इस पर मन्त्री महोदय

ध्यान देंगे और मुझे आशा है कि इसे ध्यान में रखकर वह आवश्यक संशोधन करेंगे और उचित कदम उठायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : राष्ट्रीयकृत बैंकों का हमारा तजुर्बा लम्बा नहीं है। इसलिए इसके बारे में जो कानून और नियम आदि बने हैं उनमें समय-समय पर तजुर्बे के अनुसार परिवर्तन हो यह वाजिब ही है। जो संशोधन इस कानून में पेश किए गए हैं उनमें एक विशेष यह है कि अगर किसी डिपाजिटर की मौत हो जाए तो नामिनी मुकर्रर करने का उन लोगों को हक प्राप्त हो जाए और एक्सेशन एक्ट के नीचे जो लम्बी कार्रवाई करनी पड़ती है अपना हक जमाने के लिए उस मुसीबत से उनको छुट्टी मिल जाए। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं।

ग्रामीण बैंक भी हमारे देश में बने हैं। इन बैंकों को स्पांसर करने वाले दूसरे कई बड़े बैंक हैं। लेकिन इनमें जो सर्विस रूल हैं और उनके नीचे जो नियम और उपनियम होने चाहिए, वे अभी तक नहीं बने हैं। इसका बड़ा भारी असर इन बैंकों में नौकरी करने वाले लोगों पर पड़ता है। ये लोग कनफ्यूज्ड हैं। उनके जो मामले होते हैं उनको निपटाने का भी कोई तरीका होना चाहिए, कोई विधि होनी चाहिए। उनकी सर्विस कंडीशंज तथा दूसरी बातें व्यवस्थित न होने की वजह से उन मामलों को निपटाने में बहुत कठिनाई होती है और कई तरह के मामले सर्विस क्लास के लोगों के पैंडिग हैं। मेरा निवेदन है कि ग्रामीण बैंकों में सर्विस करने वाले लोगों के लिए भी कायदे कानून बन जाने चाहिएं और उनके वास्ते भी वही नियम होने चाहिए जो दूसरों के लिए हैं।

एक खास बात मैं कहना चाहता हूं। जिस प्रकार की हमारी इच्छा नहीं थी उस प्रकार की कार्रवाई आज भी बैंकों में होती हैं। बैंकों में हमने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से रिश्वत और भ्रष्टाचार का काम चलेगा। बड़ा दुख होता है, आज कोई भी आदमी किसी प्रकार का लोन लेना चाहे, चाहे ट्रक के चेसिस का लोन हो, बैल का छकड़े का या निजी चीज के लिए लोन लेने जाए खास तौर के छोटे काश्तकार की बात मैं करता हूं, उसका लोन मंजूर होने में बहुत समय लग जाता हे। अगर लोन मंजूर हो जाता है तो उसमें सबसीडी का मामला आ जाता है, बैंक के कर्मचारी उसका अधिग्रहण कर लेते हैं और उस आदमी को लोन काफी कम मिलता है। बैंक से लोन लेने में उसके साथ छीना-झपटी होती है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। मेरी कल्पना नहीं थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस प्रकार से कार्यवाही होगी।

बड़े लोग तो उन लोगों से आसानी से मिल जाते हैं और उसमें और भी बड़ा मामला होता है जिसमें कि बैंक वालों का हिस्सा होता है। यह बात मैं तजुर्बे से कह रहा हूं, मिलने-जुलने वालों से बात-चीत होती है, निश्चित रूप से तुजुर्बा है इसलिए निश्चित रूप से जोर देकर कहना चाहता हूं कि बैंकों में इस बात को आप कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आपको सख्ती करनी पड़ेगी। बैंकों में लोगों को अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं फिर भी इतना मालूम है कि एक छोटा-सा बैंक मैनेजर अगर 2,3 साल नहीं रह जाता है तो वह 2, 4 लाख रुपये लूटकर वहीं से निकलता है। इस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार आजकल बैंकों में हो रहा है, इसके बारे में आप विशेष रूप से ध्यान दें। कुछ ईमानदार आदमियों की ज्यादा भर्ती हो, अच्छे लोग इसमें ज्यादा आयें, आपको इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी।

गरीब लोगों को बैंकों से समय पर लोन नहीं मिल पाता है। जिस काम के लिए लोन चाहिए जिस समय चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर या सीड के लिए चाहिए जो कि खेती के लिए खास समय पर किसान को चाहिए, उस समय अगर लोन किसान को मिले तो उसे फायदा होता है, को-आपरेटिव बैंक्स में तो जरूर इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि गरीब लोगों को समय पर दिया जाए लेकिन दूसरे बैंकों में इस तरह की फाइलें लम्बी चली जाती हैं और समय पर उनको लोन मिलता नहीं है। इससे किसान को नुकसान होता है और समय पर लोन मिलने से उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो सकती थी, वह कम हो जाती है क्योंकि उस पैसे का वह सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह से बैंकों का ओवर-ड्यू बढ़ जाता है। अगर लोगों पर कर्जा बढ़ता चला जाए और वसूली ठीक से न हो तो आखिर में इसका बहुत बड़ा असर देश की इकनामी पर पड़ता है।

मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि लोन लोगों को ठीक समय पर दिया जाए और उसी से ठीक समय पर रिकवरी हो सकती है। लोगों को समय पर अपनी इंस्टालमैंट देने में सहूलियत मिल सकती है। जिस परपज के लिए लोन दिया जाए अगर उसी परपज में उसका खर्च हो तो उसका रिटर्न प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ठीक मिलने लगेगा। इस व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से हमें जमाना पड़ेगा, इस पर विशेष ध्यान देना होगा।

अन्त में ज्यादा समय न लेकर मैं रूल बैंक के लोगों की सर्विसेज के बारे में फिर निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों का पालन होना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं बैंकिंग लाज (अमैंडमेंट) बिल 1983 का समर्थन करता हूं। सबसे पहला मेरा सुझाव है कि बैंकों की जितनी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहियें, उसकी अभी तक कमी है। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमारे राजस्थान में रीजनल रूरल बैंक कहीं-कहीं स्थापित हुए हैं। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर इनकी शाखाओं की स्थापना नहीं हुई है। आपने जो हिसाब लगाया है कि 17 हजार पर एक, उस हिसाब से जब तक आप बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं खोलेंगे, तब तक लोगों को उनका जितना फायदा मिलना चाहिए, नहीं मिल सकेगा। यह व्यवस्था निश्चित तरीके से बहुत आवश्यक है।

मैं अपनी कास्टीटुएंसी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भीलवाड़े में बैंकों की बहुत कमी है। रिजनल रूरल बैंकों और को-आपरेटिव बैंकों के जरिये से ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, जिससे वीकर सैक्शन्ज, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों और एग्रीकल्चरिट्स की खेती-बाड़ी और बच्चों की पढ़ाई वगैरह की तमाम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जब तक हम बैंकों के जरिये से उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, तब तक उनका शोषण समाप्त नहीं होगा। आप किसी भी काश्तकार की जमीन का एसेसमेंट कर लें और उसके आधार पर उसकी साल भर की आवश्यकताओं का भी एसेसमेंट कर लें और उसे एक पास-बुक मुहैया करा दें, जिससे उसको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बराबर कर्जा मिलता रहे, उसकी प्रोडक्शन में कोई कमी न हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे और उसको शोषण से मुक्ति भी मिल जाए।

बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि नैशनलाइजेशन के बाद बैंकों में किस प्रकार की अव्यवस्था हो गई है। इसमें दो राय नहीं हैं कि नैशनलाइजेशन के बाद बैंकों की जमा-पूंजी बहुत बढ़ी है, उनकी शाखायें भी बहुत खोली गई हैं और लोगों को कर्जा भी बहुत मिलने लगा है। लेकिन इसके साथ यह भी देखने की जरूरत है कि एक कस्टमर और दुकानदार के बीच जो व्यवहार होना चाहिए, क्या बैंकों के द्वारा वह डिपाजिटर्ज को उपलब्ध किया जा रहा है या नहीं। बैंक के बाबू हों या मैनेजर, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि डिपाजिटर पैसा जमा करवाता है या नहीं, उसको पैसा वक्त पर मिलता है या नहीं। वे लोग इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। नैशनलाइजेशन के बाद बैंकों में यह जो गैर जिम्मेदारी की भावना आ गई है, उसकी कुछ वजह ट्रेड यूनियनें भी हैं। मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी उसमें काम करता हूं। लेकिन उसकी वजह से यह जो बुराई आ गई है, उसको दूर करना चाहिए। जब तक यह भावना रहेगी, तब तक यह मूवमेंट ठीक प्रकार से नहीं चलेगी। इसलिए बैंक-कर्मचारियों की परफारमैन्स को कटौती बनाकर या अन्य प्रकार से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वे लोगों के साथ सद्भावना से व्यवहार करें।

मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड़ में यह प्रावधान है कि लोन के दुगने से ज्यादा पैसा वसूल नहीं किया जा सकता। लेकिन बैंक जिस तरह से गरीब आदमियों को लूट रहे हैं, क्या मंत्री महोदय ने उस पर तवज्जह दी है या नहीं ? अगर एक आदमी को पांच हजार रुपए का लोन दिया जाता है और फेमिन, बाढ़, फसल नष्ट होने या किसी और नैचरल कैलेमिटी की वजह से वह डिफाल्टर हो जाता है, तो उससे तीन चार गुना पैसा वसूल किया जाता है। मेरे जिले भीलवाड़ा में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लोगों से तीन चार गुना ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है और लोगों की जमीन जायदाद नीलाम की जा रही है। इसको रोका जाना चाहिए।

हम काश्तकार को इसलिए पैसा उधार देते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, लेकिन अगर उसका मकान, जमीन और ऐसेट्स नीलाम करा दिए जाएं, तो इससे उसकी स्थिति पर बहुत बुरा असर रड़ेगा। जब क्रिमिनल प्रोसिजर कोड का प्रावधान दूसरों पर लागू है, तो वह बैंकों पर लागू क्यों नहीं किया जाता ? पुराने जमाने में जिस तरह पठान सूद को बढ़ाकर पैसा वसूल करते थे और लोगों का शोषण करते थे, बैंकों द्वारा उससे भी ज्यादा शोषण किया जा रहा है। इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है। अगर इसको नहीं रोका जाएगा, तो काश्तकारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक निवेदन यह है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स हों, चाहे वे भारत सरकार के हों या प्रोविंशियल सरकारों के हों, इनमें किस प्रकार से पैसे को एडवांस किया है, क्या इसके सम्बन्ध में भी आपको जानकारी है ? वहां पर किस तरह का करप्शन फैला हुआ है ? मैं खास तौर से अपने जिले के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यहां दस हजार स्मॉल-स्केल इन्डस्ट्रीज बनीं, उनमें 15 परसेन्ट सब्सिडी का मामला है, क्योंकि वहां पर बैकवर्ड इलाका है। सब्सिडी का पैसा लोग खा जाते हैं और जो लोन लिया जाता है, उसके रि-पेमेंट का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इन फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स में बड़ा करप्शन हैं। लोन देने के लिए परसेंटेज बंधा हुआ है। इस परसेन्टेज के हिसाब से यदि उनको दे दिया जाता है, तो जितना मर्जी

चाहो पैसा ले लो। यह भी नहीं देखा जाता है कि कोई जैन्युइन केस है या नहीं है। उनको तो सिर्फ अपने बंधे हुए पैसे से मतलब है। इस बारे में यहां पर कोई रोक-टोक नहीं है। मैंने कई दफा आपका ध्यान आकर्षित किया है। भीलवाड़ा जिले के अन्दर ही दो बड़ी कम्पनियां हैं। एक मेवाड़ टैक्सटाइल और दूसरी भीलवाड़ा टैक्सटाइल—इन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं। उसमें भारत सरकार का जितना पैसा था, आई० डी० एम० ए० का जितना पैसा उसमें फंसा हुआ था, उसको खत्म करने के लिए ही उन्होंने नई कम्पनी बना ली है। इस सम्बन्ध में आपको चिट्ठी लिखी तो कह दिया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स से ताल्लुक है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपके यहां से 12 करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ है। इस प्रकार आपके पैसे उन्होंने सिक यूनिट बताकर अपने दूसरे एसैट्स खड़े कर लिए हैं। इस तरीके से जो काम करता है, उसके खिलाफ आपको कदम उठाने चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

एक बात मैं डायरैक्टर्स के नोमिनेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि ऐसे वेस्टेड इन्टरैस्ट के डायरेक्टर्स बन जाते हैं, जो अपनी कम्पनी को पैसा दिला देते हैं और दूसरी कम्पनी को अपने यहां से पैसा दिला देते हैं। इस प्रकार के फ्रोड्यूलेंट लोगों के खिलाफ शिकायतें भी आई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि आपको काश्तकार का डायरैक्टर बनाना है, तो काश्तकार का ड़ायरैक्टर बनाना चाहिए। यदि आपको आर्टिसन का डायरैक्टर बनाना है तो आर्टिसन का डायरैक्टर बनाना चाहिए। आप करते यह हैं कि जो दिल्ली में आर्टिसन की बहुत बड़ी दुकान खोलकर बैठा है, उसको डायरैक्टर बना देते हैं। लेकिन जो खुद गांव में बैठकर काम करता है, जो असली आर्टिसन है, उसको डायरैक्टर नहीं बनाते हैं। ऐसे फाड्यूलैंट लोगों को ले लिया जाता है, जो सारा इस प्रकार का काम करते है। इसके सम्बन्ध में भी कोई न कोई निश्चित तरीके से कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो फ्राड के केसेज हो रहे हैं, फोरजरी के केसेज हो रहे हैं, मिस-एप्रोप्रिएशन के केसेज हो रहे हैं, रोवरी और डाक्यटी के केसेज हो रहे हैं, इनको रोकने की क्या व्यवस्था आपने की है। इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान आपने नहीं किया है। यदि इस सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहता है, कितने मिसएप्रोपिएशन हुए हैं, कितने फाड्यूलैंट एक्ट हुए हैं या अन्य प्रकार की चीजें हुई हैं। तो कहा जाता है कि ये सिक्रेट बातें हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। जब इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है, तो ऐसी हालत में बैंकों के अन्दर जो गलत काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार आवाज बुलन्द की जा सकती है। उनको रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या इसके सम्बन्ध में कोई मशीनरी इंवाल्व की है, जिसके जरिए इस प्रकार के एक्ट्स को रोका जा सके। बैंक जब नैशनलाइज नहीं हुए थे, उस समय इस प्रकार के फ्रेडुलैंट एक्ट्स और चीटिंग के केसेज बहुत कम होते थे, लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपके कर्मचारी स्वयं इसमें लिप्त होते हैं। चाहे मैनेजर हो, कैशियर हो, एकाउन्टैन्ट हो—सब इस तरह के कामों में लिप्त हैं और उनके जरिए ही फाइलैंट एक्ट्स और मिसएप्रोप्रियेशन होता है। जब तक आप

उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अगर आप ट्रेड यूनियनों के दबाव में आ जायेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमारी यह बैंकिंग इंस्टीचूशन बिलकुल बरबाद हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें तथा उसकी जानकारी भी लोगों को होनी चाहिये। इन-इन लोगों ने ये-ये कारनामे किए हैं और उनके खिलाफ सरकार ने बैंक अथारिटीज ने ये-ये कार्यवाही की है।

हमारी प्रधानमंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया है जिसके अधीन आई० आर० डी० पी० और 'ट्रायसम' के प्रोग्राम चलते हैं। इन कार्यक्रमों में बहुत घपला है। आई० आर० डी० पी० के अधीन जो लोन दिया जाता है उसमें जो सबसिडी का एमाउन्ट होता है उसको ये लोग खा जाते हैं, उस गरीब तक पहुंचने नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम के अधीन आपकी मंशा यह है कि लोगों को गरीबी की सतह से ऊपर उठाया जाय, लेकिन उस उद्देश्य का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि आई० आर० डी० पी० के अधीन लोन और सबसिडी दी जाती है वह पूरी उस गरीब तक पहुंचे। इसी तरह से जो ट्रायसम का कार्यक्रम है उसमें ट्रेनिंग के दौरान 150-200 रुपये माहवार स्कालरशिप दिया जाता है लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद स्माल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए जो लोन और सबसिडी मिलती है उसमें से सबसिडी खा जाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप निश्चित तरीके से ऐसी व्यवस्था करें कि यह रुपया उस गरीब तक पूरा पहुंच सके।

बैंकों के लिए आप प्राइवेट आडिटर्स रखते हैं जिनसे बैंक के अंदरूनी मामलों की जानकारी सरकार को नहीं मिलती है। वहां जो गड़बड़ पाई जाती है उसके बारे में न पार्लियामेंट को पता होता है न जनता को कुछ मालूम हो पाता है। जब हमारे यहां आडिटर जैनरल हैं, तो इस बैंकों के आडिट का काम भी उनकी मार्फत किया जाये जिससे वहां जो गड़बड़-घुटाला हो रहा है उनकी जानकारी हमको मिल सके।

ब्लौक लेविल पर आपने बैंकों की एडवाइस के लिए कमेटी बनाई हुई है लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेबल पर कोई कमेटी नहीं है और जो है उसमें कलैक्टर और सरकारी अधिकारी होते हैं जिसकी वजह से वहां जो गड़बड़ होती है उसकी जानकारी हमको नहीं हो पाती है। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर भी आप कमेटी बनायें जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हों, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेबल पर बैंकों के लोन में जो गड़बड़ होती है उसको ठीक किया जा सके।

आपने जो अमेण्डमेंट्स पेश की हैं वे निश्चित रूप से ठीक हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर भी विचार किया जाय ताकि वहां अच्छी व्यवस्था हो सके और जनता को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : माननीय सभापति महोदय, मैं महसूस करता हूं कि हमारे बैंकिंग क्षेत्र उस स्तर तक पहुंच गया हैं जहां पर कि ये बहुत अच्छी तरह संगठित हैं। बम्बई में रिजर्व बैंक के हैडक्वार्टर पर जाने का मुझे मौका मिला और मैं रिजर्व बैंक की दक्षतापूर्ण कार्य को देखकर संतुष्ट था। किन्तु वहां मैंने यह भी देखा कि रिजर्व बैंक अपने कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है। मैंने बिल्कुल अभी कहा है कि रिजर्व बैंक की कार्य दक्षता को देखकर मुझे संतोष

हुआ। किन्तु जब मैंने जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के सम्बन्ध में मामला उठाया। खासतौर पर स्टेट बैंक का, तो रिजर्व बैंक जांच कराने के लिए तैयार था, किन्तु मैंने उन्हें बताया कि यह कोई तरीका नहीं है, हमें एक प्रकार के संस्थागत निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिये। अत: मैं एक सुझाव दूंगा। रिजर्व बैंक के अनेक काम हैं परन्तु इसका मुख्य कार्य प्रभावी रूप में कार्य-दरों में ऋण सप्लाई पर नियन्त्रण करना है। जहां तक राष्ट्रीयकृत क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं विभिन्न बैंकों के कार्यों से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मुझे जम्मू एवं कश्मीर में इन बैंकों के कार्यों का अनुभव है। मेरे अनुभव के अनुसार ये राष्ट्रीयकृत बैंक अपना कार्य उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं एक प्रकार की लूट हो रही है। कौन-सा निकाय है जो इसे देख सकता है। देश में सिर्फ रिजर्व बैंक आफ इंडिया ही इसे देख सकता है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने पर हमें बहुत-सी आशाएं थी, किन्तु मैं नहीं समझता कि इस प्रणाली से लोगों की आकांक्षाएं पूरी हुई हों। मैं नहीं जानता। क्या माननीय मंत्री जो कि इस समय बिल्कुल अकेले उस तरफ बैठे हैं, यह तथ्य जानते हैं कि हमने 5000 करोड़ रुपये की ऋण राशि की व्यवस्था की थी, जिसे बैंकों को दे दिया गया और एक आरोप है कि 5000 करोड़ रुपये में से सिर्फ 300 करोड़ रुपये ही ग्रामीण क्षेत्र में दिये गये हैं। जब राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो देश को बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति आ जायेगी और बहुत से लेख अखबारों में छपे। यह भी कहा गया था कि गांधी जी का स्वप्न साकार होगा और बैंकों के जरिये ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक विकास कार्य किये जायेंगे, क्योंकि बैंक विकास के साधन थे। अगर यह आंकड़े सही हैं—क्योंकि यह अधिकतर समाचार-पत्रों में उद्धृत किये गये हैं और मंत्री जी अच्छी तरह जानते होंगे—देश में 5000 करोड़ रुपये की ऋण राशि बैंकों द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र को सिर्फ 300 करोड़ रुपये ही मिले हैं मैं कहूंगा कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा एन० आर० ई० पी० जैसी कुछ प्रशंसनीय योजनाएं हैं। ये प्रधानमन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रमों की भांति ही अच्छे कार्यक्रम हैं। कुछ लोग सम्पर्क कार्यक्रम का राजनैतिक उपयोग करते हैं। किन्तु अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते। मैं समझता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम के जरिये देश में बहुत कुछ किया जा सकता था। और इसी प्रकार ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आई० आर० डी० पी० तथा एन० आर० ई० पी० योजनायें भी बहुत ही प्रशंसनीय हैं। किन्तु मैं नहीं समझता कि ये योजनाएं उचित रूप से लागू की जा रही हैं और जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इन संस्थानों द्वारा किये गये कदाचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे ही आप बैंक में जाते हैं, आपको बैंक पर विश्वास करना पड़ता है। आप पैसे जमा कराते हैं तथा आपको चैक बुक प्राप्त होती है तथा आप काउन्टर से हट जाते हैं। मामला यहीं समाप्त हो जाता है। बैंकर तथा ऋणी के बीच वास्तव में क्या होता है। खासतौर पर उस व्यक्ति को, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आता है, कोई नहीं जानता। इस बारे में मैंने कुछ बातें रिजर्व बैंक को बताई और वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे एक जांच करवाने जा रहे थे, शायद उन्होंने यह किया भी हो। मैं रिजर्व बैंक के तदर्थ तरीके से जांच करवाने से ही संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं एक नाम का उल्लेख करूंगा—स्टेट बैंक आफ इंडिया। क्योंकि उस बैंक की कार्य नीति के विरुद्ध वहां बहुत ही शोर

मचा हुआ था। जिला विकास बोर्ड की बैठक में जिसमें कि मंत्रिमण्डल तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, कूपवाड़ा में हुई जो कि जिले का मुख्यालय है। और वहां पर लगभग आधे दर्जन लोग स्टेट बैंक आफ इंडिया के कार्यों के विरुद्ध लिखित शिकायतें लेकर आये थे तथा यह सभी शिकायतें ऋण देने की प्रक्रिया से सम्बन्धित थीं। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि बैंकों से ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया का उचित ढंग से प्रचार नहीं किया जाता है। देश के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से कूपवाड़ा की तुलना की जा सकती है। हमारे देश के लोग अनपढ़ हैं, उनमें से 70 से 80 प्रतिशत तक। ऋण देने सम्बन्धी बैंकों की प्रक्रिया का प्रचार सदैव केवल अंग्रेजी भाषा में ही होता है। हम बैंकों की रंगीन विवरण पुस्तकाओं आदि से बैंक की सफलता का गुणगान करते हुए देख सकते हैं। किन्तु वे अपनी योजनाएं कभी भी ऐसी भाषा में नहीं छापते जो कि बैंक में आने वाले व्यक्तियों को समझ आ सके। यह कभी-कभार उर्दू में होते हैं और डोगरी अथवा कश्मीरी में कभी भी नहीं। यह हमेशा अंग्रेजी में ही छापे जाते हैं। अतः इस प्रकार से एक प्रकार की गोपनीयता बनाये रखते हैं। कोई नहीं जानता कि प्रक्रिया क्या है। अगर आप मैनेजर अथवा चेयरमैन से बात करेंगे तो वह बतायेंगे कि यह बहुत ही आसान चीज है। परन्तु अनपढ़ व्यक्ति को बैंक से उधार लेना होता है। वह तभी जान सकता है अगर उसे अच्छी तरह समझाया गया हो। जैसा कि प्रचार हमेशा ही अंग्रेजी में होता है। बैंक लोगों तक नहीं पहुंच पाते। लोगों को कहा जाता है कि वे स्वयं ही समझें। अगर उन्हें समझ नहीं आता तो वे बैंक सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

जैसा कि मैंने पहले बताया, अन्ततः जिला बोर्ड की बैठक में विचार रखे गये थे कि विभिन्न योजनाओं के दौरान पैसा उन लोगों को दिया गया जिनकी पहुंच थी और उन व्यक्तियों को नही जो जिन्हें पैसे की आवश्यकता थी। इस प्रकार से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त था। मुझे खासतौर पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया के बारे में बताया गया था। हो सकता है दूसरे बैंकों में भी ऐसा ही रहा हो। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। 'X' राशि अगर जम्मू एवं कश्मीर में निवेश की गई। उसका 80 प्रतिशत उन लोगों को मिलता हैं। जो बैंक में कार्यरत कर्मचारियों को रिश्वत दे सकते हैं। मैनेजर तथा अध्यक्ष के बीच बहुत बड़ी दूरी है। उस बैंक के अध्यक्ष तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच काफी बड़ा अन्तर है। अगर वहां कोई शिकायत है, रिजर्व बैंक इसे देखेगी। मैं चाहता हूं कि सुधार सुसंगत हों।

जम्मू एवं कश्मीर में जो पैसा जमा कराया जा रहा है तथा उधार दिया जा रहा है उस पर मुझे कुछ आधारभूत आपत्तियां हैं। वहां पर लोगों को शिकायत है। शायद वित्त मंत्री उसे अच्छी तरह जानते हों कि ऋण देने में कितना अधिक भ्रष्टाचार है। जहां तक स्टाफ की भर्ती का सम्बन्ध है, विभिन्न शिकायतों से पता चलता है कि वे स्थानीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रोत्साहित नहीं करते। अगर मन्त्री जी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो मैं उनको विस्तृत ब्यौरा दे सकता हूं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य से 80 प्रतिशत जमा राशियां राज्य से बाहर ऋण के रूप में दी जाती हैं। स्टेट बैंक आफ इण्डिया के बारे में मुझे निश्चित रूप में मालूम है। अगर जम्मू और कश्मीर के व्यक्तियों को समझ में आने वाली स्पष्ट नीति द्वारा ऐसा किया गया होता तो मुझे कोई आपत्ति

नहीं है क्योंकि हमारा देश एक है। अगर पैसा राज्य के बाहर दिया जाता है, तो मुझे इस सिद्धांत पर आपत्ति नहीं है। किन्तु अगर जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लोग ऋण चाहते हैं और उन्हें यह प्राप्त नहीं होता है और बैंक राज्य के बाहर पैसा निवेश करती है तो ये उचित नहीं है। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि 25550 करोड़ रुपये जो कि देश में बड़े पैमाने के उद्योगों को लगाने के लिए दिये गए थे, उसमें जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा 0.06 प्रतिशत था। इस संदर्भ को देखते हुए राज्य में ऋण देना सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए था। जम्मू एवं कश्मीर जैसे गरीब राज्य की 80 प्रतिशत जमा राशियों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा राज्य के बाहर दे दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि अन्य बैंक भी ऐसा ही करते हैं। जमा राशि का 80 प्रतिशत जम्मू और कश्मीर के बाहर दे दिया जाता है। जमा राशि का 20 प्रतिशत जो जम्मू और कश्मीर में ऋण देने के लिए बचता है वह उन लोगों को प्राप्त हो जाता है जो कि बैंक के उच्चाधिकारियों को रिश्वत दे सकते हैं। आप स्वयं ही देख सकते हैं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों के जरिये से किस प्रकार का सुधार प्राप्त किया है।

हमें बताया गया था कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण क्षेत्र को 3000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। हमें प्रश्न पूछना है—क्या यह पैसा जरूरतमन्द व्यक्तियों को मिलेगा ? मंत्री जी को हमारी उचित शंका का जवाब देना पड़ेगा और उनको आश्वासन देना होगा कि जो पैसा ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जायेगा वह सही व्यक्तियों को ही मिलेगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि वित्त मंत्रालय भी मेरे द्वारा उठाये गए मामलों पर गम्भीर रूप से ध्यान देगा।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आप अपने राज्य में क्यों नहीं प्रश्न पूछते ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अन्ततः जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। अगर आप कृषि विकास के बारे में बोलते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि यह राज्य का विषय है। आपके पास कृषि मंत्रालय है।

श्री बूटा सिंह : सभापति महोदय, उन्होंने विशेष रूप से एक मुद्दा उठाया है·····

सभापति महोदय : वित्त मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री बूटा सिंह : हमारी जिम्मेदारी पैसा देना है।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे सभा में पुरःस्थापित किया गया है और सत्ताधारी तथा विपक्ष, दोनों दलों के सदस्यों ने उस पर विचार व्यक्त किये हैं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां 75% लोग रहते है, बैंककारी सुविधाएं पहुंचाना है। राष्ट्रीयकरण से पहले देश में प्रति 65000 व्यक्तियों के पीछे बैंक की एक शाखा थी। अब मोटे तौर पर 18,000 लोगों के पीछे एक शाखा है तथा लक्ष्य 17,000 लोगों के पीछे एक शाखा खोलने का है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व देश में 8262 शाखाएं थीं और अब

45,000 हैं। उन दिनों देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाई से 74 शाखाएं थी, अब वहां उनकी संख्या बहुत अधिक है। बैंककारी संगठनों की आलोचना करते समय हमें वित्त मन्त्री द्वारा सभा में की गई इस टिप्पणी को ध्यान में रखना चाहिए कि देश में इस संगठन का व्यापक विकास हुआ है लेकिन लोगों तक इस सेवा को पहुंचाने के लिए आवश्यक आंतरिक ढांचे तथा विशेषज्ञता की बहुत कमी है। यद्यपि सरकार की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सहायता देने की है तथापि वे उन्हें पूर्णतया सन्तोषजनक सेवा नहीं दे पाये हैं। बैंक अधिकारियों, सरकार तथा कर्मचारियों की आलोचना करके सभा उनके साथ न्याय नहीं करेगी। हमें बैंककारी संगठन के वर्तमान ढांचे, ग्राहक सेवा तथा सरकार द्वारा लागू ऋण नीति को देखना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक कारण विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय तथा सामाजिक असंतुलन को दूर करना था। एक समय ऐसा था जब यह संगठन समाज के दुर्बल वर्ग की पहुंच में न था।

ऐसा समय भी था जब अत्यन्त पिछड़े राज्यों को बैंकों से इतनी अधिक सहायता नहीं मिलती थी। आप अपने राज्य पश्चिम बंगाल को ही लें, राष्ट्रीयकरण से पूर्व अधिकांश बक ग्रामीण क्षेत्रों में न होकर कलकत्ता नगर में ही केन्द्रित थे। अब वे उन क्षेत्रों में भी फैल गए हैं और लोग लाभ उठा रहे हैं। महोदय, लोगों को लाभ देने के लिए हमारे पास इस विचारधारा के प्रति वचनवद्ध बैंक अधिकारी तथा कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन साथ ही हमें जिम्मेदार लेनदार भी चाहिए। अपने राज्य में मैं 20 सूत्री समिति का सदस्य होने के नाते बैंककारी संगठन, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य संगठनों से सम्वद्ध हूं। सदैव बैंकों को उत्तरदायी ठहराना या यह कहना कि वे कुछ काम नहीं करते उचित नहीं है। यह कहना भी ठीक नहीं कि बैंक सहयोग नहीं करते। हमें जिम्मेदार लेनदार भी होना चाहिये जो बैंक से लिया हुआ पैसा समय पर लौटा दें ताकि पैसे का लेन-देन होता रहे। देश भर में ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो रही है कि सरकार पैसा दे रही है तो ले लो और फिर न लौटाओ या जिस प्रयोजनार्थ उसे लिया गया है; उसके लिए न प्रयोग करो। यह रवैया रहने पर बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों या सरकार को दोष देना उचित नहीं। लेकिन बैंक कर्मचारियों को ही दोष दिया जाता है। धन देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को मार्ग निर्देश दिये गए हैं। बैंक अधिकारी प्रक्रिया पूरी करके ऋण देते हैं। ग्राहक और बैंक के बीच अन्य बातों को छोड़कर आपसी विश्वास का सम्बन्ध होना चाहिए। यदि बैंक द्वारा ग्राहक में व्यक्त विश्वास को ग्राहक बनाये नहीं रखता तो बेचारे बैंक अधिकारी या कर्मचारी क्या कर सकते हैं। जैसा रिजर्व बैंक के एक उच्च अधिकारी तथा अन्य व्यक्तियों ने बताया है, कई बार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जबकि मूलतः वे उसके लिए उत्तरदायी नहीं होते। मैं स्टेट बैंक या किसी अन्य बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों का बचाव करने का प्रयास नहीं कर रहा। लेकिन यह ऐसा पहलू है जिसके बारे में संसद सदस्य, राजनीतिक दलों के नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के दिमाग को मोड़ सकते हैं कि जो पैसा वे ले रहे हैं, वह राष्ट्र का है और यदि वे उसका उचित उपयोग नहीं करते तो उनकी अगली पीढ़ी या उनके निकट सम्बन्धियों को कष्ट उठाने पड़ेंगे। लेनदारों में यह ईमानदारी तो आनी ही चाहिए।

विधेयक को पुरःस्थापित करते समय वित्त मंत्रालय के माननीय उपमन्त्री श्री जनार्दन पुजारी ने कहा है कि उन्होंने बैंककारी आयोग, 1972 के प्रतिवेदन तथा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को पढ़ा है। उन्होंने किसी पुरुष या महिला जमाकर्ता या लॉकर-

धारी की मृत्यु हो जाने पर उनके हितों के संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने इस नाजुक मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का प्रयास किया है क्योंकि उसके कारण पश्चिमी बंगाल में अनेक लघु निक्षेपकर्ताओं को अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन मैं अपने राज्य असम की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं तीन मिनटों में बात समाप्त कर दूंगा। जबकि पूरे भारत में प्रति 17000 लोगों के बीच एक शाखा खोलने का मानदण्ड है, असम में प्रति 31,545 लोगों के पीछे एक शाखा है। अखिल भारतीय दर के हिसाब से असम 533 शाखाओं से पीछे है। केवल इतना ही नहीं रिजर्व बैंक द्वारा 109 लाइसेंस जारी किए गए हैं। लेकिन विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोल रहे हैं। मैं वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री श्री फुल्लरी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विशेष समस्या की ओर ध्यान देकर इन शाखाओं को चालू करायें अन्यथा हमें बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी। मेरे मित्र श्री नुरुल इस्लाम ने भी इस बात की ओर मन्त्री जी का ध्यान दिलाया है।

मैं एक अन्य बात जरूर कहूंगा। प्रति 17,000 लोगों के पीछे एक शाखा खोलने की बात पर विचार करते समय आप दूरस्थ क्षेत्रों में संचार साधनों की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखें और प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति तथा मुख्य शाखा से संचार सम्पर्क की स्थिति को ध्यान में रखकर लोगों की संख्या कम निर्धारित करें।

असम में कुछ शाखाएं ऐसी हैं जो 30 या 35 मील दूर रहने वाले लोगों की जरूरतें पूरी करने का काम भी देखती हैं। लेनदारों को जो मुख्यत: जनजातियों के हैं, अपने गांवों से काफी दूर बैंकों के पास आना पड़ता है। उनके लिए यह काफी महंगा पड़ता है। अत: मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पहलू को भी देखें।

अनेक माननीय सदस्यों ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर विस्तार से विचार व्यक्त किए हैं। मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन असम में जून, 1983 में बैंकों में 55,000 मामले निपटाने बाकी थे। जब राज्य स्तर पर हमने समिति की बैठक आयोजित थी, जैसा मैंने कहा कि मैं बैंककारी संगठन का सदस्य हूं, तो उन्होंने कहा कि वे आवेदनों पर विचार करने हेतु तैयार हैं लेकिन उनके पास कर्मचारियों की कमी है। बैंककारी सेवा आयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती में तेजी लानी चाहिए। निस्संदेह हम इस क्षेत्र के बैंकों के आभारी हैं क्योंकि वित्त मन्त्री के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही में प्रत्येक बैंक के लिए एक कार्यकारी दल की व्यवस्था की गई है। जब भी किसी विशेष शाखा में बहुत अधिक काम निपटाये जाने से रह जाता है, वहां इस कार्यकारी दल को भेजा जाता है ताकि मामलों का निपटान हो सके। लेकिन यह एक तदर्थ उपाय है। प्रत्येक शाखा के लिए आवश्यक कर्मचारी रखे जायें और कर्मचारियों के नियुक्त करते समय स्थानीय लोगों को नियुक्त करने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये।

जैसा मैंने कहा है हमारा क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से भी यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ है और मैं वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री जी से, जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को देखें। जब हम पत्र लिखते हैं तो उत्तर मिलता है,

"इसकी जांच की जा रही है" और उसे कर्मचारियों के पास भेज दिया जाता है। परन्तु मन्त्रालय में अधिकारियों द्वारा इसका अनुसरण नहीं किया जा रहा है। जब हम लघु उद्योगों और मध्यम उद्योगों के बारे में पत्र लिखते हैं तो अधिकारियों के लिए यह सोचना गलत होगा कि हम सरकार के समक्ष कुछ विशेष मामले लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक क्षेत्र विशेष के उद्यमियों को बैंकिंग संगठन से वह मार्गदर्शन और प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। चूंकि विपक्ष और सत्ताधारी दल के कई सदस्यों ने यह कहा है कि यदि मुझे जानकारी होती कि बैंकों का प्रबन्ध कैसे किया जाता है तो मैंने यह सब कर दिया होता। यदि मुझे यह जानकारी नहीं है कि बैंकों का प्रबन्ध कैसे किया जाना है तो मैं यह कार्य नहीं करा सकता। केवल इसी कारण लघु उद्योगों और मध्यम दर्जे के उद्योगों को ऋण देने के दृष्टिकोण में नवीनता लाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक लड़के को सरकारी सेवा या निजी नौकरी में रखना हमारे लिए बहुत कठिन है। हमें अपने उद्योग का अवश्य ही विकास करना चाहिए और इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि यह कार्य हो जाए।

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बैंक संगठन को सरकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करने का अनुदेश दिया जाए। एक योजना है जिसका नाम समेकित शहरी विकास कार्यक्रम आई० यू० डी० पी० है। इस प्रयोजनार्थ मेरे राज्य में छः कस्बों को लिया गया है। पश्चिम बंगाल में 13 कस्बों को लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 40 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा और 40 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा तथा 20 लाख रुपये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जाने हैं। पहले मैंने यह सोचा था कि यह योजना केवल असम के लिए है। जब हम राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास जाते हैं तो वे अपना भाग नहीं देते हैं। विभिन्न राज्यों में अधिकांश योजनाएं म्यूनिसिपल बोर्डों द्वारा प्रायोजित की जाती हैं और यदि आप म्यूनिसिपल बोर्डों को उनके लेखापरीक्षित लेखाओं का ब्यौरा देने के लिए कहेंगे तो बहुत कठिनाई होगी क्योंकि उनके लेखाओं का लेखापरीक्षण ए०जी० अथवा "लोकल एक्जामिनर आफ एकाउंट्स" द्वारा किया जाता है। परन्तु बैंक प्राधिकारी म्यूनिसिपल बोर्डों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से गत पांच वर्ग के परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। यह प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

दूसरे वे यह कहते हैं कि आप अपनी "परिसम्पत्तियों और देनदारियों" की सूची प्रस्तुत करें। एक म्यूनिसिपल बोर्ड की परिसम्पत्तियां और देनदारियां सरकार द्वारा निहित सम्पत्ति होती हैं और यदि आप उसका मूल्यांकन करना चाहें तो इसमें और 6 से 7 महीने तक लग जायेंगे। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उनका मंत्रालय पूरे देश में छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों को विकसित करने की निर्माण और आवास मंत्रालय की योजना हेतु ऋण देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्थायी अनुदेश जारी करें कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार, जिसने छोटे बाजार अथवा बड़े बाजार के निर्माण के आर्थिक पहलू पर विचार कर लिया है, द्वारा प्रस्तुत योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है तो बैंकिंग संगठन को मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। मेरे अपने राज्य में, सिल्वर म्यूनिसिपल बोर्ड इसी कारण से नुकसान उठा रहा है। मेरे विचार में बहुत से अन्य म्यूनिसिपल बोर्ड भी नुकसान उठा रहे होंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने का आग्रह करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। यह वियधेक देश के विकास और बैंकिंग क्षेत्र में सहायक होगा। महोदय, इस विधेयक पर वोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का रचनात्मक सुझाव देने और रचनात्मक आलोचना करने के लिए अत्यन्त आभारी हूं। कल 8 माननीय सदस्यों ने इस वाद विवाद में भाग लिया था और आज लगभग 12-13 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का जवाब देने से पहले, मैं क्षमा चाहता हूं कि चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं आज और कल उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर नहीं दे सकूंगा।

इस विधेवक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय मैंने इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं बताई थीं। अत: मैं उन सबको एक बार फिर दोहराना नहीं चाहता। इसलिए मैं अपने उत्तर को वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा।

जहां तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का संबंध है, यह मुद्दा इस विधेयक पर वाद विवाद के दौरान सदन में उठाया गया था, मैं यह निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व 19 जुलाई, 1969 तक 8321 बैंक शाखायें थीं, और आज पूरे देश में 42,027 शाखायें हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है। राष्ट्रीयकरण के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 1830 शाखायें थीं अर्थात 22 प्रतिशत और इस समय 22,000 से अधिक शाखायें हैं अर्थात 53 प्रतिशत शाखायें हैं। इस प्रकार हम ग्रामीण क्षेत्र का ध्यान रख रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे पास 1982 से मार्च, 1985 के बीच तक के लिए ब्रांच लाइसेंसिंग नीति है। इस योजना के अनुसार हमें पूरे देश में 10,000 शाखायें खोलनी हैं। जिन जिलों में कम शाखायें हैं, ऐसे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हमें 7,540 बैंक शाखायें खोलनी हैं। राष्ट्रीकरण से पूर्व इस देश की 65,000 आबादी के पीछे केवल एक बैंक शाखा थी। आज अखिल भारतीय औसत के अनुसार 16,000 आबादी के पीछे एक शाखा है।

मार्च, 1985 तक हमारा उद्देश्य ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के सभी जिलों में 17,000 आबादी के पीछे एक बैंक शाखा खोलने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के कम शाखाओं वाले जिलों में 7540 शाखायें खोलने जा रहे हैं।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, मेरे माननीय मित्र श्री सन्तोष मोहन देव ने कहा है कि वहां एक लाख से भी अधिक आबादी के पीछे केवल एक बैंक शाखा है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि 1,30,000 की आबादी के पीछे केवल एक बैंक शाखा है।

मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इस समय ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कितनी आबादी के पीछे एक बैंक शाखा है :

राज्य	आबादी
असम	33,000
मेघालय	17,000
मणिपुर	44,000
नागालैण्ड	15,000
त्रिपुरा	23,000
अरुणाचल प्रदेश	20,000
मिजोरम	33,000

17,000 आबादी के पीछे एक बैंक शाखा खोलने हेतु असम में 460 बैंक शाखाओं की, मणिपुर में 35 शाखाओं की मेघालय में 12 शाखाओं की नागालैण्ड में 7 शाखाओं की और त्रिपुरा में 8 शाखाओं की आवश्यकता है । केन्द्रों का पता लगाने की प्रक्रिया अभी जारी है ।

जहां तक बैंक शाखाएं खोलने का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित आबंटन किया है :

असम	195
मणिपुर	21
मेघालय	23
त्रिपुरा	14
मिजोरम	15

यह ब्रांच लाइसेंसिंग नीति के अनुसार है ।

इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि ग्रामीण बैंक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कार्यरत हैं और अधिक ग्रामीण बैंक खोले जाने चाहिए । यह भी कहा गया है कि ग्रामीण बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को वाणिज्यिक बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समान बनाया जाना चाहिए । आज समूचे देश में 150 ग्रामीण बैंक हैं जिनके अन्तर्गत 260 जिले आ जाते हैं । मार्च, 1985 तक 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जायेंगे जो 270 जिलों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे । अतः हम इस लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त करने जा रहे हैं । जहां तक इन बैंकों के कार्य निष्पादन का सम्बन्ध है, वे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कम मूल्य का ढांचा होता है । ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की स्थापना उन ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई है जिनकी पूर्व-निवेश आय 6500 रुपये से अधिक नहीं है । हमें कमजोर वर्गों की सहायता करनी है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में लागू किया था । यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि इन बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समान नहीं की जा सकती क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कम कीमत का ढांचा होता है । अतः इन बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समान होंगी ।

कमजोर वर्गों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हमने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और डी० आर० आई० योजनाएं बनाई हैं। जहां तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) का सम्बन्ध है, श्री सतीश अग्रवाल ने ठीक ही कहा है कि हमें 3,000 करोड़ रुपये की ऋण राशि देनी है जो बैंकों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में जायेगी। पांचवी-पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, 1500 करोड़ रुपये की धनराशि 50:50 आधार पर बजट सम्बधी आवंटनों से आयेगी, 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार से आयेगी। माननीय सदस्य ने यह बात सही नहीं कहीं कि 1980-81 में यह राजसहायता नहीं दी गयी। मैं आपको आंकड़े देता हूं। 1980 वर्ष में बैंकों और सहकारी क्षेत्र से जो सांविधिक ऋण दिया गया, उसकी राशि 289 करोड़ रुपये थी, 1981-82 वर्ष में 467 करोड़ रुपये थी और 1982-83 वर्ष में इसे बढ़ाकर लगभग 714 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों को राजसहायता सहित दी गई कुल राशि 1980-81 में 158.63 करोड़ रुपये थी। 1981-82 में यह धनराशि 264.65 करोड़ रुपये थी और 1982-83 में 359.18 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी।

यह नहीं कहा जा सकता कि हमने 1982-83 में लक्ष्य प्राप्ति नहीं की है। न केवल हमने इस वर्ष में लक्ष्य प्राप्त कर लिया है बल्कि इसके विपरीत, हमने तो लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि की है। इसके लिए हमने निगरानी रखी और कई कदम उठाये और उपाय किए, तभी यह सम्भव हो सका है। हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप ही हम 1982 के वर्ष में सांविधिक ऋण को बढ़ा कर 714 करोड़ रुपये कर सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पूरी तरह यह अनुभव किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि क्षेत्र में अधिक कार्य किया जाना चाहिए। एक विशेष कार्यक्रम है। इसे कृषि विभाग में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) का अनुपूरक है और उसके समान है। लघु सिंचाई और बन लगाने के उद्देश्यों के लिए हमने प्रत्येक खंड को 5 लाख रुपये भी राजसहायता दी है। देश में 5,000 खंड हैं और 50:50 के आधार पर लगभग 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और यह धनराशि बजट आवंटनों से आनी चाहिये और विशेष रूप से यह 1983 में लागू किए गये विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा।

यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं। कुछ कदाचार हैं। केवल यही ही नहीं। गरीब वर्गों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। सरकार को क्या कदम उठाने होंगे? विपक्षी सदस्यों एवं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने सभा के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए हैं और आलोचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित होते भी देखते हैं और संसद से बाहर भी यह आलोचना सुनने को मिलती है। सरकार का कर्त्तव्य क्या है? सरकार को कदम उठाने होंगे। लोग यह शिकायत करते हैं कि कमजोर वर्गों तक वितीय सहायता नही पहुंच रही है। यदि भ्रष्टाचार बना हुआ है, यदि राज्य सरकार का प्रशासन प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है तो सरकार का

कर्तव्य क्या है ? मन्त्री महोदय उसमें क्या कर सकता है ? क्या उसे चुप रहना चाहिए ? क्या मन्त्री को यह स्वयं देखना होगा कि क्या वित्तीय सहायता जनता तक पहुंच रही है अथवा नहीं ? स्पष्ट है कि मन्त्री प्रत्येक स्थान पर जाकर स्वयं यह नहीं देख सकता और यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि सभी कार्य सही ढंग से चल रहे हैं। कठिनाइयों के बावजूद भी मैं आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तथा कुछ अन्य राज्यों के कुछ भागों में गया हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जम्मू और काश्मीर के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जनता को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एक जन-ऋण प्रदान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मैं कानपुर में था। हमने वहां 14,000 व्यक्तियों में 2 करोड़ रुपये की धनराशि का ऋण बांटा है। यह ऋण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए गये। हमने स्वयं लोगों से पूछताछ की कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है और क्या ऋण राशि उन तक पहुंच रही है। हमने लोगों को सन्तुष्ट किया है। इसी प्रकार, हमने आन्ध्र प्रदेश के चितूर जिले में 7067 व्यक्तियों में 1,30,00,000 रुपये की धनराशि ऋण के रूप में दी है। वहां पर भी मैंने संवाद-दाताओं और लोगों की उपस्थिति में पूछा कि क्या उस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार है और मैंने स्वयं को सन्तुष्ट किया कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था। केवल यही ही नहीं, मैंने वहां लोगों को बुलाया और स्वयं उनसे पूछा। जब कभी कोई कभी देखने में आती है तो हमें उसमें सुधार करना होता है। मैं स्वयं सब कार्य भी देख रहा हूं और सभी व्यवस्थित रूप से चला रहा हूं।

जब मैं यह प्रयास कर रहा हूं तो मैं दूसरी ओर के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसमें अपना सहयोग दें।

आप जानते हैं कि हम किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मुझे धमकियां दी जा रही हैं। केवल यही ही नहीं धारवाड़ में ऋण विवरण के पश्चात जब मैं हाल से बाहर आ रहा था वहां 3,000-4,000 लोग थे। जब ऋण वितरण हो रहा था, मैं वहां था और मैंने कहा था, "गरीब वर्गों का जनता भी सबसे अधिक सेवा करें, उन्हें भिखारी मत समझें।"

कुछ शिकायतें भी मिलीं हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने यह मामला उठावा है कि क्या 5,000 रुपये तक भी ऋण राशि के लिए जमानत की आवश्यकता होती है। यहां तक कि सदन के कुछ माननीय सदस्य इस बारे में नहीं जानते; समाचार पत्रों वाले भी नहीं जानते हैं, लोग भी नहीं जानते हैं। यह सरकार का कर्तव्य है कि वे उन्हें बतायें कि बैंकिंग क्षेत्र से उन्हें क्या मिल सकता है। निर्देशों के बावजूद, इसे सार्वजनिक रूप से बताया नहीं गया है। उस समारोह में मैंने यह बात बताई थी कि 5,000 रुपये की ऋण राशि, जो गरीब वर्गों के व्यक्तियों को उत्पादित उद्देश्यों के लिए दी जाती है, उस पर जमानत की जरूरत नहीं होती है। यह मार्गदर्शिकाएं सरकार की ओर से हैं, यह भारतीय रिजर्व बैंक की मार्ग दर्शिकायें हैं। इन्हें निचले स्तर तक नहीं पहुंचाया गया है। मैं लोगों से लाभ-भोगियों से यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या उनसे जमानत आदि मांगी गई है। अनेक सत्यापन किये जा रहे हैं और हम कार्यवाही कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता है अथवा नहीं, इसके बारे में निश्कर्ष निकालना माननीय सदस्यों का कार्य है। हम यह कार्य कर रहे हैं;

5,000 रुपये तक की ऋण राशि के लिए किसी जमानत की जरूरत नहीं है। ऋण के माध्यम से जो सम्पदा बने, उसे ही गिरवी रखा जा सकता है। 5,000 रुपये तक किसी जमानत की जरूरत नहीं है। फसल के लिए 1000 रुपये की ऋण राशि के लिए जमानत की जरूरत नहीं होती है। 5,000 रुपये तक को ऋण के लिए केवल फसल ही गिरवी होती है; वही पर्याप्त होती है। 1,000 रुपये के लिए केवल मांग प्रोमेसिरी नोट ही काफी होता है ? कितने लोग इस बारे में जानते हैं ? यहां तक कि बैंक के कुछ कर्मचारियों को पता नहीं है। जमानत के बारे में मुद्दा उठाया गया है। हमारी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि ये कर्मचारी जमानत देने के लिए कह रहे हैं जिसका किसी को पता नहीं है।

श्री कोसलराम ने कहा है कि 2,500 रुपये के लिए भी जमानत मांगी जाती है। मैं केवल एक अन्तर करना चाहता हूं और वह है कि उत्पादक कार्य का क्या अर्थ है और यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा। यदि साइकिल किराये के प्रयोजनार्थ ली जाती है तो इससे आय होती है। यदि यह अखबार बेचने अथवा बनियान देचने अथवा कोई कपड़ा वेचने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो यह उत्पादक कार्य के लिए है। लेकिन यदि यही साइकिल घूमने अथवा छेड़छाड़ के लिए ली जाती है तो यह उत्पादक कार्य के नहीं है। यहां पर जमानत की आवश्यकता है। **(व्यवधान)** मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति रेफ्रीजरेटर खरीदता है तो यह उत्पादक कार्य के लिए नहीं है तो वहां पर जमानत की आवश्यकता है। अतः यदि यह उत्पादक कार्य के लिए है तो जमानत की आवश्यकता नहीं है। हम अत्यन्त स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उत्पादक कार्यों के लिए प्रतिभूति अथवा जमानत की जरूरत नहीं है। ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योग के मामले में भी यह कहा गया है। कितने लोगों को मालूम है कि 25,000 रुपये तक भी किसी समर्थक ऋणाधार की जरूरत नहीं है ? यह स्थिति है। हमें यह बताना होगा। यह सरकार का दायित्व है। बैंकिंग क्षेत्र में भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि उन्होंने वायदा किया है यदि उनकी निष्ठा है तो उन्हें आने वाले व्यक्तियों का मार्ग-दर्शन करना होगा। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति का मुस्कराकर मार्ग दर्शन करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए तथा पूरे ब्यौरे देने चाहिए तभी लोगों को लाभ होगा। यह पूछा गया है कि ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। पिछले अवसरों पर भी मैंने बताया है कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है। मैंने बैंकों में अचानक दौरे किए हैं। हय बात सदन की तथा देश की जानकारी में है। वित्त मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी और उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया था। इससे पहले क्या हो रहा था ? मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुछ बैंक शाखाओं में—मैं इसे सामान्य रूप नहीं देना चाहता—कर्मचारी 11.30 बजे आया करते थे और 2.30 बजे चले जाते थे; तथा अपराह्न शो देखने के बाद वे अगले दिन ही आते थे लेकिन मैनेजर को कहते थे कि वे पिछले दिन रात के 8 बजे तक कार्य कर रहे थे। समयोपरि भत्ता देने के लिए भी कहा जाता था। अतः हमने यह बंद कर दिया है। मैं इसे सामान्य रूप नहीं देना चाहता। कुछ बुरे कर्मचारी हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें मैनेजरों को धमकियां भी दी गई थीं। हमने इस प्रकार के कदाचारों को रोक दिया। इस प्रकार किये गये उपायों का क्या प्रभाव पड़ा ? वर्ष 1982 में हमने समयोपरि भत्ते में ही देश के लिए 16.85 करोड़ रुपये की बचत की। हमने इसे बन्द नहीं किया है। जहां कहीं इसके देने की जरूरत है हम यह दे रहे हैं। हमने इसे बन्द नहीं किया है। क्या सरकार द्वारा

यह कार्यवाही किये जाने की जरूरत है उस पर केवल माननीय सदस्य ही विचार करें। मेरे विचार से किसी सदस्य ने उस आधार पर चुनौती अथवा आक्रमण नहीं किया है। इसके विपरीत मैं आभारी हूं कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने मेरा समर्थन किया है और समाचार-पत्रों ने भी मेरा समर्थन किया है। अब मेरा केवल यही निवेदन है कि यह सच है कि ग्राहक सेवा में सुधार होना चाहिए तथा यह भी सच है कि हमें देश के लोगों को सर्वश्रेष्ठ सेना तथा कुशल सेवा देनी है। 20 सूत्री कार्यक्रम में यह एक अन्तिम सूत्र है और हमें इसे कार्यान्वित करना है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए अन्य मुद्दों के बारे में एक प्रश्न यह पूछा गया था कि डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत कितनी राशि दी गई है। हम 30 सितम्बर, 1983 तक डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत 340 करोड़ रुपये दे सके हैं···

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : यह बहुत कम राशि है।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा आपको मालूम है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबटसगंज) : लक्ष्य क्या था ? और आपने कितनी राशि दी है ? यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता कि आपने इतनी राशि दी है। प्रश्न यह है: इसका लक्ष्य क्या था और आपने कितनी राशि दी है। आप इस बारे में मुझे तथा सभा को भी जानकारी दें।

श्री जनार्दन पुजारी : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत हम प्रत्येक वर्ष 600 करोड़ रुपये देते हैं और हम प्रत्येक खंड से 600 परिवारों का पता लगाते हैं और एक वर्ष में 600 करोड़ रुपये देते है तथा छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हमने 3000 करोड़ रुपये देने हैं। अब मैं आपको आंकड़े दूंगा। हमारे वित्त मंत्री के मार्ग-दर्शन के अधीन जांच-पड़ताल करने के बाद वर्ष 1982 में हम 600 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर सके हैं और हमने 714 करोड़ रुपये दिये है। यह की गई कार्यवाही का परिणाम है।

अब जहां तक कमजोर वर्गों के प्रति हमारी वचनबद्धता का सम्बन्ध है, किसी ने मुझे बड़े उद्योगपतियों के बारे में बातचीत करते हुए नहीं सुना है। समाचार-पत्रों में भी कहा गया है कि हम केवल वर्गों के लिए ही बात कर रहे हैं। मैं भी केवल कमजोर वर्गों के बारे में बात कर रहा हूं···(**व्यवधान**) आप उपहासपूर्ण ढंग से मुस्करा सकते हैं तथा आप हंस कर भी टाल सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है और यह किया जाएगा चाहे आप हंसें अथवा मेरी बात पर मुस्करा दें आप इसकी भर्त्सना करें अथवा इसकी सराहना करें। लेकिन यह प्रयास ख्याति और लोक प्रियता की उपेक्षा करके भी किया जायेगा। मैं बैंकिंग क्षेत्र में अत्यन्त अलोकप्रिय व्यक्ति हो चुका हूं। मुझे इस बात का पता है। यदि मैं सत्ता में चिपके रहना चाहता तो मैं इस सीमा तक न जाता और उन कर्मचारियों की भर्त्सना न करता जो कुछ वे कर रहे हैं जब इसमें मुझे कोई कमी दिखाई देती है—सभी कर्मचारियों की नहीं। मैंने यह किया है···

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : लेकिन आप हमारे बीच लोकप्रिय हैं। आप चिंता क्यों करते हैं ?

सभापति महोदय : आपको किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : आपकी पार्टी के माननीय सदस्य श्री दत्त के बारे में···

सभापति महोदय : इस समय मेरी कोई पार्टी नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह गुट-निरपेक्ष हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : श्री दत्त ने अत्यन्त अच्छे मुद्दे उठाये और उन्होंने लाभप्रदता के बारे में पूछा···

15.19 **(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

प्रो० मधु दंडवते : अब वह सी० पी० एम० के हो गये हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : उन्होंने स्टेट बैंक आफ इंडिया, इसकी सहायक शाखाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ के बारे में पूछा है। वर्ष 1980 में यह लाभ 65,94 करोड़ रुपये, वर्ष 1981 में 64.47 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1982 में यह 77.56 करोड़ रुपए का है।

पूंजी निधि अनुपात के बारे में माननीय सदस्य श्री दत्त द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम सामाजिक दायित्वों पर अधिक जोर देते हैं। लाभप्रदता, हांलाकि यह मैं बता चुका हूं, में भी कमी हुई है और पूंजी अनुपात में भी कमी आई है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें वृद्धि हो रही है।

महोदय, जहां तक प्राथमिकता क्षेत्र का संबंध है, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को कितना धन मिला है। सितम्बर, 1983 तक प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत हमने 12,818 करोड़ रुपये दिए हैं। इसमें से कमजोर वर्गों को लगभग 2,475 करोड़ रुपये, लगभग 19 प्रतिशत मिला है। लोगों को यह राशि दी गई है। बैंकिंग क्षेत्र में अब तक कितना विकास हुआ है। राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों के पास लगभग 4,646 करोड़ रुपये जमा थे। आज जून, 1983 तक हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बैंकों के पास 53,000 करोड़ रुपये जमा हैं। विभिन्न क्षेत्रों को 1969 में 3,599 करोड़ दिए गए और जून, 1983 तक 35,881 करोड़ रुपये दिए गए।

माननीय सदस्य श्री अग्रवाल ने कहा है कि नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को बैंकों के खातों का लेखा परीक्षा करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें सांविधिक संरक्षक प्राप्त है। पूरी सूचना नहीं दी जा सकती। विधि उपबंधों, अथवा रिवाज और परम्परा के अनुसार दी जा सकने वाली जानकारी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति विशेष के व्यवसाय से संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकती। और यदि बैंकों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक से कराई जाती है तो यह लोक लेखा समिति के क्षेत्राधिकार में आ जाएंगे और यह सार्वजनिक भी बन जाएंगे। अमः यह बिल्कुल संभव नहीं है। यह उत्तर है। **(व्यवधान)** मैं माननीय सदस्य को उन बातों के बारे में लिखूंगा जो वह जानना चाहते थे।

महोदय, चूंकि मेरे पास सीमित समय है इसलिए मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लूंगा। जहां तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध है, हम 10 प्रतिशत की दर से ऋण दे रहे हैं। विभेदकारी ब्याज दर (डी० आर० आई०) के कार्यक्रम के अन्तर्गत हम 4% की दर से ऋण दे रहे हैं। यहां तक कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मामले में भी पिछड़े क्षेत्रों में 10.25% ब्याज

दर वसूल की जाती है। आप जानते हैं कि बैंकों को 100 रुपए के लिए कितनी राशि देनी पड़ती है। इस समय अधिकतम जमा दर 11% है। अतः हम इस बैंक दर को कम नहीं कर सकेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलबाड़ा) : मैंने यह कहा था कि अगर किसी ने बैंक से एक हजार रुपए का कर्जा लिया तो उससे बैंक द्वारा तीन हजार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। यह तो अमाऊंट डबल से भी ज्यादा हो गया और कोर्ट के मुताबिक डबल से ज्यादा अमाऊंट कोई वसूल नहीं कर सकता है। फिर बैंक यह कैसे वसूल कर रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, माननीय सदस्य को एक बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए। बैंक में जमा प्रति 100 रुपयों में से 35 प्रतिशत सांविधिक नकदी अनुपात में चला जाता है। विकास कार्यों के लिए यह कम ब्याज दर दिया जाएगा। नकद आरक्षित अनुपात 8½ प्रतिशत है। अब इसमें वृद्धि हुई है जिसका समायोजन करना होगा। शेष 50 रुपए ऋण देने के लिए उपलब्ध होते हैं। कुल ऋण का 40 प्रतिशत रियायती दर पर दिया जाएगा। उच्च दर पर ऋण पर देने के लिए 22 प्रतिशत राशि उपलब्ध होती है। इस प्रकार 100 रुपयों में से केवल 22 रुपए उपलब्ध हैं। यहां तक कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपए 10 प्रतिशत की दर पर देने होंगे। इस प्रकार बैंक ब्याज दर में कमी करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा मतलब यह है कि थ्री टाइम वसूल किया जा रहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि कोई शिकायत है और वे मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम किसी को इसका शोषण नहीं करने देंगे। माननीय सदस्य इसे हमारे ध्यान में लाएंगे तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : भीलवाड़ा में पंजाब नेशनल बैंक थ्री टाइम वसूल कर रहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं अब समाप्त करने वाला हूं। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं और वायदे के अनुसार मैं आधे घण्टे में समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों का उनके विचारों और सुझावों के लिए आभारी हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम, 1961, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी । खण्ड 2 से 5 तक के लिए कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

खण्ड 6

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 4, पंक्ति 19,—

"प्रत्येक तीसरे शुक्रवार को" **के स्थान पर** "दूसरे और अन्तिम शुक्रवार को" प्रतिस्थापित किया जाये ।"

(5)

महोदय, मेरा संशोधन बिलकुल सीधा सा है । विधेयक में यह कहा गया है कि प्रत्येक तीसरे शुक्रवार को उन्हें मांग और समय दायिता विवरण भेजना होगा । अब फरवंरी के महीने में केवल दो तीसरे शुक्रवार पड़ते हैं जबकि अन्य महीनों में तीन तीसरे शुक्रवार पड़ते हैं । अतः मैंने यह सुझाव दिया है कि तीसरा शुक्रवार रखने को बजाए दूसरा और अन्तिम शुक्रवार रखा जाए । इससे हमें समानता लाने में सहायता मिलेगी । अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक तीसरे शुक्रवार के स्थान पर महीने का दूसरा और अन्तिम शुक्रवार रखा जाए । मैंने यह सीधा सा संशोधन रखा है ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यदि हम माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार वर्तमान संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे कोई समानता नहीं आएगी और बैंकिंग आंकड़ों की तुलमा करने में कोई वास्तविक सहायता नहीं मिलेगी । अतः यह स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

सभापति महोदय : मैं अब श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा प्रस्तुत किये गए संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिए रखता है ।

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : खण्ड 7 से 9 के लिए कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं खण्ड 6 से 9 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

"खण्ड 6 से 9 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 6 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 10

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 5 से 12 **के स्थान पर**

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायें :—

"सारणी

(i)	व्यष्टि	पच्चीस निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं परन्तु इनमें वे निक्षेपकर्ता शामिल नहीं हैं जो व्यष्टि के नातेदार हैं ।
(ii)	फर्म	प्रति भागीदार पच्चीस निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं और कुल मिलाकर दो सौ पचास निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं परन्तु इनमें, दोनों में से किसी भी दिशा में, वे निक्षेपकर्ता शामिल नहीं हैं जो किसी भी भागीदार के नातेदार हैं ।
(iii)	व्यष्टियों का अनिगमित संगम	प्रति व्यष्टि पच्चीस निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं और कुल मिलाकर दो सौ पचास निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं परन्तु इनमें, दोनों में से किसी भी दशा में, वे निक्षेपकर्ता शामिल नहीं हैं जो संगम का गठन करने वाले किसी भी व्यष्टि के नातेदार हैं ।" [1]

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 19 से 21 **के स्थान पर**

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(क) किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का नातेदार समझा जाएगा, यदि, और केवल यदि—

(i) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हैं, या

(ii) वे पति-पत्नी हैं या

(iii) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नीचे दी गई नातेदारी की सूची में उल्लिखित रीति से नातेदार है :—

नातेदारों की सूची

1. पिता ।	12. पौत्री ।
2. माता (जिसके अन्तर्गत सौतेली माता भी है) ।	13. पौत्री का पति ।
	14. दामाद ।
3. पुत्र (जिसके अन्तर्गत सौतेला पुत्र भी है) ।	15. दौहित्र ।
4. पुत्र-बधू ।	16. दौहित्र-वधू ।
5. पुत्री (जिसके अन्तर्गत सौतेली पुत्री भी है) ।	17. दौहित्री ।
6. पितामह ।	18. दौहित्री का पति ।
7. पितामही ।	19. भाई (जिसके अन्तर्गत सौतेला भाई भी है) ।
8. मातामही ।	20. भाई की पत्नी ।
9. मातामह ।	21. बहिन (जिसके अन्तर्गत सौतेली बहिन भी है) ।
10. पौत्र ।	
11. पौत्र-बधू ।	22. बहनोई । [2]

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 6,—

"दस **के स्थान पर** "बीस" **प्रतिस्थापित किया जाये।** [6]

पृष्ठ 7, पंक्ति 7,—

"दस" **के स्थान पर** "पन्द्रह" **प्रतिस्थापित किया जाये।** [7]

पृष्ठ 7, पंक्ति 8,—

"एक सौ" **के स्थान पर** "एक सौ पचास" **प्रतिस्थापित किया जाये।** [8]

पृष्ठ 7, पंक्ति 10,—

"दस" **के स्थान पर** "पन्द्रह" **प्रतिस्थापित किया जाये।** [9]

पृष्ठ 7, पंक्ति 11 और 12,—

"एक सौ" **के स्थान पर** "एक सौ पचास" **प्रतिस्थापित किया जाये।** [10]

श्री मूल चंद डागा : मैंने अपने कारण कल भी बताए हैं।

एक माननीय सदस्य : वह वापिस लेने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं।

श्री मूल चंद डागा : नहीं, वापिस नहीं ले रहा। इस विधेयक के बारे में कर्नाटक के वाणिज्य चैम्बर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कर्नाटक वाणिज्य चैम्बर के अध्यक्ष श्री टी० एस० कश्यप द्वारा निम्नलिखित कहे जाने का समाचार है :

"जबकि बेईमान व्यक्तियों के कुत्सित कार्यकलापों को रोकने के लिए विद्यमान विधि ही पर्याप्त है, यह विधेयक अनौपचारिक ऋण ढ़ांचे का ही मूलोच्छेदन करता है और विशिष्टतया छोटे व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों, स्व-नियोजित दस्तकारों तथा तकनीशियनों आदि के हितों को हानि पहुंचाएगा।"

ऐसा मत न केवल कर्नाटक वाणिज्य चैम्बर ने व्यक्त किया है, बल्कि गुजरात वाणिज्य चैम्बर ने भी व्यक्त किया है। मैं यहां पर गुजरात वाणिज्य चैम्बर के समाचार को उद्धृत करता हूं :

"चैम्बर के अध्यक्ष ने वित्त मंत्री महोदय से इस विधेयक के हानिकारक उपबन्धों को वापिस लेने या आगे और जांच हेतु उनको संसद की प्रकट समिति को सौंपने का अनुरोध किया है।

छोटे जमाकर्त्ताओं को संरक्षण प्रदान करने की सरकार की चिन्ता की सराहना करते हुए गुजरात वाणिज्य चैम्बर के अध्यक्ष ने निवेदन किया है कि अनौपचारिक ऋण बाजारों में पड़ी हुई जमा राशि को समाहित करने हेतु विद्यमान अनिवार्य जमा बीमा योजना में

उपयुक्त विस्तार किया जाना चाहिए । ऐसे ठोस दृष्टिकोण से, इस प्रकार के आर्थिक अपराधों में जुर्माने और दण्ड को कम करने में सहायता मिलेगी ।"

अतः मैंने निवेदन किया है कि खण्ड 10 को संशोधित किया जाए । मैंने प्रस्ताव किया है कि 'व्यक्ति-विशेष' के मामले में यह निम्न प्रकार होना चाहिए :

"उन जमाकर्त्ताओं को छोड़कर जो व्यक्ति-विशेष के सम्बन्धी हैं, पच्चीस से अधिक जमाकर्ता नहीं होने चाहिए ।"

अन्यथा वे कारोबार कैसे चला सकते हैं ? बड़े अफसोस की बात है अगर आप सारी मरचेन्ट कम्युनिटी को बाहर फेंक देंगे ?

कम्पनी के बारे में मैंने कहा है :

"दोनों ही मामलों में किसी भी भागीदार के सम्बन्धी जमाकर्त्ताओं को छोड़कर प्रति भागीदार पच्चीस से अधिक जमाकर्ता और कुल मिलाकर ढाई सौ से अधिक जमाकर्ता नहीं होने चाहिए ।"

और व्यक्ति-विशेषों के असंस्थापित संघ के बारे में मैंने यह कहा है :

"दोनों ही मामलों में उन जमाकर्त्ताओं को छोड़कर जो उन किसी भी व्यक्ति-विशेषों के सम्बन्धी हैं, जिन्होंने संघ बनाया है, प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पच्चीस जमाकर्त्ताओं से अधिक और कुल मिलाकर ढाई सौ जमाकर्त्ताओं से अधिक नहीं होना चाहिए ।"

मैंने 'व्यक्ति' की परिभाषा दी है । मैंने कहा है :

"(क) किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का नातेदार समझा जाएगा, यदि, और केवल यदि—

(i) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हैं, या

(ii) वे पति-पत्नी हैं, या

(iii) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नीचे दी गई नातेदारों की सूची में उल्लिखित रीति से नातेदार है ।"

और मैंने सूची भी दी है । वे हैं :

पिता, माता (जिसके अन्तर्गत सौतेली माता भी है), पुत्र (जिसके अन्तर्गत सौतेला पुत्र भी है), पुत्र-वधू, पुत्री (जिसके अन्तर्गत सौतेली पुत्री भी है), पितामह, पितामही, मातामही, मातामह, पौत्र, पौत्र-वधू, पौत्री, पौत्री का पति, दामाद, दौहित्र, दौहित्र-वधू, दौहित्री, दौहित्री का पति, भाई (जिसके अन्तर्गत सौतेला भाई भी है), भाई की पत्नी, बहिन (जिसके अन्तर्गत सौतेली बहिन भी है), बहनोई ।

मैं निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिए जाएं।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं अपने संशोधनों को पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। प्रत्येक व्यक्ति 10 जमाकर्त्ताओं के बजाय 15 जमाकर्त्ता ले सकता है। किसी कम्पनी में कुल 10 भागीदार होंगे और इसलिए कुल मिलाकर जमाकर्त्ताओं की संख्या 150 होगी। मेरा तर्क केवल यह है कि कर्नाटक में ऋण राहत अधिनियम के पास हो जाने के बाद, उन सभी के मामले में जिनकी वार्षिक आय 2400 रुपए से कम है, उनका ऋण परिसमाप्त कर दिया गया लगता है। बहुत से साहूकार ऐसे थे जो कि सूदखोरी का काम करते थे। दण्ड खण्ड और कारावास तथा ऐसे अन्य उपबन्धों को देखते हुए कुछ साहूकार जो रुपया ब्याज पर देते थे, उन्होंने इस व्यवसाय को छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए अब यह लाभप्रद नहीं था। राष्ट्रीय कर्ज जनता के लिए वरदान सिद्ध नहीं हुआ है। सिंडीकेट बैंक ने, जो कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, एक मास तक ऋण देने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें ऋण देने की अनुमति नहीं दी गई थी।

आप चाहे कितने ही कानून ले आयें, लोग स्थिति के अनुसार निपटने में काफी होशियार हैं। यदि किसी को 10 जमाकर्त्ताओं को रखने की अनुमति है और वह और अधिक जमाकर्त्ता रखना चाहता है तो वह कोई और बेनामी भागीदार बना लेगा जिससे वह 20 जमाकर्त्ता रख सकता है और इस प्रकार वह कानून धोखा देगा। अतः, मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, जिससे कि विधि और अधिक सरल हो सके, और 10 के बजाय 15 जमाकर्त्ता और कुल मिलाकर 100 के बजाय 150 जमाकर्त्ता होने चाहिएं। मेरा यह साधारण सा संशोधन है।

श्री जनार्दन पुजारी : लोक सभा में, मई, 1983 में विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के बाद से, सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ने ही सराफ संघों, व्यापारी संगठनों, वाणिज्य मंडल और व्यक्ति-विशेषों सहित विभिन्न संघों ने अनेक सुझाव देते हुए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त किए थे। उनकी मुख्य विषय-वस्तु है कि विधेयक के उपबन्ध व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के लिए हानिकारक होंगे और लघु और छोटे एककों पर उनका प्रभाव विनाशकारी होगा तथा वे इस अनौपचारिक ऋण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे जो कि वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा दिए जाने वाले ऋण का परम्परागत रूप में एक विकल्प है।

इन संशोधनों के पीछे तर्क यह है कि असतर्क और अनभिज्ञ जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके और साथ ही व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के हितों पर भी इसका प्रतिकूल असर न पड़े।

सरकार ने रिजर्व बैंक के गवर्नर के परामर्श से मामले की जांच की है। सरकार महसूस करती है कि संशोधनों के सम्बन्ध में व्यापार की आशंकाओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। तथापि, हम श्री मूल चन्द डागा द्वारा पेश किए गये संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार हैं और महसूस करते हैं कि व्यापार और उद्योग के न्यायसंगत हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं।

उन जमाकर्ताओं, जिनसे व्यष्टियों, फर्मों और व्यष्टियों के संगम द्वारा जमा राशि स्वीकार की जायेगी, की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। नातेदारों से स्वीकार की जाने वाली जमा राशि, इस

प्रस्तावित सीमा से पूरी तरह मुक्त होगी। संयुक्त जमा को एक ही जमा माना जायेगा। विधेयक में पहले ही दी गई छूटों से, सरकार आशा करती है कि व्यापार, छोटे उद्योगों आदि को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जहां तक श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा पेश किए गए संशोधनों का सम्बन्ध है, ये बहुत ही उदार हैं और उन्हें इन संशोधनों पर जोर नहीं देना चाहिए।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 10 की संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 5 से 12 **के स्थान पर**

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"सारणी

(i) व्यष्टि	पच्चीस निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं परन्तु इनमें वे निक्षेपकर्ता शामिल नहीं हैं जो व्यष्टि के नातेदार हैं।
(ii) फर्म	प्रति भागीदार पच्चीस निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं और कुल मिलाकर दो सौ पचास निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं परन्तु इनमें, दोनों में से किसी भी दिशा में, वे निक्षेपकर्ता शामिल नहीं हैं जो किसी भी भागीदार के नातेदार हैं।
(iii) व्यष्टियों का अनिगमित संगम।	प्रति व्यष्टि पच्चीस निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं और कुल मिलाकर दो सौ पचास निक्षेपकर्ताओं से अधिक नहीं परन्तु इनमें, दोनों में से किसी भी दशा में, वे निक्षेपकर्ता शामिल नहीं हैं जो संगम का गठन करने वाले किसी भी व्यष्टि के नातेदार हैं।"

[1]

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 19 से 21 **के स्थान पर**

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"(क) किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का नातेदार समझा जायेगा, यदि, और केवल यदि —

(i) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हैं, या

(ii) वे पति-पत्नी हैं, या

(iii) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नीचे दी गई नातेदारों की सूची में उल्लिखित रीति से नातेदार है :—

नातेदारों की सूची

1. पिता ।
2. माता (जिसके अन्तर्गत सौतेली माता भी है) ।
3. पुत्र (जिसके अन्तर्गत सौतेला पुत्र भी है) ।
4. पुत्र-वधू ।
5. पुत्री (जिसके अन्तर्गत सौतेली पुत्री भी है) ।
6. पितामह ।
7. पितामही ।
8. मातामही ।
9. मातामह ।
10. पौत्र ।
11. पौत्र-वधू ।
12. पौत्री ।
13. पौत्री का पति ।
14. दामाद ।
15. दौहित्र ।
16. दौहित्र-वधू ।
17. दौहित्री ।
18. दौहित्री का पति ।
19. भाई (जिसके अन्तर्गत सौतेला भाई भी हैं) ।
20. भाई की पत्नी ।
21. बहिन (जिसके अन्तर्गत सौतेली बहिन भी है) ।
22. बहनोई ।

[2]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा प्रस्तुत खंड 10 के संशोधन संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 11 से 25

सभापति महोदय : खण्ड 11 से 25 के लिए कोई संशोधन नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"खण्ड 11 से 25 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 11 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 26

श्री मूल चंद डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14, पंक्ति 17,—

"बही मूल्य" **के स्थान पर** "बही मूल्य या अंकित मूल्य" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** [3]

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14, पंक्ति 21,—

"40" **के स्थान पर** "331/3" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** [11]

अनिरुद्ध परिसम्पतियां निर्धारित करते हुए, धनराशि को 25 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है; 40 प्रतिशत बहुत ज्यादा राशि है, क्योंकि जो राशि उधार ली गई होती है वह काफी ऊंची दर पर ली गई होती है, और उस पर अधिक दर से ब्याज दिया जाता है जबकि रिजर्व नकद राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता । और जो निवेश अनिरुद्ध परिसम्पतियों का भाग बनता है उस पर केवल 7 से 8 प्रतिशत ही ब्याज मिलता है । इसके अलावा लेने-देने वाले बिल भी काफी नहीं होते । जो पैसा वे उधार लेते हैं उससे अनिरुद्ध परिसम्पतियां काफी कम होती हैं । इसलिए अगर अनिरुद्ध रिजर्व 40

प्रतिशत रखा जाता है इससे विशेषकर सहकारी बैंकों को काफी हानि होगी । इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि 40 प्रतिशत बहुत ज्यादा है, इसलिए 40 प्रतिशत की बजाय 33-1/3 प्रतिशत अधिकतम रखा जाये । इससे सहकारी बैंक अपनी राशि को न केवल नकद रखने में समर्थ होंगे बल्कि उसे अधिक लाभ वाले स्रोतों में लगा सकेंगे । नगद 40 प्रतिशत तक की सारी राशि इस प्रकार लगा दी जाती है तो कमजोर वर्गों तथा अन्य प्रकार के व्यापार और उद्योगों को ऋण देने में कठिनाई महसूस होगी । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस 40 प्रतिशत को कम करके 33-1/3 प्रतिशत किया जाए ।

श्री जनार्दन पुजारी : बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 1944 की धारा 24 में एस० एल० आर० के लिए सांविधिक सीमा 25 प्रतिशत रखी गई थी, जबकि रिजर्व बैंक ने अब एस० एल० आर० 25 प्रतिशत निश्चित की है । यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनाई गई नैतिक प्रत्यायन के लिए है । माननीय सदस्य ने विधेयक के खण्ड 26 में सुझाये गये 40 प्रतिशत के स्थान पर एस० एल० आर० की अधिकतम सीमा को 33-1/3 करने का सुझाव दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एस० एल० आर० की वर्तमान सीमा मांग तथा समय देनदारियां (डिमांड तथा टाइम लायबिलिटी) कर 35 प्रतिशत है, इसलिए माननीय सदस्य का प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 31, पंक्ति 9,—

"बही मूल्य" **के स्थान पर** "बही मूल्य या अंकित मूल्य" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

[3]

(श्री मूलचन्द डागा)

सभापति महोदय : अब मैं श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा प्रस्तुत खण्ड 26 के संशोधन संख्या 11 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 11 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 से 41 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 27 से 41, विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 42 लेंगे। संशोधन संख्या 4, श्री मूल चन्द डागा पेश करेंगे।

खण्ड 42

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 29, पंक्ति 41 :

"बही मूल्य" **के स्थान पर** "बही मूल्य या अंकित मूल्य" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

[4]

श्री जनार्दन पुजारी : हम इसे स्वीकार करते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 29, पंक्ति 41—

"बही मूल्य" **के स्थान पर** "बही मूल्य या अंकित मूल्य" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

[4]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 27 से 41 के लिए कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 से 41 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 43 से 75 लेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 43 से 75 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 43 से 75 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय पेश करें कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, क्या आप अब बोलना चाहेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : जी, हां।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक के तीसरे वाचन के क्रम में निम्नलिखित दो विषय उठाना चाहता हूं—

पहला—यह खुशी की बात है कि देहातों में किसानों एवं दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों को कर्ज देने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संख्या में और वृद्धि होनी चाहिए। परन्तु, दुःख है कि अपेक्षा के अनुसार न किसानों को कर्ज मिल रहे हैं और न कमजोर वर्ग के दूसरे लोगों को ! हां—कुछ चतुर-चालाक लोग इसका अधिक लाभ उठा रहे हैं। समाज-विरोधी तत्व बैंक अधिकारियों पर दवाब डाल कर कर्ज तो ले लेते हैं, परन्तु किश्तों की अदायगी कभी नहीं करते।

देहातों के बैंकों में भ्रष्टाचार एवं कदाचार बड़े पैमाने पर घुस गया है। किसानों एवं दूसरे गरीब लोगों को कम से कम पांच से दस प्रतिशत तक घूंस दिए बगैर कर्ज नहीं मिलता। जो लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहते उन्हें नाना प्रकार का बहाना बनाकर टरका दिया जाता है या अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। बेकार नौजवानों के साथ ऐसा किया गया है। इसके अनेक उदाहरण मेरे पास हैं।

कदाचार का एक उदाहरण यह भी है कि बिहार के मधुबनी जिले के बीस-बाइस ग्रामीणों से

कर्जों की किश्त की वसूली की नोटिसें तो तामील कर दी गई हैं, परन्तु उन्हें कर्ज कभी नहीं दिए गए। इस प्रश्न को इस सदन में कई बार उठाया जा चुका है परन्तु पता नहीं कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक, डालमियानगर (बिहार) में लूट मची हुई है। वहां के एक अधिकारी जिसे चाहते हैं लाखों रुपए कर्ज के रूप में दे देते हैं। उन्होंने समाज विरोधी तत्वों को अपने पास जमा कर रखा है। विरोध करने वालों को यह गोली मार कर हत्या कर देने की धमकी देते हैं। उनके कदाचार के बारे में मुझे एक मुद्रित पर्चा मिला है, जिसमें उनके विरुद्ध 32 बड़े ही गम्भीर आरोप लगाए गये हैं। मैंने अपने स्रोत से इन आरोपों की जांच करवाई है जो सच पाये गये हैं। मैं उस पर्चे को वित्त मन्त्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं।

पर्चे से यह स्पष्ट है कि स्टाफ एसोसिएसन का उक्त पदाधिकारी बैंक का राजा बना हुआ है। वह जो चाहता है करता है। कोई पूछने वाला नहीं है। उक्त बैंक में वह दस वर्षों से काम कर रहा है। पता नहीं, उनके लिए ट्रांस्फर का कोई कानून है या नहीं ?

उक्त अधिकारी के विरुद्ध 32 सूत्री आरोपों की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक के बड़े से बड़े अधिकारी को है। परन्तु पता नहीं, वे शांत क्यों हैं। अतः मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध होगा कि वह उस बैंक में चल रही घूंसखोरी, धांधली तथा अन्य गड़बड़ियों की शीघ्र जांच करवा कर उचित कार्यवाही करें ताकि वहां से आतंक का राज समाप्त हो सके।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता में सहभागी हूं और सभा का ध्यान जिन विशिष्ट दृष्टान्तों की ओर दिलाया गया है, उनकी हम जांच कराएंगे। जहां तक उसका सम्बन्ध है इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु यदि हम उसे सामान्य बना लेते हैं तो यह अनुत्पादक हो जाएगा।

मैंने अपने मुख्य उत्तर में पहले ही बताया है कि कदाचार और भ्रष्टाचार को भी रोकने के हम सभी प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मैं स्वयं राजस्थान गया था। एक जिले में तो 1,500 से भी अधिक लाभान्वित होने वाले थे। जब मैंने पूछताछ की तो केवल एक लाभग्राही उठ खड़ा हुआ और उसने बताया कि उससे बैंक वालों ने नहीं, बल्कि पटवारी ने सौ रुपये लिए थे। तत्पश्चात मैंने तुरन्त कलक्टर से कार्यवाही करने के लिए कहा। 1499 लाभग्राही ऐसे थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई रुपया नहीं दिया जिसे भ्रष्टाचार में गिना जा सके। अतः इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यदि आप इसे सामान्य बना दें तो यह अनुत्पादक बन जाएगा। इसके विपरीत लोग और विशेषकर कमजोर वर्गों के लोग यह समझेंगे कि अब के बाद किसी प्रकार का ऋण लेने के लिए उन्हें भ्रष्टाचार के रूप में कुछ धनराशि देनी पड़ेगी। यह सही भी नहीं है। हमें लोगों के मन में भय भी पैदा नहीं करना चाहिए। जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं हम माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसे बहुत गम्भीरता से लेंगे और कार्यवाही की जाएगी।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मंत्री महोदय के सूचनार्थ मैं केवल उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह हाल ही में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकाशित प्रतिवेदन को पढ़ें।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करते हैं अर्थात नियम 388 के अधीन प्रस्ताव ।

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

नियम 74 के प्रथम परन्तुक का निलम्बन

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिय तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक को, जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से, भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक नियमों की स्थापना के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होने के सम्बन्ध में निलम्बित करती है ।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदय, भला हो इण्डियन एयरलाइन्स का कि कल मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन पर अपना विरोध प्रकट करने यहां समय पर नहीं पहुंच सका । फिर भी, मैं मंत्री महोदय द्वारा पहले से ही प्रस्तुत किए जा चुके प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करके कल की कमी को संक्षेप में पूरा करूंगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, वास्तव में विधेयक तैयार करते समय, इसका समग्र आधार ईरा सेझीयन समिति की सिफारिशें आधार रही हैं, जिसका प्रतिवेदन वह पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं । परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि जीवन बीमा निगम को पांच निगमों में विभाजित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते समय भी, उन्होंने ईरा सेझीयन समिति की केवल एक सिफारिश को स्वीकार किया है और अन्य सिफारिशों की पूर्णतया उपेक्षा की है । जहां तक पदोन्नति सम्बन्धी नीति निवेश-नीति, अंशधारियों को बोनस तथा अन्य सम्बद्ध मामलों का सम्बन्ध है, वे इन सभी सिफारिशों के प्रति स्पष्ट रूप से चुप्पी साध गए हैं और उन्होंने केवल इस एक विशिष्ट सिफारिश को स्वीकार किया है ।

जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, हमें बताया गया है कि यदि जीवन बीमा निगम के कार्य के सम्बन्ध में प्रतियोगिता होती है तो वे जीवन बीमा निगम के व्यवसाय को बढ़ायेंगे,

विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्र में और उससे जीवन बीमा निगम की परिचालन कार्यान्विती की कुशलता में वृद्धि हो जाएगी । यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि यदि कई हस्तियों के बीच प्रतियोगिता का तत्व हो तो उस मामले में कुछ ऐसी असामान्य परिस्थितियां हो सकती हैं, जो कि उनमें स्वयमेव व्याप्त हैं । उदाहरणस्वरूप, जहां तक पदोन्नति, निवेश नीति, अंशधारियों को बोनस और सम्बद्ध समस्याओं का सम्बन्ध है, जहां तक इन पांच निगमों का सम्बन्ध है, आपको पता चलेगा कि उनकी एक दूसरे से मिलती-जुलती नीतियां हैं। तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है और प्रतियोगिता जैसी कोई बात नहीं है । अतः मेरे विचार से इन पांच निगमों में, जिनमें प्रतियोगिता स्वयं नहीं पनप सकती है, प्रतियोगिता का तत्व बिठाने की दिशा में सोचना बेकार होगा ।

और फिर हमें बताया गया है कि जीवन बीमा निगम एक भारी-भरकम निगम है, जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, उसकी 940 शाखाएं हैं । परन्तु जहां तक भारतीय स्टेट बैंक का सम्बन्ध है, इसकी 6,000 शाखाएं हैं ।

हमें यह भी बताया गया है कि ग्रामीण व्यवसाय के अनुपात में वृद्धि होगी । 1957 में, जब जीवन बीमा निगम बना था, उस समय ग्रामीण व्यवसाय का भाग 5 प्रतिशत था, जबकि 1982 में, जिसका कि प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, हम पाते हैं कि यह भाग वास्तव में 32 प्रतिशत था और अगली रिपोर्ट में इसके और आगे बढ़ने की सम्भावना है ।

15.57 (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

संयुक्त प्रवर समिति के पास किसी विधेयक को भेजने का क्या मूलाधार है ? यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जब विधेयक के मुख्य दृष्टिकोण पर सर्वसहमति हो तो ब्यौरा तैयार करने हेतु, ब्यौरे की जांच-पड़ताल करने के लिए ही किसी विधेयक को आमतौर से संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाता है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जीवन बीमा निगम को विभाजित करने के विरुद्ध सर्वसहमति है न कि उसके पास में । अतः, विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजना एक व्यर्थ का झमेला होगा ।

इस विशिष्ट विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने की सिफारिश इस अवस्था में करने की बजाय सरकार को अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए और विधेयक को वापिस ले लेना चाहिए । जांच-पड़ताल तो पहले ही पूरी हो चुकी है । संयुक्त प्रवर समिति तो इस प्रस्ताव की पहले ही जांच-पड़ताल कर चुकी है और श्री सी० डी० देशमुख ने चर्चा के दौरान कहा था कि किसी समिति को इसको भेजना निरर्थक है ।

1961 में दूसरी लोक सभा की प्राक्कलन समिति भी जीवन बीमा निगम को निगमों में बिभाजित करने की परिकल्पना को अस्वीकार कर चुकी है। प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्ययन दल भी इसको अस्वीकार कर चुका है। उससे भी बढ़कर, मोरारका समिति भी इसे पूर्णतया अस्वीकार कर चुकी है । श्री सी० डी० देशमुख ने इसी सभा में कहा था :

"आम आधारों पर, मुझे ऐसा लगता है कि यदि जीवन बीमा निगम को अन्ततः जीवन व्यवसाय के लिए उत्तरदायी होना है तो अनेक निगमों के रूप में उससे काम कराना

नितान्त कठिन होना चाहिए । उदाहरणस्वरूप, प्रतियोगिता का स्वरूप सीमित होना चाहिए। विभिन्न निगमों के अस्तित्व को उचित ठहराना कठिन होगा···।"

दूसरी लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने 1961 में यही बात कही थी जो प्रशासनिक सुधार तथा आयोग मोरारका समिति ने कही थी । अत: इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि क्रमिक समितियां, जिनमें प्राक्कलन समिति भी शामिल है···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप नियमों के अन्तर्गत प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं उसी पर आ रहा हूं···(**व्यवधान**)

अत: मेरा कहना है कि चूंकि इस समस्या की जांच प्रशासनिक सुधार आयोग सहित अनेक समितियों द्वारा की गई थी और सुस्पष्ट आधार बनाया गया था, मैं समझता हूं कि इसे संयुक्त प्रवर समिति को प्रेषित करने का सुझाव देने की बजाय, इस समय भी वित्त मंत्री महोदय सदन के समक्ष सदन की सहमति स्वीकार करने का शिष्टता दिखाएं और संयुक्त समिति को मामला सौंपने के प्रस्ताव को वापिस ले लें, इसके विपरी। मूल विधेयक को ही वापिस ले लें तथा यथा स्थिति बनाए रखें। तब हम जीवन बीमा निगम की प्रशासनिक क्षमता का ब्यौरा तैयार करने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विषय को समाप्त करेंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इसे कल समाप्त करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे आज ही समाप्त करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका भारी विरोध होने जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । इसमें केवल 10 मिनट लगेंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप इसे 10 मिनट में कैसे समाप्त कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन कर सकता है ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आप नहीं चाहते तो हम इस पर कल चर्चा करेंगे ।

अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे ।

रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित कतिपय व्यक्तियों की जासूसी की गतिविधियां

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान पुन: इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने इसी समस्या को 5 दिसम्बर, 1983 को स्थगन प्रस्ताव के रूप में लोक सभा में

रखने का विचार किया, मैंने यह काम वड़ी जिम्मेवारी से किया, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर इस सदन में विभाजन नहीं हो सकता और इसीलिए मैंने कहा था "बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं यह मामला उठा रहा हूं और यदि रक्षा मंत्री हमारी शंका का समाधान करने के लिए साथ देते हैं तो मुझे वहुत संतोष होगा।" और मुझे यह नोट करके प्रसन्नता हुई कि अगले दिन रक्षा मंत्री महोदय ने श्री वेंकटरामन ने उस मामले से संवंधित एक वक्तव्य सदन में दिया जो हमने 5 दिसम्बर, 1983 को उठाया था, जिसमें उन्होंने रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त ऐसे कुछ भूतपूर्व सेनानियों के बारे में बताया जिन्होंने स्वयं को कुछ जासूसी गतिविधियों में लगाया हुआ था और जासूसी का हिस्सा बने हुए थे।

जहां तक रक्षा मंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य का सम्बन्ध है, यह 5 दिसम्बर, 1983 को उठाए गए मामले की पुष्टि करता है। इस मामले का व्यापक महत्व है और मेरी इच्छा है कि इसे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ही देखा जाएगा और इसीलिए मैं सदन द्वारा उस दिन व्यक्त की गई भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें इस बात की चिंता नहीं है कि जहां तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने का संबंध है उसमें किसी एक अथवा अन्य एजेंसी का हाथ है और इसीलिए देश के हितों के विरुद्ध की जा रही जासूसी की गतिविधियों, चाहे वह सी० आई० ए० करती हो, या के० जी० बी० या कोई अन्य एजेंसी, मैं अपनी ओर से उनका पक्ष लेने का कभी प्रयास नहीं करूंगा।

मेरे पास इस सम्बन्ध में दो दिलचस्प सन्दर्भ हैं—एक के सम्पादक हैं—हावर्ड फरेजियर उनकी पुस्तक का शीर्षक है—"अनकलोकिंग सी० आई० ए०, इसमें सी० आई० ए० आन्तरिक कार्यकरण तथा उनकी संस्था के ढांचे की पूरी सूचना दी गई है तथा बताया गया है कि उन्होंने भारत तथा अन्य स्थानों पर क्या-क्या करने का प्रयत्न किया। अन्य सन्दर्भ पुस्तक है के० जी० बी० के बारे में है, जिसके लेखक हैं—जोन बोरोन, इसमें भी के० जी० बी० के आंतरिक कार्यकरण की झलक देखी जा सकती है। इस आधार पर मैं सदन के समक्ष तथ्य और आकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं।

जहां तक मूल समस्या का सम्बन्ध है, यह मामला समाचार-पत्रों में छपी कुछ खबरों के आधार पर सामने आया है कि वायु सेना और सशस्त्र सेना में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रक्षा कार्मिक वास्तव में फंसे हुए थे।

देश की सुरक्षा के राष्ट्रीय हित को नष्ट करने तथा सी० आई० ए० एजेंसी के माध्यम से अमरीकनों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य तथा सेना सम्बन्धी कुछ गुप्त बातें बताने के लिए वे सी० आई० ए० जैसी विदेशी संस्थाओं के हाथों की कठपुतलियां बन गए थे। प्रश्न इस प्रकार उठा था। यदि आपको अच्छी तरह याद हो, तो रक्षा मंत्री ने इसी पुष्टि की थी कि रक्षा सेनाओं के कुछ सेवा-निवृत्त कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्रहण किए अपने महत्वपूर्ण पदों का सेवा-निवृत्त होने पर लाभ उठाकर अन्य देशों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास। जिस एक नाम की पुष्टि हुई थी वह था फ्रैंक लारकिन्स, सेवा-निवृत्त मेजर-जनरल और आश्चर्य की बात यह है कि यह वही

अधिकारी है जिसे परम विशिष्ट सेवा परक मिल चुका था । मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूं ? जहां तक विदेशी एजेंसियों का सम्बन्ध है, वे थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के महत्वपूर्ण पदों पर हमेशा नजर रखने की कोशिश करती हैं । यह हमारी थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के जवानों की देशभक्ति के कारण है कि जो कुछ सामने आया है वह मतिभ्रंश तथा तोड़-मरोड़ हैं तथा वे थल-सेना, वायु-सेना तथा नौ-सेना के जवानों के सामान्य चरित्र को प्रतिबिम्बित नहीं करते। इस मेजर जनरल को सी० आई० ए० ने 5000 रु० प्रतिमास वेतन पर कार्य पर लगभग था तथा इसने अपने भाई एयर वाइस मार्शल केन लारकिन्स को भी इसमें शामिल कर लिया था तथा उसे भी सी० आई० ए० ने 3000 रुपये प्रति मास के वेतन पर नौकरी दी थी । इस जासूसी में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल था अर्थात सेवा-निवृत्त लेफ्टिनैंट कर्नल जसवीर सिंह जिसने देश की सेना की गुप्त बातें अमरीका के पास बेचने की कोशिश कीं । जहां तक जासूसी के भाग का सम्बन्ध था, एक अन्य महत्व-पूर्ण व्यक्ति जो इसमें शामिल था, वह था हथियारों का ठेकेदार जसपाल सिंह गिल। मैं इस नाम की ओर बाद में आऊंगा कि वह किस प्रकार चीनी घोटाले में सम्बद्ध है तथा वहां उसने किस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण पदों का लाभ उठाने का प्रयास किया। ये वे व्यक्ति थे जो इसमें शामिल हैं।

जहां तक इस घटना का पता लगाने का सम्बन्ध है, मेरे विचार से हमारी थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के अधिकारियों तथा जवानों की अवश्य प्रशंसा की जानी चाहिए। सी० आई० ए० की जासूसी गतिविधियों की पोल उस समय खुली जब मेजर जनरल फ्रैंक लारकिन्स ने एक सेवारत ग्रुप कैप्टन को रक्षा सम्बन्धी गुप्त बातें बताने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत देने की पेशकश की । लेकिन देशभक्ति की भावना वाले इस ग्रुप कैप्टन ने यह रिश्वत लेने से इन्कार कर दिया । उसने न केवल रिश्वत लेने से इंकार कर दिया बल्कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को चल रही उस जासूसी के बारे में बताया । कुछ भूतपूर्व रक्षा कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। उसने यह जानकारी दी । उसने रिश्वत लेने से इंकार कर दिया तथा देशभक्ति के कर्त्तव्य के रूप में पूरा ब्यौरा जो उसके पास था वह उसने दे दिया तथा इसके परिणामस्वरूप जासूसी की पोल खुल गई । यह हमारी सशस्त्र सेनाओं की देशभक्ति के लिए सराहना है ।

प्रसंगवश, मैं अपने रक्षा मंत्री, श्री वेंकटरामन को उनके एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिये अवश्य बधाई दूगा । यदि आप जासूसी के पिछले सभी मामलों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि इन भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी कार्य-प्रणाली के लिये विशेष पद का उपयोग किया था। थल-सेना, नौ-सेना तथा वायु-सेना के सेवा-निवृत्त व्यक्ति, जो बहुत ऊंचे पदों सेवा-निवृत्त हुए थे वे सेवा-निवृत्ति के पश्चात रक्षा पुस्तकालय में जाते थे । बहुत से अबसरों पर ऐसा हुआ कि रक्षा पुस्तकालय में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन महत्वपूर्ण व्यक्ति उठकर अपने सेवा-निवृत्त अधिकारियों को सलाम करते थे। आखिरकार, वे वरिष्ठ अधिकारी थे । वे उनसे सम्पर्क बनाते थे । उन्हें सभी ब्यौरे उपलब्ध किए जाते थे । वे पुस्तकालय के सभी कक्षों में जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते थे । उनसे वे सुराग एकत्रित करने की कोशिश करते थे । पुस्तकालय में कई सेवा कर्मचारी उपस्थित होते हैं । वे उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करते थे । उनके माध्यम से वे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त

करते थे। उनसे वे कुछ प्रलेखनों का स्रोत प्राप्त करते थे और उसकी सहायता से वे अपनी जासूसी की गतिविधियां चलाते थे। उसको ध्यान में रखकर हमारे रक्षा मंत्री ने रक्षा सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों के पुस्तकालय में आने पर प्रतिबन्ध लगाने का उचित निर्णय किया है। मेरा विचार है कि उन्होंने यह कदम अत्यन्त सावधानी के तौर पर उठाया है। अत्यन्त सावधानी के तौर पर उठाया गया यह कदम सभी भूतपूर्व सैनिकों या सभी रक्षा सेनाओं के लिये लांछन नहीं है ? उन्होंने सही अनुदेश दिये हैं और मेरे विचार से इसके फलस्वरूप कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

आइए, हम जासूसी के इस कार्य के स्वरूप का पता लगाने का प्रयास करें, जिसमें तीन अधिकारी तथा सेना का एक ठेकेदार सम्बद्ध है। फ्रैंक लारकिन्स के जासूसी के मामले में सी० आई० ए० ने अमरीकनों की जानकारी के लिए मिग 25 के अन्दर लगे इलैक्ट्रानिक एविआनिक्स तथा निगरानी कैमरों सहित अन्य उपकरणों तथा टी-72 टैंक में लगे विशिष्ट उपकरण के बारे में सूचना प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। महोदय, कुछ ब्यौरे हमारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं तथा कुछ विदेशी पत्रिकाओं में भी ये ब्यौरे प्रकाशित हुए हैं। अब, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे एकत्र करने की चेष्टा की गई। सेना के ठेकेदारों ने भूतपूर्व सैनिकों के साथ अपने सम्पर्कों का कई कारणों से उपयोग किया। वे जानते हैं कि इन लोगों के पास सभी आधुनिकतम हथियारों, उनके उपयोग, सामरिक हथियारों तथा अन्य आधुनिकतम हथियारों के बारे में मूल जानकारी होती है। इसलिए, हथियारों के ठेकेदारों, हथियारों के सप्लाईकर्ताओं तथा कुछ ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के बीच एक प्रकार की सांठ गांठ रही है जिन्हें इन सभी पहलुओं की पर्याप्त जानकारी है।

एक ऐसा पहलू है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं ऐसा जिम्मेदारी की पूर्ण भावना से कर रहा हूं।

मैं इसको सरकार की गलती नहीं समझता क्योंकि सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, किन्तु पथ-भ्रष्टता की यह प्रवृत्ति जारी रहती है। और इससे कई बार जाने-अनजाने में जासूसी कार्यों में लगी एजेन्सियों को प्रतिष्ठा मिल जाती है और सरकार द्वारा अपने हित में उठाए गए कदमों से कई बार विदेशी गुप्तचर एजेन्सियों यथा सी० आई० ए०, के० जी० बी०, यू० के० की एस० आई० एस० तथा पाकिस्तान व अन्य देशों की एजेंसियों को विश्वसनीयता प्राप्त हो जाती है। ऐसा कई अवसरों पर हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छठे दशक में ऐसा शत्रु-सहयोग किस प्रकार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय हित और सर्वोत्तम उद्देश्य के लिए सी० आई० ए० और भारत सरकार के बीच सहयोग था। किन्तु मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि स्वयं के राष्ट्रीय हित के लिए भी कई बार हम सी० आई० ए० जैसी एजेंसियों से सहायता लेने की कोशिश करते हैं। इस दशा में, उन एजेंसियों को कुछ विश्वसनीयता प्राप्त हो जाती है और वे देश की रक्षा-शक्तियों में कुछ जड़ें बना लेते हैं। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण नाजुक जानकारी प्राप्त हो जाती है और वे नाजुक क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं और वे ऐसी विशेष स्थिति का उपयोग भारत के हितों के खिलाफ और बाद में भारत की सुरक्षा के खिलाफ कर सकते हैं। कुछ परियोजनाओं के लिए कई बार भारत और सी० आई० ए० के इस सहयोग का उपयोग किया गया है :

(1) उड़ीसा में कटक के समीप चारबतिया में उच्चतम गोपनीय सैनिक अड्डे की स्थापना।

(2) दलाईलामा, जो चीनी शिकंजे से निकलकर भारत भाग आए थे, का समर्थन करने के लिए।

(3) सोवियत संघ से स्वेतलाना स्तालिन के भारत-पलायन में।

(4) चीन के परमाणु-परीक्षण का पता लगाने के लिए नन्दा देवी की चोटी पर अनुश्रवण-यन्त्र लगाने के लिए नन्दा देवी अभियान।

इनमें से कुछ पहलुओं की विभिन्न अवसरों पर लोक सभा में सम्बद्ध मन्त्रियों के वक्तव्यों द्वारा पुष्टि की गई है और पिछली बार, भूतपूर्व रक्षा मन्त्री की निगरानी में किया गया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा। यही वे क्षेत्र थे जिसमें भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों या ऐसी बातों के लिए जिन्हें सरकार महत्वपूर्ण समझती थी, को पूरा करने के लिए सी० आई० ए० के सहयोग भी उपयोग करने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि जो सरकार को चलाते हैं, उन्हें राष्ट्र के व्यापक हितों के लिए कुछ कदम उठाने का जोखित लेना ही होता है।

किन्तु कई बार हमें इन दोनों बातों में सन्तुलन स्थापित करना और सोचना होगा कि हमको इससे क्या-क्या लाभ और हानि तथा उन एजेन्सियों को, जो अन्ततः हमारे देश के हितों के खिलाफ ही काम करती हैं, क्या-क्या लाभ और हानि होगी।

यह मेरा तर्क है कि सरकार को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। यह उनका अपना ही मूल्यांकन होगा जो अन्ततः इस नाजुक मुद्दे पर मार्ग दर्शन करेगा कि क्या हम अपने देश में अपने उद्देश्य के लिए विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं और क्या हमें इससे लाभ होगा अथवा इससे उन एजेंसियों को इस देश में अपनी जड़ें जमाने में मदद मिलेगी और जासूसी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें विश्वसनीयता प्राप्त होगी, यह बात अपने दिमाग में रखनी होगी।

यह जानना और भी रोचक होगा कि विभिन्न गुप्तचर एजेंसियों की भारत के प्रति क्या भूमिका है। जैसाकि मैंने कहा, मैं इस वाद-विवाद में कोई सैद्धान्तिक विचार/प्रयोजन लाना नहीं चाहता। इस सभा के सभी सदस्य चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्षी दल के, हम सब मूल रूप से राष्ट्र की अखण्डता और अपने राष्ट्र की सुरक्षा में रुचि रखते हैं। इसीलिए, हम एक प्रकार की एजेन्सी और दूसरे प्रकार की एजेन्सी में सैद्धान्तिक आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जहां तक उन एजेंसियों का सम्बन्ध है, वे अपने स्वयं के राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों के लिए ही काम करेंगी। किन्तु अन्ततः हम भी अपने राष्ट्र के हितों में रुचि रखते हैं और इसीलिए हमें अपने देश में काम कर रही विभिन्न एजेन्सियों के बारे में पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और जानना चाहिए कि वे इस देश में किस प्रकार की भूमिका अदा कर रही हैं।

सबसे पहले, पांचवें दशक के उत्तरार्द्ध में के० जी० बी० ने भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी

की नशे की हालत में तस्वीर खींच ली और भारत-वापसी पर उसे जासूसी के लिए विवश किया। हेरी रोजित्स्के ने अपनी पुस्तक "के जी बी, दी आइज ऑव रसिया" में इसका उल्लेख किया गया है।

दूसरे, रोजित्स्के के सी० आई० ए० के साथी जॉन डी० स्मिथ के अनुसार वह सी० आई० ए० एजेंसी के माध्यम से अमेरिका के लिए जासूसी करने के लिए भारतीय थलसेना के भूतपूर्व प्रधान को तैयार करने में सफल हुए।

तीसरे, 1979 में जनता सरकार ने कोसिगिन की भारत यात्रा के समय ही सोवियत राजनयिकों को जासूसी करने का आरोप लगाकर वापस भेजा था।

चौथे, 1976 में, गुप्तचर ब्यूरो ने प्रैस इंफर्मेशन ब्यूरो के उप प्रधान सूचना अधिकारी एफ० डिसूजा को 'ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलीजेन्स सर्विस' (एस०आई०एस०) को गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में, वे दस्तावेज जाली निकले। उस अधिकारी ने न केवल हमें मूर्ख बनाया वरन् उन लोगों को भी मूर्ख बनाया, जो जासूसी के लिए उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे ऊपर यह केवल ईश्वर की कृपा ही हुई कि उस अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले दस्तावेज जाली निकले।

पांचवें, चूंकि यह खबर प्रकट हो चुकी है और उसकी गिरफ्तारी की खबर की भी सरकार द्वारा पुष्ट की गयी थी अतः इसका उल्लेख करने में कोई हानि नहीं है कि चरणसिंह की सरकार में गृह और उप प्रधान मन्त्री श्री य०ब० चह्वाण के निजी सहायक श्री महाबीर प्रसाद को के० जी०बी० के लिए जासूसी करने के लिए 1979 में गिरफ्तार किया गया था।

तत्पश्चात, देश के आर्थिक सौदों में भी कुछ ऐसे लोग संलिप्त रहे हैं। वे व्यापक प्रभाव प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रसंग में, मैं स्विस चीनी घोपले के एक जासूस का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं यहां श्री जसपाल सिंह, जिनका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूं, का उल्लेख करूंगा। वह तीन सैन्य अधिकारियों के साथ शासकीय गोपनीयता अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये थे—इसकी पुष्टि रक्षा मन्त्री ने की थी और गृह मन्त्री के वक्तव्य में भी इसका उल्लेख था। वह 1976 में एक स्विस फर्म के साथ करोड़ों रुपए के चीनी सौदे में भी संलिप्त था।

श्रीमन्, यदि आप याद करें तो कुछ समय पहले सभा में मैंने इस घोटाले का जिक्र करने की कोशिश की थी। किन्तु जैसे अन्य घोटाले समय के साथ भुला दिए गए और उन पर कुछ नहीं हुआ, वैसे ही इस पर भी आगे चर्चा न की जा सकी। माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम इस पर भी चर्चा करने के लिए कुछ समय अवश्य निकालेंगे। किन्तु दुर्भाग्यवश, घोटाले अधिक हैं और समय कम। परिणामस्वरूप, उन घोटालों पर चर्चा करने के लिए हम समय नहीं निकाल पाये। किन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण है।

स्विस फर्म एन०ओ०जी०ए० ने भारत से भारी मात्रा में चीनी का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम से समझौता किया था। समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे और यह

स्विस फर्म एन० ओ० जी० ए० थी जिसने उस समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे। मूल्य-ढांचे पर भी सहमति हो चुकी थी। किन्तु जब चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दामों में सहसा गिरावट आ गयी तो एन० ओ० जी ए० ने समझौते की इस शर्त को पूरा नहीं किया था। उन्होंने इसे शुद्ध वाणिज्यिक दृष्टिकोण से देखा और इसीलिए यद्यपि वह एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। उन्होंने उस समझौते का पालन करने से इन्कार कर दिया।

आपको याद होगा कि स्वराज पाल भी उस सौदे में कथित रूप से शामिल थे जिसमें श्री जसपाल सिंह मुख्य एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री जसपाल सिंह मुख्य एजेन्ट थे। उनमें ऐसी पटुता थी कि वह केवल सेना के सौदों में ही शामिल नहीं थे वरन् वह गोपनीय सौदों में भी शामिल थे। शायद वह अपने सेना सम्बन्धी सौदों को और अधिक सफल बनाना चाहते थे और इसीलिए वह गोपनीय सौदों में भी प्रविष्ट होना चाहते थे। किन्तु वह उसमें प्रविष्ट हो गए। उन्होंने काफी जोड़-तोड़ करने की कोशिश की और इस सौदे के सम्बन्ध में बहुत सी बातें प्रकट हुईं।

गुप्तचर विभाग 'गिल्स एम० जी० इन्टरनेशनल' फर्म की गतिविधियों की छानबीन कर रहा है जो कि बताया जाता है कि पश्चिमी देशों को हथियारों की आपूर्ति करती है।

हिन्दी के एक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में एक खबर छापी थी और मुझे ठीक से याद है, मेरे साथी प्रो० तिवारी ने भी सदन में प्रश्न उठाया था और माननीय अध्यक्ष से मांग की थी कि समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि दिल्ली में आधा दर्जन राजदूतावास और उनमें कार्यरत कर्मचारी जासूसी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं तथा उनमें से अधिकतम नई दिल्ली में वसंत बिहार में तथा राजदूत मार्ग पर रहते हैं। इसलिए उनकी गतिविधियों की छानबीन की जानी चाहिए।

(i) गुप्तचर विभाग तथा दिल्ली पुलिस ने यू० एस० मिशन में अताची श्री फ्रांसिस शैफर का नाम लिया है जो कहा जाता है कि सेवानिवृत रक्षा अधिकारियों के बीच जासूसी गिरोह बनाते हैं। श्री शैफर सन् 1982 में भारत से चले गए। यह समाचार पहले ही प्रकाशित हो चुका था कि उक्त श्री फ्रांसिस शैफर, जासूसी गिरोह में सम्मिलित हैं फिर भी 1982 में उन्हें भारत से जाने की इजाजत दे दी गई।

(ii) विदेश मन्त्रालय में अतिरिक्त निजी सचिव को सन् 1977 में रूस को गुप्त जानकारी देने पर गिरफ्तार किया गया था।

(iii) केन्द्रीय सूचना सेवा का एक अधिकारी रूमानिया को जानकारी देते हुए पकड़ा गया था।

(iv) प्रसिद्ध सांवर जासूसी काण्ड में पाकिस्तान के लिये जासूसी करने के लिए सेना के बहुत से अधिकारी गिरफ्तार किये गये थे।

संभवतः आप जानते हैं और शायद आपको याद हो कि ये व्यक्ति रक्षा मंत्री के घर के बाहर क्यों प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में बहुत सी बातें सामने आईं। और यह मामला जासूसी कहानी में एक महत्वपूर्ण कांड बन गया।

इन सब बातों से पता चलता है कि हम जिस आधार पर कार्य कर रहे हैं वह कितना नाजुक है।

यह सब बताते हुए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार की विभिन्न सेवाएं तथा विभिन्न रक्षा सेवाएं सभी जासूसी गतिविधियों से प्रदूषित हैं। मेरा अभिप्राय यह कतई नहीं है। मुझे गर्व है कि भारतीय जल, थल व वायु सेना की शानदार परम्परायें हैं।

भारत के आस-पास के विभिन्न देशों में जल, थल और वायु सेनाओं की वफादारी विभिन्न सैनिक क्रान्तियों में भाग लेने के कारण नष्ट हो गई है, यह सिर्फ भारत में ही है जहां जल, थल व वायु सेनाएं ऐसी सभी क्रान्तियों से दूर रही हैं और यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। मुझे इस पर गर्व है।

ये विभिन्न पहलू है जिन्हें कि ध्यान में रखना है। अगर आप वैयक्तिक रूप में इन सभी जानकारियों का अध्ययन करेंगे जोकि मैंने सदन में रखी हैं तो आप पायेंगे कि जहां तक भारत की सुरक्षा का सम्बन्ध है। हम इसमें ढील नहीं दे सकते। मैंने विभिन्न एजेन्सियों का जिक्र किया है।

मैं एक महत्त्वपूर्ण घटना का उल्लेख करके समाप्त करूंगा, और वह है 1962 का चीनी आक्रमण। 1962 के आक्रमण के पहले तथा इसके पश्चात् की अवधि में संभवतः आपको याद होगा कि कालिमपोंग जासूसियों का अड्डा बन गया था। वे भारत की बहुत सी गोपनीय बातों के बारे में पड़ोसी देशों को जानकारी दे रहे थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

मैंने सभी उपलब्ध एजेंसियों के बारे में यह स्पष्ट करने के लिये जानकारी दे दी है कि जहां तक भारत की रक्षा तथा सुरक्षा का सम्बन्ध है, रक्षा की तत्परता तथा उच्च सैनिक दस्तावेजों की गोपनीयता बनाये रखने के लिए हमें आत्मसन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी ढील दिखाते हैं, तो हम देश को जोखिम में डालकर, सुरक्षा को जोखिम में डालकर ही यह कर रहे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है, हम सदन में चाहे जिस तरफ भी बैठें, इस सदन के दोनों तरफ ही सदस्य हैं जोकि देश की रक्षा तथा सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। अतः ऐसी किसी भी गतिविधि का जो जासूसी गतिविधियों में परिवर्तित होकर देश की सुरक्षा तथा रक्षा को नुकसान पहुंचायें, हम सख्त विरोध करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस चर्चा के लिए दो घंटे दिए गये थे। प्रो० मधु दण्डवते ने, जिन्होंने कि प्रस्ताव को रखा, कुछ समय तो लिया है। वह कुछ समय और ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसे पेश किया है और इसको स्वीकृति मिल गई है। अन्य माननीय सदस्य जो उनके पश्चात बोलेंगे उनमें से प्रत्येक दस मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा। तत्पश्चात् जब मन्त्री जवाब देंगे तो सदन में कुछ सदस्य उपस्थित होंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा चाहे वे चर्चा में भाग लें अथवा न लें, सदन में उपस्थित रहें, जो सदस्य अभी बैठे हैं चर्चा की समाप्ति तक उन्हें यहां रहना चाहिए, जब तक मन्त्री जी जवाब देते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, दो घंटे का समय किसने निश्चित किया है ? क्योंकि कार्य मन्त्रणा समिति में हमने दो घंटे की अवधि निश्चित नहीं की ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता यह किसने निश्चित किया । किन्तु मैंने यहां देखा कि दो घंटे का समय ही उपलब्ध होने की सम्भावना है । यह नियमों के अन्तर्गत है । यह चर्चा निमम 193 के अन्तर्गत है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सम्भावना है । यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यहां बहुत से अवसरों पर कहा है कि मुझे ज्यादा समय देने में आपत्ति नहीं है । किन्तु मैंने यह देखा है कि माननीय सदस्य अपनी बारी में बोलने के पश्चात् चले जाते हैं । और अन्त में मन्त्री सिर्फ अध्यक्ष पीठ को जवाब देता है । पीछे बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता और वे अध्यक्ष पीठ पर आरोप लगाते हैं । यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है और हमें संयम रखना होगा क्योंकि यह रक्षा पर है । अतः राजनैतिक भाषण देने का कोई भी मौका नहीं है । अतः आपको ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है । इसीलिये मैंने सुझाव दिया—श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती मुझसे सहमत होंगे—कि प्रत्येक माननीय सदस्य 10 मिनट से ज्यादा समय न लें । मेरा अनुरोध है कि सभी सदस्य, जोकि सदन में मौजूद हैं, मन्त्री जी के जवाब देने तक सदन में बैठे रहेंगे, यही संख्या बनाये रखेंगे·····

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : अगर यह निर्णय है तो यह हमेशा के लिये होना चाहिए । सिर्फ आप ही क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह अनुभव से कह रहा हूं । मैं इस तरह का अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खाली सदन में अध्यक्षता करना मुझे अच्छा नहीं लगता । मैं चाहता हूं कि कुछ सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए । तो मैं भी सक्रिय रहूंगा । मैं भी राजनैतिज्ञ हूं । अतः जब मैं अध्यक्षता करूं तो चाहूंगा कि कुछ श्रोतागण भी हों··· (**व्यवधान**) मैं उन सभी सदस्यों के नाम लिखूंगा जोकि अभी उपस्थित हैं और जो चले जायेंगे, अगली दफा उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा ।

श्री स्पैरो ।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रमुख महत्व है और आज इसका इतना अधिक महत्व हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि हम विभिन्न दिशाओं से विभिन्न प्रकार की ताकतों और भू-राजनीति, भू-सामरिक महत्व आदि से प्रभावी हैं । इस देश के व्यक्तियों के लिए यह प्रश्न प्रमुख महत्व का है । मुझे यह नोट करते हुए बहुत प्रसन्नता है कि श्री मधु दण्डवते ने समस्या सम्बन्धी कुछ ऐसे अनेक तथ्यों का उल्लेख किया है जिनका समाचार पत्रों में भी उल्लेख किया जा चुका है । उदहारणार्थ 'इंडिया टूडे' ने अनेक तथ्यों का उल्लेख किया है और कुछ के सम्बन्ध में अपने विचार भी प्रकट किए हैं । अतः मैं केवल कुछ ही बातों तक सीमित रहूंगा ।

मेरी सर्वप्रथम टिप्पणी यह है। जासूसी का यह अपराध अक्षम्य है। किसी को भी इस प्रकार के अपराध की छूट नहीं दी जा सकती। अतः हमें इस बारे में कानूनी तौर पर और अन्यथा यह निश्चय करना होगा कि जासूसी के मामले को अधिक प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिए।

भारत अपनी अखंडता को नहीं बेच सकता। हमने अपनी स्वतन्त्रता शताब्दियों के कठोर परिश्रम और चापलूसी के बाद प्राप्त की है। शताब्दियों की चापलूसी से लोगों का चरित्र गिर गया है। अतः कानूनी विशेषज्ञों, सरकार सदन तथा लोगों से मेरी सर्वप्रथम टिप्पण यह है कि अन्य देशों में इस प्रकार के अपराध के लिए मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था है। मुझे मालूम है कि हमारा कानून है और हमें मामले को देखते हुए उस पर कार्यवाही करनी होती है। लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता क्योंकि चारों ओर के खतरों से संकेत मिलता है कि इस सम्बन्ध में उचित, ईमानदारी से और प्रभावशाली निर्णय लिए जाने चाहिए। इस बारे में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हम अधिनियम में यदि आवश्यक हो तो, कैसे संशोधन कर सकते हैं जिससे कि जासूसों और देशद्रोह के कार्य और जासूसी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्यवाही की जा सके। यह मेरी पहली टिप्पणी है।

मैं समझता हूं और हम सब समझते हैं कि समस्त विश्व में जासूसी का कार्य अत्यधिक उच्च प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और रिकार्ड से भी यही पता लगता है और आप भी इस बारे में वर्षों से यह पढ़ रहे हैं। अत्यधिक शक्तिशाली देशों को भी इस बारे में निगरानी रखनी होती है क्योंकि जासूसों के एजेंट अवश्य कार्य करते हैं और कभी-कभी इस कार्य में सफल भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के हथियारों के बारे में भेद प्राप्त किए जाते हैं। ये अन्तरिक्षी रहस्य हो सकते हैं। ये युद्ध सम्बन्धी हथियारों आदि के बारे में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है और यह मेरी दूसरी टिप्पणी है। हमें इससे सावधान रहना होगा तथा इस बारे में निगरानी रखनी होगी क्योंकि प्रत्येक देश इन विशेषज्ञों के हमले के विरुद्ध, चाहे किसी भी दिशा से किए जाएं, असुरक्षित हो गया है और इस सम्बन्ध में मैं सरकार और सम्मानीय सदन से सिफारिश करना चाहूंगा कि हमें इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री दण्डवते द्वारा पार्टी-विहीन आधार पर लाए गए तथ्यों को देखकर प्रसन्नता हुई। अधिकांश मामलों में भाषा निश्चित रूप से अच्छी थी। इसी इरादे से हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए सिर उठाना चाहिए कि भारत इस प्रकार की किसी बात को प्रकट नहीं होने देगा, जैसा कि हाल में हुआ। इस बारे में अब कोई मतभेद नहीं है। सबको पता है कि इस मामले में सी० आई० ए० का हाथ है। उन्होंने अपनी स्वाकारोक्ति दे दी है। लारकिन्स ने स्वीकारोक्ति दी है और मुझे इस बारे में बहुत दुख है। ऐसी बात नहीं है कि अन्य किसी दिशा से जांच नहीं की जा सकती हैं, जी हां, महोदय प्रत्येक व्यक्ति संतुलन करने के लिए यथासम्भव जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। अन्ततः, जहां तक शक्ति के संतुलन विस्तार और संयोजन का सम्बन्ध है, यह चलता रहता है। अतः खुफिया विभाग द्वारा इस बारे में जांच की जानी चाहिए।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उच्च आदेश स्तर अर्थात् सरकारी स्तर पर दिए गए निदेश, जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं, भी पर्याप्त हैं। रक्षा मन्त्री और रक्षा मन्त्रालय ऐसा करता है। लेकिन क्या स्पर्शिका उचित तथा प्रभावकारी रूप से कार्य करती है ? आप अनेकों प्रशिक्षित करते हैं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्थिति की प्रशंसा करते हैं। इन बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए—सक्रिय खुफिया लोगों की ओर। जब आपको शस्त्र और उपकरण निदेशालय अथवा कुछ प्रतिष्ठानों से यह पता लगता है, जब आप ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो वस्तुतः उस समय इन बातों की देखभाल करते हैं, अर्थात् फौजी कार्मिक। यदि हमारा गुप्तचर विभाग, सामान्य कर्मचारी गुप्तचर के कार्य कर रहा होता तो उपकरण, कार्मिकों की सुरक्षा, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, सूचना की सुरक्षा अन्य ऐसी बातों की सुरक्षा जो इन मतों का अंग है, पर ध्यान दिया जाता, हमें इनकी निगरानी करनी होगी। इनके बारे में बहुत सावधानी बरतनी होगी, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा तथा इस बारे में विश्लेषण करना होगा। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करें जिसकी सुरक्षा, कार्मिक की दृष्टि से जांच तथा पुनः जांच की जा चुकी हो। सामान्य कर्मचारी (गुप्तचर) ए से डी से जैड तक क्या हमारे पास इसकी जांच तथा पुनः जांच करने की प्रक्रिया है ? आपको उचित तथा नियमित रूप से इन जांच एजेंसियों की संख्या बढ़ानी होगी तथा इनके कार्य में तेजी लानी होगी और आप इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। आप रक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास ऐसा उपाय है और यदि हम उसे उसी प्रकार क्रियान्वित करते हैं तब मेरे विचार से हमारे पास क्षमता है; हमारे पास विश्वास योग्य लोग हैं; हमारे पास विश्व के किसी भी देश को हराने की क्षमता तथा गुणात्मक परिकल्पना है और हम देश के भेद ले जाने वाली बाहरी एजेंसियों के किसी भी आक्रमण को विफल करने में समर्थ हैं। प्रश्न युद्ध क्षमता का है; प्रश्न सूचना का है।

आइना-ए-सिकन्दर
जामे-मय अस्त पिंगर
ता परतौ अरजा दारद
अहवाले मुल्के दारा ॥

वे महान सिकन्दर के बारे में कहा करते थे कि उसके पास एक प्रकार का शीशा था जिससे वह सब बातें मालूम कर लेता था। इस प्रणाली से हमें शत्रु अथवा शत्रु माने जाने वाले—संभाव्य शत्रु अथवा इससे सम्बन्धी अन्य व्यक्ति की सही सूचना मिल जाती है। कोई भी किसी समय शत्रु अथवा मित्र हो सकता है। स्थिति ऐसी चल रही है। अतः निगरानी रखनी होगी। यह मेरी तीसरी टिप्पणी है। अन्य बात मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं। हमें फौजी कार्मिक और अपने भूतपूर्व कार्मिकों के बारे में ध्यान देना होगा और यह भी विचार करना होगा कि उनसे कैसे व्यवहार किया जाए। यह एक बात है। मैं फौजी कार्मिकों से व्यवहार करने के बारे में काफी कुछ कह चुका हूं। अब मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि भूतपूर्व सैनिकों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्राप्त है और वे देशभक्त हैं और वे पूर्णतया भारतीय हैं; वे भारत के लिए लड़ते हैं; वे

मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। शेष क्या रह जाता है ? आप ऐसे कार्मिकों की निष्ठा पर किसी भी समय कैसे शंका कर सकते हैं। हमें निगरानी रखनी होगी। हमें निगरानी रखनी होगी और उन्हें व्यस्त रखना होगा। प्रश्न यह है कि उन्हें उचित दिशा में कैसे व्यस्त रखना होगा जिससे किसी समय हमें नीचा न देखना पड़े।

इस संदर्भ में क्या हम लोगों को नियुक्त करने और व्यस्त रखने पर विचार करेंगे ? दिल्ली में अनेक भूतपूर्व जनरल, ब्रिगेडियर हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। वे 52 अथवा 54 वर्ष की आयु में सेवा मुक्त हो जाते हैं और कुछ लोग उन्हें बहुत अधिक धनराशि देने का लालच देते हैं। इनमें से कुछ चरित्र की कमी के कारण उनके जाल में फंस जाते हैं। हमने चरित्र खोया है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है। एक शताब्दी अथवा इससे अधिक समय से हमारे मूल चरित्र में गिरावट आई है। मैं उन्हें दिल्ली के आस-पास देखता हूं। बेईमान, धोखेबाज और सब प्रकार के लोग हमारे बीच हैं। अतः हमें चरित्रवान लोगों को इस प्रकार की कमजोरी का शिकार नहीं होने देना चाहिए और इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें ऐसी जगह नियुक्त करें जहां आप उपयुक्त समझते हैं। उनको व्यस्त रखें और वे आपको नीचा नहीं देखने देंगे। लेकिन यह तो एक भाग है और इससे किसी जासूस को ध्यान न देने के बारे में किसी प्रकार के बचाव की छूट नहीं मिल जाती है।

ऐसा नहीं है। मैं इसका पहली टिप्पणी में उल्लेख कर चुका हूं। हम कोई बहाना स्वीकार नहीं करेंगे।

अन्त में मेरा सभा से अनुरोध है– और मुझे प्रो० दण्डवते द्वारा कहे गए नम्र शब्दों पर प्रसन्नता है कि इस मामले में समस्त सभा एकजुट है। समस्त सभा को बिना किसी पक्षपात के अथवा मतभेद के इसकी भर्त्सना करनी चाहिए—आपके मतभेद हो सकते हैं और अपना कार्य अपनी मर्जी से पूर्व अथवा पश्चिम, उत्तर अथवा दक्षिण में कर सकते हैं, मैं इस बात की अधिक परवाह नहीं करता। स्वतन्त्रता फिर कभी नहीं आएगी। जीवविच्छेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत अन्तिम व्यक्ति तथा अन्तिम क्षण तक लड़ेगा और हम किसी को अपनी अखंडता में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। जहां तक मेरा सम्बन्ध है आप मेरी सेवाओं का कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। मैं केवल इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सेवा करता रहूंगा कि अब भारत को किसी प्रकार के बाहरी दबाव में नहीं रखा जा सकता—चाहे वह पश्चिम का हो पूर्व अथवा दक्षिण का। इस आशय से मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, हम अब जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सम्बन्ध देश की सुरक्षा, समाज में स्थायित्व और भारत के लोगों से है। समाचार पत्रों ने जिस प्रकार से समाचार प्रकाशित किए हैं और जिस प्रकार प्रचार किया है, उससे प्रतीत होता है कि हमारा देश सुरक्षा के प्रति अत्यधिक जागरूक हो गया है। यह बहुत अच्छी बात है।

महोदय, अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी की जासूसी गतिविधियां पहली बार प्रकाश में नहीं आई हैं। मैं पिछले अवसरों का सभा का वाद-विवाद पढ़ रहा था और मुझे यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि सी० आई० ए० की गतिविधियों पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। इतना ही नहीं, सरकार ने सी० आई० ए० की गतिविधियों की जांच हेतु एक बार समिति भी गठित की थी। उस समिति के निष्कर्षों को सभा के समक्ष नहीं रखा गया है। इन्हें गुप्त रखा गया है। यह उस समय की बात है, जब श्री चव्हाण गृह मंत्री थे।

महोदय, जहां तक इस घटना विशेष का सम्बन्ध है, हमने 6 दिसम्बर को समाचार पत्रों में पढ़ा कि चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है—एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल है, एक सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं और एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट कर्नल । उन्हें 10 नवम्बर को गिरफ्तार किया गया। लगभग एक महीने बाद, जब ये गिरफ्तारियां हुई तब हमें इसकी जानकारी हुई। हमें इसकी जानकारी समाचार पत्रों से हुई। परन्तु संसद सत्र में होने के बावजूद भी सरकार ने संसद के समक्ष यह वक्तव्य नहीं दिया कि एक जासूसी के मामले का पता चला है और सरकार ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उन पर शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है। इसके पश्चात कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिन पर हमें और सरकार को सावधानीपूर्वक विचार करना होगा।

ऐसे मामलों में जब उच्च स्तर के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हों तो क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न नहीं होता ? देश की सुरक्षा अधिकारियों और जवानों की देशभक्ति, एकता और समर्पण पर निर्भर करती है। मैं यह नहीं कहता हू कि हमारे अधिकारी देशभक्त नहीं हैं। यह मेरा विचार नहीं है। परन्तु मैं यह कहता हूं कि इस घटना से यह सिद्ध हो जाता है कि उच्च स्तर के कुछ ऐसे अधिकारी हैं, मुझे खेद है कि मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, जो थोड़े से धन के लिए स्वयं को विदेशी जासूसी एजेंसियों को बेच सकते हैं और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर लगा सकते हैं।

सभा को तथा सरकार को इस पहलू पर गौर करना चाहिए और अब समय है जबकि हमें सैनिक प्रशिक्षण के बारे में एक नवीन दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। अब समय है जबकि हमें इन अधिकारियों के अंग्रेजों और अमरीकियों से सम्बन्धों के बारे में और इनके दृष्टिकोण के बारे में तथा इनके किस प्रकार के सम्बन्ध हैं इस बारे में नए ढंग से सोचना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ये सेवानिवृत्त अधिकारी परामर्शदात्री सेवाएं और परामर्शदात्री एजेंसिया कैसे चलाते हैं ? वे विभिन्न हथियारों के सौदों में स्वयं को सम्मिलित कर लेते हैं। वे यहां इस देश में विदेशी हथियार निर्माताओं की लाबी चलाते हैं। इस समय रक्षा मन्त्री को कड़ा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। उन्हें विदेशी हथियार निर्माताओं से किसी प्रकार का सम्पर्क रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे सेना में अधिकारी के रूप में अपने व्यापक सम्बन्धों का लाभ उठाते हैं। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल इतना ही नहीं। यदि आप आजकल समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखें तो आपको यही मिलेगा। ऐसे उच्च स्तर

के कई अधिकारी हैं जो इस प्रकार की परामर्शदात्री सेवाएं चलाते हैं जो एक घोटाले के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। समाचार-पत्रों में आपको उनके नाम भी मिल जाएंगे। सेवानिवृत्ति के बाद वे इस प्रकार की परामर्शदात्री सेवाएं चलाते हैं, वे विदेशी हथियार निर्माताओं की यहां लाबी चलाते हैं और सेना में अपने पुराने सम्बन्धों का लाभ उठाते हैं। सरकार ने तीन-चार अधिकारियों और एक जवान को गिरफ्तार किया है। अब यह प्रश्न उठता है कि उन्हें यह सूचना कहां से प्राप्त हुई है? क्या यह मौजूदा अधिकारियों से प्राप्त नहीं की गई है? क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऐसा ऐसे सुस्थापित अधिकारियों द्वारा किया गया है जिन्हें इन बातों की जानकारी है जिन्होंने इस वर्गीकृत सूचना को विदेशी एजेंसियों के पास भेजा है। आपने तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। परन्तु क्या आपने वर्तमान अधिकारियों, सेवारत अधिकारियों के साथ उनके सम्बन्धों का पता लगाने का प्रयास किया है क्योंकि एक सेवारत अधिकारी ने एजेंट के रूप में कार्य करने से इंकार किया था? मैं उस अधिकारी को बधाई देता हूं। परन्तु ऐसे कुछ अन्य अधिकारी अवश्य होंगे जिनसे सूचना एकत्रित की गई थी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर कुछ प्रकाश डाले कि क्या उन्होंने कोई जांच की है? मैं नहीं जानता कि यह गुप्त है या नहीं परन्तु यह नहीं होनी चाहिए। वे इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाना चाहते हैं?

भारत में अधिकांश आधुनिक हथियार सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। सी० आई० ए० ही हमारे द्वारा प्राप्त नए हथियारों के बारे में, उनके कार्य निष्पादन के बारे में, उनके परीक्षण के बारे में जानना चाहती है न कि वह देश जो इसे सप्लाई कर रहा है क्योंकि उसे पहले से ही जानकारी है। सी० आई० ए० ही बार-बार इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित पायी जाती है और यह सी० आई० ए० का घोषित उद्देश्य है।

सी० आई० ए० के भूतपूर्व उप-निदेशक श्री रिचर्ड बीसेल ने, जो गुप्त कार्यों के प्रभारी थे, सी० आई० ए० के प्रत्यक्ष और गुप्त कार्य हैं—सफेद और काले रंग से नहीं बल्कि सफेद—विधिसम्मत कार्य और दूतावास कर्मचारी; काले कार्य-गुप्त कार्य—कहा है—कि "तृतीय विश्व के देशों में सी० आई० ए० बड़ी आसानी से कार्य कर सकती है।" वह कहते हैं—"ये देश अविकसित देश प्रायः भ्रष्ट होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस एजेन्सी के गुप्त कार्यों के अनुरूप ही बनें हैं क्योंकि उनकी सरकारें अपेक्षाकृत कम संगठित होती हैं, सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता नहीं होती और अपेक्षाकृत कम धन ही, चाहे वह स्थानीय विधि में सीधे ही जमा करा दिया जाए अथवा उनके नेताओं के लिए स्विटजरलैंड के बैंक खातों में डाल दिया जाए, उनके राजनीतिक जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ऐसे वातावरण में सी० आई० ए० की गुप्त सेवा को अत्यधिक सफलता मिली है।" अविकसित देशों के बारे में सी० आई० ए० यह कहती है। वे थोड़े से धन की रिश्वत देकर भी काम चला सकते हैं। मैं जब इसे पढ़ रहा था, तब मैंने इस पर विश्वास नहीं किया था परन्तु यह देखकर कि 5000 रुपए महीने की रिश्वत देकर वे एयर मार्शल सेनानिवृत्त लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल को जासूसी के लिए खरीद सकते हैं, मैं आश्चर्यचकित रह गया।

क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इस समय भारत में संयुक्त राज्य अमरीका

के दूतावास में बिभिन्न स्वरों पर सी० आई० ए० के 5 प्रशिक्षित एजेन्ट काम कर रहे हैं? मैं डा० मन्डेर की पुस्तक 'सी० आई० ए० हू इज हू' से उद्धरण दे रहा हूं। मैं सरकार और विशेषरूप से दो मन्त्रियों को इस पुस्तक "हू इज हू" को पढ़ने के लिए कहूंगा। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरीका के वर्तमान राजदूत की तथा पांच अन्य व्यक्तियों को, जो विभिन्न स्तरों पर मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में कार्य कर रहे हैं सी० आई० ए० के प्रशिक्षित एजेंट बताया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसका अध्ययन करे। मैं यह भी चाहता हूं कि उप-महाद्वीप के सुरक्षा वातावरण को देखते हुए भी इस पर चर्चा की जानी चाहिए। क्या आपको जानकारी है कि कोलम्बो, काठमान्डू और ढाका स्थित संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत सी० आई० ए० के प्रशिक्षित एजेन्ट हैं? आप डा० मन्डेर की पुस्तक 'हू इज हू' में उनके नाम देख सकते हैं। उद्देश्य पूर्ति हेतु यह किया जाता है। समाज में अस्थिरता पैदा करने हेतु लक्ष्य उप-महाद्वीप और संवैधानिक ढंग से निर्वाचित सरकार है। वे पंजाब और असम में कार्यरत हैं। हमने अनेक बार आपका ध्यान भारत में हो रही घटनाओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है।

वे किन ताकतों को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया दो मिनट में अपना भाषण खत्म कीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

यह कोई गुप्त बात नहीं है। चिली की प्रजातान्त्रिक सरकार का तख्ता पलटने के बाद भूत-पूर्व राष्ट्रपति श्री 'जेराल्ड फोर्ड' से जो प्रश्न पूछा गया और उन्होंने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है:

प्रश्न : किस अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत हमें एक दूसरे देश की संवैधानिक ढंग से निर्वाचित सरकार को हटाने का अधिकार है?

उत्तर : मैं कोई निर्णय नहीं देना चाहता कि ऐसा करने की अन्तर्राष्ट्रीय कानून में अनुमति है या नहीं है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से तथा इस समय सुविदित तथ्य है कि ऐसे कार्य सम्बन्धित देशों के हित में किए जाते हैं।

यह उत्तर राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने 16 सितम्बर, 1974 को एक प्रेस सम्मेलन में दिया था। अमरीका का एक भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हमें संवैधानिक ढंग से निर्वाचित सरकार को गिराने का अधिकार है, जैसा कि हमने चिली में किया था, जैसा कि हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हमने वे आफ पिग्स में करने का प्रयास किया, जैसा कि हमने पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या की थी·····ये सब तथ्य हैं। मैं पुस्तकों के नाम बता सकता हूं। वे हैं **'दी इनविजीवल गवर्नमेंट'** और **'आई वाज ए सी० आई० ए० एजेंट।** ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। उनमें ये सारे तथ्य दिये गये हैं।

अतः यह प्रतीत होता है कि सरकार को जागरूक होना चाहिए। यह उसका छोटा-सा संकेत मात्र है।

सांस्कृतिक क्षेत्रों में, शैक्षिक क्षेत्रों और कोलोम्बो तथा हारवर्ड विश्वविद्यालयों के माध्यम से सी० आई० ए० बहुत अधिक धन खर्च कर रही है और भारत में उनके फाउंडेशन हैं, उन्होंने फाउन्डेशन्स की स्थापना की है। एशियन फाउन्डेशन के बारे में आप हमारा अनुभव जानते हैं। परन्तु कुछ ऐसे शैक्षिक फाउन्डेशन्स हैं, कृषि अनुसन्धान फाउन्डेशन्स हैं, जिनका उपयोग अमेरीकियों द्वारा, सी० आई० ए० द्वारा भेद में बातें जानने के लिये किया जाता है जिससे वे अस्थिरता पैदा कर सकें और हमारे होनहार नवयुवकों को अपनी विदेश नीति सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षित कर सकें।

मैं सरकार से मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। गृह-मन्त्री ने अपने 14 दिसम्बर के वक्तव्य में कहा है कि :

> "गिरफ्तार किए गए कुछ व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी में वर्गीकृत रक्षा दस्तावेज पकड़े गए हैं।"

ये कागजात किस प्रकार के थे, आपको अवश्य बताने चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या इसका सम्बन्ध उपकरणों की जानकारी से है अथवा युद्धनीति जानकारी से है? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। वे वास्तव में क्या करने का प्रयास कर रहे थे? वे किस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का प्रयास कर रहे थे? और सूचना एकत्रित करने में उन्हें कहां तक सफलता मिली है? महोदय, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आज आपने कीर्तिमान स्थापित किया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हुए मैं यह चाहता हूं कि सरकार इन प्रश्नों का उत्तर दे और राष्ट्र को आश्वासन दे कि वे सतर्क रहेंगे और उन बातों का पता लगाने का, जिनका अभी पता नहीं लगा है, पूरा प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पाइलट।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह राष्ट्रीय महत्त्व का है जैसा कि पहले प्रत्येक सदस्य ने कहा है। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। मैं यह भी चर्चा नहीं करूंगा कि इसमें सी० आई० ए० अन्तर्ग्रस्त है या के० जी० बी० कौन गलत है कौन सही। हमें स्वयं ठीक रहना है। इस प्रकार की घटनाओं का कैसे पता लगाया जा सकता है, इनका उपचार क्या है और ऐसी घटनाएं पुनः न घटें उस दिशा में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं, इन सबके विषय में मैं कुछ सुझाव रखूंगा।

जैसा प्रत्येक सदस्य ने कहा है, रक्षा सेवाओं के इन तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों ने जो काम किया है उसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। किन्तु इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि इन लोगों को पकड़वाने में भी रक्षा अधिकारी ने ही मदद की है। इन्हींके साहस के कारण जो कुछ पिछले डेढ़ वर्ष में हो रहा था उसका पर्दाफाश हुआ है। इस विषय में पिछले तीन-चार दिनों

से समाचार पत्रों में जो थोड़ा बहुत छपता रहा है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सभा को या इस सरकार को इस बात की तह तक जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई और भविष्य के लिए हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए ताकि राष्ट्रीए सुरक्षा को आगे कोई खतरा न हो।

श्री गिल एम० जी० इन्टरनेशनल फर्म चलाते रहे हैं। यह फर्म विदेशों में हथियारों का व्यापार करती है। उनका इस फर्म से पिछले 4-5 वर्ष से सम्बन्ध है। उसने यूरोपियन आर्म्स से 50 भारी मशीनगन खरीदने के लिए टेंडर दिए हैं। तोपों का महू में परीक्षण भी किया गया है। उसका टेंडर स्वीकार होने ही वाला था। उन विदेशी लोगों या एजेंसियों से सम्पर्क रखने का यह भी एक कारण है जो इस प्रकार के कृत्यों में लगे हुए हैं। जैसाकि प्रोप्रेसर साहब ने कहा और यह तथ्य भी है, सेवानिवृत्ति के बाद कई अधिकारी इस धन्धे में लग जाते हैं। कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो हमेशा गोपनीय रहेंगी। उदाहरणार्थ, मैं स्क्वार्डन लीडर रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि स्क्वार्डन की शक्ति विषयक दस्तावेज परम गोपनीय होते हैं। इसके लिए मुझे वायु मुख्यालय नहीं जाना पड़ता, सर्विस बुक से जानकारी नहीं लेनी पड़ती, यह जानकारी मेरे पास है और यह परम गोपनीय रहेगी। यह मेरे आचार पर निर्भर है। सेवा में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि रक्षा सेवाओं ने इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को कोई जानकारी न दी हो। ये इस प्रकार के पदों पर रह चुके हैं, ऐसे सम्वेदनशील पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने रक्षा सेवाओं की ओर से यह जानकारी आगे दी है। पर यह कहना सही नहीं होगा कि यह सारी जानकारी उन्हें रक्षा सेवाओं से मिली है। इन संवेदन-शील पदों पर रहने के कारण शायद उन्होंने यह जानकारी स्वयं आगे भेजी है। यह मेरा अनुमान है। मैंने रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अपने भाषण में रक्षा मन्त्री जी से अनुरोध किया था कि इस प्रकार का क्रय-विक्रय सीधे दो सरकारों के बीच होना चाहिए। बिचौलियों को समाप्त किया जाए। इन बिचौलियों को कमीशन क्यों दिया जाए। इस धन को हम रक्षा सेवाओं या सेवानिवृत्त जवानों के कल्याण में लगा सकते हैं। कमीशन के रूप में बहुत बड़ी रकम दी जाती है। यदि आप किसी देश से 500 करोड़ का माल खरीदते हैं तो इसमें कुछ करोड़ रुपये बतौर कमीशन दिया जाता है। कम से कम रक्षा विभाग से इस प्रकार के प्रलोभनों को समाप्त करना होगा। सरकार सीधे ही विदेशी सरकार से सौदा कर सकती है। बिचौलियों की क्या जरूरत है। मैंने रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अपने पिछले भाषण में यह सुझाव दिया था और कहा था कि वह एक ऐसा कारक है जिससे न केवल राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग हो रहा है अपितु ऐसे कुकृत्यों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अतः मैं रक्षा मन्त्री से जो इस समय यहां मौजूद हैं, इस सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। जैसे ही आप इस व्यवस्था को समाप्त करेंगे, सेवानिवृत्त अधिकारियों की इस प्रकार की गतिविधियां भी समाप्त हो जायेंगी। 50-52 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद यदि आपको इतना अच्छा वेतन मिलता है तो निश्चय ही आप उसकी ओर आकृष्ट होंगे। अतः मेरा पहला सुझाव है कि यदि हथियारों के सौदों में हम ऐजेंटों को बीच में न रखें तो इन फर्मों में उक्त लोगों का कोई काम नहीं रह जाएगा। मेरा दूसरा सुझाव रक्षा सेवाओं के रिकार्ड के बारे में है। बहुत-सी चीजें संचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए होती हैं। मूल रूप में जानकारी परम महत्त्व की होती है। पर ज्यों ही यह अपेक्षित स्थान पर पहुंचती है तो इसका अपना वह महत्त्व कम हो जाता है क्योंकि यह कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है और वहां पहुंचती है। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, किन्तु मैं माननीय रक्षा

मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि जानकारी को या दस्तावेजों को मूल स्थान से अपेक्षित स्थान तक पहुंचाने में काफी सतर्कता बरती जाए। इस विषय में कुछ ढील है और रक्षा सेवाओं में यह प्रथा सी बन गई है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यह घटना दिल्ली में हुई है जहां गृह आसूचना उपलब्ध है, जहां तीनों सेवाओं, नौसेना, वायुसेना और थलसेना की आसूचनाएं उपलब्ध हैं। इन तीनों सेवाओं के खुफिया विभाग यहां है, गृह मन्त्रालय का खुफिया विभाग यहां है। इसमें विलम्ब हुआ है। एक रक्षा अधिकारी ने ही इसका भण्डाफोड़ किया है। ये लोग इस अधिकारी के पास जानकारी के लिए क्यों गए ? मैं इस सभा में कहता रहा हूं कि रक्षा सेवाओं में काम करने वाले अधिकारी चाहे वह एयर मार्शल या एयर कमोडोर स्तर का क्यों न हो, एक प्लाट नहीं खरीद सकता। सेवा-रत या सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा अधिकारी की यह है माली हालत। जिस अधिकारी ने इन्हें पकड़वाया उसे पैसे की जरूरत थी। उसने डी० डी० ए० के फ्लैट के लिए आवेदन किया हुआ था। पैसा देने की अन्तिम तारीख नजदीक आ रही थी। वह पैसे के लिए दर-दर भटक रहा था। उसकी यह हालत देखकर ये लोग उसके पास पहुंचे। इस अधिकारी के साहस की दाद दीजिए। उसने पेशकश को ठुकराया नहीं। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास गया और उससे कहा—ये लोग मेरे पास आए हैं। लगता है इनके पीछे कोई ताकत है। कृपया इन्हें पकड़वाइये। तब एक जाल बिछाया गया और ये लोग पकड़े गये।

यह पहल आसूचना शाखा या गृह मन्त्रालय द्वारा नहीं की गई। पहल सेवाओं के अधिकारी ने की। खुफिया विभाग की बजाय इस अधिकारी ने रिपोर्ट की और ये लोग पकड़े गए। इससे पता चलता है कि खुफिया विभागों को और चुस्त करने की जरूरत है।

इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु उन अधिकारियों को भेजा जाता है जो उच्च योग्यता के नहीं होते। यह गलत है। आज कल होता यह है कि जो अधिकारी सेवाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता उसे इन प्रशिक्षणों के लिए भेजा जाता है। वहां अच्छे अधिकारी इसलिए भी नहीं जाना चाहते कि इस प्रशिक्षण का पदोन्नति में ध्यान नहीं रखा जाता। यह एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि आप इस प्रशिक्षण हेतु उन लोगों को भेजते हैं जो अभीष्ट योग्यता के नहीं हैं तो यह प्रशिक्षण और धन दोनों का दुरुपयोग है। इस प्रशिक्षण के लिए जो तरजीह दी जाती है वह बहुत कम है। इसीलिए वस्तुतः योग्य अधिकारी इस प्रशिक्षण से बचते हैं। परिणामस्वरूप उन अधिकारियों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनकी पदोन्नति नहीं हो सकी है। इस कार्य पर अनुग्रहपूर्ण आधारों पर भी अधिकारी लगाये जाते हैं। यह बहुत गलत बात है। इस पहलू पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए केवल ईमानदार और सक्षम अधिकारियों को ही चुना जाना चाहिए। यह चुनिंदा तैनाती होनी चाहिए न कि समायोजनात्मक तैनाती।

मैं प्रो० मधु दण्डवते से सहमत हूं कि हमें कठोर उपाय करने होंगे। समस्त सभा द्वारा इस घटना की बुरा कार्य कह कर निन्दा करने से कुछ नहीं बनेगा। केवल निन्दा से फल नहीं मिलने वाला है। हम जानना चाहेंगे कि भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता

कि इस पर रातोंरात काबू पाया जा सकता है। किन्तु जब तक प्रशासन को चुस्त नहीं बनाया जाता, सही योग्यता के लोग नियुक्त नहीं किए जाते और अपना काम चलाने के लिए उन्हें धन नहीं दिया जाता जब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा।

जनरल साहब ने ठीक ही कहा है कि हम 52 या 53 वर्ष की आयु वाले अधिकांश सक्षम अधिकारियों की सेवा से वंचित रह जाते हैं। हमें उनका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इस पहलू पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रतिवर्ष 4000 से 5000 अधिकारी सेवा-निवृत्त होते हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। इनमें से अधिकांश मेजर या लें कर्नल होते हैं। वस्तुतः 48 से 52 तक की आयु ऐसी होती है जब आदमी अपने लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि उस समय उसके बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, शादी योग्य होते हैं। उस समय उसे अपने पारिवारिक दायित्वों और अपना निश्चित जीवन बिताने के लिए नियमित रूप से धन की जरूरत होती है।

ये कुछ सुझाव हैं जिन्हें इस अवसर पर देना मैंने उचित समझा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज यह मामला जो हम लोगों के विचाराधीन है, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। देश की सीमायें असुरक्षित हैं। प्रधान मंत्री जी के अनुसार युद्ध का खतरा है। हमारे भी आन्तरिक बहुत से मसले हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे मुल्क में इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, यह निश्चय ही चिन्ता का विषय है।

देश की स्वतन्त्रता, एकता और आजादी की रक्षा के सम्बन्ध में यह जुड़ा हुआ प्रश्न है और हमें बड़ी खुशी है कि आज हम सब लोग, जिन्होंने इस डिवेट में भाग लिया है, बहुत ही गम्भीरता के साथ इस मामले में विचार कर रहे हैं। निश्चय ही यह मामला राजनीति से अलग है, बल्कि इसका सम्बन्ध हमारे मुल्क की सुरक्षा से है। पिछले 15-20 दिन पहले सेना के जिन तीन अधिकारियों को पकड़ा गया, यह कोई नई बात नहीं है। मैंने आज कुछ पुरानी फिगर्स को देखा है—उनको देखने से मालूम हुआ कि बहुत पहले भी ऐसी घटनायें हुई हैं चाहे उसमें वायुसेना के अधिकारी हों, थल सेना के अधिकारी हों या नेवी के अधिकारी हों। इतना ही नहीं मेरे पास कुछ समाचार पत्रों की कटिंग्ज है, समय कम है इसलिए मैं पूर्ण रूप से उनके बारे में नहीं बतला पाऊंगा जिनमें कुछ गोपनीय कागजों को विदेशियों को सौंपा गया है। पिछले दिनों सेना भवन का एक असिस्टैंट और एक स्टेनोग्राफर गिरफ्तार किए गए जिनके द्वारा पाकिस्तान को लगातार सूचनायें दी जा रही थीं। पिछले तीन वर्षों में इस तरह के कामों में 300 लोग पकड़े गए। इतना ही नहीं, हमारे गोपनीय रक्षा संस्थान में एक विदेशी ब्रिगेडियर ने प्रवेश किया था—1973 में इसी हाउस के अन्दर डिसूजा का मामला आया था जिसने देश में काफी तहलका मचा दिया था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी घटनायें यहां पर बराबर होती जा रही हैं। अगर कोई नई घटना घटी हो या पहली घटना घटी हो या पहली घटना हो तो इस पर सीरियसली विचार करें, लेकिन जब इस तरह की काफी घटनाएं हो चुकी हैं और उन पर इस सदन में कई बार विचार हुआ है तो हम यह जानना चाहते हैं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हमारे रक्षा मन्त्री हों या गृह मन्त्री हों, उन्होंने अब तक समुचित रूप से क्या कार्यवाही की है?

6 मई, 1983 को लोक सभा में हमारे वर्तमान रक्षा मन्त्री जी ने अपने बयान में कहा था कि रक्षा मन्त्रालय के तीन अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण रक्षा सामग्री के कागजात किसी दूसरे देश के विदेशी जासूस को सौंपते हुए पकड़े गए। उस पर यहां चर्चा हुई थी। उसके बाद प्रकाश चन्द्र चड्डा नाम का इन्जीनियर था जो पकड़ा गया था, उसके बारे में भी चर्चा हुई थी। इस तरह की घटनायें होती रहती हैं और उन पर यहां बहस होती रहती है—इनके लिए कोई परमानेन्ट साल्यूशन होना चाहिए।

कभी हम लोग सी० आई० ए० की बात करते हैं, कभी के० जी० बी० की बात करते हैं। आज सवेरे एक सज्जन हमारे पास आए और उन्होंने कुछ पेपर्स मेरे पास छोड़ दिए। मैं इन पेपर्स को मन्त्री जी को दूंगा। इसमें कोई राजनीति का मामला नहीं है। इसमें बहुत सी अनहोनी बातों का जिक्र है। हमको यह मालूम नहीं है कि कहां तक ये सच हैं या झूठ हैं, न मेरा किसी से लगाव है, चाहे सी० आई० ए० हो या के० जी० बी० हो, हमारे देश के लिए तो दोनों खतरनाक हैं। हमारे पास जो ये कागज आये हैं—इनमें लिखा हुआ है—

'भारत में सत्ता पटलने के लिए के० जी० बी० एजेंट के रूप में मेरी भूमिका···'

टामस-शूमैन नाम का आदमी दस वर्ष पहले भारत आया था। एक जापानी पत्रकार श्री मागायोशी कानेको के एक प्रश्न के जवाब में उसने बतलाया—हम लगातार दो साल हिन्दुस्तान में सोवियत रूस का प्रचार करते रहे, उसका प्रोपेगेण्डा करते रहे और उन्होंने इस काम में हमारे देश के पत्रकारों, हमारे टेलिविजन को इस्तेमाल किया। यह इस में छपा हुआ है। यह "इन्टर-नेशनल अफेअर्स, 223, टैगार पार्क" से छपा हुआ है।

इसी तरह का कुछ समाचार "कैरावान" में निकला है जो दिल्ली प्रेस से निकलता है। इसमें एक बड़ा अजीब समाचार है और यह भी हम मन्त्री जी को देंगे। इसमें पृष्ठ 7-8 पर लिखा हुआ है 'भारत में मास्को का हाथ' प्रधान मन्त्री के भूतपूर्व सेक्रेटरी** और पीस कौंसिल के प्रधान** इन लोगों पर आरोप लगाया गया है प्रमोद कुमार नाम के सज्जन द्वारा कि इन्होंने गोपनीय सामग्री विदेशों में भेजी है और इसके बारे में हमने यह देखा है कि एक मुकदमा भी कायम किया गया है। किसी सज्जन ने मुकदमा कायम किया है और वह अदालत में चल रहा है। इसी लिफाफे में एक और पैम्फलट मिला। किसने यह दिया है, हम नहीं जानते। किसी ने हमारे कमरे में यह डाल दिया। यह इतना बड़ा पैम्फलट है और इसमें सारे का सारा मैटीरियल लिखा हुआ है और भेजने वाले का नाम और एड्रेस भी हैं और इसमें "ओनलुकर" का हवाला है 23 सितम्बर, 1983 का। इसमें यह आरोप है कि यह जो वर्तमान सरकार है, इसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें डिटेल में वर्णन है और इसमें श्री पालकी वाले का भी वर्णन है। मैं ये सब कागज सौंप दूंगा।

श्री रतनसिंह राजदा : कैरावां के नवीनम अंक में लिखा है कि सोवियत संघ ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को सभा से हटाने का षड़यंत्र रचा है। (**व्यवधान**)

**पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाला गया।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस प्रकार की इसमें सामग्री है जोकि मन को बहुत धक्का और ठेस पहुंचाती है। इस तरह से एक बड़ी अजीब सी स्थिति में हम लोग आ पहुंचे हैं कि हमारे इस मुल्क में क्या हो रहा है। क्या हम आज इतने ज्यादा एलर्ट नहीं हैं और हमारी ये जो संस्थाएं हैं जासूसी की वे एलर्ट नहीं हैं और हमारा जो गृह मन्त्रालय या रक्षा मन्त्रालय है, वह कैसे काम कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि इतने बड़े मुल्क की जिम्मेदारी हमारे गृह मन्त्रालय पर है और रक्षा मन्त्रालय पर है लेकिन यह सब जो हो रहा है, इसके लिए वे क्या कर रहे हैं। ये सब खबरें आ रही हैं और हमारे देश में यह सब हो रहा है, इसके लिए वे क्या कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं दो-चार सुझाव छोटे-मोटे दूंगा और इन बातों की विशेष गहराई में नहीं जाऊंगा। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सेना के अधिकारी रिटायर होने के बाद अपने घरों पर जाते हैं, 50-52 वर्ष के जब वे होते हैं, वे अपने घरों को चले जाते हैं। हम यह चाहेंगे कि सेना की कार्य-प्रणाली में जो लोग जिम्मेदार होते हैं, उन पर हमारे देश की जासूसी संस्थाएं जरूर नजर रखें।

एक माननीय सदस्य : राज्य सभा का मेम्बर बना दो।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारे साथी ने यह सुझाव दिया कि उनको राज्य सभा का मेम्बर बना दिया जाए। हम समझते हैं कि तब तो इनको और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। फिर इसके बाद सेना से रिटायर होने के बाद सेना के अधिकारी विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं, मैं डिवेट की एक कापी पढ़ रहा था, उसमें हमें देखने को मिला कि आज से 7-8 साल पहले कुछ सेना के अधिकारी जब यहां पर खाली हो गए और उन्हें कोई काम नहीं मिला, तो वे विदेश में गए और विदेशों में उनको दावतें दी गईं और उनका मन बहलाया गया और उनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त की गई। तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को यह सुझाव दूंगा कि हमारी सेना के जो जिम्मेवार लोग विदेशों में जाते हैं, उन पर ध्यान रखने की जरूरत है।

इसके अलावा कुछ उच्च सैनिक अधिकारी विदेशों में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। कुछ हथियार हम यहां पर बनाते हैं और इसके साथ ही साथ और बहुत से यन्त्र बाहर से खरीदते हैं, तो उनके बारे में वे ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस काम के लिए जो कुछ अधिकारी बाहर जाते हैं, तो वे वहां की जासूसी संस्थाओं से या वहां के दूसरे लोगों से मिलते हैं, जिनको हमारे देश के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है और जासूसी कराने की इच्छा होती है। वे कब किसको खरीदते हैं, इस पर नजर रखने की जरूरत है।

कुछ पैसे की बात चली और राजेश पाइलट जी ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी। कुछ विदेशी संस्थाएं यहां रोजगार करती हैं और हम भी बाहर रोजगार करते हैं। कुछ प्राइवेट लेन-देन होता है, जो कार्य यहां पर कराया जाता है, उसके एवज में। जैसे कि जो गिरफ्तार किए गए, उनमें से एक को पांच हजार रुपये महीना दिया गया, उनके छोटे भाई को तीन हजार रुपये महीना दिया जा रहा था। वह राशि अपने यहां के मुल्क में दी जा रही थी। मैं ध्यान दिलाऊंगा कि जो

यहां विदेशी व्यापार होते हैं, पैसे के लेन-देन होते हैं, यह सारा सरकार के द्वारा हो। इससे हमारे यहां मुद्रा का हिसाब-किताब हो सकता है, इससे मुद्रा की चैकिंग हो सकती है। इसलिए इस तरह भी ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, यहां जो बहुत से विदेशी दूतावास हैं, उनमें कुछ ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं जो सन्देहास्पद हैं। हमारे पास एक सूचना है कि चार आदमी, जो कि किसी बहुत बड़े देश के जासूस हैं, वे भारत में रह रहे हैं और खुलेआम काम कर रहे हैं।

एक मिस्टर ओशाका दशेब बलादामीर हैं जिनको 9 फरवरी, 1978 को केनाडा से निकाल दिया गया था।

दूसरे मिस्टर आई० वो० नो० फैड्रोविच हैं जिन्हें मार्च, 1976 में फ्रांस से निकाल दिया दिया था।

तीसरे, मिस्टर यू० री० सैनोनो हैं जिनको 19 जनवरी, 1974 को चीन से निकाल दिया गया था।

चौथे हैं, मिस्टर टेरिटी सिनको, जिनको अप्रैल, 1982 में स्पेन से निकाल दिया गया था।

ये चारों लोग आज हिन्दुस्तान में हैं और इनमें से पहले व्यक्ति सोवियत वाइस कौन्सल, मद्रास में, दूसरे रूसी कौन्सल, कलकत्ता में; तीसरे सोवियत ट्रेड मिशन, दिल्ली में और चौथे एरोफ्लोट, कलकत्ता के दफ्तर में काम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, यह तो बात ऊपर कही जा चुकी है। मैं सुझाव दूंगा कि इनकी जांच की जाए।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि हमारे यहां दूतावासों में जो ऐसे व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिनको कि किसी राष्ट्र ने जासूसी के आरोप में अपने यहां से निकाल दिया था, वे चाहे किसी भी राष्ट्र के हों, मैं यह नहीं कहता कि वे अमेरिका के हों या रूस के हों, किसी भी राष्ट्र के हों, उनको अपने यहां दूतावासों में काम करने न दिया जाए। हमें उन राष्ट्रों से यह कहना चाहिए कि जिन व्यक्तियों का चरित्र ऐसा हो, उन व्यक्तियों को वे हमारे यहां दूतावासों में काम करने के लिए न भेजें।

अगला सुझाव मैं यह दूंगा कि जो शस्त्र हम खरीदने जाते हैं, हमारी सरकार दूसरे देशों में खरीदने जाती है, जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा कि हमें शस्त्र खरीदने हैं, हमें सीखना है, और बहुत से दूसरे सामान भी खरीदने हैं, यह ठीक है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम ये दलालों या बिचौलियों के माध्यम से खरीदें। जो सामान हमारे यहां कहीं और से आये, उसके लिए हम यह चाहेंगे कि हमारी सरकार, हमारे विशेषज्ञ स्वयं वह सामान खरीदें। हमारी सरकार अपने विशेषज्ञों को वहां भेजे और वे जाकर देखें कि हमारे लिए वह सामान उपयुक्त है या नहीं। अगर उपयुक्त है तो हम सीधे जाकर खरीदें, इसमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है।

हमारी इन्टरनेशनल पालिसी है जिसके कि हम सब लोग बराबर गीत गाते हैं। हम यह

नहीं कहते कि वह अच्छी है या बुरी है। लेकिन हमारे जो सहयोगी मित्र राष्ट्र हैं, जो हमको अपना सामान देते हैं, या हमारे से जो परामर्श करते हैं, हमारे सामानों को देखते हैं, हमें उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कि हमारे से ज्यादा अच्छा सम्बन्ध उनका दूसरे देश से हो और हमारी बातों को वे दूसरे देश को बता देते हों। इस प्रकार भी जासूसी के कार्य हो रहे हैं।

मैं यह पेपर आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को सौंप दूंगा। यह जो स्पाइंग का विषय है, यह हमारे देश की राजनीति का मामला नहीं है। यह हमारे देश के 70 करोड़ लोगों का मामला है। यह उन लोगों का प्रश्न है जो कि हजारों, लाखों की संख्या में इस देश के लिए बलिदान हो गए और जिनके जीवन के बलिदानों और जिनकी जद्दोजहद के बाद इस देश को आजादी प्राप्त हुई। अगर हमारे आजाद मुल्क में इस प्रकार की जासूसी होगी, हमारे देश की चीजें दूसरे देशों को पहुंचती रहेंगी तो इससे हमारे देश को खतरा होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, आज सदन में जो विषय लिया जा रहा है वह बड़ा गंभीर है और गंभीर इस मायने में है कि इसमें आर्मी के इतने ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति जासूसी के कार्य में रत पाए गए। मैं समझता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेजर जनरल जैसे व्यक्ति एस्पियनेज में इन्वाल्व हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि अब तक आर्मी आफिसर्स का स्टेण्डर्ड रहा है देशभक्ति का। देशभक्ति की परंपरा में चाहे हमारा सिपाही हो, आज तक रिकार्ड रहा है कि इस तरह की एक्टीविटीज में कभी संलग्न नहीं रहा है। अभी तक जितने भी काण्ड हुए हैं एस्पियनेज के, उसमें आफिसर्स ही पाए गए हैं।

सबसे मुख्य बात मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने अरसे से यह काम हो रहा था। अखबार से पता चलता है कि काफी समय से यह चल रहा था। इसका पता क्यों नहीं लगा। रक्षा मंत्रालय की इंटेलीजेंस और होम मिनिस्ट्री की इंटेलीजेंस को इस बात का पता क्यों नहीं लगा ? इसके साथ-साथ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट कोर्ट में मेजर जनरल लारकिन्स ने दिया है, आज ही दिया है वह भी अपने आप में डिसेप्टिव एस्पियनेज मालूम होगा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह स्टेटमेंट इसलिए दिया गया हो कि विदेशी दूतावास के लोग जो इसमें इन्वाल्व हैं उनके बारे से अधिक जानकारी न की जाए, अधिक इंवेस्टीगेशन न किया जाए। उस ओर से सरकार का ध्यान बंटाने के लिए इस तरह का कंफेशनल स्टेटमेंट दिया गया हो। यह जो मेजर जनरल लारकिन्स का आज स्टेटमेंट आया है इसकी गहराई से जांच होना चाहिए कि किस उद्देश्य से यह पेश किया गया है। इसके पीछे क्या राज है। इस पर हमारे रक्षा मंत्री पूरी तरह से गौर फरमाएगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जो उन्होंने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में कारण दिए हैं वे कन्वेंसिंग नहीं हैं। उन्होंने बताया है कि घूमने के लिए जाते थे और कोई विदेशी डिप्लोमेंट उनके संपर्क में आता है उसके कुत्ते के काटने के कारण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उसके बाद शुरू-शुरू में 5 हजार दिया जाता है। इसके बाद लगातार एक दूसरे को भोज देते हैं और काफी लम्बे अरसे तक ये कार्यवाही चली। तो इस अवधि में आपको और आपके इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी न होने का क्या

कारण था। उसका बैंक बैलेंस आमदनी से ज्यादा पाया गया है। उसका एकाउंट दिल्ली में है। आस्ट्रेलिया जाने के लिए उसने पासपोर्ट लिया। क्यों जाना चाहता था। कितने दिन से वह आस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा था, क्या इस बात की सूचना आपको नहीं थी ? इतना बड़ा अफसर देश छोड़कर क्यों जा रहा है, दूसरी जगह क्यों सैटल होना चाहता है, यह अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। इन सबके बारे में जानकारी करना आवश्यक है।

इसके साथ-साथ अभी जो रक्षा मत्रालय ने आदेश दिए हैं कि सीक्रेट डाकूमेंट्स तक रिटायर्ड आफिसर्स नहीं जाएंगे। अभी तक जो कंसल्टेंसी के नाम पर या कांट्रीयूशन लेने के नाम पर जो होता था वह भी अपने आप में बड़ा घातक था। इसलिए तुरन्त कार्यवाही की गई है और वहां तक इनकी पहुंच को रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी इस तरह के एंवालब्मेंट इनडायरेक्ट तरीके से इनफरमेशन वहां न पहुंचे इसके लिए भी क्या आप रोक लगाएंगे ? जितने भी मिल्ट्री में काम करने वाले लोग हैं या सिविलियन आर्डनेंस में हैं या और दूसरे तरीके से हैं, वह इनफरमेशन भी किसी भी तरीके से लीक न हो, इसके बारे में आप और कोई दूसरे मजबूत कदम उठाएंगे, जिससे आगामी आने वाले समय में एसपियनेज की इस तरह की घटनाएं न हों।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक इस तरह का सैल कायम किया जाए जिससे हमारे रिटायर्ड आफिसर्स जो विदेशी लोगों के सम्पर्क में आते हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। उनके पास ऐसी इंफारमेशन होती है जो हमारे विरोधी राष्ट्र के पास पहुंचती है, तो उससे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्या इस तरह का सैल मुकर्रर किया जाएगा जिससे रिटायरमेंट के बाद भी उनकी गतिविधियां मालूम हो सकें। खासतौर से उस आफिसर की सराहना करनी चाहिए जो मेजर जनरल और एअर-वाइस-मार्शल के रैंक से भी नीचे का आफिसर था और जिसने आर्मी के हाइएस्ट आफिसर को सूसना दी कि इस तरह का रैकेट चल रहा है। वह आफिसर सराहना के योग्य है। इन शब्दों के साथ, माननीय रक्षा मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में और मजबूत कदम उठाएं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, इस समूचे कार्य का अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से संचालन करने के लिए सरकार को बधाई देने में मैं भी माननीय सदस्यों के साथ हूं। चाहे आरम्भिक जानकारी उनके अपने अधिकारी से ही प्राप्त हुई हो लेकिन उससे उस अधिकारी के उच्च नेतिक स्तर का पता चलता है जिसने तत्काल इसकी सूचना सरकार को देनी जरूरी समझी और स्वयं शिकार को फंसाने के लिए स्वयं केवल सूचनादाता की भूमिका निभायी।

लेकिन यहां केवल मामले पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि मामला न्यायालय में है। सरकार विस्तृत जानकारी देने से झिझक रही है। लेकिन मेरे विचार में चर्चा करने से देश में जासूसी की गतिविधियों पर प्रकाश पड़ेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते तथा श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा अन्य सदस्यों ने कहा है कि विदेशी गुप्तचर एजेंसियों और विशेषकर सी० आई० ए० तथा के० जी० बी० ने इस देश को गुप्तचरी का

अड्डा बना रखा है। वर्तमान मामला सोवियत संघ से प्राप्त शास्त्रों की किसम के तथा उन्हें लगाये जाने के बारे में कुछ दस्तावेजों से सम्बन्धित है। लेकिन विश्व में और विशेषकर भारत में जिस प्रकार की जासूसी गतिविधियां चल रही हैं वह अनेक प्रकार की हैं। उदाहरण के लिए आज हमारे देश की चप्पा-चप्पा भूमि की फोटो सोवियत संघ तथा अमरीका के उपग्रहों द्वारा ली जा रही है और ये फोटो इतने साफ हैं कि उनसे पता चल जाता है कि हम कौन-सी फसल उगायेंगे, फसल कितनी होगी और अमरीका में तो ऐसी बात भी कही जा रही है कि वे उपग्रह के माध्यम से सड़क पर दौड़ रही मोटरगाड़ी की लाइसेंस प्लेट का भी फोटो ले सकते हैं। इन उपग्रहों से तब तक कोई बचाव नहीं है जब तक आप उतना तकनीकी विकास नहीं कर लेते या मारक उपग्रह तैयार नहीं कर लेते जो उन उपग्रहों को मार गिरायेगा। हम अभी इस क्षेत्र में बहुत पीछे हैं और ये उपग्रह हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों या सैनिक गतिविधियों के बारे में प्रभावी जानकारी दोनों बड़ी शक्तियों को दे सकते हैं। अतः हमारी गुप्तचरी का जो स्तर है, उससे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते और उनकी जासूसी नहीं कर सकते।

जासूसी गतिविधियों की दूसरी श्रेणी में आती है हमारे देश के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अर्थात सरकार के ढांचे विशेष रूप से गुप्तचर विभाग में घुसपैठ। हमने यहां बहुत नाटकीय प्रदर्शन देखा है। मैं आपको अंग्रेज फिलबी से सम्बद्ध घटना की याद दिला दूं। वह ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा में वरिष्ठतम आसूचना अधिकारी था जब उसे वाशिंगटन में ब्रिटेन के दूतावास में नियुक्त किया गया। वास्तव में कालेज के दिनों में ही उसे के० जी० बी० एजेन्ट के रूप में रख लिया गया था। जब उसे गिरफ्तार किया ही जाने वाला था तो वह सोवियत संघ चला गया। अतः इस प्रकार की बातें स्वयं आसूचना सेवा में होती रहती है। हमारे देश में यह घुसपैठ कहां तक हो गई है, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि अत्यधिक निगरानी के बाद तथा अधिकारियों को पूर्व चेतावनी मिले बिना सरकार इन लोगों को पकड़ने में सफल रही है, यह पता चलता है कि हमारा आसूचना विभाग अभी भी सुदृढ़ है। श्री वेंकटरामन, श्री सेठी तथा उनसे पहले रक्षा मन्त्री और गृह मन्त्री को बधाई दी जानी चाहिए जिन्होंने इसे विदेशी गुप्तचरों की घुसपैठ से बचा कर रखा है। लेकिन मेरे विचार से यह क्षेत्र ऐसा है कि उसे बचाये रखना आसान काम नहीं है और हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा। आसूचना विभाग में असंतोष है। श्री पाइलट ने सारे सैनिक कर्मियों की समस्याओं का चित्र खींच दिया है। मेरे विचार ये आसूचना विभाग में भी ये समस्याये होंगी और हमें उनकी जांच करके विशेष सावधानी बरतनी होगी।

निःसन्देह जासूसी का तीसरा ढंग है, कार्मिक संघों जैसे संगठनों में घुसपैठ करना। विदेशी गुप्तचर क्रियाकलापों के लिये अनेक कार्मिक संघों को लक्ष्य बनाया जाता है और मेरे विचार से दोनों बड़ी शक्तियां इस ओर पूर्ण ध्यान दे रही हैं। सरकार को भी इस क्षेत्र की ओर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

पिछले पांच या छः वर्षों में एक और ढंग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, वह है 'डिसइंफार्मेशन' के माध्यम से जासूसी करना। यह 'मिसइन्फार्मेशन' अर्थात गलत जानकारी देने से हटकर चीज है।

इसका अर्थ है ऐसी जानकारी देना जो देखने में बिल्कुल सही लगती है लेकिन जिसका वास्तविक उद्देश्य भ्रान्ति पैदा करना या गलत प्रभाव डालना होता है।.....

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : इससे आप भ्रमित होते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इससे आप भ्रमित होते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। हाल ही में थाइलेंड के नौसेनाध्यक्ष ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि भारत सरकार ने निकोबार द्वीप को सोवियत संघ को सैनिक अड्डा बनाने के लिये दे दिया हैं। इस बात का उद्देश्य विश्व जनमत को भारत के विरुद्ध करना है। बाद में उनकी यह बात सही नहीं निकली और उसका खंडन कर दिया गया। इसी प्रकार हमारे मित्र या पड़ौसी देशों में कई बार ऐसी खबरें प्रेस में प्रकाशित होती हैं जो सत्य नहीं होतीं। हाल में 'पेट्रियाट' में समाचार छपा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका के राजदूत ने अपने भाषण में भारत का बटवारा करने की बात कहीं है। यह 'डिस्इन्फार्मेशन' बढ़ रही है और हमें इन चीजों के बारे में सावधान रहना है। बहुत से निर्दोष व्यक्ति इसका शिकार हो जाते हैं। कई लोग तो किताबें भी लिख देते हैं। उदाहरण के लिये श्री सेमूर हर्ष ने अपनी पुस्तक में जो यह आरोप लगाया है कि श्री मोरारजी देसाई सी० आई० ए० के एजेंट थे या जब श्री पेट्रिक मोयनीहान ने लिखा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को सी० आई० ए० से धन मिला है तो क्या ये लोग भी इसी 'डिस्इंफार्मेशन' की तकनीक का शिकार तो नहीं थे।

अन्त में तकनीकी जासूसी की बात आती है। आज जो कुछ हुआ है अर्थात सेना के अधिकारियों को चंगुल में फंसाया गया है, यह तकनीकी जासूसी की श्रेणी में आता है। मेरे विचार से अमरीकियों को जो जानकारी अभी तक मिली है, वह विशेष महत्व की नहीं है। आपने शुरू में ही उन्हें पकड़ लिया। उसके लिये बधाई के पात्र हैं। किसी एजेन्ट को शामिल करने के काम में काफी समय लगता है। यदि आप किम फिल्बी की आत्मकथा पढ़ें तो पता चलेगा कि कैसे 10 या 15 या कभी-कभी 30 वर्ष का समय भी इसमें लग जाता है। लेकिन यदि हमारे देश में सोवियत शास्त्रों के बारे में अमरीकियों की रुचि है तो हमारे देश में पश्चिमी देशों से आने वाले कम्यूटरों की जानकारी लेने में सोवियत संघ भी रुचि रखता है। उदाहरण के लिये आई० आई० टी०, दिल्ली में इलैक्ट्रानिक्स के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार करके संस्थान से निकाल दिया गया था क्योंकि वह पश्चिमी देशों द्वारा संस्थान को दिये गये कम्यूटरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करके सोवियत संघ को भेजता था। उसे के० जी० बी० एजेन्ट के रूप में पकड़ कर सेवा से निकाल दिया गया। फिर बाद में पता नहीं उसका क्या हुआ।

अत: इस प्रकार की तकनीकी जासूसी बड़े स्तर पर चल रही है। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना है क्योंकि हम दोनों बड़ी शक्तियों से शस्त्र खरीदने हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आप मेरी ओर घूर कर देख रहे हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : न केवल मैं आपकी तरफ बल्कि घड़ी की ओर भी देख रहा हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वह जानकार व्यक्ति हैं। हममें से अधिकांश तो अनभिज्ञ हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें कहने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने स्वयं····· । वास्तव में घंटी बजाने का समय तो अब आया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमारे देश में संसद सदस्यों को प्रलेखित प्रमाण दिए जाने चाहिए। के० जी० बी० क्या है अथवा सी० आई० ए० क्या है इस बारे में तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। इस बारे में समुचित सामग्री है और वह जुटाई जा सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। विश्व शांति परिषद संगठन·····

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदस्यों के लिए कुछ कक्षाएं क्यों नहीं चलाते ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह काम संसदीय अध्ययन ब्यूरो का है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम सब आपसे सीखना चाहते हैं।

श्री एम० एम० लारेंस : इसका उन्हें बहुत अनुभव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन हम अपना पाठ याद नहीं करेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : आप चाहते हैं कि वह जासूसी के सम्बन्ध में कक्षाएं लें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप विश्व शान्ति परिषद को ही लीजिए। यह हमारे देश में कार्य कर रही है। कुछ अरसा पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को, अपने संगठन को गैर सरकारी संगठन का दर्जा प्रदान करने के लिए दरख्वास्त की थी। यह एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण खिताब है। कई संगठनों को यह दर्जा प्राप्त है और इस दर्जे के आधार पर गैर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना कार्यालय रखने के हकदार हो जाते हैं। जब वे इस दर्जे को प्राप्त करने के लिए आवेदन देते हैं तो उन्हें एक जांच के दौर से गुजरना पड़ता है और उस दौरान विश्व शांति परिषद के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि विश्व शांति परिषद के लिए अधिकांश निधि के० जी० बी० से प्राप्त होती है। यह सब लिखित रूप में मौजूद है यह कोई ऐसी बात नहीं·····

(व्यवधान)

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह खबर एकदम गलत है·····

(व्यवधान)

मैं विश्व शांति परिषद का एक जिम्मेदार सदस्य हूं और मैं इनकी तरह नहीं हूं। मैं एक देशभक्त हूं। मैं इनके इस वक्तव्य को चुनौती देता हूं। यह खबर गलत है···आप आरोप लगा रहे हैं। मैं विश्व शांति परिषद का सदस्य हूं···आपको यह प्रलेख मिला कहां से कि उनको के० जी० बी० से धन प्राप्त हो रहा है ?···**(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं सहर्ष समस्त सामग्री को सभापटल पर···**(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह एक बहुत गंभीर मामला है उनका कहना है कि विश्व-शांति परिषद के अध्यक्ष ने ऐसा कहा है और यह लिखित रूप में भी उपलब्ध है···**(व्यवधान)**

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : लिखित रूप में क्या उपलब्ध है ? यह गलत खबर है ।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती और श्री रामावतार शास्त्री इस परिषद के सदस्य हैं, यदि विश्व शांति परिषद को के० जी० बी० से धन प्राप्त हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों सदस्य के० जी० बी० से सम्बद्ध हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और यह एक गंभीर आरोप है ।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) **:** उस संगठन का अध्यक्ष कौन है ?

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह इसे प्रमाणित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने विचार प्रगट करने दीजिए ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : उस पक्ष के कई सदस्यों ने विश्व शांति परिषद के सम्मेलन में भाग लिया था ।

प्रो० एन० सी० रंगा (गुंटूर) : वे क्या कुछ कर रहे हैं । हो सकता है इस बारे में हम अनभिज्ञ हों ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप अपना निर्णय कल तक स्थगित कर दें तो मैं वह सभी दस्तावेज, जिसमें विश्व शांति परिषद ने संयुक्त राष्ट्र से अपने संगठन को गैर सरकारी संगठन का दर्जा देने का अनुरोध किया है और इस सम्बन्ध में छानबीन के दौरान किए गए प्रश्न तथा परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिए गए उत्तरों को सभापटल पर रखने · **(व्यवधान)** अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र हैं । हम यह जानते हैं जो कुछ कह रहा हूं उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह सभा का ध्यान दूसरी ओर करने का प्रयास कर रहे हैं··· **(व्यवधान)**

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : यदि उनके पास कोई लिखित प्रमाण है तो उसे उन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उनका कहना है कि विश्व शांति परिषद को अध्यक्ष ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि विश्व शांति परिषद के लिए धन के० जी० बी० से प्राप्त होता है वह अपने वक्तव्य के केवल इसी भाग को प्रमाणित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह सभी तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं। पर ये लोग परेशान क्यों हो रहे हैं ?

श्री सुनील मैत्रा : माननीय सदस्य ने कहा है कि हम गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं। आप कृपया उन्हें बोलने दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम यहां जासूसी गतिविधियों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल तभी बोल सकते हैं जब वह आपकी बात स्वीकार कर लें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नहीं मानता।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप इसका विरोध कर सकते हैं लेकिन आप उन्हें बोलने से रोक नहीं सकते। वह वक्तव्य दे चुके हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह बहुत अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य दे चुके हैं। यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। बस आप यही कर सकते हो।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री स्वामी.....

उपाध्यक्ष महोदय : वह डाक्टर स्वामी हैं।

श्री चित्त बसु : इस सभा के एक माननीय सदस्य डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी अन्य सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी क्या आप अन्य सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं विश्व शांति परिषद का सदस्य हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दे दी है।

श्री चित्त बसु : मुद्दा यह है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया है कि विश्व शांति परिषद को के० जी० बी० से धन प्राप्त हो रहा है। मैं और इसे सभा के कई सदस्य, जिनमें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी भी शामिल हैं, विश्व शांति परिषद के सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री चित्त बसु : आप मेरी बात सुनिए। विश्व शांति परिषद द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन सदस्यों ने भाग लिया था। हम महसूस करते हैं कि के० जी० बी० द्वारा इसे धन नहीं दिया जा रहा। इसलिए वह अप्रत्यक्ष रूप में—मैं कहता हूं प्रत्यक्ष रूप में—इस सभा के कई सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं। क्या उन्हें ऐसा करने का हक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया आप बैठ जाइए। वह अब इसका उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु : मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया इस मामले को गंभीरता से लीजिए। खाड़ी के देशों से भी धन प्राप्त हो रहा है। कृपया विपत्तियों का दरवाजा न खोलिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं अब उन्हें उत्तर देने दीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं·····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह श्री चित्त बसु की बात का उत्तर दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? डा० स्वामी को अपनी बात जारी रखने दीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, सभा को यह याद होगा कि वर्ष 1967 में, एशियाई फाऊंडेशन को सी० आई० ए० से धन प्राप्ति की घटना प्रकाश में आई थी। श्रीकृष्णयेनन एशिया फाऊंडेशन के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। वह इस संस्था से सम्बद्ध थे। लेकिन किसी ने उन पर सी० आई० ए० के ऐजेंट होने का आरोप नहीं लगाया। इसी प्रकार यदि कुछ माननीय सदस्यों ने विश्व शांति परिषद के कार्यक्रमों में भाग लिया है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे के०जी०बी० के लिए काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी मेरे विचार में आपने कहीं यह नहीं कहा कि विश्व शांति परिषद के० जी० बी० का संगठन है। (**व्यवधान**)

श्री चित्त बसु : इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और अविवेचित वक्तव्य के लिए उन्हें अदण्डित नहीं रहने दिया जा सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या दस्तावेज पेश करने जा रहा हूं। मेरा कहना है कि भारत में विश्व शांति परिषद बहुत सक्रिय है। (**व्यवधान**) उन्होंने अपनी संस्था को गैर सरकारी संगठन का दर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है। इस दर्जे को देने से पहले इस बात की काफी छानबीन की जाती है—जिसमें संगठन का बजट भी शामिल होता है—कि संगठन को धन कहां से मिलता है जिरह के दौरान और उपलब्ध दस्तावेजों में, जिन्हें मैं सदन के सभापटल पर रखने को तैयार हूं, विश्व शांति

परिषद के अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने जो लेखे प्रस्तुत किए हैं वह कुल धनराशि को बहुत ही कम अंश के बारे में हैं और अन्ततः उन्होंने स्वीकार किता है कि यह धनराशि के०जी०बी० से प्राप्त हुई है। इस बारे में दस्तावेज मैं आपको कल दिखा पाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब अगला विषय लिया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इन दोनों एजेन्सियों द्वारा गुप्तचरी का कार्य किया जा रहा है। (**व्यवधान**) अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि दोनों शक्तियों का ही हाथ है। अतः हमें सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। (**व्यवधान**) रक्षा राज्य मन्त्री मेरे साथ सहमत होंगे कि वे भी मेरे साथ राज्य सभा में हुआ करते थे जब दस वर्ष पहले भारत सरकार ने कुछ रूसी राजनयिकों को पकड़ा था। उस समय स्वर्ण सिंह विदेश मन्त्री थे। उस समय रूसी राजनयिक पकड़े गए थे। 1969 में हमने दो के० जी० बी० एजेन्टों को देश से निष्कासित किया था और यह प्रक्रिया चलती रहती है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया और मन्त्री महोदय को इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि क्या इस वर्ष भी कुछ लोगों पर के० जी० बी० से सम्बद्ध होने का सन्देह था। श्री सोनकर शास्त्री ने चार अथवा पांच व्यक्तियों के नाम बतायें हैं जिन्हें के० जी० बी० गतिविधियों के लिए दूसरे देशों से निष्कासित किया गया है। और जो आज रूसी दूतावास में राजनयिकों के रूप में कार्यरत हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ अमेरिकी राजनयिक भी हैं। वास्तव में मेरे विचार में सूचना समेकित की जानी चाहिए। सोवियत रूस में जिनके अच्छे स्रोत हैं उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि अमरीकी क्या कर रहे हैं और जिनके अमरीका में अच्छे स्रोत हैं उन्हें बताना चाहिए कि रूसी क्या कर रहे हैं, यदि मैं इसे मजाक में कहूं तो कह सकता हूं कि इस प्रकार देश का हित हो सकता है।

श्री सतीश अग्रवाल : हमें श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती तथा डा० स्वामी से यह कार्य करने के लिए कहना होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, श्री सतीश अग्रवाल के संगठन पर आरम्भ से ही सी० आई० ए० का प्रमुख संगठन होने का आरोप लगाया जाता रहा है— मुझे इस आरोप पर विश्वास नहीं है। यदि आप कोई भी वामपंथी पत्रिका पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उन पर हमेशा सी० आई० ए० का एजेंट होने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह बड़ी गम्भीर बात है। अब इस एक वर्ष में फ्रांस ने 40 के० जी० बी० एजेन्ट अपने यहां से निष्कासित किए हैं— हालांकि वहां साम्यवादी सत्ता में हैं—श्री मित्रां समाजवादियों के साथ वहां हैं। इंगलैंड ने इस वर्ष 90 व्यक्तियों का निष्कासन किया है। स्वीडन ने 11 के० जी० बी० एजेन्टों को निष्कासित किया है। स्वीट्जरलैंड से 6, नौर्वे से 4, डेन्मार्क से 3, जापान से 4, बंगला देश से 18, श्रीलंका से 7 के० जी० बी० एजेन्टों को निष्कासित किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आपको यह सूचना मिलती कैसे है।

श्री राजेश पाइलेट : यह बड़ा गम्भीर मामला है। आपको यह सूचना मिलती कहां से है?

प्रो० मधु दण्डवते : इसके बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, यह आंकड़े किसी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सी ने दिए हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया मुझे उनके भाषण में एक मिनट का व्यवधान डालने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं हमारे पास समय की बहुत कमी है और वे अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरकार ने एक अमरीकी राजनयिक को अनुमति नहीं दी और यह अच्छा ही किया और इस समय हमने सरकार का इसके लिए समर्थन किया था। ग्रिफिन जैसे राजनयिक को इस देश में आने की अनुमति नहीं दी गई थी। सरकार का यह दायित्व है कि किसी ओर भी झुकाव न दिखाने के लिए यह सुनिश्चित करे कि दूसरे देशों से गुप्तचरी के लिए निष्कासित राजनयिक इस देश में न आने पाए। आपको यही बात अन्य सभी राजनयिकों के बारे में भी करनी चाहिए। अतः निष्कर्ष में मैं केवल यही कहूंगा महोदय, मैंने 'अस्थरीकरण' आदि प्रश्नों पर अपने विचार नहीं रखे हैं क्योंकि यह बहुत ही प्रिय मामला है। मैं पालखीवाले का पत्र ला सकता हूं और कह सकता हूं कि अस्थरीकरण कैसे हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो उससे भी अधिक कह गये हो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह विषय अभी हाल के नहीं हैं। असली बात यह है कि इस प्रकार की बहु-आयामी गतिविधियों का संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, पत्रकारों आदि जैसे हम लोगों को सामना करना चाहिए। मेरे विचार से इसके लिए इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यसंचालन के बारे में संसद को और अधिक विश्वास में लिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री सतीश अग्रवाल : मैं नहीं बोलने जा रहा हूं। मैं श्री वेंकटरामन को एक पत्र लिख चुका हूं। यदि वे चाहें तो उन बातों का उत्तर दे सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : हां, मैं उनका उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे उत्तर देंगे तो उन बातों का भी उत्तर दे देंगे।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, आपने चर्चा के आरम्भ में कहा था कि माननीय सदस्यों को अन्त तक यहां रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, वे यहां रहेंगे।

श्री एन० के० शेजवलकर : किन्तु मुझे भय है कि वे यहां नहीं बैठे रहेंगे। मेरे पास बहुत ही कम समय है और मैं अपने विचार संक्षेप में ही कहने का प्रयास करूंगा। मैं सभी तथ्यों को

दोहराना नहीं चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने कुछ उल्लेख किए हैं और उनमें से कुछ तो "टुडे" "वीक" आदि समाचार पत्रों में आ भी चुके हैं। महोदय, हम वह हैं जो किसी भी प्रकार का किसी भी विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते, चाहे वह के० जी० बी० द्वारा हो अथवा सी० आई० ए० का हो या किसी अन्य एजेन्सी का हो। वह दिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जब कोई विदेशी एजेन्सी हमारे देश में ऐसा कार्य करेगी। जहां तक इन देशों का सम्बन्ध है यह सच है कि इस प्रकार का कार्य करना उनके हित में है। यद्यपि माताहारी तथा अन्य एजेन्टों जैसे लोगों के बारे में पुरानी कथाएं पढ़ने से हमें आनन्द प्राप्त होता है और यह शायद उन देशों के लिए श्रेय की बात हो किन्तु महोदय, मैं यहां खड़े होकर लज्जा का अनुभव कर रहा हूं कि हमारे वरिष्ट सेना अधिकारी दूसरे द्वारा इस प्रकार की गुप्तचरी की गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं। हालांकि हमारे गृह विभाग में, हमारी प्रधान मन्त्री की केबिनट में, हमारे रक्षा मन्त्री के साथ काफी मात्रा में सतर्कता तन्त्र हैं फिर भी हमारे अधिकारी इस प्रकार की गुप्तचरी की गतिविधियों के शिकार हो रहे हैं। क्या यह हमारे लिए अत्यधिक चिन्ताजनक बात नहीं है ? वास्तव में यह बहुत ही चिंता की बात है कि सतर्कता का इतना बड़ा जाल होते हुए भी वे लोग लगभग पिछले पांच वर्षों से इन गतिविधियों में लगे हुए थे और हम उन्हें अब तक पकड़ नहीं पाए हैं। महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे अनेक वरिष्ट अधिकारी हथियारों के यह सौदे कर रहे हैं ? यदि उन्हें इन सौदों को करने दिया गया, या तो वे किन्हीं स्थानीय व्यापारियों के अथवा किन्हीं विदेशी व्यापारियों के अथवा उन लोगों के एजेन्ट बन जाएंगे जो हमारे देश को हथियार बेचने में रुचि रखते हैं। अतः इन लोगों को इस प्रकार के सौदे करने की अनुमति क्यों दी जाए ? यह नहीं जानता कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते कि एक स्तर विशेष पर किसी एक सेना अधिकारी को हथियारों अथवा रक्षा से सम्बद्ध किसी अन्य महत्त्वपूर्ण मामलों के बारे में सप्लाई प्रबल अथवा सप्लाई ठेके का कार्य देखने पर प्रतिबन्ध लगा दें।

प्रो० एन० जी० रंगा : उनके परामर्श के बिना आप कहीं से भी खरीद कैसे कर सकते हैं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरा विचार है कि मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया हूं। मैं यह कह रहा था कि सेवा-निवृत्ति के बाद वे उन विक्रताओं के एजेन्ट बन जाते हैं। यह ठीक है कि विशेषज्ञ राय के बिना कोई भी कुछ खरीद नहीं सकता। जो सेवा में होता है उसे ही यह कार्य करने की अनुमति देनी होती है। किन्तु सेवानिवृत अधिकारियों को इन सौदे से कुछ न कुछ सम्बन्ध रखने की अनुमति देने से इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : इसे सरकार से सरकार स्तर पर होना चाहिये।

श्री एन० के० शेजवलकर : दूसरी बात यह है कि मैं यह जानना चाहगा हूं कि क्या आपके पास उन लोगों के नामों की सूची है जो गुप्तचरी अथवा किसी अन्य गतिविधियों के आरोप पर दूसरे देशों से निष्कासित किये गये और यहां विभिन्न दूतावासों अथवा किसी अन्य संगठन में कार्यरत हैं। यदि आप इस प्रकार की सूची बना सकें तो यह आपके सतर्कता में लगे लोगों के लिये सहायता हो सकती है। यद्यपि मेरे पास के० जी० बी० से सम्बद्ध ऐसे लोगों के नामों की सूची है जो गुप्तचरी

अथवा इस प्रकार की अन्य गतिविधियों के कारण दूसरे देशों से निकाले जा चुके हैं किन्तु भारत में कार्य कर रहे हैं। यह कार्य केवल के० जी० बी० ही नहीं कर रहा है। सी० आई० ए० के लोग भी इसमें हैं। उदाहरणार्थ, एक श्री अनातोली पावलोविच ओरोपिनोकी को 1971 में यू० के० से निकाला गया था और इस समय वह नई दिल्ली में रूसी दूतावास में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति श्री व्लादिमिर मिखेलोंच स्टाइचेखव को 1964 में ईथोपिया से निकाला गया था और इस समय वह नई दिल्ली में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त श्री लियोनिद निकोलाविच जेगालोओव को 1970 में यू० एस० ए० से निकाला गया था और वह भी इस समय नई दिल्ली में कार्यरत है। इसी प्रकार, व्लादिकिर इवानोविच ओशकादेखे को 1978 में कनाडा से निष्कासित किया गया था और इस समय मद्रास में वह वाइस काउसल हैं। एक अन्य व्यक्ति, श्री इवानोव यवजेनी फेडेरोविच को 1976 में फ्रांस से निष्कासित किया गया था। कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची देने के लिए सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात केवल के० जी० बी० तक ही सीमित नहीं है। जिन लोगों को दूसरे देशों से निष्कासित किया गया है, हमारे पास उसकी सूचना होनी चाहिए। हमारे पास वह सूचना क्यों नहीं है ? यह लोग यहां क्यों कार्य कर रहे हैं ? इस सम्बन्ध में सावधानी बरती जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में सावधानी बरती जा रही है या नहीं।

मैं अपने सभी सुझाव इतने थोड़े से समय में नहीं दे सकता। किन्तु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे लिये यह कोई श्रेय की बात नहीं कि हम इन व्यक्तियों का इतने लम्बे समय तक पता नहीं लगा सके। इससे पहले भी नन्दादेवी परियोजना आदि के बारे में गुप्तचरी की गतिविधियों का पता चला था। वे कहते हैं कि यह उनके सहयोग से बन रहा है। मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा यदि इसे हमें बताया जाए अथवा किसी उद्देश्य विशेष के लिए ऐसा हो। मैं उसका भी बुरा नहीं मानता किन्तु यदि कोई कार्य हमें बताये बिना किया जाये अथवा वह हमारे हितों के विरुद्ध है—यह बहुत गम्भीर बात है। ऐसी बातों का पता लगाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं नहीं जानता कि किन धाराओं के अन्तर्गत इन व्यक्तियों पर आरोप लगाये जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने कहा था कि बलात्कार के लिये दंड को बढ़ा दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि जहां तक गुप्तचरी का सम्बन्ध है, इसके लिए मृत्यु दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें मृत्यु दण्ड की व्यवस्था इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र के हित के विरुद्ध है। यदि उन्हें न्यायालय में दोषी पाया जाता है उन्हें शीघ्र ही दण्ड दिया जाना चाहिए और उन्हें फांसी दे दी जानी चाहिए। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आप मुझसे सहमत नहीं भी हो सकते। उन्हें न केवल जेल में डाला जाना चाहिए बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से राष्ट्र के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है इसे कलुषित करना तथा ऐसा कार्य करना जो देश भक्ति के विरुद्ध है। मेरी धारणा के अनुसार यह अत्यन्त जघन्य और गम्भीर अपराध है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया भविष्य के लिये कार्यवाही करें और इन बातों की पुनरावृत्ति न होने दें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री फ्रैंक एन्थनी ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस स्थिति में हस्तक्षेप करूंगा ताकि गृह मन्त्री बाद में बोल सकें ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : ठीक है मैं आपके बाद बोलूंगा ।

18.06 [डा० राजेन्द कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं ।]

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैंने महसूस किया कि मुझे बोलना चाहिए क्योंकि दुर्भाग्यवश मेरे सम्प्रदाय के दो वरिष्ठ सदस्य—दो भाई सम्बद्ध हैं । मैं बहुत दुखी हूं और शर्मिदा हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने इस मामले के लिये सम्प्रदाय पर कोई आक्षेप नहीं किया है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : यह सही है और मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ है । एक भाई मेजर जनरल है और दूसरा भाई एयर वाइस मार्शल है । क्योंकि मैं एक अग्रणी वकील हूं अतः दोनों भाइयों की पत्नियां अलग-अलग समय पर मेरी व्यावसायिक सेवायें प्राप्त करने के लिए मेरे पास आईं । यह उनकी गिरफ्तारी के बाद और समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने से पूर्व हुआ था । मैं हक्का-बक्का रह गया । मैंने पत्नी को बताया—'मैं आपराधिक कानून बार में पचास वर्ष रहा हूं । उस समय मैंने जासूसी के अभियोग लगाने के लिए भी सम्प्रदाय के किसी सदस्य का नाम नहीं सुना है । मैं पेश होने के लिये अपनी अनुमति नहीं दूंगा । लेकिन मेरे कनिष्ठ सहयोगी गये ।

मैं कोई व्यावसायिक रहस्य की बात नहीं बता रहा हूं । मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा । मेरे कनिष्ठ सहयोगी वहां गये और वह इन दोनों भाइयों से अलग-अलग मिले । इन दोनों को एक विशेष जेल में रखा गया था । वह वहां से लौट कर शीघ्र मेरे पास आए और कहा—"बड़े भाई ने मुझे बताया है कि उसने एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है ।" मुझे गहरा धक्का लगा । मैंने पत्नी को बताया जो मेरे सहयोगी के साथ गई थी कि मैं इस मुकद्मे को नहीं ले सकता । लेकिन एक भाई की पत्नी अड़ी रही । उसने कहा "वास्तव में आप एक अग्रणी वकील है । आप सम्प्रदाय के भी नेता हैं ।" मैंने कहा : "निश्चित रूप से इसीलिए मैं इस मुकद्मे को नहीं ले रहा हूं ।"

प्रो० एन० जी० रंगा : धन्यवाद ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैंने उसे बताया कि मैं शर्मिदा हूं । अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे शायद मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की प्रशंसा नहीं होगी । मैं उनकी प्रवृत्ति को जानता हूं और उन्होंने बहुत चतुराई से 'सी० आई० ए०' और 'के० जी० बी०' के बीच समानता लाने का प्रयास करके इस देश में 'सी० आई० ए०' की जासूसी से विचार-विमर्श किये जा रहे मूल विषय को परे धकेल दिया है ।

प्रत्येक देश की जासूसी सहित अपनी गुप्तचर सेवा है। लेकिन मैं 'सी० आई० ए०' की गुप्तचर सेवा से सम्बन्धित हूं। इस मामले के बारे में किसी बात के प्रकाशित होने से पूर्व 4 नवंर को मेरे संगठन के बहुत से प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए, मैंने समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस विशेष समाचार, जिसमें कहा गया है कि एक नये नियुक्त निदेशक द्वारा आजकल 'सी० आई० ए०' साम्राज्य पुनः शक्तिशाली तथा पुनः सक्रिय बनाया जा रहा है, का उल्लेख किया है। मेरे विचार से उनका नाम विलियम जे० कैसे है और जो विशेष रूप से राष्ट्रपति रीगन के नजदीकी मित्र हैं--और वह आजकल निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आ गये हैं। मैंने अमरीका से प्रकाशित होने वाली बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं तथा मेरा एक बहुत अच्छा मित्र, जो मूलतः अमरीकन नहीं है अपितु वहां पर बस गया है, एक सुविख्यात प्रोफेसर है। मुझे उनसे कुछ नवीनतम पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और एक पुस्तक जो मैंने पढ़ी है उसमें कहा गया है कि उनकी सरकारी सूची 'सी० आई० ए०' की सूची में सरकारी तौर पर प्रमुख कार्य निर्धारित किये गये हैं। इन प्रमुख कार्यों में कुछ अन्य देशों में तोड़-फोड़ करना तथा उन्हें अस्थिर करना शामिल है। 'सी० आई० ए०' के प्रमुख कार्यों की सूची में 10 अथवा 11 देश इस अस्थिरीकरण सूची में हैं। और मैंने अपने भाषण में कहा कि अब मैं आश्वस्त हूं कि भारत अब 'सी० आई० ए०' के प्रमुख कार्यों की सूची में है और मैंने कहा कि इसका कारण वर्तमान राष्ट्रपति की नीति है। राष्ट्रपति रीगन की कम्युनिस्ट विरोधी भ्रांति है और इस कम्युनिस्ट विरोधी भ्रांति के कारण वह विश्व का भ्रमण कर रहे हैं तथा अन्य देशों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं तथा उन्हें धन तथा हथियार देकर जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अमरीका के संरक्षण में आ जायें—इसे स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि वे अमरीका के आश्रित हो जायें। और आजकल मेरा विश्वास है कि भारत स्वयं सामरिक नीति, भौगोलिक तथा राजनीतिक दृष्टि से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देश है लेकिन इस समय भारत का नेतृत्व एक विशेष नेतृत्व है जब संयुक्त राष्ट्र में इन्दिरा गांधी ने भाषण दिया तो उनका भाषण विश्व में सबसे बड़े लोकतन्त्र के प्रधान मन्त्री के रूप में ही नहीं था अपितु संयुक्त राष्ट्र के 101 सदस्य गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में यह भाषण था और अगुआई की थी जिसे राष्ट्रपति रीगन अब अपनी मूल सामरिक नीति के प्रति इसे एक बाधा मानते हैं तथा सोवियत संघ के चारों ओर अपने सैनिक अड्डों की स्थापना करने और आश्रित राज्यों को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रहा है।

आजकल हम क्या देखते हैं? मैंने बहुत अध्ययन किया है। आजकल हम देखते हैं कि पाकिस्तान को अन्धाधुन्ध अत्यन्त आधुनिकतम हथियार तथा धन मिल रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अन्धाधुन्ध तरीके से।

श्री फ्रैंक एन्थनी : आज मैं पूरे दायित्व के साथ कहता हूं कि विशेष रूप से पश्चिम एशिया में अमरीकी हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान स्पष्ट रूप से इजरायल की भांति अमरीका का प्रतिनिधि है। और हमें कड़ुवे अनुभव से पता चलता है कि अमरीकी हथियारों का उपयोग करके पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने हम पर बार-बार हमला किया है।

आजकल मैं जो एक पुस्तक पढ़ रहा हूं वह पुस्तक वही है जिसका मेरे मित्र सुब्रह्मण्यम

स्वामी ने उल्लेख किया है। उन्होंने सेयमोर हर्ष के बारे में कहा है। मुझे मालूम है कि मेरे मित्र की इस मामले में सनक है। मैं इस पर विचार नहीं कर रहा हूं। सेयमोर हर्ष की पुस्तक—सत्ता के मूल्य वाले हिस्से को मैंने थोड़ी रुची से पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री अमरीका सरकार के नियमित वेतन लाने वाले व्यक्तियों में से थे। लेकिन यह ठीक नहीं है। लेकिन मैं सेयमोर हर्ष को नहीं जानता मैंने तो उनका नाम सुना है। मुकद्दमा चल रहा है और उन्होंने कहा है कि वह इसे प्रमाणित कर देंगे जो एक अलग बात है। मेरा विश्वास है कि सेयमोर हर्ष एक अत्यन्त ख्याति प्राप्त अमरीकी खोज-पड़ताल करने वाले रिपोर्टर हैं। मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि उन्होंने 'सी० आई० ए०' की गतिविधियों का भारी भण्डाफोड़ किया है।

उन्होंने आन्तरिक तोड-फोड़ विशेष रूप से चिली तथा वहां के शासक सेल्तादोर अलेंदे को अस्थिर करने के प्रयास का उल्लेख किया है। मैंने इसे देखा है। मैंने यह बात दिमाग में रखी है। वर्ष 1958 में अमरीकावासियों ने राष्ट्रपति पद के लिए एक विशेष व्यक्ति का समर्थन किया। उन्होंने प्रचुर धन खर्च किया लेकिन अलेंदे हार गए। जब 1970 में वह निर्वाचित हुए तो अमरीका, वासी उनकी राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन हो जाने के कारण उन्हें सत्ता से हटाने के लिये कृत संकल्प थे। 1970 में उन्होंने उसे समाप्त करने का निर्णय किया। प्रमुख साधन 'सी० आई० ए०' था। तीन वर्ष बाद अलेंदे की हत्या कर दी गई थी। मेरी हर्ष के विश्लेषण में रुचि थी। उन्होंने कहा कि 'सी० आई०ए०' ने स्वीकार किया कि चिली का अस्थिरीकरण करने में उन्होंने उस पर 80 लाख डालर खर्च किये थे। उन्होंने यह भी कहा था—यह मुद्दा है जिसे मैंने विशेष रूप से नोट किया है—उन्होंने चिली सरकार के राजनीतिक, सैनिक तथा असैनिक सभी तत्वों पर ध्यान दिया है। आजकल यह सबसे बड़ा खतरा है। हमने इस मामले में इस विशेष बात पर बल दिया है। यह बात नहीं है कि हम इन लोगों का बचाव कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा है मुझे इस बात पर शर्मिन्दगी है। लेकिन हमें इससे एक प्रकार का परोक्ष रूप से लाभ हुआ है। पहली बार हमें विशेष रूप से नामों का उल्लेख करते हुए इस घटना का विस्तृत रूप से पता चला है कि इस देश में राजनयिकों के रूप में बहुत से अमरीकी जासूस घूम रहे हैं और जैसा मैंने कहा है कि इस बारे में आपको मालूम होना चाहिये क्योंकि आपका गठन ऐसा है। मैं महसूस करता हूं कि भारत 'सी० आई० ए०' के प्रमुख कार्यों की सूची में है। आर्थिक दबाव के जरिए देश का अस्थिरीकरण करने के लिये अन्य हथकंडे हैं। अलेंदे से पूर्व विश्व बैंक ने चिली को 2340 लाख डालर दिए थे। अलेंदे के चुनाव के बाद उसने एक भी डालर का कोई ऋण नहीं दिया। और आजकल हम आर्थिक दबाव के अधीन हैं चाहे यह विश्व बैंक से हो अथवा अन्य संगठनों से हो। प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हम प्रायः आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और हम कम से कम ऋण की प्रतिशतता ले रहे हैं लेकिन हमें इस सहायता की आसान शर्तों पर जरूरत है। लेकिन यह दबाव है। यह एक हथकंडा था जो अलेंदे के शासन में तोड़-फोड़ करने और अस्थिर बनाने के लिये प्रयुक्त किया गया था। मैं वास्तव में विश्वास करता हूं क्योंकि मैं प्रतिदिन हत्या के मुकद्दमे, विशेष रूप से पंजाब, लड़ता हूं। इन नाजुक क्षेत्रों में अधिकांश आतंकवादी तथा पृथकतावादी गतिविधियों को चलाने के लिए सी० आई० ए० से हथियार तथा धन मिल रहा है। मैं आपको इसका कारण बताऊंगा।

मैं अपने सिख मित्रों के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरे बहुत से सिख मित्र हैं। उनमें से कुछ मेरे जूनियर सहयोगी हैं। इनमें से एक अथवा दो व्यक्तियों को गुमराह किया गया है। मैं प्रायः नियमित रूप से चंडीगढ़ जाता हूं। इनमें से एक व्यक्ति से मिलने पर मैंने उससे पूछा : "आप क्या कर रहे हैं ? आप अपने संप्रदाय की छवि को धूमिल कर रहे हैं।" आपको मालूम है उसने मुझे क्या बताया। क्या आपका विचार है, श्री सेठी हमें हथियार प्राप्त करने से रोक रहे हैं ? उनका विचार है कि हम भारतीय हथियारों पर निर्भर करते हैं। हम उन पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रसंग-वश श्री सेठी मेरे जैसे पुराने शिकारी को बन्दूक रखने से मना कर रहे हैं। हमें अमरीका तथा पाकिस्तान से अलग-अलग निशान के चोरी छिपे हथियार मिलते हैं। यह उन्होंने कहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आपको उस मित्र का नाम श्री सेठी को बताना चाहिए—जिस मित्र ने आपको बताया है कि उन्हें हथियार मिल रहे हैं ताकि वे इसकी जांच-पड़ताल कर सकें।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या आपका विचार है कि वह इसे स्वीकार करेंगे। यह सामान्य जान-कारी की बात है कि अत्याधुनिकतम हथियार चोरी छिपे लाये जा रहे हैं और प्रयुक्त किये जा रहे हैं। वे लाइसेंसशुदा हथियार नहीं हैं। मैं दिल्ली में हुए बहुत ही सनसनीखेज हत्या के मामलों की पैरवी कर रहा हूं। जुओ खिलाने के दो बड़े कुख्यात व्यक्ति थे। आरोप यह है कि मेरे मुवक्किल ने दूसरे व्यक्ति की गोली से हत्या कर दी। उसके भाई ने मुझे वकील बनाया, लेकिन उसकी भी उस समय हत्या कर दी गई जब वह एक सिनेमाघर से बाहर आ रहा था। उनमें से एक ने कहा कि आपने फ्रेन्क एन्थनी को बकील चुना है ? हम अन्य वकीलों को रिश्वत दे सकते हैं, लेकिन फ्रेन्क एन्थनी को नहीं। मैं कह रहा था कि वे अत्याधुनिक रिवाल्वर, अत्याधुनिक पिस्तौल प्रयोग कर रहे थे जिनका मुकाबला भारत में बनी बन्दूकें भी नही कर सकतीं। हां, यह सही है कि सिख कुछ भूमि के लिए लड़ रहे हैं। उनमें से कुछ खतरनाक तमंचों, हाथ से बनी बन्दूकों का प्रयोग कर रहे हैं; लेकिन अब वे न केवल हत्याओं के लिये बल्कि आतंकवाद और हिंसक कार्यवाहियों के लिए आयातित हथियारों, छोटे हथियारों और स्टेन गनों का प्रयोग कर रहे हैं।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। राष्ट्रीय रक्षा परिषद् के समय से ही मैं सुरक्षा गतिविधियों में भाग लेता रहा हूं। मैं इसका सदस्य था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय इसकी अध्यक्षता करते थे। मैं हमेशा ही रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य रहने की कोशिश करता हूं। दुर्भाग्यवश वर्तमान योजना के अनुसार व्यक्तियों को बारी-बारी से रखा जाता है। जब चीन ने हम पर हमला किया, तो जवाहरलाल नेहरू हम सात-आठ व्यक्तियों को चर्चा के लिये और चीन के हमले की प्रगति की जानकारी देने के लिये प्रतिदिन बुलाते थे। मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बात मुझे बार-बार याद आती है जो कि आज के संदर्भ के अनुकूल है। चीन हमारी सीमा के भीतर बढ़ रहा था। मैं इस बात को नहीं कह रहा था कि हमने बिना आवश्यक हथियारों के केवल सैनिकों को वहां भेजा, लेकिन जब चीन भारत की सीमा में बढ़ रहा था उस समय हमने अपना ध्यान अपने सबसे कुशल और उत्तम हथियारों से लैस सैन्यदलों को सेला और बोमडीला में भेजने पर केन्द्रित किया। उस समय मैंने बहुत ही विश्वसनीय स्रोत से यह सुना कि वायु सेना आसूचना को वायुयान चालकों से पता

चला है कि चीनी सैनिक थोड़ी-थोड़ी संख्या में फैले हुए हैं। वे भारतीय सीमा में बहुत कम संख्या में आ रहे थे। कल आसूचना सेवा का वायुसेना आसूचना सेवा से कोई तालमेल नहीं था। उनको यह नहीं पता था कि वायुसेना गुप्तचर के पास क्या सूचना है। वे सोच रहे थे कि चीनी सैनिक भारी संख्या में आ रहे हैं। मैं वह नहीं कहना चाहता जो कुछ मैंने कृष्णा मेनन के खिलाफ कहा था, लेकिन मैंने उस नेतृत्व की, जोकि उन्होंने हमें प्रदान किया, घोर निन्दा की थी। हमारे भारतीय जवान, मगर उन्हें सही नेतृत्व मिले तो वे युद्ध में सबसे अच्छे लड़ाकू जवान साबित होते हैं लेकिन उनके ऊपर गलत जनरल बैठे थे और उनको हुक्म दिया गया था वापस लौट आओ, क्योंकि वायुसेना आसूचना वाली सूचना का उन्हें ज्ञान नहीं था, अन्यथा वे उन्हें मार भगाते। केवल एक ही व्यक्ति था, मैं उसका नाम भूल गया हूं। उसके नाम के पीछे सिंह लगता था, वह सिख नहीं बल्कि एक राजपूत था। उसने मना कर दिया और कहा: मैं वापिस नहीं जाऊंगा। वह लड़ा और वहीं शहीद हो गया लेकिन उसने लद्दाख में चीनियों का मुकाबला किया और उन्हें बुरी मार लगाई तथा चीनियों की पूरी रेजीमेंट को ही खत्म कर दिया। हमने इसका प्रचार नहीं किया, लेकिन मैंने एक बात देखी कि कोई भी तालमेल नहीं है – मैं 1962 की बात कर रहा हूं—वायुसेना आसूचना में और थल-सेना आसूचना सेवा में। मैं यही सुझाव देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि उनके आसूचना विभागों में वास्तविक तालमेल के लिये कोई शीर्षक निकाय है या नहीं। क्या आपने अपनी तीनों सैनिक सेवाओं में ऐसी कोई इकाई बनाई है ? मैं नहीं जानता ! क्या आपने अपनी असैनिक सेवाओं में भी ऐसा किया है ? इसीलिए किसी सदस्य ने यहां कहा था कि आसूचना विभाग वे लोगों के लिए इस मामले के सामने लाने के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मैं अब महसूस कर रहा हूं और मेरे मित्रों ने भी यहां कहा है कि हमें चारों तरफ से खतरा है, इसको शीघ्र ही मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी स्थिति में विभिन्न आसूचना विभागों में पूर्ण तालमेल हो।

श्री आर० वेंकटरामन : सभापति महोदय, हाल ही में हुई घटनाओं से मुझे कितना दुःख हुआ है उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। इससे हमारे देश की छवि को और कुछ हद तक हमारी रक्षा सेवाओं की छवि को बिगाड़ा है, लेकिन मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एक या दो लारकिन्स के होते हुये कम से कम एक व्यक्ति जसजीत सिंह भी है, जिसने बहुत ही सही, ठीक ढंग से, इस मामले की सूचना दी और इस जासूसी का भंडा-फोड़.....(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उसको पुरस्कार मिलना चाहिये।

श्री आर० वेंकटरामन : उसको पुरस्कार दिया जायेगा। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी रक्षा सेनाओं में मुश्किल से एक प्रतिशत गद्दारों को छोड़कर 99 प्रतिशत व्यक्ति देश भक्त हैं और अपने कर्तव्य को अच्छी प्रकार से जानते हैं और देश को किसी तरह नीचा नहीं होने देंगे। हाल की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि जब कभी ऐसा आवश्यकता पड़ी, तब जो व्यक्ति सम्बन्धित है, वह इस जानकारी को उच्च अधिकारियों की जानकारी में लाएगा और फिर देखेगा कि इसका भडाफोड़ हो। इसी के साथ-साथ, मैं यह भी मानता हूं कि दस्तावेज पत्रों के सम्बन्ध में हमारी सुरक्षा व्यवस्था त्रुटिहीन नहीं है जितनी यह होनी चाहिये।

18.25 [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

आखिरकार कोई भी व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है। मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमने इन दस्तावेजों को रखा है, उससे इनका गलत प्रयोग होने की सम्भावना थी।

इस सूचना के प्राप्त होते ही, मैंने खुद जी-ब्लाक और एच-ब्लाक का दौरा किया, जहां ये दस्तावेज रखे जाते हैं। हमने तुरन्त यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये कि इन दस्तावेजों को अलग करके अधिक सुरक्षित स्थान पर रखा जाये और यह भी सुनिश्चित किया गया कि केवल अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति उन तक न पहुंच सके। जासूसी में, इस प्रकार की सूचनाओं का बहुत अधिक महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण तो हैं नियमावली, प्रलेखन और इनसे सम्बन्धित तकनीकी प्राचल।

हमारे देश में, हम दो स्रोतों से उपकरण प्राप्त करते हैं—सोवियत संघ से और पश्चिमी स्रोतों से। यह स्वाभाविक ही है कि एक यह जानकारी लेने का प्रयास करे कि दूसरे के पास क्या है। यह हमारी जिम्मेवारी है, यह हमारी बहुत बड़ी और नैतिक जिम्मेवारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि एक के बारे में जानकारी दूसरे पक्ष को न मिल सके।

18.26 (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जो उपाय हमने इस बारे में किये हैं, उनके बारे में, मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता क्योंकि इन सबका विवरण कई एक समाचार पत्रों आदि में आ चुका है। लेकिन मैं सभा को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां तक दस्तावेजों का सम्बन्ध है, हमने इनकी जानकारी बाहर पता चलने के सभी दरवाजे बन्द कर दिए हैं, हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि वे सही परिरक्षा में रखें जायें, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि उन तक प्रवेश नियन्त्रित हो। जिन लोगों पर हमें पहले विश्वास था, उनको भी वहां तक पहुंचने में खुली छूट न हो और हम यह भी देख रहे हैं कि सुरक्षा उपायों की व्यापक जानकारी हो। असल में बहुत से सुरक्षा उपायों को निर्धारित करना हमारे लिये आसान है लेकिन जब तक इन पर निगरानी न रखी जाये और जब तक हर स्तर पर उनकी जांच न की जाती रहे, इनका कोई लाभ नहीं है। ये सभी उपाय किये गये हैं।

मैं, माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते की इस बात से सहमत हूं कि हम इन सबसे आत्म-सन्तुष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, हमें इसका मूल्य चुकाना पड़ा है और हम अब निश्चय ही ऐसा नहीं करेंगे। भविष्य में हम किसी भी प्रकार की जानकारी बाहर निकलने नहीं देंगे। यह एक ऐसा मामला है, जिसके बारे में हम सबको चिन्तित होना स्वाभाविक है, इसमें किसी दल, विपक्ष या सरकार का प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि चीज है, और अन्य सभी कर्त्तव्यों से सर्वोपरि होनी ही चाहिए। इसलिए मैंने इस सलाह को मान लिया है और हम इस विषय में आत्मसन्तुष्ट नहीं होंगे।

इस मामले में चर्चा के दौरान सदस्यों ने भिन्न विषयों को एक साथ जोड़ दिया है। एक

गुप्तचरों से और सैनिक महत्व की जानकारी की जासूसी करने से सम्बन्ध रखता है और दूसरा विभिन्न देशों से उपकरणों की खरीद से। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कुछ विदेशी रक्षा उपकरण विक्रेताओं के लिये एजेंसियां ले ली हैं। मेरे मित्र श्री राजेश पाइलट ने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिया है कि हमें सीधे सरकार से ही सौदे करने चाहिए ? मुझे खुशी है कि वे यहां बैठे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें एक दफा पहले भी बताया था, लेकिन उन्हें याद नहीं रहा और उन्होंने यहां पुनः कहा। समाजवादी देशों के साथ रक्षा के मामले में हमारा अधिकतर लेन-देन सरकारी स्तर पर होता है और इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होता। परन्तु पश्चिमी देशों में रक्षा संस्थान निजी क्षेत्र में हैं और इसलिये हम सरकार से सीधा लेनदेन नहीं कर सकते और वे ही सारे विश्व में इन हथियारों का लेन-देन करते हैं। हम सरकार से लेन-देन नहीं कर सकते— उदाहरण के तौर पर पश्चिम जर्मनी से कुछ खरीदते हैं। वहां हथियारों के कारखाने निजी क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार, ब्रिटेन, फ्रांस, और अमेरिका में हैं·····

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या फ्रांस में यह सरकार के पास नहीं है ?

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं ! यह भ्रांति है कि शस्त्र बनाने की कम्पनियां या संस्थान स्वायत्तशासी हैं, लेकिन ये भी निजी क्षेत्र जैसे ही कार्य करते हैं। हम इन वस्तुओं के लिये फ्रांस सरकार से सौदा नहीं कर सकते। हां, यह सही है कि हम तकनीकी सूचना की सप्लाई आदि के के लिये समझौते के ज्ञापन उनसे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन वास्तविक खरीद, निजी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों या सरकार द्वारा वित्त पोषित लेकिन निजी क्षेत्र के रूप ही चलाये जाने वाले उद्योगों से ही होती है। इस मामले में हमने बहुत पहले ही इस आशय के आदेश जारी कर दिये थे कि किसी भी बिचौलिये को अनुमति नहीं दी जायेगी और आज हम किसी भी बिचौलिये के जरिये सौदा नहीं करते हैं। कई एक लोगों ने कहा है कि हम बिचौलिये के माध्यम से सौदा करते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जिन लोगों को अपने उपकरण बेचने होते हैं वे किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं, जिसका कि सत्ता और उच्च अधिकारियों पर प्रभाव होता है। इस तरह यह व्यक्ति सामने आते हैं। अन्यथा सरकार इनसे कभी भी ऐसा सौदा नहीं करती है। किसी भी एजेंसी से सौदा नहीं किया जाता, यह मूल कम्पनी से ही किया जाता है।

वार्ता के दौरान भी हम किसी एजेंट को नहीं आने देते हैं; हम सीधे कम्पनी के मालिकों से ही बातचीत करते हैं।

इसके बावजूद, ऐसे लोग भी हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो यह कहते हैं। वे जानते हैं कि श्री वेंकटरामन रक्षा मन्त्री हैं, वह आरोप अपने ऊपर ले सकते हैं, तथा फिर वे कहते हैं कि वे प्रभाव का प्रयोग करके यह ठेका ले लेंगे। और उनकी इच्छानुसार ये लोग अपने उपकरण बेचना चाहते हैं और इसीलिए वे इन लोगों को अपने प्रभाव का उपयोग करके वह कार्य करने के लिए रख लेते हैं जो वे कानूनी रूप से या खुले-आम नहीं कर सकते। हमारे देश में यह कठिनाई है। हमने किसी एजेंट को किसी तरह के सौदे करने की अनुमति नहीं दी है। आपने 50 मशीनगनों के बारे में कहा है।

श्री राजेश पाइलट : एम० जी० इन्टरनेशनल।

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां, भारी मशीनगन। क्या आप उसकी कहानी सुनना पसन्द करेंगे?

श्री राजेश पाइलट : मैंने इसका उल्लेख समाचार-पत्रों से पढ़कर किया है।

श्री आर० वेंकटरामन : एक कम्पनी इसे बेचना चाहती थी और वे हमारे पास आए। निश्चित रूप से विभिन्न देशों में ऐसी 3-4 कम्पनियां हैं और उस कम्पनी ने कुछ उपकरण देने की पेशकश की। हमने उनका परीक्षण किया और पाया कि परीक्षा के दौरान उनकी नली टूट गई। तब हमने दूसरे उपकरण का परीक्षण किया। जब दूसरी·····

प्रो० मधु दंडवते : क्या परीक्षण ठीक नहीं था या नलियां ही खराब थीं?

श्री आर० वेंकटरामन : जब हमने दूसरे उपकरण का परीक्षण किया तो उसमें भी दोष पाया गया। जिस मशीनगन का परीक्षण हमने किया था उसको ट्राइगर ही टूट गया और आज दो वर्ष के बाद भी हम यह फैसला नहीं कर पाये हैं कि क्या इन भारी मशीन-गनों को खरीदा जाये या नहीं और जैसा कि श्री फ्रेंक एंथनी ने बताया है हमें अन्य देशों से आक्रमण का भय है, उसे ध्यान में रखते हुए हमारी सेना ऐसे किसी उपकरण लेने का अनुग्रह कर रही है।

प्रो० मधु दंडवते : अतः उन्होंने सबसे वहां रहस्य खोल दिया है।

श्री आर० वेंकटरामन : सदन को मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि·····

अध्यक्ष महोदय : संभवतः वह इसका रहस्य बताने का उनका अभिप्राय था।

श्री आर० वेंकटरामन : प्रत्येक असंतुष्ट ठेकेदार, बोली लगाने वाला, प्रेस की तरफ भागता है तथा पूरे सौदे की बात उन्हें अपने ढंग से बताता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : 'डिस्इन्फार्मेशन' (गलत सूचना)।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं गलत सूचना के सम्बन्ध में पृथक से चर्चा करने जा रहा हूं।

परिणाम यह होता है कि लोगों के सामने तोड़-मरोड़कर तस्वीर पेश की जाती है। अपने दो वर्ष के अनुभव में मैंने देखा कि प्रत्येक असंतुष्ट व्यक्ति ने यह कभी नहीं माना कि दूसरे आदमी ने वह ठेका उचित तरीके से प्राप्त किया है। वह तुरन्त जाकर यह कहता है कि फलां फलां आदमी को घूस दी गई है और यह काम किया गया है आदि बातें कहेगा। इस सौदे में सबसे घृणित बात यही है।

अन्य बात यह है कि हम अपने देश में ही अपने उपकरण बनाना चाहते हैं। सभी विदेशी व्यापारी एक साथ मिल जाएंगे और हमारे देशी उत्पादन की निन्दा करेंगे। वे कभी कहते हैं कि आप इस काम में असफल हुए हैं, आपका मुख्य लड़ाई टैंक का संचारण खराब है, आपका इंजन

खराब है या टैंक का अवलम्बन ठीक नहीं है। आपको इस तरह के लिखे हुए बहुत से लेख मिलेंगे। और इससे वास्तव में हमारे रक्षा वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का दिल टूट जाता है और वे स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं। हथियार के व्यापार में ये सब चालें चली जाती हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि प्रकाशित की गई सभी बातें सच नहीं होतीं। वास्तव में, यह एकपक्षीय बात होती है। यह सही नहीं होती। इस तरह से यह क्रम चलता है।

जनरल स्पैरो ने कहा कि जिन लोगों को हम भर्ती करते हैं उनकी जांच-पड़ताल के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। मैं जनरल स्पैरो से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनरल होने के नाते उन्होंने किसी मेजर जनरल अथवा एयर वाइस मार्शल जैसे व्यक्ति पर कभी सन्देह किया है कि वह ऐसा कर सकता है। हम कुछ स्तर के व्यक्तियों के आचरण के सम्बन्ध में कुछ धारणा रखते हैं। और यहां एयर वाइस मार्शल जैसे उच्च पद वाले व्यक्ति का मामला है—वह वायु सेनाध्यक्ष भी हो सकते थे। इस तरह के लोगों का इस गतिविधियों में अन्तर्गस्त होना निश्चय ही खेद की बात है। मैं तो कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमने इन लोगों की जांच नहीं की है; इस सेवा में लेने से पहले इन व्यक्तियों के बारे में जांच की कड़ी प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन यदि इसने उच्च स्तर के लोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियां करते हैं, तो उनका पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है।

श्री चक्रवर्ती ने कहा है कि उच्च पदाधिकारी, सलाहकार या एजेंट बनते जा रहे हैं। जबसे हमने यह आदेश जारी किए हैं कि कोई एजेंट नहीं बनेगा, तो अब उन्होंने अन्य नाम 'सलाहकार' अपना लिया है। हम साधारणतया सेनानिवृत्त अधिकारियों को निजी वाणिज्य उद्योग, जिनका रक्षा से कुछ सम्बन्ध हो, चलाने की अनुमति नहीं देते। अतः उन्हें रोजगार नहीं मिलता। लेकिन ये व्यक्ति मिलकर एक कम्पनी या फर्म आदि बना लेते हैं और स्वयं को सलाहकार का नाम दे देते हैं। लेकिन हमने केवल एजेंटों पर ही नहीं अपितु सलाहकारों पर भी प्रतिबन्ध लगा रखा है और उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते। वे उन विदेशी फर्मों के सलाहकार हो सकते हैं। जो उपकरण बेचना चाहती हैं। आप विश्वास रखें कि रक्षा मन्त्रालय के सलाहकार वे नहीं हैं। वे केवल उन्हीं लोगों के सलाहकार हैं जो शस्त्रास्त्र बेचना चाहते हैं।

उन्होंने पूछा है कि क्या सेवारत अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है? हमारी एक पद्धति है। हम प्रायः ऊंचे पद के सेवारत अधिकारियों को विश्वास के आधार पर ही चुनते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा काम करना उचित होगा जिससे उनकी प्रतिष्ठा खराब हो। यदि आप प्रत्येक वायु सेनाध्यक्ष और वाइस एयर मार्शल आदि की जांच-पड़ताल शुरू करते हैं, तो इससे उनके हौसले कम हो जाएंगे। हमें कुछ बातों को स्वीकार करना है और मात्र इसीलिए कि एक भ्रष्ट कुल कलंक ने राष्ट्र विरोधी कार्य करके सारी रक्षा सेवाओं पर धब्बा लगाया है, उनकी सबकी जांच करना अनर्थकारी होगा। यह गलत होगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि क्या हम जब कभी हम देखते हैं कि राजनयिकों की गतिविधियां राष्ट्र के हित में नहीं हैं तो क्या हम उनको भी देश छोड़ने के लिए कहते हैं। हम ऐसा ही करते हैं और माननीय सदस्य जानते हैं कि पहले भी हम ऐसा करते रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बहुत-सी जानकारी दी। वास्तव में वह थोड़ा-सा शिक्षक की तरह बोलने लगे। सम्भवतः यह उनके संस्मरण हैं।

अध्यक्ष महोदय : जनोत्तजक नहीं।

श्री आर० वेंकटरामन : जनोत्तेजक नहीं बल्कि शिक्षाशास्त्री। उपग्रह से सूक्ष्म वस्तुओं की भी फोटो ली जा सकती है। लेकिन वे अभी तक एक्सरे-सेटेलाइट फोटोग्राफी का विकास नहीं कर पाए हैं। अतः हमने प्रत्युपाय किए। हमने उन्हें ऊपर से छिपा दिया है। जब हम उन्हें ऊपर से छिपाते हैं तो वे हमारे कार्यों की फोटो नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि उपग्रह अभेद्य हैं। यह ऐसी बात नहीं है कि उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। यदि आप ऊपर से इस पर आवरण डाल देते हैं, यदि आप टैंक पर तम्बू लगा देते हैं, तो वह तम्बू जैसा ही लगेगा। हमारे पास भी हर तरह के उपकरण मौजूद हैं और हमें इस बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं।

उन्होंने फिर कहा कि ऐसी कई एजेंसिया हैं जिनके माध्यम से जासूसी एजेंट कार्य करते हैं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में मुझे यह सब जानकारी दी। उन्हें इस सम्बन्ध में अन्य सदस्यों से अधिक जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अनावश्यक है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उन्हें बता रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आपकी यह धारणा है यह 'इन्फार्मेशन' है, 'डिसइन्फार्मेशन' नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : ठीक है, इस मामले में भी हमारी पद्धति बहुत विस्तृत, बहुत प्रभावशाली, जासूसी-प्रणाली तथा दोहरी एजेंसी प्रणाली है जहां लोग जिसे काम करते हैं मानो वे अन्य देशों के जासूस हों हमारे लिए जासूसी का काम करते हैं। अतः हमारे यहां ये सब पद्धतियां हैं। अतः हमें उस सम्बन्ध में कोई चिंता नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया उनके नाम मत बताइये।

श्री आर० वेंकटरामन : तदनन्तर हम 'डिसइन्फार्मेशन' पर आते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका किसी असली व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी दिलाना है और रक्षा मन्त्रालय में हमने इसके मामले में काफी हद तक इस ढंग का प्रयोग किया है। हमारे यहां गलत सूचना देने के तरीके भी हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। वास्तव में, इस मामले विशेष में भी, यदि हमने इन लोगों की खोज करके असली स्रोत का पता लगाना होता और उन्हें गिरफ्तार न किया होता, हम अपने ग्रुप कैप्टन से सूचना देने के लिए कह सकते थे कि जो कि पूर्णतः गलत होती और उसने गलत सूचना देने के कारण 30,000 रुपये ले लिए होते। इस मामले में हमने इसमें अन्तर्ग्रस्त आखिरी आदमी का भी पता लगाने के लिए ग्रुप कैप्टन की सूचना को आधार बनाया। मुझे खेद है कि हम अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाये। उससे पहले हमें इस लारकिस को गिरफ्तार करना पड़ा जो कि देश से भागने

का प्रयत्न कर रहा था, यदि वह देश छोड़ कर नहीं जा रहा होता तो सम्भवतः हम यह देखने का प्रयत्न करते रहते कि अन्तिम रूप से यह दस्तावेज कह भेजा जाता है। हम इस पर बहुत अच्छी तरह से निगरानी रख रहे थे। जब यह व्यक्ति देश से भागने वाला था तो आप उसे बिना किसी मामले के गिरफ्तार नहीं कर सकते थे इसलिए हमें मामला दायर करना पड़ा तथा जब हमने मामला दायर किया तो हम उसे गिरफ्तार कर सकते थे। जैसा कि श्री फ्रैंक एन्थनी ने बताया उसके द्वारा अपराध स्वीकार करने से हमें बहुत-सी जानकारी प्राप्त हुई है। हम उसके द्वारा स्वीकार किए गए सभी अपराधों के बारे में नहीं बता रहे हैं, जैसा कि श्री एन्थनी जानते हैं, क्योंकि जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती यह साक्ष्य नहीं माना जायेगा। बात से मुकर जाना सम्भव है···

श्री फ्रैंक एंथनी : यदि इसे मेजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाए तो इसे स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : यह साक्ष्य है। यह सबूत नहीं है। अतः हम यह सब जानकारी प्रकट करना नहीं चाहते ताकि अभियोग पक्ष को विफल करने के लिए प्रतिरोधी उपाय तथा प्रतिरोधी क्रियाकलाप न किये जा सकें। वास्तव में, ऐसे कई मामले हैं जिनमें लोग अपनी बात से मुकर गए हैं तब इससे बहुत कठिनाई हो जायेगी। इसीलिए हम कुछ जानकारी छिपा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप वही 'फूलप्रूफ' (त्रुटिरहित) शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते ?

श्री आर० वेंकटरामन : 'फूलप्रूफ' (त्रुटिरहित) ?

प्रो० मधु दंडवते : इसका विभाजन मत कीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अभी-अभी इन्होंने कहा कि मैं 'फूल' (मूर्ख) नहीं था।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री शेजवलकर ने मुझसे यह पूछा कि क्या हमारे पास उन व्यक्तियों की सूची है जिन्हें दूसरे देशों से निकाल दिया गया है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास सूचना है। मैं आपसे कहूंगा कि इसे स्वीकार करें तथा उस मामले को इसी पर छोड़ दें।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे इतनी ही चिंता है कि आपके पास वह सूची है, फिर आप उन्हें क्यों आने देते हैं ? आप उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस मामले में किसी चर्चा में नहीं पड़ना चाहता। स्पष्टीकरण सुस्पष्ट है। मुझे केवल इतना कहना है कि मैं केवल यही जानकारी दे सकता हूं। उससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यदि मैं इस पर बहस में पड़ जाऊं तो मुझे उससे कुछ अधिक कहना पड़ेगा जितना कहने की मुझे अनुमति है। यदि आप चाहें तो मैं आपसे लाबी में बात करूंगा।

इसके बाद श्री एन्थनी ने सी० आई० ए० को पुनः सुदृढ़ किए जाने का उल्लेख किया। ठीक है, यह जानकारी हमारे पास है। वास्तव में हम चिन्तित हैं, जैसा कि स्वयं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो हथियार तथा उपकरण पहुंच रहे हैं वे उनकी रक्षा आवश्यकताओं से कहीं अधिक हैं। दरअसल, इस बात से हम स्थिति के बारे में बहुत आशंकित हो उठते हैं कि पाकिस्तान को एक प्रकार की पश्चिम की अग्रिम चौकी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और इसी कारण हम सभी से

साज-सामान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे उपकरण हैं जो हमें सोवियत संघ से मिलाते हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : अमरीका के रक्षा सचिव ने हाल ही में कहा है कि उन्हें पाकिस्तान में सामरिक सहमति प्राप्त हो गई है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह हम जानते हैं। वास्तव में उन्होंने कहा था कि यह अग्र शीघ्र-गामी सेना के जमाव का अड्डा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें सामरिक सहमति प्राप्त हो गई है।

प्रो० मधु दंडवते : इसका व्यापक प्रचार किया गया था।

श्री आर० वेंकटरामन : जिस बात की हमें चिंता है, वह है उन्हें मिलने वाले हथियार। यदि उन्हें बिना हथियारों के जनता की सामरिक सहमति मिलती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह उनका नजरिया है। जिस बात से हम चिन्तित हैं, वह है उन्हें मिल रहे हथियार।

आप एक उदाहरण लीजिए। वे पनडुब्बियों का भारत के विरुद्ध प्रयोग कैसे कर सकते हैं ? वे हारपूनों का भारत के विरुद्ध कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हारपून एक समुद्र प्रक्षेपास्त्र है। लेकिन जब वे इसे प्राप्त कर लेते हैं और तट-दूर के हमारे तेल प्रतिष्ठानों को खतरा हो जाता है तो इसका मुकाबला हमें अपने उपकरणों से करना होगा जो हारपून के समकक्ष होंगे। पनडुब्बियों के लिए हमें इसका स्वयं मुकाबला करना होगा। यह हमारी स्थिति है। अब हम यही कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा तैयारियों में इस सीमा तक आगे बढ़ रहे हैं कि हम हमेशा पाकिस्तान से आगे रहेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि भारत कभी भी पाकिस्तान से पीछे नहीं रहेगा। हम सदैव आगे रहेंगे और हम यह सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम उनसे आगे रहें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : न केवल आगे, बल्कि चार गुणा आगे। सुरक्षा के लिए यह अन्तर होना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : इसके बाद श्री एन्थनी ने समन्वय के सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। 1962 के बाद हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारे सेनाध्यक्षों की एक समिति है जिसमें सभी सेनाध्यक्ष नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह बैठकें करते हैं तथा जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं। हमारी यहां एक गुप्तचर एजेंसी भी है जो गृह, रक्षा या अन्य कहीं से मिली सारी जान-कारी पर निगरानी रखती है। 1962 में जो भी स्थिति रही हो, अब पूर्ण समन्वय है।

एक अन्य प्रश्न, जिस पर सदैव चर्चा होती है, वह यह है कि क्या हमें सभी सेनाओं के लिए एक सेनाध्यक्ष रखना चाहिए या तीन सेनाध्यक्ष होने चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : व्यर्थ चर्चा।

प्रो० मधु दंडवते : आज किसी ने यह प्रश्न नहीं उठाया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप चाहें तो यह प्रश्न उठा सकते हैं और इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : अनुदानों की मांगों की चर्चा के दौरान भी यह प्रश्न उठाया गया था और मैंने अच्छी तरह इसका उत्तर दे दिया था।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या नागरिक तथा सेना विभागों में कोई समन्वय है ?

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां, इसकी व्यवस्था की गई है। वेशक, मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि अब नागरिक जानकारी, आसूचना ब्यूरो की जानकारी तथा रक्षा आसूचना आदि में समन्वय है।

श्री सतीश अग्रवाल ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, "यदि मेजर आनन्द द्वारा दर्ज की गई वैधानिक शिकायत पर उचित कार्यवाही की गई होती तो जासूसी गुप्तचरी की पोल 1981 में ही खुल जाती।"

मैंने सारी फाइल देखी है। जो वैधानिक शिकायत मेजर आनन्द ने दर्ज कराई थी, वह उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसकी वार्षिक चरित्र पंजी तथा सेवा पंजी में की गई प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध थी और इसके विरुद्ध उन्हें वैधानिक अपील का अधिकार है और इस वैधानिक अपील पर सेना सेवा द्वारा गौर किया जाता है, उसके बाद यह मन्त्रालय में आती है और अन्ततः यह प्रभारी मन्त्री के पास आती है।

श्री सतीश अग्रवाल ने मुझे लिखा था कि इसे मन्त्री को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इसे अधिकारी स्तर पर ही निपटा दिया गया।

सही स्थिति यह है कि वास्तव में इस पर तत्कालीन रक्षा मन्त्री ने 13 दिसम्बर, 1980 को निर्णय दिया था। शिकायत की तिथि 28 अगस्त, 1980 थी। शिकायत में मुख्यतः प्रतिकूल टिप्पणी का उल्लेख था। केवल एक चीज जिसमें जानकारी के एक प्रकार से बाहर जाने का उल्लेख था, वह एक अधीनस्थ अधिकारी श्री वी० सुब्रह्मण्यम के बारे में थी और उसमें केवल इतना कहा गया था कि यह व्यक्ति वर्गीकृत जानकारी का प्रभारी है तथा वह लम्बे समय से अनुपस्थित है। हमने इस मामले की जांच की है तथा हमने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

उससे आगे उसमें न तो लारकिन्स का उल्लेख था और न ही अन्य किसी व्यक्ति या जानकारी के बाहर जाने की गुप्त चर्चा के किसी मामले आदि का।

वैधानिक शिकायत के अतिरिक्त मेजर ने कई अन्य पत्र भी लिखे थे और इनकी भी जांच की गई और यह पाया गया था कि उसने सभी प्रकार की चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर अभिव्यक्त किया है। उनका कोई आधार नहीं था।

माननीय सदस्य श्री सतीश अग्रवाल ने कहा था कि एक ब्रिगेडियर श्री कपूर इसमें शामिल

थे तथा वे एक महत्वपूर्ण पद पर थे। उनका पत्र मिलने के बाद मैंने उन्हें महत्वपूर्ण पद से स्थानांतरित कर दिया है ताकि जो भी जानकारी मिले, उसकी ध्यानपूर्वक जांच की जा सके। उनका स्थानांतरण कर दिया गया है।

लेकिन, बिना प्रमाण के हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं तथा हम अवश्य इसकी गहराई तक जाएंगे।

सभी मुद्दों पर मेरे उत्तर को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं सदन का धन्यवादी हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन क्या फाइल में कोई पत्र ब्रिगेडियर कपूर के बारे में है, जिनके बारे में लारकिन्स ने न्यायालय में स्वीकार किया है कि उसने मुझे दस्तावेज उपलब्ध कराये और यदि हां, तो क्या ब्रिगेडियर कपूर के विरुद्ध, उनके गुप्त चर्चा में शामिल होने तथा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई शिकायत है? क्या ब्रिगेडियर कपूर के विरुद्ध वैधानिक शिकायत नहीं, बल्कि अन्य कोई शिकायत है?

18.54 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

श्री आर० वेंकटरामन : दरअसल, आपने देखा कि मैं कोई जानकारी छुपाता नहीं हूं। जितनी सम्भव हो सकती है, मैं हमेशा देता हूं। अनुदानों की मांगों के दौरान मैंने अपनी रक्षा से सम्बन्धित काफी जानकारी दी थी।

इस मामले में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन·····

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता।

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं, नही, मैं वह नहीं कह रहा हूं। कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन मेजर आनन्द से नहीं, उनसे नहीं जिन व्यक्तियों का आपने उल्लेख किया है। लेकिन किसी और स्रोत से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि लैफ० कर्नल जसवीर सिंह की जान-पहचान कराने में यह व्यक्ति जिम्मेदार था।

ठीक है, हम इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या यह सच है कि 1980 में आसूचना ब्यूरो ने सैनिक आसूचना सेना को सारे मामले के बारे में सूचित किया था लेकिन वास्तव में सैनिक आसूचना सेवा ने इस मेजर जनरल से सम्बन्धित सूचना को गम्भीरता से नहीं लिया?

श्री आर० वेंकटरामन : यह सही नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि वे परामर्शदात्री सेवाओं को बन्द नहीं कर सकते। मैंने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के बारे में एक मुद्दा उठाया है कि वे अपने पदों का उपयोग करके किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से मन्त्रालय या ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों को प्रभावित

करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इस बारे में कोई कदम उठा रहे हैं क्योंकि अन्ततः उन्हें परामर्शदात्री सेवाएं नौकरी पर लगा रही हैं ? क्या आप यह प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते कि वे परामर्शदात्री सेवाओं के सदस्य नहीं हो सकते ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस बारे में कह चुका हूं। शायद आपने मुझे सुना नहीं है। मैंने कहा है कि एजेंटों के सम्बन्ध में हमने जो किया है, परामर्शदाताओं के सम्बन्ध में ऐसा हम बहुत पहले कर चुके हैं। वे हमारे परामर्शदाता नहीं है। वे विदेशों के लिए परामर्शदाता हैं···हम परामर्श-दाताओं से कोई सरोकार नहीं रखते, हम एजेंटों से कोई सरोकार नहीं रखते। हमारे सभी लेन-देन सीधे हथियार तथा गोला-बारूद विक्रेताओं से होते हैं। हम उन्हें यहां आने के लिए कहते हैं तथा हम ठेका दे देते हैं। हम कभी कोई···स्वीकार नहीं करते ··

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या आप यह प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते कि वे अन्यों के लिए परामर्शदाता नहीं हो सकते ?

श्री आर० वेंकटरामन : हम यह कैसे कर सकते हैं ? मैं विधि विभाग से यह पूछूंगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मृत्य दण्ड का क्या हुआ ?

श्री राजेश पाइलट : माननीय मन्त्री ने सभा को सूचित किया है कि सम्बन्धित अधिकारी, ग्रुप कैप्टन जसजीत सिंह को इनाम दिया जाएगा। मैं नहीं जानता कि यह सभा के क्षेत्राधिकार में आ सकता है या नहीं। उपाध्यक्ष की ओर से सदन भी इस अधिकारी की, उसकी समय पर की गई कार्रवाई के लिए प्रशंसा करता है, यद्यपि एक रक्षा अधिकारी से ऐसी ही आशा की जाती है।

श्री आर० वेंकटरामन : यही तो मैंने कहा था।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) **:** मेरा प्रश्न बहुत साधारण है। जैसाकि समाचार-पत्रों में आया, श्री लारकिन्स द्वारा दिए गए वर्गीकृत दस्तावेजों के बारे में है। जैसा कि समाचार-पत्रों में उच्च अधिकारी, जिसको इस दस्तावेज की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, ने कहा है कि वह इस दस्ता-वेज की महत्ता से अनभिज्ञ था। मेरा साधारण प्रश्न यह है कि क्या ऐसा एक अधिकारी, जिसे दस्तावेज के महत्व के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे उच्च पद पर अभी तक आसीन है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। आप बहुत से गुप्त नामों और मामलों के बारे में बोल रहे हैं। आपकी बात का सही आशय क्या है। मैं नहीं जानता हूं। यदि आपका आशय है कि वहां अब भी एक ऐसा अधिकारी सेवा में है, जो दस्तावेजों का महत्व नहीं जानता, तो आपकी यह जानकारी गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, रक्षा मंत्री पहले ही हस्तक्षेप कर चुके हैं। अब चार सदस्यों को और बोलना है, जिनमें से दो सत्तारूढ़ दल और दो विपक्ष के हैं। आज अध्यक्ष पीठ के अनुरोध के अनुसार सभी सदस्य उपस्थित हैं। अब श्री कोडियन।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : रक्षा मन्त्री की बात सुनने के बाद मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बारी छोड़ता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : मैं भी अपनी बारी छोड़ता हूं।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : मैं अपनी बारी नहीं छोड़ रहा हूं। मैं अपनी बात पर जोर देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट के अन्दर ही अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको और श्री चित्त बसु को अभी बोलना है।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री कोडियन, मैं समझता हूं कि आपके पास हथियार नहीं हैं।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातों को पहले ही कहा जा चुका है। मुझसे पहले के वक्ताओं द्वारा कही गयी बातों को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता, किन्तु माननीय रक्षा मन्त्री का उत्तर सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय रक्षा मन्त्री श्री आर० वेंकटरामन ने कहा है कि दस्तावेजों को रखने में कुछ खामियां रही थीं, वहां सुरक्षा की कुछ खामी थी किन्तु अब उन खामियों पर ध्यान दिया जा चुका है और उनको दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए गये हैं। जो हुआ वह ठीक है। किन्तु एक बात का उत्तर दिया जाना अभी भी शेष है, समाचार-पत्रों की सूचनाओं के अनुसार, श्री लारकिंस तथा अन्य लोगों द्वारा जासूसी गतिविधियां कुछ साल पहले आरम्भ हुई थीं। कुछ समाचार-पत्रों के अनुसार 5 वर्ष और कुछ समाचार-पत्रों के अनुसार 10 वर्ष पहले ये जासूसी गतिविधियां आरम्भ हुई थीं और कुछ समाचार-पत्रों ने सन्देह व्यक्त किया है कि जासूसी गतिविधियां उसी समय से आरम्भ हो गई थीं, जब से लारकिन्स सेना में कार्य कर रहा था .....

श्री एन० के० शेजवलकर : वह अंग्रेज है।

श्री पी० के० कोडियन : पहले वह अंग्रेजों की मदद करता था और अंग्रेजों ने ही उसकी सिफारिश सी०आई०ए० के लिए की कि वह बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। अतः 'आप उसे विश्वास में ले सकते हैं।'

अतः मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं---यदि गृह मन्त्री उत्तर दे सकते हैं तो वह इसका उत्तर दें, मैं जानना चाहता हूं कि ये गतिविधियां वास्तव में कब से आरम्भ हुईं और कब इन पर सरकार और सम्बन्धित रक्षा अधिकारियों का ध्यान गया। क्या उस समय ध्यान गया था जब वायु सेना के इस देशभक्त 'ग्रुप कैप्टेन' ने लारकिन्स की गतिविधियों के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया ? तब बहुत देर से ध्यान गया। इस सेवानिवृत अधिकारी की सेना का 'परम विशिष्ट सेवा पदक' दिया गया था जो सेना का उच्चतम सम्मान है। अतः यह स्पष्ट है कि हमारी गुप्तचर सेवायें यानी आसूचना ब्यूरो (आई० बी०) और सैनिक आसूचना सेवा, ये दोनों सेवाएं इसमें असफल रहीं या मुझे कहना चाहिए कि तरह से असफल रहीं।

जहां तक हमारी सामान्य गुप्तचर सेवा का सम्बन्ध है, वह तो बहुत से कठिन अवसरों पर असफल सिद्ध हुई है—बंगलादेश संकट के समय जिसके परिणामस्वरूप···

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं···

श्री पी० के० कोडियन : ···शेख मुजीबुर्रहमान और उनके परिवार की हत्या किए जाने के समय। हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी कि वहां क्या हो रहा है अथवा क्या होने वाला है। इसीलिए, इस समस्या को हल करना होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस बात का उत्तर दें कि जहां तक हमारी गुप्तचर सेवाओं का सम्बन्ध है, क्या उसमें कोई खामी थी और क्या सैनिक प्रति आसूचना की तरफ से कोई खामी रही थी और इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं·····

उपाध्यक्ष महोदय : यह घंटी इस बात की सूचक है कि आपको और अधिक समय नहीं लेना चाहिए ···कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री पी० के० कोडियन : मेरे माननीय मित्र श्री शेजवलकर ने उपयुक्त प्रश्न पूछा था ; मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि मन्त्रालय सेना के सेवानिवृत कर्मचारियों को सलाहकार अथवा एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं करता है। वे निजी शस्त्रास्त्र विक्रेता या सैनिक उपकरण बेचने वाली विदेशी कम्पनियों में सलाहकार की हैसियत से काम करने के लिए स्वतन्त्र हैं। उन्होंने पूछा था कि क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है। यह एक उपयुक्त प्रश्न है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जहां तक हमारी रक्षा सेनाओं और रक्षा तैयारियों का सम्बन्ध है यह जासूसी करने का मुख्य स्रोत है। इसीलिए, सेना के इन सेवानिवृत अधिकारियों, सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को इस काम के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए·····

श्री आर० वेंकटरामन : हम उन्हें बिल्कुल अनुमति नहीं देते हैं।

श्री पी० के० कोडियन : किसी भी प्रकार के संपर्क कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि आप उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं और फिर भी वे यह कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अवश्य ही कुछ किया जाना चाहिए। अब श्रीमन, हमारे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जासूसी के बारे में सूचना दी थी, वह बहुत ही चतुराई से भरी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी ने हमें जो भी जानकारी दी, वह सब गलत थी। आप क्यों चिन्तित हैं ?

श्री पी० के० कोडियन : डा० स्वामी ने जानकारी दी थी। माननीय रक्षा मन्त्री ने भी बहुत सी जानकारी दी थी। उपग्रह आदि के माध्यम से जासूसी करने के बारे में वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं। किन्तु इस बीच डा० स्वामी ने कहा कि जो भी जानकारी दी गयी वह बहुत गम्भीर स्वरूप की नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : ऐसा किसने कहा ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने ऐसा नहीं कहा था ।

श्री पी० के० कोडियन : उन्होंने ऐसी धारणा उत्पन्न की और तब शायद वह के० जी० बी० पर—विश्व शांति परिषद और के० जी० बी० पर बोलने लगे थे ।

श्री चित्त बसु : वह कल दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा था । अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री पी० के० कोडियन : मैं जासूसी की समस्या के एक और पहलू की ओर संकेत करना चाहूंगा । कुछ सदस्यों ने अत्यन्त गैर-राजनीतिक होने की कोशिश की—सी० आई० ए० और के० जी० बी० के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की । यदि सी० आई० ए० जासूसी करती है तो के० जी० बी० भी जासूसी कार्यों में लगी हुई है । उनके अनुसार यह एक गैर-राजनीतिक और अहानिकर प्रश्न है । यह केवल हमारी देश की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है अपितु हमारे देश की स्वतन्त्रता के अस्तित्व का प्रश्न है । जैसाकि श्री फ्रेंक एन्थनी ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि उन सभी संस्थाओं, पार्टियों और देशों की जो अमेरिका की पसंद के नहीं हैं, अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी ने अस्थिर करने का अभियान छेड़ा हुआ है । भारत भी उन देशों में से एक है, जिन्हें संयुक्त राज्य अमरीका की सैन्ट्रल इंटैलीजैंस एजेन्सी अस्थिर करना चाहती है । मुझे यह कहना चाहिए कि जिस प्रकार खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने मार दिए जाने वाले व्यक्तियो की एक सूची बनाई हुई है उसी प्रकार सी०आई०ए० ने भी विकासशील देशों की एक ऐसी सूची तैयार की है, जिन्हें खत्म किया जाना है और अमरीकी साम्राज्यवाद की नष्ट किए जाने वाले देशों की सूची में भारत का भी नाम है । इसीलिए हम जासूसी के प्रश्न को गैर-राजनीतिक और हल्के-फुल्के ढंग से नहीं ले सकते । अमरीकी साम्राज्यवाद के गहरे राजनीतिक षडयन्त्र का ही यह एक हिस्सा है । श्री फ्रेंक एन्थनी ने उस सामरिक सहमति के बारे में भी उल्लेख किया जिस पर पाकिस्तान और अमेरिका पहुंच चुके हैं । उसी सामरिक सहमति का यह एक हिस्सा है कि अधुनातन और परिष्कृत हथियार—जो प्रतिरक्षात्मक हथियार नहीं अपितु आक्रामक हथियार हैं—पाकिस्तान में जमा किए जा रहे हैं और इससे हमारी सुरक्षा को गम्भीर खतरा हो गया है तथा हमारा देश एक ओर तो अमरीकी सैनिक अड्डों की हिन्द महासागर में स्थापना करके हमारे देश की घेराबन्दी की जा रही है और दूसरी ओर हमारे पड़ौसी देशों में भारत-विरोधी तत्वों को सी० आई० ए० द्वारा सहारा दिया जा रहा है । अतः इस जासूसी गतिविधि को हमारे देश को अस्थिर करने का अमरीका के षडयन्त्र का हिस्सा मानना चाहिए ।

मैं माननीय मन्त्री जी से देश में अस्थायीकरण की ताकतों के विरुद्ध उठाये गये कदमों के बारे में पूछना चाहूंगा । सी० आई० ए० की गतिविधियां सिर्फ जासूसी तक ही सीमित नहीं हैं । महोदय, आपको याद है कुछ समय पहले 'आपरेशन ब्रह्मपुत्र' उजागर हुआ था उसमें कुछ अमरीकी

सम्बद्ध थे और जिस समय उन्हें उस जगह को छोड़ने के लिये कहा गया था, देश के उत्तर पूर्वी भाग में गड़बड़ी शुरू हो गई थी। आप जानते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही तत्वों की गतिविधियों का ब्यौरा अकसर ताइवान से 'वाइस आफ अमेरिका' द्वारा प्रसारित किया जाता था। जबकि हमारे लोगों को इन बातों के बारे में पता नहीं लग सका ।

श्री एन्थनी ने भी हमारी सीमाओं में आ रहे हथियारों के बारे में बताया। यह सभी गतिविधियां अस्थायीकरण की योजना के अन्तर्गत आयोजित की जाती हैं। अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या वे व्यक्ति जो कि सी० आई० ए० गतिविधियों से सम्बन्धित हैं और सी० आई० ए० द्वारा बनायी गयी सूची 'हू इज हू' है' में जिनका उल्लेख है यह सूची जूलियस मेडर द्वारा संकलित की गई है। क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति अमरिका दूतावास की ओर से हमारे देश में कार्य कर रहा है ? महोदय, यहां तक कि अमेरीका राजदूत भी उपलब्ध जानकारियों के अनुसार, सी० आई० ए० के साथ सम्बन्धित है। उन्होंने पश्चिम जर्मनी में 'कोलेप आफ इंटेलिजैंस' में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कुछ अन्य जाने पहचाने सी० आई० ए० व्यक्ति अभी भी अमेरिकन दूतावास में कार्यरत हैं। अत: मैं मन्त्री महोदय से इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा अमरीका के राजदूत से इस देश को छोड़ने के लिए कहे जाने का अनुरोध करूंगा।...(**व्यवधान**) कुछ महीनों पहले उन्होंने खालिस्तान अलगांववादी आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दी जैसा कि पोरतोरिको में जन मुक्ति आंदोलन था। क्या अमेरिका अथवा किसी भी देश का राजदूत इस तरह की टिप्पणी कर सकता है ? इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि उनकी सी० आई० ए० की पृष्ठभूमि है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अमरीका के राजदूत को इस देश से चले जाने के लिये कहा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। मैं सिर्फ माननीय गृह मन्त्री जी से सम्बन्धित मुद्दों को ही पूछूंगा। क्योंकि माननीय रक्षा मन्त्री जी ने पहले ही अपने विचार बता दिये हैं। इसलिए उनके मन्त्रालय से सम्बन्धित मुद्दा को पूछना मेरे लिए आवश्यक नहीं है और उपयोगी भी नहीं है।

माननीय गृह मन्त्री जी के वक्तव्य से तीन बातें सामने आई हैं।

पहला, उन्होंने स्वीकार किया है कि एक जासूसी गिरोह इस देश में कार्य कर रहा है। दूसरे, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी धन को ध्यान में रखते हुए दी गई। इसके पश्चात, उन्होंने बताया कि हमारे देश में प्रति गुप्तचर की व्यवस्था है। जहां तक जासूसी की इन गतिविधियों का सम्बन्ध है, अन्य माननीय सदस्दों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है और मुझे भी इससे उतनी ही चिन्ता है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रश्न, हमारी राष्ट्र सुरक्षा से सम्बन्धित है।

इस प्रकार के विषय पर चर्चा करते समय कोई भी दलीय मतभेद नहीं होने चाहिए। हमें दलगत मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए। हमें यह विचार भी व्यक्त करने चाहिये कि सरकार को

वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिये पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

मैं रक्षा मन्त्री को बताना चाहूंगा कि लारकिन्स घटना से कई महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आई हैं और इन पर हमें आगे छानवीन करनी चाहिए। इनमें अमरीकी एजेंसियों की गतिविधियां भी शामिल हैं। इस मामले से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि इसमें सी० आई० ए० अन्तर्ग्रस्त है। मेरे विचार से, डा० स्वामी ने जो कुछ भी कहा है, सरकार स्वीकार करती है कि इसमें सी० आई० ए० अंतर्ग्रस्त हैं। हमारे द्वारा खरीदे गये सोवियत उपकरणों के बारे में सूक्ष्म ब्यौरा जानने के लिए अमेरिका बहुत ही उत्सुक रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पहलू पर भी गम्भीर रूप से ध्यान देना चाहिए।

दूसरे, मेरा मुद्दा है, रक्षा मन्त्री ने वक्तव्य दिया कि वह हथियारों से सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा सलाहकारों अथवा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं सकते। महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार, लगभग 70 कम्पनियां हमारे देश में ऐसी हैं जो हथियारों तथा उपकरणों का व्यापार करती हैं। प्रायः इन सभी कंपनिओं में हमारे भूतपूर्व सैनिक ऊंचे पद प्राप्त किये हुये हैं। क्यों ? इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य है। अन्यथा वे अपने संगठनों में हमारे इतने अधिक भूतपूर्व सैनिकों को न रखते। इसलिये इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये। महोदय, मैं यह मुद्दा बिल्कुल ही नहीं उठाता, यदि यह सुरक्षा के प्रश्न से सम्बन्धित न होता, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे हर भूतपूर्व सैनिक पर शक किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को संदिग्ध समझा जाये अथवा उस पर शक किया जाये। किन्तु प्रश्न उठता है : कि यह प्राइवेट कम्पनियां हमारी महत्वपूर्ण सैनिक गोपनीय जानकारी कैसे प्राप्त कर लेती हैं। मेरी जानकारी यह है और मैं इसे सदन में बताना चाहता हूं। हमारे देश में एक कम्पनी है कि जो सात पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोपीय देशों से सम्बन्धित है। इस प्रकार की कम्पनी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को उच्च पदों पर रखे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, जो कि हमारी सैनिक गोपनीय जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये ये सभी बातें हमारे दिमाग में संदेह की भावना उत्पन्न करती हैं। मेरे विचार से हमें इन बातों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मुझे खेद है कि मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता रक्षा मन्त्री को प्रभावित नहीं कर सके। अतः उन्होंने इस पहलू के महत्व को कम कर दिया है। विषय के अत्यधिक महत्व को देखते हुए, मैं एक बार फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि क्या यह इस पर पुनर्विचार करें कि क्या भूतपूर्व सैनिकों को हथियारों का व्यापार करने वाली कम्पनियों में नौकरी पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ?

गृह मन्त्री ने यह दावा किया है कि हमारे देश में गुप्तचर गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए कारगर ढंग से जासूसी की जा रही है। इसके लिये बहुत से संगठन बने हुए हैं और मैं जानता हूं कि यह अवसर उनकी चर्चा करने का नहीं है। किन्तु महोदय, आर० ए० डब्ल्यू० एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। आर० ए० डब्ल्यू० को विदेशों की गोपनीय गतिविधियों को जानने के उद्देश्य से बनाया गया था। अगर मैं सही हूं तो लगभग 70 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आर० ए० डब्ल्यू० पर खर्च किये जाते हैं और यहां तक कि इस राशि का लेखा-परीक्षा भी नहीं की जाती। वह राशि गुप्त कार्यों के

लिए खर्च की जाती है। मैं नहीं जानता आर० ए० डब्ल्यू० पर किसका नियन्त्रण है। किन्तु मैं नहीं जानता क्या वे मानेंगे अथवा स्वीकार करेंगे कि आर० ए० डब्ल्यू० को विभिन्न अन्य आंतरिक उद्देश्यों के लिये भी प्रयुक्त किया जा रहा है। आपतकालीन स्थिति के दौरान सभी व्यक्तियों को कम से कम सदन के इस तरफ के लोग तो आर० ए० डब्ल्यू० की भूमिका से परिचित हैं। आप यह जान कर विस्मित होंगे कि आर० ए० डब्ल्यू० को कुछ चुनाव संभावनाओं पर विश्लेषण करने के बारे में उपयोग किया गया है। उसके लिए इसके कुछ फील्ड सर्वेक्षण किया था। उनके पास बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र अधिकारी हैं, वे एक उम्मीदवार की चुनाव सम्भावनाओं का अन्य उम्मीदवार की तुलना में विश्लेषण करते में। मेरे पास सूचनाएं हैं कि आर० ए० डब्ल्यू० को विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के खिलाफ असन्तुष्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बारे में भी उपयोग में लाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आर० ए० डब्ल्यू० के माध्यम से जानकारी मिलने के बावजूद भी 1977 में सत्तारूढ़ दल हार गया था। अतः आपको उस जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अतः आप उन्हें चेतावनी दीजिये कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं। अथवा जो कुछ भी आर० ए० डब्ल्यू० की शक्ति हो तथा चाहे आर० ए० डब्ल्यू० को किसी भी तरह विरोधी दलों के विरोध में उपयुक्त किया गया हो, उचित समय पर लोग सही निर्णय लेंगे।

श्री रामगोपाल रेड्डी : लोगों ने 1980 में उचित निर्णय लिया था।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : किन्तु महोदय, हम क्यों 70 करोड़ रुपये इस जानकारी के लिए खर्च करें ?

श्री चित्त बसु : किन्तु, महोदय, मुझे बताया गया है आर० ए० डब्ल्यू० का, उनके अपने दल के मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध असन्तुष्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उपयोग किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। यह आर० ए० डब्ल्यू० पर वाद-विवाद नहीं है। यह जासूसी के मामले पर है। आप असंगत बातें ला रहे हैं। मुझे खेद है आपको यह सब बातें नहीं कहनी चाहिए।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : यह आर० ए० डब्ल्यू० पर वाद-विवाद नहीं है। दूसरे यह जानकारी पूर्णतः गलत है।

श्री चित्त बसु : वह सही है। यह क्षेत्राधिकार के अन्दर ही है. क्योंकि आपने कहा कि बहुत सी एजेंसियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब बातें बीच में लाकर वाद-विवाद के महत्व को कम किया जा रहा है।

श्री चित्त बसु : रिचर्स और एनालसिस विंग को बाह्य प्रति गोपनीय एजेंसी के लिए बनाया गया था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह संगठन अपना उचित काम कर रहा है ? क्या इसका उचित उपयोग किया गया है ? हो सकता है यह आपको अच्छा न लगे, किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि मुझे सच नहीं बोलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप स्थानीय विषयों को बीच में मत लाईये।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, ये मूल बात से हटकर बोल रहे हैं। हमें इस पर आपत्ति है। हम इस तरह की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं .....

श्री चित्त बसु : मूल बात से नहीं हटा हूं। मैं यह देखने के लिये इच्छुक हूं···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं। श्री भगवान देव, कृपया बैठ जाइये।

श्री चित्त बसु : मेरा मुद्दा है कि रिसर्च और एनालसिस विंग बाह्य गोपनीयता को इकट्ठा करने की एजेंसी है। वह प्रमि-गोपनीय की भी एजेंसी है। क्या इसका उचित ढंग से उपयोग किया गया है ? जिस कार्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी क्या यह वह कार्य कर रहा है ? क्या मैं उस जवाब को पाने का हकदार नहीं हूं ?

दुर्भाग्यवश, मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। किन्तु मेरा आरोप है कि इस एजेन्सी ने सही ढंग से वह कार्य नहीं किया जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, यहां तक कि आर० ए० डब्ल्यू० तथा अन्य एजेन्सियों के संगठन के मामले में भी कतिपय कमजोरियां हैं; उदाहरण के लिये, अधिकारियों तथा फील्ड कर्मचारियों के बीच कुछ भ्रांति है। यह सर्वथा ज्ञात है। मेरे विचार से सरकार को इसे जानना चाहिये। वहां पर अति व्याप्ति है। असंतुष्टता तथा निराशा व्याप्त है। यह सरकार के लिए आवश्यक है, कि एजेन्सियों के संगठन जो कि उचित ढंग से गोपनीय बातों (आसूचना) को इकट्ठा करने के उद्देश्य से बनाई गई है, उनको देखें। जब तक यह नहीं किया जाता, स्वाभाविक रूप में देश की सुरक्षा को मजबूत नहीं बना सकते।

अन्त में, इस सरकार के सी० आई० ए० के साथ सहयोग के बारे में कतिपय मुद्दे बताये गए हैं। इनका उल्लेख प्रो० मधु दण्डवते द्वारा किया गया था। मैं सहयोग योजनाओं के नामों को नहीं जोड़ना चाहता। बहुत सी योजनाएं हैं; किन्तु मैं सिर्फ चारबतिया अड्डे का ही नाम लूंगा, जो कि कटक के निकट सी० आई० ए० द्वारा बनाया गया एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सैनिक अड्डा है। यह थाईलैंड में सी० आई० ए० के भूतपूर्व निदेशक बिल कोलबे द्वारा स्थापित अड्डे की तरह है। उन्हें बताने दीजिये कि क्या ऐसा है अथवा नहीं है। वे कहते हैं कि यह सी० आई० ए० द्वारा स्थापित पेशावर के अड्डे से बड़ा है जहां से सी० आई० ए० ने यू-2 प्रारम्भ सर्वेक्षण मिशन चालू किया था। मैं यह तो नहीं जानता हूं कि वे किस सीमा तक इस सदन को सूचित कर सकते हैं, परन्तु यह एक स्पष्ट मामला है कि सी० आई० ए० का इसमें हाथ है और यह भी स्पष्ट है कि विगत में,

सरकार का भी सहयोग सी० आई० ए० की कुछ परियोजनाओं से था। सरकार को इस बारे में क्या कहना है ? आप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए। हमको देना चाहिए, परन्तु जब तक आप सी० आई० ए० के साथ अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर लेते हैं और इस प्रकार के साम्राज्यवादी षडयन्त्र को हटाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं तो हमारे देश के रक्षा हितों तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की गारन्टी कैसे दी जा सकती है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं रक्षा मन्त्री का आभारी हूं जिन्होंने कि वाद-विवाद में हस्तक्षेप करके माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित सभी मुद्दों का उत्तर दिया है और इस प्रकार बहुत बड़ी सीमा तक मेरे कार्य को हल्का कर दिया है। देश की रक्षा के बारे में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसमें उन्हीं की तरह मैं और समस्त सरकार सहभागी हैं और मैं आश्वासन देता हूं कि हम वह सभी सम्भव कदम उठायेंगे और उठा रहे हैं कि देश की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा वाद-विवाद के दौरान उठाये गए मुद्दों और उनके द्वारा दिये गए सुझावों को बड़े ध्यान से सुना है। अब मैं की गई जांच-पड़ताल का यथास्थिति संक्षेप में उल्लेख करूंगा। मेजर जनरल (अवकाश प्राप्त) एफ० डी० लारकिन्स, एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) जसबीर सिंह और मैसर्स एम०जी० इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कम्पनी के प्रतिनिधि जसपाल सिंह, इन चारों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में दे दिया गया है। तलाशी के दौरान कुछ गुप्त और वर्गीकृत दस्तावेज जब्त किये गये हैं। सेवानिवृत्त मेजर जनरल एफ०डी० लारकिन्स ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार करते समय बयान भी दिया है। जांच-पड़ताल के दौरान लेटि० कर्नल (सेवानिवृत्ति) जसबीर सिंह के कहने पर गुप्त/प्रतिबन्धित दस्तावेज और पुस्तिकाएं पाई गईं जो उसने अनाधिकृत रूप में डी० जी० आई० और ई० एम० ई० ग्रन्थालयों से प्राप्त की थीं।

अब तक 40 साक्षियों के बयान दर्ज किए गये हैं। दो महत्त्वपूर्ण साक्षियों के बयान न्यायालय में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में लिपिबद्ध किए गये। अब तक की गई जांच-पड़ताल से अपराधियों पर अदालत में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए गये हैं।

माननीय सदस्यों ने देश की सुरक्षा और अखण्डता के अहित के विरुद्ध आसूचना अभिकरणों के परिचालन के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आसूचना अभिकरणों के परिचालन से सभी भली-भांति परिचित हैं। जासूसी की गतिविधियां केवल भारत तक ही सीमित नहीं हैं, सदस्यों को पता होगा कि बड़ी ताकतों तक के यहां भी गुप्तचरी के कांड होते रहते हैं। तथापि देश में तो हम जासूसी गतिविधियों के प्रति निरन्तर सतर्क रहते हैं और यह सुनिश्चित करने हेतु इस आवश्यकता के प्रति पूर्णतया सजग रहते हैं कि विदेशी आसूचना अभिकरणों को परिचालन की कार्यवाही देश की सुरक्षा के लिए खतरा न बन जाए। केन्द्रीय और राज्य आसूचना अभिकरण, जासूसी के किसी भी प्रकार के प्रयास को पकड़ने, उसको उजागर करने, उसके विरुद्ध सभी अन्य

कार्यवाही करने हेतु सतत सतर्कता बनाए रखते हैं। उठाये गये कदमों में सीमा पार से सम्भव घुस-पैठ मार्गों पर कड़ी निगरानी बनाए रखना, सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों और महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सतर्कता बरतना, सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों में सुरक्षा प्रबन्धों की सतत समीक्षा करना तथा उन्हें और मजबूत बनाना आदि भी सम्मिलित है।

माननीय सदस्य यह मानेंगे कि जासूसी के जाल को पकड़ना बड़ा ही कठिन कार्य है और रक्षा मन्त्री महोदय तथा सभा के साथ-साथ मैं उस रक्षा अधिकारी को बधाई देता हूं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है। सतत प्रयासों द्वारा ही हमारे रक्षा और असैनिक आसूचना संगठन जासूसी के अनेक मामलों को पकड़ने में सफल रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये सुझावों, विशेषकर सरकार में सुरक्षा उपायों को सुधारने की आवश्यकता के सम्बन्ध में दिए गये सुझावों पर उनको धन्यवाद देता हूं। हम सरकार में गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा करते रहे हैं। इस मामले का पता चलने के बाद, रक्षा मन्त्रालय में सुरक्षा उपायों को और भी कड़ा कर दिया गया है। मामले की जांच भी जारी है। मैं कह सकता हूं कि अब तक की गई जांच-पड़ताल बड़ी सफल रही है और सार्थक भी तथा इससे आगे भी जांच-पड़ताल तत्परता से की जायेगी। देश की सुरक्षा और अखण्डता को बनाए रखने के लिए सरकार सतर्कता बनाए रखेगी।

गत बहुत से वर्षों में, विदेशों के आसूचना अभिकरणों द्वारा की गई जासूसी के बहुत से मामले पकड़े गये हैं और रजिस्टर किए गये हैं। इनमें से बहुत से मामलों की जांच चल रही है और बहुत-सों की सुनवाई चल रही है। 1973 से लेकर अब तक शासकीय गुप्त-बात अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के कारावास की विभिन्न सजाएं दी गई हैं। एक मामले में तो मई, 1983 में, एक अपराधी को विधि की अनेक धाराओं के अधीन 27 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। सजा लगातार चलेगी, साथ-साथ नहीं।

जहां तक सुरक्षा प्रणाली में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने हेतु हाल ही में किए गए उपायों का सम्बन्ध है, मैं उनमें से कुछ यहां का उल्लेख करता हूं :

उन सभी सेवानिवृत्त रक्षा-अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिन्हें अब से पहले रक्षा मुख्यालयों के सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश हेतु पहचान-पत्र दिए गये थे तथा उनके पहचान-पत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया है और उन्हें वापिस लिया जा रहा है। रक्षा मुख्यालय सुरक्षा क्षेत्र में अधिकारियों से मिलने के लिए, सेवानिवृत्त रक्षा-कर्मिकों को अब सामान्य स्वागत-कार्यालय के माध्यम से जाना पड़ेगा। किसी भी मामले में, सेवानिवृत्त असैनिक कार्मिकों को केवल स्वागत-कार्यालय के माध्यम से ही रक्षा-मुख्यालयों में प्रवेश की अनुमति है।

वर्गीकृत और प्रतिबन्धित दस्तावेजों, पुस्तकों, साहित्य आदि को डी० जी० आई० संगठन में एकत्र करके अलग से उस ग्रन्थालय में रखा गया है जहां दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुमति प्राप्त

अधिकारी/कार्मिक ही वर्गीकृत/प्रतिबन्धित दस्तावेजों आदि को देख सकेंगे। दिल्ली से बाहर डी०जी० आई० के जो पुस्तकालय हैं उन्हें नई प्रक्रिया लागू होने तक सील कर दिया गया है।

वर्तमान पहचान-पत्र प्रणाली को बन्द किया जा रहा है और 15 फरवरी, 1984 से रक्षा मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों को नये सिरे से पहचान-पत्र दिए जायेंगे। रक्षा-कार्मिकों को रक्षा मुख्यालय में सेवा पहचान-पत्र के आधार पर प्रवेश की अनुमति की वर्तमान प्रणाली को भी रद्द कर दिया जायेगा और रक्षा मुख्यालय में नियुक्त रक्षा कार्मिकों को उनके कार्य-स्थल में प्रवेश हेतु पहचान-पत्र/वैधता-पत्र जारी किये जायेंगे।

संदर्भ मुख्यालयों के विभिन्न कार्यालयों में केवल राजपत्रित अधिकारियों की ही पहुंच रहेगी। अन्य सभी मामलों में, पहचान-पत्र कर्मचारी के सामान्य कार्य-स्थल तक ही वैध रहेंगे।

आकस्मिक-जांच, रात्रि-गश्त और कार्यालय में प्रायः देर से बैठने वालों पर विशेष निगरानी रखकर सुरक्षा-जांच-पड़ताल को और गहन कर दिया गया है।

विशेष जांच-पड़ताल के दौरान, बाहर/भीतर जाने वाले स्थलों पर थैलों, ब्रीफ-केशों, हैण्ड-बैगों आदि की पूरी तरह तलाशी ली जाती है। रक्षा मुख्यालय सुरक्षा क्षेत्र के बीच पड़ने वाले विदेश मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय के वित्तीय सलाहकार/विदेश मन्त्रालय अनुभाग में आने वालों को रोकने के लिए साउथ ब्लाक में विशेष सुरक्षा स्थल स्थापित किए गए हैं।

दर्शकों को साथ में बाहर लाने और अन्दर ले जाने की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

दर्शकों को पास निश्चित अवधि के लिए दिए जाते हैं जिसका उल्लेख दर्शक पर्ची पर कर दिया जाता है और जिस द्वार से वे प्रवेश पाते हैं वहां तक रक्षार्थ के साथ जाना पड़ता है।

गारद कक्ष से, कमरों को खोलने के लिए चाबियां लाने वाले कर्मचारियों के अधिकार सीमित कर दिये गये हैं, आदि-आदि।

जहां तक रक्षा विभाग के विभिन्न अभिकरणों और आसूचना विभाग तथा पुलिस विभाग के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, इसे और भी सशक्त बना दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब से आगे ऐसा अवसर कभी नहीं आयेगा कि सैन्य गुप्त बातें विदेशों को जा सकें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि अमरीकी दूतावास के तीन अधिकारियों को भारत छोड़कर जाना पड़ा ? आपने न तो देश का नाम ही बताया है और न ही अभिकरण का।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जब उन देशों से मित्रवत सम्बन्ध हों तो उनका उल्लेख करने की न तो हमारी नीति रही है और न है। इससे सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति, चाहे वह इस देश का हो या अन्य देश का, देश छोड़कर नहीं गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने कुछ नहीं बताया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह ठीक है।

अब सभा कल 11 बजे मध्य पूर्व तक के लिए स्थगित होती है।

7.38 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 21 दिसम्बर, 1983/30 अग्रहायण, 1905 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मौजपुर, दिल्ली-53